

प्रथम-खण्ड

प्राचीन-शिक्षा

वैदिक कालीन शिक्षा

विषय प्रवेश

वर्तमान की जड़ अतीत में होती है । भारत के अतीत का गौरव वर्तमान को उज्ज्वल करता हुआ उसके भविष्य को भी आकर्षक बना रहा है । प्राचीन भारत की यह एक विशेषता है कि इसका निर्माण राजनैतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में न होकर धर्म-क्षेत्र में हुआ था । जीवन के प्रायः सभी अंगों में धर्म का प्राधान्य था । भारतीय सस्कृति धर्म की भावनाओं में ओत-प्रोत है । हमारे पूर्वजों ने जीवन की जो व्याख्या की तथा अपने कर्तव्यों का जो विश्लेषण किया वह सभी उनके बृहत्तर आध्यात्म-ज्ञान की ओर संकेत करता है । उनकी राजनैतिक तथा सामाजिक वास्तविकतायें केवल भौगोलिक सीमाओं के अन्तर्गत ही बँध कर नहीं रह गईं । उन्होंने जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा और 'सर्वभूत हिंसे रत' होना ही अपना कर्तव्य समझा । भारत ने केवल भारतीयता का ही विकास नहीं किया, उसने चिर-मानव को जन्म दिया और मानवता का विकास करना ही उसकी सभ्यता का एक मात्र उद्देश्य हो गया । उसके लिये वसुधा कुटुम्ब थी ।

राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में धर्म का प्राधान्य होने से जीवन में एक अलौकिक विचार धारा का समावेश हुआ । प्राचीन हिन्दुओं की राजनीति हिंसा, द्वेष तथा स्वार्थ पर अवलम्बित न होकर प्रेम, सदाचार और परमार्थ पर आधारित थी । व्यक्ति का विकास ही समाज का विकास समझा जाता था । आर्थिक क्षेत्र में भी जीवन की कोमल व पवित्र धार्मिक-भावनायें क्रियाओं का निर्देशन करती थी, यहाँ तक कि सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक-संगठन मानव की मूल-भूत उदात्त भावनाओं तथा दिव्य शक्तियों पर आधारित था । जीवन का एक उद्देश्य था, एक आदर्श था और उस आदर्श की प्राप्ति ससार की सभी भौतिक विभूतियों से उच्चतर समझी जाती थी । प्राचीन

कर मोक्ष प्राप्त करने का एक क्रमिक प्रयास माने गये। मोक्ष ही जीवन का चरम विक था। यही कारण है कि जीवन की सम्पूर्णा बहुमुखी क्रियाएँ धर्म के मार्ग पर चल कर ही अपने एकमात्र गंतव्य 'मोक्ष' की ओर अग्रसर हुईं ॥ भारत के सम्पूर्णा साहित्य विज्ञान और कला का सृजन ही उसका अभीष्ट पर पहुँचने का प्रयास है। प्राची भारतीय साहित्य एक प्रकार से धर्म का वाहन है, जैसा कि मैकडॉनल ने कहा है कि "प्राचीनतम वैदिक काव्य के सृजन-काल से ही हम भारतीय साहित्य पर एक प्रकार से लगभग एक हजार वर्ष तक धार्मिक छाप लगी हुई पाते हैं, यहाँ तक कि वैदिककाल के वे अंतिम ग्रन्थ, जिन्हें हम धार्मिक नहीं कह सकते, अपना धर्म प्रसार का उद्देश रखते हैं। यह वास्तव में 'वैदिक' शब्द से प्रकट होता है क्योंकि 'वेद' का अर्थ ज्ञान ('वेद' मूल धातु से) होता है तथा सम्पूर्णा पवित्र-ज्ञान का साहित्य की शाखा के रूप में बोध कराता है।"*

प्राचीन भारतीय शिक्षा का विकास भी भारतीय दार्शनिक परम्परा के अनुरूप ही हुआ है। जीवन तथा संसार की क्षणभंगुरता का अनुमान तथा मृत्यु एवं भौतिक सुखों की सारहीनता के भाव ने उन्हें एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान किया और वस्तुतः सम्पूर्णा शिक्षा परम्परा इन्हीं सिद्धान्तों पर विकसित हुई। यही कारण था कि भारतीय ऋषियों ने एक अदृश्य जगत और आध्यात्मिक सत्ता के संगीत गाये और अपने सम्पूर्णा जीवन को भी उसी के अनुरूप ढाला। इस भौतिक जगत को वे कभी गंभीरता पूर्वक न ले सके और उनकी सभी प्रवृत्तियाँ वाह्य-विकास की ओर न होकर आन्तरिक जगत के सृजन और विकास में लग गईं। यद्यपि मृत्यु उनके भय का कारण नहीं थी तथापि मृत्यु तथा संसार में आवागमन से मुक्ति पाने के लिये उन्होंने एक अमर और स्थायी जीवन की कल्पना की। जगत उन्हें मिथ्या लगा और जीवन का एक मात्र सत्य प्रतीत हुआ इस जीवात्मा का परमात्मा में विलीनीकरण। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य 'चित्त-वृत्ति-निरोध' हो गया।

प्राचीन काल में विद्यार्थी इस जगत के सम्पूर्णा विप्लव और विद्रोह से प्रकृति की रमणीक गोद में अपने गुरु के चरणों में बैठ कर जीवन की समस्याओं का श्रवण, मनन और चिन्तन करता था। पर्वत की चोटी पर पड़ी हुई प्रथम हिम

† "Learning in India through the ages had been prized and pursued not for its own sake, if we may so put it, but for the sake and as a part, of religion. It was sought as the means of salvation, self-realisation, as the means of the highest end of life, viz. Muk or Emancipation." Dr. Radha Kumud Mukerjee : *Ancient India*

ऋगिकाओ की भाँति उसका जीवन पवित्र था। जीवन उसके लिये प्रयोगशाला था-।
 यह केवल पुस्तकीय शब्द-ज्ञान ही प्राप्त नहीं करता था, अपितु जन-समूह के सम्पर्क में
 आकर जगत व समाज का व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध करता था। भारतीयों का यह
 विश्वास था कि "सत्य की केवल मानसिक अनुभूति, एक तर्कपूर्ण विचार-वारा प्रयास
 ही यद्यपि प्रथम सीढ़ी के रूप में एक उद्देश्य बिन्दु के समान आवश्यक है।"† अतएव
 प्राचीन भारतीय विद्यार्थी ने प्रत्यक्ष रूप से महान् सत्य की अनुभूति की और समाज का
 निर्माण उसी के अनुरूप किया।

विद्यार्थी का गुरु-गृह पर रहना तथा उसकी सेवा करना अतृठी भारतीय परम्परा
 है। इस प्रकार निकटतम सम्पर्क में आने से विद्यार्थी के अन्दर स्वाभाविक रूप से ही
 गुरु के गुणों का समावेश हो जाता था। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये
 यह अनिवार्य था, क्योंकि गुरु ही उन आदर्शों, परम्पराओं तथा सामाजिक नीतियों का
 प्रतीक था जिनके मध्य में रहकर विद्यार्थी का पालन-पोषण हुआ है। ऐसी अवस्था में
 विद्यार्थी का गुरु के साथ निकटतम सम्पर्क सम्पूर्ण सामाजिक परम्पराओं से विद्यार्थियों
 का साक्षात्कार करा देता था।

इसके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा-प्रणाली की एक विशेषता यह थी कि शिक्षा
 जीवनोपयोगी थी। गुरु गृह में रहते हुए विद्यार्थी समाज के सम्पर्क में आता था। गुरु
 के लिये ईंधन व पानी लाना तथा अन्य गृह-कार्यों को करना उसका कर्तव्य समझा
 जाता था। इस प्रकार न वह केवल गृहस्थ होने का शिक्षण ही पाता था, अपितु श्रम
 का गौरव-पाठ तथा सेवा का पदार्थ-पाठ पढता था। गुरु की गायों को चराना तथा
 अन्य प्रकार से गुरु की सेवा करने से एक आध्यात्मिक लाभ भी विद्यार्थियों को होता
 था। विनय अथवा अनुशासन की समस्या जिसने वर्तमान शिक्षा-क्षेत्र में एक
 चुनौती सी दे रखी है, स्वत ही हल हो जाती थी और साथ ही विद्यार्थी
 कुछ जीवनोपयोगी उद्यम जैसे, पशु-पालना, कृषि तथा डेरी-फार्म इत्यादि में
 शिक्षण भी पा लेता था। छान्दोग्य उपनिषद् में महासन्त सत्यकाम की
 कथा आती है जो विद्यार्थी-जीवन में गुरु की गायों का पालन करते थे
 और जिनके निरीक्षण में गायों की संख्या ४०० से १,००० तक हो गई थी। उसी प्रकार
 वृहदारण्यक में भी हमें ऋषि याज्ञवल्क्य की गाथा मिलती है, जिन्हें राजा जनक ने
 १,००० गायों का दान दिया जो कि उनके महान् ज्ञान का पारितोषक था। इसमें
 प्रमाणित होता है कि शिक्षा केवल सैद्धान्तिक ही नहीं थी, अपितु जीवन की वास्तविकताओं
 से उसका सम्बन्ध था। ऋग्वेद में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि एक ऋषि स्वयं
 कवि थे उसके पिता भिषग अर्थात् चिकित्सक और उनकी माँ उपल-प्रक्षिणी अर्थात्

आटा पीसने वाली थी। इस प्रकार उच्चतम शिक्षा में भी श्रम का महत्त्व था। जीवन की गूढतम समस्याओं को भारतीय ऋषियों ने जीवन के साधारण काय-श्रेत्रों में सुलभा दिया था। जिस पद्धति को वर्तमान काल में 'क्रिया में ज्ञान प्राप्त करना' कहते हैं, जिसका कि आधुनिक युग में अमेरिका प्रवर्तक समझा जाता है, भारतीय ऋषियों तथा विद्यार्थियों का एक प्रमुख शिक्षा-सूत्र था। जीवन की प्रयोगशाला शिक्षा परीक्षणों के लिये थी जिनमें सफलता प्राप्त करके प्राचीन शिक्षा-शास्त्रियों ने एक परम्परा का निर्माण किया।

इसी प्रकार विद्यार्थियों का जीवन-निर्वाह तथा गुरु-सेवा के निमित्त भिक्षा प्राप्त करना भी प्रधानत एक भारतीय परम्परा ही है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी का परामुखपेक्षी बनाना नहीं था और न यह समाजहित के प्रतिकूल ही समझा जाता था। वाग्मव में भिक्षा-प्रथा प्राचीन काल में एक सम्मानित काय समझा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में इसके शिक्षा-महत्त्व को स्वीकार किया गया है। यह प्रथा विद्यार्थी में त्याग तथा मानवीय गुणों का विकास करती थी। उसके अहंकार तथा उश्रु खलता का विनाश करके उसे व्यावहारिक जगत के सम्मुख ला खड़ा करती थी। समाज के सम्पर्क में आने से उसे वास्तविक जीवन का भी ज्ञान होता था। यह विद्यार्थी के लिए स्वावलम्ब तथा समाज के प्रति उसके कर्तव्य और कृतज्ञता का पदाथ-पाठ था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति का विकास एक सुगठित योजना के द्वारा हुआ था। उसकी जड़ें समाज के अन्तराल में थी और उसका विकास स्वाभाविक था। उसका कुछ उद्देश्य था और कुछ सन्देश था। भारत के जंगलों और काननों के मध्य में स्थित, प्रकृति की रमणीक शोभा में घिरे हुए विद्या-केन्द्र सभ्यता और सस्कृति के अगाध स्रोत थे जहाँ से मानवता का विकास हुआ। राजनीत तथा आर्थिक सिद्धान्त-क्षेत्र में भारत ने चाहे अधिक उन्नति न की हो, क्योंकि उसका उद्देश्य सासारिक पदार्थ सम्पन्नता की ओर इतना नहीं रहा, किन्तु शिक्षा-क्षेत्र में भारतीय देन अद्वितीय है। जब ससार की अन्य जातियाँ सभ्यता की बोली में केवल बड़बडाना ही सीख रही थी, भारत ने उच्च तत्व-ज्ञान की भीमासा की। उसने अपने ज्ञान से विश्व को आलोकित किया और मानव-सभ्यता के एक मानदण्ड की स्थापना की। भारत के प्राचीन शिक्षकों ने शिक्षा के एक विशिष्ट रूप का विकास किया, जिसके द्वारा लौकिक व पारलौकिक विभूतियों में समन्वय की स्थापना हुई, और इस प्रकार मानवीय जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ।

ब्राह्मणीय शिक्षा का विस्तृत वर्णन करने से पूर्व वेदों का परिचय आवश्यक है क्योंकि तत्कालीन शिक्षा का आधार वेदों पर ही आश्रित है। अतः नीचे हम संक्षेप में वेदों का परिचय ही कराते हैं।

ऋग्वेद—यह हिन्दू धर्म की सर्वप्रथम और प्राचीनतम रचना है। किन्तु आश्चर्य की बात है कि ऋग्वेद से पूर्व ही भारतीय शिक्षा और सभ्यता का कोई क्रमिक विकास-इतिहास नहीं मिलता। यद्यपि ऋग्वेद से पूर्व भी भारत में द्रविड सभ्यता का विकास हो चुका था, किन्तु उसके अन्तगत शिक्षा-प्रणाली का कोई प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध नहीं है। भारतीय आय-सभ्यता का प्रारम्भ तो एक प्रकार से ऋग्वेद से ही माना जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बिना एक उच्च सभ्यता की पृष्ठ-भूमि के भारत के लिये ऋग्वेद जैसी कृति का सहसा सृजन कर देना सम्भव नहीं। अवश्य ही ऋग्वेद की सभ्यता तक पहुँचने में भारत को क्रमिक विकास की अनेक सीढ़ियों को पार करना पडा होगा। मैकमूलर का कथन है कि "एक बात सत्य है कि भारत में अथवा सम्पूर्ण आय जगत में ऋग्वेद के मन्त्रों से अधिक प्रारम्भिक और प्राचीनतम कुछ भी नहीं है। तथापि ऋग्वेद भारतीय सस्कृति का प्रभात नहीं, अपितु उसका मध्याह्न है, जहाँ हम भारतीय सभ्यता और दर्शन को अपनी पूर्ण प्रौढता को पहुँचा हुआ पाते हैं।"

भारतीय प्राचीन परम्परा के अनुसार ऋग्वेद वह महान ज्ञान-भण्डार है, जिसमें तत्कालीन ज्ञान और विचारधारा बीज रूप में निहित हैं। वस्तुतः हिन्दू सभ्यता का शिलान्याम ही ऋग्वेद के द्वारा हुआ है जिसमें जीवन की भौतिक विभूतियों को तुच्छ समझने हुए एक महान् और दिव्य आनन्द की प्राप्ति के लिये जीवन की प्रवृत्तियों को अन्तर्मुखी करने का आदेश है।


ऋग्वेद के विकास का इतिहास ही तत्कालीन सस्कृति और सभ्यता के विकास का इतिहास है। यह १०१७ मन्त्रों का सग्रह है जिसे सहिता कहते हैं। ये मन्त्र क्रमशः एक दीर्घ काल में इकट्ठे किये गये थे। भिन्न २ कालों से सम्बन्ध रखने वाले इस विशाल साहित्य को सकलित करने के लिए ऋग्वेद सहिताकारों को उच्चकोटि के सिद्धान्तों का विकास करना पडा होगा। सहिता भिन्न-भिन्न प्रकार के मन्त्रों का सग्रह है, जिसमें कुछ मन्त्रशुद्ध साहित्य, कुछ धर्म और सस्कारों और कुछ यज्ञ-संगीत तथा यज्ञ-विधि इत्यादि से सम्बन्ध रखते हैं। इन मन्त्रों के द्वारा इन्द्र, वरुण, अग्नि, मास्त, उषा, सूर्य और परैरजन्म इत्यादि की आराधना की गई है। जन्म, विवाह, दान, यज्ञ और मृत्यु इत्यादि जीवन के सस्कारों पर भी श्लोक हैं। अन्त में सृष्टि और दर्शन के ऊपर भी मन्त्र हैं जिनमें विराट् पुरुष के द्वारा सृष्टि-सृजन का उल्लेख है (मंडल १०, ६०)। इस प्रकार सहिता में जीवन के सांस्कृतिक चरम-विकास तथा उसके भिन्न रूपों का विशद चित्रण किया गया है।

(३) ऋग्वेद दस मण्डलों में विभाजित है, जिसमें मण्डल-२ से ७ तक उसका मौलिक प्रमुख भाग है जिसका सृजन छ प्रमुख ऋषियों ने किया है। वे ऋषि हैं — गृत्समद,

विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वसिष्ठ। मण्डलो का विकास ऋषियों तथा उनके परिवार के द्वारा क्रमश हुआ। प्रत्येक परिवार अपनी पैतृक सम्पत्ति की रक्षा करके उन्हें सुरक्षित रखता था। मौलिक प्रमुख भाग में मण्डल १, ८ ९ व १० के जुड़ जाने से सम्पूर्णा ऋग्वेद संहिता का अस्तित्व हुआ। इस प्रकार सम्पूर्णा रचना में १,०२८ श्लोक और १०,५८० मंत्र ७०,००० पक्तियाँ तथा १,५३,८२६ शब्द हैं। इन ७०,००० पक्तियों में ५,००० पक्तियाँ पुनरावृत्ति मात्र हैं। इससे प्रकट होता है कि कालान्तर में जोड़े हुए श्लोकों के रचयिता केवल पूर्वस्थित श्लोकों में ही मार ग्रहण कर रहे थे जिनका प्रचार देश में पहिले ही से था।

अन्य वेद—ऋग्वेद के उपरान्त क्रमश सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता का प्रादुर्भाव हुआ। इन वेदों ने एक नये प्रकार के साहित्य का सूत्रपात किया। ऋग्वेद में आये हुए मंत्रों के क्रम का यज्ञ के क्रम में कोई सम्बन्ध नहीं है, यहाँ तक कि ऐसे मंत्र भी हैं जिनका यज्ञ या बलि से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु साम, यजु और अथर्व में यज्ञ सम्बन्धी मंत्रों का एक क्रम है। साम और यजु के काल में ही ऋग्वेद-कालीन धर्म में पर्याप्त विकास होने लगा था और पुरोहितवाद का प्रचार अधिक बढ़ गया था। इन पुरोहितों की तीन प्रधान शाखाये थी (१) होतृ (२) उद्गातृ और (३) अध्वर्यु। इनके अनिरिक्त एक चौथा वर्ग भी था जो कि 'ब्राह्मण' कहलाता था। इन चारों प्रकार के पुरोहितों के क्रमश तीन-तीन प्रकार के सहायक-पुरोहित और होते थे। सम्पूर्णा पुरोहित-समाज सोलह भागों में विभाजित था। ये सभी पुरोहित 'ऋत्विज' कहलाते थे। कालान्तर में एक मंत्रहवा ऋत्विज और सम्मिलित कर दिया गया जो कि 'सदस्यु' कहलाता था और सम्पूर्णा यज्ञ का निरीक्षण करता था।

सम्पूर्णा पुरोहित समाज का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है :



आगे चलकर उच्च शिक्षा का सम्बन्ध पुरोहितवाद तथा धर्म के क्रियात्मक रूप (कर्मकांड) से हो गया। पूजा तथा यज्ञ के वाह्य-उपकरणों का इतना प्रचार हो

गया कि पुरोहितो को इन क्रियाओं का नियमित शिक्षण लेकर उनमें विशेष योग्यता प्राप्त करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि पुरोहितो में भी क्रियाओं का श्रम-विभाग हो गया। प्रारम्भ में पुरोहितो में कोई वर्गभेद नहीं था तथा प्रत्येक पुरोहित यज्ञ सम्बन्धी प्रत्येक कार्य को करने के योग्य समझा जाता था। प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए एक सा शिक्षा-विधान था और प्रत्येक को यज्ञ का मन्त्र, उच्चारण तथा क्रियाविधि इत्यादि सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। कालान्तर में कमकाड और बलिदान-विधि के अधिक जटिल हो जाने पर यह अनिवाय हो गया कि उनमें कुछ श्रम-विभाग किया जाय, क्योंकि एक पुरोहित के लिये यह कार्य असम्भव समझा गया कि वह यज्ञ की त्रिविधियों में विशेषज्ञ हो जाय। अतः पुरोहित-विद्यार्थी प्रारम्भ में तो त्रिविधियों में ही शिक्षण प्राप्त करते थे, किन्तु तत्पश्चात् उनमें से किसी एक में विशेषता प्राप्त कर लेते थे। अन्त में पुरोहितो में तीन प्रमुख विभाग हो गये जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। यह पुरोहित क्रमशः एक एक वेद के प्रतिनिधि थे। इन लोगों की शिक्षण-संस्थाय भी भिन्न-भिन्न थी। यह सभ्यत सन् १००० ई० प० से ८०० ई० पू० के मध्य में हुआ।

(१) होतृ—यह प्रथम वर्ग का पुरोहित होता था जो यज्ञ के समय मन्त्रों का गान करता था। ये मन्त्र किसी देवता जैसे इन्द्र, अग्नि या वायु इत्यादि की प्रशंसा में गाये जाते थे। इस कार्य में होतृ को विशेषता प्राप्त होती थी। वह प्रमुख पुरोहित माना जाता था।

(२) उद्गातृ यज्ञ-विधि का दूसरा भाग सोमयज्ञ से सम्बन्ध रखता था। सोम एक प्रकार का रस होता था जिसे एक लता को कुचल कर निकाला जाता था। यह रस मादक होता था। अतः इसकी मादकता को आर्यों ने एक दिव्यशक्ति समझ कर देवता की भाँति उसकी पूजा करना प्रारम्भ कर दिया, क्योंकि उनके मतानुसार यह उन्हें अमरत्व प्रदान करता था। इस प्रकार एक नई संस्कार-विधि का प्रादुर्भाव हुआ जिसके अनुसार मन्त्र-गान गाये जाने लगे। जो पुरोहित इन मन्त्रों का गान करते थे उन्हें 'उद्गातृ' कहा जाता था।

(३) अध्वर्यु—इन पुरोहितो का कार्य यज्ञ के प्रमुख भाग से सम्बन्ध रखता था। यज्ञ की क्रिया-विधि तथा वास्तविक कार्य-प्रणाली में ये लोग विशेषता प्राप्त करते थे।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 'ब्राह्मण' नामक एक चौथा वर्ग भी था जो सम्पूर्ण पूजा-कार्य का निरीक्षण और निर्देशन करता था। यह वर्ग तीनों वेदों में शिक्षा प्राप्त करता था, प्रत्येक सदेहात्मक बात पर इसी की अनुमति अन्तिम मानी

जाती थी । यज्ञ-विधि के भिन्न-भिन्न भागों पर यह अपनी निर्णयात्मक अनुमति देता था

सामवेद—सोम-सस्कार के लिये उद्गातृ का गान की सभी ध्वनियों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था । सोम यज्ञ पर गाई जाने वाली क्रियाओं का सग्रह सामवेद के नाम से हुआ । इसमें १५८९ छन्दों में से केवल ७८ मन्त्र उद्गातृ पुरोहितों के प्रदान किये हुए हैं । शेष या उनमें से अधिकतर प्रधानतः ऋग्वेद के ८ या ९ वें मण्डल से लिये गये हैं । सामवेद के मन्त्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें 'अर्चिकाएँ' कहते हैं । प्रथम अर्चिका में ५८५ ऋक् हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी न किसी ध्वनि से सम्बन्ध रखता है । सामवेद का दूसरा भाग जो 'उत्तरार्चिका' कहलाता है अधिकतर तीन-तीन छन्दों का ८०० मन्त्रों का सग्रह है । इस प्रकार सम्पूर्ण वेद का उद्देश्य सगीत ज्ञान कराना है । यह सगीत के एक पाश्च ग्रन्थ के समान है जिसमें सगीतों के पूर्ण पाठ दिये हुए हैं ।

यजुर्वेद—यद्यपि यज्ञ के समय मन्त्र गान करने का कार्य प्रधानतः होतृ को करना होता था, तथापि अध्वर्यु जो कि यज्ञ की क्रिया-विधि से सम्बन्धित था, कुछ मन्त्र प्रार्थनायें अथवा अह्वाहन-मन्त्र उच्चारण करता था । इन पुरोहितों की शिक्षा के लिये भी एक शिक्षा-मकुल (स्कूल) विकसित होने लगा । इनका विशेष वेद यजुर्वेद हुआ । इस प्रकार यजुर्वेद अध्वर्यु पुरोहितों का प्राथमिक ग्रन्थ है ।

यजुर्वेद गद्य मन्त्रों का सग्रह है, जिनमें से अधिकतर ऋग्वेद से लिये हुए क्षेपक हैं । यजुर्वेद के 'कृष्ण' और 'शुक्ल' दो भाग हैं । गद्य के अनिर्गित कृष्ण-यजुर्वेद में कुछ मन्त्र पद्य में भी हैं । भारत का प्रारम्भिक गद्य, जो उपनिषदों में जाकर विकसित हुआ, वह अपनी प्रारम्भिक अवस्था में यजुर्वेद में मिलता है । भारतीय प्राचीन साहित्य के लिये यह गद्य की अनुपम देन है । शुक्ल यजुर्वेद में वही मन्त्र, प्रार्थनायें तथा विधियाँ हैं जिनका कि पुरोहित-उच्चारण करते थे । यजुर्वेद में भारतीय धार्मिक तथा भौतिक जीवन की भाँकी मिलती है । इसमें बहुत से यज्ञों का विधान है, जैसे पिण्ड-यज्ञ पितृज्ञ, अग्नि-होत्र, चातुर्मास्य, राजसूय-यज्ञ, अश्वमेध और अग्नि-चयन इत्यादि । देह की भौतिक उन्नति के लिये भी यजुर्वेद में मन्त्र हैं, जैसे—'ब्रह्म वर्चसि जायताम् अस्मिन् राष्ट्रे' इत्यादि ।

अथर्व वेद—प्रारम्भ में तीन वेदों का ही प्रचलन था । कुछ समय उपरान्त ऋक् चतुर्थ वेद भी स्वीकार किया गया जिसका नाम अथर्व वेद था । इसमें बहुत कुछ मौलिकता है । पूर्व वेदों की भाँति इसके अधिकतर मन्त्र ऋग्वेद से नहीं लिये गये हैं । ६,००० मन्त्रों में से केवल १,२०० ऋग्वेद के लिये गये हैं । सम्पूर्ण वेद में ७३१ गान हैं जो कि २० भागों में विभक्त हैं । अथर्व वेद चिकित्सा-शास्त्र का भारत में सर्वप्रथम ग्रन्थ

है। इसमें बहुत सी जड़ी बूटियों का भिन्न-भिन्न प्रकार के रोग निवारण के लिये उल्लेख है। ज्वर, पाण्डु, सन्निपात, गोथ, क्लैव्य, क्षय, सपदश, विषकोढ, तथा रक्त विकार इत्यादि भयकर रोगों की चिकित्सा जड़ी-बूटियों द्वारा किये जाने का विषय अथर्व वेद में मिलता है। ६ वे भाग में ज्योतिष विद्या का भी उल्लेख है। एक भाग में गृहस्थ जीवन के जन्म, विवाह तथा मृत्यु इत्यादि के सस्कारों का भी इसमें कथन है। अथर्व-वेद का बहुत से विद्वान् तान्त्रिक ग्रन्थ मानते हैं, क्योंकि इसमें उन मन्त्रों का समावेश है जिनके द्वारा पुरोहित लोग रोग, शत्रु, हिंसक पशु तथा प्राकृतिक उत्पातों के विरुद्ध उनके विनाश के लिये ग्राह्णाहन करते थे। कुछ मन्त्रों के द्वारा भौतिक सम्पन्नता तथा सामारिक विभूतियों के पाने के लिये भी प्राथना करते थे। कुछ ऐसे गान भी हैं जो राजाश्रा तथा राजपरिषदों एवं आर्थिक, राजनैतिक तथा दाशनिक अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार अथर्व वेद पूरात भौतिक ग्रन्थ है। सासारिक ज्ञान-विज्ञानों का इसमें विषद वर्गान है।

ऋग्वेद में शिक्षा ? -

भूमिका — ऋग्वेद में मन्त्रों के प्रारम्भ का युग प्रधानत रचना युग था, जिसके उपरान्त आलोचना तथा सगह का युग आया। प्रथम युग में ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ जो सत्यदृष्टा थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अपने तप और योग के बल से ये ऋषि भूत, भविष्यन् और वतमान को देख सकते थे। इनके उपरान्त दूसरे युग में श्रुतर्षि उत्पन्न हुए। ऋषि लोग अपने मन्त्रों का दान इन श्रुतर्षियों को उपदेशों द्वारा देते थे। 'तप' आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख साधन था। ऋषि और मुनि बनने में तपस्या करके परमानन्द तथा अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। ऋग्वेद में सात महर्षियों तथा उनकी तपस्या की उस महान् शक्ति का जो कि निम्न-स्तर से उच्च-स्तर का उठा देने में ममथ थी, उल्लेख है। ऋत् और सत्य (विचार और वाणी का सत्य) तप के ही फल कहे जाते थे। यहाँ तक कि सम्पूरा सृष्टि की रचना ही ब्रह्मा के तप से उत्पन्न मानी गई है।

• ऋषियों के तप तथा योग द्वारा महत् ज्ञान के प्राप्त कर लेने तथा उनके छन्दों और मन्त्रों के रूप में सकलित होने के उपरान्त ऐसे साधनों का विकास हुआ जिनके द्वारा यह ज्ञान रक्षित किया जा सके अथवा आगे की सन्तति को हस्तांतरित किया जा सके। अतः प्रत्येक ऋषि अपने पुत्र अथवा शिष्य को यह ज्ञान प्रदान करता था जिसे उसने स्वयं प्राप्त किया था। इस प्रकार यह ज्ञान उस परिवार की वंशगत-निधि समझा जाता था। वैदिक कालीन परिवार-स्कूलों का इसी प्रकार सूत्रपात हुआ। शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों में कठोर करना था। अपनी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करता था। सायण ने तीन प्रकार के विद्यार्थियों का

उल्लेख किया है—महाप्रज्ञ, मध्यमप्रज्ञ और अल्पप्रज्ञ । यह वर्गीकरण भिन्न-भिन्न प्रकार के विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति के अनुसार था । ये विद्यार्थी गायन के रूप में वेद के छन्दो को रटते थे । इनके एक माथ वेद मन्त्रों के गायन में वायुमण्डल गूँज उठता था । वेद के एक मन्त्र के अनुसार इम गायन की मेटका की ध्वनि में भी उपमा दी गई है

शिक्षा-प्रणाली—प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में पक्षियों के जागने से पूर्व ही विद्यार्थी वेद पाठ प्रारम्भ कर देते थे । मन्त्र गान एक ललित कला के रूप में विकसित हो गया था । इसमें शब्दों, पदों तथा अक्षरों के शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था । श्लोक की रचना पदों से तथा पदों की अक्षरों द्वारा होती थी । वैदिक ज्ञान शिक्षक के द्वारा एक निश्चित व नियमित उच्चारण के साथ शिष्य को प्रदान किया जाता था, जिसे शिष्य सुनकर कठाग्र करना था । गुरु के अग्रों में प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही शुद्ध वैदिक समझा जाता था, अर्थात् पद्धति मौखिक थी । इसमें प्रतीत होता है कि वणमाला और लेखन-कला का अभी तक विकास नहीं हुआ था । ऐसा भी कहा गया है कि श्रुति अर्थात् वेद चक्षुष्यों को नहीं, अपितु कानों को रुचिकर होना चाहिए । महाभारत तो ऐसे व्यक्तियों को नरक जाने का दण्ड देता है जो वेद का लिखने का प्रयास करे । लेकिन ऐसे माध्यम भी मिलते हैं कि ऋग्वेद के समय में भी लेखन-कला का सूत्रपात हो गया था ।

वैदिक मन्त्रों में एक दैविक शक्ति का आरोपण माना जाता था । ऐसा विश्वास था कि यदि वेद मन्त्रों का ठीक-ठीक तथा शुद्ध रूप में उच्चारण किया जाय तो उनका आध्यात्मिक व दैविक प्रभाव प्रकट होता है । जो मन्त्र अशुद्ध उच्चारण किया जाता था उसका प्रभाव नष्ट हो जाता था, और ऐसा विश्वास था कि वह अशुद्ध उच्चारण करने वाले का विनाश कर देगा । किन्तु एक मात्र उच्चारण ही प्रधान नहीं था । बिना समझे हुए वेद मन्त्रों की तोता रटन्त-व्यर्थ समझी जाती थी ।* उनके यत्नवत् उच्चारण से अधिक महत्त्व दिया जाता था वेद मन्त्रों के चिन्तन और समझने को । “जो व्यक्ति ऋक् और अक्षर में अन्तर्निहित चरम सत्य का अनुभव नहीं करता जिनमें कि सम्पूर्ण देवों का विकास है—वह ऋको के केवल उच्चारण तथा पुनरावृत्ति करने से क्या कर सकता है ?” जो वेद के अध्ययन के उपरान्त भी उसका अर्थ नहीं समझता था वह उस

लेखकाश्चैव ते वै निरय गामिन (महाभारत आ० पर्व १०६/६२) ।

मन्त्रो हीन स्वरतो वगुतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह ।

स वाग्वच्चो यमजान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु स्वरोऽपरात् ।

नानुवाकहता बुद्धिर्व्यवहार क्षमातभवेत् ।

अनुवाकहता या तु न सा सर्वत्रगामिनी ॥ शुक्र, ३, २६१ ।

गधे के समान माना जाता था जिस पर चन्दन के गट्टे लदे हुए हैं, जो केवल बोध का ही अनुभव कर रहा है और उसकी सुगन्धि से लाभान्वित नहीं हो सकता हो।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में जिस शिक्षा-पद्धति का विकास हुआ वह 'महन् ज्ञान' के सम्पादन तथा धर्म और ब्रह्म से सम्बन्ध रखती है। भौतिक ज्ञान तथा निम्न-कोटि की सासारिक समस्याओं का हल ऋग्वेद में नहीं मिलता। 'परमब्रह्म ज्ञान' को प्राप्त करना साधारण भौतिक विज्ञानी, कलाओं और हस्त-कलाओं के ज्ञान प्राप्त करने के महश नहीं था। वेद का उद्देश्य तो केवल चरम सत्य का अनुभव तथा सम्पूर्ण 'परमब्रह्म-ज्ञान' को प्राप्त करना ही था। ऋग्वेद में तप इसका साधन बतलाया गया है। सब साधारण की भाषा विकसित होकर वैदिक मन्त्रों के रूप में प्रस्फुटित हुई। यह मस्कृत का प्रारम्भिक स्वरूप था। इस प्रकार उसके द्वारा महानतम् और चरम सत्य का अनुभव करने वाले ऋषि, मनीषी और मुनियों ने तप और योग के द्वारा उम ज्ञान को प्राप्त करके वैदिक भाषा में प्रकट किया। प्रायः यज्ञ के अवसर पर ये ऋषि लोग पारस्परिक तर्क-वितर्कों द्वारा वेद-ज्ञान तथा वेद भाषा का विकास करके उसके स्वरूप को स्थिर करते थे। इस प्रकार के सघ के मदस्यों को 'शाखा' शब्द से वर्णित किया गया है।

ऋग्वेद-युग में छोटे-छोटे पारिवारिक विद्यालय थे, जिनका संचालन शिक्षक स्वयं ही करता था। विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था भी गुरुगृह पर ही होती थी। रहन-महन तथा सदाचार के नियम निश्चित थे। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्यतः सभी ब्राह्मणों को दी जाती थी। उच्च शिक्षा केवल उन्हीं को दी जाती थी जो इसके योग्य होते थे। जो विद्यार्थी इसके योग्य नहीं होते थे वे ऋषि, उद्योग या व्यापार में भेज दिये जाते थे। उनके लिए आध्यात्मिक जीवन वर्जित था।

विशेषताये — संक्षेप में ऋग्वेद-कालीन शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ थी—

(१) गुरु-गृह ही विद्यालय था। उपनयन के उपरान्त विद्यार्थी जीवन-पर्यन्त वहीं रहता था। शिक्षक पिता के रूप में उसका संरक्षक होता था और उसके खान-पान की स्वयं व्यवस्था करता था।

(२) गुरु-गृह में विद्यार्थी का प्रवेश केवल उसके नैतिक बल और सदाचार के आधार पर ही हो सकता था। सदाचार के दृष्टिकोण में जो विद्यार्थी निम्न-स्तर का समझा जाता उसके लिए गुरु-आश्रम में रहना वर्जित था।

(३) ब्रह्मचर्य का जीवन अनिवार्य था। यद्यपि विवाहित युवक भी विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर सकते थे, तथापि उसको आश्रम में रहने का निषेध था। ब्रह्मचर्य से इन्द्रिय निग्रह मान्त्रिकता तथा ब्रह्म में स्थित रहने का अभिप्राय समझा जाता था।

(४) गुरु-मेवा करना विद्यार्थी का परम कर्तव्य माना जाता था। आश्रम में रहते हुए विद्यार्थी हर समय गुरु-मेवा के लिए तत्पर रहता था। प्रायः उनके गृह काय का भार विद्यार्थी पर ही रहता था। वह मन, वाणी और कर्म में गुरु-भक्त होना था तथा गुरु को पिता या ईश्वर समझ कर उनकी उपासना करता था।

(५) ऐसे विद्यार्थी जो गुरु-मेवा करने में असमर्थ थे अथवा किसी अन्य प्रकार में मदाचार के प्रतिकूल अपना आचरण प्रदर्शित करते थे, उनके लिए त्रिषाध्ययन निषिद्ध था, तथा उन्हें विद्यालयों से निकाल दिया जाता था।

यह बात उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद के समय में वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ हो चुका था। किन्तु इसके नियम अधिक जटिल नहीं थे। यद्यपि ऋषि व मुनि प्रायः ब्राह्मण ही हुआ करते थे, तथापि सदा ऐसा नहीं होता था। 'मिहृ-ज्ञान' वर्ण तक ही सीमित नहीं था। यह व्यक्ति की तपस्या और योग-शक्ति पर निर्भर था। अश्विनीपत्रमदस्तु, सिन्धुद्वीप, मानवाता तथा मित्रि इत्यादि राजा जो कि क्षत्रिय थे, अपनी तपस्या के बल में ही ऋषि हुए। साथ ही स्त्रियों को भी यज्ञ में भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। स्त्री सन्तो को 'ऋषिका' और 'ब्रह्मवादिनी' कहकर पुकारा जाता था। रोमसा, लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, कद्रु, कामायनी, श्रद्धा सावित्री, उर्वशी, सारगा, देवयानी तथा गोपयाना इत्यादि स्त्री-ऋषिकाओं के नाम चारों वेदों में मिलते हैं। ऋग्वेद में अनार्या का भी शिक्षा देने की व्यवस्था है। उन्हें कृष्णागम, अनाम, पिशाच, असुर तथा दम्बु इत्यादि नामों से पुकारा गया है। किन्तु शीघ्र ही ये आर्य-जाति में मिल गये। आर्यों ने उन्हें 'शूद्र' की संज्ञा दे दी तथा इनकी शिक्षा-व्यवस्था भी स्थिर कर दी।

भौतिक शिक्षा—यद्यपि ऋग्वेद कालीन शिक्षा प्रधानतः धार्मिक व दार्शनिक थी और केवल उन्हीं लोगों के लिए थी जो 'चिरन्तन-सत्य' और 'महत् ज्ञान' के प्राप्त करने के योग्य होते थे, तथापि साधारण जनता के लिए लौकिक व लाभदायक शिक्षा की व्यवस्था भी थी। तत्कालीन आर्थिक, राजनैतिक तथा औद्योगिक विकास की देखने से, तथा देश के सब प्रकार से धन-धान्य में परिपूर्ण होने में प्रतीत होता है कि इन विद्याओं का पर्याप्त प्रचलन रहा होगा। देश में कृषि, विनिमय और व्यापार उन्नत दशा में थे। अतः प्रतीत होता है कि देश की इस सम्पन्नता का कारण भौतिक-विज्ञान और कलाओं में सर्व-साधारण को शिक्षा का दिया जाना था। आर्थिक लाभों के लिए लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की कलाओं में शिक्षा पाते थे। चूरागाहो, पशु-पालन व कृषि-विज्ञान ने भी अच्छी उन्नति की। हस्त-कला की शिक्षा भी दी जाती थी। वस्तु-विनिमय, ऋण, साहकारी तथा ब्याज इत्यादि का भी प्रचलन था। समुद्री व्यापार भी होता था। प्रस्तर-निर्मित नगर (पुर) का भी ऋग्वेद में उल्लेख है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में शिक्षा का सांसारिक, सामाजिक व व्यावहारिक रूप भी था।

अन्य वेदों में शिक्षा

प्राचीन काल में भारत में विद्यार्थी-जीवन एक वैज्ञानिक-कला के आधार पर विकसित हुआ । वह एक नियमित, सूचालित तथा स्थिर आधार पर टिका हुआ था जिसमें समय तथा राज्य के परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता था । 'विद्यार्थी' शब्द के लिये अधिक उपयुक्त शब्द 'ब्रह्मचारी' था । 'ब्रह्मचर्य' हिन्दू धर्म के विशाल भवन की वह आधार-शिला है जिसका निर्माण युगों ने अपने स्थायी करो द्वारा किया है ।

अथर्व-वेद में ब्रह्मचारी के लिये पूर्ण व्यवस्था मिलती है । उपनयन-संस्कार के सम्पादन पर ही विद्यार्थी-जीवन का सूत्रपात होता है । इस समय विद्यार्थी अपने आचार्य के पास तीन दिन तक निवास करता है और तीन दिन के उपरान्त एक नवीन जीवन धारण करके द्विज' के रूप में प्रकट होता है । उसका यह द्वितीय जीवन आध्यात्मिक-जीवन है जिसका जन्मदाता उसका गुरु माना जाता है । उपनयन के बाद ही वह 'ब्रह्मचारी' कहलाता है, तथा उसके जीवन का रूप बदल जाता है । वेश-भूषण तथा आचरण के दृष्टिकोण में वह अथर्व सामाजिक व्यक्तियों से भिन्न होता है । कुश-मेखला, मृगछाला, हाथ में ईंधन (ममिधा) लेकर वह दोनों समय अग्नि को अर्पित करना है । आन्तरिक अनुशासन के लिये श्रम, तप और दीक्षा इत्यादि नियम हैं जो उसके जीवन में कुछ स्थायी गुणों का विकास करते हैं । इस प्रकार प्राचीन भारतीय विद्यार्थी त्याग, तपस्या, विनय और सात्त्विकता की प्रतिमूर्ति है । उसे शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के अनुशासन का पालन करना होता है । शारीरिक अनुशासन के लिये उसे एक नियमित व सात्विक जीवन बिताना होता है, जिसमें कुश, मृगछाला और दीघ बाल इत्यादि वाह्य-उपकरण धारण करके विद्यार्थी भिक्षा के द्वारा अपना जीवन-यापन करता है । इन्द्रिय-निग्रह, तपस्या, गुरु-सेवा तथा त्याग के द्वारा वह आध्यात्मिक अनुशासन प्राप्त करता है और 'आचार्यकुलवासी' हो जाता है ।

प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य का पालन स्त्रियाँ भी करती थी । वे अपने विद्यार्थी-जीवन में ब्रह्मचर्य से रहकर युवकों को विवाह में जीतती थी और तत्पश्चात् गृहस्थ-जीवन में प्रवेश करके राष्ट्रनिर्माणक कार्य करती थी । जैसा कि 'ब्रह्मचर्येण कन्या युवान् विन्दते पतिम्' नामक श्लोक खण्ड में प्रतीत होता है ।

विद्यार्थी-काल में छुट्टियों की भी व्यवस्था थी । पर्व के अवसर पर, वर्षाकाल में आकाश में घटाच्छन्न होने पर तथा आंधी के समय शिक्षण-कार्य बन्द रहता था ।†

† कर्माश्रवेऽनिले रात्रौ दिवा पाशु समूहने,

एतौ स्वनध्यायावध्या यज्ञा प्रचक्षते ।

विद्युत्तन्मनितं वर्षां महेरका नाश्च सप्लवे,

आकालिक मनध्याय मेतेषु मनुर्ब्रवत ।

×

×

×

एताना कालिकान् विद्यादानध्याया वृतावपि ।

✓ **उपसंहार**—इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य महान् था। व्यक्ति के विकास के लिये पूरा मुअवसर दिया जाता था। शिक्षक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत देख भाल करते थे। अतः विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास होता था। ✓ जीवन के तीन ऋण—ऋषि-ऋण, देव-ऋण तथा पितृ ऋण को क्रमशः ब्रह्मचर्य, यज्ञ और सन्तानोत्पत्ति के द्वारा चुकाये जाने की व्यवस्था का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ब्रह्मचर्यावस्था में गुरु-गृह पर रह कर विद्यार्थी अपने शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिये प्रयत्नशील रहते थे। ✓ वैदिक युग की शिक्षा-पद्धति चरित्र-निर्माण करने, व्यक्तित्व के विकास, ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं में प्रगति करने तथा सामाजिक समृद्धि व सम्पन्नता प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रही। यद्यपि इस युग की साहित्यिक व वैज्ञानिक प्रगति इतनी सौष्ठवपूर्ण और परिपक्व नहीं थी जैसी कि बाद में जाकर उपनिषद् युग में हो गई, तथापि ज्ञान-क्षेत्र में बढ़ने की अभिलाषा इस युग में पाई जाती है। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि केवल वेद-मंत्रों के गा लेने से ही उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जायगी, अपितु उनका समझना और उनके गूढार्थों की सराहना व व्याख्या करने की क्षमता प्राप्त करना आवश्यक है। जो वेद का अर्थ नहीं समझता था वह शूद्र के समान समझा जाता था। वेद-कालीन शिक्षा प्रधानतः आध्यात्मिक व धर्म-प्रधान थी, तथापि जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, भौतिक समृद्धि की इसमें उपेक्षा नहीं की गई है। ✓ यजुर्वेद और अथर्व-वेद में इसका साक्ष्य उपलब्ध है। इस प्रकार वेद-कालीन शिक्षा में भारतीय-संस्कृति के भावी विकास का संकेत है। ✓

। योऽधीस्य विधिवद्दे वेदार्थं न विचारयेत्

स समूह शूद्रकल्प पात्रता न प्रपद्यते । [पद्म पुराण अद्विखंड ५३, ८६]

साधन'

वैदिक युग में शिक्षा-क्षेत्र में पुरोहितवाद का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान का अत्यन्त विस्तार हो गया था। किन्तु ऐसे जिज्ञासु भी थे जो जीवन के ऊपर रहस्यमयी दृष्टि रखते थे और ईश्वर, आत्मा, जीव और सृष्टि इत्यादि गम्भीर तत्वों पर चिन्तन करते थे। जन्म व मरण के सिद्धान्तों का भी विश्लेषण किया जा रहा था। उत्तर-वैदिक युग में यह प्रवृत्ति अधिक वेगवती हो उठी। दार्शनिक लोग जगलों की छाया में शून्य एकान्त में बैठकर आत्मानुभव करते थे। उनके अनुभवों का प्रकटीकरण 'ब्राह्मण' तथा 'आरण्यक' नामक रचनाओं के रूप में हुआ। आरण्यक ऋषियों के ब्राह्मण-ग्रन्थों के समान थे। इनके उपरान्त उपनिषदों का सृजन हुआ। उपनिषद् भारतीय प्राचीन सभ्यता की महान् निधि हैं। जिस महान् दार्शनिक रहस्य का उद्घाटन उपनिषदों में हुआ वह 'वेदान्त' कहलाया। यह वैदिक ज्ञान का चरम विकास था। आत्मा और ब्रह्म के रहस्य का उपनिषदों में अत्यन्त सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् वे प्रमुख साधन हैं जिनसे हमें उत्तर-वैदिक काल की सभ्यता व शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है। उत्तर-वैदिक शिक्षा का प्रसार शाखा, चरण, परिषद्, कुल और गोत्र इत्यादि संस्थाओं के द्वारा हुआ। ये संस्थायें धार्मिक तथा साहित्यिक-संस्थायें थीं जो कि वैदिक काल में स्कूलों का कार्य कर रही थीं।

प्रसार

इस प्रकार वेद संहिताओं तथा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होने लगा। यहाँ तक कि वह देश के सम्पूर्ण कोनों में फैल गया। वैदिक पाठशालाओं का देश भर में जाल सा फैल गया तथा भिन्न-भिन्न

वेदों में भिन्न-भिन्न स्कूल विशेषता प्राप्त करने लगे। इन ज्ञान-केन्द्रों में भारतीय प्राचीन जीवन का वास्तविक रूप झलकता है। यहाँ शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य—जीवन का सर्वाङ्गीण चरम विकास—हमें देखने को मिलता है। आधुनिक शिक्षा हमें केवल भौतिक विकास की ओर ले जाती है जिसमें मानव जीवन की एकता नष्ट होकर मनुष्य-जाति वर्गों में बँट जाती है, किन्तु वैदिक शिक्षा ने हमें जीवन में साम्य का पाठ पढ़ाया।

यह शिक्षा केवल धर्म-पाठ पढ़ाने के लिए ही नहीं थी, अपितु जीवन के भिन्न-भिन्न रूपों का पदार्थ-युक्त प्रदाती थी। तत्कालीन शिक्षा केन्द्र ही धर्म, पवित्रता, कला, सभ्यता तथा जीवन के वह केन्द्र थे जहाँ से गेमी भारतीय सभ्यता विकीर्ण हुई जो शताब्दियों के भयंकर परिवर्तन के संभावित को सहन करके आज भी अपनी ज्योति में मानव हृदय को प्रकाशित कर रही है। यह वेदकालीन शिक्षा की विशेषता है। अथ सभ्यता के ये केन्द्र इस प्रकार एक विकसित मानवता तथा उन्नत-जीवन का पाठ ज्ञान को पढ़ा रहे थे।

शिक्षा-पद्धति और स्वाध्याय

इस समय शिक्षा केवल शिक्षा के लिए नहीं, अपितु शिक्षा जीवन के लिये थी। शिक्षा का उद्देश्य पूर्णब्रह्म या 'ब्रह्मवर्चस' को प्राप्त करना था। यज्ञ तथा अन्य धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य भी पूर्णब्रह्म की प्राप्ति था, किन्तु धर्म ग्रन्थों के अध्ययन पर भी अधिक जोर दिया गया। यह अध्ययन 'स्वाध्याय' कहलाता था। स्वाध्याय को ब्रह्म के निये किये गये उम त्याग के समान माना जाता था जिसके सम्पादन में एक अखण्ड जगत की प्राप्ति होती है। आरण्यको में स्वाध्याय का बड़ा महत्त्व माना गया है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि स्वाध्याय के द्वारा ही मनुष्य ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो सकता है। यह स्वाध्याय प्रत्येक स्थान पर सम्भव नहीं था। इसके लिये प्रायः जन-कोलाहल घुन्य किसी प्राकृतिक रमणीक स्थान में बैठकर एकाग्र मन होकर ब्रह्मचारी लोग वेद, वेदाङ्ग, आरण्यक, ब्राह्मण, इतिहास, पुराण तथा उपनिषदों का अध्ययन करते थे। वेदकालीन शिक्षा की भाँति इस युग में भी विद्यार्थी वर्षों के बादलों के समय, तूफान या आँधी में वृक्ष-छाया तने तथा पशुओं के मध्य में पढ़ने से अवकाश पाते थे।

गुरु का महत्त्व

यद्यपि स्वाध्याय या आत्म-अध्ययन का विशेष प्रचलन था, तथापि विद्याया के लिये शिक्षक की आवश्यकता भी प्रतीत होती थी। कठोपनिषद् में शिक्षक का अस्तित्व अनिवार्य बतलाया गया है। गुरु का पूर्ण ज्ञानी, सर्वदृष्टा तथा ब्रह्म में निवास करने वाला होना आवश्यक था। गुरु विद्यार्थी को अन्तर्चक्षु प्रदान करता तथा आध्यात्मिक जीवन देता था। गुरु समाज का पथ-प्रदर्शक, नेता तथा निर्माणक माना जाता था।

उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा]

उमके द्वारा विद्या-दान केवल पुत्र या शिष्य को ही दिया जा सकता था । उपनयन मस्कार के उपरान्त शिष्य गुरु के पुत्र के समान माना जाता था और उनका आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता था । गुरु केवल उसी शिष्य को दीक्षा देते थे जो कि अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं तथा सेवाओं द्वारा पात्रता प्राप्त कर लेता था । उपनिषदों में असंख्य ऐसे उदाहरण हैं जहाँ शिष्यों के द्वारा गुरु के समक्ष ईर्ष्यन हाथ में लेकर उपस्थित होने का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त अनियमित शिक्षक भी थे जो बिना दीक्षा मस्कार सम्पादित किये हुए साधारणतया ज्ञान प्रदान करते थे । याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मैत्रेयी तथा गार्गी को इस प्रकार ज्ञान उपदेश किया था । इतना ही नहीं वरन् पिता के द्वारा पुत्रों को दीक्षित तथा शिक्षित करने के भी उदाहरण हैं । श्वेतकेतु ने अपने पिता में उच्च ज्ञान प्राप्त किया था । भृगु ने अपने पिता धरुग में शिक्षा पाई थी । इस प्रकार हम देखने हैं कि शिक्षा पद्धति में स्वाध्याय का महत्त्व होते हुए भी गुरु की आवश्यकता थी ।

प्रवेश

वस्तुन उपनयन-मस्कार के उपरान्त ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था और वह प्राय २५ वष (अग्निवाहित रहने तक) की अवस्था तक 'ब्रह्मचारी' कहलाता था । उपनयन विद्यार्थी का द्वितीय जन्म माना जाता था । यहाँ से गुरु के द्वारा दीक्षित होने पर उमका आध्यात्मिक-जीवन आरम्भ होता था । वश, व्यक्तिगत योग्यता तथा सेवा-भाव इत्यादि गुणों को देख कर ही गुरु बालक को दीक्षित करते थे । यह विद्यार्थी-जीवन प्राय १२ वष तक माना जाता था । श्वेतकेतु तथा उपकौशल कमलायन प्रभृति व्यक्ति बारह वष तक गुरु-गृह में रहे थे । विद्यारम्भ भी प्राय १२ वर्ष की अवस्था में ही होता था । बहुत से विद्यार्थी अध्ययन की अवधि १२ वर्ष से अधिक भी रखते थे, यहाँ तक कि ऐसे उदाहरण भी हैं कि विद्यार्थियों ने १०१ वष तक नियमित अध्ययन किया । किन्तु यह 'महान्-ज्ञान' या उच्चतम शिक्षा के लिये ही था ।

विद्यार्थी के कर्तव्य

प्रथमतः विद्यार्थी 'आचार्य कुल वासी' होता था । दूसरे, उसे अपने पालन-पोषण तथा गुरु के लिये भिक्षान्न माँग कर लाना होता था । इस प्रथा का पालन निर्धन, धनवान, राजकुमार तथा कृषक सभी विद्यार्थियों को करना पड़ता था । इसमें उसके अन्दर विनय का प्रादुर्भाव होता था और वह समाज के द्वारा किये गये उपकार तथा उसके प्रति किये जाने वाले अपने कर्तव्य का एक पदाथ-पाठ पढ़ता था । विनय का यह अद्वितीय उदाहरण कदाचित् विश्व-इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है ।

। छान्दोग्य उपनिषद् में वर्णन है कि इन्द्र १०१ वष तक प्रजापित के यह शिष्य के रूप में पूर्णज्ञान प्राप्त करने के लिये रहा था ।

ब्रह्मचारी का तीसरा कर्तव्य माना जाना था गुरु-ग्रह की पवित्र अग्नि को सदा प्रज्वलित रखना । ब्रह्मचारी वनों में ममिधाये लाकर उस अग्नि को जागृत रखते थे । इस पवित्र ज्योति का आ-यान्मिक अथ था मन्मिष्क और आत्मा को प्रकाशित करना ।

1. गुरु की गाय इत्यादि पशुओं को जंगल में ले जाकर चराना विद्यार्थी का चौथा कर्तव्य था । इस तरह विद्यार्थी के समय का एक दीघ अश गुरु-मेवा में ही व्यतीत होता था । ये सेवाये प्राय निधन विद्यार्थी ही करते थे । धनसम्पन्न-बालक गुरुओं को दक्षिणा देते थे ।

इस वाह्य गुरु-सेवाओं के अतिरिक्त विद्यार्थी का प्रमुख कर्तव्य विद्याध्ययन था । प्रारम्भ में वेद-पाठन से अध्ययन आरम्भ किया जाता था, अर्थात् अक्षर शब्द, उच्चारण, छन्द तथा प्रारम्भिक व्याकरण का ज्ञान पहले कराया जाता था । इसमें व्याकरण तथा शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व था, क्योंकि इनकी शुद्धता पर ही वेदों की भावी शुद्धता निर्भर थी ।

इस प्रकार वाह्य प्रतिबन्ध विद्यार्थी में एक आन्तरिक सस्कार उत्पन्न करते थे । इन्द्रियो, इच्छाओं, यशलिप्सा, निद्रा, क्रोध, गन्ध और शारीरिक सौन्दर्य इत्यादि पर उसे विजय प्राप्त करनी होती थी । विद्यार्थी को विद्या-प्राप्ति से पूर्व प्रमाणित करना होता था कि वह शात, सयमी, धीरवान् तथा एकाग्रचित्त है । मक्षेप में 'सादा जीवन उच्च विचार' ही उसका आदर्श था ।

यहाँ यह स्मरणीय है कि विद्यार्थी उच्च ज्ञान प्राप्त करना अपना कर्तव्य समझते थे । विद्यार्थी-जीवन की कठोरता उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाती थी । इसमें उन्हें जीवन के एक थोड़े से अश को ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण जीवन का बलिदान करना होता था । श्वेतकेतु १२ वर्ष तक विद्याध्ययन करने के उपरान्त भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में असफल रहा और इसके लिए उसे बाद में अधिक समय देना पडा । यहाँ तक कि बहुत से व्यक्ति तो आजीवन ब्रह्मचारी रह कर ज्ञान उपाजन करते थे । वे 'नैष्ठिक' ब्रह्मचारी कहलाते थे ।

विद्या-काल की समाप्ति पर गुरुजन विद्यार्थियों को दीक्षान्त भाषण देते थे जिसमें उनके भावी व्यावहारिक जीवन के कर्तव्यों का उन्हें स्मरण दिला कर ससार में भेजा

† "सुखाथिन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन सुखम् ।

नान्योद्योगवता न चाप्रवसता नात्मानमुत्कर्षता ॥

नालस्योपहृतेन नामयवता नाचार्यविद्वेषिणा ।

लज्जाशीलविनम्र सुन्दरमुखी सीमन्तिनी नेच्छता ।

लोके ख्यातिकर सतामभिमतो विद्यागुणा प्राप्यते ॥"

उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा]

जाता था। इस प्रथा को 'समावतन' सस्कार कहते हैं। इन कर्तव्यों में प्रो सत्य ब्रोलना, कर्तव्य-पालन, वेद-अध्ययन, स्वास्थ्य-रक्षा, यज्ञ, माता-पिता तथा गुरु को मेवा, दान तथा इसी प्रकार के उत्तम कर्म करने के लिए आदेश थे। प्राचीन काल के भारत के इन गुरुओं के ये अन्तिम उपदेश आधुनिक विश्व-विद्यालयों के दीक्षान्त भाषणों के समान थे। अन्तर केवल इतना प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में अन्तिम उपदेश की आत्मा—उसके धार्मिक तथा नैतिक रूप—पर अधिक जोर दिया जाता था, जब कि आजकल बाह्याडम्बर तथा गुष्क प्रथा पालन पर।

शिक्षक के कर्तव्य

प्राचीन भारत की सम्पूर्ण सभ्यता का प्रकाश तत्कालीन शिक्षकों ही की आध्यात्मिक तथा नैतिक ज्योति-छाया थी। शिक्षक के अन्दर उच्चतम आध्यात्मिक व चरित्र सम्बन्धी गुणों का होना अनिवार्य था। गुरु प्रायः ब्रह्मनिष्ठ तथा सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान का ज्ञाता होता था। अपने आन्तरिक प्रकाश में ही वह अपने शिष्यों की अन्तर्ज्योति को जागृत करता था।

2

2 प्राचीन काल में ऐसे ही व्यक्ति को गुरु के पद के योग्य समझा जाता था जो कि स्वयं अपने विद्यार्थी जीवन में आदर्श विद्यार्थी रहा हो। जो व्यक्ति ममाज व जाति का पथ प्रदर्शन कर सके अथवा जो पूरा विद्वान् हो, उन्हें ही शिक्षक का पद मिलता था। योग्य शिष्यों के पहुँचने पर उसे उच्चतम शिक्षा देना प्रत्येक गुरु का कर्तव्य था। गुरु जो कुछ जानता था, बिना भेद-भाव व छिपाव के सभी कुछ शिष्य को सिखाता था, यद्यपि ऐसे भी उदाहरण हैं कि कुछ गुप्त विद्याओं का दान विशेष शिष्य को ही दिया जाता था। साधारण शिष्य इसके योग्य नहीं समझा जाता था। किसी विशेष विषय में अपने आपको योग्य व ममथ न पाने पर गुरु अपनी असमर्थता को शिष्य से प्रकट कर देना अपना पवित्र कर्तव्य समझता था।

इस प्रकार गुरुओं द्वारा शिष्यों में ज्ञान हस्तान्तरित करने की एक गुरु-परम्परा पड़ गई थी। गुरुओं की भी यही इच्छा रहती थी कि उनके सिद्धान्त, ज्ञान व अनुभव

† सत्यवद । धर्मचर । स्वाध्यान्मा प्रमद ।

आचार्याय प्रिय वनमाहत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी ।

सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम्

कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भृत्यै न प्रमदितव्यम्

स्वाध्याय प्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम्

एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतद्गुपास्यम् ।

‡ Convocation Address

उत्ते उपरान्त भी जीवित रहकर लाक-कल्याण कर। गुरु का जीवन एक आदर्श होता था, शिष्य उसका अनुकरण करते थे। 'अन्धकार में प्रकाश में लाना' गुरु का कर्तव्य था। गुरु ही विद्यार्थी का आध्यात्मिक व मानसिक पिता होता था। किसी विद्यार्थी के नैतिक पतन अथवा दाया का पूग उत्तरदायित्व शिक्षक पर ही था। प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत देख-भाल, निवन विद्यार्थी की आर्थिक सहायता, अस्वस्थ होन पर विद्यार्थी की सुश्रूपा तथा अन्य आवश्यकताओं के समय पर गुरु को उसी प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करना होता था जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिये करना है।

शिक्षा-प्रणाली

वेद-कालीन शिक्षा में शिष्य को ज्ञान मीधा प्रदान किया जाता था। इस प्रणाली में 'शिक्षक' प्रमुख था। किन्तु उत्तर-वैदिक काल की शिक्षा-प्रणाली में 'शिष्य' प्रमुख था। गुरु और शिष्य में प्रश्न और उत्तर होते थे। गुरु शिष्यों के समक्ष समस्याय रखते थे अथवा शिष्य भी प्रश्न पूछ कर गुरुओं से उत्तर पाकर सका समाधान या ज्ञानवर्धन करते थे। इसी प्रकार समस्याओं के हल और प्रश्नों के उत्तर द्वारा विद्यार्थी को ज्ञान दिया जाता था। उपनिषदों की प्रधान प्रणाली तो वाद-विवाद की ही है। गूढ व जटिल प्रश्नों के द्वारा रहस्यमय विषयों को सुलभाया जाता था। अधिकतर शिक्षा वाणी द्वारा ही दी जाती थी, यद्यपि लेखन कला का भी प्रचार बढ रहा था। प्रश्न-उत्तर, कथा, अन्योक्ति एव सूक्ति इत्यादि प्रमुख शिक्षा-प्रणालियों का प्रयोग होता था। तर्क-शास्त्र का विकास उपनिषद् काल में खूब हुआ। आगे चलकर न्याय-शास्त्र के विकास में इससे पर्याप्त सहायता मिली।

गुरु और शिष्य के वाद-विवाद में शिष्य केवल निष्क्रिय श्रोता ही नहीं रहता था, अपितु उसे हर क्षण जागरूक व क्रियाशील रहना पडता था। उसे मनन और चिन्तन करके प्रश्नों के उत्तर सोचने पडते थे। इस प्रकार उसकी मानसिक व कल्पना शक्ति को श्रम व शिक्षण मिलता था। किसी गूढ विषय का सूत्रपात करके गुरु शिष्य को आगे ले जाकर छोड देता था। उसके आगे शिष्य स्वतः अपने स्वाध्याय, मनन और चिन्तन द्वारा अभीष्ट पर पहुँचता था। तैत्तरीय-उपनिषद् में वरुण के द्वारा अपने पुत्र भृगु के पढाये जान की कथा है जहाँ पर वरुण उसे चार बार सकेत के रूप में प्रारम्भिक सहायता देकर आगे बढने के लिये छोड देता है। अन्त में पाँचवी बार जाकर भृगु को स्वयं पूर्ण-ब्रह्म का आभास हो जाता है। इवेतकेतु ने भी इसी प्रकार अपने पिता से मन तथा इसके गुणों एव मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक परिस्थितियों के भेद पर प्रभाव इत्यादि के विषय में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार शिक्षा में प्रमुख भाग विद्यार्थी का ही होता था। शिक्षक केवल उसका पथ-प्रदर्शन करता था।

बृहदारण्यक उपनिषद् में तीन प्रमुख पद्धतियों का उल्लेख है, जैसे—(१) श्रवण, (२) मनन और (३) निदिध्यासन। श्रवण को ६ भागों में बाँटा गया था—(१) उपकम जो वेद पढ़ने से पूर्व किया जाता था, (२) अभ्यास, (३) अपूर्वता—अथ का तत्काल समझ लेना, (४) फल, (५) अर्थवाद तथा (६) उपपत्ति, परिणामस्वरूप सार का ज्ञान। इसी प्रकार मनन के द्वारा ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त योग व तपस्या से भी परम ज्ञान प्राप्त किया जाता था।

शिक्षा-संस्थाओं के रूप

गुरु-गृह, परिषद् एवं सम्मेलन, इन तीन प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं का उस समय प्रचलन था।

(१) गुरु-गृह—गुरु-गृह अथवा गुरुकुल में विद्यार्थी को रखने का मूल कारण यह था कि योग्य व चरित्रवान् गुरुओं के साक्षात् सम्पर्क में रहकर विद्यार्थी अपने चरित्र और जीवन को उसी के अनुरूप ढालने का सुअवसर पाये। बालक के लिये शिक्षक प्रायः आदर्श होता है। यदि उसे अधिक से अधिक समय के लिये शिक्षक के निकटतम सम्पर्क में रखा जाता है तो उसमें क्रमशः उन सभी गुणों के समावेश की सम्भावना बढ़ जाती है जिनसे स्वयं शिक्षक का जीवन प्रेरित होता है। इन गुरु-गृहों पर विद्यार्थी को गुरु के प्रत्यक्ष सम्पर्क के साथ ही साथ पारिवारिक जीवन का भी अनुभव होता था, क्योंकि अधिकांश में यह शिक्षक गृहस्थ होते थे। यही कारण है कि गुरु-गृह पर ही शिक्षा प्राप्त करने की प्रथा साधारणतः उस समय प्रचलित थी। बालक प्रारम्भिक अवस्था में अपने माता-पिता को छोड़कर अपने आध्यात्मिक पिता के घर जाता था। वहाँ उपनयन-संस्कार के उपरान्त उसका ब्रह्मचर्य-आश्रम में प्रवेश कर लिया जाता था। गुरु-गृह में गुरु की सेवा करते हुए, जैसे पशु चराना तथा यज्ञाग्नि प्रज्ज्वलित रखना इत्यादि कार्य करते हुए वह लगभग १२ वर्ष तक विद्यालभ करता था। तदुपरान्त वह पूर्य विद्वान् होकर वहाँ से विदा होता था।

(२) परिषद्—यहाँ उच्च शिक्षा के विद्यार्थी इकट्ठे होकर तर्क-वितर्क तथा भाषणा द्वारा अपनी ज्ञानक्षुधा को मिटाते थे। जो विद्यार्थी अपना शिक्षण प्रारम्भिक अवस्था में ही समाप्त नहीं कर देते थे तथा सत्य और ज्ञान की खोज में रहते थे, वह इन परिषदों के द्वारा ज्ञानार्जन करते थे। पारस्परिक वाद-विवाद के अतिरिक्त विद्यार्थी योग्य विद्वानों व महान् शिक्षकों को भी इन वार्ताओं में निमन्त्रित करते तथा स्वयं शिक्षा-भ्रमण करते थे। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों में इस सम्बन्ध में अनेक उदाहरण मिलते हैं। उपनिषदों की रचना तो प्रायः ऐसे ही तर्कों तथा वाद-विवादों के परिणामस्वरूप हुई। इनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के द्वारा 'सत्य' तथा 'आत्मा' के अनुसंधान का वर्णन है।

(३) सम्मेलन—स्थानीय परिषदां के अतिरिक्त कभी-कभी बड़े-बड़े राजा अपने यहाँ सम्पूर्ण देश के विद्वानों, ऋषियों तथा आध्यात्मिक तथा मानसिक नेताओं को आमन्त्रित करने थे। योग्य या सर्वोत्तम विद्वानों, वक्ताओं, दार्शनिकों और ज्ञानियों को विशेष पुरस्कार भी दिये जाते थे। ब्राह्मण ऋषियों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये उनकी विद्वत्ता भी जाती थी और शास्त्राथ करती थी।

उपरोक्त प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं के अतिरिक्त राजाओं के दरबार भी शिक्षा-संस्थाओं का काय करते थे, जहाँ समय-समय पर उद्भट विद्वानों के समूह दश दशान्तरो से आकर रहस्यमय विषयों पर भाषण करते थे। कुछ शिक्षा-संस्थाय जंगलों में भी थी, जहाँ निजन स्थान में प्रकृति की रमणीक व नीरव गोद में ऋषियों के आश्रम बने थे। विद्यार्थी इन आश्रमों में एकत्रित होकर वेद-पाठ करते थे। उत्तर वैदिक काल के आरण्यक ग्रन्थों का सूत्रपात यही में हुआ जैसा कि 'आरण्यक' शब्द में प्रतीत होना है। ये वनों में गाये हुए ज्ञान सगीत हैं। वास्तव में भारतीय-सभ्यता का उद्गम इन्हीं वनों में मिलता है। यही पर प्राचीन भारतीय सभ्यता का सृजन हुआ था। यहाँ यह बात कहना भी समीचीन होगा कि सभी विद्या-केन्द्र वनों में नहीं थे। निःसंदेह ऋषि लोग वनों के निर्जन एकांत में तपस्या करना अधिक श्रेयष्कर समझते थे, जहाँ पर उनकी साधना के लिये अनुकूल वातावरण होता था, तथापि उत्तर-वैदिक काल में हम ऐसे गृहस्थ शिक्षकों को भी शिक्षण-कार्य करते हुए पाते हैं जो ग्रामों या नगरों में रहकर अपने घरों पर ही शिक्षा देते थे। यही स्थान गुरुकुलों के रूप में विकसित हो जाते थे, जिनका कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। आगे चलकर तो हम देखते हैं कि प्रमुख नगरों में ही शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना हुई।

सूत्र-साहित्य का युग

पाठ्यक्रम

वैदिक साहित्य के उपरान्त सूत्र-साहित्य का युग आता है। इस समय नक ब्राह्मणीय शिक्षा पूर्णतः सुसंगठित हो चुकी थी। सूत्र-साहित्य का युग ६०० ई० पू० से २०० ई० पू० है। इस-~~युग~~ तक वेदों तथा उपनिषदों का बहुत विस्तार हो गया था। अतएव यह आवश्यक हो गया था कि किसी ऐसे साधन का आविष्कार किया जाय जिससे उस बृहत् ज्ञानराशि को सक्षित रूप दिया जा सके। इसी उद्देश्य की

। 'शतपथ ब्राह्मण' में विदेहजनक के द्वारा कुरु-पांचाल देश के सम्पूर्ण ब्राह्मणों के निमन्त्रित करने की कथा है, जिसमें राजा ने एक योग्यतम् विद्वान के लिये एक हजार गाएँ, जिनके सींग स्वर्ण से मढे थे, पारितोषिक के रूप में देने की प्रतिज्ञा की थी। इस पारितोषिक को याज्ञवल्क्य ने प्राप्त किया था।

पूर्ति के लिये सूत्रों की रचना हुई। इन सूत्रों के द्वारा महान् सिद्धान्तों और सत्यों को थोड़े शब्दों में संकेत रूप में कह दिया जाता था। बिना व्याख्याओं के सूत्रों को समझना कठिन था। प्रायः इनके अर्थ गूढ़ हुआ करते थे। सूत्रों की रचना करते समय एक शब्द की मितव्ययिता करने में सूत्रकार उसी सुख का अनुभव करते थे जो कि एक पुत्र की उत्पत्ति के समय होता था।

इस युग में शिक्षा के नियमों का उल्लेख धर्म सूत्रों के रूप में हुआ। इन धर्म-सूत्रों में सामाजिक जीवन के नियम तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों के कर्तव्यों का वर्णन है। सूत्रकारों में मौलिकता नहीं थी, उन्होंने तो पूर्वस्थित वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन करने के पश्चात् स्वरचित साहित्य को जन-साधारण की पहुँच के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया था। अतः सूत्र-साहित्य में साहित्यिक-काव्य और कल्पना का अभाव है। उसमें तो केवल सक्षिप्तता और शब्द-लाघव का ध्यान रखा गया था। इस प्रकार इन सूत्रों में 'गागर में सागर' भरने का कार्य सूत्रकारों ने किया। बौद्ध-धर्म के प्रादुर्भाव ने भी ब्रह्मणों को विवश कर दिया कि वे अपने धर्म की सुरक्षा करें तथा जन-साधारण तक अपने धर्म-सिद्धान्तों को पहुँचाने और उसे सरल एवं सर्वप्रिय बनाने के लिए ऐसे उपाय का आविष्कार करें जिसमें उनके धर्म-सिद्धान्त अमर होकर घर-घर तक पहुँच सकें। इस प्रयत्न का परिणाम हुआ सूत्र-साहित्य की रचना।

सब प्रथम 'श्रौत सूत्र' की रचना हुई। इनमें ब्राह्मणों की धार्मिक क्रियाओं का उल्लेख है। दूसरे प्रकार के सूत्र 'गृह्य सूत्र' कहलाते हैं जिनमें गृहस्थ-जीवन जैसे जन्म, विवाह तथा मरण इत्यादि रीति-अनुरीतियों का वर्णन है। इन्हें 'स्मृति' भी कहते हैं। तीसरी शाखा का नाम 'धर्म-सूत्र' है, जिसमें दिन-प्रति-दिन के सामाजिक जीवन के नियमों का वर्णन है। सूत्र-साहित्य का अन्तिम रूप 'सुल्वसूत्र' है जो धार्मिक कर्मकाण्ड से सम्बन्धित है। सुल्वसूत्रों में वेदी बनाने के नियम, उनकी नाप और आकृति इत्यादि के विषय में बताया गया है। वस्तुतः भारत में ज्यामिति और भारतीय बीजगणित का बीजारोपण भी यहीं से होता है।

सूत्र-युग में अध्ययन के प्रमुख विषय वेदाङ्ग थे। वेदों के समझने के लिये शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, कल्प तथा ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान आवश्यक था। यही 'वेदाङ्ग' कहलाते थे। इस युग की विशेषता है विद्यार्थियों का भिन्न-भिन्न विज्ञानों में विशेष योग्यता प्राप्त करना। वास्तव में यह युग प्राचीन भारतीय शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण व रचनात्मक युग है। रेखागणित, बीजगणित, ज्योतिष, नक्षत्र-शास्त्र, व्याकरण तथा भाषा का विकास इस युग में पर्याप्त रूप से हुआ। यज्ञ के लिये उपयुक्त ऋतु तथा काल का निरीक्षण करने में ज्योतिष-शास्त्र का विकास, तथा बलि के लिये पशुओं के शरीर को चीर कर विश्लेषण करने से शरीर-शास्त्र तथा शल्य-चिकित्सा का विकास हुआ। पाणिनि का विश्व-विख्यात व्याकरण इसी युग की रचना है। वस्तुतः

पाणिनि से ही सूत्र-युग का सूत्रपात हुआ। कान्यायन व पातञ्जलि इसी युग के साहित्यकार हैं।

पातञ्जलि का भाष्य प्राचीन भारत की एक अमर रचना है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र', जिसे सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य के महामन्त्री चाणक्य या कौटिल्य की रचना माना जाता है और जो कि तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक और शिक्षा सम्बन्धी नीतियों का उल्लेख करता है, इसी युग की दन है। कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ को चार भागों में विभाजित किया था—(१) अन्विक्षकी (२) त्रयी (३) वार्ता और (४) दण्ड-नीति। वह तीन प्रकार की दार्शनिक विचार-धाराओं का उल्लेख करता है, जैसे साख्य, योग और लोकायत। त्रयी के अन्तर्गत ऋक् साम और यजु तीन वेदों का उल्लेख है। विद्यार्थी के लिये चाणक्य ने एक सुसर्गठित व्यवस्था की कल्पना की है। प्रथम तीन वर्णों के लिये शिक्षा अनिवार्य थी। विद्यार्थियों के लिये वेद-पाठ, अग्नि-पूजा, भिक्षा, तथा गुरु-सेवा की व्यवस्था थी। इस प्रकार राज के कर्तव्य, भिन्न-भिन्न वर्णों के कर्तव्य तथा प्रजा के कर्तव्य इत्यादि का वर्णन भी हमें कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में मिलता है।

न्याय-शास्त्र व मीमांसा का विकास भी इसी युग में हुआ। जीवन का भली-भाँति सुचालित करने के लिये स्मृतियों की रचना हुई। मनुस्मृति आज भी असंख्य भारतवासियों के लिये अन्तिम गुरु प्रदान करती है। धर्म इस काल में भी साहित्य का गठन और सृजन कर रहा था, यद्यपि लांग की विचार-धारा स्वच्छन्द हा चुकी थी। आध्यात्मिक जीवन के समानान्तर ही मानसिक जीवन चल रहा था। नृत्य-कला, अभिनय, संगीत, अर्थशास्त्र तथा अन्य सांसारिक विज्ञानों का भी विकास हो रहा था, जिनका अध्ययन प्रधानतः स्त्रियों और शूद्र करते थे। यह ज्ञान 'उपवेद' कहलाते थे। इन उपवेदों के द्वारा सभी ज्ञान-शाखाओं का सम्बन्ध वेदों से जोड़ दिया था।

शिक्षा-पद्धति

सूत्र-युग में शिक्षा-पद्धति प्रधानतः वही थी जो कि उपनिषद्-युग में प्रचलित थी। सूत्र-साहित्य किसी नवीन विचार-धारा को जन्म तो देता ही नहीं था। इसमें तो पुरातन धर्म के सवमान्य सिद्धान्तों को छोटे-छोटे ठोस व सक्षिप्त सूत्रों में पिरो दिया गया था। इस प्रकार अलिखित कानूनों, सामाजिक तथा धार्मिक रीति-रिवाजों एवं पूर्वस्थित परम्पराओं को सुव्यवस्थित तथा सकलित कर दिया गया था। यही नया साहित्य विद्यार्थियों के अध्ययन का विषय बन गया। विद्यारम्भ के समय विद्यार्थियों में कुछ प्रचलित रीति-रिवाजों का पालन कराया जाता था, जैसे सावित्री पाठ इत्यादि। विद्यारम्भ के उपरान्त चूडाकर्म और फिर उपनयन-संस्कार का पालन होता था।

उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा]

उपनयन-संस्कार सम्पूर्ण आय-जाति के लिये अनिवार्य कर दिया गया। इस शिक्षा-प्रसार में पर्याप्त सहायता मिली। उच्च विद्या के लिये नियमित विद्यालयों की स्थापना होने लगी। ब्रह्मचर्य का अनुशासन अभी अत्यन्त जटिल था, किन्तु कालान्तर में बालिकाओं की विवाह की अवस्था घट जाने से स्त्री-शिक्षा को बहुत ध्यान देना लगा। अधिकतर स्त्रियाँ अपने घरों पर ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। उनके पिता या आता उन्हें शिक्षा देते थे। व्यवसाय जाति और वंशगत होने लगे थे, तथापि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी रूचि-अनुकूल पेशा ग्रहण करने के लिये प्रचलित थी। हस्त-कला, चिकित्सा, गल्प-कला, वास्तुकला इत्यादि सांसारिक उपयोगी विद्याओं का प्रचार बढ़ गया था। इस प्रकार सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति का उद्देश्य चरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व का विकास तथा प्राचीन संस्कृति की सुरक्षा करना था।

दशम-शास्त्र का चरम विकास सूत्रकालीन साहित्य की विशेषता है। दशम सिद्धान्ता का अस्तित्व भारत में वेद-कालीन युग से ही चला आ रहा था। उपनिषद् काल इसका मध्याह्न था। किन्तु सूत्रकाल में यह ज्ञान अपनी उन्नति की पराकाष्ठा को पहुँच गया। इस युग में दशम की छ शाखाय विकसित हुईं (१) कपिल का माख्य (२) पातञ्जलि का योग, (३) गौतम का न्याय, (४) कणाद का वैशेषिक, (५) जैमिनि का कम या पूर्वमीमांसा और (६) बादरायण का उत्तरमीमांसा या वेदान्त। इनका अवश्य है कि इन छ पद्धतियाँ के रचयिता यही ऋषि नहीं थे बल्कि इनका अस्तित्व तो पहिले ही से था। इन ऋषियों ने तो केवल इन भिन्न भिन्न पद्धतियाँ का विश्लेषण करके इन्हें अन्तिम रूप प्रदान किया। अधिकारी विचारार्थियों को ही दशम-शास्त्र के अध्ययन की आज्ञा थी अन्यथा सबसाधारण तो सांसारिक विद्याओं का ही अध्ययन करते थे। 'जिस व्यक्ति की वासनाओं का पूर्ण शमन नहीं हो गया था वह मच्छे दशम-शास्त्र के अध्ययन के लिये उपयुक्त नहीं समझा जाता था।'

इस प्रकार दशम-शास्त्र का अध्ययन अपने स्वयं के अन्दर पूरा था। इसने अनुशासन या विनय और उच्च ज्ञान की समस्या को सुलभ किया। भारतीय दशम मानवता के लिये, इस देश की एक अनुपम देन है। यह वह व्यावहारिक व बोधगम्य विचार-धारा थी जिसने भारत की संस्कृति को युग-युगों के भयंकर परिवर्तनों में भी जीवित रखा।

महाकाव्यों में शिक्षा

पाठ्यक्रम व विधि

रामायण और महाभारत प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य हैं। ये काव्य प्रधानतः उम युग के सैनिकवाद की झलक हैं, तथापि इनमें ऐसे साक्ष्य हैं जिनके द्वारा

हमें उस युग की शिक्षा का हाल भी विदित होता है। उदाहरण के लिये वग और आश्रमों के सिद्धांतों का उल्लेख आदश विद्यार्थियों तथा मठों की परिभाषा, नन्कालीन विद्या-केन्द्रों का वर्णन तथा राजकुमारों और क्षत्रिय बालकों की सैनिक शिक्षा का वर्णन हमें इन महाकाव्यों में मिलता है।^५

ब्राह्मणों की शिक्षा के लिये धर्मसूत्र के अनुसार कुछ नियम थे। उन्हें कुछ विशेष धर्म-विधानों को प्राप्त करना तथा कुछ शर्तों का पालन करना होता था। उदाहरणतः आत्मों की स्वच्छता, चरित्र की पवित्रता, वैदिक अध्ययन, इन्द्रिय-निग्रह और विनय ब्राह्मण के लक्षण समझे जाते थे। गुरुदेवा, ब्रह्मचर्य व भिक्षा इत्यादि ब्राह्मण विद्यार्थी के कर्तव्य थे। गुरु से पूज्य आहार, विहार और शयन करने का अधिकार शिष्य को नहीं था। इस प्रकार २५ वर्ष की अवस्था तक वेदों का अध्ययन समाप्त करके विद्यार्थी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। विद्यार्थी अपनी शक्ति के अनुसार गुरु को ^{गुरु} भक्तिपूर्ण अर्पण करता था। अरुणी तथा उपमन्यु इत्यादि कुछ गुरुभक्त व आदश विद्यार्थियों के नाम भी इस युग में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कण्व, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा द्रोण इत्यादि महान् गुरुओं का भी उल्लेख रामायण व महाभारत में है। द्रोणाचार्य महाभारत युग के एक प्रसिद्ध सैनिक-शिक्षक थे। इतना अवश्य है कि इस युग में जातियों का विभाजन अत्यन्त जटिल हो चुका था। शूद्रों के वेद अध्ययन अथवा उच्च सैनिक-शिक्षा के अधिकार छिन चुके थे। एकलव्य, एक शूद्र बालक को द्रोणाचार्य ने राजकुमारों के साथ सैनिक-शिक्षा देने से मना कर दिया था। द्विज कहलाने वाली तीन जातियों के लिये विद्याध्ययन, यज्ञ तथा दान ये तीनों कर्म एक समान थे। इसके अतिरिक्त चारों वर्गों के कुछ विशेष कर्तव्य भी थे। जैसे विद्यादान, भिक्षा तथा दान लेना ब्राह्मण का कर्तव्य, देश-रक्षा तथा आन्तरिक सुव्यवस्था क्षत्रिय का कर्म, व्यापार व कृषि वैश्य का विशेष कर्म एवं सेवा शूद्र का प्रमुख कर्म माना गया था। इन चारों वर्गों की शिक्षा का पाठ्यक्रम भी अपने-अपने उद्यमों के अनुसार था। क्षत्रियों के लिये धनुर्वेद का अध्ययन अनिवार्य था। 'धनुर्वेद' में अभिप्राय सम्पूर्ण सैनिक विज्ञान व कला में समझा जाता था। राम, परशुराम, भीष्म, द्रोण, अर्जुन तथा कर्ण महाकाव्य-युग के कुछ प्रसिद्ध धनुर्धारी थे।

१ वेदोभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्

वार्ता कर्मेव वैशस्य विशिष्टानि स्वकमषु

कृषि गोरक्षमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम् । (मनुस्मृति १०।१८०)

ततो द्रोण पाण्डुपुत्रानस्त्राणि विविधानि च

द्रौण सकीर्णं युध्ये च शिक्षयाम स कौरवान्

(महाभारत आ० प० ११८)

उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा]

साथ ही प्रयाग, काशी, अयोध्या तथा तक्षशिला इत्यादि तत्कालीन विद्या-केन्द्र थे। प्रयाग में उम युग का सर्वविख्यात आश्रम ऋषि भारद्वाज था जो कि उत्तरी भारत में शिक्षा का एक बृहत् केन्द्र था।

स्त्री-शिक्षा

उत्तर वैदिक काल में स्त्री-शिक्षा की वही परम्परा है जो कि ~~उत्तर~~ काल में थी। प्राचीन भारत के समाज की यह विशेषता रही है कि यहाँ की नारी समाज का एक सभ्य, शिक्षित और सम्मानित अंग रही है। ऋग्वेद-काल में स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता थी। वे पुरुषों के साथ यज्ञ करती थी, यहाँ तक कि वह यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता था जो कि बिना स्त्री (अर्द्धाङ्गिणी) के सम्पादित किया गया हो। ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की रचियता स्त्री कवियत्री मानी जाती हैं। विश्वतारा घोषा, रोमसा, लोपमुद्रा, उर्वमी और अपाला इत्यादि ऋग्वेद-कालीन बहुत विदुषी स्त्रियाँ हैं। उपनिषद् युग में भी स्त्रियों को शिक्षा की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों गार्गी और मैत्रेयी में दोनों ही परम विदुषी स्त्रियाँ थी। मैत्रेयी का अपने पति के साथ ब्रह्म, सृष्टि तथा आत्मा इत्यादि गूढ रहस्यों पर विवाद भी हुआ था। उपनिषदों में ऐसी स्त्रियों का भी वर्णन है जो 'शिक्षिका' का कार्य करती थीं। स्त्रियों को 'ब्रह्मवादिनी' कहा जाता था। कोई-कोई विद्वान् उन्हें दो शाखाओं में बाँटते हैं (१) ब्रह्मवादिनी और (२) मधोवधू। प्रथम प्रकार की स्त्रियाँ उपनयन, अग्नि-पूजा, वेद-पाठ तथा भिक्षा के उपयुक्त मानी जाती थी और शिक्षा के समाप्त होने पर ही विवाह करती थी। मधोवधू विवाह से पूर्व ही उपनयन को पूर्ण कर लेती थी। उसके अध्ययन का विषय आवश्यक वेद मन्त्र, सगीत नृत्य तथा अन्य प्रचलित कलित-कलाओं का अध्ययन था। गृह्य-सूत्रों में भी वर्णन है कि पत्नी को इतनी शिक्षा होना चाहिये कि वह पति के साथ यज्ञ इत्यादि धार्मिक कार्यों में हाथ बँटा सके। वस्तुतः स्त्री पुरुषों को यज्ञ सम्पादन की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। डा० राधा कुन्द मुकर्जी ने हेमाद्री का उद्धरण देते हुए लिखा है "कुमारी अर्थात् अविवाहित कन्या को विद्या और धर्म-नीति का अध्ययन कराना चाहिये। एक शिक्षिता कुमारी अपने पिता तथा पति दोनों का कल्याण करती है। अतः उसका विवाह एक विद्वान् पति अथवा मनीषी से करना चाहिये, क्योंकि वह विदुषी है।"

त्र-युग में भी हम पाते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का निषेध नहीं था। वे वैदिक साहित्य का अध्ययन करती थी। इस युग में स्त्री शिक्षिकायें 'उपाध्याया' अथवा 'आचार्या' कहलाती थी। पिता की यह अभिलाषा रहती थी कि उसकी पुत्री पण्डितो हो। "स्त्रियों को सैनिक शिक्षा दिये जाने का भी उदाहरण मिलता है, जैसा कि 'शक्तिकी' गब्द में प्रतीत होता है जिसका उल्लेख पातञ्जलि ने किया है, जिसका

अभिप्राय भाग्य पररग किये हुये स्त्री में है। महाकाव्य-युग में भी हमे अन्यान्य विदुषी और चरित्रवान् स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं। उस समय तक पति की प्रधानता हो गई थी और स्त्री उस भगवान् की तरह पूजन लगी थी। रामायण में सीता का ऐसा ही उदाहरण है। स्त्रियाँ वैदिक ज्ञान में भी मन्त्रविद् होती थीं। कुन्ती के विषय में कहा जाता है कि वह अथर्व वेद की प्रकाण्ड पण्डिता थी।

शिक्षा की प्रणाली स्त्रियों के लिये भी प्रायः वही थी जो पुरुषों के लिये थी। उपनयन-संस्कार के बिना वेद मन्त्र उच्चारण निषिद्ध था। अतः स्त्रियों का भी उपनयन होता था। स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य में रह कर विद्याध्ययन करती थीं। मनुस्मृति में भी स्त्रियों के लिये उपनयन की व्यवस्था है। स्त्रियाँ के लिये शिक्षा का विषय वेदपाठ या किन्तु इसके बहिर् मन्त्र थे जो कि यज्ञ तथा अन्य संस्कारों के लिये उपयोगी थे। वेद के अतिरिक्त स्त्रियाँ सीमांता का अध्ययन करके इसमें विशेषता प्राप्त करती थीं। उपनिषद् युग में तो मैत्रेयी और गार्गी जैसी विदुषी दार्शनिक स्त्रियों का प्रादुर्भाव हुआ जो विराजित जनक के दरबार में ऋषियाँ स गान्ध्या करती थीं। उत्तर रामचरित्र में अत्रेयी की कथा है, जो बाल्मीकि तथा अगस्त्य मुनि के आश्रम में लव और कुश के साथ वेदान्त का अध्ययन करती थीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर-वैदिक काल में स्त्रियों का सम्मान में पर्याप्त सम्मान था। उन्हें व्यक्ति-व्यक्ति के विराम के लिये पूरा स्वतन्त्रता थी। बालिकाओं के लिये उपनयन उतना ही अनिवार्य था जितना बालकों के लिये। अतः स्त्री-शिक्षा अनिवार्य थी। प्रधानतः अश्वत्थ व सम्पन्न परिवारों की बालिकायें अनिवार्य वैदिक व साहित्यिक शिक्षा प्राप्त करती थीं। कालान्तर में पुरुषों की प्रधानता होने पर स्त्रियों के सामाजिक स्तर पर प्रभाव पड़ने लगा। यह विश्वास जड़ पकड़ता जा रहा था कि स्त्रियाँ वैदिक शिक्षा के उपयुक्त नहीं हैं। वैदिक-युग में बाल-विवाह की प्रथा नहीं थी, और कोई-कोई स्त्री तो आजन्म ब्रह्मचरिणी रह कर विद्याध्ययन करती थी, किन्तु उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में बाल-विवाह की प्रथा का प्रचलन हो गया। स्त्रियों में उपनयन के अभाव में स्थिति थोड़ी ही खिलोती जा रही थी। अतः स्त्री-शिक्षा का अनुपात भी कम होता जा रहा था। अब इस बात पर अधिक ध्यान जा रहा था कि स्त्री को गृहलक्ष्मी होना चाहिये। गृहस्थ-काल में पटु अग्नि पति को सम्पन्न तथा सुखी बनाने के लिये ही स्त्री जन्म का उद्देश्य समझा जाने लगा। इस विचारधारा का परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों का प्रभाव घटने लगा। यह उचित समझा गया कि स्त्रियों के लिये वेद अध्ययन और वेदपाठ निषिद्ध कर दिया जाय, क्योंकि यह भय था कि ये वेद मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकती। अतः वेद मन्त्रों को अशुद्ध होने से बचाने के लिये यह अनिवार्य था कि स्त्रियाँ वेद न पढ़ें। साथ ही यह विश्वास भी

उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा ।

लोगों के हृदयों में सस्कार जमाये हुए था कि यदि वेद-मंत्रों का किञ्चिद् द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया जायगा तो वह परिवार या व्यक्ति नष्ट हो जायगा अथवा कोई अन्य दुर्भाग्य उम पर दूट पड़ेगा । अब तक तो सस्कृत भाषा ही माधारण बोली जाने की भाषा थी, जिसका कि वेदों तथा धर्म ग्रन्थों में प्रयोग हुआ था, किन्तु इससे आगे दोनों भाषाओं में विभिन्नता आ गई । माधारण जनता की भाषा पूर्णतः अपभ्रंश या 'प्राकृत' होती जा रही थी । ऐसी अवस्था में शुद्ध उच्चारण की कठिनाई अवश्य ही उपस्थित हुई होगी । यही कारण था कि स्त्रियों का वेदपाठ निषिद्ध कर दिया गया । किन्तु इसे समाज की उदासीनता ही कहा जा सकता है, क्योंकि यदि स्त्रियाँ उसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करती आती जैसा कि वैदिक अथवा उत्तर-वैदिक काल के प्रारम्भ में था तो अवश्य ही वे शुद्ध उच्चारण के समर्थ हो सकती थी, क्योंकि पुरुष और स्त्री की मानसिक योग्यता में समान सुअवसर मिलने पर कोई अन्तर नहीं आता । स्त्रियाँ अपनी प्रवृत्त और कुशाग्र बुद्धि के लिये प्रारम्भ में ही विख्यात थी । किन्तु इस भावना के विकसित हो जाने में कि स्त्रियाँ मानसिक योग्यताओं में पुरुषों की अपेक्षा ह्येय होती हैं स्त्रियों की शिक्षा को बहुत आघात लगा और वे आगे आने वाली गताब्दियों के लिये भी अपन व्यक्तित्व के विकास में वंचित कर दी गई ।

औद्योगिक शिक्षा

वर्णानुसार व्यवस्था

प्रारम्भ से ही आर्यों ने यह अनुभव कर लिया था कि बिना काय का विभाजन किये हुए समाज का सतुलित विकाम नहीं हो सकता । अतः उन्होंने सम्पूर्णा जाति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों में विभाजित कर दिया था । इन वर्णों का अस्तित्व धर्म-विभाजन के आधार पर हुआ और प्रत्येक वर्ण का काय निश्चित हो गया । यद्यपि प्रारम्भ में वर्ण-व्यवस्था अधिक जटिल नहीं थी और एक वर्ण से दूसरे वर्ण में कर्मानुसार परिवर्तन भी हो सकता था, किन्तु आगे चल कर इनके काय नियत हो गये और वर्णव्यवस्था केवल रूढ़िवाद बन कर रह गई ।

(१) ब्राह्मण— जो वेद पढ़ना-पढाना, यज्ञ करना करना एवं विद्या का दान करते वे ब्राह्मण कहलाये । यद्यपि प्रारम्भ में तो ज्ञान ही ब्राह्मण होने का प्रतीक था और जन्म में ब्राह्मण नहीं होते थे, किन्तु ज्ञानी पुरोहितों द्वारा अपने पुत्रों को वैदिक शिक्षा देने की परम्परा चल पड़ी । इस प्रकार पिता के उपरान्त पुत्र के पुरोहित बनने से धीरे-धीरे पुरोहितवाद एक जाति के रूप में परिवर्तित हो गया । यद्यपि ऐसी ज्ञानी क्षत्रिय भी हुए जिन्होंने ऋषि या ब्राह्मणों की पदवी पाई । विदेहजनक, राजा अजातशत्रु इत्यादि ऐसे ही उदाहरण हैं । ब्राह्मणों के वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की परम्परा ने क्षत्रिय और वैश्यों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर डाल दिया ।

इस उत्तरस्फूर्ति के कारण समाज में उन्हें एक उच्च स्थान प्राप्त हो गया। वह सम्पूर्ण जाति के पथ-प्रदर्शक और प्रमुख शिक्षक बन गये। आगे चलकर इसी प्रमुखता ने ब्राह्मणों को समाज में प्रथम स्थान दिया और उनकी उपमा मस्तिष्क में दी जान लगी। धर्म कार्यों जैसे जन्म, उपनयन, विवाह व मृत्यु इत्यादि में पुरोहिता की ~~अति महत्त्वपूर्ण~~ ^{अति महत्त्वपूर्ण} पतिवाय हो गई। इस प्रकार पुरोहितवाद एक पक्ष या उद्यम के रूप में प्रस्फुटित हुआ। पुरोहित लोग अपनी सन्तान को पुरोहित-कार्य में निपुण व दीक्षित करने लगे और यही कर्म शताब्दियों तक ब्राह्मणों का प्रमुख उद्यम रहा। आधुनिक युग में भी इसके भग्नावशेष विद्यमान हैं।

५. (२) क्षत्रिय—यह कहा जा चुका है कि समय के साथ ही साथ क्षत्रियों और वैश्यों के लिए वेद का अध्ययन एक गौण बात हो गई। वेद-वेदाङ्गों तथा उपनिषदों से उनका साधारण परिचय भर उनके लिए पर्याप्त समझा गया। ५०० ई० पू० में ही वेदाङ्गों का विकास होने लगा और कानून व व्याकरण के स्कूल स्थापित होने लगे थे। सूत्र-युग में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र की रचना हुई जिनमें क्षत्रिय राजाओं के कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख है। ये धर्मशास्त्र ही कानून ग्रन्थ एवं राजनैतिक ग्रन्थ थे। आगे चलकर नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र की रचना भी इन्हीं के आधारे पर हुई। यद्यपि आपस्तम्ब, बुद्धायण एवं वसिष्ठ के धर्मसूत्रों में क्षत्रिय राजकुमारों के लिये अध्ययन-विषयों का उल्लेख नहीं है, किन्तु गौतम ने बतलाया है कि राजकुमारों को 'तीन वेद तथा तर्क शास्त्र' का ज्ञाता होना चाहिये। वास्तव में क्षत्रियों का प्रमुख कर्म तो देश की सुरक्षा, आन्तरिक व्यवस्था और शासनकाय था। इस काय को योग्यता पूर्वक सम्पादित करने के लिये मानसिक शिक्षा की तो आवश्यकता थी ही, किन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता थी सैनिक-शिक्षा की। यही कारण था कि वैदिक शिक्षा के साथ ही साथ क्षत्रिय बालकों को अस्त्र-शस्त्र एवं युद्धकला की शिक्षा भी दी जाती थी। उनके जीवन का एक बड़ा भाग युद्धकला की शिक्षा में ही व्यतीत होता था। रामायण में दशरथ के पुत्रों को विद्यार्थी काल में सैनिक-शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख है। राम का कर्तव्य ही दुष्टों का दमन और दीनों का सरक्षण माना गया है। उन्होंने समय-समय पर बाली, कुम्भकर्ण व रावण इत्यादि का अपनी सैनिक-योग्यता के द्वारा बध किया और धर्मराज्य की स्थापना की। महाभारत में तो हमें प्राचीन भारतीय युद्धकला अपने चरम विकास को पहुँची हुई मिलती है। यह युद्ध-सिद्धान्त ससार का सर्वप्रथम महायुद्ध था जिसमें इतने विशाल स्तर पर युद्ध किया।


† पिता दशरथो दष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा

ते चापि मनुज व्याघ्रा वैदिकाध्ययने रत

पितृ शुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिता [बालकांड अ० १८]

भारतवर्ष

मध्यकालीन शिक्षाकेन्द्र
(१२०० ई - १८०० ई)



अ र ब
सा ग र

ब ग ल
की
खा डी

मध्यकालीन शिक्षाकेन्द्र

● मुसलिम शिक्षाकेन्द्र

○ हिन्दू शिक्षाकेन्द्र

पाडुचेरी

लका

भाग लेता था। अकबर ने आगरा तथा आगरा से कुछ मील दूर फ़तहपुरसीकरी में कई मदरसों बनवाये। इन मदरसों में साहित्य, गणित, दशन, चिकित्सा, कृषि, ज्योतिष तथा वाणिज्य इत्यादि सभी विषयों की उच्च-शिक्षा दी जाती थी। यहाँ छात्रावासों की भी व्यवस्था थी, जहाँ विदेशों के प्रधानतः मध्य एशिया के देशों में, विद्यार्थी आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। अकबर का राज्य-काल आगरा नगर की उन्नति का स्वर्णयुग था। इसके उपरान्त जहांगीर तथा शाहजहाँ ने भी कुछ मदरसों बनवाये। औरंगजेब ने यहाँ प्रारम्भिक तथा धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की अवनति के साथ आगरे का वैभव भी नष्ट होने लगा। आधुनिक युग में भी कुछ मकतब मसजिदों में अपनी जीर्णविस्था में विद्यमान हैं।

दिल्ली

यह मुसलमान शिक्षा का प्रारम्भ से ही एक प्रमुख केन्द्र रही है। वास्तव में दिल्ली ही मुल्तानों की राजधानी रही और मुगल सम्राटों ने भी दिल्ली की शान-शौकत को बढ़ाया। नासिरुद्दीन में दिल्ली में मिनहाजे-शिराज की अध्यक्षता में नसीरिया मदरसा की स्थापना की। इसके उपरान्त गुलाम वश के अन्य शासकों के समय में भी दिल्ली शिक्षा का केन्द्र बनी रही। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली में विद्वानों का जमघट लग गया। फरिश्ता के अनुसार उस समय दिल्ली में तैतालीस बड़े धर्माचार्य, जो कि इस्लामी धर्म तथा कानून के पण्डित थे, उन मदरसों में पढ़ाते थे जिनकी स्थापना अलाउद्दीन ने कराई। फिरोज तुगलक के समय में तो दिल्ली शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बन गई। उसने ३० नये मदरसे बनवाये तथा पुराने मदरसों की मरम्मत कराई। अपने गुलामों की शिक्षा का भी उसने प्रबन्ध किया। इसके उपरान्त मुगल-काल में दिल्ली की पर्याप्त उन्नति हुई और उत्तरी भारत में वह शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र बन गई। हुमायूँ ने दिल्ली में ज्योतिष तथा भूगोल का एक मदरसा खोला। अकबर ने भी दिल्ली में कुछ मदरसे खोले तथा उसकी आया महमअनगा ने भी सन् १५६१ ई० में एक विशाल मदरसे का निर्माण कराया। बदाउनी ने इसी मदरसे में शिक्षा पाई थी। जहांगीर ने वहाँ पुराने मदरसों की मरम्मत कराई। शाहजहाँ ने जामा मस्जिद के पास एक मदरसे की स्थापना की। औरंगजेब ने भी अपना प्रयास जारी रखा। उसके उपरान्त गाजीउद्दीन ने भी एक मदरसा बनवाया। मुगल-साम्राज्य के बाद नादिरशाह तथा अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों ने दिल्ली की शान-शौकत को मिट्टी में मिला दिया तथा उत्तरी भारत के अन्य शिक्षा-केन्द्रों के साथ दिल्ली को भी विध्वंस कर दिया। एक दीर्घ-काल तक दिल्ली इस्लामी-शिक्षा का केन्द्र रही, जहाँ में इस्लामी सस्कृति पारे देश में विकीर्ण हुई।

जौनपुर

सुल्तानों के शासन-काल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था। फिरोज़ के समय में यहाँ बहुत से मकतब और मदरसे बने। उस समय अपनी कला, साहित्य तथा ~~उच्च~~ कोटि की विद्या के लिये जौनपुर बहुत प्रसिद्ध हो गया था। यही कारण है कि उसे शाराजे-हिन्द कह कर पुकारा गया। शकियों ने जौनपुर में बहुत से मदरस खोलवाये। पन्द्रहवीं शताब्दी में इब्राहीम शर्की ने यहाँ शिक्षा की बहुत उन्नति की। उसने मदरसों के साथ में जागीरे लगा दी तथा सफल विद्यार्थियों को उच्च-पद तथा जागीरे देकर सम्मानित व प्रोत्साहित किया। शेरशाह सूरी यही का विद्यार्थी था। जौनपुर में इतिहास, दशन, राजनीति तथा सैनिक-शिक्षा इत्यादि विषय विशेष रूप से पढाये जाते थे। हस्तकला व शिल्प के लिये भी जौनपुर कई शताब्दियों तक प्रसिद्ध रहा। मुगल-काल के अन्तिम दिनों तक यह विद्या का एक प्रमुख केन्द्र बना रहा। मुगल-साम्राज्य के पतन के कारण उत्पन्न होने वाले राजनैतिक विप्लव के समय में जौनपुर के विश्वविद्यालय-नगर का यश फीका पड गया। वहाँ का सूबेदार अब अधिक दिनों तक उस महान् शिक्षा-व्यवस्था की रक्षा व सरक्षण नहीं कर सका, फलतः अन्य प्रमुख शिक्षा-केन्द्रों की भाँति जौनपुर का भी क्रमशः पतन होता गया। इतिहासकारों ने कही-कही इस पतन का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है।†

बीदर

बीदर शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था। महमूद गाँवा ने वहाँ एक विशाल मदरसा बनवाया जिसमें सहस्रों पुस्तकों से सुसज्जित एक पुस्तकालय भी था। कुछ समय उपरान्त औरगजेब ने इसे नष्ट करा दिया। इसके पूर्व अलाउद्दीन अहमद ने भी यहाँ पर बहुत से मकतब और मदरसों का निर्माण कराया था। इस प्रकार बीदर के एक प्रमुख शिक्षा-केन्द्र हो जाने के कारण बहमनी राज्य में शिक्षा का मानदण्ड पर्याप्त ऊँचा हो गया। यहाँ पर ग्रामीण मकतबों के द्वारा फारसी और अरबी का खूब प्रचार किया गया। ये मकतब मसजिदों से लगे हुए थे तथा इनके खर्चों के

† "Like Jaunpur many a great Muslim University has now ceased to exist, leaving behind only a memory of its former glory. The days are past when the Indian Musalman Universities, as also those of Damascus, Baghdad, Nishapur, Cairo, Kairawan, Seville Cordova were thronged by thousands of students, when a professor had often hundreds of hearers, and when vast estates set apart for the purpose maintained both students and professors" N N Law *Promotion of Learning in India*, pp 104 105

लिये जागीर लगा दी गई थी। कोई ऐसा छोटे से छोटा गाँव भी नहीं रह गया था जहाँ पर कम से कम एक मकतब न हो। इनमें प्रायः शिक्षा-पद्धति एक ही प्रकार की थी, जिसका उद्देश्य जितना शिक्षा व साहित्य का प्रसार था उतना ही शासको के धार्मिक विश्वासों और मिद्धान्तों का प्रचार भी था, जिसके चिन्ह आज स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं।।

इनके अतिरिक्त बीजापुर, गालकुडा, मालवा, खानदेश, मुल्तान, गुजरात, लखनऊ, स्यालकोट तथा बगाल इत्यादि अन्य स्थान थे जो कि मुस्लिम शिक्षा के समय-समय पर प्रमुख केन्द्र रहे हैं।

उपसंहार

इस प्रकार लगभग ७०० वर्ष के दीर्घ और क्रमिक इतिहास में हम पाते हैं कि भारत में मुस्लिम शिक्षा का बहुत प्रचार हो गया था। इस शिक्षा ने न केवल ज्ञान-पिपासा को ही शान्त किया, अपितु लोगों की आर्थिक समस्याओं को भी सुलभाया और सबसे महत्वपूर्ण काय हुआ इस्लाम धर्म के मिद्धान्तों का भारत में प्रचार। शासितों को अपने धर्म, सभ्यता तथा भाषा से परिचित कराना शासन करने की दृष्टि से शासको के लिये आवश्यक था। साथ ही धर्म-परिवर्तित हिन्दुओं के लिये भी आवश्यक हो गया कि उन्हें मुसलमानी धार्मिक-शिक्षा के द्वारा पूरात नए धर्म में रंग दिया जाय जिससे कि वे अपने पूर्व धर्म का भुला सकें।

हाँ, इतना अवश्य है कि मुसलमानी शिक्षा अधिक सर्वप्रिय न हो सकी, जैसा कि बाबर तथा बर्नियर के वर्णनों में प्रतीत होता है। यही कारण था कि यह शिक्षा जीवन में उतनी गहराई तक न पहुँच सकी जितनी कि प्राचीन हिन्दू शिक्षा। इस्लामी शिक्षा राज्य-संरक्षण की अपेक्षाकृत भी भारत की आत्मा में प्रवेश न कर सकी, जबकि प्राचीन शिक्षा बिना राज्य-संरक्षण के ही देश के कोने-कोने में व्याप्त हो गई। इतना ही नहीं, मध्य-काल में भी इस्लामी शिक्षा के साथ ही साथ हिन्दू शिक्षा-व्यवस्था राज्य-संरक्षण के अभाव में भी जीवित बनी रही। जिस प्रकार बौद्धकालीन विश्व-विद्यालयों की प्रसिद्धि न केवल भारत के कोने-कोने में ही थी अपितु चीन, जापान, तिब्बत व पूर्वी द्वीप-पुंजो तक में भी थी, उसी भाँति मुस्लिम विद्यालय प्रसिद्ध न हो सके। उनमें से अधिकांश अपना स्थानीय प्रभाव रखते थे, जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है। आगरा, दिल्ली तथा जौनपुर अवश्य ऐसे केन्द्र थे जहाँ उच्च शिक्षा के लिये कुछ परम्परा स्थापित हो गई थी।

२-मध्यकाल में हिन्दू शिक्षा

भूमिका

मुसलमानों के आक्रमण के समय भारत में पर्याप्त शिक्षा-प्रचार था। अधिकांश शिक्षा-केन्द्रों के आक्रमणकारियों अथवा मुसलमान शासकों के द्वारा नष्ट कर दिये जाने की अपेक्षकृत भी यहाँ हिन्दू शिक्षा की वारा अजन्म रूप से बहती रही। हिन्दुओं का सामाजिक संगठन ऐसा था कि प्रयत्न करने पर भी मुसलमान प्राचीन भारतीय सस्कृति को पूरा नष्ट नहीं कर सके, यहाँ तक कि प्रचलित शिक्षा-प्रणाली पर भी उनका प्रभाव नगण्य रहा। राजनैतिक परिवर्तन अधिकतर बड़े-बड़े नगरों तक ही सीमित रहे। वस्तुतः सुदूर ग्रामों में, जहाँ एक विशिष्ट धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा जनतन्त्रीय शिक्षा-प्रणाली विकसित हो चली थी, उसकी परम्परा भी अधिक प्रभावित न हो सकी। सुसंगठित शिक्षा-केन्द्रों को अवश्य नष्ट किया जा चुका था, किन्तु गुरुओं के आश्रम निजन वनों तथा ग्रामों में सुचारु रूप से चलते रहे। साथ ही कुछ ऐसे साधु-सन्त व योद्धा भी उत्पन्न हुए जो प्राचीन भारतीय सस्कृति व शिक्षा की रक्षा करते रहे और विदेशी अत्याचारों के विरुद्ध सदा अपनी आवाज उठाते रहे। इस विप्लव व अशान्ति के युग में भी हिन्दुओं ने विशाल व उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया और अपनी विशेष शिक्षा-पद्धति को भी जारी रखा।

शिक्षा का रूप

शिक्षा का स्वरूप प्रधानतः वही चलता रहा जो कि परम्परागत था। गुरु लोग अपने आश्रमों में ब्रह्मचारियों को वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद् और दर्शन, तर्कशास्त्र, भिषज इत्यादि विषयों को पढ़ाते थे। शिक्षा-केन्द्रों के नष्ट हो जाने से हिन्दू-शिक्षा अब उतनी सामूहिक रूप से नहीं दी जाती थी जितनी कि व्यक्तिगत रूप से। विद्यार्थी समय से रहते हुए गुरुओं के व्यक्तिगत सम्पर्क में रहते थे। हाँ, समय अब इतना कठोर व उच्चकोटि का नहीं रह गया था जितना प्राचीन काल में था।

इस युग की हिन्दू शिक्षा की एक विशेषता यह रही कि इसमें प्रान्तीय भाषाओं में रचनाएँ खूब हुईं। हिन्दी जन-साधारण के बोलचाल की भाषा हो गई थी जो कि प्राकृत से बनी थी। आत्म-रक्षा के भाव से हिन्दुओं में मध्यकाल में एक प्रकार की राष्ट्रीयता ने जन्म लिया, तथा हिन्दू धर्म पर धार्मिक व सामाजिक नेताओं ने अधिक ध्यान दिया। इसकी भलक हम तत्कालीन कथियों की रचनाओं में देख सकते हैं। कुछ सन्तों जैसे, कबीर, दादू, नानक, तुलसी इत्यादि ने सभी धर्मों को समान बताया और लोगों को सभी धर्मों का आदर करने का उपदेश दिया।

— इस प्रकार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और उद्देश्यों की दृष्टि से मध्य-युग में भी हिन्दू शिक्षा प्रधानतः वही रही जो कि परम्परागत चली आ रही थी। हाँ, बौद्ध

धर्म का इस युग में पूर्णतः लोप हो चुका था। अतएव बौद्ध शिक्षा का भी ह्रास हो गया और उसके स्थान पर ब्राह्मणीय शिक्षा का पुनः प्रचार हो गया था। शिक्षा जीवनोपयोगी होते हुए भी उसका स्वरूप प्रधानतः धार्मिक ही बना रहा। साहित्य की इस युग में बहुत उन्नति हुई। अधिकांश शिक्षा-केन्द्र वही बन सके जो स्थान कि मुसलमानों के प्रभाव से दूर थे।

यद्यपि हिन्दू शिक्षा को मध्य-युग में राज्य-संरक्षण प्राप्त नहीं था, तथापि यह मानना भूल होगी कि इस युग में हिन्दू शिक्षा का स्तर गिर गया था अथवा उसमें उच्च कोटि के साहित्य का सृजन नहीं हुआ। वस्तुतः हिन्दू भी मुसलमानों से साहित्य-क्षेत्र में पीछे, नहीं रहे तथा संस्कृत व प्रान्तीय भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएँ कीं। साहित्य तथा कला के क्षेत्र में हिन्दू कभी भी मुसलमानों की उत्तमता को स्वीकार नहीं कर सके। इसका परिणाम यह हुआ कि इस युग में भक्ति, धर्म तथा दर्शन साहित्य की खूब रचना हुई।

दर्शन-शास्त्र की शाखाओं जैसे योग, वैशेषिक तथा न्याय इत्यादि पर टीकाएँ लिखी गईं। बौद्ध और जैन तर्कशास्त्रियों ने तर्कशास्त्र की बहुत सी रचनाएँ कीं। उस युग का सर्व प्रसिद्ध जैन तर्कशास्त्री देवसुरी था। १२ वीं शताब्दी के मध्य में एकमात्र ऐतिहासिक ग्रन्थ कहलण की 'राजतरंगिणी' की रचना हुई। इस सम्पूर्ण साहित्य का सृजन तत्कालीन शिक्षा-पद्धति पर एक तीव्र प्रकाश डालता है। विभिन्न विषयों में उच्च कोटि के साहित्य की रचना तत्कालीन शिक्षा पद्धति की उच्चता की द्योतक है।

इस युग में हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाएँ भी विकसित होना प्रारम्भ हो गई थी। हिन्दू-शिक्षा का माध्यम अब यही भाषाएँ होने लगीं। धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन करने के लिये विद्यार्थी संस्कृत भाषा सीखते थे। पाली तथा प्राकृत भाषाएँ विकसित होकर हिन्दी का रूप धारण कर रही थीं। राजस्थानी, मराठी, गुजराती तथा बँगला आदि भाषाएँ भी शिक्षा का माध्यम होने लगी थीं। मध्यकाल में प्रायः इन सभी भाषाओं में उच्चकोटि की रचनाएँ हुईं। उत्तर भारत की भाँति दक्षिण-भारत में भी मध्यकाल में हिन्दू शिक्षा का पर्याप्त प्रचार था। विजयनगर उस समय शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था। वहाँ के राजा कृष्णदेवराय ने शिक्षा तथा साहित्य के विकास के लिये प्रशसनीय प्रयास किये और कवियों तथा कलाकारों को अपने राज्य में संरक्षण दिया।

उसके समय में संगीत, नृत्य, नाटक, व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन तथा अन्य ज्ञान-शाखाओं पर ग्रन्थ-रचनाएँ हुईं तथा चित्रकला और वास्तुकला को उदार संरक्षण दिया गया। मध्य-युग के आरम्भ में जैन लेखकों ने तामिल तथा कन्नड

भाषाओं में रचनाएँ कीं। १३ वी व १४ वी शताब्दी में शैव-आन्दोलन ने दक्षिण में जोर पकड़ा जिससे साहित्यिक रचनाओं की पर्याप्त प्रगति हुई। यहाँ संस्कृत तथा तैलुगु भाषाओं में भी रचनाएँ हुईं। इस युग में वेदों का व्याख्याता सायण तथा उसके भाई माधव विद्यारण्य ने भी संस्कृत में महान् रचनाएँ कीं। इन दोनों भाइयों ने वेदों पर टीकाएँ लिखी तथा दशन शास्त्र पर भी ग्रन्थ रचे।

उपसंहार

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य युग में, जब कि भारत में इस्लाम की दुन्दुभि बज रही थी, भारतीय संस्कृति को पैरो तले रोदकर उसके स्थान पर एक विदेशी संस्कृति का आरोपण किया जा रहा था, उस समय भी भारतीय हिन्दू शिक्षा चुपचाप अपनी प्रगति करती रही। राज्य-संरक्षण के अभाव में केवल अपने विशेष सामाजिक संगठन तथा कुछ घनिक नागरिकों के संरक्षण के कारण ही वह न केवल जीवित ही बनी रही, अपितु उसने इस अमर-साहित्य को जन्म दिया। शिक्षा-प्रणाली वस्तुतः ब्राह्मणीय ही रही और प्राचीन आदर्शों व उद्देश्यों का ही प्राधान्य रहा। भारत में अंग्रेजों के आगमन, उनकी नवीन शिक्षा-प्रणाली, अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता तथा भारत की राजनैतिक दासता और सामाजिक छिन्न-भिन्नता के कारण धीरे-धीरे इस शिक्षा-प्रणाली का भारत से लोप सा हो गया। दासत्व तथा देश के आर्थिक शोषण ने लोगों का विश्वास आध्यात्मवाद और धर्म की ओर में हटाकर भौतिकवाद तथा पदार्थवाद की ओर आकर्षित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत भाषा तथा अन्य प्राचीन विषयों की उपयोगिता कम हो गई। वैज्ञानिक आविष्कारों ने ससार के सुदूर देशों को निकट ला रक्खा। अतः एक प्रकार से एक अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति का विकास हुआ। इसकी चकाचौध में प्राचीन शिक्षा-पद्धति छिन्न-भिन्न हो गई। महर्षि दयानन्द तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर इत्यादि कुछ नेताओं ने प्राचीन शिक्षा-पद्धति का आधुनिक से सम्मिश्रण करके उसके पुनरुद्धार के लिये कुछ प्रयत्न भी किये, किन्तु उसका रूप पूर्णतः बदल गया और एक प्रकार से प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति के अब चिह्न भी समाप्त होते जा रहे हैं।

तृतीय खण्ड

आधुनिक शिक्षा

९

भूमिका

मध्य-युग की भारतीय शिक्षा का वर्णन पछले पृष्ठों में किया जा चुका है। अंग्रेजों के पदार्पण करने से पूर्व भारत में देशी शिक्षा प्रचलित थी। मुसलमानों के मकतब और मदरसे तथा हिन्दुओं की पाठशालाएँ, बङ्गाल में टोल तथा दक्षिणी भारत में अग्रहार नामक शिक्षालय यद्यपि उत्तरोत्तर अवनति को प्राप्त हो रहे थे, तथापि तत्कालीन भारतीय जनता की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उनका एक विशेष महत्त्व था।

१५ वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में यूरोप के धर्म-प्रचारकों ने भारत में आना प्रारम्भ कर दिया था। सन् १७६८ ई० में सर्वप्रथम पुर्तगाल निवासी वास्कोडिगामा कालीकट में उतरा। तदुपरान्त डच, डेन, फ्रांसीसी तथा अंग्रेज इत्यादि योरोप-निवासियों ने भारत में आना प्रारम्भ कर दिया। ये जातियाँ भारत में व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये आई थी, किन्तु पारस्परिक संघर्ष के कारण एक-एक करके इनका पतन होता गया और अन्त में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की।

भारत में योरोपीय मिशनरियों के आने से शिक्षा को एक नया रूप व प्रगति मिली। इन मिशनरियों का उद्देश्य भारत में योरोपीय शिक्षा द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इन धर्म-प्रचारकों के लिये शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा न होकर ईसाई धर्म का प्रचार करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये इन्होंने प्रारम्भिक स्कूलों की स्थापना की, भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया तथा इन भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद करके धर्म-प्रचार किया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रारम्भिक सचिवों के कर्तव्यों में धर्म-प्रचार भी एक प्रमुख कर्तव्य था। अतः उन्होंने भी धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये भारत में शिक्षा-प्रचार किया। आगे चल-

कर कम्पनी ने इस नीति को राजनैतिक हितों की दृष्टि से घातक समझ कर त्याग दिया और धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाया। अन्त में सन् १८१३ ई० में इङ्गलैण्ड की ससद ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के समक्ष स्पष्ट शिक्षा-नीति तथा उत्तरदायित्व को रख कर भारत की शिक्षा को राज्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बना दिया। इस प्रकार आधुनिक भारतीय शिक्षा के प्रथम युग की समाप्ति होती है।

आधुनिक शिक्षा का द्वितीय युग सन् १८१३ ई० से लेकर १८३५ ई० तक है। इस काल में कम्पनी ने अपनी शिक्षा-नीति को अधिक स्थायी बनाया। वस्तुतः भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह युग एक सघर्ष और तकवितर्क का युग है। इस युग में तीन विभिन्न विचारधाराएँ थीं एक विचारधारा के अनुसार भारत में यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का प्रचार करके पाश्चात्य सभ्यता का प्रचार करना था। इसका नेतृत्व लॉर्ड मैकॉले ने किया। इस विचारधारा के समर्थकों का कथन था कि भारतीय भाषाएँ तथा विज्ञान अदिकसित हैं। अतः अंग्रेजी भाषा द्वारा ही पाश्चात्य-ज्ञान का प्रचार सम्भव है। दूसरी विचारधारा के मानने वालों का कथन था कि संस्कृत तथा अरबी व फारसी भाषाओं के द्वारा ही शिक्षा व ज्ञान का प्रसार किया जाय। इस दल का नेतृत्व प्रिंसेप ने किया। इसके अतिरिक्त बम्बई का एक तीसरा दल था जिसका कथन था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार भारत में देशी भाषाओं द्वारा करना चाहिये। इस मतभेद का परिणाम यह हुआ कि भारत में शिक्षा के रूप, उद्देश्य, साधन तथा माध्यम को लेकर एक प्रकार का वितण्डावाद खड़ा हो गया। किन्तु इस सघर्ष में अंग्रेजों की विजय हुई। लॉर्ड मैकॉले ने २ फरवरी, सन् १८३५ ई० को अपना विवरण प्रस्तुत कर दिया, जिसके अनुसार भारत में ऐसे नागरिकों को जन्म देने का निश्चय हुआ 'जो कि रक्त-वर्ण से भारतीय हो किन्तु रुचि, विचार, नैतिकता तथा मानसिक रूप से अंग्रेज हो'। इस प्रकार इस सघर्ष-युग का अन्त हुआ और भारत में इङ्गलैण्ड की शिक्षा-पद्धति का अनुकरण होने लगा।

सन् १८३५ ई० से १८५४ तक का समय भारतीय शिक्षा को एक स्थायी रूप देने का युग है। शिक्षा अब राज्य का उत्तरदायित्व बन गई और उसका प्रसार द्रुत गति से हुआ। अंग्रेजी भाषा अब अधिक सर्वप्रिय बन गई थी और उच्च वर्ग ने इसे उत्साहपूर्वक अपनाया। प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा की नीति स्थिर हो गई। इस प्रकार १८५४ ई० तक यह गति जारी रही और शिक्षा ने एक व्यवस्थित रूप धारण कर लिया। सन् १८५४ ई० के शिक्षा घोषणा-पत्र ने सभी तर्क-बिनायकों का अन्त कर दिया।

सन् १८५४ ई० के शिक्षा घोषणा पत्र के उपरांत देश में अखिल भारतीय शिक्षा-नीति का युग आरम्भ होता है जो कि सन् १९०१ ई० तक चलता है। इस युग में भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का खूब प्रसार हुआ। शिक्षा का संचालन क्रमशः भारतीयों के हाथ में आ गया। देशी शिक्षा-पद्धति को इस युग में प्राणघातक आघात मिला। तत्कालीन शिक्षाधिकारियों की पक्षपातपूर्ण शिक्षा-नीति ने भारतीय पद्धति का एक प्रकार से पूर्ण अन्त कर दिया। इस प्रकार सन् १९०० ई० तक उच्च शिक्षा के प्रायः सभी शिक्षालय व्यावहारिक रूप से अंग्रेजी भाषा का माध्यम के रूप में प्रयोग एवं पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानों का प्रचार करने लगे। इस युग में शिक्षा का उत्तरदायित्व प्रधानतः मिशनरी स्कूलों तथा कालेजों के अधिकारियों, सरकार के शिक्षा विभाग तथा व्यक्तिगत रूप से भारतीयों ने अपने ऊपर लिया। वैयक्तिक प्रयास का आधुनिक शिक्षा में यह बाल-प्रयास था। १९ वीं शताब्दी के समाप्त होते-होते भारतीय शिक्षा में इन वैयक्तिक प्रयत्नों का सर्वप्रथम स्थान हो गया।

सन् १९०२ से १९२० ई० तक भारतीय शिक्षा में एक नए युग का सूत्रपात होता है। इस काल में भारतीय शिक्षा का रूप बहुत व्यापक हो गया। प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा की सन्तोषजनक प्रगति हुई तथा स्त्री शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा की दृष्टि से भी भारत ने आश्चर्यजनक उन्नति की। यह युग भारत में राष्ट्रीय राजनैतिक चेतना का युग था। बंगाल के विभाजन और असहयोग तथा स्वदेशी आन्दोलनों ने भारत की जनता को जगा दिया था। भारत सरकार की शिक्षा-नीति पर भारतीयों की दृष्टि पड़ने लगी और वे उसकी आलोचना भी करने लगे। मिंटो-माले सुधार प्रथम विश्वयुद्ध, और बहिष्कार आन्दोलन इत्यादि घटनाओं ने भारतीय शिक्षा पर भी अपना प्रभाव डाला। परिणामतः सरकार को जनता की माँग के अनुरूप शिक्षा में सुधार करने के लिये विवश होना पड़ा। विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करने की दृष्टि से सन् १९०२ ई० में एक आयोग की स्थापना की गई, तथा उसके पश्चात् सन् १९०४ ई० में भयानक विरोध के अपेक्षाकृत भी 'विश्वविद्यालय अधिनियम' पास कर दिया गया। एक प्रकार से तभी से विश्वविद्यालय शिक्षा भगड़े की जड़ बन गई और शीघ्र ही यह असन्तोष माध्यमिक तथा प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र तक पहुँच गया। सन् १९०४ का कानून विरोधियों की विजय का चिन्ह था। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी सन् १९०४ से १९०८ ई० के मध्य में चर्चीत 'ग्रान्ट-इन-एड' कोड बनाकर जनमत की अवहेलना की गई। अंग्रेजी भाषा के माध्यम को हटा कर देशी भाषाओं के प्रोत्साहन के प्रस्ताव को भी सन् १९१५ ई० में गिरा दिया गया। इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में एक कटु संघर्ष छिड़ गया। गोखले ने

प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवाय बनाने के लिये एक विवेक प्रस्तुत किया, किन्तु केन्द्रीय धारामभा में बहुमत में इसे गिरा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता में सरकार की शिक्षा-नीति के प्रति एक कटुता छा गई और उसने देश की शिक्षा-नीति को पूर्णतः संचालित करने की मांग की। अतएव इस मांग की पूर्ति के लिये सरकार ने सन् १९१६ ई० में भारतीय शासन-विधान पास किया और शिक्षा को प्रांतों में भारतीय मन्त्रियों के अन्तर्गत हस्तांतरित कर दिया।

इस प्रकार सन् १९२१ ई० में शिक्षा-इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। यह युग प्रांतीय स्वायत्त शासन का युग कहा जा सकता है। सन् १९१६ ई० के शासन विधान के अनुसार भारतीय शिक्षा में एक नई क्रान्ति हुई। शिक्षा का अधिकार केन्द्रीय सरकार से हटाकर प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया और प्रत्येक प्रान्त स्वतन्त्र रूप से अपनी शिक्षा नीति बनाकर शिक्षा की उन्नति करने लगा। नवीन धारामभाओं तथा शिक्षा-मन्त्रियों ने देश की शिक्षा में बहुत उत्साह दिखाया। परिणामतः नई योजनाएँ बनीं और कार्यान्वित की गईं।

शीघ्र ही नये विधान के अनुसार कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ आकर उपस्थित हो गईं। साथ ही विश्व व्यापी आर्थिक मन्दी ने भी भारतीय शिक्षा-योजनाओं को बड़ा आघात पहुँचाया। सन् १९२९ ई० में हाटिंग मिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसके अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण से दुर्बल स्कूलों को तोड़कर शिक्षा के परिमाण पर ध्यान न देकर उसकी उत्तमता पर जोर देने तथा शिक्षा का पुनर्संगठन करने की सिफारिश की गई। इससे शिक्षा-क्षेत्र में पुनः एक सघर्ष छिड़ गया जिसमें शिक्षा की प्रगति को भयानक आघात लगा। अन्त में सन् १९३५ ई० के नये शासन-विधान के आने पर ही इस सघर्ष का अन्त हो सका।

सन् १९३७ ई० में नये विधान के अनुसार भारतीय शिक्षा मन्त्रियों के हाथ में महान् अधिकार आ गये। भारत के सात प्रान्तों में काँग्रेस मन्त्रिमण्डल बन गये, जिन्होंने शिक्षा के सुधार और विकास के लिये अनेक योजनाएँ बनाईं। किन्तु सन् १९४० में काँग्रेस सरकारों के त्याग-पत्र देने से पुनः शिक्षा पर सकट छा गया। द्वितीय विश्व-युद्ध ने भी शिक्षा की प्रगति को अवरुद्ध किया। हाँ, युद्धोपरान्त भारत सरकार ने 'मार्जेंट रिपोर्ट' नामक एक नवीन और व्यापक शिक्षा-योजना अवश्य प्रस्तुत की।

अन्त में अगस्त सन् १९४७ ई० में भारत स्वतन्त्र हो जाने से भारतीय जीवन का पुनर्जन्म हुआ। परिणामतः शिक्षा जगत में भी एक नूतन जीवन के लक्षणा दृष्टि-गोचर होने लगे। अब भिन्न-भिन्न राज्यों की सरकारों ने हितकर व व्यापक शिक्षा-योजनाएँ बनाई हैं तथा उन्हें क्रमशः लागू किया जा रहा है। जनता की अभिरुचि

शिक्षा में अधिक बढ़ गई है तथा शिक्षा का एक विशाल पैमाने पर प्रसार किया जा रहा है। वर्तमान भारत में नवीन सविधान के अनुसार केन्द्रीय शिक्षा विभाग एक शिक्षा सचिव के आधीन है जो कि भारतीय ससद के प्रति उत्तरदायी है। राज्यों को अपनी आवश्यकतानुसार शिक्षा-योजना बनाने की स्वतन्त्रता है। राज्यों की शिक्षा भी मन्त्रियों के आधीन है। प्रत्येक राज्य में शिक्षा-सञ्चालक नियुक्त होता है तथा राज्यों को उप-क्षेत्रों में बाँटकर उन्हें उप-शिक्षा सञ्चालकों के आधीन कर दिया गया है और अधिकांश राज्यों में प्रत्येक जिले में शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। परीक्षाओं के लिये बोर्ड तथा विश्वविद्यालय स्थापित हैं। इस प्रकार शिक्षा का सर्वाङ्गीण विकास हो रहा है। शिक्षा की दृष्टि से भारत उन्नति के प्रभात में प्रवेश कर चुका है और एक ज्योतिपूर्ण भविष्य की आशा में वह अपनी शिक्षा-योजनाओं का वैयं पूर्वक परीक्षण कर रहा है।

तत्कालीन देशी शिक्षा की अवस्था

भारत में योरुपीय शिक्षा-प्रयत्नों के पूर्व देशी शिक्षा की अवस्था तथा पद्धति का एक सक्षित विवरण आवश्यक है, क्योंकि इसी शिक्षा को आधार मानकर विदेशियों ने अपने प्रयत्न आरम्भ किये थे। किन्तु तत्कालीन शिक्षा के विषय में ठीक-ठीक आँकड़े उपलब्ध करने के साधन अपर्याप्त तथा कभी-कभी सदृग्ध भी हैं। वास्तव में १९ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जब कि भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें मजबूत होती जा रही थी, विदेशी शासकों ने इस कार्य-भार को अपने ऊपर लिया और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों में देशी शिक्षा के रूप विशेषताओं तथा विस्तार की जाँच-पड़ताल कराई। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस क्षेत्र के अन्तर्गत जाँच की गई वह सम्पूर्ण देश का एक अल्पांश था। किन्तु उदाहरण के रूप में अवश्य ही वह इतिहास के एक विद्यार्थी के लिये सूचनाप्रद हो सकता है। जाँच के प्रमुख क्षेत्र मद्रास, बम्बई तथा बंगाल थे। यहाँ हम सक्षेप में प्रत्येक का वर्णन प्रस्तुत करते हैं।

मद्रास—सन् १८८२ ई० में सर टामस मुनरो ने मद्रास में देशी शिक्षा की जाँच कराई। मुनरो का कथन था कि अंग्रेजी शासन के हित में आवश्यक है कि भारत की शिक्षा में कुछ रूचि प्रदर्शित की जाय। “हमने अपने प्रान्तों का भौगोलिक व कृषि सम्बन्धी निरीक्षण कर लिया है, उनके प्राकृतिक साधनों की खोज करली है तथा उनकी जनसंख्या निश्चित करने के प्रयत्न किये हैं, किन्तु शिक्षा की अवस्था जानने का कुछ भी प्रयत्न नहीं किया है।” अतः मद्रास प्रान्त की तत्कालीन शिक्षा के विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिये भिन्न-भिन्न जिलों के जिलाधीशों को

आदेश दिये गये। ऐसे स्कूलों की सूचियाँ तैयार कराई गईं जहाँ पर लिखना-पढ़ना तथा हिसाब-किताब सिखाया जाता था। इन सूचियाँ में विद्यार्थियों की संख्या, जाति, कक्षा, स्कूल आने-जाने का समय, पाठ्य-पुस्तकें, शुल्क तथा स्कूलों के आय के साधन इत्यादि का पूर्ण विवरण था।

श्री मुनरो ने स्थिर किया कि "सवा करोड की आबादी में १,८८,००० अर्थात् ६७ में १ के अनुपात में लगभग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह विवरण सम्पूर्ण जन-संख्या के विषय में है न कि केवल पुरुषों के लिये ही जिनका शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत कहीं अधिक है, क्योंकि यदि हम सारी जनसंख्या का रिपोर्ट के अनुसार १,२८,५०,००० मान लें तथा आधी संख्या इनमें स्त्रियों की मान लें तो शेष पुरुषों की जनसंख्या ६४,२५,००० रह जायेगी। यदि हम पुरुषों की शिक्षा की उम्र ५ और १० वर्ष के बीच में गिनें जो कि साधारणतः लड़कों के स्कूल में पढ़ने की उम्र है तो उसका ३/५ हुआ ७,१३,०००। यह उन समस्त लड़कों की संख्या हुई जो कि १० वर्ष तक की अवस्था के हैं और शिक्षा के लिये भेजे जाते हैं। लेकिन स्कूल जाने वालों की वास्तविक संख्या १,८६,११० है अर्थात् उम्र संख्या के चौथाई से कुछ अधिक। किन्तु मैं शिक्षित पुरुषों की संख्या एक-चौथाई के स्थान पर एक-तिहाई मानने को तैयार हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से घर पर पढ़ने वालों की संख्या प्रान्त में प्राप्त नहीं हुई। मद्रास (नगर) में घर पर शिक्षा पाने वालों की संख्या २६,६०३ अर्थात् स्कूलों में पढ़ने वालों की अपेक्षा पाँच गुने से भी अधिक है। सम्भवतः इस संख्या में कुछ भूल हो और यद्यपि घर पर पढ़ने वालों की संख्या इतनी अधिक नहीं हो तथापि यह बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि घर पर सम्बन्धियों तथा व्यक्तिगत अध्यापकों द्वारा बच्चों को शिक्षा इस देश के किसी भी भाग में प्रचुर मात्रा में है।"

श्री मुनरो का यह भी कथन है कि यद्यपि शिक्षा का यह प्रतिशत इंग्लैंड की अपेक्षा कम है, तथापि यूरप के बहुत से देशों की अपेक्षा अधिक है और भूतकाल में तो इससे भी अधिक था। यह वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में देश में देशी शिक्षा वतमान थी।‡

† *Selections from the Records of the Govt of Madras, No II, Appendix E—Quoted by Nurullah & Naik A History of Education in India, p 4, Second Edition (1951)*

‡ The state of education here exhibited, low as it is compared with that of our own country, is higher than it was in most European countries at no very distant period. It has, no doubt, been better in earlier times, but for the last century, it does not appear to have undergone any other change than what arose from the number of schools diminishing in one place and increasing in another, in consequence of the shifting of the population, from war or other causes" *Ibid*

बिल्लारी तथा कनाडा के जिलो से प्राप्त सूचनाएँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्लारी के जिलाधीश ने लिखा था कि लगभग १० लाख प्राणियों के लिये ५३३ स्कूल थे जहाँ ६,६४१ विद्यार्थी थे, अर्थात् लगभग १२ विद्यार्थी प्रत्येक स्कूल में थे। इन स्कूलों में ६० हिन्दू बालिकाएँ भी थी। हिन्दू बालकों की संख्या ६,३६८ तथा मुसलमानों की २४३ थी। स्कूलों में एक स्कूल अंग्रेजी भाषा के लिये भी था तथा ४ तामिल के लिये, २१ फारसी, २३ मराठी, २२६ तेलगु तथा २३५ कर्नाटकी के लिये थे। २३ स्कूल संस्कृत में उच्च-शिक्षा के लिये भी थे। तत्कालीन शिक्षा-संगठन तथा व्यवस्था के विषय में भी उसने वर्णन किया है। शिक्षा के अल्पव्ययी होने की उसने विशेष सराहना की है। प्रारम्भिक शिक्षा प्रायः ५ से १० वर्ष तक रहती थी, यद्यपि १२ और १४ वर्ष की आयु के भी कुछ विद्यार्थी पाये जाते थे। विद्यारम्भ के समय गणेश जी की स्तुति करके पढ़ना प्रारम्भ कर दिया जाता था। उस अवसर पर माँ-बाप तथा सम्बन्धी भी एकत्रित होते थे।

शिक्षा की व्यवस्था साधारण किन्तु प्रभावशाली थी। प्रायः सबेरे ६ बजे बालक स्कूल आते थे। प्रथम बालक के हाथ पर विद्या की देवी सरस्वती का नाम लिखकर उसे सम्मानित किया जाता था। फिर एक-एक करके सभी बालक इकट्ठे हो जाते थे और सरस्वती बन्दना करते थे। देर से आने वाले विद्यार्थियों को कोई स्वास्थ्य-वर्धक शारीरिक दण्ड मिलता था। दण्ड में बेंत लगाना, छत से लटका देना तथा बैठक कराना भी सम्मिलित थे। इसके उपरान्त बालक अपनी योग्यता तथा संख्या के अनुसार समूहों में बँट जाते थे। बड़े तथा योग्य विद्यार्थी छोटे बालकों को पढ़ाते थे तथा बड़े विद्यार्थियों को शिक्षक स्वयं पढ़ाता था। शिक्षक के अधिकार में प्रायः चार कक्षाएँ रहती थी। इस प्रकार मानीटरो की सहायता से अकेला शिक्षक सम्पूर्ण स्कूल के शिक्षण व व्यवस्था पर अपनी दृष्टि रखता था। डा० बेल ने 'इस मानीटर पद्धति' की प्रशंसा की। उन्होंने इस पर एक पुस्तक लिखी और स्कॉटलैंड तथा इंग्लैंड में इस प्रथा का अनुकरण किया गया। बालक स्कूल में आकर प्रथमतः बालू पर उँगली से लिखना सीखते थे और इसके उपरान्त वे बड़े-बड़े पत्तों पर भी लिखना सीखते थे। लकड़ी की पट्टी का भी प्रयोग किया जाता था। लिखने के उपरान्त बालक स्वर, व्यंजन और आवश्यक गणित का ज्ञान प्राप्त करते थे। पहाड़े, पौवे, अद्वे और सबैये इत्यादि भी गा-गाकर याद किये जाते थे।

इस प्रकार यह व्यवस्था अल्पव्ययी, 'सादा तथा उच्चकोटि की थी। मानीटर प्रथा एक सराहनीय साधन था, किन्तु साथ ही पुस्तक अत्यन्त निम्न कोटि

की थी। और शिक्षक भी बहुधा अयोग्य और अदीक्षित होने थे। उनके वेतन इतने अल्प होते थे कि योग्य आदमी शिक्षक बनना पसन्द नहीं करते थे।†

बिल्लारी की भाँति कनाडा के जिलाधीश ने भी अपनी जाँच प्रस्तुत की और व्यक्तिगत शिक्षा के प्रचार का वरान करते हुए इस आशय की बात लिखी कि “जिले में शिक्षा इतनी अधिक घरेलू रूप में होती है कि शिक्षालयों और उनके विद्यार्थियों का लेखा देना व्यर्थ ही नहीं, वरन् जनसंख्या के अनुसार शिक्षा पाने वालों का अनुपात निकालना भ्रमात्मक होगा।”

बम्बई—सन् १८२६ ई० में बम्बई प्रान्त के गवर्नर श्री एल्फिंस्टन ने शिक्षा की जाँच कराई। इस जाँच की रूपरेखा प्रायः वही थी जो कि मद्रास में मुनरो की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों की संख्या १,७०५ थी जिनमें ३५,१४३ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। प्रान्त की जनसंख्या ४६,८१,७३५ थी। आँकड़ों से सिद्ध होता है कि बम्बई में मद्रास की अपेक्षा शिक्षा १/३ थी। किन्तु इस संख्या को अन्तिम रूप से प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें उस समय घर-घर प्रचलित व्यक्तिगत शिक्षा के आँकड़े सम्मिलित नहीं थे। तत्कालीन सरकारी अफसरों का भी अनुभव था कि उस समय देशी प्रारम्भिक शिक्षा बम्बई में अधिक व्यापक रूप में थी। सन् १८२१ ई० में बम्बई के गवर्नर की कार्यालयी के एक सदस्य श्री फ्रेन्डरगास्ट से मतानुसार “कठिनाई से राज्य भर में ऐसा कोई छोटा-बड़ा गाँव होगा, जहाँ एक न एक स्कूल न हो। बड़े गाँवों में अधिक संख्या में नगरों में बहुत से

† “The economy with which children are taught to write in the native schools, and the system by which the most advanced scholars are caused to teach the less advanced and at the same time to confirm their own knowledge, is certainly admirable, and well deserves the imitation it has received in England. The chief defects in the native schools are the nature of the books and learning taught and the want of competent masters” *Selections, Appendix D*

‡ “Teachers in general do not earn more than six or seven rupees monthly, which is not an allowance sufficient to induce men properly qualified to follow the profession. It may also be said that the general ignorance of the teachers themselves is one cause why none of them draw a large body of scholars together, but the main causes of the low state of education are the little encouragement which it receives, from there being but little demand for it and the poverty of the people” *Ibid, Appendix E*

स्कूल हैं जहाँ भारतीय बच्चों को लिपि तथा गणित की शिक्षा इतनी सस्ती, अर्थात् एक-दो मुट्टी अनाज से लेकर एक रुपया प्रति मास पर दी जाती है, किन्तु साथ ही वह इतनी प्रभावोत्पादक होती है कि ऐसा कोई किसान अथवा छोटा व्यापारी नहीं है जो हमारे देश के छोटे लोगों से अधिक कुशलता से हिसाब न रखता हो। बड़े व्यापारी तथा साहूकार तो किमी भी अंग्रेज व्यापारी के समान स्पष्ट तथा सुविधाजनक हिसाब रखते हैं।”†

अतः इस विवरण से प्रकट होता है कि उस समय शिक्षा का प्रचार अच्छा रहा होगा। सन् १८२६ ई० की रिपोर्ट भी कुछ भ्रान्तिपूर्ण है। वास्तव में बम्बई का शिक्षा-विभाग देशी स्कूलों तथा शिक्षा की खुले रूप में अवहेलना करता था। इसके फलस्वरूप बम्बई की प्रारम्भिक देशी शिक्षा को बड़ा आघात लगा और सन् १८८२ ई० तक उसका बहुत पतन हो गया। एल्फिस्टन के आँकड़ों की व्यर्थता इसी बात से प्रकट हो जाती है कि सन् १८८२ ई० में ‘भारतीय शिक्षा आयोग’ ने वहाँ स्कूलों की संख्या ३,६५४ पाई थी, जिनमें ७८,२०५ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। इससे यह प्रकट होता है कि सरकारी आँकड़ों को हम आदर्श रूप नहीं मान सकते और न इन्हें शेष भारत की शिक्षा के लिये मानदण्ड ही मान सकते हैं।

बम्बई प्रान्त में देशी शिक्षा की शिक्षण-पद्धति का भी उल्लेख मिलता है। प्रबानत शिक्षक ही विद्यार्थियों को पढ़ाता था। मानीटर-प्रथा यहाँ भी प्रचलित थी। एक अन्य पद्धति भी बम्बई में चल रही थी जिसका वर्णन इस प्रकार मिलता है। “जब एक बालक स्कूल में आता है, तत्काल ही वह अधिक योग्य विद्यार्थी के संरक्षण में रख दिया जाता है। उसका यह कर्तव्य होता है कि वह नये बालक को पाठ पढ़ाये और उसकी शिक्षा-प्रगति तथा आचरण की सूचना शिक्षक को दे। बालक का विभाजन कक्षांनुसार न होकर दो-दो के जोड़ों में कर दिया जाता है। प्रत्येक जोड़े में एक छोटा विद्यार्थी तथा एक बड़ा व योग्य विद्यार्थी शिक्षक के रूप में होता है। इन जोड़ों के बैठने की व्यवस्था भी इस प्रकार की जाती है कि कुशल विद्यार्थी के पास ही नये विद्यार्थी को बैठाया जाता है। इस प्रकार जब बहुत से विद्यार्थी समान रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें एक साथ इकट्ठा बैठाया जाता है और वे सीधे शिक्षक के द्वारा पढ़ाये जाते हैं। इस प्रकार शिक्षक के पास पर्याप्त अवकाश स्कूल के निरीक्षण तथा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से देखने को मिल जाता है।”‡

† G L Prendergast's Evidence (1832), Quoted by Nurullah and Naik *A History of Education in India* pp 17 18

‡ Parulekar, R V *Libracy of India in Pre British Days*, op cit, p XIII Aryabhusan Press, Poona (1940)

इस पद्धति के द्वारा शिक्षक अकेला अधिक से अधिक विद्यार्थियों की देख-भाल कर सकता है। साथ ही यह बड़ी अल्पव्ययी प्रथा है। यही कारण है कि डा० बेल के प्रयत्नों के द्वारा इङ्ग्लैण्ड ने भी १९ वीं शताब्दी में इस प्रथा को अपनाया और शिक्षा प्रसार किया।

बंगाल—निम्नतर गंगाघाटी की शिक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त करना विशेष महत्त्व की वस्तु है, क्योंकि वहाँ प्राचीन तथा मध्य-युग में भी शिक्षा के बड़े केन्द्र थे। इसके अतिरिक्त विदेशियों ने भी १८ वीं और १९ वीं शताब्दी में यहीं पर अपने प्रारम्भिक प्रयत्न प्रारम्भ किये थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन से पूर्व भी बंगाल में देशी शिक्षा पर्याप्त रूप में प्रचलित थी। 'यह प्रारम्भिक शिक्षा जन-साधारण के लिये थी। यह एक ऐसा विशाल आयाजन था जिसमें असंख्य प्रारम्भिक पाठशालाएँ देश भर में फैली हुई थी। व्यावहारिक रूप से प्रत्येक गाँव में अपना स्कूल या पाठशाला थी। अकेले बंगाल में, ऐसा कहा जाना है कि, एक लाख ऐसी पाठशालाएँ थी।'

वस्तुतः ये आँकड़े विलिमय ऐडम के दिये हुए हैं। श्री ऐडम सन् १८१८ ई० में भारत में एक वर्ष प्रचारक के रूप में आये थे। यहाँ आकर उन्होंने मस्कृत और बंगाली भाषाओं का विस्तृत अध्ययन किया। शीघ्र ही राजा राममाहन राय के सम्पर्क में इनमें भारतीय शिक्षा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। उन्होंने सन् १८२६ में लॉर्ड विलियम बैंटिक से दशौं शिक्षा-व्यवस्था की जाँच कराने के लिए प्रार्थना की। किन्तु कोई परिणाम न होने पर उन्होंने १८३४ ई० में पुनः प्रार्थना की, और इस प्रकार लॉर्ड बैंटिक की प्रार्थना पर श्री ऐडम ने स्वयं ही जाँच प्रारम्भ कर दी और सन् १८३५-३८ ई० में अपनी तीन रिपोर्टें प्रकाशित की। उनकी प्रथम रिपोर्ट तो केवल उनकी प्रथम जाँच का सार मात्र थी। दूसरी रिपोर्ट अधिक विस्तृत थी। यह जिला राजशाही में थाना नत्तौर की शिक्षा का पूर्ण विवरण देती है। श्री ऐडम की तीसरी रिपोर्ट मुर्शिदाबाद, वर्धमान, बीरभूमि, तिरहुत और दक्षिण बिहार की शिक्षा के विषय में आँकड़े प्रस्तुत करती है।

नत्तौर थाना के विषय में सख्या देते हुए श्री ऐडम ने बतलाया है कि वहाँ की जनसख्या १,९५,२९६ थी, जिसके लिए २७ स्कूल थे। इनमें २६२ विद्यार्थी पढ़ते थे। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली शिक्षा का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि २३८ गाँवों में १,५८८ ऐसे परिवार थे जो २,३८२ बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा देते थे। इस प्रकार व्यक्तिगत शिक्षा का प्रचार पाठशालाओं में अधिक था। शिक्षा बहुत सस्ती थी। स्त्री-शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं था। शिक्षकों

को ५ ६० से ८ ६० तक मासिक वेतन मिलता था । अपनी तीसरी रिपोर्ट के आँकड़े देते हुए उन्होंने बतलाया है कि बंगाल व बिहार के पाँच जिलों में २,५६७ स्कूल थे जिनमें ६ बालिकाओं के थे । उनमें ३०,६१५ विद्यार्थी पढ़ते थे जिनमें २१४ लड़कियाँ थी तथा २४२ विद्यार्थी ८ स्कूलों में अँग्रेजी पढ़ते थे । शिक्षा का प्रतिशत श्री ऐडम के अनुसार उस समय ४४ था ।

इस प्रकार श्री ऐडम के अनुसार सम्पूर्ण बंगाल-बिहार में ४ करोड़ की जनसंख्या थी और स्कूलों की संख्या १ लाख थी, अर्थात् प्रति ४०० व्यक्तियों के पीछे एक स्कूल था । सर फिलिप हैटिंग ने श्री ऐडम के इन आँकड़ों को 'काल्पनिक' व 'पौराणिक' और १ लाख संख्या को बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण बतलाया है । वास्तव में यह भ्रम 'स्कूल' शब्द की भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ करने से उत्पन्न होता है । श्री ऐडम ने घरेलू रूप से परिवारों में दी जाने वाली शिक्षा के स्थानों को भी 'स्कूल' में सम्मिलित कर लिया है । वास्तव में श्री ऐडम की संख्याओं को लेकर एक वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ था । किन्तु हम उनकी सच्चाई में सदेह नहीं कर सकते । श्री पराजपे के कथनानुसार "१९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के अधिकतर भागों में प्राथमिक शिक्षा व्यापक रूप में विद्यमान थी । मद्रास प्रान्त में सर टामस मुनरो ने 'प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक स्कूल पाया था । बंगाल में वार्ड ने खोज की कि 'प्रायः सभी गाँवों में लिखने-पढ़ने और प्रारम्भिक गणित के स्कूल विद्यमान थे ।' मालवा में जहाँ कि लगभग अर्ध-शताब्दी से लगातार अराजकता फैली हुई थी मँकम ने देखा कि ब्रिटिश-शासन के अन्तगत आने के समय प्रत्येक गाँव जिसमें १०० घर हों, एक प्रारम्भिक शिक्षा का स्कूल था ।"[†]

श्री ऐडम के अनुसार इन पाठशालाओं में शिक्षकों की आय बहुत कम होती थी । अधिकांश में इनका व्यय कुछ धनी नागरिकों, जमींदार तथा ताल्लुकेदारों द्वारा उठाया जाता था । धनी लोग अपनी जगह देकर घर पर ही पाठशाला खुलवा देते थे । मुसलमानों में फ़ारसी व अरबी का प्रचार था, तथा हिन्दुओं में ब्राह्मण, संस्कृत व हिन्दुस्तानी भी पढ़ते थे । उर्दू का प्रचलन स्कूलों के पाठ्यक्रम में नहीं था, यद्यपि यह शिक्षित मुसलमानों की बोलचाल की भाषा थी । स्त्री-शिक्षा के नाम से लोग डरते थे । मुसलमानों में लड़कियों को शिक्षित करना अशुभ समझा जाता था । बहुत से हिन्दू परिवारों में भी यह भ्रान्ति थी कि पढ़ी-लिखी लड़की विवाहोपरान्त शीघ्र विधवा हो जाती है । लड़कियों की शिक्षा में लोग इतने डरते थे कि यदि कोई बालिका अपने पढ़ते हुए भाई के पास खेलते-खेलते पहुँच जाती थी तो उसका ध्यान

[†] *Progress of Education, Poona, July, 1940, p 38, Quoted by Nurullah and Naik 4 History of Education in India, p 22*

शीघ्र ही उधर से हटा कर अन्य कार्यों में लगा दिया जाता था ।। इतना अवश्य था कि कुछ धनी जमींदार अवश्य छिप कर थाडा बहुत ज्ञान बालिकाओं को करा देते थे ।

आगरा प्रान्त—मध्य-युग में आगरा शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र रहा था । इसके वसावशेष १६ वीं शताब्दी में भी विद्यमान थे । प्रान्त के प्रत्येक नगर में अपने स्कूल थे । प्रत्येक परगने में दो या अधिक स्कूल थे और अधिकांश गाँवों में भी अध्यापक रहते थे । इस प्रान्त में प्रधानतः लौकिक व उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती थी । लिपि का लिखना, पढ़ना, ध्यवहार गणित, महाजनी हिसाब-किताब तथा उर्दू-फारसी और हिन्दी के स्कूल यहाँ पर थे । फारसी स्कूल घरेलू रूप में चलते थे । हिन्दी, कँथी तथा मुडिया की पाठशालाएँ भी थी । हिन्दू और मुसलमान दोनों अध्यापन-कार्य करते थे । फारसी का प्रयोग बहुधा कचहरी के लिए किया जाता था । गणित, पहाड़े तथा सिक्के और वजन इत्यादि का ज्ञान कराया जाता था । पटवारी लोग कँथी स्कूलों में पैमाइश इत्यादि सीखते थे । लिखने इत्यादि का अभ्यास भी पट्टी पर कराया जाता था, जिस पर काले रंग से रंग कर सफेद खडिया से लिखा जाता था । जन-साधारण में कृपको की मख्या अधिक थी । कृपक-बालको में शिक्षा का प्रचार बहुधा कम था । व्यापारी वर्ग तथा राज-कर्मचारियों में शिक्षा अधिक थी ।

देशी शिक्षा की अवनति

१६ वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेजों का राज्य पूर्णतः स्थापित हो चुका था । अतः अब यहाँ विदेशी शिक्षा-पद्धति को प्रोत्साहन दिया जा रहा था । परिणामतः देशी शिक्षा की अवनति होने लगी । इसके कई कारण थे ।

कारण—प्रथमतः देश की बढ़ती हुई निर्धनता इसका कारण थी । जन-साधारण इतने निर्धन हो चले थे कि शिक्षक के वेतन के लिये वे बालको की नाम-मात्र की फीस तक नहीं दे सकते थे । दूसरा कारण था राज्य की उदासीनता । प्रारम्भिक शिक्षा का जो विशाल जाल देश में फैला हुआ था, सरकार ने उसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया । ऐडम और एलफिन्स्टन जैसे विचारकों के प्रयत्नों, सन् १८५४ ई० की शिक्षा घोषणा तथा 'भारतीय शिक्षा आयोग' की सिफारिशों की अपेक्षाकृत भी देशी प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों का या तो सुधार की अमात्मक योजनाएँ बनाकर बंद कर डाला गया अथवा अवहेलना के द्वारा उन्हें अपनी मौत मरने को छोड़ दिया गया ।

इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के प्रचलन ने देशी भाषाओं की उपयोगिता को कम कर दिया । राज्य में पद पाने के लिये अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक हो गया । परिणामतः देशी शिक्षा की अवहेलना कर दी गई । सरकारी अधिकृत प्राथमिक स्कूलों के खुल

जाने से सरकार का ध्यान देशी प्रारम्भिक स्कूल व पाठशालाओं से बिलकुल हट गया । उत्तर प्रदेश में यह बात विशेष रूप से की गई ।

बिहारी के जिलाधीश श्री कैम्बेल ने सन् १८२३ ई० में लिखा था कि भारतीय जनता में सस्ती शिक्षा दिलाने की भी शक्ति नहीं थी जिसका प्रमुख कारण था उसकी निर्धनता । यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रान्ति के बाद भारत के लोगों के धरलू धधे नष्ट हो गये । देशी राज्यों की समाप्ति के बाद कुछ काल तक देश में अराजकता रही । इससे शिक्षा का संरक्षण उठ गया । भारत का रूपया विदेशों में भी जाने लगा । अतः जन-साधारण की अवस्था और भी अधिक खराब हो गई । अतः “उन अधिकांश गाँवों में जहाँ पहले स्कूल थे, अब नहीं हैं और जहाँ बड़े स्कूल थे वहाँ धनिकों के बच्चे शिक्षा पाते हैं । अन्य बालक गरीबी के कारण नहीं आ सकते ।”

इसके अतिरिक्त जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, अध्यापकों के वेतन इतने कम थे कि योग्य व्यक्तियों को शिक्षण कार्य के लिये अकर्षित करना कठिन था । शिक्षक बहुधा निम्न-ज्ञान-स्तर के तथा अदीक्षित होते थे । उनका अज्ञान भी देशी शिक्षा के ह्रास का एक कारण बन गया ।

इसी प्रकार देशी शिक्षा-पद्धति, जो कि १८ वीं और १९ वीं शताब्दी में भारत में प्रचलित थी, प्रायः समाप्त हो गई । इतना अवश्य है कि उस समय इस शिक्षा का देश के लिये बड़ा महत्त्व था । यह प्रणाली भारत की तत्कालीन अवस्था को देखते हुए पूरा उपयुक्त थी । यदि वर्तमान शिक्षा-पद्धति को देशी शिक्षा के आधार पर ही विकसित किया जाता, तथा शिक्षा-विभाग के प्रयत्न उस पद्धति के विकास में लग जाते तो आज भारत में हमें अधिक सच्ची, सस्ती व उपयुक्त शिक्षा देखने को मिलती, किन्तु ऐसा न हो सका । इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में साक्षरता के प्रतिशत में कोई सराहनीय वृद्धि न हुई । अतः महात्मा गांधी को भी सन् १९३१ ई० में यह बात स्वीकार करनी पड़ी थी कि भारत में आधुनिक काल में साक्षरता १०० वर्ष पूर्व की अपेक्षा कम है ।

प्रारम्भिक मिशनरी प्रयत्न

१७ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही भारत में पच्छिमी देशों के लोगों की सरगमियाँ बढ़ने लगी थी । पुर्तगालियों के भारत में आने के उपरान्त ही डच, फ्रान्सीसी, स्पेन-निवासी तथा अंग्रेज आने लगे । उन्होंने यहाँ अपनी व्यापारिक कम्पनियों स्थापित की तथा मुगल-काल के अन्त में भारत के सुदूर बन्दरगाहों में आकर अपनी कोठियाँ बनाली । शीघ्र ही उनका व्यापार बढ़ने लगा । भारत की तत्कालीन राजनैतिक दुर्बल अवस्था से लाभ उठाकर ये कम्पनियाँ हाथ में अस्त्र

लेकर यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिये सघर्ष करने लगी। सन् १६०१ ई० में स्थापित हुई ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी इस सघर्ष में भाग लिया और अन्त में भारत में अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुई।

इन योरोपीय व्यापारियों के भारत में बस जाने का उद्देश्य न केवल व्यापारिक ही था, वरन् वे धर्म प्रचार भी करना चाहते थे। वे कहते थे कि हम भारत में "ईसाइयो तथा मसालो की खोज में आये हैं"। अतः उन्होंने यहाँ आते ही अपने स्कूल भी स्थापित कर दिये जिनका उद्देश्य था अपने अधगोरे ईसाई कम-चारियों के बालको को शिक्षा देना तथा ईसाई धर्म का इस देश में प्रचार करना। प्रारम्भ में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को ही अपने हाथ में लिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी प्रारम्भ में शिक्षा को धर्म-प्रचार का साधन बनाया था, किन्तु कालान्तर में राजनैतिक तथा शासन सम्बन्धी कारणों से उसे यह विचार छोड़कर धार्मिक निरपेक्षता की नीति का आश्रय लेना पडा और सन् १८१३ ई० तक इस नीति को यथावत् रखा। इस प्रकार यथार्थ में अपनी स्थापना के लगभग (१००) वर्ष तक कम्पनी ने देश की शिक्षा के लिये कोई सराहनीय प्रयत्न नहीं किया।

पुर्तगाल—सन् १४९८ ई० में पहिला पुर्तगाली यात्री वास्कोडिगामा कालीकट आकर उतरा था। उसके उपरान्त भिन्न-भिन्न प्रकार की ईसाई मिशनरी टोलियाँ भारत के पच्छिमी समुद्री किनारे पर आकर रोमन कैथोलिक धर्म के प्रचार में कार्यशील हो गईं। अतः उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप हम भाग में एक नवीन शिक्षा-पद्धति का आविर्भाव हुआ। शिक्षा द्वारा धर्म-प्रचार करने के लिये, तथा पुर्तगाली, यूरोशियन और भारतीय धर्म-परिवर्तित बच्चों की शिक्षा के लिये इन्होंने स्कूलों की स्थापना भी की। बम्बई, गोआ, डामन और ड्यू तथा लका, चिटगाँव और हुगली इनके प्रमुख केन्द्र थे।

वास्तव में पुर्तगालियों को भारत में आधुनिक शिक्षा-पद्धति की नींव डालने वाला कहा जा सकता है। इन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा के लिये स्कूल खोले जिनमें धर्म, स्थानीय भाषा, पुर्तगाली, गणित तथा कुछ कारीगरी की शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिये इन्होंने जैसुएट कालेजों की स्थापना की। इनमें लैटिन, धर्म, तर्कशास्त्र और सगीत की शिक्षा तथा पादरियों को ट्रेनिंग दी जाती थी।

भारत में आने वाले प्रथम धर्म-प्रचारकों में सन्त जावियर प्रमुख था। यह जैसुएट धर्म-शाखा का मानने वाला था। जैसुएट पादरी अपने शिक्षा-कार्यों के लिये सर्वविख्यात थे। जावियर ने भारत में इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। सन् १५४२ ई० में वह गाँवों तथा गलियों में पैदल धूम धूमकर ईसाई धर्म का प्रचार करता था। ईसाई धर्म की कुछ पुस्तकें भी उसने प्रत्येक गाँव में रखा

दी थी। सन् १५७५ ई० में उसने बम्बई के निकट बन्दरा में सेन्ट ऐनी विश्व विद्यालय तथा १५७७ ई० में कोचीन में एक प्रेस स्थापित किया। दूसरा धर्म-प्रचारक रॉबर्ट डी० नोवीली था, जो कि अपने आपको पाश्चात्य ब्राह्मण कहता तथा भारतीय सन्यासियों की भाँति वेषभूषा और भोजन पकाने के लिये ब्राह्मण रसोइये इत्यादि रखता था। उसने ईसाई धर्म का खूब प्रचार किया।

पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम जैसुएट कालेज सन् १५७५ ई० में गोआ में स्थापित किया, जिसमें ३०० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। १५८० ई० में गोआ तथा अन्य स्थानों में अन्य कालेज भी खुले। बर्नियर ने आगरा में भी एक जैसुएट कालेज का उल्लेख किया है जिसे सम्राट् अकबर ने जैसुएट पादरियों के प्रभाव में आकर बनवाया था। इसमें लगभग ३० परिवारों के बालक शिक्षा पाते थे। सत्रहवीं शताब्दी में पुर्तगालियों का पतन हो गया। उनके शिक्षा सम्बन्धी प्रयत्न भी समाप्त हो गये। उनके पतन के अन्य कारणों में से धार्मिक बातों में अधिक हस्तक्षेप करना भी एक प्रमुख कारण था, जिसका भारतीयों ने तीव्र विरोध किया। वास्तव में उनके शिक्षा-प्रयत्नों का एक-मात्र कारण धर्म-प्रचार था। यह एक निर्विवाद सत्य है कि इन प्रारम्भिक धर्म-प्रचारकों के शिक्षा-कार्य बहुत साधारण कोटि के थे और भारत की वर्तमान शिक्षा-पद्धति के निर्माण में उन्होंने अकिञ्चन योग दिया था। इनकी धार्मिक नीति के परिणामों से अंग्रेज भी चौकन्ने हो गये। पुर्तगालियों के उपरान्त कुछ भारतीय ईसाइयों ने कुछ समय तक इनके शिक्षा-कार्य को जीवित रखने का प्रयत्न किया, किन्तु उसमें अधिक प्रगति न हो सकी।

डच—सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में हालैंड-वासियों ने भी अपनी कम्पनी स्थापित की। उस समय ये लोग ससार की सबसे प्रथम समुद्री शक्तियों में से थे। बंगाल में चिनसुरा और हुगली नामक स्थानों पर इन्होंने अपने कारखाने खोले। यह बात ध्यान देने योग्य है कि डचों ने प्रारम्भ से ही अपनी नीति कठोर धार्मिक-निरपेक्षता की रखी। भारतवासियों में धर्म-प्रचार का भूत इन पर सवार नहीं था। इन्होंने केवल व्यापारिक हितों ही को अपनाया। अपने कर्मचारियों के बालकों के लिये इन्होंने कुछ म्कूल अवश्य खोले जिनमें भारतीय बालकों को पढ़ने की स्वतंत्रता थी। इन्होंने थोड़ा प्रयास रोमन कैथोलिक ईसाइयों को बदलकर उन्हें प्रोटेस्टेंट बनाने का अवश्य किया। शिक्षा द्वारा ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट धर्म के गुणों का गान किया। लका भी इनका केन्द्र था।

फ्रान्सीसी—सन् १६६४ ई० में फ्रान्सीसियों ने यहाँ अपनी व्यापारिक कम्पनी स्थापित की तथा माही, यनाम, कारीकल, चन्द्रनगर और पाण्डुचेरी में अपनी फैक्टरियाँ चालू की। इन्हीं स्थानों पर इन्होंने प्राथमिक स्कूल खोले। पाण्डु-

चेरी में एक माध्यमिक शिक्षा का स्कूल भी खोला जहाँ फ्रेंच भाषा सिखाई जाती थी। प्रारम्भिक स्कूलों में भारतीय शिक्षकों द्वारा स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक स्कूल में एक धर्म-प्रचारक शिक्षा देना था। गैर-ईसाई बालक भी इन स्कूलों में प्रवेश पाते थे। उन्हें बहुधा भोजन, वस्त्र, पुस्तकें तथा अन्य आवश्यक सामग्री देकर स्कूलों में आने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। फ्रान्सीसी मिशनरी पुर्तगालियों की भाँति रोमन कैथोलिक थे। जिन स्कूलों में धर्म की शिक्षा दी जाती थी वहाँ उनका काय महत्त्वपूर्ण रहा। फ्रान्सीसियों के उपरान्त इनकी बस्तियाँ अंग्रेजों के अधिकार में आ गईं और वहाँ की शिक्षा-व्यवस्था भी बदल गई।

डेन—सत्रहवीं शताब्दी में डेनो ने तञ्जौर के निकट तरगमपाडि तथा बगाल में सीरामपुर में अपने कारखाने स्थापित किये। राजनैतिक दृष्टिकोण से इस जाति का भारत में कोई महत्त्व न बढ़ सका, किन्तु इनके धर्म तथा शिक्षा-प्रचार के कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। वास्तव में डेन ही भारत में आधुनिक शिक्षा के अग्रणी समझे जाते हैं। आगे चल कर डेन मिशनरियों ने अपने आपको अंग्रेजों में मिला दिया।

सन् १७०६ ई० में डेनो ने अपने उपनिवेश तरगमपाडि (Trancubar) में जीगेनबलग तथा प्लूशो नामक दो जमान पादरियों को भेजा। सन् १७१६ ई० में जीगेनबलग की मृत्यु के उपरान्त उसका काय प्लूशो तथा स्वार्ज ने जारी रखवा। डेनमार्क से आर्थिक सहायता के अभाव में इनकी सहायता 'ईसाई धर्म-प्रचारक समिति' ने की। डेनो ने वस्तुतः अपने आपको दक्षिणी भारत में अंग्रेजी उपनिवेशों में, जहाँ वे ठहरे, वही ठहर कर तथा जहाँ वे आगे बढ़े वहाँ आगे बढ़ कर उनमें मिला दिया।

जीगेनबलग तथा प्लूशो ने आते ही तमिल तथा पुर्तगाली भाषाएँ सीखी और अपने काय को तञ्जौर, मद्रास, तिनेवली और त्रिचनापल्ली तक विस्तृत कर दिया। इन्होंने शिक्षा द्वारा धर्म-परिवर्तन करके लगभग ५०,००० लोगों को बैप्टिस्ट बनाया। किन्तु इतना अवश्य था कि इन धर्म-परिवर्तित भारतीयों को अपनी-अपनी जातियों में बने रहने को आज्ञा दे दी।

डेनो ने मुसलमानों के लिये बहुत से प्राथमिक स्कूल खोले। शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएँ ही रखवा। जीगेनबलग ने शुल्ज की सहायता से तामिल भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया तथा तामिल व्याकरण की रचना की। शुल्ज ने तेलगु में बाइबिल का रूपान्तर किया। एक तामिल शब्द-कोष भी छापा गया। छात्रों को ये लोग धर्म-

† Richter *A History of Missions in India*, p 12.

‡ Mukerjee, S N. *History of Education in India*, p 18.

प्रचार में खूब प्रयोग करते थे। सन् १७१२-१३ ई० में तामिल तथा रोमन लिपि का एक प्रेस स्थापित किया गया। १७१६ ई० में अध्यापकों की दीक्षा के लिये एक कालेज खोला और दीक्षित शिक्षकों की नियुक्ति मद्रास में तामिल बच्चों को अंग्रेजी तथा बाइबिल पढ़ाने के लिये की। इन मिशनरियों के शिक्षा-प्रयत्नों का वर्णन अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक किया जायगा।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा-प्रयत्न

यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना केवल व्यापार के लिये हुई थी, तथापि उस समय की देश की राजनैतिक अवस्था तथा अन्य प्रतिद्वन्दी योरूपीय कम्पनियों के कारण उसे अपनी प्रारम्भिक नीति कुछ सीमा तक धार्मिक भी रखनी पड़ी। पुर्तगालियों के प्रभाव को कम करने के लिये अंग्रेजों ने धार्मिक-नीति को भी अपनाया। कम्पनी के ये प्रयास ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिये थे। अपने ईसाई कर्मचारियों के आध्यात्मिक कल्याण तथा भारतीयों में बाइबिल के संदेश को फैलाने के लिये कम्पनी ने भारत में पादरियों को भेजा एवं कुछ भारतीय ईसाइयों को धार्मिक दीक्षा के लिये इंग्लैंड भी भेजा, जिससे कि देश लौटने पर वे ईसाई धर्म का प्रचार करके लोगों का धर्म परिवर्तन कर सकें। पीटर नामक एक ईसाई युवक कम्पनी के खर्च से ईसाई धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिये इंग्लैंड भेजा गया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारत के हेतु प्रचारक तैयार करने के उद्देश्य से अरबी-विभाग खोला गया। सन् १६५६ ई० में कम्पनी के डाइरेक्टरों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की 'सच्ची व शुद्ध भावना' से प्रेरित होकर प्रत्येक जहाज में ईसाई धर्म-प्रचारकों के भेजने की इच्छा प्रकट की। किन्तु कम्पनी ने इस नीति को न अपना कर धार्मिक तटस्थता की नीति को अपनाने की चेष्टा की। अतः विशाल पैमाने पर धार्मिक नीति के अपनाने के मोह को छोड़ दिया गया। मद्रास में १६७० ई० में पुर्तगाली, अंग्रेजी तथा यूरेशियन बच्चों के लिये प्रथम स्कूल खोला गया तथा शिक्षा-कार लगा कर अंग्रेजी शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। सन् १६६८ ई० के आज्ञा-पत्र में इंग्लैंड की संसद ने एक वाक्यांश जोड़ दिया जिसके फलस्वरूप कम्पनी को भारत में अपने कारखानों में धर्म-गुरु तथा अध्यापक रखने का आदेश दिया गया तथा ५०० टन अथवा इससे अधिक वजन के प्रत्येक जहाज में एक पादरी लाने की आज्ञा हुई। इस घोषणा-पत्र में सैनिकों तथा कारखाने के कर्मचारियों के लिये स्कूल खोले जाने की बात भी कही गई। परिणामतः कुछ निशुल्क दातव्य शिक्षालयों की स्थापना की गई। सन् १७१५ ई० में ऐसे स्कूल मद्रास में, १७१८ ई० में बम्बई और १७३१ ई० में कलकत्ता में भी खुले। बाद में तञ्जौर तथा कानपुर में भी दातव्य स्कूल खोले गये,

जिनमें भारतीय ईसाइयों को प्रथमता दी जाती थी। इनका उद्देश्य अंग्रेज मिपाहियों, एंग्लो-इण्डियन बच्चों तथा अत्य गरीब बालकों को निखटा, पढ़ना तथा हिसाब सिखाया जाना था। साथ ही ईसाई धर्म के सिद्धान्तों की शिक्षा भी दी जाती थी। इन शिक्षालयों का व्यय बहुधा चन्दे, दान व कम्पनी के अनुदान में चलता था।

यह माना जा सकता है कि इस समय तक कम्पनी ने कोई स्पष्ट शिक्षा-उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया था। जो कुछ भी प्रयास इस ओर हुआ था वह अत्यन्त अपर्याप्त था। १८ वीं शताब्दी के अन्त में कम्पनी ने अपनी नीति में परिवर्तन करके मिशनरियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये और कम से कम उत्तरी भारत में इनका कठोरता से पालन किया।

संक्षेप में, कम्पनी के शिक्षा-प्रयत्न इस काल में बहुत अपर्याप्त रहे। मद्रास अंग्रेजों का प्रमुख उपनिवेश था। सन् १६७३ ई० में वहाँ एक माध्यमिक स्कूल श्री प्रिगल की देख-रेख में खोला गया। फ्रेंच, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषाओं के अतिरिक्त 'फिरगी' भाषा भी शिक्षा का माध्यम थी। आगे चलकर कम्पनी ने सन् १८०० ई० में कलकत्ते में फोर्ट विलियम तथा मद्रास में १८१८ ई० में फोर्ट सेंट जार्ज नामक कॉलेज अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं के लिये खोले, जहाँ अंग्रेज अफसर भारतीय भाषाएँ सीखते थे। श्री बसु के अनुसार इन कॉलेजों पर १८२७ ई० में सवा दो लाख रुपये व्यय हुआ। इनके अतिरिक्त डेन मिशनरी शुन्ज ने मद्रास में कुछ पुराने स्कूलों का पुनर्संगठन किया तथा नये स्कूल भी खोले।

मद्रास प्रान्त में शिक्षा-प्रचार के कार्य में स्वार्ज, एक जमान मिशनरी, का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने इस प्रान्त की शिक्षा में अपने जीवन का ङगा दिया। स्वार्ज ने तञ्जौर तथा मेडवाड के राजाओं को भी प्रभावित करके उनसे तञ्जौर, रामेन्द्रपुरम तथा शिवगंगा नामक नगरों में अंग्रेजी के प्रचार के लिये स्कूल खुलवा लिये। इसके अतिरिक्त उसने देशी भाषाओं के लिये भी दो स्कूल खोले। आगे चलकर श्री जॉन सलीवन ने स्वाज की नीति में परिवर्तन करके मातृ-भाषा के स्थान पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करा दिया। इस योजना का समर्थन कम्पनी के सचालकों ने भी किया तथा प्रत्येक स्कूल को आर्थिक सहायता का वचन दिया। भारतीय धनिकों ने भी इसके लिये रुपया दिया। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि मद्रास प्रान्त में तेजी से नये स्कूल बनने लगे। इस तरह फ्रेंचिक स्वार्ज के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही १८ वीं शताब्दी के मध्य इस प्रान्त की शिक्षा-नीति एक नये सार्च में ढल गई। अंग्रेजी स्कूलों का भारत में यह प्रारम्भ था। इनमें अंग्रेजी, हिसाब, तामिल, हिन्दी तथा ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। सरकारी नरीक्षकों द्वारा इनका नियमित निरीक्षण भी होता था।

इनक अतिरिक्त मद्रास में १७८६ ई० में श्रीमती कैम्पबेल ने एक महिला अनाथालय भी खोला जिसके लिये भवन का दान अर्काट के नवाब ने किया था। जनता और सरकार दोनों ने इसके खर्च को चलाया। डा० एन्ड्रू बेल के नाम से ऐसा ही एक आश्रम लडको के लिये भी खोला गया जहाँ उन्होंने 'मानीटर-प्रथा' का परीक्षण प्रथम बार किया। इस प्रकार ईसाई मिशनरियों के प्रयत्नों से मद्रास की शिक्षा को बहुत प्रगति मिली। जिस काय का कम्पनी के सचालको ने सूत्रपात किया था, उसकी पूर्ति मिशनरियों ने की।

इसी प्रकार बम्बई तथा बंगाल प्रान्तों में भी शिक्षा न प्रगति की। बम्बई में १७१६ ई० में रिचाड कौब ने निर्वहन योरुपीय प्रौटेस्टेन्ट बालको के लिए एक स्कूल खोला। शिक्षा की दृष्टि से बंगाल ने पर्याप्त प्रगति की। वास्तव में १७५७ ई० में प्लासी-विजय के उपरान्त कम्पनी ने बंगाल का सम्पूर्ण शासन-कार्य सभाल लिया, किन्तु कम्पनी ने बंगाल की शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। वहाँ जो कुछ प्रगति हुई वह सब वैयक्तिक प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई। पुराने देशी स्कूलों को कम्पनी ने न तो सहयोग ही दिया और न उन्हें अन्य प्रकार से ही छोड़ा। एक प्रकार से उसकी नीति पूर्ण तटस्थता की थी। पाठशालाओं के लिये पुराने चले आने वाले भूमिदान को उसने अवश्य यथावत् छोड़ दिया। "यह बात स्पष्ट है कि बंगाल में जनता की शिक्षा के लिये सबसे पहले और बड़े से बड़े प्रयत्न न केवल सरकार के द्वारा ही किये गये, अपितु स्वयं जनता के द्वारा भी किये गये।" हवेल ने भी इसी आशय की बात कही है, "भारत में ब्रिटिश शासन-काल में प्रथमतः शिक्षा की अवहेलना हुई फिर उग्रता और सफलता के साथ उसका विरोध हुआ तत्पश्चात् एक ऐसी प्रणाली चलाई गई जो कि सर्वमान्य रूप से हानिकारक थी और अन्त में वह अपने वर्तमान स्तर (१८५४) पर रख दी गई।"

इस प्रकार बंगाल में व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा कुछ स्कूलों की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिङ्ग ने जो कि स्वयं बंगाली और फारसी भाषाओं का ज्ञाता था, शिक्षा की उन्नति में योग दिया। सन् १७८१ ई० में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य "मुसलमानों की सन्तानों को राज्य में उत्तरदायी तथा लाभदायक पदों के लिए योग्य बनाना था, जो कि उस समय भी अधिकांश में एकमात्र हिन्दुओं के अधिकार में थे।" अतः कलकत्ता मदरसा का उद्देश्य अदालतों के लिये अंग्रेजी जजों के सलाहकार बनाने का था। सन् १७८० ई० में ससद ने भारतीय न्यायालयों में अंग्रेजी कानून के स्थान पर भारतीय कानून लागू कर दिया था, जिसकी

† Syed Mahmud *History of English Education in India.*

‡ Howell *Education in India, p 1*

व्याख्या करने के लिये मुसलमान मौलवियों तथा हिन्दू पण्डितों की आवश्यकता थी। कलकत्ता मदरसा व जीत्र ही ख्याति प्राप्त करनी और वहाँ काश्मीर, गुजरात तथा कर्नाटक से विद्यार्थी आकर विद्या-व्ययन करने लगे। विद्यार्थियों को सरकार की ओर से छात्र-वृत्ति दी जाती थी। दशन, कुरान के धर्म-सिद्धान्त, कानून, ज्योतिष, गणित, तकशास्त्र तथा व्याकरण इत्यादि विषय यहाँ पढ़ाये जाते थे। शिक्षा का माध्यम अरबी तथा शिक्षा-काल ७ वर्ष था।

कलकत्ता मदरसा की भाँति हिन्दुओं के लिये बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना भी सन् १७९१ ई० में श्री जोनाथन डकन के द्वारा हुई। इसके उद्देश्य भी वही थे जो कि कलकत्ता मदरसा के थे। यह हिन्दुओं की हिन्दू कानून की शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजों के लिये सलाहकार या सहायक-जज के रूप में हिन्दू कानून की व्याख्या करने हेतु तैयार करता था।

इन दोनों शिक्षा-संस्थाओं के खुलने से जहाँ शिक्षा-प्रचार हुआ, वहाँ कम्पनी को योग्य राजभक्त भी मिलने लगे। देश के शिक्षित तथा-विद्वान उच्च और मध्यम वर्ग के लोग कम्पनी के विश्वासपात्र स्तम्भ बन गये। इस प्रकार कम्पनी का यह प्रयास देश की दो प्रमुख जातियों, हिन्दू और मुसलमानों, को प्रसन्न करने का भी एक साधन रहा।

इसके अतिरिक्त फाट विलियम कालेज (१८०० ई०), जिम्का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, मराहनीय काय कर रहा था। यहाँ हिन्दू व मुसलमान कानूनों, इतिहास, अरबी, फारसी, संस्कृत तथा हिन्दुस्तानी की शिक्षा दी जाती थी। बंगाली साहित्य को भी इस कालेज ने बड़ा प्रोत्साहन दिया। डा० कैरे, कोल-ब्रुक, प० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा श्री गिलक्राइस्ट जैसे विद्वान शिक्षक यहाँ नियुक्त किये गये थे।

इसके अतिरिक्त बहुत से अंग्रेजी स्कूल इस समय बढ़ने लगे। अब भारतीय लोग अंग्रेजी में रुचि दिखाने लगे थे। ब्राउन ने हिन्दुओं के लिये १७८८ ई० में एक कालेज कलकत्ता में खोला। इसी समय बहुत सी महिलाओं ने भी शिक्षा में रुचि दिखलाई और उन्होंने लगभग ६ स्कूल बालिकाओं के लिये भी खुलवाये। इनमें श्रीमती पिट, श्रीमती लॉसन और श्रीमती कपलैंड के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि बंगाल में मिशनरियों का प्रभाव कम था, तथापि जो कार्य शिक्षा क्षेत्र में बैप्टिस्ट मिशनरी ने किया है उसकी अबहेलना नहीं की जा सकती। इनके प्रमुख नेता वाड्स, कैरे तथा मार्शमैन थे। इन्हें "सीराम-पुर त्रिमूर्ति" के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने कलकत्ता के उत्तर में १३ मील

की दूरी पर एक गाँव सीरामपुर को अपना कार्य-क्षेत्र चुना। इन्होंने १८०० ई० में यहाँ एक छापाखाना खोला और बगला भाषा में बाइबिल छपी और शीघ्र ही इसका अनुवाद भारत की लगभग ३ दजन भाषाओं में कर दिया। इनका धार्मिक जोश इन्हे यहाँ तक ले गया कि ये हिन्दू-मुसलमानों के अवतारों और देवताओं को गाली देने लगे। 'हिन्दू और मुसलमानों के नाम सदेश' नाम से इन्होंने पर्चे छापे जिनका काफी विरोध हुआ। सरकार ने इनकी नीति को अपने राज्य-हित में घातक समझ कर इनके प्रेस को जब्त कर लिया तथा इन धर्म-प्रचारकों को नजरबन्द करके कलकत्ता भेज दिया। यह लॉर्ड मिंटो का शासन-काल था।

इस घटना के उपरान्त भी बैप्टिस्टों ने अपना काय चालू रखा। १७९४ ई० में कैरे ने दीनाजपुर में एक स्कूल खोला, तथा जैसौर में भी अपना प्रयत्न किया। १८१० ई० में मार्शमैन की सहायता से उसने 'कलकत्ता-जनहितकारी सस्था' के नाम से एक स्कूल गरीब ईसाइयों के लिये खोला। इस प्रकार १८१७ ई० तक इन लोगों ने लगभग ११५ स्कूल खोले, जो कि प्रायः कलकत्ता के आस-पास ही स्थित थे। बैप्टिस्ट मिशनरी के धर्म-प्रचार में सरकार के बाधा डालने से इंग्लैंड में उसकी निन्दा की गई। किन्तु वास्तव में सरकार डर रही थी और वह भारतीयों को सब भाँति से सतुष्ट रखना चाहती थी। इस मिशनरी के कार्यों में उसने राज्य के लिये आपत्ति देख कर ही यह कडा कदम उठाया था। कम्पनी के सचिवको ने ७ सितम्बर, १८०८ ई० को पुनः एक घोषणा करके स्पष्ट कर दिया कि उनकी नीति कठिन धार्मिक-तटस्थता की है। उनकी राय में "यह बात न केवल सरकार के ही हित में है, वरन् स्वयं मिशनरियों के लाभ की भी है कि उनके धार्मिक जोश को अवरुद्ध कर दिया जाय, अतएव उनके कार्यों पर सरकार का नियन्त्रण और निरीक्षण हितकर व आवश्यक है।"

भारत में सरकार की इस नीति की इंग्लैंड में तो निन्दा हो ही रही थी। वहाँ कहा गया कि कम्पनी की नीति ईसामसीह के धर्मदेशों के प्रतिकूल है तथा यह भारतीयों की शिक्षा की भी अवहेलना कर रही है। परिणामतः १८१३ ई० के आज्ञापत्र में शिक्षा-सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण वाक्यांश जोड़ दिये गये, जिनका उल्लेख आगे किया जायगा।

संसद में आन्दोलन

सन् १७९१ ई० से १८१३ ई० तक का काल इङ्ग्लैण्ड के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण काल है। यह वह युग था जब कि देश में औद्योगिक-क्रान्ति प्रारम्भ हो गई थी और पूँजीवादी तथा मजदूर दो दल स्पष्ट बनते चले जा रहे थे। मजदूरों की दीन-दशा पर दया दिखाने वाले कुछ धार्मिक तथा परोपकारी सज्जनों ने उनकी दशा

सुधारने के लिये अपनी आवाज उठाई और सुझाव रखे कि लोगो में शिक्षा तथा सदाचार का प्रचार करने और उद्यम के साधन उपलब्ध करने में उनकी हीनावस्था में सुधार हो सकता है। परिणामतः कुछ गैमी जनहितकारी व्यक्तिगत सस्थाएँ बन गईं जो कि इस महान् उद्देश्य को पूरा करने में लग गईं। साथ ही मसद में भी यह आन्दोलन चलाया गया कि वह जनता की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। १८०७ ई०-में इम आगय का एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार ७ वर्ष से १४ वर्ष तक के बालको को २ वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव किया गया। किन्तु यह विधेयक पाम न हो सका। सन् १८१५ ई० में एक जांच-ममिति देश में निर्धन बालका की शिक्षा के विषय में स्थापित की गई। इम ममिति ने भी इङ्ग्लैण्ड तथा वल्म में निर्धनो की शिक्षा के लिये एक विधेयक तथा कुछ सुधार प्रस्तावित किये, किन्तु वे भी वापिस ले लिये गये।

इस प्रकार जब इङ्ग्लैण्ड में शिक्षा-सुधार के लिये य आन्दोलन चल रह रहे थे भारत में भी कम्पनी का भारतीयो की शिक्षा को अपन हाथ में लेने के लिये विवश होना पड़ा। उन दिनों इङ्ग्लैण्ड में भी राज्य का शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व न होने से, तथा कुछ आर्थिक हितो को दृष्टि में रखने के कारण और भारत में अराजकता एवं स्वयं भारतीयो के शिक्षा के विषय में उदासीन होने के कारण कम्पनी भी यहाँ शिक्षा का प्रत्यक्ष भार नहीं लेना चाहती थी। किन्तु ब्रिटिश मसद में बक, ग्रान्ट और विल्वरफोस तथा भारत में लाड मिन्टो के प्रयत्नो के फलस्वरूप कम्पनी को शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना पड़ा।

उसी समय ब्रिटिश मसद में भी भारतीय शिक्षा में रुचि दिखाई जा रही थी। १७६२ ई० में चार्ल्स ग्रान्ट ने 'ग्रेट ब्रिटेन की एशियाई प्रजा की सामाजिक दशा का निरीक्षण' नामक रचना में बताया कि "प्रकाश की उत्पत्ति ही अन्धकार के विनाश का साधन है। हिन्दू भूने इसलिये करते हैं क्योंकि वे अज्ञानी हैं।" उनमें अंग्रेजी भाषा, विज्ञान, मशीनरी और भाष-शक्ति इत्यादि द्वारा भारतीयो की दशा सुधारने के सुझाव रखे और इसका उत्तरदायित्व ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर रक्खा। ग्रान्ट ने अनुभव किंश कि भारत में लोगो का नैतिक स्तर बहुत गिर गया है जिसे शिक्षा और ईसाई धर्म के उपदेशो द्वारा ही सुधारा जा सकता है। "धोरुप के गये बीते भागो में भी सच्चे, ईमानदार और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति निकल आवेंगे। बगाल में तो सच्चा और ईमानदार आदमी एक अलभ्य वस्तु है, और मुझे भय है कि जीवन में सर्वाङ्गरूपेण विशुद्ध आचरण वाला चरित्रवान् व्यक्ति तो दुष्प्राप्य है। भारतीयो के हाथ में दी हुई शक्ति अत्याचार और अन्याय द्वारा प्रयुक्त होती है। सभी प्रकार के पदो का रुपया कमाने में दुहपयोग किया जाना है। न्याय

रुपये से खरीदा जा सकता है। रुपये की शक्ति इतनी प्रबल है कि यहाँ धोखेबाजी से बढकर न कोई अपराध है और न सोचा जा सकता है। जिस तिरस्कार या अबहेलना की दृष्टि से हिन्दू उन व्यक्तियों या हितों को देखते हैं जिनसे उनका कोई स्वाथ नहीं होता, वह योरुपवासियों को उनके प्रति एक अपमानपूर्ण घृणा व क्रोध से भर देता है। भारत में देश-प्रेम तो अज्ञात है।†

इसमें कोई मन्देह नहीं है कि उन दिनों भारत की अवस्था अच्छी नहीं थी और प्रधानतः राज्य-कमचारियों में नैतिक भ्रष्टाचार बढ रहा था। किन्तु ग्रान्ट का यह विवरण उग्र व श्रुतिशयोक्तिपूर्ण है। उसके इतना कटु होने पर भी उसका कथन इसलिये क्षम्य है कि उसका एकमात्र उद्देश्य भारतवासियों में शिक्षा-प्रचार द्वारा नैतिक जाग्रति करना था और इसी सद्भावना से प्रेरित होकर उसने यह सब लिखा था। “हिन्दुओं की गलतियाँ कभी उनके समक्ष नहीं रखी गईं। हमारे ज्ञान तथा प्रकाश ही उनके लिये उचित औषधि हैं, जो उचित ढंग से तथा धैर्यपूर्वक प्रयोग करने से बड़े आनन्ददायक फल देगे। ये फल हमारे लिये गर्वास्पद तथा लाभदायक होंगे।” ये विचार उसकी आन्तरिक भावना का स्पष्टीकरण करते हैं। ग्रान्ट ने इस ज्ञान को देने के लिये दो साधन बताये एक तो देशी भाषाओं द्वारा, और दूसरा अंग्रेजी द्वारा। किन्तु उसमें अंग्रेजी माध्यम को ही चुना। उसका कहना था कि चरित्रवान् शिक्षकों के नेतृत्व में अंग्रेजी कलाये, साहित्य, दशन तथा धर्म भारतीयों की विचारधारा को परिवर्तित कर दगे। विज्ञानों द्वारा देश की औद्योगिक व आर्थिक उन्नति होगी। इस प्रकार लोगों में “बाह्य सम्पन्नता तथा सामाजिक शान्ति” का प्रादुर्भाव होगा। इन भावनाओं से प्रेरित ग्रान्ट की प्रायः सभी सिफारिशें आगे चलकर मान ली गईं। १८१३ ई० के आज्ञापत्र के निर्णय पर उसकी विशेष छाप है। इतना अवश्य है कि ग्रान्ट के प्रयत्न शुद्ध परोपकार की दृष्टि से नहीं थे। उनके पीछे उसकी धर्म-प्रचार तथा भारतीयों का धर्म-परिवर्तन करने की मनोवृत्ति भी काम कर रही थी।

इसके पूर्व १७९३ ई० में विल्बरफोर्स ने कम्पनी के क्वार्टर में शिक्षा-सुधार की एक धारा जोडनी चाही थी, और ब्रिटिश ससद के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव रक्खा —

“ब्रिटिश धारामभा का यह विशेष तथा अनिवाय कतव्य है कि वह प्रत्येक उचित तथा बुद्धिमत्तापूर्ण साधन द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य के हित और समृद्धि को बढावे, और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऐसे साधनों को अपनाया जाय जो कि

† Quoted by M. R. Paranjape *A Source book of Modern Indian Education*, pp VIII-IX

क्रमशः लाभदायक ज्ञान प्राप्त करने में उनकी उन्नति करे तथा उनके धार्मिक तथा नैतिक स्तर को ऊँचा उठावे।”†

किन्तु कम्पनी के सचालको ने उस यह कह कर गिरा दिया कि “स्कूल और कालेजों की स्थापना की मूखता द्वारा हमने अभी अमेरिका को खोया है। अतः भारत में भी वही मूखतापूर्ण काय ठीक न होगा। लायोनिल मिथ ने भी यही कहा था कि “शिक्षा जाति तथा धर्म के उन कुसंस्कारों का दूर कर देगी जिनके द्वारा हमने हिन्दुओं को मुसलमानों के विरुद्ध करके भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। शिक्षा उनके मस्तिष्कों को विकसित करके उनकी अप्रतिरूपा शक्ति का उन्हें बोध करा देगी।”‡ कम्पनी के सचालको ने यह कहा कि “हिन्दुओं की अपनी धर्म तथा नैतिकता की एक अनुपम प्रणाली है। अतएव यह एक नितान्त पागलपन होगा कि या तो उनके धर्म-परिवर्तन की चेष्टा की जाय अथवा उन्हें इसमें अधिक ज्ञान अथवा अन्य कोई ज्ञान का वक्षान दिया जाय जितना कि वे स्वयं जानते हैं।”*

इस प्रकार भारतीय शिक्षा के आर्य का निर्णय इङ्गलैण्ड की सभ में किया जा रहा था। भारत में लॉर्ड मिंटो ने १८११ ई० में सचालको को भारतीय शिक्षा के पतन की दुख-गाथा लिखकर भेजी। उसने लिखा कि “भारतवासियों में विज्ञान तथा साहित्य का उत्तरोत्तर पतन हो रहा है। विद्वानों की संख्या घटने के साथ ही साथ उनके ज्ञान की परिधि भी संकीर्ण होती जा रही है। विज्ञान तथा साहित्य त्याग दिये गये हैं, केवल धार्मिक शिक्षा ही शेष बची है। इसका तत्कालीन परिणाम हुआ है कई ग्रन्थों का विनाश। यदि सरकार ने शीघ्र ही सहायता प्रदान नहीं की तो भय है कि ग्रन्थों तथा उनकी व्याख्या करने वालों के अभाव में शिक्षा का पुनरुद्धार भी असम्भव हो जायगा।”††

१८१३ ई० का आज्ञा पत्र

इस प्रकार के आन्दोलन ने भारतीय शिक्षा के प्रश्न का महत्त्वपूर्ण तथा वाद-विवाद का प्रश्न बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब १८१३ ई० में कम्पनी का आज्ञा-पत्र जारी हुआ तो उसमें भारतीय शिक्षा के ब्रिये-विशेष धाराओं जोड़ दी गईं। इस आज्ञा-पत्र ने मिशनरियों को भी भारत में जाकर शिक्षा-प्रचार की स्वतंत्रता दे दी। यह उनकी बड़ी भारी विजय थी। आज्ञा-पत्र में एक धारा

† H Sharp *Selections from Educational Records*, p 81

‡ Quoted by M. R Paranjape *Source book of Modern Indian Education*

* H Sharp, p 17

†† H Sharp, p 19

यह जोड़ दी गई कि "कम से कम १ लाख रुपये की धन-राशि प्रति वर्ष अलग रख दी जायगी जिसका उपयोग साहित्य के पुनुरुद्धार तथा उन्नति एवं भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिये तथा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में भारतवासियों के अन्तर्गत विज्ञानों का आरम्भ करने तथा उनकी उन्नति करने में लगाया जायगा।" इस धारा ने भारत में राज्य शिक्षा-पद्धति की नींव डाल दी । मिशनरियों के क्षेत्र में स्वतन्त्रता-पूर्वक उतर आने के कारण भारतवासियों में भी स्पर्द्धा जागृत हुई और इस प्रकार देश में राजकीय तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार के शिक्षा-संघनों का बीजारोपण हुआ तथा भारत में आधुनिक शिक्षा का एक नवम्भ रूप प्रारम्भ हो गया ।

संघर्ष का प्रारम्भ

(१८१३-३३ ई० तक)

संघर्ष का कारण

१८१३ ई० के आज्ञापत्र के अनुसार कम्पनी न भारत में अपन शिक्षा उत्तरदायित्व को आंशिक रूप में स्वीकार ना कर लिया था और "भारतवासियों की शिक्षा तथा उनमें विज्ञान का प्रारम्भ तथा उन्नति के लिये" एक "माहित्य के पुनुरुत्थान व विकास" के लिये एक लाख रुपये की धन राशि भी अलग सुरक्षित कर दी थी, किन्तु उसने इस रुपये के व्यय करने की विधि निश्चित नहीं की। परिणामतः भारत में शिक्षा की समस्या को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ जिसका अन्त ब्रुड के शिक्षा घोषणा-पत्र के साथ १८५४ ई० में ही जाकर हुआ। १८१३ ई० से १८३३ ई० तक २० वर्ष तक का युग तो शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त ही अनिश्चित युग था। वास्तव में कम्पनी के सचालक स्वयं शिक्षा के विषय में अनभिज्ञ तथा उदासीन थे और अधिकांश में भारत स्थित अंग्रेज अफसरों की नीतियों का समर्थन करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ निम्नलिखित विषयों पर विवाद उठ खड़े हुए—

(१) उद्देश्य—पहला विवाद शिक्षा के उद्देश्य के विषय में था कि यहाँ थोड़े से लोगों में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय अथवा जन-साधारण में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार किया जाय। इसी में एक उद्देश्य और सम्मिलित था कि प्राच्य शिक्षा और सस्कृति की सुरक्षा की जाय अथवा पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानों को प्रारम्भ करके उनकी उन्नति की जाय।

(२) माध्यम—शिक्षा का माध्यम प्राच्य भाषाएँ सस्कृत, अरबी और फारसी रक्खा जाय अथवा देगी भाषाएँ और या फिर अंग्रेजी भाषा रक्खा जाय।

(३) साधन—शिक्षा सरकार का उत्तरदायित्व है अथवा इसे वैयक्तिक प्रयासों पर छोड़ दिया जाय। इसी में मिशनरियों को शिक्षा-प्रसार या धर्म-प्रचार की छूट देने की बात भी उठ खड़ी हुई।

उपयुक्त प्रश्नों को लेकर देग में प्रमुख तीन विचारधाराएँ बहने लगी। एक विचारधारा के समर्थकों का यह दृष्टिकोण रहा कि संस्कृत और अरबी भाषा के द्वारा भारतवासियों की प्राचीन सभ्यता की रक्षा की जाय तथा उन्हें इन्हीं भाषाओं के माध्यम के द्वारा यूरोप के नवीन विज्ञानों का भी बोध कराया जाय। इस विचारधारा के समर्थकों में कम्पनी के पुराने अधिकारी सम्मिलित थे जो कि लाड हैस्टिङ्ग तथा मिंटो के अनुगामी थे। इस विचारधारा का जोर बगाल में रहा।

दूसरी विचारधारा के मानने वालों के अनुसार भारत में शिक्षा का माध्यम देगी व प्रान्तीय भाषाएँ होना चाहिये था। इनमें मद्रास में मुनरो और बम्बई में माउन्ट स्टुअर्ट एलफिन्स्टन थे। मुनरो के अनुसार भारतीय सभ्यता उच्च कोटि की थी जिससे इङ्ग्लैंड का भी बहुत कुछ सीखना था। उसने लोकसभा (हाउस ऑफ कामन्स) में घोषणा की कि “यदि सभ्यता को ऐसा पदाथ मान लिया जिसका व्यापार दोनों देशों के मध्य में होने लगे, तो मुझे विश्वास है कि इङ्ग्लैंड इस पदाथ के आयात से महान् लाभ उठा सकेगा।”

तोसरा दल ऐसे लोगों का था—यद्यपि यह इस समय अल्पमत में था—जिनमें प्रधानतः कम्पनी के नवयुवक अधिकारी थे। उनके अनुसार भारत में शिक्षा तथा पाश्चात्य विज्ञानों के प्रचार के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिये था। ये लोग ग्रान्ट के मत के अनुगामी थे। मिशनरी लोग भी इसी नीति के समर्थक थे, यद्यपि वे लोग देगी भाषाओं द्वारा भी धर्म-प्रचार कर रहे थे और अपने समय को व्यर्थ के विवाद में अधिक नष्ट नहीं कर रहे थे।

उस समय सरकारी मामलों में भारतीय मत का कोई मूल्य नहीं था, तथापि बगाल में राजा राममोहनराय जैसे सुधारक भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम के द्वारा पाश्चात्य विद्वानों और विचारों के प्रसार करने के पक्ष में थे।

अंग्रेजी माध्यम के समर्थक सभी प्रान्तों में थे, किन्तु बगाल में उनका प्राधान्य था। आगे चलकर इसी दल की विजय हुई और इन्होंने शिक्षा को अन्तिम रूप दिया, जिसका फल यह हुआ कि भारत में शिक्षा की तीव्र प्रगति को बड़ा आघात लगा। प्रान्तीय भाषाओं के विकास की गति रुक गई और भारत की प्राचीन सभ्यता को एक भयानक धक्का लगा। वास्तव में वे एक ऐसे समाज का निर्माण करने में सफल हो सके जो कि अंग्रेजों तथा “उन करोड़ों प्राणियों के, जिनके कि वे शत्रु थे, बीच विचार-वाहक (म यस्थ) बने, अर्थात् एक ऐसा बग जो रग तथा

रक्त में भारतीय किन्तु विचारों, रचियों, नतिक आदर्शों तथा बुद्धि में अग्रज है।' इस प्रकार प्राचीन भारतीय मभ्यता पर विजय पाकर भारत में अपनी मभ्यता का बीजारोपण करने में यह दल मफल हुआ और इसमें सहायता दी राजा राम-मोहनराय जैसे उच्च वर्ग के भारतीयों ने, जिनका अग्रजों में व्यक्तिगत सम्पर्क था और जो भारत के कंगडो जन-माधारण में अधिक सम्पर्क नहीं रखते थे। इन प्रयत्नों का वर्णन हम आगे करेंगे।

यहाँ दो शब्द मिशनरियों के विषय में कह देना भी वाञ्छनीय होगा। १८१३ ई० के आज्ञा पत्र के द्वारा भारत का द्वार डगलड की सभी मिशनरियों के लिए उन्मुक्त हो गया था। इन लोगों ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम का ही आश्रय लिया। उन्होंने अंग्रेजी आदर्श के असम्बन्धित स्कूल और कालेज खोले जिनके द्वारा शिक्षा के नाम पर ईसाई धर्म का प्रचार किया तथा भारतीयों के धर्म-परिवर्तन के कार्यक्रम को जारी रखा। १८१३ से ३३ ई० तक के इनके शिक्षा-प्रयत्नों का वर्णन हम इसी अध्याय में आगे करेंगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तुतः यह एक परीक्षण-युग था। कम्पनी के मंचालक भारतीय शिक्षा के विषय में अनभिज्ञ तथा तटस्थ होते हुए भी एक प्रकार से इन भिन्न-भिन्न विचारधाराओं की उत्पादकता का परीक्षण कर रहे थे।

राजकीय प्रयत्न (१८१३-३३ ई०)

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कम्पनी के मंचालकों ने ग्रान्ट और बिल्बर-फोस के प्रस्तावों का विरोध किया था, किन्तु उनके विरोध की अपेक्षाकृत भी १८१३ ई० के आज्ञा-पत्र में शिक्षा के लिये १ लाख रुपये का अनुदान नियत कर दिया गया। इसके लिये ३ जून १८१४ ई० में उन्होंने अपना प्रथम शिक्षा-आदेश जारी किया जिसके द्वारा वे शिक्षा की उन्नति करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि "यह धारा दो प्रमुख विचारणीय समस्याएँ उपस्थित करती है — प्रथम, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन तथा साहित्य का पुनुरुत्थान व उन्नति, और द्वितीय, भारतीयों में विज्ञानों का प्रचार व उन्नति।" किन्तु संचालकों ने अंग्रेजी प्रकार के स्कूल व कालेजों की स्थापना का विरोध किया और देशी शिक्षा तथा प्राच्य भाषाओं की उन्नति पर जोर दिया। वास्तव में अपने राजनैतिक हितों के लिए वे भारत के प्रभावशाली वर्गों को प्रसन्न रखना चाहते थे। उन्हें भय था कि "सम्मानित तथा सवर्ण हिन्दू उनके शासन और अनुशासन के समक्ष आत्म-समर्पण न करेंगे।"

अतः इस समय उनका उद्देश्य प्राच्य शिक्षा-पद्धति की उन्नति करना था जो उन्होंने लिखा, "हमें समझते हैं कि विद्वान् हिन्दुओं को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये

नया अपनी विधि में सहमत कराने के लिये उन्हें अपनी चिरकालीन परम्परा द्वारा अपने घरों पर शिक्षा प्राप्त करने दिया जाय तथा उनके गुणों का विकास करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाय और इस प्रकार के प्रोत्साहन के लिये उन्हें सम्मान-सूचक उपाधियाँ तथा कभी-कभी आर्थिक अनुदान भी दिये जायें।”

कम्पनी के सचालको ने भारतीय शिक्षण-विधि तथा उसके साहित्य की मराहता की। उन्होंने लिखा कि “हमें विदित हुआ है कि संस्कृत भाषा में कई उत्तम ग्रन्थ ज्योतिष तथा गणित के हैं जिसमें ज्योमित व बीजगणित भी सम्मिलित हैं। सम्भव है कि इनका ज्ञान योरुपीय विज्ञानों में वृद्धि न कर सके, किन्तु इनके द्वारा भारतीयों और हमारे उन कर्मचारियों में सम्पर्क स्थापित हो जायगा जो कि हमारी वैधशालाओं या इंजीनियरी-विभाग में कार्य करते हैं। इस प्रकार के सम्पर्क के द्वारा भारतीय इन तथा अन्य आधुनिक विज्ञानों में प्रगति कर सकते हैं।”

इस प्रकार प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन देकर वे भारतीयों तथा अपने कर्मचारियों की घनिष्टता को बढ़ाना चाहते थे। ब्रिटिश अफसरों में उन्होंने प्राच्य शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया और यह भी कहा कि जो अफसर संस्कृत पढ़ने के लिये उद्यत हो उन्हें हर प्रकार की प्रथमता दी जाय। गाँव के स्कूलों के अध्यापकों की दशा पर द्रवित होकर उनके सुधार के लिये भी इन्होंने संकेत किया। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसी शिक्षा-पद्धति को प्रोत्साहन दिया जिसमें शिक्षण-विधि पूरात प्राच्य थी। अंग्रेजी शिक्षा तथा मुसलमानों की शिक्षा के विषय में भी १८१३ ई० के आज्ञा-पत्र में कोई उल्लेख नहीं था। किन्तु यह सब सामयिक राजनैतिक चाले थी। वस्तुतः वे केवल सम्मानसूचक उपाधियों तथा थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता से आगे और कुछ नहीं करना चाहते थे। उनके इस आज्ञा-पत्र से कोई महत्वपूर्ण प्रगति की आशा नहीं की जा सकती थी। “इस आज्ञा-पत्र से अधिक निराशाजनक लेख की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और यह एक कष्टाजनक ऐतिहासिक सत्य है कि १८१३ ई० के आज्ञा-पत्र की धारा ४३ सन् १८३३ ई० तक बिल्कुल निष्क्रिय रही।” †

शिक्षा-प्रगति

यह बात स्मरणीय है कि कम्पनी के कर्मचारियों ने सचालको की इस नीति को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भारत में शिक्षा-प्रसार के अपने कर्त्तव्य को समझा। लार्ड मोडरा (हैस्टिंग्स) ने, जो कि भारत के तत्कालीन गवर्नर-जनरल थे २ अक्टूबर १८१५ ई० को अपने विवरण में स्वीकार किया कि १ लाख रुपये को

धन-राशि जन-साधारण में शिक्षा-प्रचार करने में न्यय की जायगी। उन्हें शिक्षा के विषय में एक अधिक उदार नीति की आवश्यकता प्रतीत हुई। "अंग्रेजों के लिये यह श्रेय की बात होगी कि यह लाभदायक क्रान्ति उनके शासन-काल में है। भारत की विनाश जनसंख्या के लिये बरसानों का साधन होना एक गंभीर महत्वाकांक्षा है जो हमारे देश को शोभा देती है।"† लॉर्ड मोडरा ने स्पष्ट कर दिया था कि जनता के शिक्षित होना पर ही हम एक दृढ़ शासन की आशा कर सकते हैं। गाँव के अध्यापकों के विषय में उनका विचार था कि किसी भी शिक्षा-योजना में उनके सुधार को प्रथम स्थान देना चाहिये। लॉर्ड मोडरा ने यह भी प्रस्ताव रक्खा कि शिक्षा को सर्वप्रिय बनाने के लिये प्रत्येक जिले में एक हिन्दुओं तथा एक मुसलमानों के लिये स्कूल खोला जाय।

इस क्षेत्र में सर चार्ल्स मैटकाफ का नाम भारत में सदा आदर के साथ लिया जायगा। उन्होंने ४ सितम्बर, १८१५ ई० को एक उत्तर देते हुए लिखा था कि—

"भारतीयों को शिक्षित बनाने के विरुद्ध तर्क दिये गये हैं, पर एक उदार सरकार के लिये उन पर ध्यान देना कनिनी अयोग्यता की बात होगी। ईश्वर ही साम्राज्य देता तथा छीनता है। शासक तो प्रजा के हित-साधन द्वारा शासन के योग्य बनते हैं। अतः यदि हम अपना कर्तव्य पालन करें तो भविष्य में चाहे जो परिवर्तन हो, हमें भारतीयों से कृतज्ञता तथा भूमण्डल पर प्रशंसा मिलेगी। किन्तु यदि हम अपने स्वार्थ तथा भावी विपत्तियों के सम्भावित डर में अपनी प्रजा को अच्छी बातों से वचन रखेंगे, तो हमें अपना राज्य रखने का कोई अधिकार नहीं है, हमें अपनी इच्छाओं का विरती ही मिलेगा जो सम्भवतः हमारे भाग्य में भी है और हमें पतन के साथ ही साथ मानव-जाति की घृणा भी मिलेगी। मेरा स्वयं का विचार है कि हम भारतीयों के लिये जिनकी अधिक अच्छी बातें करेंगे उतना ही अधिक वे हमसे स्नेह करेंगे और परिणामतः साम्राज्य की शक्ति तथा आयु बढ़ेगी। अब यह बात सरकार की बुद्धिमानी पर निर्भर है कि वह निर्णय करे कि यह सलाह केवल काल्पनिक है अथवा सत्य पर आधारित है।"‡

इसी बीच में इंग्लैंड में समाज सुधार के आन्दोलन जोर पकड़ रहे थे। वहाँ के अपराध-विधान तथा फैक्टरी कानून में सुधार हुए। हमारे देश में सामाजिक उदारता की लहर दौड़ने लगी। शिक्षा में भी महत्त्वपूर्ण सुधार हुए। फलतः उम्र भावना का भारत-स्थित अंग्रेज शासकों पर भी प्रभाव पड़ा और वे भारत

† H Sharp Selections from Educational Records, Vol pp 28 29

‡ Adam's Report, p 406

उदारतापूर्वक शिक्षा तथा मानव-सुख की वृद्धि में जुट गये । मुनरो, एलफिन्स्टन् तथा बेटिक इत्यादि महानुभावो ने भी उसी भावना से प्रेरणा लेकर भारत में शिक्षा-सुधार तथा उन्नति के प्रयास किये । कम्पनी के सचालको के विचारों में भी परिवर्तन हो गया और उन्होने उदारता तथा उत्साहपूर्वक शिक्षा-प्रसार करने के आदेश दिये । अतः इन सभी परिस्थितियों पर दृष्टि रखते हुए हम भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इस काल की शिक्षा-प्रगति का संक्षेप में उल्लेख करेंगे ।

बंगाल—यहाँ सन् १८१३ से १८२३ ई० तक कोई सराहनीय शिक्षा-प्रयत्न नहीं हो सका । १८२३ ई० में जाकर ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने कर्तव्य की मुद्य ली । फलतः १७ जुलाई, १८२३ ई० के एक प्रस्ताव के अनुसार बंगाल में गवर्नर जनरल ने एक 'लोक शिक्षा-समिति'† नियुक्त की, जिसके उद्देश्य "जनता की शिक्षा में सुधार, उनमें हितकारी ज्ञान का प्रचार तथा उनके नैतिक चरित्र को ऊँचा उठाना" इत्यादि थे । कम्पनी ने सारा उत्तरदायित्व व शिक्षा सम्बन्धी अनुदान इसी समिति को हस्तान्तरित कर दिया तथा उनकी सहायता के लिये कुछ स्थानीय समितियाँ भी बनाईं । इस प्रमुख 'लोक शिक्षा-समिति' में दस सदस्य थे जिनमें प्रिमेप तथा विल्सन भी, जो कि प्राच्य शिक्षा के मर्मर्थक थे, सम्मिलित थे । वास्तव में बहुमत भी प्राच्य शिक्षा-प्रणाली के समर्थकों का ही था ।

इस समिति ने अपना काय प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य में ही प्रारम्भ कर दिया और इसके लिये प्रथमतः इमने कलकत्ता मदरसा तथा बनारस सस्कृत कालेज का पुनर्संगठन किया तथा १८२४ ई० में कलकत्ता, आगरा और दिल्ली में प्राच्य शिक्षा के लिये कालेजों का निर्माण कराया । इसके अतिरिक्त १८२४ ई० में कलकत्ता में 'कलकत्ता शिक्षा प्रेस' भी स्थापित किया, और कई सस्कृत, अरबी तथा फारसी के ग्रन्थ छापे तथा बहुत से विज्ञान सम्बन्धी योरोपीय ग्रन्थों का अरबी, फारसी तथा सस्कृत में अनुवाद कर छपवाया । ये पुस्तकें स्कूलों में भी पढाई जाने लगी । समिति ने प्राच्य भाषाओं के विद्यार्थियों को क्षात्रवृत्तियाँ भी दी ।

किन्तु 'लोक शिक्षा-समिति' अपनी इस नीति पर अधिक दिनों तक न चल सकी । शीघ्र ही इसकी नीति का बड़ा विरोध होने लगा । कम्पनी के सचालको ने भी इस नीति का समर्थन नहीं किया और १८ फरवरी १८२४ ई० के आदेश के अनुसार समिति की कार्यवाहियों पर एक प्रकार से रोक लगा दी । उनकी राय में ऐसे पुस्तकालय अथवा विद्यालय खोलकर जिनका उद्देश्य 'केवल हिन्दू या केवल मुसलमान साहित्य ही पढाना है' समिति अपने आपको उस साहित्य के पढाने के लिये बाध्य कर रहा है "जिसका अधिकांश भाग मूर्खताओं से भरा है तथा एक बड़ा भाग शरारतपूर्ण है

और बचा हुआ एक थोड़ा सा भाग अवश्य ऐसा है जिसमें थोड़ी बहुत उपयोगिता प्राप्त हो सकती है।" ममिनि की राय यह थी कि हिन्दू व मुसलमान योरूपवातियों में घृणा करते हैं, अतः उनके माहित्य को पढ़ने के लिये तयार भी नहीं होगा और जनता की राय भी योरूपीय ज्ञान-विज्ञानों के अधिगम के प्रतिवूल है। किन्तु यह कथन सर्वांश में सत्य प्रतीत नहीं होना, क्योंकि बंगाल में राजा राममोहनराय ने ११ दिसम्बर १८२३ ई० को एक स्मरण-पत्र लाइ एम्हर्स के लिये लिखा, जिसमें उन्होंने कलकत्ता सस्कृत कालेज के खुलने का विचार किया। उन्होंने भारत में योरूपीय विज्ञानों तथा गणित इत्यादि के पढाये जाने पर जोर दिया और कहा कि सरकार को "एक अधिक उदार और बुद्धिमतापूर्ण शिक्षा-पद्धति का उन्नत करना चाहिये जिसमें गणित, प्राकृतिक दशन, रमायन-शास्त्र, शरीर-विज्ञान तथा अन्य लाभदायक विज्ञान सम्मिलित हो। जिनका शिक्षण निश्चित धन-राशि के द्वारा रखे हुए ऐसे सज्जनों के द्वारा होना चाहिए जो गुणवान हो तथा योरूप में शिक्षा पाये हुए हो।" उनकी राय में सस्कृत की शिक्षा देश की शिक्षा-प्रगति को रोक कर उसे अज्ञान के अधकार में रखने की एक राजनैतिक चाल थी। किन्तु उनके इस विरोध की कोई परवाह नहीं की गई और सस्कृत कालेज का निर्माण हो गया। आगे चलकर इसी विचारधारा ने 'प्राच्य-आँगल विवाद' का रूप धारण कर लिया।

वास्तव में यह वह युग था जब भारतीयों में राजनैतिक चेतनता का बीजारोपण हो चुका था। उनमें अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चान्य ज्ञान के लिये एक तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। जिसके प्रमुख कारण ये मिशनरियों के द्वारा अंग्रेजी की भाषा, तथा अंग्रेजी भाषा के शासकों की भाषा होने में उससे उत्पन्न होने वाले आर्थिक तथा राजनैतिक लाभ। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए 'लोक शिक्षा-समिति' ने आगरा कालेज तथा कलकत्ता मदरसा में अंग्रेजी की कक्षाएँ खुलवा दी और दिल्ली तथा बनारस में जिला अंग्रेजी स्कूल खुलवा दिये। किन्तु ये प्रयत्न अपर्याप्त थे।

बम्बई—१८१८ ई० में बम्बई प्रेसीडेंसी बनी और पूना के श्री ऐलफिन्स्टन को १८१९ ई० में वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया। श्री ऐलफिन्स्टन ने अपना पद सभालते ही अपना ध्यान प्रान्त की शिक्षा की ओर दिया। उन्होंने पेशवा के दक्षिणा-फण्ड में से, जोकि ५,००,०००) रु० वार्षिक था, ब्राह्मणीय शिक्षा के प्रसार के लिये पूना सस्कृत कालेज खोला। यह कालेज प्रधानतः बम्बई की प्रभावशाली जाति ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिये राजनैतिक उद्देश्यों से खोला गया था। १८२३ ई० तक बम्बई सरकार शिक्षा के लिये और कुछ न कर सकी। 'बम्बई भारतीय-शिक्षा-

ऐलफिन्स्टन ने शिक्षा के संगठन के निये सरकारी प्रयत्नों के साथ ही साथ वैयक्तिक प्रयत्नों को भी प्रोत्साहित किया, क्योंकि सरकार शिक्षा के पूरा उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर सकती थी। यही कारण था कि उन्होंने सरकार और वैयक्तिक प्रयासों के बीच सहकारिता की भावना पर जोर दिया। बम्बई भारतीय शिक्षा समिति' जैसी व्यक्तिगत सस्थाओं के लिये उन्होंने शिक्षा-अनुदान की व्यवस्था की और 'ग्रान्ट-इन-एड प्रथा का चालू किया। परीक्षा प्रणाली भी चालू कर दी गई तथा सफल विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र, पारितोषिक और छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई।

किन्तु ऐलफिन्स्टन के विवरण-पत्र का उनकी काउन्सिल में ही घोर विरोध हुआ। वार्डन ने, जो कि काउन्सिल का सदस्य था, ऐलफिन्स्टन का विरोध किया। वार्डन अंग्रेजी द्वारा केवल उच्च वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने के पक्ष में था। अतः उमने प्रान्तीय भाषा द्वारा जन-साधारण को शिक्षा देने का विरोध किया। गाँव के देशी प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों को वह निरर्थक समझना था और इनके स्थान पर प्रत्येक जिले में उच्च वर्ग तथा मध्य वर्ग के बालकों के लिये अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल खोलने के पक्ष में था। इन्हीं बातों का नेकर आगे चल कर 'ऐंग्लो वर्नाक्यूलर विवाद' उठ खड़ा हुआ, जो कि मैकाले के प्रसिद्ध विवरण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही समाप्त हुआ। ऐलफिन्स्टन ने बम्बई प्रान्त की शिक्षा में ऐतिहासिक उन्नति की, यद्यपि उन्हें अपनी नीति में पूरा सफलता न मिल सकी। ऐलफिन्स्टन वाडन विवाद को देखते हुए कम्पनी के संचालकों ने ऐलफिन्स्टन की सभी सिफारशों को नहीं माना। सरकार ने 'बम्बई-भारतीय शिक्षा-समिति' को बम्बई प्रान्त में शिक्षा-संगठन के लिए प्रमुख सस्था स्वीकार कर लिया तथा कोई अन्य सरकारी समिति इस कार्य के लिये नियुक्त नहीं की। 'बम्बई-भारतीय-शिक्षा-समिति' को ६००) ६० प्रति माह की आर्थिक सहायता भी स्वीकार कर ली गई। इसके अतिरिक्त बम्बई प्रान्त में अन्य कोई शिक्षा-कार्य १८१३-३३ ई० के मध्य न हो सका।

मद्रास—पिछले अध्याय में मुनरो द्वारा मद्रास की शिक्षा की जाँच का उल्लेख हो चुका है। अपनी जाँच के दौरान में मुनरो इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि शिक्षा के पतन का प्रमुख कारण सरकार की अवहलना तथा जनता की निश्चिन्ता है। अतः इनको दूर करने के लिये उमने स्कूलों को आर्थिक सहायता दी तथा नये स्कूल खोलवाये। शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनके लिये आकर्षक वेतनों का भी मुनरो ने ध्यान रखा। १० मई, १८२६ ई० के अपने विवरण-पत्र में उमने स्कूलों के लिये पाठ्य-पुस्तकें छापने तथा शिक्षकों की दीक्षा के लिये प्रस्ताव किये। ये दोनों कार्य 'मद्रास-स्कूल बुक सोसाइटी' को दे दिये गये और ७००) ६० मासिक का अनुदान भी उसके लिये देना निश्चय किया। उसने २० जिलों में उच्च कोटि के दो-दो स्कूल—

एक हिन्दुओ तथा दूसरा मुसलमानो—के लिये खुलवाने पर जोर दिया । बाद मे ३०० तहसीलो मे क्रमश एक-एक वर्नक्यूलर स्कूल हिन्दुओ के वास्ते खोलने की योजना बनाई । इस प्रकार सम्पूर्ण योजना को लागू करने के लिये उसने ४८,०००) ६० वार्षिक की महायता माँगी । यह धन-राशि सन् १८२७ ई० मे स्वीकृत हो गई, किन्तु दुर्भाग्यवश १८२७ ई० मे मुनरो की मृत्यु हो जाने से उसके उपरान्त यह योजना अचठी प्रकार से कार्यान्वित न की जा सकी ।

इस शिक्षा-योजना के कार्यान्वित करने के लिये मुनरो ने अपने जीवन-काल मे ही जून १८२६ ई० मे 'लोक शिक्षा-समिति' की स्थापना कर ली थी । इस समिति ने मद्रास मे शिक्षको के प्रशिक्षण के लिये एक नॉर्मल स्कूल खोला । तहसीली स्कूलो की प्रगति भी निराशाजनक रही । १८३० ई० तक केवल १४ जिलो मे ७० तहसीली स्कूल खोले जा सके । इनमे न तो शिक्षको को वेतन ही ठीक प्रकार मे मिल पाना था और न इनका निरीक्षण ही नियमित रूप से होता था ।

यद्यपि मुनरो की मृत्यु से उसकी योजना सफल न हो सकी, तथापि इसका एक प्रमुख कारण दूसरा भी है । वास्तव मे मुनरो का उद्देश्य शिक्षा द्वारा जनता के नैतिक, मानसिक तथा आर्थिक-स्तर को ऊँचा उठाकर सरकार के कर्तव्य को पूरा करना था । "हमे मदा साम्राज्य बनाये रखने का ही स्वप्न न देखना चाहिये, बल्कि भारतीयो को ऐसा बना देना चाहिये कि वे अपना शासन इस प्रकार कर सके कि उससे उनका, हमारा तथा विश्व का कल्याण हो । हमे अपने प्रयासो के प्रतिफल स्वरूप अपना कर्तव्य पूरा करने की भावना तथा इसकी सफलता का श्रेय ही प्राप्त करना चाहिये ।"† किन्तु मुनरो अपनी योजना को भली भाँति लागू भी नहीं कर पाया था कि कम्पनी के सचालको ने अपना २६ सितम्बर, १८३० ई० का आज्ञा-पत्र भेजा जिसके अनुसार कहा गया कि मद्रास मे प्रारम्भिक जन-शिक्षा पर पर्याप्त कार्य किया जा चुका है, किन्तु उच्च शिक्षा के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं । अतः ऐसी अवस्था मे मद्रास सरकार को अपनी नीति बदल देनी चाहिये । आज्ञा-पत्र मे कहा गया कि "तुम्हारी सरकार के प्रथम प्रस्तावो मे जनता के किसी भी भाग की उच्च शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया गया है । प्रारम्भिक शिक्षा का सुधार ही उनका उद्देश्य है । परन्तु जनता की नैतिक तथा मानसिक दशा सुधारने मे वही शिक्षा-सुधार अत्यन्त सफल होते हैं, जिनका सम्बन्ध उच्चतर वर्गो से होता है, जिनके पास पर्याप्त अवसर तथा अपने देशवासियो के मस्तिष्को पर पर्याप्त प्रभाव होता है । बहुसंख्यक वर्गो पर सीधे प्रभाव डालने के स्थान पर इन्ही उच्च वर्गो के शिक्षा स्तर को ऊँचा करके जनता के विचारो तथा भावनाओ मे अधिक व्यापक तथा हितकारी

परिवर्तन करना सम्भव है। साथ ही तुम्हें जान है कि हमारी यह उन्नत उन्नता है कि हमें ऐम भारतीयों की आवश्यकता है जो अपने स्वभाव तथा विद्या द्वारा अपने देश के शासन में उच्चतर पदों पर खूबने योग्य हों। तुम्हारे प्रान्त की शिक्षा में ऐम व्यक्ति उत्पन्न करने की क्षमता नहीं। प्रधान प्रान्त (बंगाल) में भारतीय उच्च वर्गों को अंग्रेजी भाषा तथा योरोपीय साहित्य और विज्ञानों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया था। वहाँ इन प्रयत्नों का इतनी सफलता मिली कि उनकी काय-अवधि के थोड़े होते हुए भी वह अत्यन्त सन्तोषजनक है तथा ये प्रयत्न भारतीयों में मध्य योरोपीय भावनाओं के फैलाने की व्यावहारिकता की आशा का पुष्टिकरण करने हैं हमारी अभिलाषा है कि इसी प्रकार के प्रयत्न तुम्हारे प्रान्त में भी हों।

वास्तव में अंग्रेज शासकों का भारत में प्रमुख हित राजनैतिक था। वे नहीं चाहते थे कि यहाँ के जन-साधारण में उपयोगी शिक्षा का शीघ्र प्रचार किया जाय तथा उनके अन्दर राजनैतिक जागृति उत्पन्न करके उन्हें उनके अधिकारों तथा श्रमताओं से परिचित करा दिया जाय। यही कारण था कि उन्होंने उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करने का निश्चय किया था। उच्च वर्ग के लोग बहुधा प्रत्येक देश में निम्न स्तर की कही जाने वाली जनता का शोषण करके उसके ऊपर अपना जीव-निभर करने हैं। भारत में भी यही अवस्था थी। इन उच्च वर्ग के लोगों के आर्थिक स्वार्थ भी इसी में थे कि वे अंग्रेजों के इस पडयत्र के कार्यवाहक बन कर उनकी नीतियों का समर्थन करें। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहती थी—जैसा कि कम्पनी के सञ्चालकों के उपर्युक्त विवरण में प्रकट होता है— जो उनके शासन-भवन के स्तम्भ बन कर जनता के शोषण में उन्हें सहायता दे सरकार इस स्वामिभक्ति के लिये अपने इन 'उच्च वर्ग' के दामो के समक्ष कुछ प्रलोभ-रख देती थी और इस प्रकार इन्हें देश पर शासन करने तथा उसका शोषण करने का अस्त्र बनाती थी। इसी नीति को उमने बंगाल में भी अपनाया था जहाँ उस पर्याप्त सफलता मिली। अपनी इस सफलता से उत्साहित होकर उसने अपने इस सिद्धान्त को सम्पूर्ण देश पर लागू किया और यही कारण था कि टॉमस मुनरो को जिसने जन-शिक्षा के लिये एक उदार याजना बनाई थी, कम्पनी ने आदेश दिया कि वह बंगाल की भाँति जहाँ राजा राममोहनराय जैसे 'देश-सेवी' भारतीय शिक्षा के स्थान पर पाश्चात्य 'लाभदायक' शिक्षा का स्थानापन्न करने के लिये मन्थन कर रहे थे—सद्दास में भी उच्च वर्ग में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानों का प्रसार करे। इस प्रकार उच्च वर्ग को शिक्षा देकर यह धारणा करना कि शिक्षा उच्च वर्ग से छिन कर निम्न-

धर्मा तक पहुँच जायगी, भारतीय शिक्षा के इतिहास में 'शिक्षा उनाई का सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा।

गैर-सरकारी प्रयत्न

इस प्रकार देश में १८१३-३३ तक की शिक्षा-प्रगति में राजकीय प्रयत्न अधिक सराहनीय नहीं रहे। शिक्षा एक परीक्षण काल में होकर गुजर रही थी। अतः यह स्वाभाविक ही था कि प्रगति मन्द रहती। किन्तु इन सरकारी प्रयत्नों के समानान्तर गैर-सरकारी प्रयत्न भी जारी थे जिन्हें प्रधानतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है (१) मिशनरी, और (२) गैर-मिशनरी। आगे की पक्तियों में हम इन्हीं का उल्लेख करेंगे।

१--मिशनरी शिक्षा प्रयत्न (१८१३-३३)

सन् १८२३ ई० तक भारत में कम्पनी-सरकार अपने राज्य का दृढ़ आरंभ स्थायी करने में इस प्रकार फँसी रही कि शिक्षा की समस्या उसके समक्ष गौरव रही। इधर भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को माँग उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। १८१३ ई० के आज्ञा-पत्र ने अंग्रेजी मिशनरियों के लिये भारत के द्वार खाल दिये थे। फलतः यहाँ कई धर्म-प्रचारक मड़लिया आई और इन्हीं धर्म-प्रचारकों ने अपने धार्मिक उद्देश्यों में भारत में शिक्षा का कार्य अपने हाथ में लिया जिससे जनता की माँग को भी पूर्ति हुई और ईसाई धर्म का प्रचार भी बढ़ा। यह निर्विवाद है कि शिक्षा-प्रचार उनका प्रमुख उद्देश्य नहीं था। वे तो धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। अतः शिक्षा के द्वारा ही वे निम्न तथा उच्च वर्गों के सम्पर्क में आकर उन्हें प्रभावित कर सकते थे। इसके अतिरिक्त धर्म-परिवर्तित लोगों के साथ अपना सम्बन्ध स्थायी करने के लिये भी उनका शिक्षा का प्रबन्ध आवश्यक था। साथ ही उन्हें ऐसे सहायक धर्म-प्रचारक भी तैयार करने थे जो भारतीय जनता में से ही हों। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उन्हें शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों को अपना पडा। किन्तु इतना अवश्य है कि उनके इस प्रयत्न से देश में शिक्षा की बहुत उन्नति हुई। उनकी प्रारम्भिक नीति देशी भाषाओं में शिक्षा देने की थी। देशी भाषाओं में उन्होंने पाठ्य-पुस्तकें, शब्दकोष तथा व्याकरणों की रचना करके एक ऐसा सराहनीय कार्य किया जिसके लिये भारत उनका चिर-ऋणी रहेगा। धर्म-प्रचार के उनके जोश ने शिक्षा-उन्नति में भी उन्हें उसी जोश के साथ लगा दिया। यह बात भी सर्वमान्य है कि उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप १८१३ ई० के आज्ञा-पत्र में शिक्षा सम्बन्धी धारा जोड़ी गई थी।

इस प्रकार १८१३ ई० के बाद जो मिशनरियाँ भारत में आईं उनमें 'जनरल बैप्टिस्ट मिशन सोसाइटी', 'लन्दन मिशनरी सोसाइटी', 'चर्च मिशनरी सोसाइटी', 'वैसलियन मिशन', तथा 'स्काँच मिशनरी सोसाइटी' प्रमुख हैं। उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अपने कार्य को प्रसारित किया।

बंगाल—जैसा कि पीछे कहा जा चुका है बंगाल में सीरामपुर में बैप्टिस्ट मिशन ने धर्म-प्रचार बड़े जोरों से प्रारम्भ किया था। १८१५ ई० में लगभग १५ स्कूल खोले। सीरामपुर का छापाखाना सराहनीय कार्य कर ही रहा था। 'समाचार दर्पण' नामक एक समाचार-पत्र भी उन्होंने निकाला। १८१७ ई० में सीरामपुर कालेज की नींव डाली जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय तथा अधगोरों को धर्म-प्रचार की दीक्षा देना था। भारत में यह प्रथम मिशन कालेज था। इसके अतिरिक्त 'लन्दन मिशनरी सोसाइटी' के एक प्रमुख कार्यकर्ता ने चिनमुरा में प्रारम्भिक शिक्षा के ३३ स्कूल खोले जिनमें ३,००० बच्चे पढ़ते थे। 'चर्च मिशनरी सोसाइटी' के कप्तान स्टीवर्ट ने बर्दवान में १० वर्नाकुलर स्कूल खोले जिनमें लगभग १,००० बच्चे पढ़ते थे। भवानीपुर तथा बरहमपुर में भी स्कूल खोले गये। १८२० ई० में शिवपुर में विश्व कालेज की स्थापना हुई। बंगाल में मिशनरियों के कार्यों को १८३० ई० में स्काटलैंड के मिशनरी अलैक्जेंडर डफ के आगमन से बड़ा प्रोत्साहन मिला। उसके अथक प्रयासों से बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भी हुआ। डफ जगद्गुरु भारत को 'मुक्ति' का पाठ पढ़ाने आया था। उसके मतानुसार भारतीयों की मोक्ष 'पुष्चिम तथा बाइबिल' की कृपा पर ही अवलम्बित थी। १८३५ ई० में एक भाषण में उसने कहा था कि "पाश्चात्य ज्ञान की प्रत्येक शाखा हिन्दू धर्म के किसी न किसी भाग को विध्वंस करेगी, इस प्रकार हिन्दू धर्म के विशाल किन्तु भट्टे भवन में से एक-एक ईंट नीचे गिर जायगी और जब तक कि हमारी शिक्षा की विशाल योजना पूर्ण होगी, सम्पूर्ण भवन खण्ड-खण्ड होकर धराशायी हो जायगा; यहाँ तक कि एक खंडित टुकड़ा भी शेष नहीं बचेगा।" डफ ने कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कालेज भी स्थापित किया, जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था तथा बाइबिल अनिवार्य थी।

डफ का उल्लेख करते हुए एक अमेरिकन विद्वान ने लिखा है कि भारत में निम्न गंगाघाटी में शिक्षा-रूप के विकास में सन् १८३० ई० एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष अलैक्जेंडर डफ, एक उत्साही मिशनरी, भारत आया। बंगाल में उसके

† L. S. O. Malley : *Modern India and the West*, p. 671.
Quoted by Shri S N Mukerjee in *Education in India*, p. 55.

मिशनरी स्कूलों के कार्य व प्रयास विशाल थे । उसके अनुगामी उग्र थे तथा शिक्षा को, विशेषत उच्च शिक्षा को, वह धम प्रचार का यन्त्र समझता था ।†

बम्बई—१८१५ ई० में अमेरिकन मिशन ने बम्बई में एक स्कूल लड़कों के लिये तथा १८२४ ई० में लड़कियों के लिये खोला । कोकण में १८२२ ई० में 'स्कॉटिश मिशन' ने अपने काय प्रारम्भ किया । १८२६ ई० में डा० विल्सन ने लड़कियों के लिये एक स्कूल बम्बई में खोला । इसके अतिरिक्त मूरत में भी कुछ स्कूल खोले गये । इस प्रकार बम्बई में मिशनरियों का शिक्षा-कार्य इतना व्यापक नहीं था जितना कि बंगाल में ।

मद्रास—चर्च मिशन सोसाइटी ने मद्रास में १८१५ से १८३५ ई० तक बहुत से स्कूल खोले । अकेले तिनेवली में १०७ स्कूल थे, जिनमें २८८२ विद्यार्थी पढते थे । १८१७ ई० में हग ने ६ स्कूल खोले, जिनमें २८३ विद्यार्थी पढते थे । 'वैसलियन मिशन' ने भी १८१६ ई० में मद्रास में कुछ स्कूल खोले । इसके अतिरिक्त कुम्भकोणम, चित्तूर, सेलम, कोयम्बटूर, विशाखपट्टणम, कडपा तथा बिल्लारी इत्यादि अन्य स्थान मद्रास प्रान्त में और थे जहाँ मिशनरियों ने अपने स्कूल स्थापित किये । डफ (१८३० ई०) तथा जान विल्सन (१८२६ ई०) ने भी मद्रास में अपने शिक्षा-केन्द्र स्थापित करके ईसाई धर्म का प्रचार किया ।

इनके अतिरिक्त अजमेर भी एक प्रमुख केन्द्र था जहाँ ईसाइयों ने 'लकास्ट्रियन प्रणाली' पर स्कूल खोले । सन् १८२३ ई० में वहाँ चार स्कूल थे जिनमें १०० विद्यार्थी थे । चार वर्ष उपरान्त चारों स्कूल मिलाकर एक स्कूल बना दिया गया । इसी प्रकार 'चर्च मिशनरी सोसाइटी' ने बदवान, आगरा, मेरठ, बनारस, आजमगढ़ तथा जौनपुर में भी अपने प्रचार-केन्द्र स्थापित करके वहाँ स्कूलों की व्यवस्था की । बम्बई प्रान्त में नासिक भी एक केन्द्र था ।


इस प्रकार धम-प्रचार के लिये मिशनरियों ने शिक्षा को साधन बनाया । उन्होंने पाठ्य-पुस्तकें छापी, स्कूलों में घण्टे नियत कर दिये । इतवार छुट्टी का दिन था । इससे पूर्व प्रत्येक स्कूल में देशी शिक्षा-पद्धति के अनुसार सम्पूर्ण विषयों तथा कक्षाओं के लिये एक ही शिक्षक रहता था । किन्तु इन्होंने आधुनिक ढंग पर एक से अधिक शिक्षकों के रखने की व्यवस्था की । इस प्रकार इस काल में एक नये शिक्षा-संकेत को स्वरूप दिया गया, जिसका श्रेय अविकाश में मिशनरियों को है

२—गैर-मिशनरी प्रयास (१८१३-३३)

बंगाल—बंगाल में सरकारी तथा मिशनरी प्रयत्नों के साथ ही साथ जनता का व्यक्तिगत प्रयत्न भी शिक्षा-प्रसार में लगा हुआ था । ब्रह्मसमाज के प्रवर्तक राजा

राममोहनराय, तथा डेविड हेयर, राधाकान्त देव और सर एडवर्ड हाट्ट ईस्ट इत्यादि महानुभावों के नाम इस क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। राजा राममोहनराय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पाश्चात्य सभ्यता, ज्ञान तथा विज्ञानों की सराहना की। इन विज्ञानों के द्वारा वे भारत में भी सांस्कृतिक जागरण लाना चाहते थे। यद्यपि वे संस्कृत तथा बंगाली के भी ज्ञाता थे, किन्तु प्राच्य भाषाएँ तथा प्राच्य भाषाओं को वे देश के लिये वर्तमान परिस्थितियों में अधिक हितकर नहीं समझते थे। राजा राममोहनराय उन प्रथम भारतीयों में से थे जो कि प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञान व संस्कृतियों का समन्वय व सामंजस्य चाहते थे। यद्यपि उन्हें विश्वास था कि भारतीय संस्कृति की अपनी मौलिक विशेषताएँ हैं, तथापि उन्होंने यह भी अनुभव कर लिया था कि इस समय भारतीय ज्ञान-विज्ञानों तथा संस्कृत भाषा के अध्ययन से देश का कल्याण नहीं हो सकेगा। उन्होंने प्राच्य संस्कृति की निन्दा नहीं की और न उसके उन्मूलन की ही इच्छा प्रकट की। उन्होंने तो प्राच्य व पाश्चात्य संस्कृति के सामंजस्य के लिये ही प्रयास किये; और साथ ही भारतवासियों में व्याप्त अज्ञान, अन्ध-विश्वासों तथा प्रतिक्रियावादी परम्पराओं को तोड़ कर उन्हें पश्चिम के वैज्ञानिक व यथार्थवादी संसार के सम्पर्क में लाने के यत्न किये।

डेविड हेयर एक धनी घड़ीसाज था। कलकत्ता के निकट वह एक प्राइमरी स्कूल भी चला रहा था। अपने अनुभव के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि अधिकतर भारतीय बालकों में अंग्रेजी पढ़ने की माँग है। सर एडवर्ड हाट्ट ईस्ट बंगाल के चीफ जस्टिस तथा राजा राममोहनराय के मित्र थे। १७ मार्च, १८१६ ई० को इन लोगों ने एक सभा की जिसमें एक अंग्रेजी स्कूल खोलने की योजना पर विचार किया, जिसका उद्देश्य 'हिन्दुओं के पुत्रों को यारूपीय तथा एशियाई भाषाओं तथा विज्ञानों की शिक्षा देना' था। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये तत्काल ही ५०,०००) रु० चन्दा कर लिया गया। इस प्रकार २० जनवरी, १८१७ ई० को महाविद्यालय (हिन्दू कालेज) की नींव पड़ी। सन् १८२४ ई० में जाकर इसे सरकारी सहायता भी मिलने लगी। इसमें अंग्रेजी, नीति-शास्त्र, व्याकरण, हिन्दुस्तानी, बंगला, गणित, इतिहास, भूगोल तथा ज्योतिष पढ़ाये जाते थे। कुछ ही दिनों में हिन्दू कालेज ने आशातीत उन्नति कर ली। १८२६ ई० में इस कालेज में १६६ विद्यार्थी, १८२७ ई० में ३७२ तथा १८२८ ई० में ४३७ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इसमें संस्कृत तथा फारसी भाषा का बहिष्कार कर दिया गया। यह वास्तव में एक मूलभूत भूल थी, क्योंकि ऐसा करने से पाश्चात्य और प्राच्य सभ्यताओं के सम्मिश्रण का सुअवसर जाता रहा।



नालन्दा में महात्मा बुद्ध की एक धात्विक मूर्ति

हिन्दू कालेज के अतिरिक्त अन्य प्रयत्न भी किये गये। १८१७ ई० में 'कलकत्ता स्कूल-पुस्तक समाज' स्थापित किया गया जिसने बिना मूल्य या नाममात्र मूल्य पर पुस्तकें छापीं। १८२१ ई० तक लगभग १ लाख २६ हजार पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। सरकार ने भी (७,०००) रु० का दान इस समाज को दिया। १८१६ ई० में 'कलकत्ता विद्यालय समाज' की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य बंगाल प्रान्त में अंग्रेजी तथा बंगला के स्कूल स्थापित करना था। सन् १८२१ ई० तक इस समाज ने ११५ स्कूल खोले जिनमें ३८२८ विद्यार्थी थे। १८२३ ई० में सरकार ने इन स्कूलों की सहायता के लिये (६०००) रु० वार्षिक की स्वीकृति दी। इस प्रकार ये दोनों समाज मिल कर १८३३ ई० तक सराहनीय कार्य करते रहे। *600*

बम्बई—बम्बई प्रान्त में इस काल में शिक्षा-विकास का श्रेय अधिकांश में वैयक्तिक प्रयत्नों को ही है। १८१५ ई० में इंग्लैंड के चर्च के मदस्यों ने बम्बई राज्य के अन्तर्गत निर्धनों की शिक्षा की उन्नति के लिये एक समाज की स्थापना की जिसका प्रधान उद्देश्य योरोपीय सैनिकों के बच्चों को शिक्षित करना था। इस समाज ने बहुत से स्कूल सूरत, थाना तथा बम्बई में खोले। धर्म के उपदेशों का श्रवण वैकल्पिक होने के कारण बहुत से हिन्दू, पारसी तथा मुसलमान बालक भी इन स्कूलों में जाते लगे। आगे चलकर यह समाज 'बम्बई शिक्षा समाज' के नाम से काय करने लगा। सन् १८२० ई० तक इसने चार स्कूल भारतीय बालकों के लिए खोल दिये जिनमें २५० विद्यार्थी थे। सन् १८२० ई० में ऐलफिन्स्टन के प्रयत्नों से इस समाज के अन्तर्गत एक समिति स्थापित हुई जिसका नाम 'भारतीय शिक्षालय तथा पाठ्य-पुस्तक समिति' था। इस समिति के दो उद्देश्य थे—(१) भारतीय बालकों के लिये प्रचलित स्कूलों का सुधार तथा नये स्कूल खोलना, और (२) स्कूल में पढ़ने वाले भारतीय बालकों के लिए पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना। बम्बई शिक्षा समाज इस प्रकार शिक्षा की उन्नति कर रहा था। सन् १८२७ ई० में जाकर उसने 'बम्बई भारतीय शिक्षालय-पुस्तक तथा शिक्षालय समाज'† की स्थापना की जो कि १८२७ ई० में 'बम्बई भारतीय शिक्षा समाज'‡ के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस समाज ने भारतीय बालकों की शिक्षा की पर्याप्त उन्नति की। अपनी स्थापना के उपरान्त ही इस समाज ने तत्कालीन शिक्षा-अवस्था की जाच पडताल कराई जिसके अनुसार इसने मालूम किया कि उचित पुस्तकों तथा शिक्षकों का अभाव, गलत शिक्षण-विधि तथा धन का अभाव इत्यादि प्रमुख कठिनाइयाँ थी जो कि प्रान्त की शिक्षा-उन्नति में बाधक थीं। फलतः देवी भापात्रा में अच्छी पाठ्य-पुस्तकों के छपने की व्यवस्था की गई।

† Bombay Native Book and School Society

‡ Bombay Native Education Society

शिक्षकों की दीक्षा के लिये ६ शिक्षक मराठी, गुजराती, कन्नड़ तथा उर्दू में दीक्षित किये गये। कुछ अंग्रेजी स्कूलों के खोलने की भी समिति ने सिफारिश की। 'बम्बई शिक्षा समाज' ने समिति की इन सिफारिशों को मान लिया तथा सरकार से स्कूल खोलने के लिये सहायता की मांग की। एल्फिन्स्टन ने अपना एक विवरण-पत्र भी प्रस्तुत किया जिसके फलस्वरूप समाज को ६००) २० मासिक की सहायता सरकार से प्राप्त हुई। इस सहायता के उपरान्त इसने बड़ी उन्नति की। १८२६ ई० में समाज ने २४ दीक्षित अध्यापकों को अपने वर्नाक्यूलर स्कूलों में से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में भेजा। लगभग २ लाख रुपये व्यय करके 'बम्बई शिक्षा समाज' ने लगभग ५० हजार पुस्तकें भी छापीं। अन्त में समाज ने कुछ अंग्रेजी स्कूल भी खोले तथा बम्बई में चिकित्सा तथा इंजीनियरी की कक्षाएँ भी प्रारम्भ की।

मद्रास—इस प्रान्त में शिक्षा को गैर-मिशनरी प्रोत्साहन बहुत कम मिला। मैसूर का राजा बंगलौर के अंग्रेजी स्कूल के लिये ३५०) २० वार्षिक सहायता देता था। 'मद्रास शिक्षालय समाज' को सरकार की ओर से ६,०००) २० वार्षिक सहायता मिलती थी। पञ्चयन्पा ने, जो कि एक धनवान हिन्दू था, अपनी मृत्यु के उपरान्त ४ लाख रुपया दान के लिये छोड़ा था, किन्तु इस धन का उपयोग १८४२ ई० में जाकर ही हो सका और गरीब विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी, तामिल तथा तैलगु के स्कूल खुल सके। बाद में इस धन-राशि में से कुछ छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की गईं।

संयुक्त प्रान्त—इसके अतिरिक्त संयुक्त प्रान्त और दिल्ली में भी व्यक्तिगत दानियों ने शिक्षा के हेतु को आगे बढ़ाया। सन् १८१८ ई० में बनारस में श्री जयनारायण घोषाल ने जयनारायण स्कूल के लिये २० हजार रुपये दान दिये। यह अंग्रेजी स्कूल था जिसमें फारसी, बंगला तथा हिन्दुस्तानी भी पढ़ाई जाती थी। सरकार की ओर से भी इस स्कूल को ३ हजार २० का वार्षिक अनुदान प्राप्त हुआ। सन् १८२५ ई० में जयनारायण घोषाल के सुपुत्र ने २० हजार रुपये और दान देकर इस स्कूल को सहयोग दिया। सन् १८२४ ई० में आगरा के संस्कृत कॉलेज को आगरा कॉलेज के नाम से संगठित किया गया। इसका श्रेय श्री गंगाधर शास्त्री को है। उन्होंने अपनी १॥ लाख की सम्पत्ति, जिसकी वार्षिक आय २० हजार रुपया है, कॉलेज को दान देदी। आगरा कॉलेज उत्तरी भारत की सबसे पुरानी शिक्षा-संस्थाओं में से है, तथा सर तेजबहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू जैसे उच्च कोटि के विद्वान व नेता उत्पन्न करने का श्रेय इसे उपलब्ध है। दिल्ली में प्रारम्भिक शिक्षा का प्रोत्साहन व्यक्तिगत रूप से किया गया। इनमें श्री डब्ल्यू फ्रंजर के प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय हैं। सन् १८२६ ई० में नवाब इस्लामउद्दौला ने दिल्ली कॉलेज के लिये १ लाख ७० हजार २० का दान देकर उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन दिया।

प्राश्चात्य शिक्षा-प्रणाली की प्रगति

बंगाल, मद्रास तथा बम्बई प्रान्तों में शिक्षा ने १८२३ ई० के उपरान्त अच्छी प्रगति की। बंगाल में हिन्दू कालेज अंग्रेजी के लिए आन्दोलन कर रहा था। परिणामतः देश में बहुत अंग्रेजी स्कूल खुले। डा० डफ के द्वारा चलाया हुआ पाश्चात्य शिक्षा व सभ्यता प्रचार-आन्दोलन भी अपना प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। अंग्रेजी का राजनैतिक व आर्थिक महत्व बढ़ता ही जा रहा था। फलतः उच्च व मध्य वर्गों द्वारा इसकी मांग बढ़ी। प्राचीन ऋद्धिया व परम्पराएँ टूटने लगी और लोगों के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। अंग्रेजी पढे हुए भारतीय अपनी प्राचीन सभ्यता में घृणा करने लगे और अपने ही देश में स्वयं को एक विचित्र जीव समझने लगे। 'उन्होंने हिन्दू-धर्म का पूरातः परित्याग कर दिया।' ये लोग अधिकांश में हिन्दू कालेज के विद्यार्थी थे। उधर छापेखाने ने भी शिक्षा-क्षेत्र में क्रांति कर दी। प्राचीन अलभ्य ग्रन्थ अब जन-साधारण के लिए सुलभ हो गये। एक विशाल स्तर पर पाश्चात्य-साहित्य का सृजन हुआ जिसने दीर्घकाल से चली आने वाली जीवन की शुष्कता का नष्ट करके जीवन को एक नवीन समीरण के भूकोरो से हरा भरा करके स्फुरित कर दिया। इसके अतिरिक्त एक दल सुधारकों तथा दूसरा ऋद्धिवादियों का भी था। सुधारकों ने पाश्चात्य तथा प्राच्य-शिक्षा के मध्यम मार्ग को अपनाया।

बंगाल की भाँति बम्बई तथा मद्रास में भी शिक्षा ने १८२३ ई० के उपरान्त प्रगति की। बम्बई में ऐलफिन्स्टन जम योग्य तथा सात्त्विक परोपकारी शासकों के संरक्षण में देशी भाषा व ज्ञान और अंग्रेजी तथा पाश्चात्य विज्ञानों, दोनों की ही आशाजनक उन्नति हुई। बम्बई निवासियों ने ऐलफिन्स्टन की स्मृति अमर करने के लिए दो लाख रुपया इकट्ठा करके उसके नाम से एक स्कूल की स्थापना की। कम्पनी के सचालकों ने भी दो लाख रुपया दान दिया और १८३४ ई० में ऐलफिन्स्टन इस्टीब्यूट की स्थापना की गई। मद्रास में भी अंग्रेजी का प्रचार दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा था। उधर 'लोक शिक्षा-समिति' भी अपनी शिक्षा-योजनाओं को कार्यान्वित कर रही थी। कम्पनी के सचालक भी अब राजनैतिक उद्देश्यों से प्रभावित होकर शिक्षा का उद्देश्य 'राजकार्यों के लिये योग्य व्यक्ति उत्पन्न करना' बताने लगे। फलतः अंग्रेजी का प्रचार और भी अधिक बढ़ा। विलियम बैटिक के गवर्नर जनरल नियुक्त हो जाने पर भारत की शिक्षा-नीति जा अब तक अनिश्चित व अस्थिर थी, स्थिर होने लगी। अपने २६ जून, १८२९ ई० के पत्र में, जो उसने 'लोक शिक्षा समिति' के नाम लिखा था, स्पष्ट कर दिया कि उसका विचार अंग्रेजी को क्रमशः तथा अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण देश में व्यावहारिक राजभाषा बनाने का है। ऐसा ही हुआ जिसका वर्णन हम आगे के अध्याय में देखेंगे।

१९३३ का आज्ञा-पत्र

बीस वर्ष के उपरान्त कम्पनी ने १८३३ ई० में अपना आज्ञा-पत्र जारी किया। इसके अनुसार भारत में सभी देशों की मिशनरियों को अपने कार्य चलावने की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। दूसरे, इस आज्ञा-पत्र ने यह सिद्धान्त भी घोषित कर दिया कि "कोई भी भारतवासी तथा सम्राट् का कोई भी स्वाभाविक प्रजाजन अपने धर्म, जन्म-स्थान, वंश तथा वर्ग के आधार पर किसी भी स्थान तथा पद को प्राप्त करने से रोका न जाय।" इससे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार सभी वर्गों में अबाध गति से बढ़ने लगा। इस पत्र के द्वारा बंगाल के गवर्नर का अधिकार अन्य प्रान्तों की सरकारों पर भी कर दिया गया, जिसके द्वारा उसे अपनी नीतियों को लागू करने का अधिकार भारत के अन्य भागों पर भी मिल गया। शिक्षा-अनुदान १०,००० पाँड से बढ़ाकर १ लाख पाँड कर दिया गया जिससे शिक्षा के विकास की आशा बँध गई। अन्त में इस आज्ञा-पत्र के द्वारा गवर्नर-जनरल की काउन्सिल में एक चौथा सदस्य (कानून सदस्य) भी बढ़ा दिया गया। इस पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई, जिसने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया।

असम्भव है। मैकाले पर भारत में शिक्षित लोगों का एक ऐसा वग उत्पन्न करने का पूरा उत्तरदायित्व है जो कि पाश्चात्य शिक्षा में पल कर अपने देश की जनता से बिल्कुल अलग हो गया, और जिसने अंग्रेजों के साथ मिल कर भारतीय जनता का सदा आपण किया। उसका भारतवासियों को अंग्रेज बनाने का स्वप्न भी अधूरा रह गया। सम्भवतः वह इतिहास के इस महान् सत्य के विषय में पूरा अनभिज्ञ था कि इसी प्रकार भारत में अनेक जातियाँ आईं और उनकी क्षीण धारा यहाँ की सभ्यता के महासागर में भवा के लिये बिलीन होकर रह गई। उसके हौसले तो यहाँ तक थे कि भारत की धार्मिक एकता नष्ट होकर खण्डित हो जाय। उसने १८३६ ई० में एक पत्र में अपने पिता को लिखा था—

‘हमारे अंग्रेजी स्कूल आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूलों में सभी विद्यार्थियों को स्थान देना कठिन है। हिन्दुओं पर इस शिक्षा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई भी हिन्दू ऐसा नहीं है जिसने अंग्रेजी पढ़कर अपने धर्म से मञ्चा लगाव रखा हो। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो ३० वर्ष के भीतर बंगाल के भले घराना में एक भी मूर्ति-पूजक शेष नहीं रह जायगा। यह सब कुछ बिना धर्म-प्रचार के किंचित् भी धार्मिक हस्तक्षेप के बिना केवल स्वाभाविक तौर से ज्ञान और विचारों के प्रचार से हो जायगा। मैं इसकी सम्भावना से प्रसन्न हूँ।’

इस प्रकार धार्मिक तटस्थता का दम्भ करने वाला यह अंग्रेजी अधिकारी अपने आन्तरिक जीवन में एक धर्म के विरुद्ध कल्पित व लज्जाजनक प्रचार कर रहा था।

इतना सब होते हुए भी मैकाले ने भारत का कुछ अंशों में हित ही किया। उसने भारत में पाश्चात्य विचारों तथा विज्ञानों के फैलने में सहायता की। जिन कारणों से भारत में राजनैतिक जागृति, वैज्ञानिक चेतना तथा आर्थिक विचारधाराएँ प्रस्फुटित हुईं उनमें अंग्रेजी भाषा के प्रचार तथा मैकाले को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। भारतवासियों ने अंग्रेजी पढ़ी और उससे प्रेरणा लेकर सघर्ष किया और उसमें सफलता मिली। किन्तु एक बात समझ में नहीं आती कि जब बाइबिल जैसी दुरुह पुस्तक का अनुवाद भारत की प्रायः सभी भाषाओं में हो सकता था तो फिर क्या यह आवश्यक था कि सरकार के द्वारा उनके विकास-कार्य को सच्चे रूप से अग्रने हाथ में लेने पर भी उनमें अच्छे साहित्य का सृजन नहीं हो पाता? क्या ऐसी स्थिति में भी उनका ‘गंवारूपन’ स्थिर रहता? वास्तव में देशी भाषाओं के प्रश्न को तो टाल ही दिया गया था। सघर्ष तो केवल एक ओर संस्कृत, अरबी

और फारसी भाषाओं तथा दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा में था। इसमें अंग्रेजी की विजय हुई और देशी भाषाओं के विकास के प्रश्न का कम से कम उम्र समय तो टाल ही दिया गया।

मैकॉले नहीं जानता था कि उसके विवरण-पत्र का इतना महत्त्व बढ़ जायगा। किन्तु इतना अवश्य है कि कुछ अशासनीय परिणामों के अनिर्दिष्ट उम्र के कुछ मकल्प वास्तव में सचार्डपूरा भी थे।

लॉर्ड आकलैंड की शिक्षा नीति

लॉर्ड विलियम बटिक के उपरान्त लॉर्ड आकलैंड भारत का गवर्नर जनरल हुआ। बटिक के चले जाने पर प्राच्य शिक्षा के समर्थकों ने पुनः कुछ आशाएँ उठाईं, किन्तु आकलैंड ने अपनी बुद्धिमानी में उन्हें सन्तुष्ट कर दिया। उसी समय ऐडम हौगसन तथा विल्किन्सन इत्यादि शिक्षा-शास्त्रियों ने देशी भाषाओं के माध्यम का प्रश्न उठाया। वे लोग अंग्रेजी को पूरा देश में शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इससे जनता तक शिक्षा पहुँचाना सम्भव नहीं था।

इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए आकलैंड ने २४ नवम्बर, १८२६ ई० का अपना विवरण-पत्र जारी किया। प्राच्य और आर्य विवाद का अच्छी प्रकार जाँचने के उपरान्त वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यदि कुछ रूपों में प्राच्यवादियों को व्यय करने के लिए अधिक दे दिया जाय तो वे शांत हो जायेंगे और उसने सस्कृत और अरबी के शिक्षालयों की आर्थिक सहायता का पूर्ववत् कर दिया और आदेश कर दिया कि यह रूपों में पहिले सस्कृत और अरबी के लिये व्यय किया जाय, बाद में, यदि बचे तो, अंग्रेजी के लिये। उसने छात्रवृत्तियाँ भी पूर्ववत् रखी तथा आवश्यक प्राच्य पुस्तकों के भी छपने की आज्ञा कर दी। इस योजना में ३१,०००) ₹० वार्षिक का खर्च था, जिसे देकर उसने एक भगडा समाप्त कर दिया।

आकलैंड भी शिक्षा छत्राई के सिद्धान्त का मानने वाला था। उसने इस सिद्धान्त को सरकारी नीति घोषित कर दिया। यह नीति १८७० ई० तक चलती रही। दूसरी माँग अंग्रेजी के समर्थकों की थी। उसको भी आकलैंड ने पूरा किया। उसने एक लाख से भी अधिक रूपों अंग्रेजी शिक्षा के लिये स्वीकृत कर दिया और अंग्रेजी भाषा के द्वारा योरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञानों के प्रचार की व्यवस्था कर दी। उसने यह भी कहा कि सरकार के प्रयत्न केवल उच्च वर्ग के लोगों को सर्वोत्तम शिक्षा देने के ही होने चाहिये। इसी जाश में आकर उसने जन साधारण में शिक्षा-प्रसार के लिये ऐडम के सुझाव यह कह कर रद्द कर दिये कि अभी इनके लिये उपयुक्त समय नहीं आया है। इसका वगण हम आगे करेंगे। उसने अंग्रेजी

प्राच्य-पश्चात्य शिक्षा विवाद]

कालेज खोलन की याजना बनाई और ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, बंगली तथा दिल्ली में कुछ अंग्रेजी कॉलेज खोले ।

शिक्षा-माध्यम के विषय में आंकलैंड का मत था कि अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम रहे । बम्बई में उस समय कुछ कॉलेजों में उच्च शिक्षा भी देशी भाषाओं में दी जा रही थी और उचित सरक्षण मिलने पर प्रत्येक प्रांत में उनका विकास हो सकता था । इस प्रकार उच्च शिक्षा जनता तक पहुंच सकती थी, किन्तु दुर्भाग्यवश यह प्रयत्न टाल दिया गया । आंकलैंड ने कह दिया कि इस समय तो समस्त 'बंगाल में' अंग्रेजी तथा बम्बई में देशी भाषाओं के परीक्षण चल रहे हैं, उनकी और अधिक परीक्षा जाननी चाहिये । खद है कि वह भारत के लिए देशी भाषाओं का महत्त्व नहीं समझ सका । वास्तव में जनसाधारण में शिक्षा-प्रसार तथा देशी भाषाओं तथा विज्ञानों की उन्नति अंग्रेजों की राजकीय नीतियों से विरुद्ध थी, अतः आंकलैंड ने भी उसी नीति को अक्षुण्ण रखा । इसके अतिरिक्त बंगाल प्रांत का प्रभाव शेष प्रांतों पर हो जाने के कारण उन्हें भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी अपनाने के लिए विवश होना पड़ा । जन-शिक्षा को इसमें बड़ा आघात लगा ।

ऐडम-योजना तथा उसकी अस्वीकृति

हम ऊपर कह चुके हैं कि ऐडम की नियुक्ति बंगाल में देशी शिक्षा की अवस्था की जांच पड़ताल करने के लिए हुई थी और इस सम्बन्ध में उसने तीन प्रतिबन्धन प्रस्तुत किये थे । वह एक सच्चा व्यक्ति था और अन्तरात्मा से भारत में शिक्षा प्रचार द्वारा देश का कल्याण चाहता था । कूटनीतिक हितों से उसकी शिक्षा-नीति मुक्त थी । अतः देश की शिक्षा के विषय में उसने कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव दिये ।

पहली बात तो यह थी कि वह जनशिक्षा में विश्वास करता था, फलतः 'शिक्षा छुनाई के सिद्धान्त' का उसने घोर विरोध किया, जिसके अनुसार केवल उच्च वर्ग को ही शिक्षित करने की सरकारी योजना थी । उसने कहा कि "छोटे बच्चों को केवल वर्णमाला सीखने के लिये उच्च कॉलेजों में नहीं भेजा जा सकता । किसी भवन का ऊपरी भाग ऊँचा तथा दृढ़ बनाने के लिये उसकी नींव चौड़ी तथा गहरी होनी चाहिये ।"

दूसरे, उसने भारत के प्रचलित देशी स्कूलों को अत्यन्त उपयोगी बताया । उसकी धारणा थी कि सरकार को उन्हीं स्कूलों को सरक्षण देना चाहिये । वही स्कूल देश की शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति दीर्घकाल से करते चले आ रहे थे । अतः किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा-योजना को सफल बनाने के लिये देशी स्कूलों की उन्नति करनी चाहिये । ये स्कूल उस नींव के समान थे जिन पर हमें भवन निर्माण

करना था। "अतएव शिक्षा विकास की सभी योजनाएँ जिन्हें सफल व स्थायी बनाना है, इन्हीं देशी स्कूलों पर आधारित होनी चाहिये, जो कि दीघकाल तक चले आ रहे हैं, लोगों के विचारों के अनुरूप हैं तथा उनमें सम्मान व श्रद्धा का संचार करते हैं। इसके लिये ऐडम ने सिफारिश की कि "प्रचलित देशी स्कूल नीचे से लेकर ऊपर तक हर प्रकार की शिक्षा के एकमात्र साधन हैं जिनके द्वारा जनता का चरित्र ऊँचा उठाया जा सकता है। यदि इन स्कूलों को हम उद्देश्य की पूर्ति के लिये काम लाया जायगा तो यही सबसे सादा, सुरक्षित, सबप्रिय मितव्ययी एवं सबसे अधिक प्रभावशाली योजना होगी जिसके द्वारा शिक्षा के विषय में भारतवासियों के मस्तिष्क को जागृत किया जा सकता है जिसकी कि उन्हें आवश्यकता है।"

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऐडम ने एक योजना भी प्रस्तुत की। योजना में सुझाव दिया गया कि इसके अनुसार पहले परीक्षा के लिये केवल कुछ जिले चुन लिये जाय जहाँ शिक्षा की पूर्ण पड़ताल की जाय। फिर शिक्षकों तथा बालकों के लिये देशी भाषाओं में पुस्तकें तैयार कराई जाय और एक जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिया जाय जो कि सम्पूर्ण प्रगति का निरीक्षण करे। इसके उपरान्त शिक्षकों के लिये नामल स्कूल स्थापित कर दिये जाय तथा उनमें अच्छी पुस्तकें वितरित की जाय और उन्हीं के आधार पर बच्चों को पढ़ाने का आदेश दिया जाय। तत्पश्चात् शिक्षकों की परीक्षा भी ली जाय और अन्त में शिक्षकों की आय स्थिर कर दी जाय जिससे कि वे ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने के लिये गाँवों में बस जाय। इसके लिये सरकार कुछ भूमिदान इत्यादि दे।

इस योजना का मैकॉले ने घोर विरोध किया जो कि अपने हृदय में कुछ भेद तथा मस्तिष्क में एक भिन्न योजना छिपाये बैठा था। उसने इस पर बड़ी बुरी रिपोर्ट दी, परिणामतः जब यह लॉर्ड आँक्लड के समक्ष रखी गई तो उसने इसे रद्द कर दिया। समिति ने इस योजना को अव्यावहारिक समझा। ऐडम को सरकार के इस रवैये से इतना खद हुआ कि उसने तत्काल ही त्याग-पत्र दे दिया। इस प्रकार जन-शिक्षा के विकास का एक और अवसर जाता रहा।

शिक्षा छनाई का सिद्धान्त*

वास्तव में १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही अंग्रेज शासकान अनुभव कर लिया था कि भारत में केवल उच्च वर्ग को ही अपनाया जाय और जन-समूह को अंधकार में रखा जाय। अतः उन्होंने अपनी शिक्षा-नीति को भी इसी प्रकार रखा।

† *Adam's Report*, pp 357-58

‡ *Ibid.*, pp. 349-50

* *The Filtration Theory of Education*

१८३७ ई० तक समिति के अन्तगत ४८ स्कूल हो गये जिनमे ५,१६६ विद्यार्थी पढते थे। ऑकलैंड ने सारे प्रान्त को ९ भागो मे विभक्त कर दिया तथा प्रत्येक जिले मे 'जिला स्कूल' स्थापित कर दिये। १८४० ई० मे बंगाल मे ऐसे ४० स्कूल थे। इनमे हुगली कॉलेज बहुत प्रसिद्ध था जो कि हाजी मुहम्मद मुहसिन के दान के द्वारा बनवाया गया था। इस प्रकार शिक्षा का विकास होता जा रहा था, यहाँ तक कि स्थिति ऐसी आ गई जब कि संस्कृत-अरबी के स्कूलो मे छात्रवृत्ति देने पर भी बालक नही जाते थे, अंग्रेजी स्कूलो मे फीस देने पर भी जगह नही मिलती थी।

१८४१ ई० मे 'लोक शिक्षा समिति' भग कर दी गई जो कि लगभग २० वर्ष से इस क्षेत्र मे कार्य कर रही थी। अत १८४२ ई० मे इसके स्थान पर 'शिक्षा परिषद्' की स्थापना की गई, इसी प्रकार, की परिषदे बम्बई और मद्रास मे भी बनी।

१८४४ ई० मे लॉर्ड हार्डिञ्ज ने एक घोषणा की जिसका प्रभाव शिक्षा पर ऐसा पड़ा कि वह आज तक यथावत् बना हुआ है। उसने कहा कि "सरकारी नोकरीयो के लिये ऐसे लोगो को प्रथमता दी जायगी जिन्होंने इस प्रकार स्थापित अंग्रेजी स्कूलो मे शिक्षा पाई हो।" उसने दफ्तरो मे छोटे-छोटे पदो के लिये भी इसी प्रकार के आदेश कर दिये। इस प्रकार के आदेशो का प्रभाव यह पडा कि सार भारतवप मे शिक्षा का उद्देश्य सरकारी पदो की प्राप्ति करना हो गया। उच्च पदो की सख्या इतनी नही थी जहाँ सभी शिक्षित भारतीयो की खपत हो सके। परिणामत बहुत से लाग दफ्तरो मे लूक या बाब बनने पर विवश हुए। इस प्रकार योग्य व्यक्तियो का उद्योग-धन्धो व कृषि के उद्यमो मे अभाव रहने लगा। यह बुराई आज भी यथावत् बनी हुई है।

इसी दौरान मे मिशनरियो ने भी अपने प्रयत्न जारी रखे। १८५३ ई० मे सम्पूर्ण बंगाल मे इनके २२ अंग्रेजी स्कूल हो गये। कुछ व्यक्तिगत स्कूल भी खुने क्योंकि शिक्षा की माँग बढ रही थी और सरकारी अंग्रेजी स्कूल उसके निम्न पर्याप्त नही होते थे। किन्तु इन स्कूलो को कोई सहायता नही दी गई।

सन् १८४५ ई० मे 'शिक्षा परिषद्' ने कलकत्ता मे एक विश्वावद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी रक्खा, किन्तु डाइरेक्टरो ने उसे 'असामयिक' कह कर टाल दिया।

प्राथमिक शिक्षा का पतन हो रहा था, तथापि लॉर्ड हार्डिञ्ज ने इस ओर ध्यान दिया और १८४४ ई० मे १०१ स्कूल प्राथमिक शिक्षा के लिये खुवाये। प्रत्येक स्कूल मे लिखना, पढना, गणित, भूगोल, बँगला तथा भारत का इतिहास

पढाने के लिये एक-एक शिक्षक नियुक्त कर दिया गया। शिक्षको के लिये १८४७ ई० में एक नामल-स्कूल भी खोल दिया गया। प्राथमिक स्कूलों में एक आना प्रति माह फीस भी लगा दी। किन्तु ये स्कूल अधिक दिनो तक न चले। १८५२ ई० में केवल २६ स्कूल बच रहे। लॉड डलहौजी ने भी प्राथमिक शिक्षा के लिये कुछ प्रयत्न किये। उसने ऐंडम योजना में कुप्र परिवर्तन करके आगरा प्रान्त में परीक्षण के अनुरूप देशी स्कूलों को प्रोत्साहन देने की चेष्टा की। शिक्षा-अनुदान भी दिये। किन्तु १८५४ ई० तक केवल ३३ सरकारी प्राथमिक स्कूल बन सके जिनमें १४०० बच्चे पढते थे।

डलहौजी शिक्षा में रुचि लेता था। उसने १८४८ ई० में हिन्दू कालेज कलकत्ता में इजीनियरी की कक्षा खोली। उसने स्त्री-शिक्षा के लिये भी प्रयास किया। १८२१ ई० में जब से श्रीमती विल्सन ने लडकियों के लिये एक स्कूल खोला था तब से इस दिशा में कोई काय नहीं हुआ। १८४९ ई० में श्री ड्रिकवाटर बैथ्यून ने स्त्री शिक्षा में रुचि दिखाई और कलकत्ता में एक स्कूल खोला।

उसी समय रामन-यत्र में एक परिवर्तन हुआ। १८६३ ई० में शिक्षा-संस्थाएँ एक नए बने हुए प्रान्त (उत्तर-पश्चिम प्रान्त), जो कि वतमान उत्तर-प्रदेश है, को हस्तांतरित कर दी गईं। इसी समय 'शिक्षा परिषद्' ने भी बहुत उन्नति की। १८६३ ई० में इसने पाठ्य-पुस्तकों में सुधार किया तथा योग्य शिक्षक उत्पन्न किये। १८४८ ई० में स्कूल तथा कालेजों के लिये शिक्षा-निरीक्षक नियुक्त किये गये। १८५९ ई० में इसने प्राथमिक शिक्षा को भी अपने हाथ में लिया और १८६३ से १८५२ ई० तक इनकी संख्या २८ से १५१, तथा विद्यार्थियों की संख्या ४,६३२ से १३,१६७ कर दी। १८५४ ई० में इसके अन्तर्गत ५ अंग्रेजी कालेज, एक मेडिकल कालेज, ३ प्राच्य कालेज तथा ४७ अंग्रेजी स्कूल थे। १८५४ ई० में इन सब का व्यय ५ लाख, ९४ हजार, ५०० रु० था।

यहाँ शिक्षा के माध्यम के विषय में भी दो शब्द कहना वाञ्छनीय है। बम्बई में तो यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद हो गया था। बङ्गाल में भी यह प्रश्न उठा। श्री के० एम० बैनर्जी तथा डा० बैलेन्टाइन जैसे विद्वानों ने मातृभाषा के लिये सिफारिश की, किन्तु अंग्रेज शासकों के सम्मुख किसी की भी न चली और इस प्रकार मातृभाषा का बहिष्कार कर अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम रक्खा गया।

यम्पई—बम्बई में 'भारतीय शिक्षा समाज'† ने अच्छा काम किया था। किन्तु १८४० ई० में इसे भग करके 'शिक्षा बोर्ड' बना दिया गया। 'बम्बई भारतीय शिक्षा समाज' ने १८ वर्ष के अपने जीवन में ४ अंग्रेजी स्कूल तथा ११५ जिला प्राथमिक स्कूल

स्थापित किये थे, जिनमें मातृभाषा के माध्यम के द्वारा लिखना पढ़ना, दशन, बीज-गणित, ज्यामिति तथा त्रिकोणमिति का शिक्षण दिया जाता था। वास्तव में यह पाठ्यक्रम आधुनिक माध्यमिक स्कूलों के समान था, किन्तु बम्बई में इनका उद्देश्य मातृभाषा के द्वारा पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था।

इनके अतिरिक्त सरकार पूना संस्कृत कालेज, एल्फिन्स्टन इस्टीब्यूट तथा पुरन्दर ताल्लुका में ६३ प्राइमरी स्कूल भी चला रही थी। ये पुरन्दर स्कूल इम ताल्लुका के महायक कलक्टर श्री शॉटरीड ने देशी पाठशालाओं के आधारे पर स्थापित किये थे, जहाँ लिखना-पढ़ना और हिसाब की प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। इनके शिक्षक सरकारी कमचारी समझे जाते थे। रुपये के अभाव में समाज का कार्य मद गति से अवश्य चला, किन्तु १८४० ई० तक कुल मिलाकर यह ११५ प्राथमिक स्कूलों का भी संचालन करता रहा। यद्यपि इसने कुछ अंग्रेजी स्कूलों का भी संचालन किया, तथापि प्रधानतः यहाँ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही रहा, क्योंकि इसके अनुसार जनसमूह तक पाश्चात्य ज्ञान को पहुँचाने के लिये मातृभाषा ही सर्वोत्तम माध्यम था।

शिक्षा-बोर्ड—१८४० ई० में नये शिक्षा बोर्ड ने कायभार सम्भाला और १८५७ ई० तक बड़ी योग्यतापूर्वक उसका सम्पादन किया। इस बोर्ड में सभापति के अतिरिक्त ६ सदस्य और होते थे जिनमें ३ 'बम्बई भारतीय शिक्षा समाज' के प्रतिनिधि तथा ३ सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते थे। इस बोर्ड ने 'शिक्षा समाज' की नीति को ही कायम रखा तथा समाज की सभी शिक्षा-संस्थाओं को अपने अधिकार में कर लिया। १८६० ई० में इसने प्रान्त को ३ भागों में विभक्त करके प्रत्येक को एक यूरोपियन शिक्षा निरीक्षक तथा भारतीय उप निरीक्षक के अधिकार में कर दिया। इसने कुछ नये नियम भी बनाये जो कि १ जून, १८४३ ई० में लागू कर दिये गये। बोर्ड ने १८६० ई० में प्रान्त में स्कूलों की गणना भी कराई तथा ऐडम-योजना का प्रयोग करना चाहा, किन्तु यह योजना कार्यान्वित न की जा सकी, क्योंकि पाश्चात्य ज्ञान पिपासा लोगों में दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही थी। अतः बोर्ड ने देशी स्कूलों की अवहेलना की और उन्हें बन्द करने का दुभाग्यपूर्ण निर्णय किया।

शिक्षा का माध्यम— शिक्षा के माध्यम की ओर से बम्बई प्रान्त ने एक साहसपूर्ण नीति को अपनाया। जबकि बङ्गाल में प्राच्य और पाश्चात्य भाषाओं का संघर्ष चल रहा था, बम्बई ने स्थानीय भाषा को शिक्षण का माध्यम रखा। अंग्रेजी तथा संस्कृत को भी उचित स्थान दिया गया। वास्तव में बम्बई में मातृभाषा तो शिक्षा का माध्यम थी और उसमें उच्च ज्ञान भी दिया जाना था, किन्तु संस्कृत 'क्लामिकल' भाषा के रूप में तथा अंग्रेजी आधुनिक भाषा के रूप में पढाई जाती थी।

पाश्चात्य ज्ञान को पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया था। इसके अतिरिक्त बम्बई ने 'शिक्षा छनाई के मिद्धान्त' की अवहेलना करके जनसमूहों में शिक्षा का प्रसार किया।

किन्तु १८४३ ई० में सर पैरी के शिक्षा-बोर्ड का सभापति नियुक्त हो जाने की अशुभ घटना ने इस प्रान्त में भी शिक्षा-जगत में एक गन्दी राजनीति का सूत्रपात कर दिया। सर पैरी उच्च वर्ग को शिक्षा देने का पक्का हिमायती था और मैकॉले तथा आर्कलैंड से प्रेरणा लेता था। उसने आँख मीच कर अंग्रेजी भाषा का पक्ष लिया। उसने कहा कि देगी भाषाओं में अंग्रेजी ग्रन्थों का अनुवाद व्यर्थ तथा खर्चीला होता है। जनता में अंग्रेजी की माँग है और हमारी सरकारी नीति भी अंग्रेजी का प्रचार करना है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी ही बम्बई में शिक्षा-माध्यम होना चाहिये। इन प्रश्नों को लेकर शिक्षा-बोर्ड में दो दल हो गये। पैरी ने दो यूरोपियनों को साथ में लेकर अंग्रेजी दल बनाया। उधर बम्बई इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल कर्नल जर्बिस ने ३ भारतीयों के साथ मातृ-भाषा दल का निर्माण किया। श्री जर्बिस ने कहा कि

“साधारण शिक्षा का प्रसार उस भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में नहीं किया जा सकता जिससे कि व्यक्ति का मस्तिष्क भली भाँति परिचित है। अतः इसे में अपना महान् कर्तव्य समझना है कि मातृ-भाषा का प्रसार करूँ। यदि लोगों के साहित्य की रक्षा करनी है तो यह उनका स्वयं का साहित्य ही होना चाहिये। साहित्य का विषय अधिकांश में पाश्चात्य भन्ने ही हैं। किन्तु इसका देगी विषय में तादात्म्य हो जाना चाहिये, और उसका स्वरूप एशियाई होना चाहिये।”

यह सद्य १८४८ ई० तक चलता रहा, अन्त में स्थानीय सरकार ने ५ अप्रैल, १८४८ ई० को अपनी आज्ञा जारी कर दी जिसके अनुसार अन्त में जाकर यह निश्चय हुआ कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिये मातृ-भाषा, तथा उच्च कालेज शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा माध्यम रहेगी। केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार अंग्रेजी का इस प्रान्त में भी प्रभुत्व बढने लगा।

इस प्रकार पैरी के समय में बम्बई में देगी शिक्षा की अवहेलना हुई और अंग्रेजी स्कूलों की संख्या दुगुनी हो गई। बड़े-बड़े केन्द्रों में नये अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की गई तथा ग्रहमदाबाद में लटकियों के एक स्कूल को भी सहायता दी गई। १८५१ ई० में पूना संस्कृत कालेज तथा पूना अंग्रेजी स्कूल को मिलाकर 'पूना कालेज' बना दिया गया जो कि आगे चलकर 'डकन कालेज' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें

नामल विभाग भी जोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त १८५२ ई० में जिला स्कूलों को 'ग्रान्ट इन-एड' देने के लिए सरकारी आदेश हुए तथा गाँवों में भी सरकार के स्कूलों को सहायता देकर उच्च शिक्षा के स्कूल खुलवाने का प्रयत्न किया। पैंरी के भारत छोड़ने पर देशी शिक्षा की भी उन्नति हुई। १८५४ ई० में सरकार ने ग्रामीण स्कूलों के अध्यापकों का आधा वेतन देना स्वीकार कर लिया और शेष व्यय गाँव वालों पर डाल दिया। इस प्रकार बम्बई में इस दौरान में सन्तोपजनक प्रगति रही।

मद्रास—१८३३ से १८५३ ई० तक मद्रास की शिक्षा-प्रगति की कहानी अत्यन्त दुःखपूर्ण है। इस दौरान में सरकार की नीति बड़ी अस्थिर रही। व्यक्तिगत प्राथमिक स्कूलों की सहायता बन्द कर दी गई थी और देशी स्कूलों को भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। मुनरो के द्वारा स्थापित जिला तथा तहसीली स्कूलों को १८३६ ई० में बन्द कर दिया गया और उनके स्थान पर मद्रास में अंग्रेजी कालेज तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर अंग्रेजी स्कूल खोल दिये गये। १८४१ ई० में मद्रास में एक हाईस्कूल भी स्थापित कर दिया गया। बंगाल की शिक्षा के लिए लिखे हुए मैकॉले के विवरण-पत्र का प्रभाव यहाँ भी हो गया था। फलतः इस प्रान्त में भी मातृ भाषा स्कूलों का भाग्य सितारा डूब गया। केन्द्रीय सरकार की ओर से मद्रास सरकार को आदेश मिले कि देशी शिक्षा से हटाकर सम्पूर्ण शिक्षा-अनुदान उच्च अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय किया जाय। फलतः अंग्रेजी के माध्यम के द्वारा उच्च पाश्चात्य शिक्षा की उन्नति होने लगी।

मद्रास में एक विश्वविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव हुआ, किन्तु उसके लिये समय अभी उपयुक्त नहीं समझा गया, केवल १८४१ ई० में हाईस्कूल विभाग तथा १८५२ ई० में कालेज विभाग खोल दिया गया। विश्वविद्यालय बोर्ड की अपेक्षा एक शिक्षा परिषद् की स्थापना कर दी गई जो कि १८४७ ई० में जाकर शिक्षा-बोर्ड में बदल दी गई। शिक्षा-बोर्ड को १ लाख रुपये की धन-राशि दे दी गई, जिसमें से दो अंग्रेजी स्कूल—एक १८५३ ई० में कडलूर तथा दूसरा १८५५ ई० में राजमहेन्द्री में स्थापित किये गये। प्राथमिक शिक्षा के लिए भी २० हजार रुपये सुरक्षित कर दिये गये।

व्यक्तिगत प्रयासों में ईसाई मिशनरियों तथा पञ्चयत्ना का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मिशनरियों ने प्रारम्भिक शिक्षा को इस काल में बड़ा प्रोत्साहन दिया। उनके प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र में कहा गया है कि मद्रास में जहाँ सरकार के प्रयत्न सन्तोपजनक नहीं रहे वहाँ ईसाई धर्म-प्रचारकों ने मूल शिक्षा का बहुत प्रचार किया।

उत्तर पश्चिम आगरा प्रान्त—१८४२ ई० में भारत सरकार ने उत्तर-पश्चिम प्रदेश आगरा व अवध की सभी शिक्षा-संस्थाओं का प्रबन्ध बंगाल सरकार से हटाकर प्रांतीय सरकार के अधिकार में कर दिया। उस समय तक यहाँ अंग्रेजी शिक्षा के कुछ स्कूल स्थापित हो चुके थे जिनमें आगरा, दिल्ली तथा बनारस के कालेज प्रमुख थे। प्रारम्भ से ही इस प्रान्त ने एक भिन्न नीति को अपनाया जिसके अनुसार 'शिक्षा छत्राई के सिद्धान्त' को ठुकरा कर मातृ-भाषा में शिक्षा देने का निश्चय हुआ।

सन् १८४३ ई० में श्री जेम्स टॉमसन, जो कि भारत में आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं, यहाँ के गवर्नर नियुक्त हुए। १८४५ ई० में उन्होंने जिलाधीशों के नाम आदेश जारी करके शिक्षा की पडताल कराई और उसके साथ ही ऐडम-योजना के आधार पर जन-समूह की प्राथमिक शिक्षा के लिये एक नवीन योजना बनाई। उन्होंने ज्ञात किया कि प्रान्त में अंग्रेजी तथा मिशनरी स्कूलों को छोड़ कर हर प्रकार के केवल ७ ६६६ स्कूल थे जिनमें प्रान्त के २० लाख लड़कों में से केवल ७०,८२६ लड़के पढते थे, अर्थात् प्रान्त में ३ ७ प्रतिशत साक्षरता थी।

नवम्बर, १८४६ ई० में श्री टॉमसन ने भारत सरकार के समक्ष एक विस्तृत योजना रखी जिसका उद्देश्य वनविधूलर शिक्षा का पुनर्मगठन था। इस योजना के अनुसार २०० घरों वाले प्रत्येक गाँव में एक स्कूल स्थापित करने और अध्यापकों के वेतन के लिए जागीरे लगा देने का प्रस्ताव किया। सचालको ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, अतः श्री टॉमसन को अप्रैल १८४८ ई० में दूसरी योजना प्रस्तुत करनी पड़ी जो कि स्वीकृत कर ली गई। इसके अनुसार देशी स्कूलों का सुधार किया गया और आदर्श तहसीली स्कूल खोलने की योजना बनी। इस स्कूल के लिए (१०) ६० से २०) ६० प्रति माह का एक प्रधान अध्यापक रक्खा गया। पाठ्यक्रम में हिन्दी-उर्दू, लिखना, पढना तथा हिसाब के साथ-साथ इतिहास, भूगोल तथा ज्योमित रक्खे गये। इन स्कूलों के लिये १८५० ई० में ५० हजार रुपये वार्षिक देना स्वीकृत हुआ। १८५३ ई० में इनमें विद्यार्थियों की संख्या ५ हजार थी। ये मिडिल स्कूलों के समान थे। सर्वप्रथम यह योजना ८ जिलों बरेली, शाहजहाँपुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, फर्रुखाबाद तथा इटावा में चलाई गई। इन जिलों के विजिटर जनरल श्री स्टुअर्ट रीड थे, जो मैनपुरी के जिलाधीश थे। इन्होंने आठ-जिलों में पडताल कराई जिनमें ५० कस्बे, १४,५७२ गाँव, ३,१२७ स्कूल थे जिनमें २७,८५३ विद्यार्थी थे। इन स्कूलों में से बीस स्कूलों में अंग्रेजी भी पढाई जाती थी।

प्राच्य-पाश्चात्य शिक्षा-विवाद]

इन स्कूलों के निरीक्षण की भी व्यवस्था की गई। जिसके अनुमार आठ जिलों के लिये एक विजिटर जनरल जिसे (१,०००) रु० मासिक वेतन मिलता था, प्रत्येक जिले के लिये एक जिला विजिटर तथा उसके नीचे परगना विजिटर रक्खे गये। परगना विजिटर को (२०-४०) रु० मासिक मिलते थे। इनका काम देशी स्कूलों का निरीक्षण करना तथा लोगों को 'सलाह, सहायता तथा प्रोत्साहन' देना था।

हल्काबन्दी स्कूल—तहसीली स्कूलों की स्थापना के अतिरिक्त ~~देशी शिक्षा~~ के विकास के लिये एक साधन और सोचा गया जो 'हल्काबन्दी स्कूल' के नाम से विख्यात है। १८५१ ई० में मथुरा के कलक्टर श्री अलैवजैडर ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक परगने को लिया और उसकी मालगुजारी तथा जनसंख्या को लेकर शिक्षा-योग्य बच्चों की संख्या तथा उन पर होने वाले व्यय के आँकड़े निकाल लिये और क्योंकि धन के अभाव में प्रत्येक गाँव में स्कूल खोलना असम्भव था, अतः कुछ गाँवों का एक-एक हल्का या क्षेत्र बना लिया गया और उसके केन्द्र में एक स्कूल स्थापित कर दिया, जिससे प्रत्येक गाँव से यह स्कूल २ या २॥ मील से अधिक दूर न पड़े। ये स्कूल प्रारम्भिक शिक्षा के लिये थे। इन स्कूलों के खर्च के लिये जमींदारों से उनकी मालगुजारी का १ प्रतिशत लिया गया। शीघ्र ही यह योजना सात अन्य पड़ोसी जिलों में फैल गई और १८५४ ई० तक स्कूलों की संख्या ७५८ हो गई जिनमें १७,००० बालक पढ़ते थे। कुछ समय बाद यह योजना बंगाल में भी चालू की गई।

उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इस प्रान्त ने प्रगति की। १८५४ ई० तक आगरा, दिल्ली तथा बनारस के सरकारी कालेजों के विद्यार्थियों की संख्या ६७६ हो गई। १८५२ ई० में सेन्ट-जॉस कालेज, आगरा की नीव पड़ी और उसी वर्ष आगरा में एक नार्मल स्कूल भी खुला। १८५३ ई० में जयनारायण घोषाल स्कूल बनारस-कालेज बना दिया गया। इस प्रकार १८५४ ई० तक आगरा प्रान्त में ४ हजार कुल स्कूल हो गये जिनमें ५३,००० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र ने भी इस योजना को अन्य प्रान्तों में लागू करने तथा योग्य विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति देने की सिफारिश की।

पंजाब—पंजाब प्रान्त नया ही बना हुआ था। इसकी स्थापना १८४६ ई० में हुई थी। अतः यहाँ शिक्षा की अभी कोई प्रगति नहीं हुई थी। यहाँ पहिले से ही हिन्दी, उर्दू, और गुरुमुखी के कुछ देशी स्कूल स्थित थे। उर्दू का प्रचार इस प्रान्त में बहुत था और अधिकांश हिन्दू बालक भी उर्दू पढ़ते थे। सन् १८४६ ई० में अमृतसर में सरकार ने एक अंग्रेजी स्कूल खोला जिसमें हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी और संस्कृत पढ़ाई जाती थी। लाहौर में भी शिक्षा ने प्रगति की। लडकियों में भी

यहाँ शिक्षा का प्रचार था। बाद में आगरा प्रान्त की भौति ४ नार्मल स्कूल, ६० तहसीबी रकून, लाहौर में एक कालेज खोलने तथा १ विजिटर जनरल नियुक्त करने, एव १२ जिला तथा ५० परगना विजिटरो की नियुक्ति की प्रार्थना की गई जो जून १८५४ ई० में स्वीकृत हो गई।

उपसहार

इम प्रकार इस युग की ममाति के साथ ही साथ लगभग अर्द्ध-शताब्दी से चना आने वाला शिक्षा माव्यम का सघर्ष समाप्त हो गया और भारतीय शिक्षा पूर्णतः अग्रजी रग में रग गई। यद्यपि शिक्षा-प्रगति सन्तोपजनक नहीं रही, तथापि कुछ निश्चित सिद्धान्तों का प्रस्थापन अवश्य हो गया। उदाहरणतः सरकार को जनता को शिक्षित बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पडा, शिक्षा निरीक्षण की व्यवस्था हुई तथा सरकार को अपनी शिक्षा-नीति खुले रूप से घोषित करनी पडी। इसके अतिरिक्त शिक्षा छनाई के सिद्धान्त का प्रचार, देशी शिक्षा, प्राच्य तथा मातृभाषाओं की अवहेलना, पाश्चात्य ज्ञान तथा अंग्रेजी का प्रचार, शिक्षा में राज्य द्वारा धार्मिक तटस्थता की नीति तथा व्यक्तिगत प्रयासों का प्रोत्साहन इत्यादि कुछ इस युग की अन्य विशेषताएँ हैं। इन्हीं विशेषताओं को लेकर प्रत्येक प्रान्त ने अपने-अपने प्रयत्न जारी रखे और अपने-अपने प्रयोग किये। इम युग की समाप्ति तक सरकार को विदित हो गया कि देश की शिक्षा के प्रश्न को टाला नहीं जा सकता और उसमें किमी निश्चित योजना की आवश्यकता है। शिक्षा के माव्यम तथा प्राच्य-पाश्चात्य विवाद इत्यादि के सघर्ष प्रायः समाप्त हो चुके थे। अतः अब सरकार इस बात के लिये सन्नद्ध हो गई कि भारत में शिक्षा की कोई सुविस्तृत योजना बनाई जाय। परिणामस्वरूप १८५४ ई० में वुड का शिक्षा-घोषणा-पत्र देश के सम्मुख आया।

वुड का शिक्षा घोषणा-पत्र (१८५४ ई०)

भूमिका

कम्पनी का आज्ञा-पत्र प्रति २० वर्ष उपरान्त बदलता था। इस प्रकार १७६६, १८१६, १८३३ ई० में बदल चुका था और प्रत्येक अवसर पर कुछ न कुछ परिवर्तन तथा विकास कम्पनी की शिक्षा नीति में हो जाते थे। अतः जब १८५३ ई० में भी आज्ञा-पत्र को बदलने का अवसर आया तो भारतीय शिक्षा में कुछ स्थायी नीति ग्रहण करने की आवश्यकता स्पष्ट प्रकट हो रही थी, अतएव एक ससदोय समिति स्थापित की गई जिसने भारतीय शिक्षा की प्रगति की जाँच की। इस समिति ने ट्रैवेलियन, पैरी, मार्शमेन, डफ, विल्सन, केमरन तथा सर फ्रैंडरिक हेलीडे इत्यादि महानुभावों की साक्षी तथा भारतीय शिक्षा के विषय में उनके वक्तव्य लिये। ये सभी सज्जन भारतीय शिक्षा में गहरा सम्बन्ध रखने थे, जेसा कि हम पिछले पृष्ठों में वर्णन कर चुके हैं। इन लोगों ने अधिकारियों को यह बात स्पष्टन बना दी कि भारत की शिक्षा आवश्यकताओं को ढाला नहीं जा सकता और न भारतीय जनता को शिक्षित करने में कोई राजनैतिक हानि ही है। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप १८५४ ई० में 'वुड का शिक्षा घोषणा-पत्र' प्रकाशित हुआ। चार्ल्स वुड 'बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल' का प्रधान था। अतः यह आज्ञा पत्र उसी के नाम से विख्यात हो गया। यह कहा जाता है कि यह आज्ञा-पत्र जॉन स्टुअर्ट मिल के हाथों से लेखबद्ध हुआ था। कुछ भी हो, वुड का शिक्षा घोषणा-पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। इसके उपरान्त भारतीय शिक्षा में एक नये युग का प्रारम्भ होता है। यहाँ हम संक्षेप में इसकी प्रमुख बातों को दंगे।

आज्ञा-पत्र की सिफारिशें

- सर्वप्रथम इस आज्ञा-पत्र में कम्पनी की शिक्षा-नीति के उद्देश्यों पर प्रकाश प्रा गया है। इसके अनुसार अन्य उत्तरदायित्वों की अपेक्षा कम्पनी के ऊपर भारतीय

शिक्षा का उत्तरदायित्व सर्वप्रथम माना गया है; अतः इसका प्रसार उसका पवित्र कर्तव्य है।[†] इसके उपरान्त आज्ञा-पत्र में प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का भी उल्लेख है। वह संस्कृत व अरबी की शिक्षा की निन्दा नहीं करता, अपितु उन थोड़े से ज्ञान को अच्छा समझता है। किन्तु अन्त में लार्ड मैकाले की भाँति पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को ही भारतीयों के लिये उपयुक्त समझकर कहता है कि “हम यह जोरदार शब्दों में घोषणा करते हैं कि जिस शिक्षा का हम भारत में प्रसार करना चाहते हैं उसका उद्देश्य योरूपीय उच्च कला, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात् संक्षेप में योरूपीय ज्ञान है।

शिक्षा के माध्यम के विषय में प्रथमतः वह यह व्यक्त करता है कि किस प्रकार अच्छी पुस्तकों के अभाव में देशी भाषाओं को माध्यम नहीं बनाया जा सका और विवश होकर अँग्रेजी माध्यम रखना पड़ रहा है, किन्तु अँग्रेजी को ही माध्यम रखना हानिकारक है, अतः इसके समानान्तर देशी भाषाओं को भी माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।[‡] “इसलिये हम अँग्रेजी तथा देशी दोनों ही प्रकार की भाषाओं की ओर शिक्षा के माध्यम के लिये देखते हैं जिससे वे भी साथ-साथ योरूपीय ज्ञान को फैलाने में सहायक हों। अतः यह हमारी इच्छा है कि भारतीय शिक्षालयों में वे दोनों ही फले-फूलें.....।”

इस प्रकार कुछ प्रश्नों का सिंहावलोकन करने के उपरान्त आज्ञा-पत्र ने अपनी सिफारिशों की हैं जिनका हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करते हैं।

१.—शिक्षा विभाग—इस आज्ञा-पत्र के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग स्थापित करने की सिफारिश की गई। यह भी कहा गया कि प्रत्येक प्रान्त में

† “Among many subjects of importance, none can have a stronger claim to our attention than that of education. It is one of our most sacred duties, to be the means as far as in us lies, of conferring upon the natives of India those vast moral and material blessings which flow from the general diffusion of useful knowledge, and which India may, under Providence, derive from her connexion with England.”

‡ “In any general system of education, English language should be taught where there is a demand for it; but such instruction should always be combined with a careful attention to the study the vernacular language of the district, and with such general instruction as can be conveyed through that language.....” —Wood’s Despatch.

मुड़े का शिक्षा घोषणा-पत्र]

इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन-शिक्षा-संचालक नियुक्त कर दिया जाय तथा उसकी सहायता के लिये अन्य छोटे निरीक्षक नियुक्त कर दिये जाय।

२—विश्वविद्यालय—दूसरी सिफारिश उसने भारत में कलकत्ता, बम्बई और यदि आवश्यक हो तो मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की की। यह सोचा गया कि “भारत में अब विश्वविद्यालयों की स्थापना का वह समय आ गया है जबकि नियमित तथा उदार शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाय। शिक्षा परिषद् ने लन्दन विश्वविद्यालय को आदर्श मानने का प्रस्ताव किया था और हम उससे सहमत हैं।” अतः भारत में तीनों विश्वविद्यालयों को लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर जो कि केवल परीक्षा-संस्था थी, स्थापित करने के लिए कहा गया। यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय के लिये ‘चासलर, वाइस चासलर तथा फेलो होंगे जिनको मिलाकर सीनेट बनेगा। सीनेट नियम बनायेगा जो सरकार स्वीकृत करेगी। विश्वविद्यालय के आय-व्यय का प्रबन्ध भी सीनेट ही करेगा। वही विज्ञानों और कलाओं के विभिन्न भागों में परीक्षकों को नियुक्त करके परीक्षाओं का आयोजन करेगा। विश्वविद्यालय का काम अपने से सम्बन्धित कालेजों के विद्यार्थियों को परीक्षाओं के बाद डिग्रियाँ प्रदान करना होगा। डिग्री परीक्षाओं में धार्मिक विषय न होंगे। जिन विषयों के पढ़ाने का प्रबन्ध कालेजों में होगा उनके लिये विश्वविद्यालय प्रोफेसरो की नियुक्ति करेगे, जैसे कानून इत्यादि। सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी विश्वविद्यालयों में नियत किये जा सकते हैं और सिविल इंजीनियरिंग की उपाधियाँ भी योजना में सम्मिलित की जा सकती हैं।”

३—जन समूह का शिक्षा का विस्तार—आज्ञा-पत्र में यह बात स्वीकार की गई कि अब तक जन-साधारण की शिक्षा की पूर्णतः अवहेलना की गई थी और सरकार का ध्यान अधिकांश में उच्च वर्ग के लोगों के लिये उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करने में ही लगा रहा था जिसमें राज-कोष का वह अधिकांश भाग चला जाता था जो कि शिक्षा के लिये नियत किया जाता था। अतः उन्होंने कहा कि “अब हमारा ध्यान सम्भवतः उस अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर जाना चाहिये, जिसकी अभी

† The Director of Public Instruction

‡ ‘The rapid spread of a liberal education among the natives of India since that time, the high attainments shown by the native candidates for Govt Scholarships and by native students in private institutions, the success of the Medical Colleges, and the requirements of an increasing European and Anglo Indian population, have led us to the conclusion that the time is now arrived for the establishment of universities in India — Wood’s Despatch

तक, हमें स्वीकार करना पड़ता है, अवहेलना की गई है; अर्थात् जीवन के सभी अङ्गों के लिये व्यावहारिक शिक्षा उन जन-साधारण को किस प्रकार दी जाय जो कि स्वयं बिना सहायता के कुछ भी लाभदायक शिक्षा पाने में पूर्णतः अशक्त हैं। हमारी इच्छा है कि सरकार की अधिक सक्रिय योजनाएँ भविष्य में इस ओर लगा दी जायें जिसकी प्राप्ति के लिए हम अधिक व्यय स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।" इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अधिक हाई स्कूल, मिडिल स्कूल तथा प्राथमिक स्कूलों की सिफारिश आज्ञा-पत्र ने की। इन भिन्न-भिन्न स्तर के शिक्षालयों की शिक्षा को एक दूसरे से सम्बन्धित करने के लिए छात्रवृत्तियों का भी उल्लेख किया गया। इस प्रकार देशी प्रारम्भिक स्कूलों को शिक्षा का आधार मान लिया गया और सम्पूर्ण शिक्षा-भवन को इनके ऊपर ही निर्मित करने का प्रस्ताव किया गया। 'शिक्षा छनने के सिद्धान्त' को सिद्धान्ततः बुरी तरह टुकरा दिया गया।

(४) सहायता अनुदान—इस आज्ञा-पत्र के द्वारा भारतीय शिक्षालयों को शिक्षा-अनुदान (ग्रांट इन-एड) देने का प्रस्ताव किया गया। "भारतीयों की शिक्षा के लिये यथेष्ट साधन जुटाने में सरकार की असमर्थता तथा उन प्रयासों से मिल सकने वाली सहायता पर, जिसको सरकार ने अभी तक प्रोत्साहित नहीं किया है, विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस दिशा में भारतीय जनता की शिक्षा-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकारी प्रयासों के साथ-साथ शिक्षित और धनी वर्गों की उदारता तथा प्रयासों को मिला देना चाहिये। अस्तु हमने भारतवर्ष में सहायता-अनुदान-प्रथा अपनाने का निश्चय किया है। यह अनुदान सहायता-प्राप्त स्कूलों में धार्मिक तटस्थता पर आधारित होगा। उन सभी संस्थाओं को सहायता प्रदान की जायगी जो अच्छी लौकिक-शिक्षा (धर्मरहित) देते हों, जो यथेष्ट स्थानीय प्रबन्ध में चलते हों और जिनके प्रबन्धक स्कूलों के सरकारी निरीक्षण तथा सहायता अनुदान-सम्बन्धी नियमों को स्वीकार कर लें।..... हमारा मत है कि सहायता केवल उन्हीं स्कूलों को प्रदान की जाय जो विद्यार्थियों से कम से कम कुछ शुल्क अवश्य लेते हों।"

इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न उद्देश्यों जैसे शिक्षकों के वेतन की तरक्की के लिये, पुस्तकालय के लिये, भवन-निर्माण के लिये, छात्रवृत्ति तथा विज्ञान-कक्षा इत्यादि के लिये अलग-अलग अनुदान देने का वचन भी दिया गया। इन अनुदानों को कालेजों से लेकर देशी प्राथमिक स्कूलों तक देने की व्यवस्था की गई।

यहाँ यह बात विशेषतः उल्लेखनीय है कि इस सहायता-अनुदान-प्रथा पर आज्ञा-पत्र में बड़ा जोर दिया गया है। सम्भवतः इसका अभिप्राय भारत में मिशनरियों की सहायता करना था। क्योंकि उस समय व्यक्तिगत रूप से शिक्षा-देने

बुड का शिक्षा घोषणा-पत्र]

मे प्रधानत मिशन ही थे और शायद उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने की यह सरकारी नीति थी। इसके अतिरिक्त आज्ञा-पत्र में कहा गया है कि निरीक्षकों के सहायता-प्राप्त स्कूलों में "उन वार्षिक सिद्धान्तों की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए जो कि किसी स्कूल में पढाये जा रहे हों।" आगे चलकर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि "ये स्कूल सभी भारतीयों के लिये हैं, अतः किसी विशेष धर्म का उनमें पढाया जाना अवाञ्छनीय है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह ईशुक है कि बहुत से ईसाई-शिक्षालयों में बाइबिल रक्खी रहती है और लोगों को उसे पढने की सुविधा है, साथ ही यदि कक्षा से बाहर कोई विद्यार्थी शिक्षक से ईसाई धर्म के सम्बन्ध में अपनी धार्मिक शङ्काओं का समाधान करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई यह कहे कि सरकार धर्म प्रचार करके अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठा रही है।" अस्तु, सहायता-अनुदान की योजना इस आज्ञा-पत्र के द्वारा बहुत व्यापक बना दी गई।

(५) शिक्षकों का प्रशिक्षण— इस पत्र के द्वारा सचालकों ने अपनी इच्छा प्रकट की कि जितना शीघ्र हो सके प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये स्कूल स्थापित कर दिये जाय। इसके लिए उन्होंने इङ्ग्लैण्ड की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उसी प्रकार की प्रशिक्षण सस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की जमी कि इङ्ग्लैण्ड में स्थापित की गई थी। इन सस्थाओं का जो अभाव इङ्ग्लैण्ड में था उससे भी अधिक "यह अभाव भारत में अनुभव किया गया, क्योंकि यहाँ शिक्षण-काय के लिये उचित प्रकार से 'प्रशिक्षित शिक्षक' मिलना अधिक कठिन हो रहा है। अतः जितनी शीघ्र हो सके हर भारत की प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण-विद्यालय तथा कक्षाएँ स्थापित करना चाहते हैं।" उन्होंने शिक्षकों को दीक्षाकाल में छात्रवृत्ति देने पर भी जोर दिया। साथ ही कानून, चिकित्सा और इंजीनियरी में भी औद्योगिक प्रशिक्षण की सिफारिश की।

(६) स्त्री-शिक्षा— अन्त में आज्ञा-पत्र में स्त्री-शिक्षा पर भी जोर दिया गया। "हमने पहले ही कह दिया है कि जिन सस्थाओं को सहायता मिलेगी उनमें लड़कियों के स्कूल भी हैं और इस दिशा में जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उनके प्रति हम अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट किये बिना नहीं कर सकते हैं। गवर्नर जनरल

+ "Our wish is that the profession of school master may, for the future afford inducements to the natives of India such as are held out in other branches of the public service"

की घोषणा से, जो बङ्गाल के गवर्नर के लिये की गई है, हम पूर्णतया महमत हैं कि भारतीय स्त्री-शिक्षा को सरकार की स्पष्ट तथा मैत्रीपूर्ण सहायता मिलनी चाहिये।"

इस प्रकार उच्च शिक्षा के लिये अंग्रेजी तथा माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा के लिये मातृभाषा का माध्यम, विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षा सहायता-अनुदान प्रथा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, वार्षिक तटस्थता, आद्योगिक शिक्षा तथा स्त्री-शिक्षा का ~~सुध्याहन~~, शिक्षित व्यक्तियों के लिये नोकरी तथा जन-समूह में शिक्षा-प्रसार इत्यादि कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जो कि इस महान् पत्र में की गई हैं। अब हम संक्षेप में इसके गुण-दापों का विवेचन करेंगे।

आलोचना

(क) गुण—इस ऐतिहासिक-पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन किन्तु शानदार युग का सूत्रपात किया। जेम्स ने तो इसे "भारत में अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा" तक कह डाला है। वास्तव में इसके द्वारा कुछ बातें मूलतः स्वीकार कर ली गईं, जैसे शिक्षा देना सरकार का उत्तरदायित्व है। इस पत्र ने एक अत्यन्त विशद व विस्तृत शिक्षा-योजना देश के समक्ष रखी जो कि प्रायः शिक्षा के प्रत्येक अङ्ग से सम्बन्धित है। प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, स्त्री-शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा तथा अध्यापकों की दीक्षा इत्यादि ऐसी योजनाएँ थीं जिनका सर्वांग में सम्पादन आज तक भी नहीं हो सका है।

पहला काम जो इस आज्ञा-पत्र ने किया वह था भारत में उच्च शिक्षा के लिये विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश करना। हाई स्कूल के उपरान्त उच्च शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। अतः इनकी स्थापना उचित समय पर ही हुई। यद्यपि उस समय इनकी संख्या अगणित थी, तथापि इनसे एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हुई।

प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग स्थापित करके प्रथम बार शिक्षा को राज्य के अन्तर्गत एक सुसङ्गठित तथा सुव्यवस्थित स्वरूप दिया गया। शिक्षा-संचालक तथा निरीक्षक और उप-निरीक्षकों की नियुक्ति करके सरकार के ऊपर शिक्षा की देख-रेख का भार भी डाल दिया गया। इससे शिक्षा की श्रेष्ठता बड़ी और साथ ही विकास भी हुआ।

देशी स्कूलों, मिडिल तथा हाई स्कूलों को प्रोत्साहन देकर लोक-शिक्षा के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया। 'शिक्षा छुनाई के सिद्धान्त' की निन्दा की गई। अंग्रेजी राज्य के अन्तर्गत शिक्षा-क्षेत्र में उस समय यह एक क्रान्तिकारी कदम था। इसके बाद जनता की साधारण शिक्षा द्रुत गति से बड़ी, यद्यपि आज भी वह आशा तथा आवश्यकता से कम है। साथ ही शिक्षकों की दीक्षा तथा विद्यार्थियों के

बुड का शिक्षा घोषणा-पत्र]

शिक्षक दोनों को ही छात्रवृत्तियाँ देकर प्रोत्साहित करने से बड़ा लाभ हुआ। अच्छे व योग्य अध्यापकों के अभाव में शिक्षा का मापदण्ड नीचा रहता था और शिक्षक अध्यापन की ओर आकर्षित नहीं होते थे, किन्तु अब उन्हें कुछ प्रेरणा मिली जिससे अत्यन्त लाभ हुआ। निर्धन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की व्यवस्था करके प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा में एक शृङ्खला स्थापित कर दी गई।

महायता-अनुदान-प्रथा ने तो शिक्षा-प्रसार को बड़ा प्रोत्साहन दिया। वैयक्तिक प्रयास, जो कि शिक्षा-क्षेत्र में अपर्याप्त था, इस प्रथा के कारण क्षेत्र में उतर आया और शिक्षा-प्रबन्ध अधिकांश में जनता के हाथों में पहुँचने लगा, यद्यपि वैयक्तिक प्रबन्धकों ने इसका दुर्बलप्रयोग किया जो हम आगे चल कर देखेंगे।

(ख) दोष—इन सब गुणों के होते हुए भी इस आज्ञा-पत्र में कुछ भारी दोष भी हैं। एक दोष यह है कि इसने देश में शिक्षा का उद्देश्य “पुस्तकें पढ़ना तथा परीक्षा में पास होकर सरकारी नौकरी ढूँढना” कर दिया। शिक्षा एक प्रकार से पूर्णतः नौकरशाही के अधिकार में आ गई। उसमें उन्मुक्त विकास की प्रेरणा का अभाव हो गया। जिस प्रकार सरकार का एक व्यापार-विभाग है, एक कृषि-विभाग है उसी प्रकार एक शिक्षा-विभाग भी हो गया जिसके कार्यों को अधिकारी लोग अन्यायमनस्क रूप से पूरा करने लगे। लालफीतावाद ने शिक्षा की उन्मुक्त प्रगति को बड़ा धक्का पहुँचाया और शिक्षा-प्रणाली का लचीलापन नष्ट हो गया। देश में राष्ट्रीय चेतना के उत्पन्न होने पर अंग्रेजी सरकार को शिक्षा के विषय में बड़ी कठुआलोचनाएँ सुननी पड़ी।

2. विश्वविद्यालयों का ढाँचा एकदम विदेशी रखा गया। प्रधानतः इन विश्व-विद्यालयों की जड़े इंग्लैंड में थीं और पत्तियाँ भारत में। सम्भवतः इस आज्ञा पत्र के प्रणेतों यह बात भूल गये कि अतीत काल में भारत में भी उच्चकोटि के विश्व-विद्यालय थे जो देश-विदेश से विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। इसके अतिरिक्त इस आज्ञा-पत्र के अनुसार सीनेट में सभी सदस्यों के सरकार के द्वारा मनोनीत करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि सीनेट में अधिकांश में जो कुछ चुने हुए तथाकथित बड़े लोग पहुँच जाते थे वे बहुधा शिक्षा-विज्ञान के ममज्ञ नहीं होते थे।

3. अन्त में, सरकारी प्रदो को लालच देकर विदेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देने का दोष भी बहुधा इस आज्ञा-पत्र के ऊपर लगाया जाता है। इसके प्रणेतों ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि “वे असह्य रिक्त स्थान जिनको कि लगातार भरना पड़ता है, शिक्षा के प्रचार में सहायक हो सकते हैं।” इस तरह अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों को सरकारी प्रदो के लिये प्रथमता देने का अभिप्राय यह हुआ कि भारत के युवकों तथा उनके अभिभावकों को यही अभिलाषा रहने लगी कि शिक्षा के उपरान्त उन्हें कोई

सरकारी उच्च पद मिल जाय। यह कुप्रवृत्त आज भी भारत में उसी प्रकार बढी हुई है। परिणामतः दश में शिक्षितों में बेकारी बहुत बढ रही है और जिनको कुछ नौकरी इत्यादि मिल भी जाती है वह बहुधा एक सभ्य व सन्तुष्ट जीवन व्यतीत करने के लिये बिल्कुल अपर्याप्त होती है और यदि यह मान भी लिया जाय कि इस आज्ञापत्र के रचयिताओं का उद्देश्य यह नहीं था कि वह दपतरो के लिये बलक या बाबू उत्पन्न करें तथैपि स्वर्गीय श्री पराजपे के शब्दों में यह स्वीकार करना पडेगा कि "उनका उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिये हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक विकास के लिये हो, शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिये हो, मक्षेप में, वह शिक्षा हो जिसकी कि एक स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिकों को आवश्यकता है।"

उपसंहार

आज हमें यह मानना पडेगा कि इन दोषों के होते हुए भी इस आज्ञापत्र ने भारत में आधुनिक शिक्षा का रूप स्थिर करने में बहुत योग दिया है। उसके रचयिताओं का उद्देश्य सच्चा था। किन्तु खेद का विषय है कि भारत सरकार इसके अनुसार अपना कर्तव्य पालन करने में असफल रही। सरकार ने इन सिफारिशों के अनुसार ईमानदारी से काम नहीं किया। फलतः हम आज भारत की शिक्षा में बहुत से दोष पाते हैं। लोक-शिक्षा पर आज्ञापत्र के जोर देने की अपेक्षा भी उसकी उपेक्षा की गई। मातृभाषा को उचित स्थान स्कूलों और कालेजों में लगभग एक शताब्दी व्यतीत होने पर आज तक नहीं मिला। उच्च शिक्षा में आज भी अंग्रेजी का प्राधान्य है और आज वह हमारे लिये एक स्वाभाविक व अनिवार्य बुराई बन कर हमारे जीवन पर छा गई है। औद्योगिक शिक्षा का विकास बहुत दिनों तक टाला गया और आज भी समय की माँग को देखते हुए एक प्रकार से अपर्याप्त चला आ रहा है।

इस पत्र के प्रकाशित होने के बाद ही यहाँ तीन विश्वविद्यालय स्थापित हो गये। प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग बन गया, वहाँ शिक्षा-संचालक नियुक्त हो गये और शिक्षा-सहायता-अनुदान प्रत्येक प्रान्त के स्कूल और कालेजों में लागू हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुड के इस शिक्षा सम्बन्धी घोषणा-पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक विशेष स्थान है। इसके अन्तर्गत तत्कालीन शिक्षा-समस्याओं का मौलिक विवेचन किया गया। किन्तु आज के भारत में देश की स्थिति बहुत कुछ बदल गई है और इन परिवर्तित परिस्थितियों में इस घोषणा-पत्र का कोई विशेष उपयोग नहीं है।

शिक्षा की प्रगति (१८५४-१८८२ ई०)

(१९२४-१९२५ ई०)

भूमिका

MCY

१८५४ ई० के आज्ञापत्र के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग की स्थापना हो गई। सन् १८५७ ई० में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय भी स्थापित कर दिये गये। शिक्षा-योजनाओं के लिये सरकार ने आर्थिक सहायता भी बढ़ा दी। वस्तुतः १८५७ ई० के प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के उपरान्त कम्पनी का शासन भारत में समाप्त हो गया और ब्रिटिश संसद ने भारत का राज्य-भार सभोला। कम्पनी के समय में आधुनिक शिक्षा का आरम्भ अवश्य हो चुका था, किन्तु अपने शासन को पुष्ट करने में वह इतनी व्यस्त रही कि शिक्षा की समस्या उसके समक्ष गौण रही। १८५५ ई० तक केवल १,४७४ शिक्षा संस्थाएँ कम्पनी के अन्तर्गत हो सकी। किन्तु इस समय तक सिद्धान्ततः भारत में अंग्रेजी शिक्षा के उद्देश्य, साधन और माध्यम का प्रश्न बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका था।

१८५४ ई० के उपरान्त क्रमशः शिक्षा का भारतीयकरण होता जा रहा था। आज्ञापत्र के आदेशों के अनुसार सरकार का उद्देश्य यह था कि शिक्षा को क्रमशः व्यक्तिगत संस्थाओं के हाथों में सौंप कर सरकार धीरे-धीरे उस क्षेत्र से पूर्णतः निकल आवे। फलतः माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक प्रयास को बहुत प्रोत्साहन दिया गया। अब तक केवल ईसाई मिशन ही व्यक्तिगत साधन थे, किन्तु अब भारतीयों ने भी अधिकतर शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया। इतना अवश्य है कि यद्यपि आज्ञापत्र में शिक्षा के विकास के लिये वैयक्तिक साधन को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी, किन्तु शिक्षा-विभाग ने सदा इस नीति की अवहेलना की और शिक्षा को वैयक्तिक प्रबन्ध में जाने से भरसक रोका। १८५७ ई० के विद्रोह के उपरान्त ब्रिटिश संसद भारतीय मिशनरियों को शका की दृष्टि से देखने लगी। अतः रानी विक्टोरिया की घोषणा में १८५८ ई० में सरकार की धार्मिक तटस्थता को

स्पष्ट शब्दों में दुहरा दिया गया। ऐसी अवस्था में शिक्षा का प्रबन्ध प्रधानतः शिक्षा विभाग ने अपने हाथ में रक्खा और इस प्रकार १८५८-८२ ई० तक राजकीय विद्यालयों की देश में बाढ़ मी आ गई। १८५५ ई० में जब उनकी संख्या १,४०६ थी तो १८८२ ई० में वह १५,४६२ हो गई। इतना अवश्य है कि मिशनरी स्कूलों के साथ सरकार का रुख बहुत कड़ा हो गया और शिक्षा-विभाग उनके साथ स्पर्धा करने लगा। इसका परिणाम यह निकला कि मिशनरियों ने इंग्लैंड और भारत में यह आन्दोलन चलाना प्रारम्भ कर दिया कि भारत में शिक्षा संचालन १८५४ ई० के घोषणा-पत्र के अनुसार नहीं हो रहा है। शिक्षा के धर्म-विहीन होने की इन लोगों ने विशेष रूप से शिकायत की। इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि १८८२ ई० में प्रथम 'भारतीय शिक्षा कमीशन' की नियुक्ति हुई जिसका उल्लेख आगे चलकर किया जायगा। इस अध्याय में हम १८५४ से १८८२ ई० तक की शिक्षा प्रगति का वर्णन करेंगे।

(क) विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

पिछले पृष्ठों में उल्लेख किया जा चुका है कि १८४५ ई० में कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग को सरकार ने पहले टाल दिया था, किन्तु अब यह माँग अधिक नहीं टाल सकती थी। भारत में कालेज तो पहिले से ही थे, यद्यपि जिस संस्था से हम वर्तमान युग में कालेज का अर्थ लेते हैं वह १८५७ ई० से पूर्व नहीं था। इस प्रकार के पादरियों के कालेज मद्रास और बंगाल में कार्यशील थे। इनकी संख्या बंगाल में ७ और मद्रास में २ थी। सरकारी कालेजों में ३ प्रेसीडेन्सियों में तीन मेडिकल कालेज तथा रुडकी में एक इन्जीनियरी कालेज (१८४७ ई०) उल्लेखनीय हैं। अब घोषणा पत्र के अनुसार १८५७ ई० में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में नियमित विश्वविद्यालय खल गये। इन विश्वविद्यालयों के लिये अलग-अलग अधिनियम पास किये गये यद्यपि तीनों प्रायः एक ही प्रकार के थे। अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का प्रबन्ध (सीनेट) के अन्तर्गत रक्खा गया, जिसमें कुलपति प्रान्त का गवर्नर, उपकुलपति गवर्नर द्वारा दो वर्ष के लिये मनोनीत तथा 'फैलो' होते थे। 'फैलो' की अधिकतम संख्या नियत नहीं की गई थी। 'फैलो' भी दो प्रकार के रक्खे गये। एक तो अपने पद की हैसियत से (Ex officio) तथा दूसरे साधारण। प्रथम प्रकार के 'फैलो' में चीफ जस्टिस, बिशप, गवर्नर की कार्यकारिणी के सदस्य, प्रांत का शिक्षा-संचालक, तथा सरकारी कालेजों के प्रिन्सिपल सम्मिलित होते थे। साधारणतया 'फैलो' की मृदु, त्यागपत्र तथा स्थायी रूप से भारत छोड़ने पर ही उसका स्थान रिक्त समझा जाता था। अधिकांश में ये 'फैलो' जनता के बड़े कहलाने वाले लोगों में से बिना उनकी शिक्षा-योग्यता का ध्यान रक्खे हुए नियुक्त कर लिये

जाते थे। ज्ञान का वास्तविक श्रोत तथा शिक्षा की रीढ़ शिक्षक इस सगठन में कोई महत्व नहीं रखता था। इस नीति का शिक्षा पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ा। विश्व-विद्यालय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का सञ्चालन करने के लिये एक 'सिडीकेट' का निर्माण कर दिया जाता था, किन्तु यह 'सिडीकेट' अधिनियम के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई थी।

यह बात स्मरणीय है कि यद्यपि घोषणा-पत्र में विश्वविद्यालयों को सीधे शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया था, किन्तु इस अधिनियम के अनुसार वे केवल परीक्षा लेने तथा प्रमाण-पत्र बाँटने के यत्न बने रहे। ये विश्वविद्यालय कला, कानून चिकित्सा तथा सिविल इंजीनियरी के प्रमाण-पत्र बाँटते थे। एक प्रकार की प्रवेशिका परीक्षा (मैट्रिकूलेगन) स्थापित कर दी गई थी और इससे उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता था। इस प्रवेशिका-परीक्षा को पास करने के उपरान्त निम्न कोटि के सरकारी पद भी मिल सकते थे। इसके अतिरिक्त प्रवेशिका और बी० ए० के बीच में २ वर्ष की एक बटरमीडिएट कक्षा भी थी।

१८५७-८२ ई० में उच्च शिक्षा ने अच्युत प्रगति की। इधर-माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। अतः उन विद्यार्थियों के लिये उच्च शिक्षा के लिये कालेजों का खोलना आवश्यक हो गया। कलकत्ता में प्रवेशिका के परीक्षार्थियों की संख्या द्रुमुनी हो गई। सरकार ने भी कालेजों के प्रति अपना दृष्टिकोण अपेक्षाकृत उदार रखा। फलतः जबकि १८५७ ई० में कालेजों की संख्या २७ थी, १८८२ ई० में ७२ हो गई। कलकत्ता तथा मद्रास में प्रेसीडेंसी कालेज खुले। इसी समय १८६५ ई० में पंजाब में एक विश्वविद्यालय खोलने के लिये आन्दोलन चला। इस प्रकार १८६६ ई० में लाहौर यूनीवर्सिटी कालेज की स्थापना हुई जो १८८२ ई० में जाकर पंजाब विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। यहाँ मातृभाषा के माध्यम के द्वारा यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान पढाये जाते थे तथा प्राच्य-भाषाओं को भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न गवर्नर ग्योर ने १८६६ ई० में उठाया था और एक किराये के भवन में १८७२ ई० में 'सेंट्रल कालेज' की स्थापना कर दी, जिसका शिलारोपण १८७३ ई० में लॉर्ड नौर्यथ्रूक ने किया था।

इन राजकीय कालेजों के अतिरिक्त लगभग ३४ गैर-सरकारी कालेज भी खुले। इनमें दो विशेष उल्लेखनीय हैं। एक तो मन् १८६४ ई० में लखनऊ के ताल्लुकदारों ने लॉर्ड कैनिङ्ग की कृपाओं से अनुग्रहीत होकर कैनिङ्ग कालेज खोला, जिसमें अंग्रेजी के साथ ही प्राच्य विभाग भी खुला था। एक प्रकार से यह कालेज आधुनिक लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रारम्भ था। दूसरा कालेज 'मुस्लिम गैंग्लो' था।

अंग्लो-इण्डियन कॉलेज अलीगढ़ था। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने १८७५ ई० में मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करने के लिए की थी। मद्रास में भी पञ्चमपा स्कूल तथा विशाखापट्टणम् स्कूलों को कॉलेजों का रूप दे दिया गया। बंगाल में मैट्रोपोलिटन कॉलेज १८७८ ई०, सिटी कॉलेज १८७९ ई० तथा अलबर्ट कॉलेज १८८१ ई० में स्कूलों से विकसित होकर कॉलेज बन गये। इनके अतिरिक्त १८७० ई० में राजकोट कॉलेज तथा १८७२ ई० में मेयो कॉलेज, अजमेर, १८७६ में डेली कॉलेज, इन्दौर, तथा १८८६ ई० में एचीसन कॉलेज, लाहौर में राजकुमारा के लिये स्थापित हुए। एक इजीनियरी कॉलेज भी कलकत्ता में खोला गया। इसके अतिरिक्त प्रायः सभी कॉलेज केवल कला में ही शिक्षा देने के लिये खोले गये।

आलोचना—इस प्रकार बतने वाले विश्वविद्यालयों में कई त्रुटियाँ थी, क्योंकि उनकी स्थापना सरकार ने की थी। इतने उनके प्रबन्ध में अफसरो का बहुमूल सदा रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य उच्च शिक्षा न होकर केवल कुछ शिक्षित व्यक्ति तैयार करना था जो कि सरकारी मशीन के पूर्ण बन सके। अन्यथा प्राचीन काल में भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा जीवन को महान्, दिव्य तथा अमर बनाने के लिए होती थी। जो कुछ वे विद्यार्थी पढते थे वह उनके जीवन में काम आता था। किन्तु इन प्राधुनिक विश्वविद्यालयों ने भारत में एक ऐसी भयानक परम्परा को जन्म दिया जो आज तक अपना विषाक्त प्रभाव भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बनाये हुए है, अर्थात् विश्वविद्यालयों में कुछ वर्ष शिक्षा पाने के उपरान्त विद्यार्थी को कागज का प्रमाण-पत्र मिलने लगा। यही उसकी वास्तविक योग्यताओं का प्रतीक था। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी उसने विद्यालय में पढा वह आसानी से भुलाया जा सकता था। यह आवश्यक नहीं था कि वह अपने ज्ञान तथा विद्वता को मस्तिष्क में रखकर जीवन में अग्रसर हो। केवल इन कागजी प्रमाण-पत्रों के बल पर हमारे शिक्षित युवक क्रमशः अपनी सस्कृति, परम्परा और साधारण जनता से दूर होने लगे।

दूसरे, इन विश्वविद्यालयों में औद्योगिक शिक्षा की अवहेलना करके केवल कला सम्बन्धी विषयों का ही शिक्षण दिया गया। यह बात कहना व्यर्थ है कि भारत को औद्योगिक शिक्षालयों की कितनी तीव्र आवश्यकता थी, और जो उदाहरण इन प्रारम्भिक विश्वविद्यालयों ने रखा उसका अनुकरण बाद में भी किया गया। फलतः आज हम भारत को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ पाते हैं। हमारे ये विश्वविद्यालय ऐसे कमठ उत्पन्न न कर सके जो कारखाना, खेतों तथा खानों में देश का निर्माण करते हुए देखे जाते, प्रद्युत उन्होंने ऐसे कोमलाग, शुभ्रवदन कृशकायों को जन्म दिया जो कि केवल लिखने-पढने के उद्यमों में ही अपने दुर्बल जीवन को समाप्त कर देते हैं। तीसरे, इन विश्वविद्यालयों में शिक्षण-कार्य न होकर केवल परीक्षा ही ली जाती थी।

यह हानिकर सिद्ध हुआ। चौथे, सीनेट में ~~अधिकांश~~ अधिकांश का उचित प्रतिनिधित्व न होने से शिक्षा-विशेषज्ञों की राय से वंचित रहना पड़ा।

५ पाँचवे, विश्वविद्यालयों के निरीक्षण में नौकरशाही का हाथ अधिक रहा, क्योंकि ये सरकार की सस्थाये थी। सरकारी निरीक्षकों की रिपोर्टों पर ही इनकी उन्नति व अवनति निर्भर थी। फलतः विश्वविद्यालयों का स्वाभाविक विकास न हो सका।

(ख) माध्यमिक शिक्षा (ख)

सरकारी आज्ञा-पत्र के द्वारा निर्देशित आदेशों के अनुसार इस काल में माध्यमिक शिक्षा की भारत में बहुत सतोषजनक प्रगति रही। वास्तव में सरकारी शिक्षा-विभाग ने इतना ध्यान प्रारम्भिक अथवा उच्च शिक्षा की ओर नहीं दिया जितना कि माध्यमिक शिक्षा को ओर। इस काल में राजकीय माध्यमिक स्कूल भी खुले और साथ ही वैयक्तिक प्रबन्धकों को भी अनुदान द्वारा प्रोत्साहित किया गया। फलतः इन स्कूलों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। १८७० ई० तक तो राजकीय माध्यमिक स्कूलों की संख्या खूब बढ़ी। उसके उपरान्त-सरकार का ध्यान प्रारम्भिक शिक्षा की ओर अधिक आकृष्ट हो गया। इस प्रकार जबकि १८५४ ई० में राजकीय विद्यालयों की संख्या १६९ थी जिनमें १८,३४५ विद्यार्थी पढ़ते थे तो १८८२ ई० में इनकी संख्या १,३६३ हो गई जिनमें ४४,६०५ विद्यार्थी शिक्षा पाने लगे। इधर सरकार ने व्यक्तिगत प्रबन्धों को सहायता अनुदान देने के नियम प्रत्येक प्रान्त में बना दिये और उनके अनुसार स्कूलों को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता दी जिसमें उनकी संख्या में भी सतोषजनक वृद्धि हुई।

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, १८५७ ई० की घटनाओं के उपरान्त भारत सरकार मिशनरियों पर कुछ कड़ी आँख रखने लगी थी, और इधर शिक्षा क्षेत्र में अब तक वैयक्तिक प्रयास अधिकांश में ईसाइयों का था किंतु १८८२ ई० के अन्त तक भारतीयों ने भी इस ओर बड़ी रुचि दिखलाई थी और उसका परिणाम यह हुआ कि १८८२ ई० में भारतीयों के अन्तर्गत १३४१ तथा पादरियों के अन्तर्गत ७५७ माध्यमिक स्कूल थे। इसमें बंगाल में ५८२ और मद्रास में ६९८ शिक्षालय भारतीयों के प्रबन्ध में थे। बम्बई, आगरा, पंजाब तथा आसाम में भी इस दिशा की ओर सूत्रपात हो चुका था।

मिशनरियों के माध्यमिक शिक्षालय बंगाल में ४०, मद्रास में ४१८, पंजाब में ११८ और आगरा प्रान्त में १०४ थे। मद्रास इनका प्रमुख केन्द्र था। इस प्रकार सब सरकारी और गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों की संख्या १८८२ ई० में जाकर ४,१२२ हो गई। गैर सरकारी स्कूलों की बंगाल में वृद्धि होने का कारण यह था कि ये अधिकतर अपना व्यय फीस से चला लेते थे इसलिये सरकारी सहायता की चिन्ता नहीं करते थे। साथ ही विश्वविद्यालयों का इन पर कोई नियन्त्रण नहीं था। क्योंकि

स्कूलों में भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः वैयक्तिक प्रबन्धक उनसे औद्योगिक शिक्षा के लिये प्रेरणा न ले सके। सरकार तो इधर से निश्चय ही उदासीन थी। सम्भवतः उसकी दृष्टि में उस समय भारत का औद्योगिक विकास इंग्लैंड की व्यापारिक नीति के लिये अहितकर था। धन का अभाव भी माध्यमिक स्कूलों में औद्योगिक शिक्षा न प्रारम्भ करने का एक शक्तिवान् कारण बना रहा, और यह दृढ़ता आज तक भी अक्षुण्ण बनी हुई है।

स्टैनले का आज्ञा पत्र

१८५७ ई० के उपरान्त भारत में कम्पनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश संसद में भारत मन्त्री के पद का प्रादुर्भाव हुआ। सर्वप्रथम लॉर्ड स्टैनले की नियुक्ति इस पद पर हुई। लॉर्ड स्टैनले इस बात की जाँच करना चाहता था कि भारत के स्वातन्त्र्य-संघर्ष का यहाँ की शिक्षा-नीति से भी कुछ सम्बन्ध है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त वह शिक्षा पर १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र की भी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। तदनुसार १८५६ ई० में लॉर्ड स्टैनले ने १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र की नीति का समर्थन किया। केवल प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन किये।

इस नये आज्ञा-पत्र के अनुसार लॉर्ड स्टैनले ने शिक्षकों की दीक्षा पर विशेष जोर दिया। प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में उसकी धारणा थी कि इस क्षेत्र में कुछ भी काय नहीं हुआ है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जन-साधारण की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाय और साथ ही जो 'सहायता-अनुदान-प्रथा' १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र के द्वारा जारी की गई थी उसे तो केवल माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा तक ही सीमित रखा जाय और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सरकार सीधा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले, क्योंकि सहायता अनुदान-प्रथा प्रारम्भिक स्कूलों के लिए लाभदायक नहीं है। प्रारम्भिक शिक्षा के व्यय के लिए इस आज्ञा-पत्र में यह भी कहा गया कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर लोगों पर एक स्थानीय कर लगाये। लॉर्ड स्टैनले वास्तव में इंग्लैंड की तत्कालीन शिक्षा नीति के प्रभावित हुआ था, जहाँ पर स्थानीय करो तथा जन-शिक्षालयों के लिये एक आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा था।

इसके साथ ही १८५६ ई० में शिक्षा को आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया गया। लॉर्ड मेयो ने १८७१ ई० में शिक्षा-विभागों का नियन्त्रण भी प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिया और उन्हें अपना व्यय करने का अधिकार दे दिया गया। इसके उपरान्त १८७७ ई० में लॉर्ड लिटन ने शिक्षा का और भी अधिक विकेन्द्रीयकरण कर दिया। इसके अनुसार शिक्षा पूर्णतः ५ वर्ष के लिए प्रान्त के अधिकार में आ गई तथा कानून और आबकारी

विभागों की आय का कुछ भाग इसके व्यय के लिए नियत कर दिया। किन्तु केन्द्रीय सरकार का प्रभुत्व एक देशव्यापी शिक्षा नीति निर्धारित करने का बना रहा। यह अवस्था १८८२ ई० तक रही।

(ग) प्राथमिक शिक्षा

यह तो हम देख ही चुके हैं कि १८५४ ई० तक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय प्रयत्न बड़े निराशाजनक थे और कम्पनी एक प्रकार से उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा देना ही अपना कर्तव्य समझती थी। १८५४ ई० में कम्पनी का ध्यान इस ओर गया और प्रारम्भिक शिक्षा के निरीक्षण तथा सरकारी अनुदान देने का भार कम्पनी ने ले लिया। किन्तु अनुदान तो प्रायः उच्च शिक्षा के ही लिए दिए गए और देशी प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कुछ न किया जा सका। वास्तव में १८५६ ई० के उपरान्त एक प्रकार का विवाद उठ खड़ा हुआ। यह विवाद प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में था जिसके विषय थे कि इस शिक्षा को सरकारी आय से सहायता अनुदान दिया जाय अथवा नहीं, स्थानीय कर लगाये जाय अथवा नहीं, और देशी स्कूलों के प्रति क्या नीति रक्खी जाय? किन्तु अन्त में प्रत्येक प्रान्त में अपनी-अपनी नीति के अनुसरण करने की स्वतन्त्रता दे दी गई। बम्बई और बंगाल ने बिल्कुल ही विरोधी रुख ग्रहण किये। बम्बई ने देशी स्कूलों की अवहेलना कर दूरी और सरकारी स्कूल खोले, जबकि बंगाल ने देशी स्कूलों को प्रोत्साहन दिया। मद्रास ने एक समय मांग का अनुसरण किया। १८८२ ई० में बम्बई में केवल ७३ सहायता-प्राप्त देशी स्कूल थे और ३,६५४ स्कूल शिक्षा-विभाग द्वारा संचालित थे। बंगाल में २८ स्कूल शिक्षा-विभाग के और ४७,३७४ सहायता-प्राप्त देशी स्कूल थे। मद्रास में १,२६३ सरकारी और १३,२२३ देशी स्कूल थे। आसाम में भी ७ सरकारी स्कूल स्थापित हो गये। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तर आगरा प्रान्त (उत्तर प्रदेश) अपनी 'हलका बन्दी योजना' के आधार पर ही बढ़ता रहा। १८८२ ई० में वहाँ ६,१७२ बिना सहायता प्राप्त देशी स्कूल, तथा २४३ सहायता-प्राप्त प्राथमिक स्कूल थे। कुर्ग ने भी बम्बई का अनुकरण किया। पंजाब में १३,१०६ देशी तथा २७८ सहायता प्राप्त स्कूल थे। मध्य प्रान्त में देशी स्कूलों को बहुत प्रोत्साहन मिला, किन्तु वहाँ की शिक्षा-व्यवस्था शिथिल थी। बरार ने भी बम्बई का अनुकरण किया और वहाँ १८८२ ई० में ४६७ शिक्षा-विभाग के तथा २०६ सहायता-प्राप्त और २०७ गैर-सहायता प्राप्त स्कूल थे। यहाँ देशी स्कूलों को भी प्रोत्साहन दिया गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ प्रान्तों के अतिरिक्त देशी स्कूलों को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला। फलतः धीरे-धीरे यह स्कूल या तो समाप्त हो गये अथवा सरकारी स्कूलों में विलीन हो गये।

जहाँ तक स्थानीय कर लगान का प्रश्न था यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। वास्तव में यह स्थानीय कर केवल शिक्षा ही के लिये नहीं थे अपितु इनमें जन-हित की अन्य चीजें भी सम्मिलित थीं जैसे पुलिस तथा सड़क व चिकित्सा इत्यादि। अतः एक तो इसकी आय में से शिक्षा का भाग नियत करना एक प्रमुख प्रश्न था, दूसरे, यह स्थानीय कर अन्य प्रान्तों में तो लागू हो सकता था, किन्तु बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त के कारण यह नहीं लगाया जा सकता था। गाँवों में तो भूमि की मालगुजारी ही इस कर का आधार थी और स्थायी बन्दोबस्त होने से इसमें आपत्ति थी क्योंकि इस प्रबन्ध में मालगुजारी नियत थी और उस पर अन्य कर नहीं लगाये जा सकते थे। पश्चिमोत्तर प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में तो श्री टाम्सन ने पहिले से ही अपनी योजना के अनुसार १ प्रतिशत कर मालगुजारी पर लगा दिया था। १८६६ ई० तक यह शिक्षा-कर मालगुजारी का भाग बन गया था। १८७१ ई० में इसकी पुनर्जाँच कर ली गई।

इसी प्रकार पंजाब में भी १८५७ ई० में भूमि पर स्थानीय कर लागू कर दिया और १८७१ ई० में इसकी पुनर्जाँच की गई। धीरे-धीरे यह योजना सभी प्रांतों में स्वीकार कर ली। अवध में १८६१ ई० में मालगुजारी पर २॥ प्रतिशत कर लग दिया जिसका एक प्रतिशत शिक्षा के लिये नियत कर दिया गया। मध्य प्रान्त में १८६२ ई० में १ प्रतिशत कर लगा दिया गया जो बाद में २ प्रतिशत कर दिया गया। बम्बई में १८६३ ई० में ६ प्रतिशत स्थानीय कर लगा दिया जिसका १ केवल शिक्षा को नियत कर दिया। इसी प्रकार सिन्ध में १८६५ ई० में, मद्रास में १८६६ तथा आसाम में १८७६ ई० में इसी प्रकार के स्थानीय कर लगाये, जिनका कुछ उचित अंश प्राथमिक शिक्षा के लिये नियत कर दिया गया।

गाँवों के अतिरिक्त नगरों में मकानों पर इस प्रकार का कर लगाया गया जिसका प्रबन्ध नगरपालिकाओं को सौंप दिया गया। किन्तु इन नगरपालिकाओं ने सन्तोष-जनक कार्य नहीं किया, और उस समय प्राथमिक शिक्षा में कुछ अधिक योग न दे सकी। परिणामतः गाँवों से जो रुपया भूमि की मालगुजारी पर कर के रूप में इकट्ठा किया जाता था उसका अधिकांश नगरों में व्यय होने लगा। अतः आगे चलकर भारतीय शिक्षा कमीशन ने गाँव और नगरों के स्थानीय करों को अलग-अलग करने की सिफारिश की। कहीं-कहीं पर यह कर माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा पर भी व्यय कर दिया जाता था यद्यपि इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का विकास था। यहाँ तक कि कुछ प्रान्तों में तो शिक्षा-कर को शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी व्यय किया गया। अन्त में १८७१ ई० में इस विषय में निश्चित आदेश हुए।

बंगाल में यद्यपि स्थानीय शिक्षा-कार नहीं लगाया गया था, तथापि वहाँ सरकारी अनुदान के कारण देशी प्राथमिक शिक्षा का खूब विकास हुआ तथा 'सकिल स्कूल प्रथा' चालू की गई जो कालान्तर में नामल स्कूल प्रथा में परिवर्तित हो गई।

इस प्रकार १८७१ ई० से १८८२ ई० तक प्राथमिक शिक्षा का भारत में पर्याप्त विकास हुआ। परिणामतः १८८२ ई० में यहाँ ८२,६१६ स्कूल थे, जिनमें लगभग २½ लाख बालक शिक्षा पाते थे, जबकि १८७१ ई० में केवल १६,४७३ स्कूल थे जिनमें ६।१ लाख बालक थे। तथापि भारत की जनसंख्या को देखते हुए साक्षरता का प्रतिशत बहुत नीचा था। वास्तव में धनाभाव, सरकार की नीति तथा उदासीनता इत्यादि कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण प्राथमिक शिक्षा में आशाजनक परिणाम उपलब्ध न हो सके। देश की जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी, किन्तु शिक्षा-विक्रम बहुत मन्द गति से हो रहा था। अतः शिक्षा-क्षेत्र में किसी अधिक उदार और जागृत नीति की आवश्यकता थी। १८५७ ई० के विप्लव के उपरान्त सरकारी अफसरों ने ईसाई पादरियों के प्रति भी अपना रुख कड़ा कर दिया था और सरकारी शिक्षालय एक प्रकार से ईसाई मिशनरी शिक्षालयों से प्रतिस्पर्द्धा करने लगे थे। फलतः पादरियों ने भारत तथा इंग्लैण्ड में एक आन्दोलन खड़ा कर दिया। उन्होंने सरकारी अफसरों को नास्तिक तथा स्कूलों को 'ईश्वर विहीन' और 'अधार्मिक' कहा। इन्हीं सब कारणों के फलस्वरूप १८८२ ई० का प्रसिद्ध 'भारतीय शिक्षा कमीशन' नियुक्त हुआ।

भारतीय शिक्षा कमीशन तथा उसके उपरान्त शिक्षा-प्रगति

(१८८७ ई०-१९०४ ई०)

(क) भारताय-शिक्षा कमीशन

भूमिका

उपरान्त भारत में ईसाई पादरियों को 'सहायता-अनुदान-प्रथा' के कारण जो आजाद बंधी थी वह पूरी न हो सकी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस युग में सरकारी शिक्षा-विभाग की नीति ऐसी रही जिससे कालेज की उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा की अधिक उन्नति हुई और प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की गई, किन्तु इसके साथ ही पादरियों ने एक आन्दोलन चलाया। वास्तव में वे भारत में शिक्षा के द्वारा धार्मिक प्रचार कर रहे थे। अतः शिक्षा-संस्थाओं पर अपना पूर्ण अधिकार चाहते थे। यही कारण था कि वे शिक्षा-विभाग द्वारा खोले हुए राजकीय स्कूलों को नहीं चाहते थे। साथ ही सरकार की धार्मिक-तटस्थता की नीति भी उन्हें अस्वीकार प्रतीत होती थी। अतः वे आन्दोलन करने लगे कि भारत में शिक्षा-नीति १८५४ ई० के आज्ञा पत्र के विरुद्ध जा रही है। इस आन्दोलन की लपटें इङ्ग्लैंड तक पहुँच गईं और वहाँ भी 'जनरल काउंसिल ऑफ एज्युकेशन इन इंडिया' नामक एक सगठन बना लिया गया जिसमें लॉर्ड हैलीफेक्स तथा लॉर्ड लारेस जैसे व्यक्ति सम्मिलित थे। १८८२ ई० के प्रारम्भ में जब लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय पद पर नियुक्त हुए तो इस सगठन के प्रतिनिधियों ने अपना एक शिष्ट-मंडल उनसे मिलने भेजा जिसने भारतीय शिक्षा की जाँच करने की प्रार्थना की। लॉर्ड रिपन ने उत्तर दिया कि

“१८५४ ई० के आज्ञा-पत्र ने वास्तविक भारतीय शिक्षा नीति को स्पष्ट तथा जोरदार शब्दों में निर्धारित कर दिया है और मेरी इच्छा भी इसी नीति पर चलने की रहेगी। भारत पहुँचने पर यह मेरा कर्तव्य होगा कि इस प्रश्न की पूर्ण जाँच वहाँ उपलब्ध सूचना के आधार पर करूँ। किन्तु मैं नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर पक्षपात का दोष लगेगा यदि मैं यह स्वीकार करूँ कि इस समय भी भारत के निधनों में प्राथमिक शिक्षा के विकास व प्रसार की आपकी इच्छा के साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। इंग्लैंड में यह प्रश्न कई वर्षों में मेरे लिये विशेष अनुराग का विषय रहा है, और भारत पहुँचने पर भी यह कम न होगा।”†

नियुक्ति

तदनुसार भारत आने पर ३ फरवरी, १८८२ ई० को लॉड रिपन ने विलियम हटर की अधीनता में, जो कि वाइसराय की कार्यालयी के सदस्य थे, प्रथम भारतीय शिक्षा कमीशन की नियुक्ति की। श्री हटर के इस कमीशन के चेयरमैन होने के कारण कभी-कभी इसका नाम ‘हटर कमीशन’ भी लिया जाता है। चेयरमैन के अतिरिक्त इसमें २० सदस्य और थे जिनमें भारतीय प्रतिनिधि सैयद महमूद, भुद्रेव मुकर्जी, आनन्दमोहन बोस, के० टी० तलग इत्यादि तथा पादरियों के प्रतिनिधि मद्रास के डा० मिलर थे। श्री बी० एल० राइस, शिक्षा-मन्त्रालय में मंत्री नियुक्त हुए।”

उद्देश्य

जैसा कि पूर्व-विदित है, १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र की प्रमुख नीति, जैसा कि स्टार्क ने कहा है, सरकार के प्रयत्नों को उच्च शिक्षा से हटा कर जन-साधारण की प्राथमिक शिक्षा की ओर ले जाने की थी। साथ ही भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये जनता में सरकार की तत्कालीन नीति से कुछ असंतोष भी था और इंग्लैंड में भी १८८० ई० में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये ‘एलिमेंटरी एज्युकेशन ऐक्ट’ पास हो चुका था। अतः इस कमीशन ने भी भारत में प्राथमिक शिक्षा की जाँच को प्रथमता दी। विश्वविद्यालय शिक्षा, औद्योगिक तथा योसपीय शिक्षा इत्यादि विषय इसकी जाँच के विषय नहीं थे। संक्षेप में कमीशन को निम्नलिखित बातों की जाँच करनी थी (१) प्राथमिक शिक्षा की अवस्था तथा उसके विकास के उपाय, (२) सरकारी शिक्षालयों की अवस्था तथा उनकी आवश्यकता, (३) मिशनरी शिक्षालयों का भारतीय शिक्षा में स्थान, तथा (४) वयक्तिक प्रयास के प्रति सरकार की नीति। सहायता-अनुदान-प्रथा की जाँच भी कमीशन को सौंपी गई। इसके अतिरिक्त माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा के विषय में भी कमीशन ने अपने सुझाव दिये।

इस आयोग का वास्तविक उद्देश्य "विशेषत उस विधि की जाँच करना था जिसके अनुसार सन् १८५४ ई० के घोषणा-पत्र के सिद्धान्तों को कार्यान्वित किया गया था, तथा उस घोषणा-पत्र में निहित नीति को भविष्य में भी अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए ऐसे सुझाव देना था जो कि कमीशन के मतानुसार वाञ्छनीय हो।"

इस प्रकार नियुक्ति के उपरांत कमीशन ने लगभग दो माह तक कलकत्ता में अपनी बैठक की और तदुपरान्त ८ माह तक सारे देश का भ्रमण किया। इस कठिन परिश्रम के उपरान्त कमीशन ने अपनी ६०० पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके साथ में कुछ प्रान्तीय रिपोर्टें भी थी। इस प्रकार भारतीय शिक्षा का सक्षिप्त इतिहास देते हुए उन्होंने भावी शिक्षा-विकास के लिए बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव रखे।

सिफारिशें

यहाँ सक्षेप में हम कमीशन के द्वारा की गई सिफारिशों का वर्णन करते हैं। यहाँ एक बात स्मरणीय है कि प्रायः कमीशन ने उन्हीं बातों को कुछ घटा-बढ़ाकर दुहराया जिन्हें १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र द्वारा कुछ वप पूव ही स्वीकार कर लिया गया था।

① देशी शिक्षा — कमीशन ने देशी शिक्षालय का अभिप्राय उस स्कूल से लिया 'जो कि भारतवासियों द्वारा भारतीय प्रणालियों के आधार पर संचालित हो'। इन स्कूलों के विकास, संरक्षण तथा इन्हें नये ढाँचे में सम्मिलित करने के लिये कमीशन ने सिफारिश की। यह बात अनुभव की गई कि अनन्त काल की कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हुए भी देशी स्कूल आज तक जीवित हैं, यह उनकी 'सजीवता तथा सर्वप्रियता' का द्योतक है। † मद्रास और बंगाल के उदाहरणों ने यह भी सिद्ध कर दिया था कि इन देशी स्कूलों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना सम्भव है। अतः कमीशन ने कहा कि "देशी स्कूलों को यदि सरकार सुझावों के अनुसार स्वीकार कर लेती है तथा सहायता देती है तो अवश्य ही उनकी शिक्षण-प्रणाली में सुधार की आशा की जा सकती है और इस प्रकार वे सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान की पूर्ति कर सकते हैं।"‡

† Quoted by Dr Zellner Aubrey *Education in India*, p 85

‡ " Admitting, however, the comparative inferiority of indigenous institutions, we consider that efforts should now be made to encourage them. They have survived a severe competition, and have thus proved that they possess both vitality and popularity " *Report*, p 68

* *Indian Education Commission (1882) Report* p 68

इन स्कूलों के प्रबन्ध के लिए कमीशन ने ^① एंग्लो जिला बोर्ड तथा म्युनिमिपल बोर्ड, जिनमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व था, निर्माण करने की सिफारिश की तथा उनके पाठ्यक्रम में किमी प्रकार का भी हस्तक्षेप करने का निषेध किया ^② इन स्कूलों के शिक्षका का प्रशिक्षण दवर उल्लसहित करने का सुझाव भी रखा। अन्त में इनका पाठ्यक्रम, पाठ्य-विधि तथा परीक्षा इत्यादि के मानदण्ड के लिये प्रत्येक प्रान्त को स्वतन्त्र रखा गया। पाठ्यक्रम में कुछ उपयोगी विषयों के सम्मिलित करने के लिये कुछ विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की। इस प्रकार जो देशी शिक्षा इतने दिनों में उचित सरक्षण के अभाव में प्रायः जजरित हो चुकी थी पुनः सरक्षण का आश्रय पाकर प्रगति करने लगी। किन्तु इतना अवश्य है कि कमीशन ने जिस 'परीक्षाफल के अनुसार वेतन प्रथा' (Payment by Results system) को माध्यमिक व कालेजीय शिक्षा के लिये बुरा बताया था उमी को देशी शिक्षा के लिये स्वीकृत करके देशी शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी परम्परा को जन्म दिया जिसके कारण प्रायः सभी प्रान्तों में प्राथमिक शिक्षा में 'सहायता-अनुदान-प्रथा' के नियमों के ऊपर उपर्युक्त नियम का आधिपत्य हा गया—जिसमें देशी स्कूलों की स्वाभाविक प्रगति में कुछ बाधा पड़ी।

② प्राथमिक शिक्षा—प्राथमिक शिक्षा के विषय में शिक्षा-कमीशन ने सबसे अधिक रुचि दिखलाई। वास्तव में यह उनकी जाँच का प्रमुख विषय था, अतः उन्होंने निर्भीक होकर स्वीकार किया कि "जब शिक्षा के प्रत्येक विभाग में राजकीय सरक्षण का औचित्य स्वीकार किया जा सकता है तो जन-समूह की शिक्षा, इसकी उपलब्धि, प्रसार तथा उन्नति तो शिक्षा-प्रणाली का वह भाग है जिसके लिये सरकार के अथक प्रयास भूतकाल की अपेक्षा एक बृहत्तर पैमाने पर प्रारम्भ किये जाने चाहिये।" इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न अंगों जैसे नीति, संगठन, पाठ्यक्रम, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा आर्थिक व्यवस्था इत्यादि के विषय में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की।

† "It is the desire of the Governor General in Council that the Commission should specially bear in mind the great importance which the Government attaches to the subject of primary education. The development of elementary education was one of the main objects contemplated by the Despatch of 1854 the principal object, therefore, of the enquiry of the Commission should be 'the present state, of elementary education throughout the Empire, and the means by which this can everywhere be extended and improved' Resolution of the Government of India, 1882

A प्राथमिक शिक्षा की नीति के विषय में घोषणा करते हुए कमीशन ने सिफारिश की कि इसे मातृ-भाषा के द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा सम्भूना चाहिये जो कि जन-साधारण के जीवन के व्यावहारिक पक्ष से सम्बन्धित हो न कि विश्व-विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये एक साधन मात्र। इसके अतिरिक्त सरकार को चाहिये कि इसे पहिले से भी कही अधिक सरक्षण प्रदान करे। सरकारी निम्न पदों पर नियुक्ति में ऐसे लोगों को प्रमुखता दी जाय जो लिखना-पढ़ना जानते हों तथा ऐसे जिलों में जो शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हों, जैसे वे स्थान जहाँ आदिवासी रहते हों, वहाँ शिक्षा विभाग के प्रयत्नों तथा उदार आर्थिक सहायता द्वारा प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय।

सूगठन के विषय में कमीशन ने सारा प्रबन्ध जिला तथा म्युनिसिपल बोर्डों को सौंप दिया। इन स्थानीय बोर्डों का निर्माण लॉर्ड रिपन ने 'काउन्टी काउन्सिल्स आंव इंग्लैंड' के आधार पर कराया था। इंग्लैंड में भी प्राथमिक शिक्षा काउन्टी काउन्सिलों (जिला-परिषदों) के आधीन कर दी गई थी। इसी प्रकार भारत में भी 'लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट' के पास होने पर जिला बोर्ड का निर्माण हुआ और ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा का भार इन पर डाल दिया गया। शिक्षा का सम्पूर्ण दायित्व—व्यय, निरीक्षण, प्रबन्ध तथा विकास इन्हीं बोर्डों को दिया गया। इस प्रकार की व्यवस्था से सरकार एक प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के भार से, जो कि उसका प्रथम कर्त्तव्य था, मुक्त हो गई। पाठ्यक्रम इत्यादि के लिए सभी प्रान्तों को अपनी-अपनी परम्परा अनुकरण करने की स्वतंत्रता दी गई।

प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था के लिए कमीशन ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव रखे। प्रथमतः जिलाबोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्डों को आदेश दिये गये कि वे प्राथमिक शिक्षा के लिये अलग फंड निर्धारित कर दें। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी नगरों तथा गाँवों के हिसाब भी पृथक्-पृथक् कर दिये जाय जिससे गाँवों की धनराशि नगरों पर व्यय न हो सके। साथ ही स्थानीय फंड के व्यय के विषय में कमीशन ने यह निश्चित कर दिया कि वे एक मात्र प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय किये जाय। अन्त में स्थानीय फंड में उचित आर्थिक सहायता प्रदान करना भी प्रान्तीय सरकारों का कर्त्तव्य है, ऐसी सिफारिश भी कमीशन ने की। किन्तु इस सहायता की धनराशि अनिश्चित ही रही। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का भार प्रधानतः स्थानीय फंड पर ही रहा, प्रान्तीय सरकार का शिक्षा अनुदान तो एक गौण सहायता के रूप में ही रहा, तथापि स्थानीय फंड में सहायता देने में प्रान्तीय सरकारों के समक्ष यह आदर्श रक्खा गया कि वे कम से कम स्थानीय धनराशि का $\frac{1}{2}$ अथवा कुल व्यय का $\frac{1}{3}$ प्रदान करे। किन्तु यह कहना व्यर्थ है कि यह सहायता भारतीय जनसंख्या के आकार को देखते हुये कितनी अपर्याप्त थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लिये आर्थिक व्यवस्था करने में कमीशन का उद्देश्य उसके लिये वर्तमान परिस्थितियों में अधिक से अधिक सुविधा प्रदान कराने का रहा। अतः उन्होंने घोषणा की कि, "प्राथमिक शिक्षा को सम्पूर्ण जन-शिक्षा का वह भाग घोषित कर देना चाहिये जो कि शिक्षा के निमित्त निर्धारित स्थानीय फंड पर अपना एकमात्र विशेषाधिकार तथा प्रांतीय आय पर भी एक बहुत बड़ा अधिकार रखती है।"] E

इसके अतिरिक्त कमीशन ने शिक्षकों के लिये अधिक नार्मल स्कूल खोलने पर भी जोर दिया जिससे एक डिप्टीजनल इन्स्पेक्टर के अन्तर्गत कम से कम एक नार्मल स्कूल हो जाय। पाठ्यक्रम के विषय में कमीशन ने पर्याप्त उदारता दिखाई। उन्होंने प्रत्येक प्रान्त को अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्रता दे दी और सम्पूर्ण देश के लिये एक सा ही पाठ्यक्रम निश्चित नहीं किया। पाठ्यक्रम में उन्होंने कुछ व्यावहारिक व जीवनोपयोगी विषय जैसे बहीखाता, क्षेत्रमिति, भौतिक विज्ञान तथा कृषि और चिकित्सा में उनकी उपयोगिता इत्यादि और सम्मिलित कर दिये।

3 माध्यमिक शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कमीशन ने शिक्षा-विस्तार तथा तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के साधनों को बताया। शिक्षा-प्रसार के लिए उमने सिफारिश की कि इस क्षेत्र में से सरकार को क्रमशः पूर्णतः निकल आना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा का योग्य तथा समर्थ भारतवासियों के हाथों में सोप देना चाहिए और उनकी सहायता के लिए शिक्षा सहायता-अनुदान-प्रथा का उदारता तथा बद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग होना चाहिये। प्राथमिक शिक्षा को सरकार का प्रमुख कर्तव्य समझा गया था, अतः माध्यमिक शिक्षा को कुछ कम महत्त्व दिया गया। कमीशन ने सिफारिश की कि सहायता-अनुदान द्वारा जहाँ तक हो सके माध्यमिक शिक्षा में सहायता देकर सरकार शीघ्र उसके उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाये। तथापि यह भी निश्चय हुआ कि सरकार प्रत्येक ऐसे जिले में एक हाई स्कूल आदर्श-स्कूल के रूप में रखे "जहाँ जन-हित के लिये ऐसे स्कूल रखना आवश्यक हो, और जहाँ जनता स्वयं सहायता-अनुदान के आश्रय पर ही स्कूल चलाने

† " We recommend that the supply of Normal Schools, whether Government or aided, be so localised as to provide for the local requirements of all Primary Schools, whether Government or aided, within the division under each inspector .we recommend that the first charge on Provincial funds assigned for primary education be the cost of its direction and inspection, and the provision of an adequate supply of Normal Schools " *Indian Education*

के लिये पर्याप्त रूप से प्रगतिशील तथा धनवान न हो।[†] किन्तु ऐसा स्कूल जिले में एक से अधिक नहीं हो सकता। जिले की सम्पूर्णा शिक्षा आवश्यकता की पूर्ति के लिये जनता स्वयं इसका उत्तरदायित्व ले। इसके लिये प्रोत्साहन देने के लिये कमीशन ने यह भी सिफारिश की कि व्यक्तिगत शिक्षालयों के प्रबन्धक राजकीय-विद्यालयों की अपेक्षा बालकों से कम फीस ले सकते हैं।

माध्यमिक शिक्षालयों में शिक्षा सुधार के लिये कमीशन ने हाई स्कूल शिक्षा को दो भागों में बाँट दिया (१) 'अ' कोर्स, तथा (२) 'ब' कोर्स। प्रथम कोर्स विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिये था। दूसरा एक व्यावहारिक शिक्षा-कोर्स था जिसमें व्यापारिक, असाहित्यिक तथा उपयोगी विषय पढ़ाये जाने को थे। शिक्षा के माध्यम के विषय में कमीशन ने बड़ी असंतोषजनक सिफारिशें की। इसने माध्यमिक स्कूलों में मातृभाषा के प्रयोग का कोई उल्लेख तक न किया। सम्भवतः कमीशन अंग्रेजी के पक्ष में था। मिडिल स्कूलों के लिये भी इसने कोई निश्चयात्मक नीति निर्धारित नहीं की और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसे स्कूल के प्रबन्धकों पर ही छोड़ दिया।

4 उच्च शिक्षा—जैसा कि कहा जा चुका है कि कमीशन को विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा की अवस्था की जाँच करने से निषेध कर दिया गया था, किन्तु इसने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव कालेज-शिक्षा के लिये भी रखे। कमीशन ने यह तो घोषित कर ही दिया था कि सरकार को शीघ्र ही उच्च शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना चाहिये। इसके लिये प्रत्येक कालेज को सहायता देने में "सहायता-दर, शिक्षकों की संख्या, कालेज संचालन-व्यय का परिमाण, कालेज की कार्यक्षमता तथा उस स्थान की आवश्यकताओं" का ध्यान रखना चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर विशेष सहायता जैसे भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय तथा विज्ञान का सामान इत्यादि के लिये देने की भी व्यवस्था की गई। बिना फीस पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या नियत कर दी गई। शिक्षा समाप्त होने पर उनके रोजगार की सिफारिश तथा योग्य विद्यार्थियों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये सुविधा प्रदान करने की और भारत में विभिन्न कालेजों में एक ऐसे विस्तृत पाठ्यक्रम के लागू करने की जो कि विद्यार्थियों के रुचि-वैचित्र्य के लिये लाभदायक हो सके, कमीशन ने सिफारिश की।

इसके अतिरिक्त प्रधानाध्यापक अथवा किसी अन्य शिक्षक के द्वारा वैज्ञानिक उपदेशों की व्याख्यानमाला जारी करने का सुझाव भी कमीशन ने रखा और एक ऐसी पाठ्यपुस्तक की रचना का आदेश दिया जो मानव-धर्म के मूल-भूत सिद्धान्तों तथा प्रकृति-धर्म पर आधारित हो। किन्तु कमीशन ने वैयक्तिक कालेजों को राजकीय

कालेजों की अपेक्षा कम फीस स्वीकार करने का अधिकार देकर एक अवाङ्मनीय सद्भाव तथा अयोग्य और निम्नकोटि की शिक्षा सस्थाओं को जन्म दिया ।

मिशनरी प्रयास—१८५४ ई० के आज्ञापत्र से पादरियों को यह आशा बँधी थी कि भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में उन्हें एकाधिकार प्राप्त हो जायगा और अन्ततः वे ही सम्पूर्ण देश की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे । ऐसा न होने पर उन्होंने इङ्ग्लैण्ड में आन्दोलन किया था जिसके फलस्वरूप इस कमीशन की नियुक्ति हुई थी । किन्तु इस कमीशन की सिफारिशों ने तो उनकी आशाओं पर तुषारापात ही कर दिया । इस विषय में कमीशन की सिफारिशें बड़ी महत्वपूर्ण हैं । प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय बोर्डों के अन्तर्गत कर देने से पादरियों को अधिक आपत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि उनके अधिकार में प्राथमिक शिक्षा तो नाम मात्र की ही थी । किन्तु कमीशन की इस सिफारिश ने कि माध्यमिक तथा कालेजीय शिक्षा क्षेत्र से सरकार को व्यक्तिगत प्रबन्धकों के हाथों में उसे सौंपकर शीघ्र ही हट जाना चाहिये, पादरियों के हृदयों में एक बुझती हुई आशा को पुनः जगा दिया । किन्तु ऐसा भी न हो सका । कमीशन ने इस विषय में बहुत सावधानी से काम लिया और इस बात को स्पष्ट कर दिया कि “व्यक्तिगत प्रयास का अभिप्राय स्वयं जनता के प्रयास से है । यदि शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा साधनों से करनी है तो स्वयं भारतवासी ही इसके सबसे महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं ।” उन्होंने यह भी कहा कि, “भारत जैसे देश में जिसमें शिक्षा की आवश्यकताएं विभिन्न हैं, हम किसी भी ऐसे तरीके के विरुद्ध हैं जिसके द्वारा सम्पूर्ण उच्च शिक्षा को केवल एक दल के हाथ में ही सौंप दिया जाय, और विशेषतः एक ऐसे दल के हाथ में जो चाहे जितना उदार और सच्चा हो, जन समूह की विभिन्न भावनाओं के साथ सहानुभूति नहीं रख सकता हो ।

साथ ही हम एक मत होकर यह लिख देना आवश्यक समझते हैं कि शिक्षा-विभाग के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व का शिक्षा क्षेत्र में से हट जाने का अर्थ यह नहीं होता है कि हम उसे मिशनरियों के हाथ में सौंप दें । शिक्षा-विभाग द्वारा संचालित उच्च-शिक्षालय कदापि पादरियों के प्रबन्ध में नहीं जाने चाहिये ।” + इस प्रकार पादरियों की स्थिति को वैयक्तिक प्रयास में जनता द्वारा संगठित शिक्षालयों की तुलना में एक निम्नतर कक्षा दी गई । इससे भारतीय जनता को विदित हो गया कि जब तक वह स्वयं शिक्षा का अधिकतर उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेती है, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में विकास और सुधार की आशा नहीं ।

सरकार का शिक्षा क्षेत्र से क्रमिक पलायन—कमीशन की नीति यह थी कि सरकार क्रमशः जन शिक्षा के भार से मुक्त हो जाय और उसे स्वयं भारतीय

जनता के हाथों में सौंप दे, क्योंकि सरकार ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि शिक्षा पर व्यय करने के लिये उसके पास धन का अभाव था । अतः जनता को अपना धन अपनी शिक्षा के लिये लगाना चाहिये । इस तरह जो सरकारी धन बचेगा वह अधिक स्कूलों को सहायता प्रदान करने में व्यय किया जा सकेगा । अतः जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध था उसे स्थानीय बोर्डों के अन्तर्गत कर दिया गया और माध्यमिक तथा कालेजीय शिक्षा को शिक्षा-विभाग की देखरेख में व्यक्तिगत सस्थाओं को हस्तांतरित कर देने की व्यवस्था की गई । इस प्रकार नये खुलने वाले शिक्षालयों को सब प्रकार से सहायता देने का वचन दिया गया और राजकीय-शिक्षालयों को स्थानीय प्रबन्धकों को देने पर उनके सभी कागजपत्र, भवन, पुस्तकें तथा अन्य सामान भी प्रबन्धकों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई तथा उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा गया । इस प्रकार कमीशन ने सरकार को राष्ट्रीय-शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया ।

सहायता अनुदान-प्रथा—व्यक्तिगत शिक्षालयों के लिये कमीशन ने अनुदान प्रथा के सुधार तथा विकास पर विशेष जोर दिया । इस विषय में कमीशन ने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में चालू अनुदान-प्रथा के नियमों का अध्ययन किया । बम्बई में 'परीक्षा-फल के अनुसार वेतन' प्रथा मद्रास में 'वेतन अनुदान-प्रथा' तथा उत्तरी भारत और मध्यप्रान्त में 'नियत कालीन-प्रथा'* प्रचलित थी । इन सब प्रथाओं का अध्ययन करके कमीशन ने प्रत्येक प्रान्त को इस विषय में स्वतन्त्रता दे दी तथा कुछ सर्वमान्य कसौटी नियत करके प्रत्येक प्रान्त को आदेश दे दिये । इनके अनुसार सरकारी और गैर-सरकारी का भेद भी मिटा दिया गया, अनुदान नियम अधिक उदार कर दिये गये, आन्तरिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप निषिद्ध कर दिया गया तथा प्रबन्धकों की सहायता तथा पथ-प्रदर्शन के लिये कुछ ऐसे शिक्षा-अधिकारी नियुक्त कर दिये गये जो उनके विश्वासपात्र बन सकें ।

विशिष्ट शिक्षा—इन सब बातों के अतिरिक्त कमीशन ने कुछ विशेष प्रकार की शिक्षा जैसे स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, राजकुमारों की शिक्षा, प्रौढ़-शिक्षा, आदिवासियों की शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षा इत्यादि पर भी अपने विचार प्रकट किये । उदाहरण के लिये स्त्री शिक्षा के लिए कमीशन ने लड़कियों के स्कूलों को उदार सहायता, अध्यापिकाओं को वेतन-अनुदान, उनके लिए नार्मल स्कूल, लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिये सरल पाठ्यक्रम तथा निरीक्षण के लिये

† Payment by Results system

‡ Salary Grant system

* Fixed Period system

अलग निरीक्षिकाये नियुक्त करने की सिफारिश की ।† मुसलमानों में हिन्दुओं की अपेक्षा कम शिक्षा पाकर उनके लिए विशेष सुविधाओं की सिफारिश की गई । अतः मुसलमान विद्यार्थियों के लिये अधिक छात्रवृत्ति, मुसलमान नार्मल स्कूल, मुसलमान शिक्षा-निरीक्षक तथा मुसलमानी विशेष मिडिल तथा हाई स्कूलों की स्थापना की सिफारिश की । धार्मिक शिक्षा-क्षेत्र में कठोर धार्मिक तटस्थता की पूर्वनीति का समर्थन किया, साथ ही नैतिक शास्त्र पर एक पाठ्य-पुस्तक की रचना तथा व्याख्यान-माला की सिफारिश की । राजकुमारों तथा सरदारों के लड़कों के लिए विशेष शिक्षालय खोलने को कहा । प्रौढ-शिक्षा ने भी उनका ध्यान आकर्षित कर लिया था और उसके लिए रात्रि-पाठशालाओं की सिफारिश की । आदिवासियों के लिये प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की ।

आलोचना

कमीशन की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय बोर्डों और नगरपालिकाओं को दे दिया गया । माध्यमिक शिक्षा के लिए वैयक्तिक स्कूलों को खूब प्रोत्साहन दिया गया । सरकार ने यद्यपि अपनी शिक्षा सस्थाओं को स्थानीय प्रबन्धकों को नहीं दिया, तथापि अधिक विद्यालय खोलना बन्द कर दिया । इस प्रकार धार्मिक-शिक्षा के विषय में की गई सिफारिशों को छोड़कर सरकार ने उसकी सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया ।

अधिकांश में कमीशन ने १८५४ ई० के आज्ञा-पत्र की नीति का ही समर्थन किया । शिक्षा-विभाग का निरीक्षण-कार्य बढ जाने से स्कूलों पर उसका अनुचित आधिपत्य भी हो गया । किन्तु इससे राजकीय और अराजकीय प्रयत्नों में पारस्परिक साम्य तथा सहकारिता की भावना भी उत्पन्न हो गई और यह भी प्रमाणित हो गया कि इस सहकारिता के आधार पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय-स्तर तक शिक्षा सङ्गठन करने की सम्भावना है । हाई स्कूल में औद्योगिक शिक्षा की सिफारिश करके कमीशन ने यह सुकेत किया कि हमारी शिक्षा आवश्यकता से अधिक पुस्तकीय होती जा रही थी ।

† “ . It will have been seen that female education is still in an extremely backward condition, and that it needs to be fostered in every legitimate way Hence we think it expedient to recommend that *public funds of all kinds—local, municipal and provincial—should be chargeable in an equitable proportion for the support of girls' schools as well as for boys' schools*” Report of the Indian Education Commission (1882) P 545

(ख) शिक्षा-प्रगति (१८८२-१९०४ ई०) विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षा

भारतीय शिक्षा कमीशन की सिफारिशों के उपरान्त देश में कालेजों की बहुत वृद्धि हुई । सन् १८८२ ई० में पंजाब तथा १८८७ ई० में इलाहाबाद विश्व-विद्यालय की स्थापना हो गई थी । पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना लाहौर यूनीवर्सिटी कालेज, जिसमें प्राच्य ज्ञानशाखा भी सम्मिलित थी, से विकसित होकर हुई थी । इसमें एक लॉ कालेज भी सम्मिलित कर दिया गया । एक विशेष बात इस विश्वविद्यालय के विषय में उल्लेखनीय है, वह यह है कि इसमें भाषा का माध्यम अंग्रेजी न रख कर मातृ-भाषा रखा गया । अरबी, फारसी तथा संस्कृत में उच्च उपाधियों के वितरण की व्यवस्था भी इसमें की गई ।

जहाँ तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है इसकी स्थापना का प्रश्न १८६९ ई० में भी उठा था । १८७२ ई० में सयुक्त प्रान्त (अब उत्तर प्रदेश) के गवर्नर श्री म्योर ने किराये के मकान में एक केन्द्रीय कालेज की स्थापना इलाहाबाद में कर दी थी । १८८२ ई० में पंजाब में विश्वविद्यालय की अलग स्थापना हो जाने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि सयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के लिये भी एक विश्वविद्यालय अनिवार्य है । अब तक यहाँ के कालेजों का सम्बन्ध कलकत्ता विश्वविद्यालय से था जो कि प्रबन्ध तथा पाठ्यक्रम की कठिनाइयों के कारण अब असम्भव प्रतीत होता था । अतः १८८७ ई० में एक विशेष कानून के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । इसमें परीक्षाओं के अतिरिक्त पढ़ाने की व्यवस्था रखी गई ।

इस प्रकार भारत में पाँच विश्वविद्यालय १९वीं शताब्दी के अन्त तक हो गये । इनके पाठ्य-क्रम प्रायः एकसे थे । कुछ समय उपरान्त मद्रास को छोड़ कर सभी ने विज्ञान की कक्षायें भी खोल दीं और बी० एस०-सी० की उपाधि देना प्रारम्भ कर दिया ।

शिक्षा कमीशन की सिफारिशों का अप्रत्यक्ष रूप से कालेजों के विकास पर भी प्रभाव पड़ा । एक तो माध्यमिक स्कूलों के खुलने तथा उनमें विद्यार्थियों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या के कारण यह आवश्यक हो गया कि उनकी उच्च शिक्षा के लिए नये कालेज खोले जायें । अधिकतर विद्यार्थी कालेजों में जाना भी चाहते थे क्योंकि उच्च शिक्षा के उपरान्त ही वे सरकारी उच्च पद पाने की आशा करते थे । दूसरे, कमीशन ने भारतीय शिक्षा में व्यक्तिगत प्रयास को भी प्रोत्साहन दिया था, अतः शिक्षित भारतीयों ने इस ओर आश्चर्यजनक प्रगति की, यहाँ तक कि उनके द्वारा संचालित कालेजों की संख्या मिशनरियों के कालेजों से भी अधिक बढ़ गई । सन्

१९०२ ई० में जब कि ईसाई कालेजो की संख्या ३७ थी तो भारतीयो के कालेजो की संख्या ४२ थी । इस प्रकार कालेजो की संख्या बढ़ती जा रही थी । १८८२ ई० में ६८ कालेजो से लेकर १९०२ ई० में इनकी संख्या १७६ हो गई । इनमें से १३६ कालेज ब्रिटिश भारत में थे जिनमें १२ कालेज स्त्री-शिक्षा के लिए थे । ईसाइयो ने कमीशन तथा सरकार की नीति से दुखी होकर उच्च शिक्षा की ओर अधिक रुचि नहीं दिखाई । अतएव अधिकांश में ये कालेज भारतवासियों द्वारा ही संचालित रहे ।

इस दौरान में १८८५ ई० में भारत में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना तथा उसके उपरान्त राष्ट्रीय आन्दोलन भी शिक्षा-प्रसार में अपना विशेष महत्व रखते हैं । 'कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन रिपोर्ट' में इसका उल्लेख मिलता है —

ये "सहस्रो विद्वार्थी जो कि दो पीढियों से बंगाल के योग्यतम सुपुत्र हैं, अंग्रेजी भाषा पढ़ना सिखाये गये । इस भाषा की व्यावहारिक उपयोगिता के कारण प्रथमतः इसे अध्ययन करने के उपरान्त वे अंग्रेजी साहित्य-सरोवर से जलपान करने लगे जो कि वस्तुतः स्वतंत्रता का साहित्य है । वेकन, मिट्टन लॉक, बर्क, वर्ड्सवर्थ तथा बाइरन की विचारधाराएँ उनके मस्तिष्को में बह रही थी जिनमें स्वराज्य का संदेश था । (इन युवको के) प्राचीन आदर्श स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत साहस प्रदर्शन के न होकर आत्म-समर्पण तथा आत्म-त्याग के थे । ऐसे विचारो ने जो कि प्राच्य विचार-धारा में आत्मसात् नहीं हो सकते थे, लोगो के हृदय में एक व्याकुलता भर दी । इन विचारो के राजनैतिक परिणामो से हमारा यहाँ सम्बन्ध नहीं है । किन्तु राजनैतिक विचार मानसिक हलचलो से अलग नहीं किये जा सकते, और १८८२ ई० के उपरान्त आने वाली पीढी ने इन नवीन विचारधाराओ का शक्तिशाली प्रभाव शिक्षा प्रणाली के विकास में देखा ।"†

इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन ने भारतीय शिक्षा विकास को इस युग में काफी प्रगति दी । अब तक जो हाईस्कूल थे वे बढ़कर कालेज हो गये । भारतीय यह समझ गये थे कि उनके चरित्रो का निर्माण वे स्वयं ही कर सकते हैं । यद्यपि अब तक अधिकतर कालेजो तथा हाईस्कूलो में अंग्रेज प्रिन्सिपल तथा प्रधान अध्यापक रहते थे और योग्य भारतीयो का अभाव होने के साथ ही साथ उन्हें अयोग्य भी समझा जाता था किन्तु सर आर० पी० पराजपे जैसे उद्भूट विद्वानो ने इस ओर भी पथ-प्रदर्शन किया । इस प्रकार कुछ त्यागी भारतीय विद्वानो ने उच्च सरकारी पदो पर न जाकर कालेजो तथा उच्च शिक्षा के स्कूलो का संचालन अपने हाथ में लेकर शिक्षा प्रसार में महान योग दिया । १८८० ई० में पूना में फर्ग्यूसन कालेज की

† Quoted by Dr. Zellner.

स्थापना प्रसिद्ध देश भक्त बालगंगाधर तिलक, चिपलाकर तथा श्री अगारकर के प्रयत्नो से हो ही चुकी थी। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में रिपन कालेज का भार सभाला। उधर आर्य-समाज आन्दोलन भी देश में जागृति तथा उद्बोधन का प्राण फूँक रहा था। अतः १८८६ ई० में लाहौर में दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज की स्थापना हुई जो कि शीघ्र ही उत्तरी भारत का एक प्रमुख कालेज हो गया। सन् १८९८ ई० में श्रीमती ऐनी बेसेट ने बनारस में सेंट्रल हिन्दू कालेज की नींव डाली जो कि आगे चलकर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

आलोचना—इस प्रकार कालेजों के बढ़ने से विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ी किन्तु शिक्षा का स्तर कुछ गिर गया। खपा तथा अच्छी पुस्तकों का अभाव, अपर्याप्त भवन तथा अनुभवहीन शिक्षक—इन सभी बातों ने मिलकर शिक्षा के मानदण्ड को अवश्य गिरा दिया। साथ ही विद्यार्थियों में केवल पुस्तकीय ज्ञान को प्रधानता देने की प्रवृत्ति का विकास होने लगा और उनकी सूक्ष्म निरीक्षण की मौलिकता जाती रही। १८८५ ई० में श्री इलबर्ट ने कहा था कि ज्यों ज्यों कालेज की शिक्षा बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उस प्रतीक का मूल्य जिसका कि यह बोध कराती है गिरता जा रहा है।” इसके पूर्व १८७१ ई० में एक प्रिन्सिपल ने भी कलकत्ता में यह सकेत किया था कि तत्कालीन शिक्षा से एक प्रकार के ग्रेजुएट, जो केवल ‘रटने की मशीन’ कहे जा सकते हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। उसने कहा कि

“बंगाल में बहुत दिनों से शिक्षा का अर्थ अधिकांश में एक अपाच्य ज्ञान का रटना ही लगाया जा रहा है। उच्च गुणों की अवहेलना करके केवल स्मृति का ही विकास किया जा रहा है, अतः विद्यार्थियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया है जो कि, कुछ अच्छे अपवादों को छोड़कर, रटे हुए पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त न तो मौलिकता और न निरीक्षण शक्ति अथवा स्वयं निर्णय शक्ति ही रखते हैं।”

वास्तव में जो बात बंगाल के विषय में तब कही गई थी वह भारत के अन्य प्रान्तों के विषय में भी पूर्णतः लागू होती थी और दुर्भाग्य से आज भी अधिकांश में वह पूर्ववत् बनी हुई है। इसी प्रकार की चेतावनी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति लॉर्ड लैसडान ने भी १८८६ ई० में दी थी —

“मुझे भय है कि हमें यह बात नहीं छिपानी चाहिये कि यदि हमारे स्कूल और कालेज वर्तमान रूप से ही भारतीय युवकों को शिक्षा देते रहे तो हमें आज से भी अधिक यह शिकायत सुनने का अवसर आ सकता है कि हम प्रति वर्ष ऐसे युवकों को पैदा कर रहे हैं जिन्हें हमने मानसिक शक्तियों से तो सुसज्जित कर दिया है, जो कि स्वयं एक प्रशासकीय बात है, किन्तु व्यवहारतः यह उनके लिए बिल्कुल

व्यथ है क्योंकि जिन लोगो ने इस प्रकार की शिक्षा पाई है उनके लिए अनुकूल पेशे का देश में पूर्ण अभाव है ।”†

इस प्रकार यह उच्च शिक्षा अपनी समृद्धि तथा विस्तार के साथ ही साथ देश में एक ऐसे शिक्षित वर्ग को जन्म देती जा रही थी जो कि बाह्याभ्यातर से एक ही टकसाल के ढले हुए भिक्के के समान थे, जिनमें प्राकृतिक विभिन्नता का तुलनात्मक अभाव था तथा जो स्मृति के यत्र की भांति व्यवहार करते हुए दृष्टिगोचर होते थे । परीक्षा की बुराई इस प्रकार भारतीय शिक्षा प्रणाली में जड़ पकड़ती जा रही थी कि ऐसा प्रतीत होने लगा था कि विद्यार्थी ‘शिक्षा जीवन के लिये’ नहीं अपितु ‘शिक्षा परीक्षा के लिये पा रहे हैं । यहाँ तक कि १९०२ ई० में भारतीय विद्यालय कमीशन ने कहा कि ‘वह महानतम निकृष्ट बुराई जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों में पाई जाती है वह यह है कि शिक्षण परीक्षा के आधीन है न कि परीक्षा शिक्षण के ।’ शिक्षा के आकस्मिक विस्तार से कालेजों का स्तर गिर गया । शिक्षा में व्यापारिक प्रवृत्ति का समावेश भी इसी काल में हुआ जो आज अपनी भयानक सीमाओं को छू रही है और वर्तमान भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के सम्मुख मानो एक प्रकार की चुनौती है ।

यहाँ एक बात का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है । जबकि शिक्षा के विकास के माथ ज्ञान का मानदण्ड गिरता जा रहा था और अधिकांश कालेजों की काम-क्षमता का पतन होता जा रहा था, वहाँ कुछ उच्च कोटि के भारतीय नेताओं की राय में यह आवश्यक था कि चाहे शिक्षा का मानदण्ड गिर जाय किन्तु उसका विस्तार आवश्यक है । वस्तुतः उनकी धारणा थी कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिये ही न होकर जन-समूह के लिये उपलब्ध हो सके और साक्षरता-प्रतिशत बढ़ जाय । उनका यह भी अनुमान था कि समय पाकर शिक्षा के मानदण्ड तथा कालेजों की कार्यक्षमता को बढ़ाया भी जा सकता है । जैसा कि श्री गोपालकृष्ण गोखले के निम्नलिखित व्याख्यान से प्रकट होता है —

श्रीमान जी, “मेरा विचार है—और यह मेरे लिये एक गम्भीर विश्वास की बात है—कि भारत की वर्तमान परिस्थिति में सभी प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा अमूल्य तथा लाभदायक है । यदि परिस्थितियों को देखते हुए यह सर्वोत्तम प्रकार की है तो और भी अच्छा । किन्तु यदि यह सर्वोत्तम नहीं भी है तो इस कारण इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये । मेरा विश्वास है कि लोगो का जीवन—चाहे राजनैतिक, सामाजिक, औद्योगिक या मानसिक क्षेत्र में—एक. सामूहिक

† Quoted by Siqueira, T N *The Education in India*, p. 84 (Oxford University Press), 1939

इकाई है। मेरे विचार में भारत की वर्तमान अवस्था अंग्रेजी शिक्षा का महान्तम कार्य विद्या को इतना प्रोत्साहन देना नहीं है जितना कि भारतीय मस्तिष्क को पुरानी दुनियाँ के विचारों के बन्धन से मुक्त कराना तथा पश्चिम के जीवन, विचार तथा चरित्र के सर्वोच्च गुणों का तादात्म्य करना है। इसके लिये न केवल सर्वोत्तम शिक्षा ही अपितु हर प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा लाभदायक है।[†] अन्त में हम १९ वीं शताब्दी के भारतीय विश्वविद्यालयों के विषय में इन शब्दों के साथ समाप्त करते हैं कि—

“यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में बड़े सजीर्ण थे और उच्च शिक्षा की व्याख्या भी वे बड़े सकीर्ण ढंग से करते थे। उनके विरुद्ध यह भी तर्क दिया जा सकता है कि वे अन्वेषण और मौलिक चिन्तन को प्रोत्साहित करने में असफल रहे और उच्च विद्वान तथा वैज्ञानिक उत्पन्न न कर सके। किन्तु इस सम्बन्ध में हमें यह न भूल जाना चाहिये कि उनकी स्थापना बिल्कुल भिन्न उद्देश्यों से हुई थी और जो लोग उनके अस्तित्व के उत्तरदायी थे उनकी इच्छा कालान्तर में होने वाले प्रालोचकों से भिन्न थी।”[‡]

(२) माध्यमिक शिक्षा ()

इस युग में माध्यमिक शिक्षा ने सराहनीय प्रगति की। कमीशन की रिपोर्ट के उपरान्त प्रथम दशक में उन्नति की गति अधिक तीव्र रही। सन् १८८२ ई० में कूलों की संख्या ३ ९१६ थी जो कि १९०२ ई० में ५,१२४ हो गई और विद्यार्थियों की संख्या भी २,१४,०७७ से बढ़कर ५,९०,१२९ हो गई। व्यक्तिगत प्रयास को बहुत प्रोत्साहन मिला। कमीशन की राय के प्रतिकूल माध्यमिक शिक्षा पर शिक्षा-विभाग ने पुनः अपने प्रयत्नों को अधिक केन्द्रित रक्खा, फलतः प्राथमिक शिक्षा की प्राशातीत व वाञ्छनीय प्रगति में बाधा पड़ी।

माध्यमिक शिक्षालयों में कुछ शिक्षालय तो सरकारी आर्थिक सहायता अनुदान पा रहे थे और कुछ बालकों की फीस तथा थोड़े से चन्दे से ही गुजारा कर रहे थे। इन शिक्षालयों की अवस्था असन्तोषजनक थी। शिक्षा-विभाग भी इनमें अधिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता था।

कमीशन ने ‘ब’ कोर्स में कुछ औद्योगिक अथवा व्यापारिक विषयों के पढ़ाने की व्यवस्था की थी, किन्तु १९ वीं शताब्दी के अन्त तक भी वह वैकल्पिक-पाठ्यक्रम अधिक सर्वप्रिय न हो सका, और अभी तक माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में ‘मैट्रिक्युलेशन’

† *Gokhale's Speeches*, pp 234-45 (Ed 1920)

परीक्षा का बोलबाला था। इतना अवश्य है कि प्रायः सभी प्रान्तीय सरकारों ने कुछ न कुछ व्यावहारिक शिक्षा अपने यहाँ पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दी थी। १८८८ ई० में मद्रास ने कुछ टैक्निकल पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया था। १८९७ ई० में बम्बई ने 'स्कूल लीविंग सर्टीफिकेट' परीक्षा प्रारम्भ कर दी जिसके प्राप्त करने पर ही विश्व-विद्यालय में प्रवेश हो सकता था। बम्बई के 'स्कूल फाइनल कोर्स' में भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, कृषि तथा मैनुअल ट्रेनिंग भी सम्मिलित कर दिये गए। सरकारी नौकरी में जाने के लिये इस परीक्षा को अनिवार्य करके सर्वप्रिय करने की चेष्टा बम्बई में की गई। इसी प्रकार १८९४ ई० में इलाहाबाद में 'स्कूल फाइनल परीक्षा' प्रारम्भ की गई। पंजाब विश्वविद्यालय ने क्लर्क-सम्बन्धी तथा व्यापारिक शिक्षा प्रारम्भ की। इसी प्रकार १९०० ई० में बंगाल ने भी क्लर्क तथा इजीनियर तैयार करने के लिये विशिष्ट शिक्षा का आयोजन किया। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक विश्वविद्यालय ने इस पाठ्यक्रम की योजनाओं को कार्यान्वित करने की चेष्टा की, किन्तु जैसा बहा जा चुका है, मैट्रीक्युलेशन परीक्षा की प्रधानता रही और १९०२ ई० में इसमें २३००० परीक्षार्थी बैठे, जबकि औद्योगिक पाठ्यक्रम में केवल २००० विद्यार्थियों ने परीक्षा दी।

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हो रही थी। किन्तु यह दुःख की बात है कि शिक्षा के माध्यम के विषय में कमीशन की नीति दलित होने के कारण भारत के किसी भी प्रान्त में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाया जा सका। इससे बड़ी क्षति हुई और प्रान्तीय भाषाओं के विकास को बड़ा आघात लगा। साथ ही माध्यमिक शिक्षालयों में अंग्रेजी का प्रभुत्व जम गया और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे मानो शिक्षा का उद्देश्य केवल अंग्रेजी भाषा सीखना ही है। इससे विद्यार्थियों के स्वाभाविक मानसिक विकास पर भी रोक लग गई, क्योंकि जितना समय उन्हें विषय को बोधगम्य करने में लगता था उससे अधिक समय विदेशी भाषा के समझने में नष्ट हो जाता था, और उसके उपरान्त भी विद्यार्थियों में आत्म-विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाता था। इससे उनका स्वाभाविक विकास रुक जाता था।

(३) प्राथमिक शिक्षा

जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है, प्राथमिक शिक्षा के लिये शिक्षा कमीशन ने इंग्लैंड की 'काउन्टी काउन्सिलों' के आधार पर भारतीय नगरों में नगर पालिकाएँ तथा ग्रामों के लिये जिला बोर्डों की स्थापना की सिफारिश की थी और प्राथमिक शिक्षा को उन्हीं के अन्तर्गत रख दिया गया था। इस व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा कुछ प्रगति अवश्य मिली, किन्तु आशाजनक परिणाम उपलब्ध नहीं हो सके। इन

स्थानीय बोर्डों के अधिकार और कर्तव्यों को सहिताबद्ध कर दिया गया । देशी पाठशालाये जोकि अनन्तकाल से अपनी जर्जरित अवस्था में देश भर में चली आ रही थी, वे भी इन्हीं स्थानीय बोर्डों को दे दी गई । इतना अवश्य है कि जहाँ जनता के पिछड़े हुए होने के कारण बोर्डों को यह अधिकार न दिया जा सका वहाँ सरकारी पाठशालाये खोली गई ।

स्थानीय बोर्डों के प्राथमिक शिक्षा के निमित्त व्यय करने के लिये नियम बना दिये गये और उनकी आय को केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करने की व्यवस्था की गई । प्रान्तीय सरकारों ने स्थानीय बोर्डों को अनुदान देने के नियम भी बना लिये । बम्बई सरकार ने आधा व्यय देना स्वीकार कर लिया । मद्रास ने अपनी आय का ५ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का निश्चय किया । इसी प्रकार बंगाल, सयुक्त प्रान्त, पंजाब, आसाम तथा मध्य प्रान्त ने अपने-अपने नियम बनाकर प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया । शिक्षा-अनुदान के नियमों में भी सभी प्रान्तों ने सुधार करके उन्हें प्राथमिक शिक्षा के अधिक अनुकूल बना दिया ।

यहाँ बड़े खेद के साथ यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने भारत में कुछ ऐसी नीति अपनाई जिसने भारत के गाँवों की जड़ों को हिला दिया । उनका सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक ढाँचा टूट गया । जो गाँव अब तक देश में शासन के घरातल थे उनके ऊपर एक नया शासन थोपा गया और भारतीय ग्राम केन्द्रीय और प्रान्तीय शासनो की केवल निर्जीव इकाई मात्र रह गये जिनकी नीति का निर्धारण केन्द्र से होता था । इस ग्रामीण प्रजातन्त्र के नष्ट हो जाने का प्रभाव भारत के देशी शिक्षालयों पर भी पडा । शिक्षा अब अधिक से अधिक सरकार द्वारा नियंत्रित हो चुकी थी । १९वीं शताब्दी के समाप्त होते होते भारत में अनन्तकाल से चला आने वाला देशी शिक्षा का सगठन नष्ट होकर सदा के लिये विलीन हो गया । कुछ स्कूल सरकारी अफसरों की अवहेलना से नष्ट हो गये, कुछ सरकारी स्कूलों में विलीन होकर उनका प्रमुख अंग बन गये और कुछ उनसे स्पर्द्धा में पराजित होकर सदा के लिये नष्ट हो गये । गाँव में इन देशी पाठशालाओं के संरक्षक भी नहीं रह गये । वहाँ की बढ़ती हुई निर्धनता ने लोगों का ध्यान शिक्षा तथा आत्मोन्नति से हटा कर केवल 'अस्तित्व के लिये संघर्ष' तक सीमित कर दिया । "बहुत से मध्यम वर्ग के लोग जो कि व्यापार अथवा कृषि में लगे हुए थे नौकरी के लिये आकर नगरों में बस गये । इस प्रकार देहात उजड़ कर वीरान हो गये, गाँव पाठशालाओं के संरक्षक विलीन हो गये और इस प्रकार देशी शिक्षा-पद्धति टूट कर खड खड हो गई ।"

इस प्रकार देश में आधुनिक प्रकार की प्राथमिक शिक्षा-पद्धति की जड़ें जम गईं । स्थानीय बोर्डों ने इस काल में अपना व्यय प्राथमिक शिक्षा पर बढ़ाया । यद्यपि

सरकार की नीति व्यवहार में अब भी प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना करने की थी और उसका व्यय भी प्राथमिक शिक्षा के लिए नहीं बढ़ा। उदाहरण के लिए सन् १८८१-८२ ई० में यह १६ ७७ लाख रुपया था, जबकि १९०१-२ ई० में १६ ६२ लाख रुपया रहा। इस प्रकार यह सिद्ध है कि प्राथमिक शिक्षा को सरकार उचित प्रोत्साहन देने में अग्रफल रही। स्थानीय बोर्डों का व्यय २४ ६ लाख १८८२ ई० से बढ़कर १९०२ ई० में ४६ १ लाख रुपया हो गया। किन्तु भारत की जनसंख्या और अशिक्षा को देखते हुये यह धन-राशि भी अपर्याप्त थी। अधिकांश में इन बोर्डों की आर्थिक अवस्था भी शोचनीय थी और इनका प्रबन्ध भी बड़ा बुरा था। जहाँ अच्छे निरीक्षण तथा अच्छी शिक्षा के कारण प्राथमिक शिक्षा का मान दण्ड ऊँचा हुआ वहाँ उसके विस्तार में सराहनीय प्रसार नहीं हो सका। सन् १८८६ और १९०२ ई० के बीच में प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों की वृद्धि केवल ६,६०,००० थी, जब कि वही वृद्धि १८७१ ई० और १८८६ ई० के मध्य में २० लाख थी। शताब्दी के अन्त में जब कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार सुदूर देहातो में करना पड़ा, उसके प्रसार की गति बड़ी मन्द रही। इस सचप में केवल अच्छे स्कूल जीवित रह सके, इससे शिक्षा का स्तर तो ऊँचा हो सका किन्तु विकास अवरोध हो गया।

मिशनरी प्रयास

हन्टर कमीशन की रिपोर्ट के उपरान्त ईसाई मिशनरियों का यह भ्रम दूर हो गया कि व्यक्तिगत प्रयास में शिक्षा-क्षेत्र में उनका प्राधान्य रहेगा और इस प्रकार शिक्षा के द्वारा वह भारतवासियों का धर्म परिवर्तन करने में सफल हो सकेंगे। वास्तव में इस दृष्टि से उन्हें बड़ी निराशा हुई, अतः उन्होंने अपनी शिक्षा-नीति को बदल दिया। उन्होंने अपना ध्यान उच्च शिक्षा से हटाकर जन-समूह की शिक्षा की ओर लगाया और अपना प्रचार कार्य अधिकांश में आदिवासियों और पहाड़ी जातियों में प्रारम्भ कर दिया। इस ओर उन्हें कुछ सफलता भी मिली है और वास्तव में गत ६० वर्षों में भारत में ईसाई आबादी में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। भारतीय ईसाइयों के लिए उन्होंने कुछ अच्छे कालेज और हाई स्कूलों को यथावत् बना रहने दिया। इसी काल में उन्होंने कुछ अच्छे कालेज भी स्थापित किए जैसे डब्लियन क्रिश्चियन कालेज, इंदौर (१८८४ ई०), मुरे कालेज, स्यालकोट (१८८९ ई०), क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर (१८९२ ई०), तथा गौडन कालेज, रावलपिण्ड (१८९३ ई०)। इस काल में मिशनरी पादरियों को बोध हो गया कि स्कूल में पढ़ाना का धर्म प्रचारक का कार्य नहीं है।

लॉर्ड कर्जन की शिक्षा-नीति

भूमिका

२० वीं शताब्दी का उषाकाल भारतीय शिक्षा के इतिहास में सवदा स्मरण रहेगा। यह वह समय था जबकि देश में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ रही थी। भारतवासियों के हृदयों में अपनी सस्कृति, सम्यता तथा भाषा और साहित्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था। इस जागृति का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। भारतवासी अनुभव करने लगे कि उनकी शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिये। इसी पृष्ठभूमि के साथ सन् १८६६ ई० में लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय नियुक्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि उनमें लॉर्ड डलहौजी के सब गुण विद्यमान थे। जिस प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भारतीयों को अप्रसन्न कर दिया था उसी प्रकार लॉर्ड कर्जन का स्वभाव भी भारतीयों से मेल न खा सका। कर्जन ने आते ही भारत में कुछ सुधार लागू करने चाहे जिनसे भारतवासी सन्न हो उठे। श्री अनाथ नाथ बसु कर्जन के विषय में लिखते हैं कि “स्वभाव से वे उदार व स्वेच्छाचारी शासक थे तथा शिक्षा द्वारा कठोर शासन में विश्वास करने वाले कठोर साम्राज्यवादी थे। वे केन्द्रीयकरण तथा कार्यक्षमता के पुजारी भी थे।” उस समय शिक्षा की अवस्था अच्छी नहीं थी। “१८६७ से १९०२ ई० तक का काल भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे अधिक अप्रगतिशील था, विद्यार्थियों की वृद्धि बहुत कम थी, स्कूलों की संख्या भी घट गई थी। वह समय आपत्ति—दो भयानक दुर्भिक्ष और एक सर्वव्यापी महामारी—का था।” अतः लॉर्ड कर्जन ने भारत में आते ही सितम्बर, १९०१ ई० में एक गुप्त कांफ्रेस शिमला में बुलाई जिसमें केवल प्रान्तीय जन-शिक्षा-संचालकों ने भाग लिया। कर्जन स्वयं सभापति बने। यहाँ वाइसराय ने भारतीय शिक्षा सम्बन्धी प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी समस्याओं पर विचार-विनिमय किया और अपनी नई शिक्षा-नीति की योजना बनाई जिसके अनुसार भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में सरकार का नियन्त्रण बढ़ना चाहिये था। इस कांफ्रेस में भारतीय मत को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। अतः भारतीय शिक्षित समाज इसे सन्देह की दृष्टि से देख रहा था। यहाँ तक कि ईसाई मिशनरियों के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये थे। लॉर्ड कर्जन ने यद्यपि एक परम्परागत नीति का अनुसरण किया था, किन्तु अब समय बदल चुका था। इस नीति का प्रभाव यह हुआ कि राष्ट्रीय विचारधारा और अधिक जोर पकड़ गई। १९०२ ई० में भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति हुई और १९०४ ई० में

शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्तावों का प्रकाशन हुआ। सन् १९०४ ई० में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हो गया। सन् १९०५ ई० में लॉर्ड किचनर से कुछ राजनैतिक मतभेद हो जाने के कारण लॉर्ड कजन स्वदेश वापिस लौट गये। आगे हम लॉर्ड कजन के शिक्षा-सुधारों का संक्षेप में वर्णन करेंगे।

भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन (१९०२ ई०)

२७ जनवरी, सन् १९०२ ई० को इस कमीशन की नियुक्ति हुई जिसने उसी वर्ष जून में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वास्तव में विश्वविद्यालय क्षेत्र में इस समय सुधार की आवश्यकता थी। उनकी स्थापना के उपरान्त उनके सुधार के अब तक कोई प्रयत्न नहीं किये गये थे। इसी बीच में भारत में कालेजों और माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या बढ़ गई थी और विश्वविद्यालय को उनका भार कठिन प्रतीत होने लगा था। लन्दन विश्वविद्यालय का भी १८९८ ई० में पुनर्संगठन कर दिया गया था। अतः यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि भारत में भी विश्वविद्यालयों के संगठन, प्रबन्ध तथा कार्य-प्रणाली में सुधार किया जाय। इसके अतिरिक्त भारत में विश्वविद्यालयों का संगठन लन्दन विश्वविद्यालय को आदर्श मान कर हुआ था। किन्तु अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया था कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय जो कि केवल परीक्षा लेने भर के लिये हैं अधिक उपयोगी नहीं है। अतः लन्दन विश्वविद्यालय भी बदला जा चुका था। भारतवर्ष में भी इस बात की आवश्यकता का अनुभव होने लगा कि अब केवल ऐसे विश्वविद्यालय ही नहीं चाहिये जो कि परीक्षाओं का प्रबन्ध करके उपाधि वितरण कर देते हैं। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी यह बात अनुभव होने लगी कि केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। समय की माँग थी कि औद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध हो जिससे शिक्षा व्यावहारिक जीवन के लिये अधिक उपयुक्त होकर यथेष्ट रूप से हितकर हो सके। अतः इस कमीशन की नियुक्ति 'ब्रिटिश भारत में स्थित विश्वविद्यालयों की अवस्था तथा भावी उन्नति की जाँच करने के लिये, तथा ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिये जो कि उनके विधान तथा कार्य-प्रणाली को सुधारने के लिये बनाये गये हैं अथवा बनाये जा सकते हैं, और गवर्नर-जनरल की परिषद को उन साधनों के लिये सिफारिश करने के लिये जो कि विश्वविद्यालयों के शिक्षण-स्तर को उठा सके और विद्या की उन्नति कर सकें' की गई।

यह दुर्भाग्य की बात थी कि शिमला क्रान्फ्रेस की भाँति कर्जन ने इस कमीशन में भी कोई भारतीय सम्मिलित नहीं किया। भारतीयों की भावना को इससे बड़ा आघात पहुँचा। उन्होंने अनुभव किया कि सम्भवतः सरकार उनकी उठती हुई राष्ट्र-भावनाओं को कुचलने के लिये उसकी प्रगति को रोककर पूर्णतः उसका नियन्त्रण

करना चाहती है। अन्त में कुछ समय बाद इस कमीशन में डा० गुरुदास बनर्जी तथा सैयद हसन बिलग्रामी के नाम भी जोड़ दिये गये, किन्तु भारतीय भावना को मनोवैज्ञानिक आघात तो लग ही चुका था।

[विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा प्रबन्ध के सुधार के लिए कमीशन ने बहुत से सुझाव रखे। संक्षेप में कमीशन की सिफारिशें निम्नलिखित रूप से रखी जा सकती हैं—

- (१) विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध का पुनर्संगठन।
- (२) विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बन्धित कालेजों का कड़ा निरीक्षण तथा सम्बन्ध के नियमों में कड़ाई।
- (३) विद्यार्थियों के रहने के स्थान और अवस्थाओं का समुचित प्रबन्ध।
- (४) विश्वविद्यालयों द्वारा निश्चित मर्यादा के अन्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर देना।
- (५) पाठ्य क्रम तथा परीक्षा-विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

ये ही सिफारिशें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम १९०४ ई० का आधार थीं, जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कमीशन का उद्देश्य वास्तव में कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का नहीं था वरन् वर्तमान प्रणाली को ही पुनर्संगठित करना तथा मजबूत बनाना था। फीस की निम्नतर दर निश्चित करने तथा द्वितीय श्रेणी के इन्टरमीडियेट कालेजों के तोड़ने की सिफारिश करके कमीशन ने कुछ भारतीयों को भी विरुद्ध कर लिया। इतना अवश्य है कि विश्व-विद्यालयों के बिखरे हुए तत्वों को संगठित करके उन्हें सुदृढ़ और सुसंगठित बनाने के लिए कमीशन ने अत्यन्त लाभदायक सिफारिशें कीं और यदि लार्ड कर्जन की नीति में भारतवासियों को मनोवैज्ञानिक असंतोष न हो गया होता तो ये ही सिफारिशें वागत के साथ स्वीकार की जाती, किन्तु समय-चक्र तेजी से घूम रहा था।

सरकारी प्रस्ताव और शिक्षा-नीति (१९०४ ई०)

११ मार्च, १९०४ ई० को लार्ड कर्जन ने सरकारी शिक्षा-नीति को प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण विवरण था। तत्कालीन भारतीय शिक्षा के दोषों को इसने सूक्ष्म दृष्टि से देखा और उनका ठीक-ठीक चित्रण किया। बहुत सी बातें तो आज भी यथावत् हमारी शिक्षा के भाल पर कलङ्क बिन्दु के समान लगी हुई हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि “परिमाण की दृष्टि से हमारी वर्तमान शिक्षा दोष-सर्वविहित है।” “पाँच गाँवों में से चार गाँव बिना किसी स्कूल के हैं। चार ठडकों में से तीन बिना किसी भी प्रकार शिक्षा पाये हुए ही बढ़ते हैं और ४० में से

केवल एक बालिका किसी भी प्रकार के स्कूल में पढने जाती है।" शिक्षा की उत्तमता की दृष्टि से प्रस्ताव में प्रमुख निम्नलिखित दोष बतलाये गये-

(१) उच्च शिक्षा सरकारी नौकरी पाने के एक मात्र उद्देश्य से ही प्राप्त की जाती है, इस प्रकार शिक्षा का क्षेत्र अकारण सकीर्ण कर दिया जाता है और जो सरकारी नौकरी पाने में असफल रहते हैं, वह दुर्भाग्य से अन्य उद्यम पाने के अयोग्य हो जाते हैं।

(२) परीक्षाओं को आवश्यकता से अधिक प्रभुत्व दे रखा है।

(३) पाठ्यक्रम शुद्ध पुस्तकीय है। Bookish

(४) स्कूलों और कालेजों में विद्यार्थियों की बुद्धि का विकास बहुत कम और स्मृति का विकास बहुत अधिक हो जाता है, फलतः गहन विद्वता के स्थान पर केवल यन्त्रवत् पुनरावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है।

(५) अंग्रेजी को प्रमुखता देने से मातृभाषाओं का विकास रुकता है।

(६) टेक्निकल शिक्षा की अवहेलना हो रही है, किन्तु जो कुछ भी टेक्निकल शिक्षा उपलब्ध है वह केवल कतिपय उच्च सरकारी पदों के लिये लोगों को दीक्षित करने के लिये है। वास्तव में ऐसी टेक्निकल शिक्षा की आवश्यकता थी जो जन-साधारण के लिये उपयोगी हो और जिससे देश का भी आर्थिक विकास हो।

प्रस्ताव में यह भी आवश्यक समझा गया कि अधिक उपयोगी कृषि-कालेज खोले जाय तथा भारतीय कलाओं और दस्तकारियों की भी उन्नति की जाय। शिक्षकों को अधिक सख्या में दीक्षित करने पर भी जोर दिया गया। स्त्री-शिक्षा की ओर भी प्रस्ताव की दृष्टि गई और कहा गया कि सरकार को स्त्री-शिक्षा पर अधिक व्यय करना चाहिये तथा अध्यापिकाओं की ट्रेनिङ्ग के लिये अधिक स्कूल तथा बालिकाओं के लिये सरकार की ओर से आदर्श पाठशालायें खुलनी चाहिये। इन पाठशालाओं के निरीक्षण तथा सुप्रबन्ध के लिये निरीक्षकों की सख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

इस प्रकार इस प्रस्ताव के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय-शिक्षा का पूर्ण निरीक्षण करने के उपरान्त उनकी उन्नति के लिये सरकारी नीति की घोषणा की गई।

प्राथमिक शिक्षा के विषय में प्रस्ताव में स्वीकार किया गया कि यद्यपि इसमें विकास हुआ है किन्तु भारत की जन-सख्या को देखते हुए वह अपर्याप्त है। यह भी स्वीकार किया गया कि सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की कृत्तना में इसको अवहेलना की है। प्राथमिक शिक्षा-प्रसार को सरकार का प्रथम कर्तव्य बतलाया गया और उनके सुधार के लिये सुझाव रखे कि एक तो, स्पष्ट आर्थिक नीति का अनुकरण

किया जाय। राजस्व मे से प्रथम भाग शिक्षा पर ध्यय किया जाय। स्थानीय बोर्डों को अपनी शिक्षा सम्बन्धी ¹ धन-राशि केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय करनी चाहिये न कि उच्च शिक्षा पर ² दूसरे, शिक्षण विधि को अनुकूल, सरल व उपयोगी बनाया जाय ³ तीसरे, अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाय।

माध्यमिक शिक्षा के विषय में सरकारी प्रस्ताव में कहा गया कि अब तक माध्यमिक शिक्षा में वृद्धि तो सतोषजनक हुई है, किन्तु इसके साथ ही साथ ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ गई है जिनमें न योग्य शिक्षक हैं, न फर्नीचर न अन्य सामान और न पुस्तकालय व भवन इत्यादि की उचित व्यवस्था। शिक्षण स्तर तथा कार्य क्षमता का भी पतन हुआ है ⁴ अतः प्रस्ताव में निरीक्षण, नियन्त्रण और आर्थिक सहायता द्वारा उनके स्तर को उठाने की सिफारिश की गई है। स्कूलों को स्वीकृति तथा सहायता-अनुदान देने के नियमों में भी कड़ाई कर दी गई और फीस, विद्यार्थियों की संख्या, क्षात्रावास, विज्ञान का सामान, योग्य शिक्षकों को नियुक्ति इत्यादि सम्बन्धी कुछ नियम बना दिये गये जिनकी अवहेलना करने पर इन स्कूलों के परीक्षार्थियों का विश्वविद्यालय-प्रवेश तथा सरकारी परीक्षाओं में बैठने का निषेध कर दिया गया। इन नियमों की कठोरता की भारतीय मत ने तीव्र आलोचना की और सरकार पर अभियोग लगाया कि वह शिक्षा प्रसार को रोकने तथा उन शिक्षा केन्द्रों को, जो कि राष्ट्रीय आन्दोलन के श्रोत हैं, नष्ट करने की सरकार की चाल है।

³ माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी सुधार प्रस्तावित किये गये। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षा के माध्यम का उठाया गया। यह कहा गया कि "प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी का न तो कोई स्थान है और न होना चाहिये। जब तक बालक ने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाकर उसका ज्ञान परिपक्व नहीं कर लिया है तब तक उसे अंग्रेजी पढ़ने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये।" इस प्रकार यह बात स्वीकार की गई कि लगभग १३ वर्ष की उम्र के उपरान्त ही बालक को अंग्रेजी पढ़नी चाहिये। माध्यमिक शिक्षा के लिये प्रस्ताव में मातृभाषा पर जोर दिया गया। "यदि शिक्षित वर्ग ही अपनी मातृभाषाओं की अवहेलना करेंगे तो अवश्य ही वे केवल देशी बोलचाल की भाषा मात्र रह जाँयगी जिनका अपना कोई साहित्य नहीं होगा।"

इसी प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा के दोषों का भी प्रस्ताव में संक्षेप में विवेचन किया गया, क्योंकि यह प्रश्न विश्वविद्यालय कमीशन के अधीन कर दिया गया था। तथापि उनकी परीक्षा-विधि, सीनेट का आकार तथा सिडीकेट के अधिकार इत्यादि पर कुछ प्रकाश डाला।

उपयुक्त विवरण से प्रकट होता है कि लार्ड बर्जस ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के गुण दोषों का विवेचन बिल्कुल ठीक ही किया था। "किन्तु दुर्भाग्य से यद्यपि रोग का निदान ठीक था, प्रस्तावित औषधि न तो उचित ही थी और न सामयिक ही। लार्ड बर्जस ने जो बहुत सी बातें कही उनके कहने में वे सही थे, किन्तु जिस विधि से वे सुधार कराना चाहते थे उसने शिक्षित भारतीयों के मस्तिष्कों में गम्भीर सन्देह उत्पन्न कर दिया। उन्हें भय हुआ कि यह सुधार-कार्य कुछ राज-नीतिक उद्देश्यों को अपनी आड़ में छिपाये हुये हैं।"

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम (१९०४ ई०)

जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है, १९०२ ई० में विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्त हुई थी। इस कमीशन की सिफारिशों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के उपरान्त उन्हीं के आधार पर १९०३ ई० में इम्पीरियल लैजिस्लेटिव काउन्सिल में एक विधेयक 'भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक' के नाम से प्रस्तुत किया गया जो कि २१ मार्च, १९०४ ई० को कानून बन गया। यद्यपि भारतीयों ने इसका भयकर विरोध किया और स्व० गोपाल कृष्ण गोखले ने तो इसकी घञ्जियाँ ही उड़ा दी, किन्तु अन्त में बहुमत से यह पास हो गया।

इस कानून के द्वारा विश्वविद्यालयों के सगठन तथा शासन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गये—इन परिवर्तनों को ७ भागों में विभक्त किया जा सकता है—

(१) विश्वविद्यालयों के कार्य का विस्तार कर दिया गया और उन्हें प्रोफेसर तथा लैक्चरर नियुक्त करने और अनुसन्धान के लिए सुविधा जुटाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया।

(२) दूसरा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन इस अधिनियम ने सीनेट को एक उपयुक्त आकार का बनाने का सुभाव देकर किया। सन् १८५७ ई० के कानून के द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए 'आजीवन फैलो' सरकार द्वारा नियुक्त करने का अधिकार था, किन्तु गत ५० वर्षों में इस अधिकार का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण न होने के कारण सीनेटों का आकार बड़ा विशाल हो गया था। इस अधिनियम के द्वारा यह निश्चित हो गया कि 'फैलो' न ५० से कम और न १०० से अधिक होंगे, और इनकी अवधि आजीवन न होकर केवल ५ वर्ष के लिए होगी।

(३) तीसरा परिवर्तन था चुनाव-सिद्धान्त का प्रारम्भ कर देना। इसके अनुसार निश्चय हुआ कि बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयों में २० तथा अन्य में १५ 'फैलो' चुने जायेंगे।

(४) चौथा परिवर्तन था सिन्डीकेटों की कानूनी स्वीकृति तथा विश्वविद्यालय के अध्यक्षों का सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व ।

(५) पाँचवाँ परिवर्तन इस एक्ट के द्वारा यह किया गया कि विश्वविद्यालयों से कालेजों का सम्बन्ध स्थापित करने के नियम कड़े कर दिए गये और नियमित रूप से सम्बन्धित कालेजों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सिन्डीकेटों द्वारा उनके निरीक्षण की व्यवस्था की गई ।

(६) छठवाँ परिवर्तन सीनेट के द्वारा बनाये जाने वाले नियमों को सरकार में निहित करने का था । अब तक यह अधिकार केवल सीनेट को ही प्राप्त था, केवल सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती थी । किन्तु इस एक्ट के द्वारा यह नियम बना दिया गया कि सीनेट के बनाये हुए नियमों की स्वीकृति के अतिरिक्त सरकार आवश्यक होने पर उनमें घटा-बढ़ा भी सकती है; और यदि एक निश्चित समय तक सीनेट नियम बनाने में असफल रहती है तो सरकार नियम भी बना सकती है ।

(७) अन्त में, गवर्नर जनरल की परिषद् को यह अधिकार भी दे दिया गया कि वह भिन्न-भिन्न विश्व-विद्यालयों की प्रादेशिक क्षेत्र सीमा को भी निर्धारित कर दे । १८५७ ई० के कानून में यह प्रश्न अनिश्चित रह गया था; जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ अनियमित कार्यवाहियाँ हो गई थीं । उदाहरणतः कुछ कालेज विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हो गये; अथवा कुछ अन्य कालेज किसी विश्व-विद्यालय के क्षेत्र में होते हुए भी किसी दूसरे से सम्बन्धित हो गए इत्यादि । इस अधिनियम की २७ वीं धारा में कहा गया कि गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल अपने साधारण अथवा असाधारण आदेश द्वारा विश्वविद्यालयों की सीमा निर्धारित कर देगा जिसके अनुसार कालेजों का सम्बन्ध उनसे स्थापित होगा ।

भारतीय मत —

ऊपर संकेत किया जा चुका है कि 'भारतीय विश्व-विद्यालय विधायक' का धारा-परिषद् में प्रचंड विरोध किया गया था । स्व० गोखले, जो कि धारा-परिषद् के सदस्य थे, उन्होंने अपने ऐतिहासिक व्याख्यानो के द्वारा भारतीय मत को प्रकट किया । वास्तव में प्रथमतः जब लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों के सुधार की घोषणा की थी तो भारत में उसका बड़ा स्वागत हुआ था; किन्तु शिमला कांग्रेस में भारतवासियों का न लिया जाना और इसके प्रतिकूल ईसाई प्रतिनिधि डा० मिलर, जो कि क्रिश्चियन कालेज मद्रास के प्रिन्सिपल थे, उनकी उपस्थिति तथा कांग्रेस के निर्णयों को गुप्त रखना इत्यादि ऐसे कार्य थे जिनसे भारतवासी इन शिक्षा-सुधारा को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे । उन्हें भय होने लगा कि सरकार देश की शिक्षों

को योरुपवासियों के हाथ में देना चाहती है। यद्यपि यह सन्देह आगे चलकर निराधार सिद्ध हुआ, क्योंकि प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में सीनेट में भारतीयों की संख्या योरुपवासियों से अधिक रही। यही कारण था कि आगे चलकर भारतीयों का विरोध इस बात में कुछ ढीला पड़ गया।

इसके अतिरिक्त कमीशन में भी भारतीयों की अग्रहेलना और जस्टिस गुरुदास बनर्जी तथा सैयद हसन बिलग्रामी के नामों का वाद में जोड़ा जाना और कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जल्दबाजी इत्यादि भी कुछ ऐसी हरकतें थीं जिनसे भारतवासी चौंक उठे। इन सुधारों से जो उन्हें आशा बँधी थी वह छिन्न भिन्न हो गई। उन्हें प्रतीत हुआ कि इनके उपरान्त भी शिक्षा क्षेत्र में कुछ 'विशेषज्ञों का सकीर्ण, तर्कहीन और अल्पव्ययी शासन' जीवित रहेगा।

साथ ही चुनाव सिद्धान्त का स्वाम्यत हुआ, किन्तु चुने हुए स्थानों की संख्या को अपर्याप्त बतलाया गया। 'फैलो' सदस्यों की संख्या के नियत करने में भी भारतवासियों को यही भय हुआ कि उसके द्वारा सरकार विश्वविद्यालयों की सीनेट में योरुपवासियों का बहुमत करना चाहती है। विश्वविद्यालयों द्वारा कालेजों के सम्बन्ध स्थापित करने के नियमों की कड़ाई का तीव्र विरोध हुआ, क्योंकि लोगों को भय हुआ कि इसके द्वारा उच्च शिक्षा क्षेत्र में सरकार भारतीयों के व्यक्तिगत प्रयास को कुचलना चाहती है। अन्त में, सबसे अधिक विरोध सरकार की उस नीति का हुआ जिसके द्वारा उसने इस अधिनियम में सीनेट के बनाये हुए नियमों में हस्तक्षेप तथा विश्वविद्यालय के आन्तरिक शासन को अपने हाथ में लेने की सम्झौता की थी। उन्हें डर हुआ कि सरकार उच्च-शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण करके उसकी प्रगति को रोकना चाहती है। वस्तुतः यह विरोध शिक्षा-क्षेत्र में बहुत दिनों तक चलता रहा जो कि १९२१ ई० में जाकर ही शान्त हुआ।

आलोचना

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने सम्पूर्ण गुण और दोषों के साथ इस अधिनियम ने वास्तव में भारतीय उच्च शिक्षा में प्रशंसनीय सुधार किए। विश्वविद्यालयों का शासन अधिक कार्यशील और कुशल बना दिया गया। कुछ विश्वविद्यालयों ने शिक्षण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया। पुस्तकालयों की स्थापना हो गई। निम्नकोटि के कालेज या तो सुधार करके उच्च स्तर पर आ गये अथवा समाप्त हो गये। सीनेट का अधिकार नियत कर दिया गया तथा सिंडीकेट को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जैसा भय किया गया था कि वैयक्तिक प्रयास को कुछ आघात लगेगा, निराधार सिद्ध हुआ। यद्यपि नियमों की कठोरता के कारण कालेजों की संख्या १९०४ से १९१२ ई० तक कम हो गई, किन्तु उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की

में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। १९०२ ई० में विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कालेजों या १६२ थी जो कि १९०७ ई० में १७४ ही रह गई। किन्तु इससे विद्यार्थियों या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुल मिलाकर कालेजों की कार्यक्षमता में ई और शिक्षा का स्तर ऊँचा उठा।

विश्वविद्यालय अधिनियम के दोषों का उल्लेख इन शब्दों से अच्छा नहीं जा सकता "इसने विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को बदलने तथा उसे उचित पर रखने का कोई प्रयास नहीं किया। यद्यपि नए विश्वविद्यालयों की अत्यन्त कता थी, किन्तु इसके द्वारा उनका निर्माण नहीं हुआ, और अन्त में, विश्व-यों के शासन में इसने सरकार के हाथों में इतना नियंत्रण रख दिया कि ॥ विश्वविद्यालय कमीशन ने भारतीय विश्वविद्यालयों को 'संसार के सबसे सरकारी शासित विश्वविद्यालय' कह कर पुकारा है।"†

हार

इस प्रकार हन्टर कमीशन से लेकर लॉर्ड कर्जन तक भारतीय शिक्षा ने प्रगति जिस प्रकार हन्टर कमीशन ने केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को ॥ दी थी, उसी प्रकार विश्वविद्यालय कमीशन ने प्रधानतः विश्वविद्यालयों की के विषय तक ही अपने को सीमित रखा। इस युग में भारतीय शिक्षा का क रूप पर्याप्त रूप से निखर गया और अपने अन्तिम स्वरूप में उपस्थित होने हन्टर कमीशन का उद्देश्य शिक्षा का विस्तार तथा उसे जन-समूह के लिये सुलभ था। विश्वविद्यालय कमीशन तथा अधिनियम का उद्देश्य उच्च शिक्षा का उन तथा उसको ठोस बनाना था। कर्जन अपनी सद्भावनाओं की अपेक्षाकृत रत में सवप्रिय न हो सका। शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण की उनकी नीति का ने निरादार किया। यदि कर्जन का स्वभाव भारतीय जनता के मनोनुकूल गौर लोग उनके राजनैतिक उद्देश्यों की ओर से सशक न हो गये होते तो जो शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ उसका श्रेय अवश्य उ हे मिलता। उधर रूस-युद्ध में जापान की विजय ने भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावनाओं र अधिक उभाड़ दिया था। साथ ही कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के कार्य भारत में एक बार को राष्ट्रीयता का झुकाव ही उत्पन्न कर दिया जिसने एक से ब्रिटिश शासन की जड़े ही उखाड़ कर रख दी। इस प्रकार से उत्पन्न हुए आन्दोलन की आँधी में भारत को एक नवीन राष्ट्रीय स्फूर्ति का सदेश मिला। ~~तुम्हें~~ अवश्य कहेंगे कि लॉर्ड कर्जन की सुधार-योजनाओं ने भारतीय शिक्षा-क्षेत्र

मे एक नवीन चेतना उत्पन्न कर दी । फलतः भारतीय जनता सरकार की शिक्षा योजनाओं को एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखना सीखी । इसके अतिरिक्त लॉर्ड कर्जन का वह आदेश जिसके द्वारा विद्यार्थियों को राजनैतिक सभाओं में भाग लेने पर कठोर दंड की धमकी दी गई थी, देश में राजनैतिक चेतना उत्पन्न करने में अधिक प्रभावोत्पादक सिद्ध हुआ ।

स्वदेशी आन्दोलन और शिक्षा-प्रगति

(१९०५-१९२० ई०)

(क) स्वदेशी आन्दोलन

आन्दोलन का प्रभाव

लॉर्ड कर्जन की नीति ने देश के राष्ट्रीय नेताओं को रूढ़ कर दिया। उसके शिक्षा सुधार निश्चय ही राजनैतिक उद्देश्यों से प्रभावित थे। अतः राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान इधर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। रूस-जापान युद्ध में जापान की विजय ने यह सिद्ध कर दिया था कि एशिया की सभ्यता भी ससार में अपना महत्त्व रखती है। भारत की राष्ट्रीय भावनाओं को इससे बड़ी प्रेरणा मिली। परिणामतः भारत में जापानी शिक्षा-प्रणाली के अध्ययन की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जापानी शिक्षा-प्रणाली के ऊपर भारत में एक सरकारी रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई तथा बहुत से भारतवासी जापान में शिक्षा प्राप्त करने भी गये। इसके अतिरिक्त १९०६ ई० में सरकार की ओर से कलकत्ता में 'जापान की शिक्षा प्रणाली' नामक एक सामयिक रिपोर्ट और निकली। इस साहित्य ने भी भारतीय तरुणों को क्रान्तिकारी भावनाओं से भर दिया और वह भारतीय शिक्षा-प्रणाली के सुधार की आवाज को ऊँचा करने लगे। इसी समय एशिया के अन्य भागों से भी इसी प्रकार के परिवर्तन के समाचार भारत आने लगे। फारस में १९०५ ई० में स्वेन्झाचारी शासन स्थापित हो गया था। तुर्की तथा चीन में भी उत्तरदायी शासन के आन्दोलन सफल हो रहे थे। इसके पूर्व भारत में बंगाल-विभाजन आन्दोलन जोर पकड़ ही चुका था। इस प्रकार ये सब घटनाएँ मिलकर 'स्वदेशी आन्दोलन' के रूप में फूट पड़ी। सर्वप्रथम १९०५ ई० में बंगाल में ही इसका सूत्रपात हुआ और वहाँ से इसकी चिनगारियाँ फैल गईं।

इस आन्दोलन का मूलभूत विचार था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के उपभोग ने देश में औद्योगिक शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उच्च-कोटि के भारतीय नेता देश में एक प्रकार की राष्ट्रीय-शिक्षा के प्रचार की कल्पना व योजना करने लगे। इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि बंगाल में 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्' की स्थापना हुई। इस आन्दोलन के प्रमुख नेता सर गुरुदास बनर्जी, रासबिहारी घोष तथा डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर थे। इस परिषद् ने राष्ट्रीय शिक्षा के लिये एक विस्तृत योजना बनाई। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का सुधार इसका उद्देश्य था। इस परिषद् ने कलकत्ता में एक 'नेशनल कालेज' भी स्थापित किया और श्री अरविन्द को इसका प्रथम प्रिन्सिपल बनाया गया। कुछ ही समय में लाखों रुपये भी इकट्ठे कर लिये गये। साथ ही कलकत्ता में एक 'टेक्निकल इन्स्टीट्यूट' भी खोला गया जो कि आगे चलकर 'जादवपुर कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी' के रूप में विकसित हुआ। थोड़े ही समय में सम्पूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय स्कूलों का एक जाल सा बिछ गया। इन स्कूलों में मातृभाषा के माध्यम के द्वारा उपयोगी विषयों में शिक्षा दी जाती थी। देश के अन्य भागों में भी इन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित स्कूलों का निर्माण हुआ तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता व सस्कृति का पुनरुत्थान करने के लिये गुरुकुलों की स्थापना भी हुई।

वस्तुतः भारतीय शिक्षा-पद्धति को सुधारने के लिये यह प्रथम आन्दोलन था, किन्तु ज्यों-ज्यों स्वदेशी आन्दोलन ढीला पड़ता गया, राष्ट्रीय शिक्षा-आन्दोलन में भी शैथिल्य आता गया। 'नेशनल कालेज' भी बन्द हो गया और अन्य स्कूल भी धीरे-धीरे नष्ट हो गये। केवल जादवपुर टेक्निकल कालेज आज भी उस शानदार आन्दोलन की स्मृति दिला रहा है। यह इस बात का द्योतक है कि देश में औद्योगिक शिक्षा की माँग थी। वस्तुतः यह सम्पूर्ण आन्दोलन ही राजनैतिक-आर्थिक था। शिक्षा सुधार की यह लहर एक बार को देश के कौने-कौने में फैल गई थी। वृन्दावन और हरिद्वार के गुरुकुलों से वेद-मंत्रों की ध्वनियाँ भारत के अतीत का गौरव गान गुंजरित करती थी तो उधर शान्तिनिकेतन के ब्रह्मचारी प्राच्य सस्कृति को विश्व के समक्ष लाने के लिये कवि-सम्राट् के चरणों में बैठे तपस्या कर रहे थे। इधर वाइसराय की परिषद् के गगनचुम्बी भवनों में भारत के महान् नेता श्री गोखले की सिंहगर्जना भारतीय जनवाणी का प्रतिनिधित्व कर रही थी।

उसी समय की एक महत्त्वपूर्ण घटना १९०६ ई० में मुस्लिम लीग की स्थापना है, जिसका भारतीय शिक्षा में एक ऐतिहासिक महत्त्व है। इसकी स्थापना ~~गामीर~~ तथा उच्च शिक्षा प्राप्त मुसलमानों ने अपने राजनैतिक तथा आर्थिक हितों

की सुरक्षा के लिये की थी। लॉर्ड वर्जन के उपरान्त लॉर्ड मिन्टो भारत के वाइसराय हुए। उन्होंने सर्व प्रथम देश में हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विष बीज बोये। 'मिन्टो मॉर्ले सुधार' के नाम से जो वस्तु भारत में आई उसने देश की राजनैतिक तथा सामाजिक अवस्थाओं को प्रभावित करने के अनिश्चित तत्कालीन शिक्षा पर भी अपना प्रभाव डाला। इस साम्प्रदायवाद की नीति को अंग्रेज शासकों का वरदान प्राप्त था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में मुसलमान नेताओं ने अपने लिये अलग स्कूल, अलग विश्वविद्यालय तथा सरकारी स्कूलों में अपने लिये अलग स्थान नियत कराने का नारा बुलन्द किया। इस प्रकार भारतीय शिक्षा में जातीयवाद के बीज बो दिये गये जो कि आगे जाकर एक भयानक अभिशाप सिद्ध हुए।

गोखले का विधेयक

सन् १९०४ ई० की सरकारी नीति के कारण देश में प्राथमिक शिक्षा का पर्याप्त प्रसार हुआ, किन्तु भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ इसकी माँग भी बढ़ती जा रही थी। स्वदेशी आन्दोलनों तथा राजनैतिक जागृति ने जनसाधारण की शिक्षा की ओर देश में रुचि उत्पन्न कर दी थी। उस समय भारत में केवल ६ प्रतिशत साक्षरता थी और स्कूल जाने योग्य लड़कों के केवल २३८ प्रतिशत तथा लड़कियों के २७ प्रतिशत स्कूलों में जाते थे।

ऐसी परिस्थितियों में गोखले ने सरकार तथा जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और प्राथमिक शिक्षा के निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने की माँग सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने जनता को यह चेतावनी भी दी थी कि अशिक्षित देश सम्यता की दौड़ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अतः भारतीय जनसाधारण को अनिवार्यतः शिक्षित किया जाय। इधर १९०६ ई० में बडौदा नरेश ने अपने सम्पूर्ण राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। अतः भारत के अन्य भागों को भी इस क्रान्तिकारी कदम से प्रेरणा मिली। १९ मार्च, सन् १९१० ई० को स्वर्गीय गोखले ने इम्पीरियल धारा परिषद् में निम्नलिखित प्रस्ताव रक्खा।

“इस परिषद् की सिफारिश है कि प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिये, और निश्चित प्रस्ताव बनाने के लिये सरकारी और गैर-सरकारी अधिकारियों का एक सयुक्त कमीशन शीघ्र नियुक्त करना चाहिये।”

इसके अनुसार श्री गोखले ने बताया कि केवल ६ वर्ष से १० वर्ष तक के लड़कों के लिये ही शिक्षा अनिवार्य की जाय और वह भी उस क्षेत्र में जहाँ पहले से ही ३३ प्रतिशत लड़के स्कूलों में शिक्षा पा रहे हों। शिक्षा की तत्कालीन अवस्थिति

के बड़े ठोस सुझाव रखे। खर्च के विषय में उन्होंने बताया कि यह स्थानीय मस्थाओं तथा सरकार में १/२ के अनुपात से बँट जाना चाहिये। शिक्षा के लिये एक अलग सैक्रेटरी नियुक्त करने की भी उन्होंने माँग की तथा बजट में शिक्षा की प्रगति के वर्णन करने का सुझाव रखा।

अन्त में सरकार के आश्वासन पर यह प्रस्ताव वापिस ले लिया गया, किन्तु इसके उपरान्त भी कोई आशाजनक प्रगति प्राथमिक शिक्षा में न हुई। १९१० ई० में भारत सरकार ने शिक्षा विभाग तो स्थापित कर दिया, किन्तु शिक्षा को पूर्णतः प्रान्तीय सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत ही रखा। १९१० ई० से पूर्व शिक्षा गृह-विभाग के अन्तर्गत थी। इस नये शिक्षा-विभाग में स्वास्थ्य तथा भूमि को भी सम्मिलित रखा गया था।

प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिये सरकार की धीमी प्रगति को देखकर १६ मार्च, १९११ ई० को श्री गोखले ने अपना ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत किया। यह विधेयक व्यक्तिगत था तथा अत्यन्त ही विनम्र और सादा था। इसका उद्देश्य “देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में क्रमशः अनिवार्यता के सिद्धान्त का प्रारम्भ करना” था। प्रथमतः इसके अनुसार स्थानीय बोर्डों के उन क्षेत्रों में जहाँ पहिले से ही लड़के लड़की एक निश्चित प्रतिशत में स्कूल जाते थे, कानून लागू करना था। इस प्रतिशत को गवर्नर जनरल अपनी परिषद् में नियत करेंगे। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम को लागू करने का अधिकार पूर्णतः स्थानीय बोर्डों पर छोड़ दिया गया। साथ ही यदि स्थानीय बोर्ड इसे अपने क्षेत्र में लागू करना चाहे तो पहिले सरकार की अनुमति लें। स्थानीय बोर्डों को शिक्षा-कर लगाने की अनुमति दी जाने की भी व्यवस्था की गई। ६-१० वर्ष तक के बालकों के अभिभावकों के लिये यह आवश्यक कर दिया गया कि वे अपने लड़कों को स्कूल भेजें। लड़कियों पर भी इसे कालान्तर में लागू करने की बात कही गई। नियम भंग करने पर अभिभावकों के लिये दण्ड-व्यवस्था भी की गई। साथ ही खर्च के लिये स्थानीय बोर्डों को प्रान्तीय सरकारों से अनुदान का उल्लेख भी किया गया। वस्तुतः इस योजना का आर्थिक स्वरूप ही इसको स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने के लिये अधिकांश में उत्तरदायी था। अतः श्री गोखले ने स्वयं इसको अपनी भूमिका में स्पष्ट करने का प्रयास किया था।

“यह बात स्पष्ट है कि इस विधेयक की सम्पूर्ण क्रिया प्रथमतः अनिवार्य शिक्षा जहाँ कहीं भी लागू की जाय उसके व्यय के उस भाग पर निर्भर है जोकि सरकार सहन करने को उद्यत है। मुझे विश्वास है कि इंग्लैंड में मसदोय अनुदान प्रारम्भिक शिक्षा के कुल व्यय का ३/४ है। स्काटलैंड में इससे भी अधिक तथा आयरलैंड में तो

प्रायः सम्पूर्ण ही है। मेरा अनुमान है कि हमें यह कहने का अधिकार है कि भारत में नये व्यय का कम से कम ३ भाग सरकार उठाये।”†

इस प्रकार विधेयक के प्रस्तुत हो जाने पर स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालय तथा कुछ अन्य व्यक्तिगत सस्थाओं से मत संग्रह के लिये इसको पुमाया गया। अन्त में दो दिन के घमासान सघष के उपरान्त १९ मार्च, १९१२ ई० को इसे १३ मत के विरुद्ध ३८ मतों से गिरा दिया गया। सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त जमीदार सदस्यों ने भी अपने गोरों स्वामियों का साथ देकर राष्ट्र की शिक्षा प्रगति को एव महान् क्षति पहुँचाई। सरकार इस नञ्च विधेयक को भी पास न कर सकी। वस्तुतः अस्वीकार करने के तर्क बड़े ही निरर्थक व सारहीन थे। उदाहरण के लिये कहा गया कि यह कदम समय से पूर्व तथा अनावश्यक था। यह भी कहा गया कि जनत अनिवार्यता के सिद्धान्त के प्रतिकूल है, तथा अनिवार्यता शिक्षा-सिद्धान्त के प्रतिकूल भी है, प्रान्तीय सरकारें अनिवाय शिक्षा के पक्ष में नहीं हैं, कुछ भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षित वर्ग भी इसके विरुद्ध हैं और स्थानीय बोर्ड भी इस समय नवीन योजना के लिये अधिक कर न लगावेंगे तथा प्रबन्ध और संगठन की दृष्टि से इसमें अनेक शासन सम्बन्धी असुविधाएँ हैं इत्यादि-इत्यादि बहाने सरकार ने लगा कर विधेयक को गिरा दिया। श्री गोखले ने कहा कि इसे १५ सदस्यों की एक प्रवर समिति‡ के पास भेजा जाय, किन्तु सब व्यर्थ हुआ। सरकार की ओर से सर हारकोर्ट बटलर ने जो सरकारी प्रवक्ता था, विधेयक का तीव्र विरोध किया और कहा कि देश अभी इस सुधार के लिये तैयार नहीं है। श्री गोखले ने धारा प्रवाह व्याख्यानो के द्वारा अप-अटाक्य तर्क प्रस्तुत किये किन्तु उन्हें निराश होना पड़ा। यह एक शानदार पराजय थी।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस असफलता की अपेक्षाकृत भी बाद में श्री गोखले के विधेयक के सिद्धान्तों को सरकार व्यावहारिक रूप प्रदान करने लगी अधिकतर शिक्षित भारतवासी अनिवार्य निशुल्क शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करने लगे। केन्द्र में शिक्षा विभाग स्थापित हो गया। प्राथमिक शिक्षा के आन्दोलन को सम्पूर्ण देश में एक तीव्र प्रगति मिली। १९१२ ई० में सीमाप्रान्त में प्राथमिक शिक्षा निशुल्क कर दी गई। सयुक्तप्रान्त (उत्तर प्रदेश), पंजाब, आसाम तथा मध्यप्रान्त में भी नाम-मात्र शुल्क पर इसे अधिक विस्तार के साथ चालू कर दिया गया।

† *Gokhale's Speeches* (1920 Ed) pp 618-19

‡ Select Committee

- (६) स्कूलों के भवन स्वच्छ, विस्तृत तथा अल्पव्ययी हों ।
- (१०) प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त स्त्री-शिक्षा पर भी इस प्रस्ताव में जोर दिया गया । बालिकाओं के लिये विशेष तथा व्यावहारिक उपयोगिता के पाठ्यक्रम को तैयार करने के सुझाव रखे । प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया कि लड़कियों की शिक्षा में परीक्षा का महत्त्व अधिक न बढ़ने पावे । अध्यापिकाओं तथा निरीक्षिकाओं की सख्या बढ़ाई जावे ।
- (११) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के पूर्ण पलायन का प्रस्ताव में विरोध किया गया, साथ ही सरकारी स्कूलों के बढ़ाने का भी निषेध कर दिया गया । वर्तमान स्कूलों को आदर्श बना रहने दिया जाय तथा व्यक्तिगत स्कूलों को उचित सहायता-अनुदान द्वारा प्रोत्साहित किया जाय । परीक्षा-विधि तथा पाठ्यक्रम के सुधार की भी सिफारिश की गई ।
- (१२) विश्वविद्यालय शिक्षा में और अधिक विस्तार का आयोजन किया गया । देश की माँग तथा आवश्यकताओं को देखते हुए पाँच विश्वविद्यालयों तथा १८५ कालेजों को अर्पणित बतलाया गया । इसके अतिरिक्त १९०४ ई० से चले आने वाला वह नियम जिसके अनुसार विश्वविद्यालयों को हाईस्कूलों को स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था, जिसमें कुछ दोष आ जाने के कारण प्रस्ताव ने सुझाव रखा कि हाईस्कूल तथा विश्वविद्यालयों में उचित श्रम विभाजन किया जाय । अतः विश्वविद्यालयों को स्कूलों को स्वीकृति प्रदान करने के उत्तरदायित्व से मुक्त करके उसे प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में रखा जाय । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में शिक्षण तथा परीक्षा के दो कार्यों को भी अलग अलग करके शिक्षण करने वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया । साथ ही उच्च-शिक्षा के पाठ्यक्रम में औद्योगिक महत्त्व के विषयों का समावेश और इच्छुक विद्यार्थियों के लिये अनुसन्धान की अधिक सुविधायें प्रदान करने की सिफारिश की । विद्यार्थियों के चरित्र तथा क्षात्रावास-जीवन पर भी प्रस्ताव में सुझाव रखे गये ।

आलोचना

इस प्रकार उपर्युक्त सुझावों को देखने से प्रतीत होता है कि माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा में चलने वाला तर्क कि शिक्षा के विस्तार को बढ़ाया जाय अथवा उसकी किस्म का सुधार किया जाय, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी आ गया । इतना अवश्य है कि जहाँ सरकार शिक्षा की किस्म का सुधार करना चाहती थी वहाँ उसके विस्तार के विषय में सजग थी, जैसा कि उपर्युक्त सिफारिशों से प्रकट होता है ।

माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में ये सुभाव अत्यन्त महत्त्व रखते थे। १९१३ ई० के उपरान्त १९२१ ई० तक भारत में जो सर्वाङ्गीण शिक्षा-विकास हुआ उसका श्रेय इस प्रस्ताव को ही है, जिसका पर्यवेक्षण हम तत्कालीन 'शिक्षा प्रगति' नामक शीर्षक के अन्तर्गत आगे करेंगे। इतना अवश्य है कि सन् १९१४ ई० में विश्वयुद्ध की घोषणा तथा भारत सरकार के उस युद्ध में भाग लेने के कारण १९१३ ई० के प्रस्ताव के अन्तर्गत सुभाव एक पवित्र आशा के रूप में ही रहे। युद्ध के उपरान्त १९१७ ई० में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा के विषय में जाँच पड़ताल करने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की जो कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है।

(ख) कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन (१९१७ ई०)

नियुक्ति

प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व भारत सरकार ने लॉर्ड हैल्डेन के सभापतित्व में एक विश्वविद्यालय कमीशन नियुक्त करने का प्रयास किया था, किन्तु विश्वयुद्ध तथा लॉर्ड हैल्डेन की अस्वीकृति के कारण यह संभव न हो सका। युद्ध के उपरान्त सरकार ने १९१७ ई० में एक 'छोटा किन्तु शक्तिशाली' कमीशन नियुक्त किया। यह कमीशन प्रधानतः कलकत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था की जाँच करने तथा उसकी समस्याओं को रचनात्मक विधि से सुलझाने के लिये नियुक्त किया गया था।

१४ सितम्बर, १९१७ ई० को भारत सरकार ने एक प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसके अनुसार इस कमीशन की नियुक्ति की। डा० माइकेल सैंडलर, वाइस चांसलर लीड्स विश्वविद्यालय, इसके सभापति नियुक्त हुए। यही कारण है कि इतिहास में यह 'सैंडलर कमीशन' के नाम से भी विख्यात है। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य डा० ग्रेगरी, प्रो० रैमजैम्पोर, सर हार्टोग, श्री हार्नेल, डा० जियाउद्दीन अहमद तथा सर आसुतोष मुकर्जी थे।

यद्यपि इस कमीशन की नियुक्ति केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिये ही हुई थी, किन्तु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से यह भी व्यवस्था कर दी गई थी कि कमीशन भारत के अन्य विश्वविद्यालयों की अवस्था का अध्ययन भी कर सकता है, यही कारण है कि इस कमीशन की रिपोर्ट का अखिल भारतवर्षीय महत्त्व है। लगभग १७ माह के कठिन श्रम के उपरान्त १९१९ ई० में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यह रिपोर्ट १३ भागों में विभाजित है और भारतीय माध्यमिक, कालेजीय तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में एक अत्यन्त ही विस्तृत, महत्त्वपूर्ण तथा रचनात्मक विवरण प्रस्तुत करती है, किन्तु माध्यमिक शिक्षा पर, जो कि वस्तुतः उच्च शिक्षा का धरातल है, अच्छी विवेचना की गई है।

ने 'प्राथमिक शिक्षा कानून' को कार्यावित करना प्रारम्भ कर दिया। १९२० में मध्यप्रान्त और मद्रास ने भी ये कानून पास कर दिये।

उपसंहार

इधर कुछ राजनैतिक हलचलो का भी शिक्षा पर साधारण रूप से तथा प्राथमिक शिक्षा पर विशेष रूप से प्रभाव पडा। १९१७ ई० में रूस की राज्यक्रान्ति के समाचार भारत में भी आने लगे और इसका भारतीय शिक्षा पर गहरा प्रभाव पडा। इधर भारत में १९१९ ई० में रौलट बिल का भारतीय जनमन के विरुद्ध हो जाना तथा जनता द्वारा उसका बहिष्कार, उसके उपरान्त जनरल ओ० डायर द्वारा जलियानवाला बाग की दुखद घटना, युद्ध के उपरान्त आने वाली मंहगाई और बेकारी तथा सबसे महत्त्वपूर्ण घटना महात्मा गाँधी द्वारा संचालित १९१९-२१ ई० का 'असहयोग आन्दोलन' जिसके कारण विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों का बहिष्कार कर दिया, इत्यादि ऐसी घटनाये हैं, जिनका भारतीय शिक्षा पर प्रभाव पडे बिना नहीं रह सकता था। भारत सरकार ने इन आन्दोलनों को देखकर यह अनुभव कर लिया था कि 'योरोपीय इतिहास तथा विचारधारा की शिक्षा का अनिवार्य परिणाम है स्वराज्य की इच्छा, और आज भारत में जो शिक्षित वर्ग की ओर से माँग रखी जा रही है वह हमारे १०० वर्षों के कार्यों का स्वाभाविक तथा ठीक परिणाम है।'† इस सबका फल यह हुआ कि १९१९ ई० में माटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हुए और भारत का विधान परिवर्तित कर दिया गया। इन सुधारों के प्रकाश में शिक्षा ने जो प्रगति की उसका वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा।

† Dumbell, p 94 Quoted by Dr. Zellner *Education in India*, p 146-47

द्वैध शासन के बाद शिक्षा-प्रगति

(१९२१-३७ ई०)

C Education Survey upto 1917 - 1937

(क) मागट-फोर्ड सुधार

भूमिका

१९१७ ई० में भारतमन्त्री श्री माटेयू ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्स-फोर्ड के साथ भारत का दौरा किया और तत्कालीन राजनैतिक तथा वैधानिक परिस्थितियों का अध्ययन करके १९१८ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। १९१९ ई० में यह सुधार ब्रिटिश ससद द्वारा स्वीकृत हुए तथा १९२१ ई० से कार्यान्वित होने लगे। १९१९ ई० के अधिनियम के द्वारा भारत के प्रान्तों में दोहरा शासन स्थापित हो गया। इससे पूर्व केन्द्रीय सरकार ही अखिल-भारतवर्षीय महत्त्व के सुधारों से सम्बन्ध रखती थी और इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार की समितियाँ तथा कमीशन इत्यादि की नियुक्ति करती थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी केन्द्रीय सरकार नये सुधारों को लागू करती थी। किन्तु माट-फोर्ड सुधारों के द्वारा स्थिति बदल गई। प्रांतीय सरकारें दो भागों में विभाजित हो गई—सुरक्षित तथा हस्तान्तरित। स्वास्थ्य तथा शिक्षा इत्यादि विषय प्रान्तीय मन्त्रियों को हस्तान्तरित कर दिये गये। ये मन्त्री घारा सभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। भारतीय जन-प्रिय मन्त्रियों को स्वायत्त-शासन का यह प्रथम पाठ था। प्रान्तीय शिक्षा हस्तान्तरित विषय तो हो गया किन्तु यूरो-पियनों की शिक्षा तथा कुछ केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों जैसे सीमाप्रान्त, अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, बिलोचिस्तान इत्यादि की शिक्षा केन्द्र के नियंत्रण में ही रही। राजकुमारों के शिक्षालय तथा दिल्ली, अलीगढ़ और बनारस के विश्वविद्यालय भी केन्द्रीय सरकार के अधीन रहे।

माण्ट-फोर्ड सुधारो से शिक्षा को पर्याप्त प्रगति मिली । भारतीय मन्त्रियों ने उत्साहपूर्वक शिक्षा प्रसार के कार्य को अपने हाथो मे लिया । प्रान्तीय धारासभाओ ने भी शिक्षा-अनुदान की मागो को सहर्ष स्वीकृत किया और देश में जन-शिक्षा प्रसार के अपने उत्तरदायित्व का अनुभव किया । स्थानीय बोर्डों के उत्तरदायित्व भी बढ गये और प्राय सभी प्रान्तो मे प्राथमिक-शिक्षा उन्हे हस्तान्तरित करदी गई । माण्ट-फोर्ड रिपोर्ट मे भी तत्कालीन भारतीय अवस्था के विषय मे स्पष्ट शब्दो मे स्वीकार किया गया कि —

“गत वर्षों मे हमारी शिक्षा-नीति का उद्देश्य, बिना उन परिणामो पर विचार किए हुये जो कि ग्राम जनता की शिक्षा की अवहेलना से उत्पन्न हो सकते हैं, उन थोडे से व्यक्तियो को सतुष्ट करना था जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे । वास्तव में हमने एक ऐसे सकीर्ण शिक्षित वर्ग को तैयार कर दिया है, जिन्हे उन्नति की अभिलाषा है, और हम उनकी प्रगति को पूर्णत नही रोक सकते जब तक कि जन-साधारण के लिए शिक्षा उपलब्ध नही है । हम शिक्षा को व्यावहारिक नही बना सके । हमको स्वीकार करना चाहिये कि शिक्षित भारतीय पूर्णत हमारी ही रचना है, और यदि शिक्षा की अच्छाइयो का श्रेय हम अपने ऊपर लेते हैं तो हमें उसकी दुर्बलताओ के उत्तरदायित्व को भी स्वीकार करना चाहिए ।”

कुछ बाधायें

माण्ट-फोर्ड सुधारो से प्रान्तो का शासन दोहरा हो गया । शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय मन्त्री पर आ तो गया किन्तु उसके अधिकार उसे नही मिले । आर्थिक प्रश्न सुरक्षित विषय रक्खा गया था । अत वित्त विभाग अंग्रेज मन्त्रियों के हाथो में था जो कि भिन्न-भिन्न प्रान्तो में केवल गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे । इस प्रबन्ध के कारण शिक्षा मन्त्री अपनी शिक्षा योजनाओ पर आवश्यकतानुसार रुपया व्यय नही कर सकते थे । इससे उनकी योजनाये भी निरर्थक रहती थी ।

दूसरे, केन्द्रीय सरकार ने अब अपने राजस्व का कोई भी भाग शिक्षा पर देना बन्द कर दिया । इससे प्रान्तीय सरकारो को बहुत आर्थिक क्षति उठानी पडी ।

तीसरे, गवर्नरो के अधिकार आवश्यकता से अधिक थे, और डा० जैलनर के शब्दो में उनके द्वारा पूर्ण 'वोटो' शक्ति का प्रयोग किया जाता था और वह अपनी इच्छानुसार किसी भी विकास सम्बन्धी अधिनियम को 'अनावश्यक' कह कर अस्वीकृत कर सकते थे ।

जो कि सैंडलर कमीशन के भी सदस्य रह चुके थे और १९२१ ई० में ढाका विश्वविद्यालय के उपकुलरति भी थे। यह समिति 'हर्टाग समिति' के नाम से विख्यात है।

हर्टाग-समिति की रिपोर्ट

हर्टाग समिति ने सितम्बर १९२६ ई० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें तत्कालीन भारतीय शिक्षा की सभी अवस्थाओं का विशद वर्णन है। समिति ने इस बात को स्वीकार किया था कि १९१७ और १९२७ ई० के दशक में शिक्षा में बहुत उन्नति हुई। विकास के साथ ही साथ शिक्षा की उत्तमता में भी आशाजनक सुधार हुआ। "शिक्षा साधारण रूप से राष्ट्रीय महत्त्व की एक प्रथम बात तथा 'राष्ट्र निर्माण' का एक अनिवार्य साधन समझी जाने लगी है। व्यवस्थापिकाओं द्वारा इधर जो ध्यान दिया गया है वह इसी बात का प्रमाण तथा लक्षण है। शिक्षा-विभाग के जन-प्रिय मंत्री के नियंत्रण में हस्तान्तरण हो जाने से जनता में भी शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है और इसे जनता की वर्तमान आवश्यकताओं और मत के अनुरूप भी बना दिया है। शिक्षा के विकास का स्वागत न केवल सरकारी अधिकारियों और धनिक वर्ग ने ही किया है, अपितु वे जातियाँ जो शिक्षा में अब तक पिछड़ी हुई थी, जैसे मुसलमान इत्यादि अब अपने बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता तथा सभाषना के प्रति सचेत हो गई हैं। यह आन्दोलन पिछड़ी हुई जातियों तथा आदिवासियों तक में फैल चुका है और इसने शिक्षा को अधिकार के रूप में माँगने के लिये एक वृहत्तर वर्ग को जागृत कर दिया है।"

प्राथमिक शिक्षा—यद्यपि इस प्रकार शिक्षा में प्रगति हो रही थी, तथापि समिति देश में साक्षरता की प्रगति से सन्तुष्ट नहीं थी। उसकी राय में शिक्षा में पर्याप्त अपव्यय (Waste) और अवरोधन (Stagnation) उत्पन्न हो गया था। प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना करके उच्च-शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था। ग्रामीण-शिक्षा के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के होने के कारण साक्षरता की गति बड़ी मन्द थी। प्रधानतः ये कठिनाइयाँ थी ग्रामीण जनता की निर्धनता, अशिक्षा, आवागमन के साधनों का अभाव, मौसमी बीमारियों, धार्मिक तथा जातीय अन्ध-विश्वास तथा कृषि-कार्य में बच्चों का समय से पूर्व ही लग जाना इत्यादि। समिति की राय में प्रान्तीय सरकारों द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए क्रियात्मक कदम उठाने का अभाव भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था जिससे साक्षरता में आशाजनक प्रगति नहीं हो पा रही थी।

प्राथमिक शिक्षा के विषय में समिति ने आगे चल कर कहा कि 'प्राथमिक-शिक्षा प्रणाली में, जो कि हमारी राय में साक्षरता और मताधिकार सिखाने का प्रमुख साधन है, बहुत ज्यादा अपव्यय है। जहाँ तक हमें विदित है प्राथमिक स्कूलों की संख्या में जितनी वृद्धि हुई है साक्षरता उसी अनुपात से नहीं बढ़ी है, क्योंकि इन प्राथमिक स्कूलों में बहुत ही थोड़े विद्यार्थी कक्षा ४ तक पहुँचते हैं, जिनमें हम साक्षरता की आशा कर सके। यह स्मरणीय है कि वर्तमान ग्रामीण परिस्थितियों में तथा देशी भाषाओं में उपयुक्त साहित्य के अभाव में स्कूल छोड़ने पर बालक के लिये साक्षरता प्राप्त करने के बहुत कम अवसर रह जाते हैं, और वास्तव में साक्षरों के भी निरक्षर हो जाने की बहुत सम्भावना रहती है।' इस प्रकार साक्षर बनने के लिये समिति की राय में कम से कम चार वर्ष अवश्य लगने चाहिये। किन्तु भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के कारण बालक पहिली या दूसरी कक्षा पास करके बीच में ही पढ़ना छोड़ देते थे। १९२२-२३ ई० में ब्रिटिश भारत में कक्षा १ में पढ़ने वाले प्रति १०० विद्यार्थियों में तीन वर्ष बाद कक्षा ३ या ४ में केवल १६ विद्यार्थी ही रह जाते थे। इसके लिये समिति ने वही दो प्रधान कारण 'अपव्यय' तथा 'अवरोधन' बतलाये। 'अपव्यय' से अभिप्राय था प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने के पूर्व ही बच्चों को पढ़ाने से रोक लेना। समिति के मतानुसार जो रुपया या समय उन पर व्यय हुआ वह नष्ट हो गया, क्योंकि वे साक्षरता भी प्राप्त न कर सके। 'अवरोधन' का अभिप्राय था बच्चे का एक ही कक्षा में १ वर्ष से अधिक रह जाना।

लड़कियों की शिक्षा में भी समिति ने अपव्यय की शिकायत की। कक्षा १ में पढ़ने वाली प्रति १०० बालिकाओं में से केवल १४ ही कक्षा ४ तक आ पाती थी। अर्थात् हमारे शिक्षा प्रयत्नों के ८०% प्रतिशत से भी अधिक प्रयत्न व्यर्थ नष्ट हो जाते थे।

समिति की राय में नगरों में तो प्राथमिक शिक्षा की समस्या इतनी उग्र नहीं थी, किन्तु उसने स्वीकार किया कि गाँवों में "स्कूल बहुत छोटे छोटे हैं, पर्याप्त शिक्षक रखने पर व्यय अधिक होता है। जब तक शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण किया तथा चुना न जायगा, गाँवों का जीवन उनके लिये आकर्षक नहीं बन सकेगा। अध्यापिकायें गाँवों में तब तक नहीं रह सकती जब तक कि स्थिति अनुकूल न हो जाय, शिक्षक अकेले रह जाते हैं तथा प्रशासन, निरीक्षण और देखभाल की कठिनाइयाँ भी बढ़ जाती हैं, और बच्चों की उपस्थिति नियमित रूप से अधिक समय तक रखना अत्यन्त दुस्तर हो जाता है।" ऐसे स्थानों में प्राथमिक शिक्षा की समस्या बड़ी दुरूह थी। ऐसी अवस्था में अपव्यय होना अनिवार्य था। समिति के मतानुसार इस दुरुपयोग के प्रमुख कारण थे। (१) अपव्यय तथा अवरोधन

(२) साक्षरों का बीच में ही पढ़ना छोड़ देने से पुनः निरक्षरता, (३) प्रौढशिक्षा के लिये सुविधाओं का अभाव, (४) शिक्षालयों का अनियमित वितरण जिसके कारण "ऐसे दीर्घ क्षेत्र विद्यमान थे जहाँ एक भी स्कूल नहीं, जबकि कुछ छोटे क्षेत्रों में इतने छोटे छोटे स्कूल थे जो बच्चों को बुलाने के लिये भयकर स्पर्द्धा कर रहे थे," (५) ५०० की जनसंख्या के गाँवों में स्कूल न खुल सकने की असुविधा, (६) वर्तमान, स्कूलों से पर्याप्त लाभ न उठा सकना, अर्थात् बहुत से प्रांतों में स्कूल तो पर्याप्त थे किन्तु वे अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये आकर्षित नहीं कर सकते थे। इस प्रकार स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने से धन व प्रयास का बड़ा दुष्प्रयोग होता था, (७) एक शिक्षक वाले स्कूल—ऐसे स्कूल जहाँ केवल एक ही शिक्षक हो। वह प्रत्येक कक्षा के बच्चों के साथ प्रत्येक विषय में पूर्ण रूप से न्याय नहीं कर सकता। अतः यह सब प्रयत्न व्यर्थ जाता है, (८) उचित शिक्षण का अभाव, (९) निरीक्षण का अभाव, (१०) अनुपयुक्त पाठ्य क्रम—ऐसा पाठ्य-क्रम जो कि वास्तविक जीवन तथा सच्ची परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है, (११) तथा ऐसे प्राथमिक स्कूलों की स्थापना जो कि कुछ समय बाद टूट जाते हैं।

प्राथमिक शिक्षा के इन सब दोषों को दूर करने के लिये समिति ने निम्नलिखित सिफारिशों की जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है —

- (१) शिक्षा विस्तार की नीति के स्थान पर शिक्षा के ठोस (Consolidation) करने की नीति का अनुसरण किया जाय।
- (२) प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम अवधि ४ वर्ष हो।
- (३) प्राथमिक शिक्षकों की सामान्य शिक्षा का स्तर ऊँचा उठना चाहिए। उनके लिये प्रशिक्षण तथा 'रिफ्रेशर कोर्स' की उचित सुविधा दी जाय। उनकी ज्ञान-वृद्धि के लिये शिक्षा-सम्मेलन हो तथा उनकी दशा में सुधार करने के लिए उनके वेतन बढ़ाये जाय और नौकरी की दशाओं में भी सुधार किये जाय।
- (४) प्राथमिक स्कूलों का पाठ्य-क्रम अधिक उदार व उपयुक्त बनाया जाय। "एक ऐसा स्कूल जिसमें पर्याप्त विद्यार्थी हो और जो पड़ोस की परिस्थितियों से सीधा सम्पर्क रखता हो, वह आगे आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य रक्षा, शरीर विज्ञान, सफाई, मितव्ययता तथा आत्म-निर्भरता के अच्छे पाठ पढ़ा सकता है।"
- (५) स्कूल के घटे तथा छुट्टी के दिन ऋतु तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिये।

(६) प्राथमिक स्कूलों में निम्नतम कक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये और जो अवरोधन व अपव्यय वहाँ फैला है उसे दूर करने के लिये दृढ प्रयत्न करने चाहिये ।

ग्राम सुधार का कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिये और स्कूल से उसका सम्बन्ध स्थापित कर देना चाहिये ।

प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रव्यापी-महत्त्व का विषय होने के कारण भारत सरकार को इसके प्रसार का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये तथा उसे पूर्णतः स्थानीय बोर्डों को सुपुर्द करके निश्चित न हो जाना चाहिये ।

(६) सरकार का निरीक्षण स्टाफ बढ जाना चाहिये ।

(१०) शिक्षा को अनिवार्य करने की योजना पर बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कदम उठाना हानिकारक है । अतः इस पर पर्याप्त विचार के उपरान्त उसका आधार बना कर ही कार्यान्वित करना चाहिये ।

माध्यमिक शिक्षा—प्राथमिक-शिक्षा पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करने के उपरान्त समिति ने माध्यमिक शिक्षा के प्रश्न को हाथ में लिया । माध्यमिक शिक्षा के विषय में हर्टाग समिति का मत था कि इसने सतोषजनक प्रगति की है । “माध्यमिक-शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बातों, जैसे शिक्षकों की दशा, योग्यता, नौकरी की परिस्थितियों तथा प्रशिक्षण में सुधार तथा स्कूल के सामाजिक-जीवन को विस्तृत बनाने में उन्नति हुई है । किन्तु यहाँ भी सगठन सम्बन्धी बड़े दोष हैं । माध्यमिक शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र में आज भी वही विचारधारा प्रबल है कि प्रत्येक लड़का जो कि माध्यमिक स्कूल में प्रवेश करता है, उसे विश्वविद्यालय में अवश्य ही पढना चाहिये, और मैट्रिक्यूलेशन तथा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में एक बड़ी सख्या में लड़कों का असफल होना एक बड़ा भारी अपव्यय है ।” इस दुरुपयोग के दो प्रमुख कारण समिति ने बताये—

- (१) प्रारम्भिक अवस्थाओं में आसानी से तरक्की दे देना, तथा
- (२) आवश्यकता से अधिक सख्या में अयोग्य विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा के लिये जाना । माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिये भी समिति ने सुझाव रखे कि मिडिल स्कूलों का पाठ्य-क्रम अधिक विस्तृत हो जिससे अधिकांश बालकों की आवश्यकताये यहीं पर पूर्ण हो जाया करे । मिडिल स्कूल के बाद विद्यार्थियों को ‘औद्योगिक’ तथा ‘व्यापारिक’ क्षेत्रों में बाँट देना तथा हाईस्कूल में वैकल्पिक विषयों को रख देना चाहिये ।

विश्वविद्यालय शिक्षा—विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति से तो समिति को हर्ष हुआ, किन्तु उसमें भी कुछ दोषों का आभास उसे मिला। “बहुत से विश्व-विद्यालय तथा कालेजों की पाठन-विधि तथा मौलिक अनुसन्धान में उन्नति हुई है तथा कुछ में पहिले से भी अधिक सामाजिक जीवन की शिक्षा प्रदान की जाती है। किन्तु भारतवर्ष में यह विश्वास अब भी प्रचलित है कि विश्वविद्यालयों का मुख्य कार्य परीक्षाएँ पास कराना है। हमारी इच्छा है कि विश्वविद्यालय सहिष्णु, आत्म-विश्वासी तथा उदार नागरिकों के निर्माण को अपना प्रमुख कर्तव्य माने। जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा से समुचित लाभ उठाने के अयोग्य हैं, ऐसे विद्यार्थियों के उनमें भर जाने से विश्वविद्यालयों के कार्य में बड़ी बाधा पहुँची है।”

अतः कमेटी ने विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिये सिफारिशें की कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा का स्तर ऊँचा रखना चाहिये तथा प्रवेशिका परीक्षा (Entrance Examination) के विद्यार्थियों के साथ कुछ कड़ाई का व्यवहार करना चाहिये जिससे अयोग्य विद्यार्थी उच्च-शिक्षा को न जा सकें। इसके अतिरिक्त समिति ने प्रमुख विश्वविद्यालयों में ‘ऑनर्स कोर्स’ तथा अच्छे पुस्तकालयों की स्थापना और ट्यूटोरियल कक्षाओं के प्रारम्भ करने की भी सिफारिशें की।

स्त्री-शिक्षा—लड़कियों की शिक्षा के विषय में समिति ने अनुभव किया कि अभी अवस्था बड़ी असंतोषजनक है। गावों में उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के अनुपात में आश्चर्यजनक अन्तर है। बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र भी बड़ा सीमित है। योग्य व प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का बड़ा अभाव है। इस दिशा में समिति ने सिफारिशें की कि लड़कियों का पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिये। अधिक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की आवश्यकता है। अध्यापिकाओं तथा निरीक्षिकाओं की पर्याप्त नियुक्ति होनी चाहिये। धीरे-धीरे लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा को भी अनिवाय बनाया जा सकता है। लड़कियाँ भावी माताएँ हैं अतः उन्हें प्रथमता दी जाय। अन्त में हर्टाग समिति ने अनुभव किया कि केन्द्रीय सरकार का प्रान्तीय सरकारों को सत्ता हस्तान्तरित करने का कार्य बड़ी जल्दी में कर दिया गया। वास्तव में केन्द्रीय सरकार अपने आपको देश की शिक्षा के उत्तरदायित्व से कभी भी मुक्त नहीं कर सकती है। अतः समिति ने दिल्ली में एक केन्द्रीय-शिक्षा-समिति खोलने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त उसने प्रान्तीय शिक्षा-संचालकों के कार्यों की सराहना करते हुए उनकी सहायता के लिये प्रान्तीय प्रमुख कार्यालयों में अधिक स्टाफ बढ़ाने तथा अधिक निरीक्षक और उपनिरीक्षक बढ़ाने की सलाह दी। केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में शिक्षा-कमिश्नर के स्थान पर शिक्षा-संकेटरी की नियुक्ति तथा संचालकों की नियमित सभाएँ करने की भी सिफारिशें की गईं।

आलोचना

हर्टाग समिति की रिपोर्ट भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक प्रमुख महत्त्व रखती है। वस्तुस्त इसने तत्कालीन शिक्षा-नीति को एक स्थायी स्वरूप प्रदान किया और शिक्षा को ठोस तथा विस्तृत बनाने का प्रयास किया। सरकारी क्षेत्रों में तो इस रिपोर्ट का बड़ा स्वागत हुआ और इसे 'सरकारी प्रयत्नों की दीपिका' समझा गया। परिमाण की तुलना में शिक्षा की किस्म में सुधार करने के समिति के सुझाव का भी वहाँ बड़ा स्वागत हुआ। वस्तुतः यह रिपोर्ट ही एक प्रकार से सरकारी अधिकारियों की प्रतिनिधि नीति हो गई। अतः भिन्न-भिन्न प्रान्तों में शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने की आड़ में उसके व्यापक प्रसार को रोका गया।

किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस रिपोर्ट की कटु आलोचना हुई। शिक्षा का प्रसार रोकने के लिए इसे सरकार की एक चाल बतलाया गया। देश में राष्ट्रीय चेतना के फैलने से प्रत्येक सरकारी नीति पर सदेह किया जाने लगा। देश के प्रमुख नेताओं ने शिक्षा के विस्तार को अधिक प्रमुखता दी और कहा कि यदि विस्तार हो जायगा तो स्तर को बाद में उठाया जा सकता है। देश की वास्तविक आवश्यकता तो सर्वव्यापी साक्षरता थी। इसके अतिरिक्त समिति के कुछ आँकड़ों की प्रामाणिकता पर भी सदेह किया गया।

रिपोर्ट का परिणाम

इतना निश्चय है कि जो प्रगति १९२२-२७ ई० में हुई थी वह १९२७ ई० के उपरान्त न हो सकी। इसका एक प्रमुख कारण १९३०-३१ ई० का विश्व-व्यापी आर्थिक संकट भी था जिसकी छाया भारतीय बजट पर भी पड़ी। परिणामतः केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को राष्ट्र-निर्माणक विषयों में निर्दयतापूर्वक कटौती करनी पड़ी थी। निम्नलिखित आँकड़ों से प्रकट होता है कि सरकार ने प्रारम्भ में शिक्षा पर अपना व्यय बढ़ाकर किस प्रकार कम कर दिया जो कि अन्त में ही जाकर बूढ़-सका —

वर्ष	सरकारी व्यय (लाखों में)
१९२३-२७	११६३ लाख
१९३०-३१	१३६१ "
१९३१-३२	१२४६ "
१९३२-३३	११३५ "
१९३५-३६	११८४ "
१९३६-३७	१२३६ "

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि १९३०-३१ ई० में व्यय घट गया और उत्तरोत्तर घटता ही गया यहाँ तक कि १९३७ ई० में जाकर ६ वर्ष पहले से भी कम रहा। किन्तु जहाँ सरकारी व्यय घटता जा रहा था व्यक्तिगत जनता का शिक्षा पर व्यय बढ़ता जा रहा था। वास्तव में जनता में अदम्य उत्साह था और वह शिक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान करने को उद्यत प्रतीत होती थी जैसा कि निम्नलिखित सख्याओं से प्रकट होता है —

साधन	१९०१-२	१९१६-१७	१९२१-२२	१९३१-३२	१९३६-३७
			सख्या	लाख रुपये में	
सरकारी व्यय	१०३	३६२	६०२	१,२४६	१,२३६
गैर-सरकारी					
(अ) जिला बोर्ड	५९	१७४	१६८	२८०	२५७
(आ) नगर पालिकाएँ	१५	४९	७९	१५८	१७८
(इ) फीस	१२७	३१९	३८०	६२३	७११
(ई) अन्य साधन	९७	१९५	३०८	४१२	४२४
योग	४०१	१,१२९	१,८३७	२,७१९	२,८०६

नोट — ये आँकड़े केवल ब्रिटिश भारत के हैं। †

इतना अवश्य है कि आर्थिक कठिनाइयों के होते हुए भी शिक्षा का विकास देश में हो रहा था। शिक्षा के स्तर को उठाने तथा उसे ठोस करने की सिफारिशों का अधिक प्रभाव शिक्षा क्षेत्र में वैयक्तिक साधनों पर नहीं पड़ा। उनका शिक्षा को व्यापक रूप देने का प्रयास जारी था। परिणामतः प्राथमिक, माध्यमिक तथा कालेज इत्यादि सभी क्षेत्रों में शिक्षालयों की संख्या में वृद्धि हुई, जो आगे दी हुई तालिका से प्रकट होती है —

द्वैध शासन के बाद शिक्षा-प्रगति]

शिक्षा संस्थानों के प्रकार	संस्थानों की संख्या		विद्यार्थियों की संख्या	
	१९२१-२२	१९३६-३७	१९२१-२२	१९३६-३७
१ विश्वविद्यालय	१०	१५	संख्या अप्राप्त	६,६६७
२ कला कालेज	१६५	२७१	४५,४१८	८६,२७३
३ व्यावसायिक कालेज	६४	७५	१३,६६२	२०,६४५
४ माध्यमिक शिक्षालय	७,५३०	१३,०५६	११,०६,८०३	२२,८७,८७२
५ प्राथमिक शिक्षालय	१,५५,०१७	१,९२,२२४	६१,०६,७५२	१,०२,२४२,८८८
६ विशेष शिक्षालय	३,३४४	५,६४७	१,२०,६२५	२,५६,२६६
स्वीकृत संस्थानों का योग	१,६६,१३०	२,११,३०८	७३,६६,५६०	१,२८,८८,०४४
७ अस्वीकृत संस्थानों	१६,३२२	१६,६४७	४,२२,१६५	५,०१,५३०
महायोग	१,८२,४५२	२,२७,९५५	७८,१८,७२५	१,३३,८९,५७४

नोट—यह संख्या केवल ब्रिटिश भारत की है।†

इस प्रकार हमें विदित होता है कि १९२२ से १९३७ ई० तक विद्यालयों तथा विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी, किन्तु भारत की जनसंख्या और निरक्षरता को देखते हुए यह संख्या अपर्याप्त थी। हर्टाग समिति की भी कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया जैसे शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, निरीक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम में सुधार तथा प्रौढ-शिक्षा की व्यवस्था आदि केवल पवित्र आशय ही रही।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड‡

प्रान्तीय शिक्षा-नीति का सम्बन्ध केन्द्रीय नीति से जोड़ने तथा शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों पर सलाह देने के लिए १९२१ ई० में 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' की स्थापना हुई। किन्तु आर्थिक संकट के कारण इसे भंग कर दिया गया। हर्टाग समिति की सिफारिश के फलस्वरूप 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार

†Nurullah & Nark p 619

‡Central Advisory Board,

बोर्ड' का १९३५ ई० में पुनः सगठन किया गया। इस बोर्ड में सभी प्रान्तों के सदस्य थे। १९३५ ई० में प्रथम बैठक में ही बोर्ड ने देश की शिक्षा समस्याओं पर विचार किया और शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये। इसने शिक्षा के लिए कक्षाओं का पुनः वर्गीकरण किया और शुद्ध साहित्यिक शिक्षा के स्थान पर व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया। प्रस्ताव में कहा गया कि स्कूलों में वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में आमूल क्रांति करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक और विश्वविद्यालय के प्रवेश की ही शिक्षा नहीं देनी चाहिये, अपितु उपयुक्त कक्षा पर पहुँचने के अन्त में उन्हें इस योग्य बना दिया जाय कि वे किसी भी उद्यम में अथवा किसी विशेष व्यावसायिक शिक्षालय में चले जाय। इसके लिए बोर्ड ने निम्नलिखित स्टेजों की सलाह दी।

- (१) प्राथमिक स्टेज—जिसका उद्देश्य कम से कम स्थायी साक्षरता और कुछ सामान्य शिक्षा प्रदान करना हो।
- (२) निम्न माध्यमिक स्टेज—इसमें साधारण शिक्षा के लिए एक ऐसा पाठ्य-क्रम हो जो अपने आप में ही पर्याप्त हो। यही शिक्षा उच्च माध्यमिक तथा विशेष व्यावसायिक शिक्षा का आधार हो।
- (३) उच्चतर माध्यमिक स्टेज—इसमें ऐसे शिक्षालय सम्मिलित होंगे जिनमें अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न 'कोर्स-अवधि' हो। ये शिक्षालय मुख्यतः ५ प्रकार के होंगे (१) कला तथा विज्ञान में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों के लिए तैयार करने वाले शिक्षालय, (२) ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, (३) कृषि-प्रशिक्षण के लिए, (४) क्लर्कों के प्रशिक्षण के लिए तथा (५) चुने हुये टैक्निकल विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षालय जो कि प्रबन्धकों के परामर्श से चुने जायेंगे।

इनके अतिरिक्त बोर्ड ने एक प्रस्ताव के द्वारा यह भी सलाह दी कि निम्न-माध्यमिक स्टेज के अन्त में प्रथम सरकारी परीक्षा ली जाय। इस योजना के निर्माण तथा पुनः सगठन करने के लिए सरकार से कहा गया कि वह इस विषय में शिक्षा विशेषज्ञों की राय ले।

बुड ऐबट रिपोर्ट

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के अन्तिम प्रस्ताव के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा पर सलाह देने के लिए १९३६ ई० में श्री ऐबट तथा बुड की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया। श्री ऐबट इंग्लैंड की शिक्षा बोर्ड के टैक्निकल स्कूलों के

भूतपूर्व चीफ इन्स्पेक्टर थे, तथा श्री एस० एच० बुड इंग्लैंड की शिक्षा-बोर्ड के 'डाइरेक्टर ऑफ इटैलिजेंस' थे। इन लोगों ने १९३३-३७ ई० में भारत की यात्रा की और १९३७ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो कि दो भागों में विभाजित है। श्री बुड ने भारतीय सामान्य शिक्षा तथा सगठन का अध्ययन किया और अपने सुझाव रखे, तथा श्री ऐबट ने जो कि व्यावसायिक शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञ थे, भारतीय अवस्थाओं और साधनों का बहुत ही सूक्ष्म-दृष्टि से निरीक्षण किया और कुछ व्यावहारिक व मूल्यवान सुझाव रखे।

सामान्य शिक्षा के विषय में श्री बुड ने कहा कि प्राथमिक पाठशालाओं में दीक्षित-अध्यापकों का प्रबन्ध किया जाय तथा शालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाय। प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें पुस्तकीय शिक्षा के स्थान पर क्रियात्मक साधन द्वारा शिक्षा दी जाय। इसके अतिरिक्त ग्रामीण मिडिल स्कूलों में पाठ्यक्रम ग्रामीण आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल हो साथ ही मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो और मिडिल स्कूलों में यथासम्भव अंग्रेजी न पढाई जाय। माध्यमिक शिक्षालयों में अवश्य अंग्रेजी को आवश्यक विषय कर दिया जाय। आर्ट और क्राफ्ट को प्रोत्साहित किया जाय और उसे प्रारम्भिक तथा माध्यमिक पाठ्य-क्रम में सम्मिलित कर दिया जाय। इस विषय के लिये हाई स्कूलों में योग्य शिक्षक रखे जाय। प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के शिक्षकों के लिये मिडिल पास करने के उपरान्त ३ वर्ष का प्रशिक्षण कोर्स रखा जाय।

इस प्रकार श्री बुड ने माध्यमिक शिक्षा के सगठन, नियन्त्रण और पाठ्यक्रम का एक प्रकार से पुनः सगठन करने की सिफारिश की।

श्री ऐबट ने व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा के पुनः सगठन के विषय में लिखते हुए सिफारिश की कि प्रत्येक स्थान की आवश्यकताएँ विभिन्न होती हैं, अतः प्रत्येक प्रान्त में व्यावसायिक शिक्षा का रूप वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ही स्थिर करना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि व्यावसायिक शिक्षा इतनी अधिक न हो जाय जिससे देश में उद्योगों का तदनुसार विकास न होने के कारण कहीं बेकारी फैल जाय। व्यावसायिक शिक्षा भी सामान्य शिक्षा के समान ही मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक दशाओं का सुधार करती है। वास्तव में सामान्य शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा का अनुरूप है। व्यावसायिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के बिना अपूर्ण है और जितने भी व्यावसायिक विषय हैं उनका प्रारम्भ सामान्य शिक्षालयों में ही होता है। किन्तु इस समानता की अपेक्षा भी दोनों शिक्षाओं के लक्ष्य व साधन भिन्न-भिन्न हैं। अतः दोनों के स्कूल भी अलग-अलग होने चाहिये।

इस दृष्टिकोण से कुछ सामान्य शिक्षा पाने के उपरान्त ही व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ करनी चाहिए। इस शिक्षा के सगठन के लिये उद्योगपतियों को पूर्ण सहयोग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त कुटीर-उद्योग धन्धो तथा कृषि के लिये भी शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये।

6. श्री ऐवट ने बतलाया कि देश में सगठित बृहत्स्तर के उद्योगों में तीन प्रकार के श्रमिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है निर्देशक या प्रबन्धक, निरीक्षक और यंत्र-चालक। इनमें निरीक्षकों की शिक्षा का बड़ा महत्त्व है और उनके लिए शिक्षालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। यत्र पर कार्य करने वाले व्यक्ति काम से छुट्टी पाने पर अवकाश के घटो में प्रशिक्षण ले।

1. साथ ही रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि प्रत्येक प्रान्त में व्यावसायिक-शिक्षा-सलाहकार समितियों की स्थापना कर दी जाय जिनके अन्तर्गत इजिनियरी, कपडा व्यवसाय, कृषि, कुटीर-उद्योग तथा वाणिज्य की शिक्षा सम्बन्धी उपसमितियाँ बना दी जाँय, जोकि प्रत्येक प्रान्त में व्यावसायिक शिक्षा के सगठन तथा पाठ्यक्रम इत्यादि की पूर्ण रूप से उत्तरदायी हों।

व्यावसायिक शिक्षा का आधार सामान्य शिक्षा होना चाहिये। अतः कम से कम मिडिल पास विद्यार्थी ही जूनियर-व्यावसायिक स्कूलों में प्रवेश पा सकें तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पास विद्यार्थी सीनियर-व्यावसायिक स्कूलों में प्रविष्ट किये जाँय। इन जूनियर व्यावसायिक स्कूलों के शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी जो कि २ वर्ष में अपना पाठ्यक्रम समाप्त करेंगे, वे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के समकक्ष माने जायेंगे। जूनियर स्कूल पास विद्यार्थी सीनियर स्कूल में भी प्रविष्ट हो सकेंगे अथवा किसी विशेष उद्योग में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेंगे। जो सीनियर व्यावसायिक स्कूलों के पास विद्यार्थी होंगे वे इन्टर कालेज के समकक्ष माने जायेंगे। इनका पाठ्यक्रम भी २ वर्ष का होगा। जो व्यक्ति पहले से ही कुछ व्यवसायों में नौकरी कर रहे हैं उनके लिये अर्धसामयिक (Part time) शिक्षालय खोल देने चाहिए।

9 कृषि-शिक्षा के लिये रिपोर्ट में कहा गया कि इसके लिये शिक्षालय सीमित हो। प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में कृषि का विषय वैकल्पिक कर दिया जाय। वाणिज्य भी इसी प्रकार वैकल्पिक विषय किया जा सकता है।

भिन्न भिन्न उद्योगों के लिए विशिष्ट स्कूलों के खोलने के स्थान पर रिपोर्ट में बहुउद्योगीय (Polytechnic) स्कूल, जहाँ पर एक ही शिक्षालय में बहुत से व्यवसायों की शिक्षा दी जाती हो, खोलने की सिफारिश की।

इनके अतिरिक्त आर्ट और क्राफ्ट की शिक्षा पर भी जोर दिया तथा दिल्ली में

एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कालेज (Vocational Training College) खोलने की भी सिफारिश की गई ।

इस प्रकार देश की परिस्थिति और वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुये भी बुड-एबट रिपोर्ट एक विशेष मार्ग की पूर्ति करती है ।

अब आगे हम इन रिपोर्टों तथा अन्य परिवर्तन और हलचलो के प्रकाश में हुई देश की शिक्षा-प्रगति का क्रमशः अध्ययन करेंगे ।

(ख) शिक्षा-प्रगति (१९२१-३७ ई०)

१—विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

इस काल में विश्वविद्यालय शिक्षा में सतोषजनक विस्तार व सुधार हुआ । अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड तथा ५ नये विश्वविद्यालयों का निर्माण, पुराने विश्व-विद्यालयों का पुनःसंगठन, अनुसन्धान की सुविधाये, सैनिक शिक्षा की व्यवस्था तथा कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का प्रादुर्भाव इत्यादि इस युग की कुछ विशेष घटनाये हैं, जिनसे हमें उच्च शिक्षा के विकास का अनुमान होता है ।

अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड

भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने पर यह आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि इन सभी विश्वविद्यालयों में पारस्परिक साम्य तथा सहयोग स्थापित करने के लिये किसी ऐसी संस्था का निर्माण किया जाय जोकि विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यों को समानता प्रदान करके उनमें एक्य उत्पन्न करे । कलकत्ता कमिशन ने भी इसकी सिफारिश की थी, साथ ही १९२१ ई० में साम्राज्य के अन्तर्गत हुई विश्व-विद्यालय कांग्रेस और तदुपरान्त इङ्ग्लैंड में भारतीय विद्यार्थियों के निमित्त बनी हुई लिटन-समिति ने भी इसकी स्थापना का समर्थन किया । फलतः १९२४ ई० में शिमला में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कांग्रेस में इस अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना कर दी गई जिसका प्रधान कार्यालय बंगलौर में रखा गया ।

इस बोर्ड में सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं । अपनी स्थापना के उपरान्त इसने विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है । भिन्न-भिन्न शिक्षा-केन्द्रों में इसकी वार्षिक बैठकें होती हैं । इसके अतिरिक्त बोर्ड की पंचवर्षीय कांग्रेस भी उच्च-शिक्षा के पेचीदे मसलों को हल करने के लिये होती है । भारतीय विश्वविद्यालय-पुस्तिका (A Handbook of Indian Universities) नामक इसका एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन भी है ।

इस बोर्ड के प्रमुख कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं—एक अन्तर्विश्वविद्यालय संगठन तथा सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना, अध्यापकों का आदान-प्रदान, विश्वविद्यालयों में पारस्परिक सहयोग तथा साम्य उत्पन्न करना, भारतीय विद्यार्थियों-

को विदेशी विश्वविद्यालयों के विषय में परामर्श देना तथा उनकी उपाधियों को मान्य कराना, अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजना तथा विश्व-विद्यालयों के हित में अन्य आवश्यक कार्य करना इत्यादि। इतना अवश्य है, जैसा कि सर राधाकृष्णन कमीशन का मत है, बोर्ड ने एक सलाहकारी सस्था की तरह कार्य तो अवश्य किया है, किन्तु इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली नहीं रहा है जितना कि होना चाहिए था। 'वाइस चांसलरी की सयुक्त आवाज की परामर्श को जो कि वास्तव में अब बोर्ड का स्वरूप हो गया है, विश्वविद्यालयों ने बहुधा नहीं माना है।' †

नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना

प्रत्येक प्रान्त में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की नीति तथा शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने की दृष्टि से इस काल में ५ विश्वविद्यालय स्थापित किये गये, यथा—दिल्ली (१९२२), नागपुर (१९२३), आन्ध्र (१९२६), आगरा (१९२७) तथा अण्णामलै (१९२९)।

(१) दिल्ली—दिल्ली विश्वविद्यालय प्रारम्भ में एक सम्बन्धक विश्व-विद्यालय (Affiliating University) के रूप में स्थापित हुआ था, जिसमें सेन्ट स्टीफेंस कालेज, हिन्दू कालेज तथा रामजस कालेज सम्मिलित थे। १९२७ ई० में एक विशेष समिति द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया कि इसे सम्बन्धक विश्वविद्यालय बनाया जाय अथवा सघीय (Federal) विश्वविद्यालय। अन्त में १९३४ ई० में भारत सरकार ने निश्चय किया कि यह सघीय (Federal) विश्व-विद्यालय रहेगा। किन्तु कुछ कालेजों का सम्बन्ध भी इससे बना रहा।

(२) नागपुर—नागपुर विश्वविद्यालय मध्यप्रान्त के लिए स्थापित किया गया था। यद्यपि यह सम्बन्धक विश्वविद्यालय था, किन्तु कालान्तर में इसमें शिक्षण कक्षाएँ भी खोल दी गईं और एक लॉ कालेज की स्थापना भी कर दी गई। अभी तक इसका रूप सम्बन्धक ही है।

(३) आन्ध्र—मद्रास प्रान्त में उत्तरी भाग के लिए आन्ध्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। १९२० ई० में मद्रास विश्वविद्यालय ने भाषा के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय खोलने के मिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। इधर तेलगू भाषा भाषी लोग निरन्तर रूप से विश्वविद्यालय की माँग कर रहे थे। अतः १९२६ ई० में एक स्थानीय विश्वविद्यालय आन्ध्र प्रदेश के लिए खोल दिया गया। इसमें उच्च टैक्निकल शिक्षा की विशेष व्यवस्था है। इसके विधान में विशेषता है कि उपकुलपति चुनाव के द्वारा नियुक्त होगा। मातृभाषा को माध्यम बनाने की भी विधान में व्यवस्था है, किन्तु अभी तक पूर्णतः ऐसा नहीं हो सका है। इसके

† *Report of the University Commission (1948-49) Vol. I, p 29.*

स्थिति स्थान का प्रश्न सदा विवादग्रस्त रहा है। प्रारम्भ में यह विजयबाड़ा में था, १९३१ ई० में यह विशाखापट्टणम् पहुँच गया और तदुपरान्त गुन्डूर में स्थापित किया गया। इस समय यह वाल्टेयर में है।

(४) आगरा—आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना १९२७ ई० में की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का क्षेत्र अधिक विस्तीर्ण हो गया था, अतः उससे सम्बन्धित कालेजों को आगरा से सम्बन्धित कर दिया गया। इससे अजमेर, म्वालियर, राजपूताना इत्यादि के सभी डिग्री कालेज सम्बन्धित थे। किन्तु अब राजपूताना विश्वविद्यालय बन जाने से इसका क्षेत्र सकुचित हो गया है। आगरा विश्वविद्यालय में उत्तरप्रदेश के सभी डिग्री कालेज (केवल स्थानीय विश्वविद्यालयों के क्षेत्र के कालेजों को छोड़कर) सम्मिलित हैं। यह एक प्रकार से विशुद्ध सम्बन्धक विश्वविद्यालय है। इसके क्षेत्र में ऐसे डिग्री कालेज भी हैं जहाँ इण्टर कक्षाएँ भी खुली हैं किन्तु इन कक्षाओं का सम्बन्ध इलाहाबाद बोर्ड से है।

(५) अण्णामलै—अण्णामलै विश्वविद्यालय दक्षिणी मद्रास में अण्णामलै नगर, चिदाम्बरम् १९२९ ई० में स्थापित किया गया। इसका अस्तित्व प्रधानतः स्वर्गीय राजा सर अण्णामलै चैट्टियर की अनुकम्पा से हुआ जिन्होंने अपने तीन कालेज तथा २० लाख रुपये दान में देकर इस नवीन विश्वविद्यालय को जन्म दिया। यह विश्वविद्यालय शिक्षण तथा स्थानीय विश्वविद्यालय है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ प्राच्य विद्याओं, तमिल, संस्कृत, भारतीय इतिहास तथा भारतीय संगीत इत्यादि के उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धान की व्यवस्था है। 'राजा अण्णामलै संगीत कालेज' तथा 'औरियटल ट्रेनिंग कालेज' इसके विशेष आकर्षण हैं। १९३४ ई० में यहाँ तमिल में भी अनुसन्धान की व्यवस्था कर दी गई। विधान प्रायः अन्य विश्वविद्यालयों की ही भाँति है।

अन्य सुधार तथा प्रगति—नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के अतिरिक्त कुछ पूर्वस्थिति विश्वविद्यालयों में भी इस काल में सुधार हुए। मद्रास विश्वविद्यालय का विधान १९२३ तथा १९२९ ई० में बदला गया। इसके अनुसार यह एक शिक्षण विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। अर्थशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित, भारतीय दर्शन तथा इतिहास इत्यादि में अनुसन्धान की भी सुविधा कर दी गई और प्राच्य भाषाओं में तमिल, तेलगु मलयालम, कन्नड़, संस्कृति अरबी, फारसी तथा उर्दू के अनुसन्धान के लिए प्राच्य अनुसन्धानशाला खोल दी गई। बम्बई विश्वविद्यालय का १९२८ ई० में पुनः सगठन हुआ जिसके कारण उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान की सुविधायें अधिक बढ़ गईं। पटना विश्वविद्यालय का एक अधिनियम के द्वारा १९३२ ई० में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद अब पूर्णतः

शिक्षण कार्य करने लगा । १९२२ ई० में इसके सुधार का अधिनियम पास कर दिया गया था । कलकत्ता तथा पंजाब विश्वविद्यालयों में भी इसी प्रकार विधानों में संशोधन करके उपयुक्त परिवर्तन तथा सुधार किए गये ।

इस काल में कालेजों की भी अभिवृद्धि हुई । विश्वविद्यालयों के विभागों तथा सम्बन्धित कालेजों की संख्या १९२२ ई० में २०७ से बढ़कर १९३७ ई० में ४४६ हो गई तथा विद्यार्थियों की संख्या ६६,२५८ से १२६,२२८ हो गई । अब तक विश्वविद्यालय विद्या के केन्द्र नहीं थे । उनका आस्तित्व केवल परीक्षा लेने तथा डिग्री प्रदान करने के लिए था, किन्तु अब उनका प्रधान कार्य शिक्षण तथा अनुसन्धान हो गया । विद्यार्थियों को अनुसन्धान की सुविधाओं के लिए वृहत् पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई तथा छात्रवृत्ति देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया । अधिकतर विश्वविद्यालय अपने ही विशाल तथा भव्य भवनों में स्थित हैं । भारतीय विश्वविद्यालयों में पारस्परिक अच्छे सम्बन्धों में भी वृद्धि हुई तथा वहाँ विद्यार्थियों के व्यायाम, खेल कूद व क्रीडाओं तथा नियमित डाक्टरी परीक्षा की व्यवस्था भी हुई । उनके सामाजिक जीवन में सहयोग तथा आत्मनिर्भरता की भावना लाने के उद्देश्य से विद्यार्थी-यूनियनों तथा अन्य परिषदों की स्थापना हुई । सन् १९२० ई० में 'भारतीय प्रादेशिक सेना अधिनियम' पास होने पर विश्वविद्यालयों में सैनिक शिक्षा (U O T C) का भी प्रचार जोरों से बढ़ा । इनकी स्थापना प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बन्धित डिग्री कॉलेजों में की गई जिससे उनके चरित्र तथा स्वास्थ्य का सुधार हुआ ।

इस प्रकार उच्च-शिक्षा का प्रसार व विकास हुआ । किन्तु इससे कुछ हानियाँ भी हुईं, जैसे शिक्षा का स्तर बहुत कुछ गिर गया, पुस्तकीय ज्ञान अधिक बढ़ गया और व्यावसायिक शिक्षा तथा रोजगार के अभाव में शिक्षित युवक बेकार घूमने लगे । संख्या में वृद्धि के साथ-साथ शासन की श्रेष्ठता में शिथिलता आ गई । घनाभाव के कारण विश्वविद्यालय विकास की योजनाओं को इच्छानुसार कार्यान्वित नहीं कर सके ।

उच्च शिक्षा के अन्य केन्द्र—नियमित विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त भारत में कुछ ऐसे भी विद्याकेन्द्र थे जहाँ भिन्न-भिन्न विषयों की उच्च-शिक्षा का प्रबन्ध था । ये संस्थाएँ न तो विश्वविद्यालय ही कहलाती थीं और न किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित ही थीं । इनमें से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय थीं—

(१) भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना (१९१७), (२) बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता (१९१७), (३) हारकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर (१९२१), (४) इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट,

न्यू पूसा, नई दिल्ली, † (५) इण्डियन इस्टीमेट ऑफ साइंस, बगलौर (१९११), (६) इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद (१९२६), (७) इण्डियन वीमैन्स यूनिवर्सिटी बम्बई (१९१६), (८) विश्व भारती (१९२२), तथा (९) सौरामपुर कालेज (१९१८) ।

ये सस्थाएँ स्वतंत्र रूप से देश में उच्च-शिक्षा का प्रचार कर रही थीं । अधिकांश में, जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है ये विज्ञान, व्यवसाय तथा उद्योगों की विशेष शिक्षा के लिए स्थापित की गई थीं । इनमें कुछ शुद्ध सरकारी तथा कुछ गैर सरकारी सस्थाएँ भी थीं ।

इनके अतिरिक्त कुछ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी देश में स्थापित हो गये थे । जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, भारत में यह युग राजनैतिक क्रान्ति का युग था । जनता में राष्ट्रीयता की भावनाएँ बढ़ रही थीं । इस कारण अंग्रेजी शिक्षालयों का बहिष्कार करके राष्ट्रीय विचारों पर आधारित शिक्षा सस्थाएँ स्थापित की गईं । इनमें रवीन्द्रनाथ टैगोर की विश्वभारती, सेवाग्राम, पाण्डुचेरी आश्रम, दासल उलूम, देबबन्द तथा दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया अधिक प्रसिद्ध हैं ।

विश्व-भारती की स्थापना ६ मई, १९२२ ई० को डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कलकत्ता से लगभग १०० मील की दूरी पर बोलपुर नामक स्थान पर की । उन्होंने इस स्थान का नाम 'शान्ति निकेतन' रखा । १९४८ ई० तक विश्वभारती बिना सरकारी सहायता के ही चलती रही । इसकी स्थापना में कविवर का उद्देश्य यह था कि प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा-पद्धतियों, सस्कृतियों तथा सभ्यताओं का समन्वय किया जाय । विश्व-भारती में विद्यार्थियों के लिए खुले मैदान में अथवा पेड़ों के नीचे कक्षाओं की व्यवस्था की गई । वास्तव में आधुनिक काल में ससार में यह एक नूतन विधि का परीक्षण है । इस सस्था में सहशिक्षा के आधार पर लड़के और लड़कियाँ कक्षा, साहित्य, दर्शन और विज्ञानों का अध्ययन करते हैं । सस्था के प्रमुख विभाग हैं—(१) विद्याभवन, जहाँ सस्कृत, पाली, प्राकृत, हिन्दी, अरबी, फारसी, उर्दू तथा बंगाली इत्यादि भाषाओं तथा भारतीय दर्शन, बौद्ध-धर्म तथा वेदान्त इत्यादि में उच्च अनुसंधान किया जाता है, (२) चीना-भवन, जहाँ भारतीय तथा चीनी विद्यार्थियों को एक दूसरे की सभ्यता व सस्कृति के विषय में अध्ययन करने की व्यवस्था है, (३) शिक्षा-भवन, (४) कला भवन, (५) संगीत-भवन, (६) श्री निकेतन तथा (७) शिल्प-भवन ।

† यह सस्था पहिले पूसा (बिहार) में स्थिति थी, किन्तु १९३४ ई० में भूचाल के उपरान्त इसे दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था । दिल्ली में इसका एक कृषि-फार्म भी है ।

भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त सरकार का ध्यान इस महान शिक्षा-संस्था की ओर गया और उसने इसे विश्वविद्यालय की कक्षा दी। सन् १९५१ से विश्व भारती केन्द्रीय सरकार के आधीन है और विश्व में एक अनुपम प्रकार की संस्था है, जहाँ भारत के अतिरिक्त एशिया तथा योरोप के अन्य देशों के विद्यार्थी भी विभिन्न विषयों का उच्च-अध्ययन करने आते हैं।

जामिया मिलिया के विषय में भी कुछ शब्द कहना असंगत न होगा। इसका अर्थ है 'राष्ट्रीय मुसलमान विश्वविद्यालय'। इसकी स्थापना मौ० मुहम्मद अली ने १९२० ई० में राष्ट्रीय मुसलमानों की शिक्षा के लिए अलीगढ़ में की थी, किंतु १९२५ ई० में इसे हटाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया और डा० जाकिर हुसैन इसके उपकुलपति बनाये गये। इसमें कला तथा विज्ञान की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध है। माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध भी अच्छा है। प्राथमिक स्कूलों में क्राप्ट के द्वारा बेसिक शिक्षा दी जाती है। इसके लिए बेसिक ट्रेनिंग विभाग भी है। छात्रावासों का प्रबन्ध सराहनीय है। भारत के स्वतन्त्र होने पर राष्ट्रीय सरकार ने अब इसे अपने अन्तर्गत ले लिया है और इसके विकास पर पर्याप्त धन व्यय किया जा रहा है।

२—माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस युग में प्रगति बड़ी सन्तोष-जनक रही। शिक्षालयों के साथ ही साथ विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। सरकारी सहायता तथा व्यय के कम होते हुए भी व्यक्तिगत प्रयासों में पर्याप्त विकास हुआ जिसका कारण राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार था। सरकारी स्वीकृत माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या ब्रिटिश भारत में १९२१-२२ ई० में ७,५३० से बढ़कर १९३६-३७ ई० में १३,३५६ हो गई, तथा उनमें विद्यार्थियों की संख्या ११,०६,८०३ से २२,८७,८७२ हो गई। नगरों के अतिरिक्त कस्बों तथा बड़े गाँवों में भी हाईस्कूल खुलने लगे। कुछ मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल तक की स्वीकृत मिल गई। बालिकाओं में भी माध्यमिक शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ तथा पिछड़ी हुई जातियाँ भी अपने बच्चों को माध्यमिक शिक्षा का लाभ प्रदान कराने लगीं। माध्यमिक शिक्षालयों के लिये विभिन्न प्रान्तों में व्यक्तिगत दानदाताओं तथा धनिकों ने उदारतापूर्वक दान दिये। कहीं-कहीं प्रतिस्पर्द्धा की भावनाओं से प्रतिद्वन्द्वी स्कूल भी खुले। किन्तु एक बात अत्यन्त खेद की यह है कि जातीय स्कूलों को इस युग में बहुत प्रोत्साहन मिला। भिन्न-भिन्न जातियाँ सामूहिक रूप में चन्दा करके जातीय स्कूल खोलने लगीं। इस प्रकार भारतवर्ष, जो कि पहले से ही जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता में जकड़ा हुआ था, अपनी भावी पीढ़ी को जातीय भेद-भाव का पाठ पढ़ाने लगा। दुख की बात तो यह है कि यह भावना आज भी झूठी राष्ट्रीय भावना के आवरण में उसी प्रकार पनप रही है। दिन प्रतिदिन

जातीय तथा उपजातीय स्कूलों को सरकार की ओर से मान्यता मिलती जा रही है और इस प्रकार भारत की एकता को शत-शत खडों में विदीर्ण किया जा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये कौमी शिक्षा-संस्थाएँ आज षडयंत्रों तथा जातीय पक्षपात के अड्डे बनी हुई हैं और लाभ के स्थान पर अत्यन्त हानि कर रही हैं। यह विकृत राष्ट्रीयता का उदाहरण है।

“इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि होने से न केवल अनावश्यक व्यय का दोहरापन व फिज़ूल खर्चा ही बढ़ी है और कभी-कभी अनुशासन भी बिगड़ा है, अपितु दुर्भाग्य से जातीय कलह भी बढ़े हैं जोकि भारतवर्ष की प्रगति में बाधा पहुँचा रहे हैं। यह बात कभी भी लाभदायक नहीं हो सकती कि विद्यार्थी अपनी प्रभावशाली युवावस्था को इन जातीय संस्थाओं के सकीर्ण वायु-मंडल में रह कर नष्ट करते रहे और अन्य जातियों के विद्यार्थियों के सम्पर्क में आने से वंचित रहे।”†

इस काल में गावों में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार होने से ग्रामीणों को बहुत सुविधायें हो गईं। पहिले उन्हें अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करके बच्चों को नगरों में शिक्षा के लिये भेजना पड़ता था, किन्तु अब अशत शिक्षा के गावों में ही उपलब्ध होने से माध्यमिक शिक्षालयों में ग्रामीण-विद्यार्थियों का अनुपात बढ़ने लगा।

जैसा कि कहा जा चुका है, माध्यमिक शिक्षा में यह वृद्धि वैयक्तिक प्रयासों से हुई। जब कि देश में लड़कों के लिये सरकारी स्कूल १९२१-२२ ई० में केवल ३७९ थे तो १९३६-३७ ई० में ४३६ हो गये और लड़कियों के लिये ११५ से २०७ हो गये, अर्थात् १४९ की ही वृद्धि हुई, तो वैयक्तिक स्कूलों में १,८३६ की अभिवृद्धि हुई जिनमें ३१५ स्कूल सरकार से सहायता प्राप्त नहीं थे। माध्यमिक स्कूलों की यह वृद्धि वास्तव में एक दीर्घकाल से चली आ रही थी।

१९३० ई० के बाद यद्यपि भारत आर्थिक संकट में फँसा था, माध्यमिक शिक्षा में उसने सतोष-जनक प्रगति की। १९३७ ई० में जाकर वैयक्तिक प्रयास इस प्रकार बढ़ गया कि माध्यमिक शिक्षा की समस्या वस्तुतः व्यक्तिगत माध्यमिक शिक्षालयों की ही समस्या बन गई। माध्यमिक स्कूलों की प्रगति आगे दी हुई तालिका से ज्ञात हो सकती है —

भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त सरकार का ध्यान इस महान शिक्षा-संस्था की ओर गया और उसने इसे विश्वविद्यालय की कक्षा दी। सन् १९५१ से विश्व भारती केन्द्रीय सरकार के आधीन हे और विश्व में एक अनुपम प्रकार की संस्था है, जहाँ भारत के अतिरिक्त एशिया तथा योरोप के अन्य देशों के विद्यार्थी भी विभिन्न विषयों का उच्च-अध्ययन करने आते हैं।

जामिया मिलिया के विषय में भी कुछ शब्द कहना असंगत न होगा। इसका अर्थ है 'राष्ट्रीय मुसलमान विश्वविद्यालय'। इसकी स्थापना मौ० मुहम्मद अली ने १९२० ई० में राष्ट्रीय मुसलमानों की शिक्षा के लिए अलीगढ़ में की थी, किंतु १९२५ ई० में इसे हटाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया और डा० जाकिर हुसैन इसके उपकुलपति बनाये गये। इसमें कला तथा विज्ञान की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध है। माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध भी अच्छा है। प्राथमिक स्कूलों में क्राफ्ट के द्वारा बेसिक शिक्षा दी जाती है। इसके लिए बेसिक ट्रेनिंग विभाग भी है। छात्रावासों का प्रबन्ध सराहनीय है। भारत के स्वतन्त्र होने पर राष्ट्रीय सरकार ने अब इसे अपने अन्तर्गत ले लिया है और इसके विकास पर पर्याप्त धन व्यय किया जा रहा है।

२—माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस युग में प्रगति बड़ी सन्तोष-जनक रही। शिक्षालयों के साथ ही साथ विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। सरकारी सहायता तथा व्यय के कम होते हुए भी व्यक्तिगत प्रयासों में पर्याप्त विकास हुआ जिसका कारण राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार था। सरकारी स्वीकृत माध्यमिक शिक्षालयों की संख्या ब्रिटिश भारत में १९२१-२२ ई० में ७,५३० से बढ़कर १९३६-३७ ई० में १३,३५६ हो गई, तथा उनमें विद्यार्थियों की संख्या ११,०६,८०३ से २२,८७,८७२ हो गई। नगरों के अतिरिक्त कस्बों तथा बड़े गाँवों में भी हाईस्कूल खुलने लगे। कुछ मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल तक की स्वीकृत मिल गई। बालिकाओं में भी माध्यमिक शिक्षा का बहुत प्रसार हुआ तथा पिछड़ी हुई जातियाँ भी अपने बच्चों को माध्यमिक शिक्षा का लाभ प्रदान कराने लगी। माध्यमिक शिक्षालयों के लिये विभिन्न प्रान्तों में व्यक्तिगत दानदानाओं तथा धनिकों ने उदारतापूर्वक दान दिये। कहीं-कहीं प्रतिस्पर्द्धा की भावनाओं से प्रतिद्वन्द्वी स्कूल भी खुले। किन्तु एक बात अत्यन्त खेद की यह है कि जातीय स्कूलों को इस युग में बहुत प्रोत्साहन मिला। भिन्न-भिन्न जातियाँ सामूहिक रूप में चन्दा करके जातीय स्कूल खोलने लगी। इस प्रकार भारतवर्ष, जो कि पहले से ही जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता में जकड़ा हुआ था, अपनी भावी पीढ़ी को जातीय भेद-भाव का पाठ पढ़ाने लगा। दुःख की बात तो यह है कि यह भावना आज भी झूठी राष्ट्रीय भावना के आवरण में उसी प्रकार पनप रही है। दिन प्रतिदिन

जातीय तथा उपजातीय स्कूलों को सरकार की ओर से मान्यता मिलती जा रही है और इस प्रकार भारत की एकता को शत-शत खडों में विदीर्ण किया जा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये कौमी शिक्षा-संस्थाएँ आज षडयंत्रों तथा जातीय पक्षपात के अड्डे बनी हुई हैं और लाभ के स्थान पर अत्यन्त हानि कर रही हैं। यह विकृत राष्ट्रीयता का उदाहरण है।

“इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या में तीव्र वृद्धि होने से न केवल अनावश्यक व्यय का दोहरापन व फिजूल खर्चा ही बढ़ी है और कभी-कभी अनुशासन भी बिगड़ा है, अपितु दुर्भाग्य से जातीय कलह भी बढ़े हैं जोकि भारतवर्ष की प्रगति में बाधा पहुँचा रहे हैं। यह बात कभी भी लाभदायक नहीं हो सकती कि विद्यार्थी अपनी प्रभावशाली युवावस्था को इन जातीय संस्थाओं के सकीर्ण वायुमंडल में रह कर नष्ट करते रहे और अन्य जातियों के विद्यार्थियों के सम्पर्क में आने से वंचित रहे।”

इस काल में गावों में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार होने से ग्रामीणों को बहुत सुविधाएँ हो गईं। पहिले उन्हें अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करके बच्चों को नगरों में शिक्षा के लिये भेजना पड़ता था, किन्तु अब अशत शिक्षा के गावों में ही उपलब्ध होने से माध्यमिक शिक्षालयों में ग्रामीण-विद्यार्थियों का अनुपात बढ़ने लगा।

जैसा कि कहा जा चुका है, माध्यमिक शिक्षा में यह वृद्धि वैयक्तिक प्रयासों से हुई। जब कि देश में लड़कों के लिये सरकारी स्कूल १९२१-२२ ई० में केवल ३७९ थे तो १९३६-३७ ई० में ४३६ हो गये और लड़कियों के लिये ११५ से २०७ हो गये, अर्थात् १४९ की ही वृद्धि हुई, तो वैयक्तिक स्कूलों में १,८३६ की अभिवृद्धि हुई जिनमें ३१५ स्कूल सरकार से सहायता प्राप्त नहीं थे। माध्यमिक स्कूलों की यह वृद्धि वास्तव में एक दीर्घकाल से चली आ रही थी।

१९३० ई० के बाद यद्यपि भारत आर्थिक संकट में फँसा था, माध्यमिक शिक्षा में उसने सतोष-जनक प्रगति की। १९३७ ई० में जाकर वैयक्तिक प्रयास इस प्रकार बढ़ गया कि माध्यमिक शिक्षा की समस्या वस्तुतः व्यक्तिगत माध्यमिक शिक्षालयों की ही समस्या बन गई। माध्यमिक स्कूलों की प्रगति आगे दी हुई तालिका से ज्ञात हो सकती है —

वर्ष	माध्यमिक स्कूलों की संख्या	माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या
१८८१-८२	३,६१६	२,१४,०७७
१९०१-०२	५,१२३	५,६०,११६
१९२१-२२	७,५३०	११,०६,८०३
१९३६-३७	१३,०५६	२२,८७,८७२

शिक्षा के माध्यम की दृष्टि से भी यह युग बहुत अच्छा रहा। प्रायः सभी प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में कर दिया गया। व्यवहार में यद्यपि कुछ कठिनाई उपस्थित हुई। उसका कारण था कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से कुछ लोगों ने समझा कि माध्यमिक शिक्षा तो विश्वविद्यालय शिक्षा का ही अंग है न कि एक स्वतन्त्र इकाई, अतः माध्यमिक स्कूलों में भी अंग्रेजी पढ़ने से विद्यार्थियों को आगे चलकर सुविधा रहती है। किन्तु यह तर्क बड़ा बेहूदा था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के प्रति युवकों और उनके माँ-बापों की रूचि तथा उच्च-पदों के लिये परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण अंग्रेजी को पक्का (Strong) करने की लालसा ने भी अंग्रेजी माध्यम का ही पक्ष लिया। इनके अतिरिक्त लिपि, वैज्ञानिक-परिभाषिक शब्दों का अभाव तथा प्रारम्भ में अच्छी पुस्तकों का अभाव इत्यादि भी कुछ ऐसे तर्क थे जो कि मातृभाषा को माध्यम बनाने में बाधक होते थे। किन्तु १९३७ ई० तक पहुँचते-पहुँचते प्रायः सभी अभाव दूर हो गये और मातृभाषा ही सिद्धान्ततः व्यवहारतः प्रयुक्त होने लगी।

शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनकी नौकरी की अवस्था और वेतन में भी सुधार हुआ। माध्यमिक शिक्षालयों में दीक्षित अध्यापकों की संख्या बहुत कम थी। अतः प्रायः अदीक्षित (Untrained) अध्यापकों को ही रखना पड़ता था। वस्तुतः ट्रेनिंग कॉलेजों की संख्या देश में इतनी कम थी कि उनसे आवश्यक मांग की पूर्ति नहीं हो सकती थी। यही कारण था कि बंगाल, आसाम, सिन्ध तथा बम्बई में दीक्षित अध्यापकों की संख्या क्रमशः २०.७%, ३९%, १६.५% तथा २२.८% थी। यू० पी०, मद्रास, दिल्ली, पंजाब, सीमाप्रान्त, मध्य-प्रान्त तथा बिहार में यह संख्या क्रमशः ६७, ८४, ७, ८२, ८, ८६, ७, ८०, ३, ७०, २ तथा ५४, ४ प्रतिशत थी। शेष अध्यापक अदीक्षित थे। इससे शिक्षा की श्रेष्ठता को बहुत बड़ा आघात पहुँचा। व्यक्तिगत माध्यमिक शिक्षालयों में शिक्षकों की अवस्था भी बड़ी दयनीय थी। प्रबन्ध समितियों की तुच्छ तथा निम्नकोटि की राजनैतिक चालों का बहुधा शिक्षकों को

आखेट बनाना पड़ना था। उनकी नौकरी स्थाई नहीं थी, वेतन-दर भी बहुत निम्न थी एवं वृद्धावस्था के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुधा व्यक्तिगत स्कूलों की आर्थिक अवस्था भी जर्जरित रहती थी, इस कारण वह अच्छे व योग्य शिक्षकों के रखने में असमर्थ रहते थे। इससे शिक्षा का स्तर भी गिर गया। इस समस्या ने शीघ्र ही भिन्न-भिन्न प्रान्तों में सरकारों का ध्यान आकर्षित किया और वहाँ इस ओर रचनात्मक कदम उठाये गये। कहने की आवश्यकता नहीं कि शिक्षकों की बहुत सी समस्याएँ जो १९३७ ई० में थी आज १९५५ ई० में भी वह अक्षुण्ण बनी हुई हैं। इनका ही नहीं बहुत से मामलों में तो स्थिति और भी अधिक गभीर हो गई है। राष्ट्रनिर्माता तथा शिक्षा का आधार शिक्षक आज केवल एक साधारण श्रमिक की भाँति अन्यमनस्क होकर अपने महान् कर्तव्य को शुष्कभार की भाँति ढो रहा है।

औद्योगिक शिक्षा की दृष्टि से भी कुछ प्रगति हुई यद्यपि वह अपर्याप्त थी। माध्यमिक शिक्षा भी आवश्यकता से अधिक पुस्तकीय हो गई थी अतः युवकों में बेकारी बढ़ रही थी। शिक्षा के पाठ्यक्रम में कुछ औद्योगिक तथा व्यावसायिक विषयों का रखना अनिवार्य हो गया। परिणामतः बम्बई, मद्रास, बङ्गाल, यू० पी०, पंजाब तथा मध्य-प्रान्त इत्यादि सभी प्रान्तों में कताई, बुनाई, आट और क्राफ्ट, पुस्तक-कला, कृषि, वाणिज्य, खिलौने बनाना इत्यादि विषय वैकल्पिक पाठ्य-क्रम में सम्मिलित कर दिये गये। उत्तर प्रदेश में लकड़ी तथा कागज और दफती का काम निम्न कक्षाओं में अनिवार्य तथा ९ वीं और १० वीं कक्षा में वैकल्पिक कर दिया गया। कृषि का संद्वन्तिक अध्ययन भी यहाँ हाई स्कूल कक्षाओं में रख दिया गया। वुड-एबट रिपोर्ट की सिफारिशों पर भी व्यावसायिक शिक्षा का पहिले से अधिक प्रचार प्रारम्भ कर दिया गया।

३—प्राथमिक शिक्षा

१९२१ ई० के उपरान्त प्रथम दशक में प्राथमिक शिक्षा का सन्तोषजनक विकास हुआ, किन्तु अन्त में जाकर उसकी प्रगति मन्द पड़ गई। अब तक प्रारम्भिक जन शिक्षा के विषय में सरकार की नीति की सदा आलोचना की जाती थी। १८५४ ई० के घोषणा-पत्र से लेकर हर्टांग समिति तक सभी कमीशनो और समितियों ने जन-शिक्षा के व्यापक प्रसार तथा इसके अधिकांश में अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी, किन्तु अभी तक इस ओर कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया था। १९१७-२७ ई० तक के दशक में आकर ही इस ओर रचनात्मक कदम उठाये गये और विभिन्न प्रान्तों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा-सम्बन्धी कानून पास किये गये। इन कानूनों का पास होना श्री बसु के अनुभार गोल्ले की पराजय का जबाब था। बम्बई नगरपालिका ने तो १९१८ ई० में ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून

पास कर दिया था। माण्ट-फोर्ड सुधारो के उपरान्त इस प्रकार के कानूनो की बाढसी आगई और १९१९ ई० में बंगाल ने नागरिक क्षेत्रो के लिये यह अधिनियम पास किया। दूसरे वर्ष ही बंगाल में इस कानून में सुधार करके ग्रामीण क्षेत्रो को सम्मिलित करने की भी चेष्टा की गई, किन्तु १९३० ई० में जाकर ही यह आवश्यकता पूर्ण हुई जब 'बंगाल प्राथमिक शिक्षा (ग्रामीण) कानून' पास हो गया। १९१९ ई० में ही पंजाब, सयुक्त-प्रांत तथा बिहार उडीसा ने भी यह कानून पास किये। सयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में १९२६ ई० में 'जिला बोर्ड प्राथमिक शिक्षा कानून' और पास हुआ। इसी प्रकार १९२० ई० में मद्रास, १९२३ ई० में बम्बई तथा १९२५ ई० में आसाम ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के कानून बनाये।

इन कानूनो के बन जाने से प्राथमिक शिक्षा पूर्णतः स्थानीय बोर्डों—जिला-बोर्ड तथा म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकार व नियन्त्रण में चली गई। प्रत्येक बोर्ड ने अपने क्षेत्र की अवस्थाओं तथा आवश्यकताओं का अध्ययन किया और उन्हीं के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए उपनियम बनाये। प्रत्येक प्रान्त में अनिवार्यता की सीमा निर्धारित करने का दायित्व भी स्थानीय बोर्डों पर छोड़ दिया गया। उन्हें शिक्षा-कर लगाने के अधिकार दे दिये गये, यद्यपि इस अधिकार का पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सका। प्रान्तीय सरकारो ने भी शिक्षा-व्यय पर अनुदान देना स्वीकार कर लिया। पंजाब तथा बिहार उडीसा में अनिवार्यता केवल लडको के लिए है, किन्तु अन्य सभी प्रान्तो में लडका और लडकियो दोनों के लिए है।

साधारणतया जहाँ ४ वर्ष का कोर्स है, अनिवार्यता की उम्र ६ से १० वर्ष तक है, जहाँ पाँच वर्ष का कोर्स है वहाँ ६ से ११ तक है। पंजाब में ७ से ११ तक है। बालको को नौकरी में रखने का निषेध कर दिया गया। उनके जो अभिभावक अनिवार्य शिक्षा कानून की अवहेलना करे उनके लिये दण्ड की भी व्यवस्था की गई। अधिकांश में यह शिक्षा निशुल्क अथवा नाम मात्र शुल्क पर ही रक्खी गई।

इस प्रकार प्रायः सभी प्रान्तो में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानूनो का विषय एकसा ही रहा जिनका प्रमुख आशय यही था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाय जिससे निरक्षरता का विनाश हो, और यह उत्तरदायित्व स्थानीय बोर्डों को पूर्णतः दे दिया जाय।

इन कानूनो की प्रतिक्रिया बहुत ही सन्तोषजनक हुई। नये शिक्षा-मन्त्रियो ने अपनी योजनाएँ बनाकर विशाल क्षेत्र पर उन्हें लागू किया। प्रान्तीय सरकारो ने भी मन्त्रियो की माँगो को पूरा करके उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की। परिणामतः १९२१-२२ ई० की प्राथमिक स्कूलो की सख्या १,५५,०१६ से बढ़कर १९२६-२७ ई० में १,८४,८२९ हो गई और व्यय ३,९४,६९,०८० रु० से बढ़कर ६,७५,१८,८०२ रु०

हो गया । इसी प्रकार बालको की सख्या मे वृद्धि हुई । किन्तु दूसरे पचसाला मे आर्थिक सकट तथा हर्टांग समिति की रिपोर्ट के कारण यह प्रगति बहुत मन्द पड गई । श्री हर्टांग ने शिक्षा के विकास का विरोध किया था और उसकी श्रेष्ठता बढाने तथा उसे ठोस करने पर अधिक बल दिया था । शिक्षा अधिकारियो ने हर्टांग की सिफारिशो का अक्षरशः पालन किया । यही कारण है कि प्राथमिक शिक्षा आज तक देश मे पूर्णतः अनिवार्य नही हो सकी है । जितने प्रान्तीय कानून अनिवार्यता के लिये बने वे भिन्न भिन्न कारणो से व्यर्थ ही रहे और सच्चे अर्थ मे उनका उपयोग कही भी नही हो सका । वास्तव मे यह आन्दोलन ही असफल रहा । “इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि गत १०० वर्षो मे प्राथमिक-शिक्षा के विकास की सभी योजनाओ और वादविवादो की अपेक्षाकृत भी यह समस्या अभी तक दृढता तथा पूर्णता से हल नही की जा सकी है ।”

हर्टांग समिति की रिपोर्ट का प्रभाव बडा घातक हुआ । शिक्षा अधिकारियो को इससे अनुचित प्रोत्साहन मिल गया और उन्होने प्रत्येक प्रान्त मे बहुत से स्कूलो को यह कर बन्द कर दिया कि उनकी प्रवस्था बुरी है, धन अथवा भवन नही है, कार्य क्षमता गिर गई है और अपव्यय व अवरोधन अधिक हो रहा है, इत्यादि । यद्यपि गैर सरकारी मत इसके बिल्कुल प्रतिकूल था । उसके अनुसार शिक्षा का विकास उसकी श्रेष्ठता से भी अधिक आवश्यक था, क्योंकि उस समय देश अज्ञान अधकार मे डूबा हुआ था और साक्षरता १८८१ ई० में ३५ प्रतिशत से १९३१ ई० मे केवल ८० प्रतिशत हो सकी थी अर्थात् देश की ६२ प्रतिशत जनता अधकार मे टटोल रही थी । जनता का विचार था कि शिक्षा अमृत की तो अजस्र वर्षा होनी चाहिये न कि इसे बूँद-बूँद करके टपकाया जाये ।

इस मतभेद तथा विवाद की अपेक्षाकृत भी १९२७-३७ ई० के दशक में प्रगति बहुत ही असन्तोषजनक रही । अगले पृष्ठ की तालिका मे हम देखते हैं कि १९२७ ई० और १९३७ ई० के बीच में शिक्षालयो तथा शिक्षार्थियो की सख्या मे बहुत हलकी प्रगति है यहाँ तक कि १९३१-३२ ई० की अपेक्षा १९३६-३७ ई० में शिक्षालयो की सख्या ४४६४ घट गई है ।

	१९२१-२२ ई०	१९२६-२७ ई०	१९३१-३२ ई०	१९३६-३७ ई०
१ स्वीकृत प्राथमिक स्कूलों की संख्या	१,५५,०१७	१,८४,८२६	१,६६,७०८	१,६२,३४४
२ विद्यार्थियों की संख्या	६१,०६,७५२	८०,१७,६२३	६१,६२,४५०	१,०२,२४,२८८
	र०	र०	र०	र०
३ प्रत्यक्ष व्यय का योग (प्राथमिक शिक्षा पर)	४,६४,६६०.८०	६,७५,१४८.०२	७,८७,६५२.३६	८,१३,३८०.१५

इस अप्रगति का कारण जहाँ भारत का आर्थिक संकट तथा हर्टाग समिति की रिपोर्ट थी वहाँ अन्य कारण भी थे। वास्तव में स्थानीय बोर्ड शिक्षा-प्रसार के विषय में कभी भी गम्भीर न हो सके। ये वह स्थान थे जहाँ पारस्परिक स्पर्धा, दलबन्दी तथा निम्नकोटि की राजनीति का बोलबाला था। आगामी चुनावों में पराजित हो जाने के भय से स्थानीय बोर्डों के सदस्यों ने कभी भी शिक्षा-कर नहीं लगाये, इससे बोर्डों की आर्थिक अवस्था सदा दयनीय रही। बहुधा सदस्य शिक्षा के मर्म को भी समझने में असमर्थ रहते थे। निरीक्षण का अभाव एक ऐसा शक्तिशाली कारण था जिससे प्राथमिक शिक्षा को बड़ी क्षति पहुँचती रही है। वास्तव में निरीक्षक लोग जो कि गाँवों में प्राथमिक शिक्षालयों का निरीक्षण करने जाते, वे अपने साथ में एक अफसरी तथा उच्चता का दम्भ लेकर जाते और दुर्बल शिक्षकों के 'मित्र, दाशनिक तथा पथ-प्रदर्शक' होने के स्थान पर बहुधा उनसे बड़ी शुष्कता तथा अमद्वता से व्यवहार करते और दो चार दिन तक गाँवों में निरुद्देश्य वायु-विहार के उपरान्त नगरों में लौट आते। दो चार दिन तक ग्रामीण अध्यापकों में एक प्रकार का आतंक छा जाता था। नगरों में भी इसी प्रकार निरीक्षण का अभाव रहा। उपस्थिति अफसरों (Attendance Officers) के प्रमाद के कारण भी बहुधा नगरों में शिक्षा सच्चे अर्थ में अनिवार्य न हो सकी और आज भी वह हमारे लिए स्वप्न बनी हुई है।

इन कारणों के अतिरिक्त प्राथमिक अध्यापकों की दुर्दशा—अल्प वेतन, अल्प-शिक्षा, अल्प प्रशिक्षण—भी एक कारण था जिससे प्राथमिक शिक्षा को क्षति पहुँच रही थी। पाठ्यक्रम व्यावहारिक जीवन से असम्बन्ध होने के कारण छात्रों में वह कभी भी प्रेरणा का संचार नहीं कर पाया। उनके कोमल मस्तिष्क पुस्तकों की

दुरुहता मे जकड दिए जाते थे । इस युग के देशव्यापी आर्थिक सकट ने जनता को भी निर्धन कर दिया । अतः निर्धन माँ-बाप जीवित रहने के लिए अपने बच्चो को पाठशाला भेजने की अपेक्षा मजदूरी या खेत में काम करने के लिए भेजना अधिक श्रेयस्कर समझते थे, जहाँ उन्हें कुछ पैसे प्रति दिन के अनुसार मजदूरी मिल जाती थी । इस प्रवृत्ति का भी विद्यार्थियो की सख्या मे कमी करने में एक प्रमुख हाथ रहा है । “जनता की अपार निधनता का एक परिणाम यह हुआ कि इससे अधिकांश मे बालश्रम को प्रोत्साहन मिला । ताँबे के चन्द टुकडे जो कि पशु चराने प्रथवा ऐसा ही कोई अन्य-काय करने से बालक को मिलते हैं वे पारिवारिक बजट में एक शुभ वृद्धि कर देते हैं । वर्तमान आर्थिक अवस्था मे थोडे ही माँ बाप ऐसे होंगे जो कि इस लुच्छ आय को छोड कर अपने बच्चों को पाठशाला मे भेज सके ।”†

उपसंहार

हाँ, इतना अवश्य है कि सन् १९३५ ई० मे भारत मे नया शासन-विधान लागू होने से प्रान्तीय सरकारो को स्वायत्त शासन के पूर्ण अधिकार मिल गये । फलतः वास्तविक अर्थ में जन-प्रिय मन्त्रियो ने सत्ता अपने हाथो मे ली । शिक्षा मन्त्री को भी अब अपनी योजनाओ को कार्यान्वित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ । इन सब घटनाओ का शिक्षा पर अच्छा प्रभाव पडा और उसकी प्रगति सर्वतोमुखी हो उठी । आगे हम इसी का वर्णन करेंगे ।

प्रान्तीय स्वायत्त शासन से वर्तमान तक

(१९३७ ई०-१९५६ ई०)

भूमिका

सन् १९३५ ई० के शासन विधान के अनुसार भारत में स्वायत्त शासन की नींव पड़ी। और १९३७ ई० में जाकर ११ प्रान्तों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हुई जिनमें ७ प्रान्तों में काँग्रेस मन्त्रिमण्डल बने। इन मन्त्रियों के अधिकार अपेक्षाकृत विशाल थे। अतः उन्हें अपनी इच्छानुसार राष्ट्रहितकारिणी योजनाओं को कार्यान्वित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस समय तक देश के उत्थान के लिए शिक्षा का महत्त्व सर्वविदित हो चला था। देश में कुछ ऐसे नेता और शिक्षाशास्त्री भी उत्पन्न हो गये थे जो कि शिक्षा-समस्याओं को भली प्रकार समझते थे और उनको हल करने के लिए ठोस रचनात्मक सुधार रख सकते थे।

इस महत्त्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन के प्रकाश में देश में उत्थान की एक लहर आ गई। प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा का पुनर्संगठन होने लगा। काँग्रेसी मन्त्रिमण्डलों को अब अपनी योजनाएँ लागू करके देश की समस्याओं को हल करना था। अतएव शिक्षा-क्षेत्र में भी एक जागृति-युग का अन्त्युदय हुआ। साक्षरता व प्रौढशिक्षा आन्दोलन, अछूतों तथा स्त्रियों की शिक्षा इत्यादि कार्य बड़े जोश व उत्साह के साथ प्रारम्भ हो गये। १९३७ ई० में महात्मा गांधी ने वर्षों में बेतक शिक्षा की खोज करके देश की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में नये प्राण फूँक दिए। अब अनिवार्य-निशुल्क-प्राथमिक शिक्षा की भी देश में व्यवस्था होने की आशाएँ बँध गईं।

इसी बीच में १९३९ ई० में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ जाने और अँग्रेजी सरकार के भारत को बिना पूँछे हुए ही युद्ध में भोक देने की नीति के विरुद्ध कांग्रेसी-मन्त्रिमण्डलों ने त्याग-पत्र दे दिये। फलतः देश में शिक्षा-विकास की जो बाढ़ आगई थी वह असमय में ही अवरुद्ध हो गई। इसके उपरान्त देश में १९४२ ई०

का विश्व-प्रसिद्ध राजनैतिक आन्दोलन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसका कठोरता से दमन किया। इस आन्दोलन के फलस्वरूप जन-प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी इत्यादि से राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ ही साथ शिक्षा के आन्दोलन को भी क्षति पहुँची। भारत व प्रान्तीय सरकारों ने अपने सारे प्रयत्न युद्ध में लगा दिये। इससे शिक्षा जैसे विषय के लिए धन का अभाव हो जाना स्वाभाविक ही था। वस्तुतः भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह पाँच वर्ष घोर अधकार के रहे, जिनमें प्रायः शिक्षा संस्थाओं को केवल जीवितमात्र रखा गया। अतः उनका विकास एक प्रकार से अवरुद्ध हो गया।

युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय होने के लक्षण प्रतीत होने पर १९४४ ई० के प्रारम्भ में युद्धोत्तर विकास की योजनायें बनने लगीं। शिक्षा-क्षेत्र में भी 'सार्जेंट शिक्षा योजना' के नाम से इसी वर्ष एक युद्धोत्तर विकास योजना 'केन्द्रीय सलाहकार समिति' की ओर से आई जिसका वर्णन इसी अध्याय में आगे किया जायगा।

सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर देश की शिक्षा का पुनर्संगठन प्रारम्भ हो गया और १९४५ ई० से आगे शिक्षा कुछ प्रगति करने लगी। इधर देश में राजनैतिक गतिरोध बढ़ता जा रहा था। युद्ध के उपरान्त इंग्लैंड की अवस्था बहुत दुर्बल हो गई थी। अब उसके जर्जरित पत्रों में भारत को पकड़े रहने की शक्ति नहीं रह गई थी। इधर भारतीय जनता भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तड़प रही थी। अन्त में १५ अगस्त, १९४७ ई० को देश का विभाजन हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ। १९४५ ई० के उपरान्त ही केन्द्रीय-शिक्षा विभाग अलग स्थापित कर दिया था और इसका उत्तरदायित्व कार्यकारिणी के एक सदस्य को सौंपा गया था। १९४६ ई० में 'विश्वविद्यालय अनुदान समिति' की भी स्थापना की गई। इधर भारत की स्वतंत्रता के उपरान्त देश में शिक्षा-सुधार तथा विकास की योजनायें दिन प्रति-दिन बनती जा रही हैं। आज सरकार और जनता सभी इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हल करने में जुटे हुए हैं।

इस प्रकार स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरान्त देश में शिक्षा-क्षेत्र में पर्याप्त हलचलें हो रही हैं। यद्यपि आज भी देश में साक्षरता का प्रतिशत अत्यन्त नीचा है, अर्थात् देश की लगभग ३७ करोड़ जनसंख्या में केवल ६ करोड़ व्यक्ति साक्षर हैं जिसका अभिप्राय यह है कि कुल जनसंख्या १७ प्रतिशत साक्षर है। ऐसी स्थिति में देश के समक्ष एक बड़ा वृहत् उत्तरदायित्व यहाँ की विशाल जनसंख्या को साक्षर करने तथा उसे जीवनोपयोगी शिक्षा देने का पडा हुआ है। इसकी अपेक्षाकृत भी हम देखते हैं कि इस दिशा में उचित कदम उठाये जा चुके हैं। देश की शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान की प्रधानता के दोष को दृष्टिगत रखते हुए अब शिक्षा-क्षेत्र में वैज्ञानिक, टेक्नीकल तथा व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है जिससे शिक्षा

को नया रूप देकर राष्ट्र की उन्नति के लिये एक स्थायी और दृढ़ आधार की स्थापना की जा सके ।

राष्ट्रोन्नति में शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अधिकतम लोगों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न विकास योजनाओं को कार्यान्वित करना प्रारम्भ कर दिया है । देश में बहुत से वैज्ञानिक व टैक्निकल शिक्षालय खोल दिये गये हैं, विश्वविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षालय तथा प्राथमिक व बेसिक स्कूलों की संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है । इधर भारत सरकार की प्रथम व द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा के प्रायः सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिये विभिन्न योजनाएँ चालू कर दी गई हैं । देश के असंख्य प्रौढ़ों को नागरिकता के गुणों से परिचित कराने तथा उन्हें साक्षर बनाने के लिये सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति होती जा रही है । साथ ही भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों में विशेष प्रशिक्षणों के लिये भेजने और विदेशों के विद्यार्थियों को भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का देना भी प्रारम्भ कर दिया है । हरिजनो, कबीलो तथा देश की अन्य पिछड़ी हुई जातियों में शिक्षा का प्रकाश फैलाने एवं शारीरिक व मानसिक दृष्टि से पीड़ित लोगों जैसे अन्धे, गूंगे, बहरे व दुर्बल मस्तिष्क के लोगों के लिये भी विशेष प्रकार की शिक्षा-सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं । इन सभी बातों का उल्लेख हम आगे चल कर करेंगे ।

Colo

इधर सभी स्तरों पर शिक्षा का पुनर्संगठन करने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों ने कुछ विशेषज्ञों के आयोगों व समितियों की नियुक्ति करके शिक्षा की सम्पूर्ण समस्या का पुनरीक्षण किया है । इसके लिये सन् १९४८ ई० में डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय कमीशन की स्थापना की गई थी । जिसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट १९४९-५० में प्रस्तुत की थी । इस रिपोर्ट के आधार पर देश की विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा क्षेत्रों को एक नये ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया गया है । माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन के लिये जौलाई, १९५२ ई० में मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपित डा० लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसने अगस्त, १९५३ ई० में अपनी विस्तृत रिपोर्ट देश के समक्ष प्रस्तुत की है । राज्यों में नियुक्त होने वाली समितियों में हम उत्तर प्रदेश में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में 'माध्यमिक शिक्षा पुनर्संगठन समिति' १९५३ तथा जस्टिस मूथम की अध्यक्षता में 'इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाँच समिति' की रिपोर्टों का विशेषतः उल्लेख कर सकते हैं । उपर्युक्त सभी का वर्णन हम आगे चल कर विस्तार पूर्वक करेंगे ।

इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा को प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर देश के लिये स्वीकार किया जा चुका है । इसके लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से देश में बहुत से बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोले जा चुके हैं । इनका वर्णन भी हम यथास्थान करेंगे ।

शिक्षा के माध्यम की दृष्टि से भी भारतीय सविधान में हिन्दी को राष्ट्र-भाषा स्वीकार कर लिया गया है और प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर क्रमशः इसे १९६५ ई० तक पूर्णतः लागू करने का प्रयास किया जा रहा है । विभिन्न राज्यों में प्रान्तीय भाषाएँ ही प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा का माध्यम रहेगी ।

जहाँ तक शिक्षा के संगठन व प्रशासन का प्रश्न है, सन् १९२१ ई० से ही शिक्षा पर राज्य-सरकारों का नियंत्रण है और वहाँ की जनता को शिक्षित करने का पूर्ण-उत्तरदायित्व उन्हीं पर है । प्रत्येक राज्य में आशिक रूप से विश्वविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा बोर्डों तथा जिला बोर्ड, नगरपालिका एवं छावनी बोर्ड इत्यादि स्थानीय सस्थाओं तथा अन्य लोक हितकारी धार्मिक व वैयक्तिक सस्थाओं को शिक्षा का प्रबन्ध व प्रशासन हस्तान्तरित कर दिया गया है । प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा-मन्त्री होता है जोकि विधान सभा के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है । राज्य-शिक्षा विभाग में शिक्षा-संचालक के अतिरिक्त उप शिक्षा-संचालक तथा जिला निरीक्षक व उप निरीक्षक इत्यादि होते हैं ।

केन्द्र में सन् १९४५ ई० तक शिक्षा के लिये कोई स्वतन्त्र विभाग नहीं था । शिक्षा कृषि तथा स्वास्थ्य विभागों के साथ जुड़ी हुई थी । १९४५ ई० में शिक्षा-विभाग की स्थापना हुई और सन् १९४७ ई० में एक केन्द्रीय मन्त्री के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से शिक्षा मन्त्रालय की स्थापना की गई । भारत के सविधान में शिक्षा के ढाँचे में कोई अमूल परिवर्तन नहीं किये गये हैं, तथापि सविधान ने केन्द्रीय-सरकार को विश्व-विद्यालय तथा टेक्नीकल शिक्षा के विकास के लिये तथा विभिन्न शिक्षा-सुविधाओं के समन्वय एवं मानदण्ड को उठाने का विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया है । केन्द्र शिक्षा के राष्ट्रीय पक्ष की रक्षा करता है और अखिल भारतीय महत्त्व की शिक्षा-समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करता है ।

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय पर अलीगढ़, बनारस, दिल्ली तथा विश्व-भारती चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त उच्च शिक्षा तथा टेक्नीकल व वैज्ञानिक शिक्षा सम्बन्धी अन्य सस्थाओं का भी उत्तरदायित्व है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण †

भारतीय मानवशास्त्र सर्वेक्षण, राष्ट्रीय पुरालेख संग्रह तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता भी केन्द्रीय मन्त्रालय के अन्तर्गत हैं ।

देश में सांस्कृतिक उत्थान, विदेशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करना, यूनेस्को के कार्यक्रमों के साथ सहयोग करना तथा भारत में 'ग' और 'घ' श्रेणी के राज्यों जैसे अजमेर, कुर्ग, अडमान व निकोबार, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा तथा भोपाल में शिक्षा की व्यवस्था व नियंत्रण करना भी केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के उत्तरदायित्व के अन्तर्गत है । इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीय शिक्षा ब्यूरो है जो देश भर से शिक्षा सम्बन्धी आँकड़े इकट्ठे करके प्रतिवर्ष उनका प्रकाशन करता है । भारतीय विद्यार्थियों के लिये विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने और विदेशी विद्यार्थियों के भारत में शिक्षा प्राप्त करने के सम्बन्ध में पूरी सूचना देने के लिये केन्द्र में एक विदेश-सूचना ब्यूरो (Overseas Information Bureau) की स्थापना भी की है ।

इस प्रकार भारत शिक्षा की दृष्टि से अग्रसर होता जा रहा है । सन् १९५१ की जन गणना के अनुसार केवल १६६ प्र० श० व्यक्ति साक्षर थे । इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि अपनी वर्तमान प्रगति की अपेक्षाकृत भी हम शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं । भारतीय सविधान के अनुसार सन् १९६१ तक १४ वर्ष की आयु के सभी ऐसे बालकों के लिये जिनकी आयु स्कूल में जाने के योग्य है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की राज्य द्वारा व्यवस्था हो जानी चाहिये । सन् १९५१ में ६-११ की आयुवर्ग के बालकों का अनुपात सन् १९४७ में ३० प्रतिशत की अपेक्षा ४० प्रतिशत हो गया था । सन् १९५५-५६ तक यह अनुपात सख्या ५० प्र० श० हो गई है ।

इसी प्रकार सभी भौतिकी शिक्षा संस्थाओं की संख्या तथा उनके अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और शिक्षा-व्यय में भी सतोषजनक अभिवृद्धि हुई है । सन् १९५२-५३ ई० में भारत में प्रति व्यक्ति शिक्षा-व्यय ३ रु० ८ आ० था और प्रति-विद्यार्थी यह व्यय ५०) रु० था । शिक्षा की प्रगति का कुछ अनुमान आगे दी हुई तालिका से जाना जा सकता है ।

शिक्षा सस्थाओं के प्रकार	सस्थाओं की संख्या		विद्यार्थियों की संख्या		प्रत्यक्ष व्यय (लाख रुपये में)	
	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५२-५३	१९५३-५४
विश्वविद्यालय	३०	३०	३८	४१	५६४	६०१
बोर्ड	६	१०	—	—	६४	१०५
कला व विज्ञान के कालेज	६२०	६५१	३६१	४२८	६६७	१,११३
व्यावसायिक कालेज	२४०	२४२	६८	७५	५३७	५८३
विशिष्ट शिक्षा के कालेज	८३	८६	८	८	२६	२७
माध्यमिक स्कूल	२४,२८३	२५,६८४	६,०६१	६,४१३	३,८३३	४,२३४
प्राथमिक व पूर्व						
आथमिक स्कूल	२,२३,४४२	२,३६,११८	१६,६११	२०,६६२	४,४५१	४,७३६
व्यावसायिक स्कूल	२,६१८	२,७७३	२०७	२२२	४०२	४२६
विशिष्ट शिक्षा के स्कूल	४८,७०६	५२,८२१	१,२५७	१,३५७	२३४	२७७
योग	३,००,०३१	३,२१,४०५	२७,६४१	२६,५३६	११,१३८	२,१०५

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष में शिक्षा प्रगति पथ पर है। देश की जनसंख्या को शिक्षा प्राप्त करने के सुअवसर देने के लिये सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। किन्तु इन प्रयत्नों की अपेक्षाकृत भी समस्या इतनी विशाल और दुरुह है कि इसका हल सरलता से नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी प्रयत्न इस दिशा में किये जा रहे हैं वे कदापि पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। आज हम भारत में प्रायः सभी प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों तथा बड़े राजनैतिक नेताओं को यह कहते हुए पाते हैं कि देश की शिक्षा-प्रणाली दूषित तथा देश और काल के अनुप-युक्त है। निस्सन्देह यह मत आशिक रूप से सत्य भी माना जा सकता है। किन्तु आज तो भारत स्वतन्त्र है और हमें अपनी शिक्षा-प्रणाली को अपने मनोनुकूल ढालने के सभी अधिकार और सुअवसर प्राप्त हैं। तो फिर क्यों नहीं हमारे शिक्षा-शास्त्री अथवा सरकार इस 'दोषपूर्ण' शिक्षा-प्रणाली का सुधार करते? वास्तव में हम यह बात स्पष्ट रूप से और निर्भय होकर स्वीकार कर सकते हैं कि अभी तक स्वयं हमारे शिक्षा-शास्त्रियों के सम्मुख भी कोई ऐसा स्पष्ट चित्र देश की भावी शिक्षा-प्रणाली के लिये नहीं है जिसे वे देश के समक्ष रख सकें। अंग्रेजी काल से चली आने वाली

† इनके अतिरिक्त २,६५६ लाख रुपये अप्रत्यक्ष रूप से व्यय हो गये।

इनके अतिरिक्त २,८३५ लाख रुपये अप्रत्यक्ष रूप से व्यय हो गये।

२ अक्टूबर, १९३७ ई० को गांधीजी ने 'हरिजन' में एक लेख लिखा, जिसमें वर्धा में उसी वर्ष २२, २३ अक्टूबर को एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन बुलाने का उल्लेख किया और अपने चार प्रमुख प्रश्न शिक्षा के सम्बन्ध में रखे जा सकेंगे में इस प्रकार हैं—

- (१) वर्तमान शिक्षा-पद्धति में अंग्रेजी को प्रमुखता है, अतः जन समूह तब ज्ञान नहीं पहुँच सकता,
- (२) प्राथमिक शिक्षा की अवधि ७ वर्ष कर दी जाय,
- (३) बालको के सर्वाङ्गीण विकास के लिए उन्हें शिक्षा यथासम्भव किस लाभदायक क्रापट के माध्यम से दी जाय, और
- (४) उच्च शिक्षा वैयक्तिक प्रयासों पर छोड़ दी जाय। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करेंगे।

तदनुसार महात्मा गाँधी के सभापतित्व में 'मारवाडी शिक्षा मडल' का रजत-जयन्ती के अवसर पर नवभारत विद्यालय में वर्धा-सम्मेलन का आयोजन हुआ। श्रीमन्नायण अग्रवाल इस सम्मेलन के सयोजक थे। देश के भिन्न भिन्न भाग से शिक्षा-शास्त्रियों तथा प्रान्तीय शिक्षा मन्त्रियों ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन का सभापति पद से भाषण देते हुये महात्माजी ने अपनी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि—

“जो विचार मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ उनके कहने का ढग नया है यद्यपि उन विचारों के सम्बन्ध में मेरा अनुभव पुराना है। जो प्रस्ताव मैं आपसे सम्मुख रख रहा हूँ वे प्राथमिक और कालेज शिक्षा दोनों से ही सम्बन्धित हैं, किन्तु प्राथमिक शिक्षा पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। माध्यमिक शिक्षा को मैंने प्राथमिक शिक्षा में ही सम्मिलित कर दिया है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही एक मात्र वास्तविक शिक्षा है जो कि ग्रामीणों के एक अल्पांश को उपलब्ध है जिसे मैं १९१५ ई० से अपने भ्रमणों में देखा है।

“मेरा विश्वास है कि यदि हम गाँवों की दशा में सुधार चाहते हैं तो ही प्राथमिक शिक्षा के साथ ही माध्यमिक शिक्षा को मिला देना चाहिये। अतः जो शिक्षा योजना हम रखने जा रहे हैं वह प्रधानतः ग्रामीण होनी चाहिए। यदि इस समय हम प्रारम्भिक शिक्षा की समस्या को हल कर लेते हैं तो कालेज की उच्च शिक्षा-समस्या आसानी से हल की जा सकती है।

“मेरा पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा-पद्धति न केवल अपव्ययपूर्ण ही है, वरन् हानिप्रद भी है। अधिकतर बालक न तो अपने माँ बाप के काम करते हैं और न उस पेशे के जो कि उनका जन्मजात पेशा है। वे शहरो की बन्द

श्राद्धों को सीख लेते हैं और जो अर्द्धज्ञान प्राप्त करते हैं उसे शिक्षा के अतिरिक्त वह जो कुछ कह लीजिये, किन्तु शिक्षा नहीं। तो फिर प्राथमिक शिक्षा का रूप क्या होना चाहिए? मेरी राय में इसकी एक मात्र औषधि है व्यवसायो अथवा हस्तकलाओं द्वारा शिक्षा देना। मुझे टालस्टाय फार्म में अपने पुत्रों तथा अन्य बच्चों को लकड़ी तथा चमड़े के काम के द्वारा पढ़ाने का अनुभव है।

“मेरी योजना का उद्देश्य तथाकथित उदार शिक्षा के साथ-साथ केवल कुछ हस्तकलायें ही सिखाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सम्पूर्ण शिक्षा किसी हस्त-कला अथवा उद्योग के माध्यम से दी जाय। यह कहा जा सकता है कि मध्ययुग में विद्यार्थियों को केवल हस्त-कार्य ही सिखाये जाते थे, किन्तु उन दिनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षा-सम्बन्धी नहीं था। हस्त-कार्य केवल उद्यम के लिए सिखाये जाते थे और बुद्धि के विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था।

‘प्रायोगिक शिक्षा द्वारा किसी उद्यम की कला तथा विज्ञान को सिखाने और उसी के द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा देने से ही सुधार होगा। उदाहरणतः तकली से कताई सिखाने में कपासों की किस्में, उनके लिए उपयुक्त भारतीय प्रांतों में भूमि, इस उद्योग के हास का इतिहास, इसके राजनैतिक कारण जिसमें भारत में अंग्रेजी शासन भी सम्मिलित होगा तथा गरिब इत्यादि पढ़ाये जाने चाहिये। यही परीक्षण मैं अपने पौत्र पर कर रहा हूँ जो कि यह अनुभव भी नहीं कर पाता कि उसे पढ़ाया जा रहा है अथवा नहीं। मैं तकली का विशेष उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी शक्ति तथा इसके ‘रोमांस’ का अनुभव कर रहा हूँ। कपड़ा बनाने में इसका उपयोग भी भारतवर्ष में किया जा सकता है। साथ ही तकली बड़ी सस्ती है। देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए तकली ही एकमात्र हमारी समस्या का व्यावहारिक हल है।

“मैंने मंत्रियों के सम्मुख इस योजना को रख दिया है। इसे स्वीकार या अस्वीकार करना उनका काम है। किन्तु मेरी सलाह है कि प्राथमिक शिक्षा का केन्द्र तकली हो। तकली के द्वारा उत्पादन भी संभव होगा, क्योंकि बच्चों के द्वारा बने हुये कपड़ों की मांग भी बहुत होगी। मैंने एक ७ वर्ष के ‘कोर्स’ का अनुमान लगाया है, जिसका उद्देश्य कातना, बुनना, रँगना तथा डिजायन बनाने का व्यावहारिक ज्ञान सिखाना होगा।

“शिक्षक का खर्च निकालने का भी मुझे ध्यान है। इसका साधन बच्चों की बनाई हुई वस्तुओं को बेचकर ही निकाला जा सकता है। अन्यथा करोड़ों बच्चों की शिक्षा का कोई अन्य साधन नहीं है। इस प्राथमिक शिक्षा में सफाई, स्वास्थ्य-रक्षा, भोजन इत्यादि के साधारण नियमों के ज्ञान के साथ-साथ स्वावलम्बन तथा माँ बाप की सहायता करने का सिद्धांत भी निहित है। वर्तमान पीढ़ी के बच्चे

स्वच्छता तथा आत्मनिर्भरता से परिचित नहीं हैं और शारीरिक रूप से भी दुर्बल हैं। अतः मे सगीत ड्रिल के साथ साथ उन्हें अनिवार्य शिक्षा देने के पक्ष में हूँ।

“मेरी योजना के आलोचकों का कथन है कि मैं साहित्यिक शिक्षा का विरोधी हूँ। यह बात नहीं है। मैं तो ऐसी शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। यह भी कहा जाता है कि जब हमें करोड़ों रुपये शिक्षा पर व्यय करने चाहिये, तब हम उल्टे बच्चों का शोषण करने जा रहे हैं। यह भी भय किया जा रहा है कि इस योजना में बहुत अपव्यय होगा। किन्तु अनुभव इन सब भयों को व्यर्थ सिद्ध कर देता है। जहाँ तक शोषण और बच्चों पर भार डालने का प्रश्न है, मैं पूछता हूँ कि क्या सर्वनाश से बचाना उन पर भार डालना है? तकली एक अच्छा खिलाता है, उत्पादक होने से क्या यह खिलाता नहीं रहता? आज भी कुछ सीमा तक बच्चे अपने माँ-बाप की सहायता करते ही हैं। इस प्रकार जब बच्चे को सूत कातना अथवा माँ-बाप की खेती में सहायता करना सिखाया जायगा तो उसमें यह भावना भी आ जायगी कि वह अपने माँ-बाप का ही नहीं अपितु गाँव तथा देश का भी है और उसे उनका भी ऋण चुकाना चाहिये। यही एक मात्र मार्ग है। मैं मंत्रियों से कहूँगा कि बच्चों को शिक्षा में सहायता देना तो उन्हें अपगु बना देना है। यदि बच्चे अपनी शिक्षा का व्यय स्वयं कमाते हैं तो वे स्वावलम्बी तथा वीर बनेंगे। हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई सभी के लिये यही शिक्षा है। लोग पूछते हैं कि मैं धार्मिक शिक्षा पर बल क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं उन्हें स्वावलम्ब का व्यावहारिक धर्म सिखा रहा हूँ।”

इसके उपरान्त गांधी जी ने शिक्षकों की भर्ती के विषय में बोलते हुए कहा कि शिक्षकों को स्वेच्छा से अपनी सेवायें देश को अर्पित करनी चाहिये। गांधी जी ने यह भी कहा कि “इस शिक्षा की सफलता की कसौटी इसे स्वावलम्बी बनाना ही है। सात वर्ष के अन्त में बच्चों को अपनी शिक्षा पर व्यय पूरा कर देना चाहिये और कमाऊ बन जाना चाहिये।”

अन्त में अपने भाषण को समाप्त करते हुये महात्माजी ने कहा कि “यदि हम साम्प्रदायिक विद्वेष तथा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को मिटाना चाहते हैं, तो हमें नीबू सुट्ट तथा शुद्ध रखनी चाहिये और उसके लिये नई पीढी को मेरी योजना के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिये। इस योजना का श्रोत अहिंसा है। हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, सम्यक्ता तथा राष्ट्रीय प्रतिभा का वास्तविक प्रतिनिधि बनाना है।

जब तक हम उन्हें स्वावलम्बन पर आधारित प्राथमिक शिक्षा नहीं देगे, तो ऐसा करना असम्भव है। यूरोप हमारा आदर्श नहीं हो सकता क्योंकि इसकी योजनायें हिंसा पर आधारित हैं। यदि भारत ने हिंसा से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है

तो, यह शिक्षा पद्धति ही उसके प्राप्त करने का प्रमुख साधन हो सकती है। हमसे कहा जाता है कि इंग्लैंड और अमेरिका में शिक्षा पर करोड़ों रुपये व्यय किये जाते हैं, किन्तु हम यह भूल जाते हैं कि यह सब धनराशि शोषण द्वारा प्राप्त की जाती है। वहाँ शोषण-कला ने विज्ञान का रूप धारण कर लिया है। हम न तो शोषण की बात सोच सकते हैं और न सोचेंगे ही। अतः अहिंसा पर आश्रित शिक्षा के अतिरिक्त हमारे समक्ष कोई अन्य विकल्प नहीं।”

महात्माजी के भाषण के उपरान्त डा० जाकिर हुसैन तथा प्रो०के०टी० शाह इत्यादि विद्वानों ने इस योजना की समालोचना की। भिन्न भिन्न-प्रान्तों से आये हुए शिक्षा मंत्रियों ने योजना की सराहना करते हुए इसकी कुछ त्रुटियों पर प्रकाश डाला तथा कुछ कठिनाइयों को भी सम्मुख रक्खा। गांधी जी ने सभी आलोचकों को सतोषजनक उत्तर दिये और इसके प्रयोग करने के सुझाव रक्खे। आचार्य विनोवा भावे, काकम कालेलकर, महादेव देसाई, बी० जी० खेर तथा प० रवीशंकर शुक्ल इत्यादि नेताओं ने भी योजना का समर्थन किया। अन्त में वे चार प्रस्ताव रक्खे गये, जिनका सार प्रारम्भ में दिया जा चुका है। ये प्रस्ताव निम्नलिखित रूप में पास हुए —

प्रस्ताव

- (१) सम्मेलन की राय में समस्त देश में ७ वर्ष तक सभी बालक और बालिकाओं को निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाय।
- (२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
- (३) सम्मेलन महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन करता है कि इस काल में शिक्षा किसी उत्पादक हस्तकार्य को ही केन्द्र मानकर दी जावे, और इसके अतिरिक्त अन्य गुणों का विकास करने के लिये अथवा कोई प्रशिक्षण देने के लिये, यथासम्भव कोई ऐसा हस्तकार्य चुना जाय जिसका कि बालक के वातावरण से घनिष्ठ सम्बन्ध हो।
- (४) सम्मेलन को आशा है कि शिक्षा के इस सगठन के अनुसार धीरे-धीरे अध्यापकों का वेतन निकलने लगेगा।

जाकिर हुसैन समिति

उपर्युक्त प्रस्तावों के पास होने के उपरान्त गांधी जी की योजना को व्यावहारिक रूप देने तथा एक विस्तृत पाठ्यक्रम बनाने के उद्देश्य से एक समिति बनाई गई जिसके सभापित 'जामिया मिलिया, दिल्ली' के तत्कालीन प्रिंसिपल श्री जाकिर हुसैन नियुक्त हुए। उनके अतिरिक्त इसके अन्य नौ सदस्य और थे, जिनमें प्रमुख श्री, आर्यनायकम (सयोजक), श्री विनोवा भावे, श्री काका कालेलकर,

श्री जे० सी० कुमारप्पा, श्री मशहूबाला तथा प्रोफे० के० टी० शाह थे। इनको कुछ अन्य सदस्य चुनने (To Co opt) का अधिकार भी दे दिया गया। २ दिक्कतों से १९३७ ई० तथा अप्रैल १९३८ ई० को समिति ने अपने दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। प्रथम प्रतिवेदन में योजना के मूलभूत सिद्धान्तों, प्रचलित शिक्षा प्रणाली, महात्मा गांधी का नेतृत्व, स्कूलों में हस्तकार्य, योजना में नागरिकता के गुणों का निहित होना तथा योजना के स्वावलम्बन का आधार आदि उपशोर्षकों से लेकर—योजना के उद्देश्य, बेसिक शिक्षा के ७ वर्ष के पाठ्य-क्रम की सक्षित रूप रेखा, अध्यापकों का प्रशिक्षण, निरीक्षण तथा परीक्षा-नियम इत्यादि तथा शिक्षा के प्रशासन व संगठन की रूपरेखा तक का वर्णन है। अन्त में प्रमुख हस्तकार्य 'कलाई व बुनाई' का विस्तृत पाठ्य-क्रम दिया गया है। दूसरे प्रतिवेदन में समिति ने अन्य बुनियादी हस्तकार्यों जैसे कृषि, घातुकार्य व लकड़ी का कार्य इत्यादि को भी सम्मिलित करके इनकी विधि तथा पाठ्यक्रम का पूर्ण विवरण दिया है, तथा इन बुनियादी हस्तकार्यों का अन्य विषयों से सम्बन्ध स्थापित करने की विधि (Correlation) की भी व्यवस्था की है। जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट फरवरी, १९३८ ई० में हरीपुरा कांग्रेस अधिवेशन में वाद विवाद के लिये रखी गई, और कांग्रेस ने इसे अधिकृत रूप से स्वीकार कर लिया। इसी बीच में रिपोर्ट के प्रकाशन होने पर इसका देश में प्रचार हुआ और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से आलोचनाएँ आने लगीं। गांधी जी ने 'हरिजन' के द्वारा समय-समय पर सभी आलोचनाओं का उत्तर दिया तथा शकाओं का समाधान किया। इस प्रकार पूर्ण रूप से मँजने के उपरान्त बेसिक शिक्षा योजना यू० पी०, मध्यप्रान्त, बिहार-उड़ीसा, तथा बम्बई प्रान्तों में लागू कर दी गई। किन्तु जैसा कहा जा चुका है कांग्रेस मन्त्रिमंडल के १९३९ ई० में त्याग-पत्र दे देने पर यह योजना भी अधूरी ही रह गई। बाद में सरकारी अफसरों ने इसे हानिकारक व अव्यावहारिक बताकर हटा दिया। बिहार में अवश्य चम्पारन जिले में लगभग २७ केंद्रों में यह जारी रही।

वर्धा योजना की विशेषतायें.

वर्धा योजना के फलस्वरूप देश में एक नवीन शिक्षा पद्धति 'बेसिक शिक्षा' का प्रारम्भ हुआ। योजना के तत्त्व अथवा विशेषताओं को समझने से पूर्व यह आवश्यक है कि 'बेसिक' शब्द का इस शिक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण महत्त्व समझ लिया जाय। प्रथमतः इस शिक्षा को 'बेसिक' इसलिये कहा गया है कि यह हमारी राष्ट्रीय सस्कृति तथा सभ्यता का आधार होगी। प्रत्येक वर्ग का बालक इसे बिना भेद-भाव के अपना सकेगा और उसके लिये यह अनिवार्य होगी। दूसरे, यह 'बेसिक' इसलिये होगी कि इसका माध्यम कोई 'बेसिक क्लापट' होगा, अर्थात् कोई ऐसी हस्तकला जो कि भारतीय

जीवन का आधार हो। इसके अतिरिक्त बालक की मूलभूत-क्रियात्मक भावनाओं के लिये ~~अवस्था~~ भी इस शिक्षा का आधार है। इन सृजनात्मक भावनाओं की तुष्टि हस्तकार्यों के द्वारा हो सकेगी जिसके आधार पर बालक रचिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करेगा। अब एक प्रकार से बेसिक-शिक्षा जीवन की आघारीय आवश्यकताओं—सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक तथा मानसिक सभी की पूर्ति करेगी। वस्तुतः यह जीवन का वह दृढ धरातल प्रदान करेगी जिस पर हमारे बालको, समाज तथा राष्ट्र का अस्तित्व निर्भर होगा।

अब यहाँ सक्षेप में बेसिक शिक्षा के प्रमुख तत्वों को देना आवश्यक है।

● (१) शिक्षा का माध्यम बेसिक क्राफ्ट—बेसिक शिक्षा की विशेषता यह है कि यह किसी लाभदायक बुनियादी हस्तकार्य के माध्यम से दी जाती है। वर्तमान युग में आज सभी शिक्षा शास्त्री इस सिद्धान्त को मानने लगे हैं कि बालको को किसी उचित उत्पादक कार्य के द्वारा शिक्षा दी जाय। इस प्रकार शिक्षा का वास्तविक जीवन से सम्बन्ध स्थापित हो जायगा। जहाँ इस क्राफ्ट के द्वारा उद्यम की समस्या हल होगी वहाँ बालक के व्यक्तित्व का भी विकास होगा और उसकी रचनात्मक तथा उत्पादक कार्य करने की आन्तरिक भावनाओं को भी पोषण मिलेगा। जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रकार शिक्षा का माध्यम क्राफ्ट रहने से बालक को मनोवैज्ञानिक लाभ होगा, क्योंकि उसे एक ऐसी शुद्ध साहित्यिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षा की दासता से मुक्ति मिलेगी जिसके प्रति उसकी आत्मा सदा विद्रोह किया करती है। इसके द्वारा शरीर और मस्तिष्क दोनों को शिक्षा प्राप्त होगी। इसका उद्देश्य केवल साक्षरता प्राप्त करना ही नहीं होगा, अपितु इसके द्वारा बालक किसी रचनात्मक कार्य के करने के लिए अपने हाथ तथा बुद्धि का प्रयोग करना सीखेगा। इसका अभिप्राय होगा उसके 'व्यक्तित्व की शिक्षा'।

प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि सामाजिक क्षेत्र में इस शिक्षा से समाज के ऊँच-नीच के भेद-भाव मिट जायेंगे और मानसिक-श्रमिक तथा शारीरिक-श्रमिक के बीच की खाई पट जायगी। इससे बालक श्रम का महत्त्व भी समझेंगे।†

† "My plan to impart education through the medium of village handicrafts, like spinning and carding, etc, is thus conceived as the spearhead of a silent social revolution fraught with the most far-reaching consequences. It will provide a healthy and moral basis of relationship between the city and the village and thus go a long way towards eradicating some of the worst evils of the present social insecurity and poisoned relationship between the classes." Mahatma Gandhi Quoted in *Basic National Education*, pp. 6-7, Hindustani Talimi Sangh

आर्थिक दृष्टिकोण से यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक शिक्षा प्राप्त की जाय तो यह बालक को स्वावलम्बी बना देगी और शिक्षा भी स्वतः पूर्ण हो जायगी। इस प्रकार "ज्ञान का जीवन से सम्बन्ध स्थापित हो जायगा और इसके विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से सम्बन्धित हो जायेंगे।"

अतः बेसिक शिक्षा का केन्द्र क्राफ्ट होगा। किन्तु जैसा कि प्रतिवेदन में कहा गया है "इस नई शिक्षा पद्धति का प्रधान उद्देश्य यह नहीं है कि ऐसे कारीगर उत्पन्न कर दिये जायँ जो यत्रवत् कोई कार्य करते रहे, अपितु इसका उद्देश्य तो क्राफ्ट में निहित साधनों का शिक्षा के लिए उपयोग करना है।" इसके लिये दो शर्तें होनी चाहिए "प्रथमतः जो क्राफ्ट या उत्पादक-कार्य चुना जाय वह शिक्षा विज्ञान की सम्भावनाओं से सम्पन्न हो, और द्वितीय, जीवन की महत्त्वपूर्ण क्रियाओं तथा रुचियों से सम्बन्ध स्थापित करने का इस क्राफ्ट के अन्दर प्राकृतिक गुण हो और उसमें स्कूल पाठ्यक्रम के सम्पूर्ण अंगों का समावेश हो सके।"

इस प्रकार क्राफ्ट केवल एक स्वतन्त्र विषय की भाँति ही नहीं पढाया जायगा। यह तो अन्य विषयों का भी केन्द्र होगा और उनसे सम्बन्धित कर दिया जायगा जैसा कि गांधीजी ने स्वयं कहा है कि, "प्रत्येक हस्त-कार्य आजकल की भाँति यत्रवत् नहीं, वरन् वैज्ञानिक विधि से सिखाया जायगा, जिससे बालक प्रत्येक पद्धति के कार्य-कारण सम्बन्ध को भली भाँति समझ जाय।" यदि कताई-बुनाई जैसे हस्त-कार्यों को भी अन्य विषयों की भाँति पढाया जायगा तो सम्पूर्ण योजना की आत्मा का ही हनन हो जायगा। किन्तु किसी भी एक क्राफ्ट को सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। प्रत्येक क्राफ्ट की सीमाये होती है। अतः क्राफ्ट के अतिरिक्त सामाजिक वातावरण तथा प्राकृतिक वातावरण को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकार "जो विषय क्राफ्ट से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता है वह बालक की प्राकृतिक अथवा सामाजिक परिस्थितियों से सम्बन्धित कर दिया जायगा जिनमें बालक उतनी ही रुचि रखता हो जितनी कि क्राफ्ट में।"†

● (२) नागरिकता के गुणों का विकास—आज का बालक कल का भावी नागरिक है। अतः शिक्षा का उद्देश्य नागरिकता के गुणों का विकास भी होना चाहिये। नई पीढ़ी को समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिये। आजकल के युग में एक नागरिक को समाज की एक लाभदायक व उत्पादक इकाई होना चाहिये। गांधीजी ने यह अनुभव कर लिया था कि देश की प्रचलित शिक्षा-पद्धति ऐसे शोषकों का निर्माण करती जा रही है जो रिदू-रों के ऊपर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अतः आवश्यक है कि एक ऐसी शिक्षा-पद्धति का विकास

किया जाय जिसमें बालक शारीरिक श्रम के गौरव को समझे और अपने ऊपर निर्भर रह सके। बेसिक शिक्षा इस उद्देश्य की पूर्ति करती है। इसमें प्रत्येक बालक अनिवार्य रूप से कुछ हस्त-कार्य करता है। कक्षा में सभी वर्गों के बालक सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार उनमें स्वावलम्बन तथा श्रम-गौरव की भावनाओं के साथ ही साथ सहकारिता की भावनाओं का भी संचार होता है। उन्हे देश तथा जाति के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और समाज-सेवा की भावना से प्रेरित होकर वे एक सामूहिक जीवन का पदार्थ-पाठ पढते हैं। अतः जो चरित्र का विकास बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था में होता है, वह बड़े होने पर व्यावहारिक जीवन में भी स्पष्ट भलकता है।

प्रायः साधारण शिक्षालयों में सहकारिता की यह भावना नष्ट हो जाती है, किन्तु बेसिक स्कूलों में इसको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। एक रचनात्मक तथा उत्पादक कार्य करते हुए बालक गर्व के साथ यह अनुभव करता है कि वह राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है और राष्ट्र निर्माण तथा कल्याण का पाठ पढ रहा है।†

● (३) योजना में आत्म निर्भरता की भावना—वास्तव में बेसिक शिक्षा का यह वह पक्ष है जिसकी कि देश में बड़ी आलोचना हुई। प्रोफेसर के० टी० शाह ने कहा कि क्रापट की शिक्षा देकर हम बालक को 'दास' बना डालेंगे और आर्थिक उद्देश्य को समझ रख कर बालक का शोषण करेंगे। बालक शिक्षा के महान् उद्देश्यों को भुनकर किसी पेशेवर कारीगर की भाँति यत्नवत् तथा भावनाशून्य होकर कार्य करेगा। यह भी कहा गया कि यह शिक्षा स्कूलों को 'फैक्ट्री' बना देगी जहाँ बालक से यह आशा की जायगी कि उसके उत्पादन से शिक्षक का वेतन चुकाया जाय। अतः शिक्षक भी आर्थिक लाभ के लिए बालक से अधिक से अधिक काय लेगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोगो ने यह भी सन्देह किया कि बालकों की बनाई हुई वस्तुएँ इतनी भद्दी होगी कि वे बिक्रि न सकेंगी तथा प्रारम्भ में कच्चा माल बहुत बिगड़ेगा। "स्कूल को स्वावलम्बी बनाने का तात्पर्य शिक्षालयों को उद्योग-धर्मों का केन्द्र बना देना होगा और किसी स्कूल की सफलता शिक्षा से नहीं, बरन् बेचने योग्य

† "The ultimate object of this New Education is not only a balanced and harmonious individual, but also a balanced and harmonious society—a just social order in which there is no unnatural dividing line between the haves and the have-nots and everybody is assured of a living wage and the right to freedom" Mahatma Gandhi, Quoted in *Basic National Education*, p 5, Hindustani Talimi Sangh

हेस्तुओं के उत्पन्न करने से आँकी जायगी।”¹ फिर बच्चों को राज्य से शिक्षा पाने का अधिकार स्वयं है, वे उत्पादन करके क्यों पढें ? इत्यादि इत्यादि ।

यदि आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि ये सभी सदेह और आलोचनायें निर्मूल व निराशावादी हैं । वास्तव में इनके विषय में बड़ी भ्रान्ति है । योजना के स्वावलम्बी अथवा आत्म-निर्भर होने का प्रयोजन यह है कि एक तो विद्यार्थियों के श्रम से ही आशिक रूप से शिक्षक का वेतन निकल आवे, और दूसरे, शिक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थी को जीवन-निर्वाह के लिये कोई उत्पादक साधन उपलब्ध हो सके । योजना का अभिप्राय यह नहीं है कि एक मात्र कारीगर उत्पन्न किये जाँय । समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट कर दी है कि “यदि यह शिक्षा-प्रणाली स्वावलम्बी नहीं भी है तो भी इसे एक उचित शिक्षा-नीति तथा राष्ट्र निर्माण का तात्कालिक साधन समझकर अपना लेना चाहिये ।” जहाँ तक व्यय का प्रश्न है वहाँ तक तो वह ‘दैवयोग से’ या अनायास ही (Incidentally) कुछ उत्पादन करके दैनिक-व्यय निकाल लिया करेगी । इसके समर्थन में समिति ने कताई-बुनाई के आकड़े देकर यह सिद्ध भी कर दिया है कि यह पद्धति आत्म-निर्भर भी हो सकती है ।

जहाँ तक उपर्युक्त आलोचनाओं के उत्तर का प्रश्न है गान्धी जी ने समय-समय पर ‘हरिजन’ में अपने लेखों द्वारा उन्हें स्पष्ट कर दिया है । उन्होंने लिखा था कि वेतन तथा बेसिक क्राफ्ट का व्यय बालको के सात वर्ष के कार्य से अवश्य निकल आवेगा । प्रारम्भ में कच्चे माल का थोड़ा अपव्यय भले ही हो जाय, किन्तु आगे जाकर नहीं होगा । यह स्वाभाविक है और योग्य शिक्षक द्वारा इसे बचाया भी जा सकता है । बच्चों द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुओं को राज्य खरीदेगा । नागरिक भी बच्चों के द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुओं की अधिक कीमत देकर भी उन्हें खरीदने में आनन्द तथा गौरव का अनुभव करेगे । जहाँ तक बाजार में स्पर्धा का प्रश्न है, स्कूलों में प्रायः ऐसी वस्तुएँ उत्पन्न करने का प्रयास किया जायगा जिनमें स्पर्धा न हो, जैसे, खादी, देशी कागज, खजूर का गुड़ इत्यादि । इसी प्रकार गान्धी जी ने अन्य आलोचनाओं का भी उत्तर दिया है । उनका विचार था कि सात वर्ष में किसी भी उद्यम को पूर्णतया सिखाया जा सकता है । इस प्रकार बेकारी भी मिट जावेगी और बालको में राष्ट्र निर्माण तथा आत्म-निर्भरता के गुणों का भी प्रादुर्भाव होगा ।

गान्धी जी का यह भी विश्वास था कि देश में प्राथमिक शिक्षा का विकास शीघ्र-शीघ्र होना चाहिये और इसके लिये हम सरकारी सहायता की प्रतीक्षा

* डा० सरयू प्रसाद चौबे—शिक्षण सिद्धान्त की रूपरेखा, पृष्ठ ३२७, लक्ष्मीनारायण एन्ड सन्स, आगरा ।

अधिक दिन तक नहीं कर सकते, अतः आवश्यक है कि शिक्षा को स्वयं आत्म-निर्भर बना दिया जाय। “इस प्रकार की पूर्ण शिक्षा-पद्धति अवश्य ही आत्म-निर्भर हो सकती है और इसे होना चाहिये, वस्तुतः आत्म-निर्भरता ही इसकी वास्तविकता की कसौटी है।”† जहाँ तक इन बेसिक स्कूलों को ‘फैक्ट्री’ कहने का प्रश्न है वहाँ गान्धी जी ने बताया कि ऐसा कहना वास्तविकता की ओर से आँख बन्द कर लेना है क्योंकि फैक्ट्री का उद्देश्य है शोषण, वहाँ शिक्षा के तत्वों पर ध्यान नहीं दिया जाता, किन्तु बेसिक स्कूल का उद्देश्य तो एक मात्र शिक्षा देना होगा। हस्तकार्य तो केवल शिक्षा का माध्यम होगा न कि उद्देश्य।‡

समिति के प्रतिवेदन में अन्त में यह भी चेतावनी दी गई है कि इस बात का पूरा पूरा भय है कि योजना के आर्थिक-पक्ष पर अधिक ध्यान देकर शिक्षक सांस्कृतिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी पक्ष को बलिदान करदे, तथा अपना अधिकांश समय व ध्यान इस बात में लगा दे कि बालक अधिक से अधिक उत्पादन करके पैसा उत्पन्न करे। इसके दूर करने का उपाय यही है कि यह बात शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में भली भाँति समझा दी जाय तथा बाद को निरीक्षक लोग इस बात को देखे कि कहीं ऐसा शोषण तो नहीं हो रहा है।

● (४) बालक शिक्षा का केन्द्र—यद्यपि बेसिक शिक्षा का बड़ा महत्त्व होता है और बिना उसके पथ-प्रदर्शन के बालक क्रियाशील नहीं हो सकता, तथापि क्रिया का केन्द्र बालक ही रहता है। स्कूल में शिक्षा क्रिया-मूलक रहती है और जो कुछ भी बालक करता है वही उसकी शिक्षा होती है। अतः जब तक बालक क्रियात्मक नहीं रहेगा, उसकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकेगी। बेसिक शिक्षा-प्रणाली बालक को एक ‘शैक्षिक उपभोक्ता’ समझती है, अतएव उसकी आवश्यकताओं को अध्ययन करना और समझना पड़ता है और उनकी पूर्ति करनी पड़ती है।

बेसिक-प्रणाली वास्तव में कोई नई रीति नहीं है। सम्पूर्ण सप्ताह में आज शिक्षा-क्षेत्रों में ऐसे स्कूलों की स्थापना का आन्दोलन चल रहा है, जहाँ बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है, और जहाँ शिक्षा का केन्द्र बालक ही समझा जाता है। १९ वीं शताब्दी में पाश्चात्य देशों में भी रूसो,

† *Harijan*, 2-10 37

‡ “The scheme is one of education and not of production

The craft or productive work chosen should be rich in educative possibilities. It should find natural points of correlation with important human activities and interests.” *Seven years of work*, p 4, 8th Annual Report of Nai Talim, 1938-45, Published by Hindustani Talimi Sangh.

पेस्तालॉजी, फ्राबेल तथा हरबर्ट इत्यादि शिक्षा-शास्त्रियों ने शिक्षा का 'मनोवैज्ञानीकरण' करके शिक्षा में 'क्रिया' को महत्त्व प्रदान किया और इस प्रकार बालक के व्यक्तित्व को समझने और विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बालक का 'वर्तमान' अधिक महत्त्वपूर्ण है, अतः उसके भावी जीवन की सम्भावनाओं पर विचार न करके उसके 'वर्तमान' को ही दृष्टिगत रखना होगा। आधुनिक युग में भी इन्हीं विचारों का प्रतिपादन प्रसिद्ध अमरीकी शिक्षा शास्त्री जॉन डिवी ने भी किया है। उसने कहा है कि स्कूल में बालक के व्यक्तित्व का उतना ही आदर होना चाहिये जितना कि प्रौढ का समाज में होता है।

बेसिक-शिक्षा-प्रणाली भी बालक को क्रिया का केन्द्र मान कर चलती है और उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। इस प्रणाली के कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह 'बालक-केन्द्रित' न होकर 'हस्तकला-केन्द्रित' है। जब प्रत्येक विषय हस्तकला के माध्यम से पढाया जाता है और उनके बनाये हुए पदार्थों से स्कूल का व्यय निकालने की बात सोची जाती है तो, इन आलोचकों के मतानुसार, बालक की रुचियों और उसके नैसर्गिक गुणों के उत्पादन की किस्म व मात्रा बढ़ाने में शोषण किया जायगा। किन्तु इस आलोचना का उत्तर स्वयं महात्मा गान्धी और डा० जाकिर हुसैन ने भली भाँति दे दिया है। वस्तुतः हस्तकला एक कार्य के रूप में न होकर एक शिक्षा-साधन व माध्यम के रूप में रहेगी और इसके लिए ऐसी हस्तकला का ही प्रयोग किया जायगा जो कि शिक्षा-सम्भावनाओं से परिपूर्ण होगी। इसका मानव-जीवन की क्रियाओं से साम्य होगा। बेसिक प्रणाली एक शिक्षा है न कि उत्पादन-विधि। इसका उद्देश्य हस्तकला में निहित शिक्षा साधनों का उपयोग बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिये करना है न कि १४ वर्ष की आयु पर कारीगर उत्पन्न करना।

भारत में जहाँ शिक्षा 'परीक्षा' के लिये होती है और सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति में विषय और पाठ्य-पुस्तकों का प्राधान्य है, बेसिक प्रणाली अपना विशेष महत्त्व रखती है। सामान्य शिक्षा-पद्धति के अनुसार बालक एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में शिक्षक व पुस्तक से उन ज्ञान व घटनाओं की सूचना प्राप्त करते हैं जिनका सम्भवतः भावी जीवन से सम्बन्ध समझा जाता है। जो कुछ बालक सीखता है उसी को पलट कर सुना देने की उससे आशा की जाती है। शिक्षक और बालक दोनों ही परीक्षा के भय से निरन्तर आतङ्कित रहते हैं। ऐसी स्थिति में बालक के व्यक्तित्व के विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? किन्तु बेसिक प्रणाली के अन्तर्गत उपर्युक्त सभी दोष बहुत कुछ दूर हो जाते हैं। यहाँ शिक्षक के पथ-प्रदर्शन के अन्तर्गत बालक किसी उपयोगी क्रिया के द्वारा स्वयं आगे बढ़ता है। शिक्षक को प्रत्येक बालक का कार्य देखने

और उसकी मूलभूत शक्तियों को देखने का पर्याप्त सुअवसर मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रणाली में 'बालक' ही शिक्षा का केन्द्र है।

● (५) ज्ञान एक सम्बद्ध व पूर्ण इकाई—सामान्य शिक्षा-पद्धति के अन्तर्गत स्कूलों में बालकों को विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है जो कि बहुधा एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं। अतः बालक सम्पूर्ण ज्ञान-समूह को एक सुसम्बद्ध व पूर्ण इकाई के रूप में न समझ कर उसे बिखरी हुई घटनाओं का एक सग्रह समझता है। विभिन्न विषयों को अलग अलग पढाये जाने के कारण वह एक का दूसरे से कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं करता। शिक्षक निरन्तर रूप से विद्यार्थी के इच्छुक या अनिच्छुक मस्तिष्क में एक विषय को उडेलता चला जाता है। विद्यार्थी भी रट-रट कर उस ज्ञान को तब तक मस्तिष्क में सभाल कर रखने का प्रयास करता रहता है जब तक कि उसे परीक्षा भवन में बाहर उडेलने का अवसर नहीं मिल जाता। उस ज्ञान से बालक की मूलभूत शक्तियों और प्रवृत्तियों का विकास होता है अथवा नहीं, और यह ज्ञान उसके भावी जीवन से कोई सम्बन्ध रखता है अथवा नहीं, इससे शिक्षक और स्कूल को कोई मतलब नहीं।

बेसिक-प्रणाली के अन्तर्गत बालक को न तो प्लास्टिक की मूर्ति ही समझा जाता है जिसे चाहो उसी प्रकार मोड़ लो, और न उसे एक खाली बर्तन ही समझा जाता है जिसे विभिन्न विषयों के तथ्यों से भर दिया जाय। वस्तुतः यहाँ शिक्षा का माध्यम क्राफ्ट रहने से सभी विषय यथासम्भव उसके माध्यम से पढाये जाते हैं। सभी का सम्बन्ध उसी क्राफ्ट से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अतः सभी विषय एक सम्बद्ध ज्ञान-इकाई के रूप में बालक के समक्ष आते हैं। यहाँ पाठ्य-क्रम का अर्थ विषयों अथवा पाठ्य-पुस्तकों की सूची-मात्र ही नहीं है, अपितु उसका अर्थ उन सभी क्रियाओं और अनुभवों की सम्पूर्ण शृङ्खला के समान होता है जिनमें स्कूल के अन्तर्गत बालक अपने को व्यस्त रखता है। यहाँ पाठ्य-क्रम जटिल न होकर पर्याप्त लचीला होता है और बालक की अभिवृद्धि व विकास के साथ ही साथ उत्तरोत्तर विकसित होता जाता है। 'विषय' का प्राधान्य न होकर 'क्रिया' का प्राधान्य होने से बालक उससे प्राप्त हुए अनुभव व ज्ञान को आत्मसात् कर लेता है। उदाहरण के लिये तकली पर कातना सिखाते समय बालक को कपास, उसके लिये मिट्टी व पानी, सूती उद्योग का विकास और इसी सम्बन्ध में अंग्रेजों का भारत में आना, सूत के मूल्यों का निर्धारण करना इत्यादि सरलता से पढाये जा सकते हैं और इस प्रकार सूत कातने के साथ ही साथ वह भूगोल, रसायन शास्त्र, इतिहास व गणित इत्यादि का ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत सम्पूर्ण ज्ञान या पाठ्य-क्रम को सम्बद्ध व पूर्ण इकाई माना जाता है।

● (६) शिक्षक व बालक को कार्य करने को अधिक स्वतन्त्रता—बेसिक प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षक और बालक को कार्य करने की अधिक स्वतन्त्रता रहती है। "जब शिक्षा का उद्देश्य एक स्वच्छन्द व रचनात्मक अत्म-क्रिया (Self-Activity) के द्वारा बालक की अधिकतम अभिवृद्धि और विकास समझा जाता है तो विद्यार्थियों को स्वयं सोचने, अपनी रुचि के अनुसार अपना कार्य नियोजित करने तथा उन आयोजनों को अपनी ही गति के अनुसार आगे बढ़ाने की पर्याप्त स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये।"† वर्तमान प्रचलित शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत, जहाँ रटने तथा तथ्यों को कठस्थ करके एक सीमित समय में ही परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है, वहाँ बालक से आत्म-अभिव्यक्ति तथा रचनात्मक क्रिया की आशा नहीं की जा सकती। इसके प्रतिकूल बेसिक स्कूल का उद्देश्य बालक को उपयोगी कार्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा अपने कार्य में पूर्ण रुचि दिखाने का पर्याप्त सुअवसर दिया जाना है। यहाँ उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयों व आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है और उसे यह अनुभव कराया जाता है कि स्कूल उसी के लिये स्थित है व कार्य करता है।

उसी प्रकार बेसिक स्कूल में शिक्षक भी तुलनात्मक दृष्टि से अधिक स्वतन्त्रता का अनुभव करता है। यहाँ उसे किसी ऐसे जटिल पाठ्य क्रम का अनुसरण नहीं करना पड़ना जिसमें आवश्यकतानुसार वह कोई परिवर्तन न कर सके। न उसे परीक्षा के लिये बच्चों का कोर्स शीघ्र ही समाप्त कराने की धुन ही रहती है। वस्तुतः वह स्वयं सोच सकता है, अपने परीक्षण कर सकता है और ऐसी किसी सुविधाजनक व अधिक उपयोगी शिक्षण-विधि का अनुसरण कर सकता है जो कि बालक के लिये अधिक लाभदायक हो तथा स्कूल की परिस्थितियों के अनुकूल हो। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वह पाठों में तथा कार्यों में यत्र तत्र परिवर्तन भी कर सकता है। वह उन लोगों के हाथ में अपने आपको एक असहाय अस्त्र नहीं समझता जो कि पाठ्य-क्रम बनाते हैं, पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करते हैं, टाइम टेबिल बनाते तथा परीक्षाएँ लेते हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि बेसिक शिक्षा में कोई पाठ्य क्रम अथवा निश्चित पुस्तकें नही होंगी। किन्तु अन्तर यह है कि इस पद्धति में अधिक लोच हनी है और शिक्षक को अपने कार्यों में परिवर्तन करने तथा अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि को कार्यान्वित करने का पर्याप्त अधिकार रहता है। यदि कक्षा भवन में अपनी बुद्धि तथा विधि का परीक्षण करने की शिक्षक को स्वतन्त्रता रहती है तो निश्चय ही वह उनका सदुपयोग बालक के हित में कर सकता है। इसके प्रतिकूल यदि शिक्षक भयभीत, दबा हुआ तथा आज्ञाकारी दास की भाँति बना रहता है तो कभी भी उसके शिष्यों में

† Hans Raj Bhatia *What Basic Education Means*, p 42, Orient Longmans, Calcutta, 1954

साहस, आत्म-विश्वास तथा मौलिकता इत्यादि गुणों का समावेश नहीं हो सकता। एक स्वतन्त्र व निर्भय शिक्षक ही विद्यार्थियों में सोचने, नियोजन करने, कार्य करने तथा उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के गुणों की उत्पत्ति कर सकता है। बेसिक शिक्षा में इसके लिये पर्याप्त सुअवसर हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा प्रणाली में प्रायः वे सभी शिक्षा-सम्भावनाएँ निहित हैं जिनके द्वारा बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का पूर्ण विकास हो सकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण हम बेसिक शिक्षा-प्रणाली को पाश्चात्य देशों की प्रमुख प्राथमिक शिक्षा-प्रणालियों जैसे, 'प्रोजेक्ट मैथड', 'किन्डर गार्टन', 'मान्तेसरी प्रणाली' तथा 'क्रिया द्वारा शिक्षा-प्रणाली' इत्यादि के समकक्ष रख सकते हैं।

पाठ्यक्रम

बेसिक शिक्षालयों का पाठ्यक्रम ७ वर्ष का होगा, अर्थात् ७ वर्ष से १४ वर्ष तक की अवस्था के लड़के और लड़कियाँ इनमें अध्ययन करेंगे। पाँचवी कक्षा तक सहशिक्षा रहेगी। उसके उपरान्त यद्यपि लड़के और लड़की दोनों के लिए एकसा पाठ्यक्रम होने हुए भी केवल इतना अन्तर कर दिया जायगा कि बालिकाओं को सामान्य विज्ञान के स्थान पर गृह-विज्ञान पढ़ाया जायगा।

सक्षेप में पाठ्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है—

१ बेसिक क्राफ्ट

(क) कताई-बुनाई

(ख) लकड़ी का काम

(ग) कृषि

(घ) फल तथा बनस्पति की उद्यान-कला

(ङ) चर्म कार्य

(च) मिट्टी के खिलौने व बर्तन बनाना

(छ) मत्स्य-पालन

(ज) लड़कियों के लिये गृह-कला।

(झ) भौगोलिक तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कोई अन्य हस्त-कला।

२ मातृ भाषा

३ गणित

४ सामाजिक विज्ञान—इतिहास, भूगोल और नागरिक-शास्त्र

५ सामान्य विज्ञान—प्रकृति निरीक्षण, बनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र,

भौतिक शास्त्र, स्वास्थ्य-रक्षा तथा रसायन शास्त्र । स्वास्थ्य-रक्षा के साथ ध्यायाम भी सम्मिलित किया गया है ।

६ कला-ड्राइंग तथा सगीत इत्यादि ।

७ खेल-कूद व व्यायाम ।

८ हिन्दी (जहाँ यह मातृ भाषा नहीं है)

बेसिक शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है । इसके स्थान पर हिन्दी भाषा का शिक्षण किया जायगा । प्रमुख भाषा के स्थान पर मिस्र-भिन्न प्रान्तों में वहाँ की स्थानीय मातृ-भाषा सिखाई जायगी । ऐसे स्थानों में ५ वी या ६ वी वर्ष में जाकर हिन्दी पढाई जायगी । हिन्दी का केवल लिखने पढने का ज्ञान ही पर्याप्त समझा गया है । गान्धी जी के अनुसार यह बेसिक पाठ्य-क्रम अंग्रेजी को छोड़कर प्रचलित हाई स्कूल के बराबर होगा । यद्यपि इस पर कुछ लोगो को सदेह है, तथापि यह परीक्षण का विषय है ।

धार्मिक शिक्षा को इस पाठ्य-क्रम में कोई स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि गान्धी जी लोगो को स्वावलम्बन के धर्म का पाठ पढाना चाहते थे । "हमने वर्धा-शिक्षा-योजना में से धर्म-शिक्षा का बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि हमें भय है कि आज जिन धर्मों की शिक्षा दी जाती है अथवा जिनका पालन करना होता है वे मेल के स्थान पर भगडे उत्पन्न कराते हैं । साथ ही मेरा विश्वास है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा अवश्य देनी चाहिये जिसमें सभी प्रमुख धर्मों का सार निहित हो । यह धर्म-सार केवल शब्दों और पुस्तकों में नहीं पढया जा सकता—इसे तो बालक केवल शिक्षक की दैनिक जीवनचर्या से ही सीख सकता है ।"

अध्यापकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का पर्याप्त महत्व है । उसके व्यक्तित्व पर ही इसकी सफलता और असफलता निर्भर है । अत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये योजना में दो प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है—दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन । शिक्षकों को केवल साधारण विषय ही नहीं पढते पढते अपितु वे क्राप्ट भी पढाते हैं । अत उन्हे उन क्राप्टों का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है ।

प्रशिक्षण-विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये शिक्षक कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिये अथवा वर्नाक्युलर फाइनल मिडिल पास करने के उपरान्त उसे दो वर्ष का पढाने का अनुभव हो । दीर्घकालीन प्रशिक्षण की अवधि ३ वर्ष की है । यह पाठ्यक्रम बड़ा व्यापक है और इसमें सभी आवश्यक विषय सम्मिलित हैं । यद्यपि यह पाठ्यक्रम कुछ दीघ प्रतीत होता है, किन्तु नियम तथा भावना से पूरा किया जा सकता है । अल्पकालीन कोर्स की आवश्यकता इसलिये थी कि दस योजना को

शीघ्राति-शीघ्र लागू करना था। अतः उसकी अवधि एक वर्ष रखी गई। पाठ्यक्रम संक्षेप में बही रखा गया जो कि प्रारम्भ में था। अध्यापको को प्रशिक्षण काल में छात्रावास में रहना अनिवार्य है।

शिक्षण-विधि

बेसिक शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक महत्त्व दिया गया है। पाठ्यक्रम के सर्वोत्तम होते हुए भी कोई शिक्षा बिना उचित व कुशल शिक्षण विधि के व्यर्थ हो जाती है। बेसिक शिक्षा की शिक्षण-विधि तथा विषय वस्तु की पहुँच साधारण शिक्षा से भिन्न है। बेसिक शिक्षा में प्रत्येक विषय एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में नहीं पढाया जाता, अपितु एक ऐसी विकसित क्रिया को केन्द्र बनाकर पढाया जाता है जिसका सम्बन्ध अन्य विषयों से स्थापित हो सके। अतः शिक्षको द्वारा सम्बन्धित विषयों की पूर्व-योजना बनाली जाती है, और इस प्रकार 'जीवन, ज्ञान और क्रिया' का सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाता है।

बेसिक शिक्षा में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को ७ क्रमिक कक्षाओं में विभाजित कर दिया जाता है। प्रथम कक्षा में बालक मनु-भाषा का मौखिक ज्ञान, फिर पढ़ना और अन्त में लिखना सीखने के साथ ही साथ कुछ बुनियादी हस्तकला सीखता है। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा में वह बढ़ता चलता है। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, उसके बुनियादी क्राफ्ट का सम्बन्ध अन्य विषयों जैसे, गणित, भाषा, कला, इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान इत्यादि से स्थापित होता जाता है। यह बुनियादी हस्तकला वस्तुतः अन्य विषयों के पढाने का माध्यम रहती है। इस प्रकार ७ वर्ष के अन्त में उस विशेष हस्तकला में निद्वहस्त होने के साथ ही साथ विद्यार्थी अन्य आवश्यक साहित्यिक विषयों का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सम्पूर्ण विधि का आधार मनोविज्ञान पर आधारित वही क्रियात्मक व उत्पादक-हस्त कला रहती है।

बेसिक क्राफ्ट के लिये प्रायः कलाई व बुनाई को लिया जाता है, किन्तु गांधीजी के अनुसार अन्य उद्यम व क्राफ्ट भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। यद्यपि प्रत्येक क्राफ्ट एक पूर्ण व आदर्श माध्यम नहीं बन सकता, तथापि उसका उतना ही अंश कार्य में लाया जा सकता है जितना व्यावहारिक हो सके। शेष के लिये अन्य विधियों का अनुसरण किया जा सकता है।

प्राकृतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति तथा क्राफ्ट—यही तीन साधन हैं जिनके द्वारा प्रत्येक विषय एक दूसरे से सम्बन्धित किया जा सकता है, तथा बालक को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वह बुद्धिमत्तापूर्वक तथा क्रियात्मक-विधि से अपने वातावरण के अनुकूल अपने को ढाल सके। इस प्रकार सम्पूर्ण पाठ्यक्रम 'कार्य-केन्द्रित' न होकर 'बाल-केन्द्रित' हो जाता है।

इस प्रकार विद्यार्थी हाथ से काय करता है और साथ ही अपनी बुद्धि व कलना शक्ति का भी प्रयोग करता है। बालको में एक स्वाभाविक सूत्रन तक-भावना होती है, वह इस शिक्षा-विधि में पर्याप्त रूप से पोषित हो जाती है। उसके ज्ञान व शरीर के विकास के साथ ही साथ उसके चरित्र व व्यक्तित्व का भी विकास होता है और वह अपने आपको समाज व राष्ट्र का एक महत्त्वपूर्ण अंग मानन लगता है।

बेसिक शिक्षा में बालक एक निष्क्रिय श्रोता नहीं रह सकता जैसा कि साधारण शिक्षा में होता है। बेसिक स्कूल वे कार्य क्षेत्र हैं, तथा परीक्षण व अनुमान के वे स्थान हैं जहाँ बालक सदा जागरूक रहता है। उसके कौतूहल तथा विजय व सफलता की आशा उसे आगे बढ़ा ले जाती है। अतः जाकिर हुसैन समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि "जहाँ तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है, हमने इस सिद्धान्त पर बल दिया है कि सम्पूर्ण शिक्षण-कार्य जीवन की वास्तविकताओं पर आधारित हो जिसका सम्बन्ध हस्तकला तथा सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण से हो, ताकि जो कुछ भी ज्ञान बालक प्राप्त करता है उसका उसकी उन्नतिशील क्रियाओं से तादात्म्य हो जाय।" इस पद्धति में 'काम करते हुए शिक्षा प्राप्त करने' अर्थात् Learning by Doing का सिद्धान्त भी समझ रखा जाता है। हस्तकार्य को बालक खेल ही खेल में सीख जाता है और उसे सम्बन्धित अन्य विषयों का ज्ञान भी उसे बिना किसी शुष्कता तथा भार के अनायाम ही प्राप्त हो जाता है।

बेसिक शिक्षा-पद्धति में शिक्षण के समान ही निरीक्षण कार्य का भी महत्त्व बतलाया गया है। इसके लिये योग्य व अनुभवी व्यक्तियों का रक्षा जाना आवश्यक है जो कि केवल निरीक्षण ही नहीं करे, अपितु पथ प्रदर्शन भी करे।

वर्तमान परीक्षा-प्रणाली अत्यन्त दोष पूर्ण है जो कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में एक बाधा के रूप में उपस्थित है। बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रचलित परीक्षा-विधि में क्रान्तिकारी परिवर्तन करके उसे पूर्ण वैज्ञानिक रूप दे दिया गया है। इस परीक्षा-विधि में शिक्षक का विशेष महत्त्व है।

योजना के अनुसार प्रगति

डा० जाकिर हुसैन समिति के प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना में पर्याप्त सशोधन कर दिये गये। इसके स्वावलम्बन के पक्ष के विषय में नियमों को ढीला कर दिया गया। बेसिक क्राफ्ट का क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया और अब बालको का पूर्ण अनुभव शिक्षा-उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त किया जाने लगा है। भारत में प्राथमिक शिक्षा में इस योजना के आधार पर प्रगति होनी जा रही है।

हरीपुरा कांग्रेस में इस योजना को अधिकृत रूप से स्वीकार किया ही जा चुका था। कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इसका परीक्षण किया। 'हिन्दुस्तानी तालीमी सघ' की स्थापना हो जाने के उपरान्त इसकी गति और भी बढ़ी। १९३८ ई० के उपरान्त मध्यप्रान्त, यू० पी०, बम्बई तथा बिहार-उड़ीसा में इसे सरकारी सरक्षण प्राप्त हुआ। नये ट्रेनिंग कालेज तथा स्कूल खुलने लगे तथा अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जाने लगा। मध्यभारत सरकार ने इसमें विशेष रुचि दिखलाई। वर्धा-नार्मल स्कूल को विद्या मन्दिर ट्रेनिंग स्कूल बना दिया गया और ६८ अन्य विद्या मन्दिर स्कूल खोले गये। उसी प्रकार उत्तर-प्रदेश में भी इस योजना का शीघ्र प्रचार हुआ। नये शिक्षा मंत्री ने इस योजना को सरक्षण दिया और बेसिक शिक्षा के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया तथा एक बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोना। बिहार में इस पद्धति के अनुसार सर्वोत्तम कार्य हुआ। १९४० ई० में राजनैतिक कारणों से इसे बहुत आघात पहुँचा।

१९३८ ई० तथा १९४० ई० में 'केन्द्रीय शिक्षा सनाहकार बोर्ड' ने बम्बई प्रान्त के मुख्य मंत्री माननीय श्री बी० जी० खेर की अध्यक्षता में क्रमशः दो समितियों की स्थापना की। इन समितियों ने बेसिक शिक्षा के विषय में बहुत ही विस्तृत राय दी जिसके फल स्वरूप देश में बेसिक शिक्षा का वास्तविक रूप में पुनर्संज्ञा हुआ। इस समिति ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की—

- (१) बेसिक शिक्षा योजना सर्व प्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भ की जाय।
- (२) बालकों की अनिवार्य आयु ६ वर्ष से १४ वर्ष तक हो, किन्तु ५ वर्ष की आयु के बच्चे भी बेसिक स्कूलों में प्रविष्ट हो सकेंगे।
- (३) बेसिक स्कूलों से अन्य स्कूलों में जाने की अनुमति बालकों को ५ वी कक्षा अथवा ११ + की आयु के उपरान्त ही दी जाय।
- (४) शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा ही हो।
- (५) भारत के लिये एक सामान्य भाषा की भी आवश्यकता है। यह भाषा हिन्दुस्तानी हो सकती है जिसमें हिन्दी और उर्दू दोनों ही लिपियों का प्रयोग हो सकता है। बच्चों को लिपि चुनने का अधिकार हो और उसी लिपि के द्वारा पढ़ाने की उनके लिये स्कूल में सुविधा होनी चाहिये। प्रत्येक शिक्षक के लिये दोनों ही लिपियों का जानना आवश्यक है।

(६) किसी बाहरी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। बेसिक पाठ्य-क्रम के अन्त में आन्तरिक-परीक्षा के आधार पर एक 'स्कूल लीविङ्ग सर्टीफिकेट' दे दिया जाना चाहिये।†

प्रान्तीय स्वायत्त शासन से वर्तमान तक]

'केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड' ने भी खेर समिति की रिपोर्ट क आधकतर सुझावो को मान लिया और १९४४ की 'सार्जेन्ट रिपोर्ट' मे इन सुझावो को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया ।

१९४५ ई० के आरम्भ में 'हिन्दुस्तानी तालीमी सघ' की बैठक वर्धा-में पुनू हुई । इस बैठक मे सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति तथा इसकी प्रगति पर दृष्टिगत किया गया । इस बैठक में भी बेसिक शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार किया गया और गांधीजी के सिद्धान्तो पर आधारित करके इसका नाम 'नई तालीम' रख दिया । यह नई तालीम चार भागो मे विभक्त की गई यथा पूर्व बेसिक, बेसिक, उत्तर-बेसिक तथा प्रौढ शिक्षा । पूर्व बेसिक शिक्षा ३ से ६ वर्ष की आयु वाले बच्चो के लिये थी, तथा उत्तर-बेसिक मे उच्च शिक्षा को सम्मिलित किया गया ।

इससे पूर्व १९४४ ई० मे 'केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड' ने भी बेसिक शिक्षा के प्रसार की योजना का समर्थन किया था । राष्ट्रीय योजना समिति (नेशनल प्लानिंग कमिटी) ने भी, जो कांग्रेस ने देश की भिन्न-भिन्न अवस्थाओ पर अपनी रिपोर्ट तथा सुझाव देने के लिए नियुक्त की थी, बेसिक शिक्षा का समर्थन किया । १९४७ ई० में 'हिन्दुस्तानी तालीम सघ, वर्धा' ने एक विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जो कि प्राय सभी प्रान्तो ने लागू कर दिया है । इस योजना में 'उत्तर-बेसिक' माध्यमिक शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया । इन 'उत्तर-बेसिक' माध्यमिक स्कूलो के प्रधान माध्यम क्र.पट, कृषि, डेरी, भवन-निर्माण, लोहारी, बढईगीरी तथा बुनाई, इत्यादि हैं, जिनके द्वारा ग्रामो के पुनर्निर्माण की बात कही जाती है । इन 'उत्तर बेसिक' कालेजो का निर्माण स्कैडीनेविया के 'पीपुल्स कालेजो' के आधार पर होने की सम्भावना है, जैसा कि राधाकृष्णन् कमीशन की सिफारिश है ।

प्राय सभी राज्यो ने अपने आन्दोलन बेसिक शिक्षा के प्रसार के लिए आरम्भ कर दिये हैं । भारत की स्वतन्त्रता तथा शिक्षा की बढती हुई माँग ने इस आन्दोलन को सभी स्थानो पर सर्वप्रिय बना दिया है । इस क्षेत्र मे दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं । एक तो सम्पूर्ण देश में निशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, और दूसरी, प्रचलित प्राथमिक स्कूलो को बेसिक स्कूलो का रूप देना । भारत के संविधान में स्वीकार किया गया है कि राज्य की ओर से प्रत्येक प्रयास इस बात का किया जायगा कि ६-१४ वर्ष की आयु के बालको को १० वर्ष के भीतर ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का लाभ दिया जा सके । १९५० ई० मे संविधान लागू होने के पहिले से ही इस दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं । 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' की सिफारिश के आधार पर सरकार

ने पहिले से ही स्वीकार कर लिया है कि देश की प्राथमिक शिक्षा बेसिक प्रकार की होनी चाहिये। देश की स्वतन्त्रता ने लोगों के हृदयों में अपने बालकों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए एक नई लालसा जगा दी है। अब लोग जानते हैं कि यह उनका मौलिक मानव अधिकार है। यहाँ तक कि यह लालसा उन क्षेत्रों में भी दिखाई देती है जहाँ १९४७ ई० से पूर्व शिक्षा की कोई सुविधाये नहीं थी। जैसे उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी के आदिम जातियों के इलाकों में १९४७ से पूर्व एक भी स्कूल नहीं था, किन्तु १९५३ ई० तक वहाँ १९०० स्कूल खुल गये हैं, और नये स्कूल खुलते जा रहे हैं।

जहाँ तक प्रचलित प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों का रूप देने का प्रश्न है, इसमें भी प्रगति हुई है। किन्तु प्रशिक्षित शिक्षकों, उपयुक्त भवनों तथा धन के अभाव के कारण आशाजनक उन्नति नहीं हो सकी है, शिक्षा की क्रिस्म में सुधार करने की दृष्टि से भी कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है।† इसका प्रमुख कारण रहा है योग्य व सन्तुष्ट शिक्षकों के मिलने की कठिनाई। बेसिक शिक्षा जहाँ बालकों के लिए सरल व आकर्षक होती है, तो शिक्षकों के लिए अधिक कठिन होती है। जहाँ कहीं भी शिक्षकों ने इस पद्धति को कठिन श्रम से निष्ठापूर्वक चलाया है, वहाँ परिणाम भी अच्छे निकले हैं।

बेसिक शिक्षा के प्रति लोगों की धारणाये भी विभिन्न हैं। बिहार में जहाँ योजना को पर्याप्त सफलता मिली है, लोगों ने इसकी सराहना की है और सह-भूतिपूर्वक इसका स्वागत किया है। मद्रास, बम्बई तथा कुछ कबाइली क्षेत्रों के विषयों में भी यही कहा जा सकता है। किन्तु कुछ अन्य क्षेत्रों में तो लोगों ने न केवल इसका स्वागत ही नहीं किया है, अपितु इसका क्रियात्मक विरोध तक बिया है। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में शिक्षा की क्रिस्म में सुधार होने की अपेक्षा पतन ही हुआ है।

जब बेसिक शिक्षा देश में प्रारम्भ हुई थी तो शिक्षा के माध्यम के लिए कताई-बुनाई अथवा कृषि को ही बेसिक क्राफ्ट के रूप में रखा जाता था। किन्तु वे अपर्याप्त हैं। विभिन्न प्रान्तों में अपने-अपने स्थानीय क्राफ्ट प्रचलित है। इन सभी क्राफ्टों में हम शिक्षा सम्भावनाओं को खोज सकते हैं। उदाहरणतः काश्मीर

† "While the superiority of Basic over the old system is admitted by everyone, results have not always been commensurate with the hopes entertained about the system" *Progress of Education in India*, (1947-1952) Ministry of Education, Government of India

सदा से जरी के कार्य तथा लकड़ी के कार्य के लिए प्रसिद्ध रहा है। आसाम में रेशम की कटाई-बुनाई प्रायः प्रत्येक घर में होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राज्य में स्थानीय हस्त कलाओं को अपनाया जा सकता है। हाँ इधर इस दृष्टि से प्रगति भी हो रही है, और उत्तरोत्तर नई हस्तकलाएँ बेसिक शिक्षा में प्रवेश पा रही हैं।

देश की स्वतन्त्रता के उपरान्त अनेको राजनैतिक, आर्थिक व नैसर्गिक आपत्तियों का भारत को सामना करना पड़ा। देश के विभाजन, जनसंख्या के परिवर्तन, ~~अध्यापकों~~ अभाव तथा बाढ़ इत्यादि आपत्तियों की अपेक्षाकृत भी भारत ने अपने शिक्षा-प्रयत्नों को जारी रखा और शिक्षा में प्रगति की। यह प्रगति आकाड़ों से जानी जा सकती है। ३१ मार्च, १९४८ को देश के 'क' राज्यों में १,४०,१२१ प्राथमिक स्कूल थे और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या १,१०,००,९६४ थी। १९५३ की उसी तारीख को यही संस्थाने क्रमशः १,७७,२८५ तथा १,५६,६५,०५६ हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता के पांच वर्षों में 'क' श्रेणी के राज्यों में ३७,००० स्कूल और ४६,००,००० विद्यार्थी बढ़ गये। सम्पूर्ण भारत में १९५४ ई० में २,३९,११८ प्राथमिक स्कूल थे और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या २१० लाख थी जिनमें ६३ लाख बालिकाएँ थी। साक्षरता की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि कुछ प्रगति अवश्य हुई है। सन् १९४१ ई० में जब कि ५ वर्ष की आयु के बच्चों को छोड़कर पढाई-लिखाई १४६ प्र० श० थी, १९५१ ई० में अन्तिम जन-गणना के समय यह १८३ प्र० श० तथा ३१ मार्च, १९५३ को २० प्र० श० थी। सन् १९५१-५४ के मध्य में देश में २०,००० नये प्राथमिक स्कूल खुले जिनमें जूनियर बेसिक स्कूल भी सम्मिलित हैं। इन स्कूलों में ६-११ के आयु-वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या में भी २३ लाख की वृद्धि हुई। समस्या की दुरूहता व विशालता को देखते हुए ये संस्थाने कितनी अपर्याप्त प्रतीत होती हैं।

इसी प्रकार व्यय की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्राथमिक बेसिक शिक्षा पर व्यय में ८७ प्रतिशत वृद्धि हुई है। ३१ मार्च, १९५३ ई० को सारे देश के प्राथमिक खर्चों का अनुमान ४३ करोड़ ७० लाख रुपया था। सन् १९५४ में यह व्यय ४७ ३६ करोड़ रुपया हो गया।

जहाँ तक बेसिक स्कूलों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का प्रश्न है, हम पीछे लिख चुके हैं कि बेसिक शिक्षा की सफल प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भी देश में प्रयास किये जा रहे हैं। कुछ संस्थाने इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही हैं। इनमें से प्रमुख ये हैं—

नई तालीम भवन, सेवाग्राम, जामिया मिलिया इस्लामिया टीचर्स ट्रेनिंग इस्टीब्यूट, दिल्ली, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय टीचर्स बेसिक सेंटर, कोयम्बटूर (इसके अन्तर्गत गांधी बेसिक ट्रेनिंग स्कूल तथा विद्यालय टीचर्स कालेज सम्मिलित हैं और सराहनीय काय कर रहे हैं), ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग सेंटर ढाबका (बम्बई), विद्या भवन ज्ञान्तिनिकेतन, विद्याभवन उदयपुर तथा सर्वोदय महाविद्यालय तर्की (बिहार) अधिक प्रसिद्ध हैं।

इनके अतिरिक्त भी लगभग प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण सस्थायें हैं जो कि बेसिक शिक्षको को प्रशिक्षण देती हैं।

आसाम के गुरु ट्रेनिंग केन्द्रों को बेसिक ट्रेनिंग केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। बिहार में प्रशिक्षण कार्य बड़ी उत्तमता से चलाया जा रहा है। यहाँ प्रशिक्षण सस्थाओं में शिक्षको की संख्या १९४६-४७ में २३५ से बढ़कर १९५१-५२ में ३,३२६ तक हो गई, जिनमें १९० अध्यापिकायें भी सम्मिलित थीं। यहाँ बेसिक स्कूलों के सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं। सामान्य प्राथमिक व मिडिल स्कूलों के शिक्षको को भी बेसिक ट्रेनिंग की सुविधायें दी जा रही हैं। शिक्षा के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को भी बेसिक प्रणाली में प्रशिक्षण देने के लिए १९५१ ई० में यहाँ नरसिंहनगर (तर्की मुजफ्फरपुर) में एक बेसिक ट्रेनिंग कालेज खोला गया है। अब इसका नाम सर्वोदय महाविद्यालय रक्खा गया है।

बम्बई में लगभग १७ सरकारी ट्रेनिंग सस्थायें हैं, जिनमें प्रति वर्ष लगभग ३,००० शिक्षको को बेसिक प्रणाली में प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रेजुएटों को प्रशिक्षण देने के लिए पृथक व्यवस्था है। उच्च प्रशिक्षण के लिए सेवाग्राम में भी शिक्षक या अधिकारी लोग भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मद्रास इत्यादि राज्यों में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। दिल्ली में जामिया मिलिया के अतिरिक्त दो स्कूल एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिये और खोल दिए गये हैं। विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षको के लिये 'अल्पकालीन 'रिफ्रेशर कोर्स' भी सम्पन्न किये जाते हैं।

इधर बेसिक शिक्षा प्रणाली को प्राथमिक स्तर के आगे माध्यमिक व उच्च-स्तरीय तक ले जाने के परीक्षण भी देश में होने लगे हैं। इस दृष्टिकोण से बिहार सभी राज्यों में अग्रगामी है। वहाँ चुने हुए क्षेत्रों में सामाजिक शिक्षा को बेसिक प्रणाली के आधार पर प्रारम्भ किया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वोदय महाविद्यालय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, १९ बेसिक ट्रेनिंग स्कूलों तथा १३ उत्तर-बेसिक स्कूलों ने गत ५ वर्षों में सामाजिक शिक्षा के प्रसार के लिए एक योजना को कार्यान्वित किया है। किन्तु निस्वार्थ कार्यकर्ताओं व शिक्षको और धन के

अभाव में योजना में अच्छी सफलता नहीं मिल सकी है। सन् १९४७-५२ तक के पचशाला में बिहार सरकार ने इस परीक्षण पर लगभग ३ लाख रुपया भी व्यय किया है। जौलाई १९५४ में बिहार बेसिक शिक्षा बोर्ड की कार्यकारिणी ने निश्चय किया था कि राज्य में ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने उत्तर-बेसिक स्कूल परीक्षा पास करली है, लगभग ६ उत्तर बेसिक कालेज खोले जायेंगे। इस बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास करके बिहार सरकार से यह भी माँग की थी कि तर्की (मुजफ्फरपुर) में एक जनता कालेज (Community College) खोला जाय। फलतः अगस्त १९५४ में इस कालेज की स्थापना के उपरान्त कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। इसी प्रकार एक कालेज नालन्दा में, एक नगरपाडा (भागलपुर) में, एक कोलहन्त पटोरी (दरभंगा) तथा एक बाखरी (मुजफ्फरपुर) में खोलने की भी योजना है। इन ग्रामीण बेसिक कालेजों की स्थापना का उद्देश्य यह भी है कि लगभग तीन वर्ष के भीतर वहाँ एक ग्राम्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सके।

इसके अतिरिक्त बिहार में सरकारी सर्वोदय स्कूलों के साथ ही साथ वैयक्तिक सर्वोदय स्कूल भी स्वीकृति किये जा चुके हैं। इससे पूर्व सर्वोदय स्कूलों का संचालन केवल सरकार ही करती थी। बेसिक शिक्षा बोर्ड ने बिहार में बेसिक शिक्षा में सुधार, सामाजिक शिक्षा का प्रसार तथा बेसिक शिक्षकों की दशा में सुधार करने का भी निर्णय किया है।

इसी प्रकार पंजाब में भी बेसिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के स्तर से उठा कर माध्यमिक स्तर तक ले जाने का निर्णय किया गया है। इसके लिये चड्डीगढ में एक सीनियर बेसिक कालेज की भी अक्टूबर, १९५४ में स्थापना की गई है। इसमें केवल ग्रेजुएटों का ही प्रवेश हो सकेगा।

त्रिवाकु-कोचीन में अगस्त, १९५४ में प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदलने तथा राज्य में बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। प्रथमतः यह योजना ३ प्राथमिक कक्षाओं में लागू की जायगी और परीक्षण में सफलता मिलने पर ही अन्य कक्षाओं में लागू हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश अपने सभी प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने की योजना में प्रगति कर रहा है। यहाँ १९४८ से अब तक १२,३५० प्राथमिक बेसिक स्कूल खोले जा चुके हैं। आगामी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३४ करोड़ रुपये के व्यय से ९,६५० स्कूल और खोले जायेंगे।

वास्तव में केन्द्रीय सरकार देश की प्राथमिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा का रूप देने के लिये बहुत व्यग्र है। १८ जनवरी, १९५५ को अपने ६० वें महाअधिवेशन में आवडी में कांग्रेस ने भी निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया है —

“स्वतन्त्र भारत से राष्ट्रीय और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा विकास-योजना की पूर्ति के निमित्त लोगो को तैयार करने के लिये वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन नितान्त आवश्यक है। योजना कमीशन और भारत सरकार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के तौर पर बेसिक शिक्षा को लागू करना स्वीकार कर चुकी है। बेसिक शिक्षा में श्रम और उत्पादन के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। इसलिये वह भारत की आवश्यकताओं के सवथा अनुरूप है। इस दिशा में केन्द्र और राज्य सरकारों को गावों और शहरों में यथाशक्ति शीघ्र इस नीति को लागू करना चाहिये।”

ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि इसके गुण-दोष कुछ भी हो, बेसिक शिक्षा-पद्धति अब भारत के लिये अनिवार्य होती जा रही है। प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने प्रथम ३ वर्षों में बेसिक शिक्षण-पद्धति के सुधार सम्बन्धी परीक्षणों पर ६० लाख रुपया व्यय किया था और शेष योजना काल में इससे भी अधिक व्यय किया गया है। यदि सभी राज्यों में योजना भली भाँति कार्यान्वित की गई तो १९५५-५६ के अन्त तक ३८,०५९ अतिरिक्त प्राथमिक बेसिक स्कूल खुल जायेंगे। इनमें ४० लाख अतिरिक्त बालक शिक्षा पाने लगेगे। सन् १९५३ के अन्त तक इनमें से १६,२७६ स्कूल खुल चुके हैं जिनमें ९ लाख बालक शिक्षा पाते हैं जहाँ तक शुद्ध बेसिक स्कूलों का सम्बन्ध है, प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत खुलने वाले ९,४७१ स्कूलों में १९५३ के अन्त तक २,१७९ स्कूल खुल चुके हैं।†

सरकारी रिपोर्टों के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्यों में, विशेषतः बिहार और बम्बई में, बेसिक शिक्षा सन्तोषजनक प्रगति कर रही है। इन स्कूलों का रूप यह है कि कई बेसिक स्कूलों के समूह को, जो निकटवर्ती गाँवों में स्थित होते हैं, एक ठोस इकाई के रूप में संगठित कर लिया जाता है। एक ‘जनता कालेज’ जिसमें ग्रामीण छात्रों के रहने की भी व्यवस्था होती है और जिसमें हस्तकलायें, स्वास्थ्य-रक्षा तथा सामाजिक जीवन के मौलिक तत्वों की शिक्षा दी जाती है, एक बेसिक ट्रेनिंग कालेज जिससे बेसिक स्कूल सम्बन्धित कर दिये जाते हैं तथा एक पुस्तकालय जिसमें दृश्य-साधनों (Visual Aids) की भी व्यवस्था होती है—यही सत्थाये उस बेसिक परीक्षण-इकाई में सम्मिलित की जाती हैं। यद्यपि यह कार्य दिल्ली में भी बड़े उत्साह के साथ प्रारम्भ किया गया था, किन्तु इसमें अधिक सफलता नहीं मिल सकी है। इस परीक्षण का उद्देश्य बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों से लोगों को परिचित कराना तथा कुछ कार्यकर्त्ताओं को तैयार करना है।

† Five Year Plan . Progress Report, p 242, 1953-54, Govt of India.

देश में बेसिक शिक्षा का अधिक प्रसार करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को उस व्यय का ३० प्र० श० देना स्वीकार किया है जो कि नये बेसिक स्कूल के खोलने तथा सामान्य प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने में राज्य सरकारों को पड़ता है। यह अनुदान खेर-समिति की सिफारिशों को आधार मान कर दिया जा रहा है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों तथा शिक्षा-पद्धति की व्याख्या करने के उद्देश्य से एक पुस्तिका प्रकाशित कराने का भी निश्चय किया है।

पंचवर्षीय योजना के आधार पर राज्यों में बेसिक स्कूल खोलने के जो लक्ष्य बना लिये गये हैं उनमें प्रचलित प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदलने की एक प्रमुख योजना सम्मिलित है। कहीं-कहीं पर सामान्य प्रकार के प्राथमिक स्कूल भी खोले जा रहे हैं और बेसिक स्कूलों की स्थापना को यह कह कर टाला जा रहा है कि उनका प्रारम्भिक व्यय अधिक होता है। वस्तुतः अच्छे व प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव तथा बेसिक शिक्षण की सर्वमान्य पद्धति व ऐसे उपयुक्त साहित्य के अभाव में जो कि शिक्षकों का पथ-प्रदर्शन कर सके, प्राथमिक बेसिक स्कूलों की प्रगति अत्यन्त ही मन्द है। इन अभावों की पूर्ति करने के लिये पंच वर्षीय योजना में एक अग्रिम-योजना (Pilot Project) को प्रत्येक राज्य में कार्यान्वित करने की नीति को अपनाया गया है। इन अग्रिम योजनाओं के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा से लेकर उत्तर-स्नातक प्रशिक्षण (Post Graduate Training) के स्तर तक बेसिक शिक्षा के सम्पूर्ण रूप को सुनिश्चित, ठोस तथा वास्तविक रूप में कार्यान्वित किया जायगा और इस परीक्षण के द्वारा एक उपयुक्त टैक्नीक का विकास किया जायगा। ये योजनाएँ अभी तक किसी भी राज्य में पूर्णरूप से कार्यान्वित तो नहीं हो सकी हैं, हाँ प्रारम्भिक कार्य इस दिशा में अवश्य किया जा रहा है। इन्हें पूरा करने में राज्य का जो कुछ व्यय होता है, केन्द्रीय सरकार उसका ३० प्र० श० सहायता के रूप में देती है। वर्तमान स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने वाली बातों को प्रथमता दी जाती है। इसके लिये कुल व्यय का ७५ प्र० श० तथा शेष २५ प्र० श० नये बेसिक स्कूल खोलने में व्यय होता है। १९५५-५६ में इस पर २५ करोड़ रुपया व्यय किया गया है।

इन अग्रिम-योजनाओं के लिये केन्द्र के द्वारा राज्यों को जो आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है वह निम्नलिखित कार्यों में व्यय की जायगी —

- (क) प्रचलित प्राथमिक स्कूल को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने के लिये,
- (ख) नये बेसिक स्कूलों की स्थापना के लिये,

- (ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के लिये जिनमें अपर्याप्त सजा या स्टाफ हो,
 (घ) क्राफ्ट-शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा स्कूलों में क्राफ्टों का आरम्भ करने के लिए, तथा
 (ङ) बेसिक स्कूलों के लिये शिक्षण में काम आने वाली वस्तुएँ तैयार करने के लिये ।

इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने यह भी अनुभव किया है कि डेनमार्क में ग्रामीण-शिक्षा के लिये जो परीक्षण किये गये हैं वे भारत में भी ग्राम्य-शिक्षा के पुनर्संगठन के लिये उपादेय हो सकते हैं। अतः डेनमार्क की प्राथमिक, माध्यमिक तथा प्रौढ व सामाजिक शिक्षा की पद्धतियों का अध्ययन करने के लिये भारत सरकार ने १८ भारतीय शिक्षा-शास्त्रियों का एक मण्डल भेजा था।† जनवरी १९५४ में सरकार के निमन्त्रण पर डेनमार्क के ग्राम्य-शिक्षा विशेषज्ञ डा० पीटर मैनिश की भारत यात्रा भी उल्लेखनीय है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने एक बेसिक शिक्षा की स्थायी समिति (Standing Committee on Basic Education) भी स्थापित की है। अप्रैल, १९५६ में इस समिति की एक बैठक में देश में बेसिक शिक्षा के प्रसार, उसकी नीति तथा आगे लक्ष्य निर्धारित करने के विषय में निर्णय किये गये हैं। इस समिति ने बेसिक शिक्षा की अनुमान समिति (Assessment Committee on Basic Education) के प्रतिवेदन पर विचार किया और सिफारिश की है कि शीघ्र ही भारत में एक 'अखिल भारतीय बेसिक शिक्षा परिषद्' की स्थापना की जानी चाहिये। यह परिषद् केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को प्राथमिक व बेसिक शिक्षा के विषय में सलाह दिया करेगी। समिति के मतानुसार राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अपने यहाँ उत्तर बेसिक स्कूलों को अधिक से अधिक संख्या में स्थापित करें और उन्हें माध्यमिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग समझें। समिति की राय में बेसिक स्कूलों में अन्य विषयों के साथ अंग्रेजी भाषा का शिक्षण भी प्रारम्भ कर देना चाहिये। इससे, अनुमान किया जाता है, कि बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उच्च-शिक्षा के विद्यालयों में प्रवेश पाने व पढ़ने में सुविधा मिल सकेगी।

१ जुलाई, १९५६ को तमिलनाडु में सर्वोदयपुरम नामक स्थान पर अखिल भारतीय बेसिक शिक्षा सम्मेलन हुआ। इसमें नई तालीम अर्थात् बेसिक शिक्षा के प्रसार व विकास के लिये उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि नई तालीम से देश में एक 'लोक शक्ति' का सृजन होगा। इसके लिये आवश्यक है कि बेसिक शिक्षा में कुछ परीक्षण ऐसे भी किये जाँय जो सरकारी

† Govt of India Progress Report for 1953-54 (Five Year Plan)

नियन्त्रण से मुक्त हो और नई तालीम के सन्देश को जन-समूहों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिये सम्मेलन ने प्रस्ताव पास किया कि नई तालीम के कार्यकर्ताओं को देश में पद-यात्रा करनी चाहिये और उसी भावना से बेसिक शिक्षा का प्रचार करना चाहिये कि जिस प्रकार आचार्य विनोबा भावे भूदान अथवा ग्राम-दान के लिये कर रहे हैं।

सम्मेलन ने अनुभव किया है कि देश में नगरो तथा ग्रामों के लिये अलग-अलग प्रकार की शिक्षा का विकास होता जा रहा है जो देश तथा जनतन्त्र के लिये घातक है। उसके मतानुसार दोनों के लिये एक ही प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था होनी चाहिये और प्राथमिक शिक्षा से लेकर जो कि बेसिक शिक्षा के आधार पर सगठित की जा रही है, विश्वविद्यालय शिक्षा तक बेसिक शिक्षा का ही विकास होना चाहिये। इसके अतिरिक्त सम्मेलन ने अनुभव किया कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अब तक उत्तर-बेसिक स्कूलों से पास विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होता है। अतः इसके लिये आवश्यक है कि सेवाग्राम में जो बेसिक विश्वविद्यालय है उसका पूर्ण विकास जाय और साथ ही प्रत्येक भाषा-भाषी प्रान्त में कम से कम एक ऐसे शिक्षा-केन्द्र की शीघ्र स्थापना करनी चाहिये जहाँ पूर्व-बेसिक से लेकर विश्वविद्यालय के स्तर तक नई-तालीम की शिक्षा दी जा सके।

बेसिक शिक्षा में कुछ परीक्षण

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त देश में बेसिक शिक्षा के लिये कुछ जोश उत्पन्न हो गया है और विभिन्न राज्यों में इस दिशा में कुछ परीक्षण किये गये हैं जिनका कार्य सराहनीय प्रयास कहा जा सकता है। नीचे हम इनमें से प्रमुख परीक्षण-केंद्रों का संक्षिप्त उल्लेख करते हैं।

(१) आसाम—सन् १९५४ में यहाँ 'आसाम बेसिक शिक्षा अधिनियम' पास किया गया। इसके अनुसार प्राथमिक व मिडिल स्कूलों को क्रमशः जूनियर व सीनियर बेसिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया है। फलतः मिडिल स्कूलों को स्थानीय बोर्डों के नियन्त्रण से निकाल कर स्कूल बोर्ड के अन्तर्गत कर दिया गया है। आसाम में एक दीर्घ काल से यह सोचा जा रहा था कि शिक्षालयों को सार्वजनिक जीवन का एक केन्द्र बना दिया जाय। इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यहाँ किया गया प्रबन्ध समितियों का पुनर्गठन। इन समितियों में शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को इनके अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया है।

बालको तथा अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता को दूर करने के लिये प्रथमतः स्कूल भवनो का निर्माण तथा उनका सुधार किया गया है। स्कूल भवन में पर्याप्त सजावट की गई है और विभिन्न प्रकार की आवश्यक सजा जैसे फर्नीचर, पुस्तकालय तथा औषधि-इत्यादि की व्यवस्था की गई है। बालको को बताया

जाता है कि वे स्कूल के स्वामी हैं और इसका स्वच्छ रखना, पेड व फुलवाडी लगाना तथा दीवालों की पुताई करना उन्ही का कार्य है ।

बालको के प्रयास के साथ ही साथ शिक्षको को भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वे शिक्षण-पद्धति, पाठ्यक्रम तथा पाठशाला-प्रबन्ध पर मौलिक चिन्तन करके अपने विचारों को कार्यान्वित करे । प्रति मास उनकी एक बैठक होती है । इसमें विभिन्न शिक्षा-समस्याओं पर शिक्षक विचार करते हैं और अपनी योजनाओं का प्रदर्शन भी देते हैं । सप्ताह में एक बार शिक्षको व विद्यार्थियों की एक व्यायाम-रैली होती है जिसमें गाँव या नगर से बाहर एक कैम्प में दोनों साथ साथ रह कर प्रत्यक्ष सम्पर्क में आते हैं । शिक्षक व बालक गाँव की सफाई भी करते हैं । साथ ही सामाजिक शिक्षण के साथ कुछ क्राफ्टों का समन्वय भी कर दिया गया है, जैसे—मिट्टी के खिलौना बनाना, बाँस व बेल का कार्य तथा सूत व रेशमी एन्डी को कताई इत्यादि । कताई का कार्य लड़कियों की शिक्षा में भी सम्मिलित किया गया है । बच्चे अपने प्रयोग के लिये साबुन भी स्वयं बनाते हैं । समय समय पर उन्हें पर्वतों, झरनों, झीलों तथा वनों में भी ले जाया जाता है जिसका वर्णन वे लिखकर शिक्षक को दिखाते हैं ।

जनतन्त्र में भी परीक्षण इन स्कूलों में किया जाता है । आसाम के बेसिक स्कूलों की एक विशेषता 'बाल-सरकार' की स्थापना है । बरगड नामक स्थान में बेसिक ट्रेनिंग स्कूल में छात्र अपना एक मन्त्रिमण्डल चुनते हैं । प्रत्येक मन्त्री एक माह तक अपने पद पर कार्य करता है । प्रत्येक मन्त्री अपने कार्य की रिपोर्ट जनरल असेम्बली के समक्ष प्रस्तुत करता है और उसके स्वीकार होने पर ही उसे पद से मुक्त किया जाता है । विद्यार्थियों का एक न्यायाधिकरण (Tribunal) भी प्रत्येक स्कूल में होता है जिसमें अनुशासन भंग करने इत्यादि के मामलों पर विचार होता है । पर्यटन के लिये जाना, बागवानी, सफाई, कृषि तथा अन्य सभी कार्य बालको तथा शिक्षको में श्रम-विभाजन के आधार पर किये जाते हैं । इस परीक्षण से आसाम के शिक्षा क्षेत्र में एक नवीन स्फूर्ति और नवीन दृष्टिकोण का जन्म हुआ है । इससे बालको में आत्म-विश्वास, उत्तरदायित्व तथा अनुशासन की भावनाओं का विकास हुआ है ।

राज-सुनाखला नामक स्थान में एक बेसिक ट्रेनिंग स्कूल में सांस्कृतिक जीवन के उत्थान के लिये सराहनीय परीक्षण किया गया है । इस परीक्षण के अनुसार विद्यार्थियों को किसी त्यौहार अथवा राष्ट्रीय उत्सव जैसे गणतन्त्र दिवस अथवा गान्धी जयन्ती और राखी पूर्णिमा इत्यादि पर उत्सव में ले जाया जाता है । उसके उपरान्त वे स्कूल में आकर उस विषय पर वाद-विवाद व विचार विमर्श करते हैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि इन राष्ट्रीय व सामाजिक उत्सवों का विद्यार्थियों के लिये एक महान् महत्त्व होता जा रहा है और उनमें एक सार्वजनिक जीवन का दृष्टिकोण

विकसित हो रहा है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा साहित्य को अधिकाधिक व्यावहारिक रूप देकर उनके शिक्षण को अधिक सजीव कर दिया गया है। इस प्रकार शिक्षा और जीवन के बीच में एक सजीव सम्पर्क व साम्य स्थापित करने में इस परीक्षण को आशातीत सफलता मिली है।

(२) गुजरात कुमार मन्दिर, अहमदाबाद—यह बेसिक स्कूल गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की ओर से सन् १९४८ में स्थापित किया गया था। उस समय इसमें कक्षा १ से ५ तक खोली गई थी। सन् १९४९ में ६ वीं और १९५० में ७ वीं कक्षाये भी खोल दी गई। इस विद्यालय ने खादी को अपना शिक्षा-माध्यम का क्राफ्ट चुना है, और गत ८ वर्षों से उसकी टैकनीक के विकास के लिये ही प्रयत्नशील है।

इस कुमार मन्दिर में बालको को अधिक से अधिक उत्तरदायित्व देने का प्रयास किया जाता है। उनकी एक विद्यार्थी-परिषद् है जो उनके सभी क्रिया-कलापों का निर्देशन व नियंत्रण करती है। इसमें ८ विद्यार्थी होते हैं, जो कि प्रत्येक कार्य का वितरण करके अपने-अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं और अपनी रिपोर्ट परिषद् के समक्ष रखते हैं। यहाँ वाद विवाद तथा विचार-विमर्श द्वारा विद्यार्थी अपनी समस्याओं के हल खोजते हैं।

विद्यार्थियों व शिक्षकों में सहयोग की भावना इस स्कूल का मूल-मन्त्र है। उनके खेल-कूद, व्यायाम, सफाई, पर्यटन, उत्सव, वादविवाद-प्रतियोगिताये इसी सहयोग की भावना से सगठित किये जाते हैं। वर्ष के अन्त में विद्यार्थी एक वार्षिक उत्सव मनाते हैं जिसमें शिक्षक अभिभावक तथा विद्यार्थियों को पारस्परिक सम्पर्क के लिए पर्याप्त अवसर मिलता है।

इस स्कूल में एक विशेष शिक्षण पद्धति का विकास किया है जिससे पूर्व-स्थित शिक्षा के दोषों का पर्याप्त निवारण किया जा सका है। इस पद्धति के अनुसार पहिले तो बालक तकली पर सूत कातते थे, परन्तु अब तकली का स्थान चर्खे ने ले लिया है क्योंकि बालक चर्खे पर अधिक सूत कात लेते हैं। परीक्षा विधि में भी सुधार किया गया है। सामान्य अक प्रणाली के स्थान पर यहाँ वर्ग-प्रणाली (Grade System) अपनाया गया था किन्तु यह असफल रहा। अतः वर्ग-प्रणाली के स्थान पर अर्ध-मासिक परीक्षा-प्रणाली को अपनाया गया और एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तरक्की पाना इन सभी अर्ध मासिक परीक्षाओं के अनुपात पर निर्भर करदी गई है। इस प्रणाली को पर्याप्त सफलता मिली है।

बच्चों के हस्त लेख को सुधारने का यहाँ विशेष प्रयत्न किया जाता है। कक्षा २ से ७ तक हस्त लेख अनिवार्य है। १० वीं कक्षा तक कोई बालक फाउंटनपैन का प्रयोग नहीं कर सकता।

इसके अतिरिक्त नाटक, नृत्य, त्यौहारो व पर्वों के उत्सव तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यों के लिये स्कूल में पर्याप्त सुअवसर बालको को प्रदान किये जाते हैं ।

(३) नव युग स्कूल (The New Era School) बम्बई—बम्बई में स्थित यह एक अत्यन्त ही प्रगतिशील शिक्षा संस्था है जिसमें बालक और बालिकाये दोनों ही सह-शिक्षा प्राप्त करते हैं । यद्यपि इसे प्रत्यक्ष रूप से बेसिक स्कूल नहीं कहा जा सकता तथापि इसकी प्रणाली व पहुच बेसिक शिक्षा पर अघिकाशत आश्रित है । बालको के स्वास्थ्य का ध्यान, उनमें नागरिकता के गुणों का विकास तथा उन्हें आत्म अभिव्यजना के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त यह स्कूल अपना स्वयं ही पाठ्यक्रम तैयार करता है और अपनी पुस्तकें भी प्रकाशित करता है प्रोजैक्ट-प्रणाली तथा श्रव्य दृश्य सहायताये यहाँ की शिक्षण-पद्धति में स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग की जाती हैं । स्कूल का एक अत्यन्त ही आधुनिक सजा से पूर्ण पुस्तकालय है जिसमें चित्र संग्रह, फिल्म तथा प्रोजैक्ट इत्यादि की व्यवस्था है । धार्मिक शिक्षा तथा समाज सेवा स्कूल की विशेषताये हैं । प्रति शुकवार को यहाँ सामूहिक प्रार्थनाये की जाती हैं । समाज सेवा के लिये बालक प्रोजैक्ट संगठित करते हैं और निकटवर्ती गाँवों में जाकर समाज सेवा करते हैं । १९५३ई० में बालको के द्वारा 'भूदान आन्दोलन' में सक्रिय योग देना तथा अक्टूबर सन् १९५४ ई० में प्रथम पंचवर्षीय योजना सेमीनार तथा भंडोच जिले के अविधा नामक गाव में जाकर वहाँ सडको, नालियो, तथा बाँध का निर्माण तथा अन्य समाज सेवायें करना इत्यादि कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है ।

(४) प्रोजुएट्स बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, धारवार—व्यावहारिक रूप से समाज सेवा करना तथा सामाजिक शिक्षा का प्रसार करना इस केन्द्र के विद्यार्थियो तथा शिक्षको का प्रमुख कर्तव्य है । इनका कार्य दो भागों में विभक्त है—(१) छोटे कार्य जो एक या दो दिन में समाप्त कर दिये जाते हैं तथा (२) बड़े कार्य जो १० से १५ दिन तक चलते हैं । कार्य को सफल बनाने के लिये एक अग्रिम दल पहले से ही किसी गाव की वास्तविक स्थिति से अवगत होने के लिये भेज दिया जाता है और उसके पीछे ही स्वयं सेवक विद्यार्थियो का दल पहुँचता है । गाव की सफाई, सडके बनाना व चौडी करना, पुस्तकालय का निर्माण, मनोरजन, हरिजन बस्तियो की सफाई तथा मैजिक लालटन के द्वारा ग्रामीणों को शिक्षा व लाभदायक सूचना देना इनके कार्यक्रम में सम्मिलित होता है । प्रदर्शनियाँ तथा शिक्षक सम्मेलन भी संगठित किये जाते हैं जिनके द्वारा ग्रामीण अपनी समस्याओ तथा उनके हल भली भाँति समझ सकता है । कभी कभी प्रत्येक घर में सर्वेक्षण करके लाभदायक आकडा संग्रह भी किया जाता है । इस प्रकार के कई कैंप यहाँ के विद्यार्थियों ने

कर डाले हैं। निकटवर्ती गाँवों में जाकर यहाँ के छात्राध्यापक बेसिक स्कूलों का वैज्ञानिक ढंग से सगठन करने तथा उन स्कूलों के शिक्षकों को बेसिक शिक्षण-पद्धति में प्रशिक्षित करने का काय भी करते हैं।

(५) बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र, लोनी कालभोर, पूना—यह शिक्षा एक अत्यन्त नगण्य स्कूल से विकसित होकर अपनी वर्तमान सराहनीय स्थिति तक पहुँचा है। १९२३ व १९३२ ई० के बीच में यहाँ कृषि विभाग के अन्तर्गत एक छोटा सा कृषि-स्कूल था जिसमें चौथा या पाँचवा कक्षा पास विद्यार्थी १ वर्ष के कोर्स के लिये प्रवेश लेते थे। १९३२ ई० में यह स्कूल बन्द कर दिया गया और इसके स्थान पर शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये शिक्षकों को तैयार करने के लिये एक ग्राम्य प्रशिक्षण कालेज खोला गया। किन्तु प्रशिक्षण की विधि वही पुरानी रूढ़िगत रही, परिणामतः वह गाँवों की आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहा। सन् १९३९ ई० में महात्मा गान्धी की बेसिक शिक्षा से प्रेरणा लेकर वहाँ बेसिक शिक्षा की पद्धति को अपना लिया गया। प्रारम्भ में इस पद्धति को केवल परीक्षण के तौर पर लागू किया गया परन्तु बाद में विद्यालय को एक पूर्ण बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जहाँ बेसिक शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाने लगी। सन् १९४८ ई० में सरकार ने एक प्रैक्टिसिंग स्कूल भी इस केन्द्र की परिधि के अन्तर्गत खोला दिया। सन् १९४५ तक तो इस केन्द्र में केवल ऐसे ही शिक्षकों को प्रवेश मिलता था जो कि एक साल का प्रशिक्षण अर्जित पा चुके हैं और अब एक साल का उच्च अध्ययन यहाँ करना चाहते हैं। किन्तु १९४६ ई० से ऐसे शिक्षकों का प्रवेश भी किया जाने लगा जो अप्रशिक्षित हैं। यह पाठ्यक्रम दो वर्ष का रखा गया। कुल स्कूल में ८० शिक्षकों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जाता है।

सन् १९४७ तक तो कताई ही यहाँ का माध्यम क्राप्ट था। इसके बाद बुनाई भी प्रारम्भ कर दी गई साथ ही कृषि को भी एक वैकल्पिक शिक्षा माध्यम के रूप में प्रारम्भ कर दिया गया। सन् १९५२-५३ में कृषि को एक प्रमुख माध्यम के रूप में चालू कर दिया गया, कृषि के लिये स्कूल के पास २४ एकड़ का एक फार्म भी है।

इस प्रशिक्षण केन्द्र की सबसे बड़ी विशेषता आत्म-निर्भरता की भावना है। जो कोई भी योजना तथा कार्य यहाँ बेसिक शिक्षा के आधार पर चलाया जाता है वह व्यय की दृष्टि से न केवल आत्मनिर्भर होता है अपितु कुछ बचत भी हो जाती है। सन् १९५३-५४ की साल में कृषि से हुई आय-व्यय के लेखा से इस और कुछ संकेत मिल सकता है—

	वास्तविक आय	वास्तविक व्यय	बचत
बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र, लोनी	₹० २८८७	₹० १२०७	₹० १६८०
प्रीव्हेटिसग स्कूल	₹६६०	८४२	२८१८

इसके अतिरिक्त समाज सेवा तथा आत्म सहायता वे गुणों का विकास करना भी इस केन्द्र का प्रमुख ध्येय है।

(६) हैदराबाद—प्रथम कार्य इस राज्य में जो बेसिक शिक्षा के लिये किया गया वह था हरिजन स्कूलों को बेसिक स्कूलों का रूप देना। इन स्कूलों की शिक्षा किसी बेसिक क्राफ्ट के माध्यम से दी जाने लगी जैसा कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की थी। उनके प्रोग्राम में प्रार्थनाये, स्वच्छता, स्वास्थ्य-रक्षा तथा समाज सेवा भी सम्मिलित थे। क्राफ्ट तथा साहित्यिक विषयों का समन्वय स्थापित करके पढाया जाने लगा। विद्यार्थियों में सार्वजनिक जीवन की भावनाओं का बीजारोपण करने के लिये एक साप्ताहिक-भोज भी प्रारम्भ कर दिया गया।

विभिन्न स्कूलों में विभिन्न क्राफ्टों का शिक्षा के माध्यम के लिये चुनने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अधिकांश में हैदराबाद में बेसिक शिक्षा जूनियर स्तर तक ही चल रही है। किसी स्कूल में कताई-बुनाई कहीं बागवानी, कहीं कृषि तथा कहीं पर लकड़ी अथवा कार्डबोर्ड का कार्य माध्यम के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हैं। छूदी बाजार के जूनियर बेसिक स्कूल में चर्मकार्य को माध्यम बनाया गया है। यहाँ बालक पेटियाँ, बटुए, स्त्रियों के लिये थैले, सिगरेट केस तथा चप्पल इत्यादि बड़ी कुशलता से बना लेते हैं।

सन् १९५१ में हैदराबाद सरकार ने बेसिक शिक्षा के विकास व उत्थान के लिये एक बड़ा कदम उठाया और प्रचलित शिक्षा के स्थान पर बेसिक शिक्षा लागू करने के लिये सुस्पष्ट लेने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की। सन् १९५१ व १९५४ के बीच में शिक्षा विभाग ने ३६ ग्रेजुएट तथा प्रशिक्षित अध्यापकों को सेवाग्राम में बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षण पाने के लिये भेजा। इन्हे राज्य की तीनों भाषाओं के क्षेत्रों से भेजा गया। साथ ही साथ राज्य में कुछ बेसिक ट्रेनिंग कालेज भी खोले।

ये ट्रेनिंग कालेज हिन्दुस्तानी तालीमी सघ द्वारा बनाये हुए पाठ्यक्रम व कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं। भाषा, सामाजिक, अध्ययन विषय, तथा भौतिक विज्ञानों का बेसिक-क्राफ्टों से समन्वय स्थापित किया जाता है। शिक्षकों को प्रमुखत कताई-बुनाई तथा कृषि के माध्यम से शिक्षा देने की ट्रेनिंग दी जाती है। समय समय

पर छात्राध्यापक निकटवर्ती गावों में समाज सेवा कैंप भी लगाते हैं। बेसिक शिक्षा षड्दति को ग्रामसुधार तथा सामुदायिक विकास योजनाओं में भी प्रयुक्त किया जा रहा है। ग्रामीणों में इस शिक्षा के पाने के लिये बड़ा उत्साह है।

(७) बेसिक स्कूल सेवाग्राम, मध्यप्रदेश—यह स्कूल हिन्दुस्तानी तालीमी सघ द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा का ँ कक्षाओं का एक पूर्ण विद्यालय है। भाषा में शिक्षा का माध्यम स्थानीय बालकों के लिये मराठी तथा बाहर के विद्यार्थियों के लिये हिन्दी है। उच्च कक्षाओं में हिन्दी अनिवार्य है। प्रत्येक कक्षा में ३० से अधिक विद्यार्थी नहीं होते। इस समय लगभग १६० विद्यार्थी वहाँ शिक्षण पा रहे हैं।

ट्रेनिंग कालेज में खादी की कताई और बुनाई, बागवानी तथा सब्जी उगाना ही शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रमुखतः विकसित किये गये हैं। इन क्राफ्टों से विद्यालय को सन् १९५४-५५ में ३,३०० रु० की आय हुई थी जबकि शिक्षकों पर किया गया व्यय ५,३०० रु० था अर्थात् बेसिक शिक्षा के द्वारा शिक्षकों के वेतन में ७५% आत्म निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को पाक विद्या, संगीत, नृत्य तथा कला अनिवार्यतः सिखाये जाते हैं।

हिन्दुस्तानी तालीम सघ का प्रमुख कार्यस्त्री पुरुषों को बेसिक शिक्षा की ट्रेनिंग देना है। नई तालीम-भवन का कार्य ही विभिन्न राज्यों के लिये पूर्व बेसिक तथा बेसिक स्कूलों के लिये शिक्षक तैयार करना है। इस पाठ्यक्रम के तीन उद्देश्य हैं।

- (१) विद्यार्थियों को व्यावहारिक रूप से सार्वजनिक—जीवन का सैद्धान्तिक व व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना तथा शिक्षा में उस ज्ञान का महत्त्व निर्धारित करना।
- (२) ऐसे क्राफ्टों का एक वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना जो कि शिक्षक भविष्य के शिक्षण-कार्य में माध्यम के रूप में प्रयोग करेंगे। इसमें गति पर बल न देकर श्रेष्ठता पर बल दिया जाता है।
- (३) उन सभी विधियों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करना जो कि उन्होंने स्वयं अपनी कक्षाओं में प्रयुक्त की हैं अथवा निरीक्षण व स्कूलों में व्यवहार द्वारा सीखी हैं। इसका सिद्धान्त क्रिया-द्वारा शिक्षण रखा गया है।

गत चार-पाँच वर्षों में तालीमी सघ ने अपने ग्राम्य-सम्पर्कों में वृद्धि कर दी है और आस-पास के ग्रामों में विशाल कार्य किये हैं। गत अनुभव के आधार पर इन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों में पर्याप्त परिवर्तन किये हैं ताकि वे

उदलते हुए समय की माग की पूर्ति कर सके। ग्रामों का सहकारिता के आधार पर नर्व-निर्माण करने के लिये दो नये पाठ्यक्रमों का सूत्रपात भी किया गया है। ग्राम रचना नई तालीम तथा ग्रामोद्योग नई तालीम। इससे ग्रामों के सुधार तथा उनके उद्योगों के विकास के लिये बेसिक शिक्षकों को तैयार किया जा सकेगा। इन सभी कार्यों का समन्वय करके सेवाग्राम में एक बेसिक शिक्षा के आधार पर ग्राम विश्वविद्यालय का विकास किया गया है जहाँ पूर्व बेसिक से लेकर उत्तर बेसिक पाठ्य क्रमों तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार सेवाग्राम भारत में बेसिक शिक्षा के एक आदर्श व प्रतीक के रूप में विकसित हो रहा है।

इन प्रमुख परीक्षणों के अतिरिक्त भारत में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों में भी नूतन परीक्षण हो रहे हैं। इनमें राजकीय हाई स्कूल सोगाम, काशमीर, टीचर्स कालेज सैदपेट, मद्रास, मोगा ट्रेनिंग स्कूल, पंजाब, बालनिकेतन जोधपुर, राजस्थान तथा बेसिक ट्रेनिंग कालेज बनीपुर, प० बंगाल, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

प्रथम पंच वर्षीय आयोजन में बेसिक शिक्षकों का प्रशिक्षण—विभिन्न राज्यों में जो प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा-योजनायें बनाई गई हैं उनमें बेसिक शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं को विशेष महत्त्व दिया जा रहा है। इसके अनुसार चुबे हुए क्षेत्रों में परीक्षण के तौर पर शिक्षा विकास के लिये सघन प्रयत्न किये जा रहे हैं। फलतः प्रत्येक राज्य में परीक्षण के लिये स्थापित किये गये तथा एक दूसरे से भली भाँति सम्बन्धित बेसिक स्कूलों को लेकर एक प्रोजेक्ट बना दिया जाता है। ये स्कूल जूनियर बेसिक स्तर से लेकर उत्तर-बेसिक ट्रेनिंग कालेज तक रहते हैं और मिल कर एक ठोस (Integrated) इकाई के रूप में मगठित किये जाते हैं और ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं जिनमें एक स्कूल दूसरे का पूरक होता है। इस स्कूलों में पूव नियोजित तथा भली प्रकार से सोचो हुई शिक्षा-योजना को व्यावहारिक रूप से कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रकार की संस्थाओं का जो ग्रुप बनता है उसके शिखर पर एक उत्तर-बेसिक ट्रेनिंग कालेज होता है जिसके साथ में एक प्रदर्शन स्कूल (Demonstration School) भी जुड़ा होता है। इन कालेजों के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं —

१ यह कालेज निम्नलिखित प्रकार के कार्यकर्ता तैयार करेगा—

- (अ) बेसिक ट्रेनिंग स्कूलों के लिये शिक्षक,
 - (ब) बेसिक स्कूलों के लिये सुपरवाइजर तथा इन्सपेक्टर,
 - (स) बेसिक शिक्षा के लिये प्रशासक तथा योजना बनाने वाले आयोजक,
- तथा

- (द) सीनियर बेसिक तथा उत्तर बेसिक स्कूलों के लिये शिक्षक ,
- २ बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में नये परीक्षण करेगा तथा शिक्षण के लिये नवीन टेक्नीको का विकास करेगा ।
 - ३ शिक्षण की सहायता के लिये उपयुक्त सामग्री जैसे पुस्तकें, चार्ट, डाइग्राम तथा अन्य प्रकार के श्रव्य दृश्य प्रसाधन तैयार करेगा ।
 - ४ बेसिक शिक्षकों के पथ-प्रदर्शन के लिये उपयुक्त पढने की सामग्री प्रकाशित करेगा, तथा
 - ५ बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों तथा सुपरवाइजरो के द्वारा अनुभव की गई उन विशेष कठिनाइयों को हल करने का यत्न करेगा जो कि उनके माग में आकर पडती हैं ।

इस योजना के अन्तर्गत अब तक देश के १५ राज्यों ने अपने यहाँ उत्तर-बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज खोल दिये हैं, यथा आसाम, बिहार, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, मध्यभारत, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा प० बंगाल । इन राज्यों में से कुछ में तो नये कालेज खुले हैं और कुछ में पूर्व-स्थित कालेजों को नियत स्तर तक विकसित कर दिया गया है । प० बंगाल तथा बम्बई में तीन तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसे दो कालेज हैं । केन्द्र की ओर से राज्यों को इस कार्य के लिये निम्नलिखित प्रकार से सहायता दी गई है —

१९५२-५३	६,४२,६२१ रु०
१९५३-५४	५,२९,२५० रु०
१९५४-५५	१३,९३,६३७ रु० + ४,५०,००० रु० ऋण

यद्यपि इस योजना में सम्मिलित कालेजों में सभी सरकारी सस्थाये हैं, तथापि कुछ वैयक्तिक सस्थाओं जैसे—विद्याभवन ट्रेनिंग कालेज, उदयपुर, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय कोइम्बटूर, मद्रास तथा जामिया मिलिया टीचर्स ट्रेनिंग इस्टीट्यूट, दिल्ली की भी योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

केन्द्र की ओर से राज्यों को जो सहायता दी जाती है वह इन कालेजों के पूर्ण व्यय के लिये पर्याप्त नहीं होती । शेष का भार राज्य-सरकारों पर है । अब तक इस योजना के अन्तर्गत जिस प्र० श० के हिसाब से सहायता दी गई है वह इस प्रकार से है —

प्रकार	१९५२-५३ व १९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६
१ अनावर्तक Non-Recurring	६६ प्रतिशत	६६ प्रतिशत	६६ प्रतिशत
२ आवर्तक Recurring	६० प्रतिशत	५० प्रतिशत	३३ $\frac{१}{३}$ प्रतिशत

उत्तर-बेसिक ट्रेनिंग कालेजों के अतिरिक्त बेसिक ट्रेनिंग कालेजों की भी स्थापना की गई है। जो उद्देश्य तथा नियम प्रथम प्रकार की सस्थाओं के लिये हैं वही नियम जूनियर बेसिक स्कूलों के लिये शिक्षक तथा अन्य व्यक्ति तैयार करने के लिये इन कालेजों के लिये भी लागू होते हैं। यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि इन बेसिक ट्रेनिंग कालेजों की विभिन्न राज्यों में स्थापना का अभिप्राय यह नहीं है कि एक पूर्व स्थित कालेजों की सख्या में ऐसी ही एक और सस्था जोड़ दी जाय। वस्तुतः इनका मूल उद्देश्य तो यह है कि ये सथाये राज्य में एक आदर्श व पथ-प्रदर्शक-सथा के रूप में कार्य करेगी और राज्य में उचित दिशाओं में बेसिक शिक्षा का विकास करने में योग्य देगी।

इस कालेज में जूनियर बेसिक स्कूलों के लिये शिक्षक तैयार किये जाते हैं। इसके पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य शिक्षकों को अपने पेशे में पूर्णतः दीक्षित करना तथा उनमें ऐसी प्रवृत्तियों व रुचियों का विकास करना है जिससे वे अपने शिष्यों को सामाजिक जीवन में भाग लेने तथा एक नवीन समाज का सृजन करने की प्रेरणा भर सकें। अतः कॉलेज सगठन इस ढंग से किया जाता है जिससे शिक्षकों को बेसिक शिक्षा के सिद्धान्तों के आधार पर शिक्षा का पुनर्निर्माण करने की योग्यता प्राप्त होने के साथ ही साथ उनके शिष्यों में भी अभिनवित व न्यायोचित प्रवृत्तियों का बीजारोपण हो सके। इन कालेजों के साथ ही प्रैक्टिकल कार्य करने के लिये प्रैक्टिसिंग बेसिक स्कूल जुड़े रहते हैं जिनका सगठन सीनियर बेसिक स्कूलों की भाँति ही किया जाता है।

वास्तव में देश में बेसिक शिक्षा का विकास तो किया जा रहा है किन्तु अभी तक इसके सिद्धान्तों तथा व्यावहारिक कार्य-विधि के विषय में लोगों के मस्तिष्क में स्पष्ट व सुलभे हुए विचार नहीं हैं। पर्याप्त मतभेद की अपेक्षाकृत भी अभी ऐसी चेष्टायें नहीं की गई हैं जिनसे इस सिद्धान्तों का प्रचार एक दीर्घ स्तर पर किया जाय। साथ ही अनुसन्धान की दृष्टि से तो इस क्षेत्र में बहुत ही कम कार्य किया गया है। बहुत सी ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें बेसिक शिक्षक अपने अनुसन्धान का विषय

बना कर योजना को सच्चा लाभ पहुँचा सकते हैं। इनमें से प्रमुख समस्याओं को सक्षेप में इस प्रकार लिखा जा सकता है —

- (१) पाठ्यक्रम की विषय-सामग्री को किस सीमा तक बेसिक क्राफ्ट से सम्बन्धित (connected) किया जा सकता है ?
- (२) पाठ्यक्रम के ऐसे कौन से भाग हैं जिनका सम्बन्ध भौतिक व सामाजिक वातावरण से स्थापित किया जा सकता है ?
- (३) पाठ्यक्रम के उन अंशों के लिये जिन पर पर्याप्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, किस प्रकार उपयुक्त पाठ्य-सामग्री उपलब्ध की जा सकती है ?
- (४) अ-बेसिक स्कूलों के छात्रों की तुलना में बेसिक स्कूलों के छात्र साहित्यिक तथा अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों में किस स्थान पर ठहरते हैं ?
- (५) बेसिक स्कूल स्थानीय जनता के जीवन के अभिन्न अंग किस प्रकार बन सकते हैं ?
- (६) क्राफ्ट की सामान्य उत्पादकता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार अधिक से अधिक मितव्ययता के साथ उस क्राफ्ट-काय को जारी रखा जा सकता है ?

वास्तव में बेसिक शिक्षा के लिये ये जीवित समस्याएँ हैं जिनका उत्तर अबिलम्ब मिलना चाहिये। यदि देश में अभी बेसिक शिक्षा के विषय में कुछ भ्रान्ति हैं अथवा वह आवश्यक रूप से लोकप्रिय नहीं हुई तो उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इन ज्वलन्त प्रश्नों का अभी सन्तोष जनक उत्तर नहीं मिल सका है। इनका उत्तर अब तक के देश के अनुभव पर ही आधारित हो सकता है। ऐसी स्थिति में इन बेसिक ट्रेनिंग कालेजों का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे अनुसन्धान कराये, पर्याप्त व उचित पाठ्य-सामग्री प्रकाशित करें, क्राफ्टों का वैज्ञानिक आधार पर तथा शिक्षा के एक माध्यम के रूप में विकास करें, ऐसी सहायताओं व सामग्रियों का निर्माण करें जिनकी आवश्यकता बेसिक शिक्षण में शिक्षकों को पड़ती है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि बेसिक शिक्षा का सम्बन्ध सामाजिक शिक्षा से भी स्थापित करा दिया जाय क्योंकि बेसिक शिक्षा के उद्देश्यों में एक सामाजिक जीवन (community life) की भावना का विकास करना भी है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा यस्तुतः भारतीय शिक्षा प्रणाली का ही नहीं अपितु राष्ट्रीय जीवन तथा प्रेरणा का आधार बनती जा रही है। आशा की जाती है कि भविष्य में इसका रूप और भी अधिक व्यापक हो जायगा। ऐसा

होने पर ही इस योजना के प्रणेता महात्मा गाँधी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों को एक मूर्त रूप मिल सकेगा। ब्रिटिश भारत में जिस लोक शिक्षा की इतनी अवहेलना की गई थी, उसकी आज स्वतन्त्र भारत में हम अवहेलना नहीं कर सकते। यदि भारत को सम्य देशों की दौड़ में आगे रहना है, तो अवश्य ही उसे अपनी ८३% निरक्षरता का विनाश करना होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उपयुक्त पाठ्यक्रम, योग्य शिक्षकों, कुशल सगठन व प्रशासन, दृढ अर्थव्यवस्था तथा निरन्तर अध्यवसाय द्वारा हम अपनी प्राथमिक व बेसिक शिक्षा को सच्चे अर्थ में अनिवार्य बना कर देश से अशिक्षा व निरक्षरता के कलक को शीघ्र धो सकते हैं। जब अमेरिका, रूस, चीन तथा टर्की इत्यादि देशों ने इस परीक्षण में आशा-जनक उन्नति की है तो फिर ऐसा कौनसा कार्य है जिसे आज का स्वतन्त्र व महत्वाकांक्षी भारत नहीं कर सकता ?

हम निस्संकोच कह सकते हैं कि भारतवर्ष में अब तक प्राथमिक शिक्षा को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया गया था। १८५४ ई० से लेकर १९५६ ई० तक के सौ वर्षों में सरकार कई बार इस बात को सिद्धान्त स्वीकार कर चुकी है कि देश में प्राथमिक शिक्षा का प्रचार उसका प्रमुख कर्तव्य है। आज भी भारत के संविधान की ४५ वी धारा के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ६ वर्ष से १४ वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को सन् १९६० तक निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। किन्तु अभी तक इस दिशा में बहुत ही अपर्याप्त कार्य हुआ है। सरकार विश्वविद्यालय शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के सुधार पर बहुत ध्यान दे रही है और उनके लिये केन्द्रीय सरकार ने कमीशनो की नियुक्ति करके उनकी समस्याओं का एक अत्यन्त विशद व मौलिक विश्लेषण करा लिया है। किन्तु स्वतन्त्र भारत की सरकार ने अभी तक इस बात का अनुभव नहीं कर पाया है कि वह इसी प्रकार का एक कमीशन प्राथमिक शिक्षा के लिये भी नियुक्त करे।

अत आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से शीघ्र ही एक प्राथमिक शिक्षा कमीशन नियुक्त किया जावे जो कि इसकी सम्पूर्ण समस्याओं का अखिल भारतीय स्तर पर अध्ययन करके उनके सुलभाने के ठोस सुझाव दे। इसमें बेसिक शिक्षा पद्धति को सर्वव्यापी रूप से सभी वर्ग के बालकों के लिये प्राथमिक-स्तर पर अनिवार्य करने के प्रश्न पर विशद रूप से विचार किया जाय।

दूसरी बात है प्राथमिक व बेसिक शिक्षकों की आर्थिक दशा के सुधार के सम्बन्ध में। यह बात सर्वविदित है कि भारतवर्ष में प्राथमिक शिक्षक का वेतन अत्यन्त अल्प है। इस कारण वह हर समय आर्थिक चिन्ताओं में निमग्न रहता हुआ एक अत्यन्त ही दीन व अभावपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। सरकार भी उसे दीन व शक्तिहीन समझकर सुविधापूर्वक उसकी अवहेलना कर देती है। प्राथमिक

शिक्षक की तुलना में विश्वविद्यालयों के शिक्षक, जो कि अपनी बातों को उच्च अधिकारियों तक शीघ्र पहुँचा देते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिये सरकार से मोर्चा लेने की भी क्षमता रखते हैं, उनकी बातों को सरकार शीघ्र सुन लेती है, और बेचारा प्राथमिक शिक्षक एक साधारण मजदूर की भाँति शिक्षण का 'पेशा' करता है। जब तक देश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सुधार नहीं होगा, देश की शिक्षा को आधारशिला दुर्बल रहेगी, और जब तक प्राथमिक शिक्षक की आर्थिक दशा तथा कार्य-दशाओं में सुधार नहीं होगा, हम देश की प्राथमिक शिक्षा के सुधार की कल्पना नहीं कर सकते। सामान्य शिक्षकों की तुलना में बेसिक शिक्षकों को और भी अधिक कठिनाइयाँ हैं। इनके प्रशिक्षण का समय और व्यय अधिक होता है तथा अध्यापन कार्य भी अधिक श्रमपूर्ण होता है। अतः यह स्वाभाविक है कि उनके वेतन स्तर और भी अधिक ऊँचे होने चाहिये। इस दृष्टि से मद्रास में अवश्य कुछ किया जा रहा है, अन्यथा शेष राज्यों ने इस प्रश्न पर दृष्टिपात तक नहीं किया है।

प्राथमिक व बेसिक शिक्षा की एक अन्य समस्या है स्कूल भवनों का अभाव। यह कितनी दया की बात है कि देश के असह्यो भावी नागरिकों को हम स्थान की इतनी भी सुविधा न दे सकें जहाँ बैठकर वे अपने जीवन के प्रथम पाठ पढ़ सकें। देश के प्रत्येक क्षेत्र में प्रायः प्राथमिक स्कूलों पर अपने स्वयं के अच्छे भवन नहीं हैं। गाँवों में कहीं कच्चे व फूटे खडहरों में बच्चे पढ़ते हैं तो कहीं वर्षा, धूप व जाड़े में पेड़ों के नीचे प्रकृति की निर्दयता को सहन करते रहते हैं। वास्तव में प्राथमिक स्कूलों के पास भवन न होना एक अत्यन्त ही दुरूह समस्या है। यह एक हास्यास्पद व लज्जाजनक स्थिति है जिसका निवारण तत्काल ही आवश्यक है। इनके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति भी देश में मिलती है जिसके अनुसार वर्गभेद अक्षुण्ण बना हुआ है। यह भारत का दुर्भाग्य है कि शिक्षा नीतियों के प्रयोग-बड़े-बड़े मन्त्री व राजकीय अफसर तथा बेसिक शिक्षा की सराहना करने वाले अन्य पूँजीपति व धनिक वर्ग के लोग जहाँ वर्तमान बेसिक स्कूलों को भारत के अन्य सभी बालकों के लिये सर्वोत्तम समझते हैं वहाँ उन्हें अपने बालकों के लिये बिल्कुल अनुपयुक्त समझते हैं। इतना ही नहीं अधिकांश अभिमानी नौकरशाह तो इसमें अपना अपमान समझते हैं कि उनके बच्चे बेसिक स्कूलों में निर्धन किसानों और श्रमिकों के बालकों के साथ पढ़ें। अपने बालकों के लिये ये लोग दिन प्रतिदिन इंग्लैण्ड के पब्लिक स्कूलों के अनुरूप भारत में भी पब्लिक स्कूल खोलते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार तो बेसिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सकता है और किस प्रकार देश से वर्गभेद मिट सकता है जोकि गान्धीजी की वर्धा-योजना का मूल मन्त्र था ? ऐसी स्थिति में यह भी नितान्त स्वाभाविक है कि जनता के

मस्तिष्क में सरकारी बेसिक योजना के प्रति अविश्वास है और न केवल लोभो में इसके प्रति अविश्वास ही है अपितु उनकी निश्चित धारणा सी होती जा रही है कि बेसिक शिक्षा के नाम पर तथा इस योजना के साथ महात्मा गान्धी का पवित्र नाम जोड़ कर उनके प्रति देश की आदर भावना का शोषण करके उनके बालको का जीवन नष्ट किया जा रहा है और शिक्षा का मानदंड दिन पर दिन गिर रहा है। निदान अधिकांश बेसिक स्कूलों की शिक्षा न तो अब साहित्यिक ही है और न बेसिक ही। अतः आवश्यक है कि नेतागण, मन्त्री व उच्च अधिकारी गण जनता में बेसिक शिक्षा के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिये अपने बालको को भी 'नहीं' बेसिक स्कूलों में पढाये। अन्यथा वह सम्पूर्ण योजना एक हास्यास्पद परीक्षण मात्र ही रह जायगी।

इन कठिनाइयों के अतिरिक्त अन्य कठिनाइयों का भी प्राथमिक शिक्षा के विषय में उल्लेख किया जा सकता है। अनिवायता के सिद्धान्त को सम्पूर्ण देश में लागू करने में सरकार की असफलता, अच्छी पाठ्य-पुस्तकों का अभाव, अध्ययन सामग्री का अभाव, पाठ्य-क्रम सम्बन्धी दोष, शिक्षकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी असुविधाएँ, निरीक्षण की अपर्याप्तता व अक्षमता, स्थानीय बोर्डों में निम्नकोटि की राजनीति और इन बोर्डों के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा का निर्दय बलिदान तथा जन-समूह में व्याप्त निर्धनता इत्यादि अन्य कारण हैं जो कि देश की प्राथमिक व बेसिक शिक्षा की तीव्र प्रगति में रोड़े अटकाने हुए हैं। जब तक इन रोड़ों को माग में से नहीं हटाया जायगा, हम पर्याप्त रूप से प्राथमिक व बेसिक शिक्षा का सुधार नहीं कर सकते।

(२) सार्जेन्ट रिपोर्ट (युद्धोत्तर-शिक्षा विकास योजना)

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत के सम्मुख एक नवीन शिक्षा योजना आई जिसे 'सार्जेन्ट योजना' के नाम से पुकारा जाता है। जॉन सार्जेन्ट को, जो कि भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा-सलाहकार थे, एक ऐसा स्मृतिपत्र बनाने का आदेश हुआ जिसमें युद्धोत्तर शिक्षा विकास के लिये योजना की रूप रेखा हो। 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' ने १९४३ तथा १९४४ ई० की अपनी बैठकों में इस स्मृतिपत्र को स्वीकार कर लिया। यह स्मृतिपत्र उन अनेक रिपोर्टों पर आधारित था जो कि बोर्ड द्वारा शिक्षा के भिन्न-भिन्न अंगों के लिये नियुक्ति की गई उपसमितियों ने उस समय प्रकाशित की थी। अतः जॉन सार्जेन्ट के नाम पर ही इस योजना का नामकरण हुआ। इस प्रकार 'केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड' ने जो यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसका युद्धोत्तर योजनाओं में बड़ा महत्त्व है। इस रिपोर्ट में नर्सरी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का बहुत ही विशद विवरण—उसका सगठन,

दोष, सुधारने के उपाय तथा भविष्य के लिये सुझाव इत्यादि हैं। एक प्रकार से अपने प्रकार की यह पहिली रिपोर्ट है जो कि सम्पूर्ण राष्ट्र की शिक्षा पर इतने व्यापक दृष्टिकोण से विचार करती है।

‘सार्जेंट रिपोर्ट’ में सम्पूर्ण शिक्षा को १२ अध्यायो में विभाजित करके प्रत्येक अग पर अलग-अलग विचार किया गया है। हम संक्षेप में उसे इस प्रकार लिख सकते हैं —

- (१) ५ और ६ वर्ष से १४ वर्ष तक के लड़के लड़कियों को साक्षरता तथा नागरिकता के लिये सर्वव्यापी, अनिवार्य तथा निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। यह शिक्षा दो भागों में विभक्त होगी जूनियर बेसिक (६-११) तथा सीनियर बेसिक (११-१४) वर्ष। प्रथम प्रकार के स्कूल सबके लिये अनिवार्य होंगे और दूसरे प्रकार के स्कूल केवल उन्ही बालकों के लिये होंगे जो कि हाईस्कूल में अपनी शिक्षा जारी नहीं रखेंगे।
- (२) ३ वर्ष से ६ वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामान्य शिक्षा देना नहीं, अपितु सामाजिक अनुभव तथा शिष्टाचार सिखाना है।
- (३) ११ वर्ष से १७ वर्ष तक चुने हुए विद्यार्थियों के लिए ६ वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा की व्यवस्था। इन स्कूलों में केवल वही विद्यार्थी प्रवेश पा सकेंगे जो कि आगे शिक्षा के लिए अपनी विशेष रुचि दिखाते हैं। साधारणत यह संख्या २० प्रतिशत होगी। इन हाई-स्कूलों को दो भागों में विभाजित कर दिया जायगा (१) साहित्यिक (एकेडेमिक) हाई स्कूल और (२) व्यावसायिक (टैक्निकल) हाई स्कूल। प्रथम प्रकार के स्कूलों में कला तथा विज्ञान के विषय—जैसे मातृभाषा, अंग्रेजी, इतिहास, प्राच्य-भाषाएँ, आधुनिक भाषाएँ, भूगोल, गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य-रक्षा, कृषि, संगीत, कला, अर्थ-शास्त्र तथा नागरिक-शास्त्र इत्यादि पढाये जाँयेंगे। दूसरे प्रकार के स्कूलों में व्यावहारिक विज्ञान (Applied Sciences) तथा औद्योगिक और व्यापारिक विषय—जैसे लकड़ी तथा धातु का काम, इंजीनियरिंग, ड्राइंग इत्यादि तथा वाणिज्य के विषय—पुस्तकालन (बुक कीपिंग), शॉर्ट हैंड, टाइप-राइटिंग, एकाउन्टेसी तथा व्यापार विद्वति इत्यादि पढाये जाँयेंगे। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा तथा

अंग्रेजी अनिवार्य द्वितीय भाषा होगी । लड़कियों के स्कूलों में सामान्य विज्ञान के स्थान पर गृह-विज्ञान पढाया जायगा । हाई स्कूलों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की अवस्था ११ + होगी जबकि उनका जूनियर बेसिक कोर्स समाप्त हो चुका होगा । उनमें प्रत्येक विद्यार्थी १४ + वर्ष की उम्र तक रहेगा । ५० प्रतिशत विद्यार्थी निशुल्क रहेंगे । योग्य विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन की विशेष सुविधायें दी जावेगी ।

चुने हुये विद्यार्थियों के लिए प्रचलित इंटरमीडियेट कक्षाओं के उपरान्त विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । इंटर कक्षाओं का उन्मूलन करके उनकी प्रथम वर्ष हाई स्कूल तथा द्वितीय वर्ष डिग्री कक्षा में मिला दी जाय । रिपोर्ट में वर्तमान विश्वविद्यालय शिक्षा के दोषों पर भी प्रकाश डाला गया है । प्रवेश पर नियंत्रण कर दिया गया है । हाई स्कूल छोड़ने वाले १५ विद्यार्थियों में से १ को प्रवेश दिया जाय । शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में व्यक्तिगत सम्पर्क बढ़ाना चाहिये । शिक्षकों की दशा, कार्य करने की अवस्थाओं तथा वेतन में सुधार किया जाय । भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में साम्य तथा एक्य उत्पन्न करने के लिये भारतीय 'विश्वविद्यालय अनुदान-समिति' की स्थापना की जाय ।

टेक्निकल, वाणिज्य तथा कला-शिक्षा की व्यवस्था को जाय जिसमें पर्याप्त सख्या में पूर्ण सामयिक, अर्धसामयिक (Full time and Part time) विद्यार्थी प्रविष्ट किये जाएँ । इन उद्योगों के लिए चार श्रेणी के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी (१) उच्चतम श्रेणी—इस श्रेणी के विद्यार्थी औद्योगिक हाई स्कूल में शिक्षा पाकर विश्वविद्यालयों के टेक्नोलोजिकल विभागों में प्रवेश कराएंगे । इनके प्रवेश में नियन्त्रण से काम लिया जायगा । (२) निम्न श्रेणी—इसमें फोरमैन, चार्जहेड इत्यादि शामिल होंगे । औद्योगिक हाई स्कूलों में पास विद्यार्थी इस कार्य को करेंगे । (३) कुशल कारीगर—ये विद्यार्थी सीनियर हाई स्कूल पास करने पर अथवा औद्योगिक हाई स्कूलों में से लिये जायेंगे । (४) अकुशल कारीगर—ये लोग सीनियर बेसिक (मिडिल) स्कूलों में से सीधे भर्ती किये जायेंगे जहाँ उन्होंने कुछ क्राफ्ट का काम

सीख लिया हो। पर्याप्त अनुभव के उपरान्त इन्हें कुशल कारीगरों में सम्मिलित किया जा सकता है।

- (६) १० वर्ष से ४० वर्ष तक की अवस्था वाले प्रौढों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाय। यह शिक्षा व्यावसायिक और सामान्य दोनों ही प्रकार की होनी चाहिये। “इस देश में कुछ काल तक प्रौढों की साक्षरता पर जोर देना पड़ेगा, यद्यपि प्रारम्भ से ही उचित प्रौढ शिक्षा की भी कुछ न कुछ व्यवस्था ही होनी चाहिये, जिससे साक्षर हुये व्यक्ति अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए कुछ आकर्षण तथा सुअवसर पा सकें।” लड़कों और वृद्धों के लिए अलग-अलग कक्षाये हो। स्त्री-प्रौढशिक्षा की समस्या पर भी उचित ध्यान दिया जाय।

प्रौढ शिक्षा को रचिप्रद तथा अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए चित्रो, मैजिक लैनटर्न, सिनेमा, ग्रामोफोन, रेडियो, लोकनृत्य, सगीत तथा अभिनय का उपयोग करना चाहिये इसके अतिरिक्त ‘जन पुस्तकालयो’ (Public Libraries) का आयोजन भी होना चाहिये जिसमें अधिक से अधिक २० वर्ष का समय लगे।

- (७) इस शिक्षा योजना को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित व पूर्ण व्यवस्था की जाय। योजना में बताया गया है के पूर्व बेसिक तथा जूनियर बेसिक स्कूलों में प्रति ३० बालकों के लिये एक शिक्षक, सीनियर बेसिक स्कूलों में प्रति २५ बालकों के लिये एक शिक्षक तथा हाई स्कूलों में प्रति २० बालकों के लिये एक शिक्षक की आवश्यकता होगी। इस प्रकार सम्पूर्ण योजना के लिये २२,१७,७३३ शिक्षकों, अर्थात् २० लाख अग्रेजुएटों और १,८१,३२० ग्रेजुएटों—की आवश्यकता होगी। ग्रेजुएटों को ट्रेनिंग कालेजों में प्रशिक्षण दिया जायगा और अग्रेजुएटों को तीन प्रकार के प्रशिक्षण दिये जायेंगे—पूर्व प्राथमिक शिक्षक, बेसिक शिक्षक तथा हाई स्कूलों के अग्रेजुएट शिक्षक। प्रशिक्षित शिक्षकों के लिये समय-समय पर अभिनवन-पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) की भी व्यवस्था आवश्यक है। टैक्निकल तथा कॉमर्शियल शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग कालेजों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये अपना प्रशिक्षण उद्योगों तथा टैक्निकल संस्थाओं में प्राप्त करेंगे। योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से शिक्षकों के वेतन-वृद्धि हो।

- (८) विद्यार्थियों को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य शारीरिक शिक्षा तथा उचित डाक्टरी जाँच और आवश्यकतानुसार विक्रिस्ता की व्यवस्था होनी चाहिये । ६, ११ व १४ वर्ष की अवस्था पर बालको की पूर्ण डाक्टरी जाँच की जाय । उनकी स्वास्थ्य-दशा तथा ऊँचाई और वजन का लेखा रहना चाहिये । निरीक्षण के उपरान्त कोई दोष प्रतीत होने पर उचित विक्रिस्ता की जाय । विद्यार्थियों को भोजन, स्वच्छता तथा व्यायाम आदि पर पुस्तकें मिलनी चाहिये । स्कूल में बैठने के कमरों में स्वच्छता, प्रकाश तथा उपस्कर (फर्नीचर) इत्यादि को उचित व्यवस्था होनी चाहिये ।
- (९) मानसिक तथा शारीरिक बाधाओं से पीड़ित बालको के लिये विशेष शिक्षालयों की व्यवस्था होनी चाहिये । इन दोनों श्रेणियों में मूढ तथा अंधे, गूँगे, बहरे अथवा अन्य शारीरिक हीनता रखने वाले विद्यार्थी आ जाते हैं ।
- (१०) रोजगार के कार्यालयों (Employment Bureaus) को खोलना चाहिये ।
- (११) विनोदात्मक तथा सामाजिक क्रियाओं की शिक्षालयों में व्यवस्था की जाय ।
- (१२) प्रान्तों तथा केन्द्र में एक सुसंगठित शिक्षा विभाग का संगठन करना चाहिये । इस प्रकार शिक्षा को उन विशेषज्ञों के अधिकार में रखना चाहिये जो कि उसके मर्म को समझते हैं । विश्वविद्यालयों को छोड़कर सम्पूर्ण शिक्षा का संगठन प्रान्तों के हाथ में हो । विश्वविद्यालयों के कार्यों का संगठन अखिल भारतीय आधार पर हो ।

आलोचना

गुण—संक्षेप में यह सार्जेन्ट योजना है । अन्य प्रगतिशील देशों में शिक्षा के विकास का मानदण्ड देखते हुये यह आवश्यक था कि उनके स्तर पर भारत को लाने के लिये कोई अत्यन्त उन्नत व व्यापक शिक्षा-योजना बनाई जाय । इस उद्देश्य से युद्ध के उपरान्त भारत में शिक्षा-विकास की योजना के रूप में इस योजना का बड़ा महत्त्व है । अब तक बनने वाली सभी योजनाओं से इस योजना का रूप अधिक व्यापक रहा है । शिक्षा-सम्बन्धी प्राय सभी पक्षों का इसमें विश्लेषणात्मक विवेचन हमें देखने को मिलता है । शिक्षा में अनिवार्यता इत्यादि प्रश्नों को इसने

निर्यातात्मक रूप से हल करने का प्रयत्न किया है। बालक के सर्वाङ्गीण तथा स्वतन्त्र विकास के लिये इस योजना में पर्याप्त क्षेत्र है।

इस योजना के प्ररोताओं ने भली भाँति समझ लिया था कि सम्पूर्ण शिक्षा आन्दोलन का केन्द्र 'शिक्षक' होता है। कोई भी योजना कितनी ही आकर्षक व लाभदायक क्यों न हो यदि उसे कार्यान्वित करने के लिए हमारे पास योग्य, शिक्षित तथा सतुष्ट शिक्षक नहीं हैं तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसी सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये इस योजना में सभी श्रेणियों—प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय—के शिक्षको के वेतन-क्रम तथा उनकी दशा में सुधार करने पर विशेष जोर दिया है।

इस रिपोर्ट ने वर्तमान भारतीय शिक्षा के प्रमुख दोषों को भी ऊपर लाकर रख दिया है। उदाहरण के लिये योजना में स्वीकार किया गया है कि परीक्षाओं पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया जाता है, इससे विद्यार्थियों में पुस्तकीय सन्निवृत्ता आ जाती है। वे जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों और जीवित पाठों को भूलकर एक गल्पित दुनियाँ में विचरण करते रहते हैं। हाईस्कूल शिक्षा को आज तक विश्वविद्यालय शिक्षा का पूरक माना जाता रहा है। हाई स्कूल शिक्षा स्वतः पूर्ण नहीं है। साथ ही विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा में योजना का अभाव है। शिक्षको के प्रशिक्षण की उचित व पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इत्यादि।

दोष—किन्तु साथ ही हम देखते हैं कि यह योजना भी दोषमुक्त नहीं है।^१ इसमें यह कल्पना की गई है कि यदि ४० वर्ष तक इसे कार्यान्वित किया जाय तो भारत में शिक्षा वर्तमान इंग्लैंड के स्तर तक आ सकती है। किन्तु इसमें यह भुला दिया गया है कि इन ४० वर्षों में इंग्लैंड कितना आगे निकल जायगा, और ऐसी अवस्था में भारत उससे लगभग आधी शताब्दि पिछड़ा रहेगा। साथ ही ४० वर्ष का समय भी बहुत होता है। यह ४० वर्ष इस योजना के अन्तर्गत और छोटे २ भागों में बाँट दिये गये हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि "प्रथम पाँच वर्ष तो योजना बनाने, प्रचार कार्य तथा विशेष रूप से शिक्षको के प्रशिक्षण के लिये आवश्यक स्कूल खोलने में लगने चाहिये। उसके उपरान्त योजना को सात पबसाला काय-क्रमों में विभक्त कर देना चाहिये जिनमें एक-एक क्षेत्र क्रमशः लेना चाहिये। प्रत्येक प्रान्त में इन क्षेत्रों की नाप कार्यक्रम के दौरान में कुछ बातों से निर्धारित होगी जिनमें शिक्षको की पूर्ति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होगी।" इससे प्रतीत होता है कि ४० वर्ष का समय आवश्यकता से अधिक दीर्घ है और भारत अपने शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिये इतनी दीर्घ प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं है, और फिर योजना का परीक्षण एक-एक क्षेत्र के बाद किया जायगा। इसके अतिरिक्त इस योजना में ३१३ करोड़ रुपया प्रति

वर्ष लगेगा जिसका २७७ करोड़ जनता-कोष से आवेगा। ऐसी स्थिति में भारत के लिये यह योजना अधिक खर्चीली है।

सार्जेंट योजना में ग्रामीण शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा हमारे शिक्षासंगठन में धार्मिक-शिक्षा का स्थान इत्यादि प्रश्नों पर भी उचित प्रकाश नहीं डाला गया है और न उनकी उचित व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों के चयन का ढंग भी अवाञ्छनीय है, इससे प्रत्येक विद्यार्थी को उच्च-शिक्षा का सुअवसर नहीं मिलता है।

वर्धा योजना के स्वावलम्बन वाले पक्ष का पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया है। साथ ही शिक्षा को अनिर्वाय बनाने के लिये उचित व दृढ सरकारी मशीनरी का कोई आयोजन नहीं किया गया है। शिक्षा के मानदण्ड के लिये पूर्णतः इंग्लैंड को आदर्श मानना भी अवाञ्छनीय है।

योजना की प्रगति

इस प्रकार सार्जेंट योजना के गुण और दोषों का विवेचन करने पर प्रतीत होता है, इसमें दोष होते हुये भी यह योजना एक महान् युग-निर्माणक योजना है। केन्द्रीय सरकार ने इसकी अधिकांश सिफारिशों को मान लिया है और १९४५ ई० में केन्द्रीय शिक्षा विभाग को अलग कर दिया।

१९४४ ई० में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों से सार्जेंट योजना के आधार पर अपने पचसाला कार्यक्रम बनाने का आदेश दिया, अतः १९४७-५२ ई० के पचसाला में ऐसी योजनाएँ बनाई गईं। इस योजना पर कार्य तो १९४६ ई० में ही प्रारम्भ हो गया था। केन्द्र ने आर्थिक सहायता के रूप में १९४७-४८ ई० में ही ४० करोड़ रुपया देना स्वीकार कर लिया। इन प्रान्तीय पचसाला-योजनाओं में शिक्षकों की वेतन दर में सुधार, ६-११ वर्ष के बच्चों के लिये निशुल्क अनिर्वाय बेसिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार, टैक्निकल तथा प्रौढ-शिक्षा के लिए विशेष सुविधा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए आयोजन, इत्यादि सम्मिलित हैं। साथ ही ४० वर्ष का समय भी घटा कर १६ वर्ष कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट के आधार पर 'अखिल-भारतीय टैक्निकल शिक्षा समिति' का निर्माण किया गया और भारत की राजधानी में एक 'पौलीटेक्निक कालेज' भी खोला गया है। १९४५ ई० में शिक्षा ब्यूरो तथा १९४६ ई० में 'विश्व-विद्यालय अनुदान समिति' का निर्माण किया गया।

(३) माध्यमिक शिक्षा की प्रगति (१९३७-५५ ई०)

१९३७ ई० के उपरान्त माध्यमिक शिक्षालाओं तथा उनमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। प्रान्तीय सरकारों का ध्यान प्राथमिक शिक्षा में सुधार तथा विकास करने के साथ ही साथ माध्यमिक,

ओर भी गया। इधर जनता में भी माध्यमिक शिक्षा, विशेषतः अंग्रेजी और भी अधिक माँग होने के कारण सख्या में वृद्धि होने लगी। किन्तु रकारो के त्याग-पत्र तथा युद्ध की कठिनाइयो ने माध्यमिक शिक्षा की भी रोका और सख्या में वृद्धि होने की अपेक्षाकृत भी अनुपात में कोई वृद्धि नहीं हुई। सन् १९३६-३७ ई० में संयुक्त भारत में माध्यमिक स्कूलो १३,०५६ से घट कर विभाजित भारत में १९४७ ई० मे ११,६०७ रह पाकिस्तान मे चले गये। गत दशको मे माध्यमिक शिक्षा दुगुनी होती गी, किन्तु इस दशक में ऐसा न हो सका। इस धीमी प्रगति के दो प्रमुख एक तो प्राथमिक शिक्षा के विकास में अवरोधन और दूसरा युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाइयाँ। युद्धकाल में मध्यवर्ग के आर्थिक सकट में रहने के विद्यार्थियो की सख्या में कमी हुई, क्योंकि इसी वर्ग में से अधिकांश विद्यार्थी शिक्षा के लिये आते थे। शिक्षा का व्यय बढ़ जाने से निर्धन वर्ग के के लिये तो माध्यमिक शिक्षा विलास की वस्तु बन गई है।

बना अवश्य है कि युद्ध की समाप्ति पर पुनः देश में शिक्षा का विकास होने [१९४७ ई० में भारत की स्वतन्त्रता के साथ ही साथ देश मे माध्यमिक न एक नया जीवन आगया है। प्राथमिक जन-शिक्षा का प्रसार होने के ज मे माध्यमिक शिक्षा की भी माँग बढ़ने लगी। इधर कस्बो तथा गाँवो मिक स्कूल खुलने से जो शिक्षा अब तक कृषक बालको के लिये अलभ्य कर स्वयं उनका द्वार खट-खटाने लगी। राजनैतिक तथा सामाजिक कारण स्त्री-शिक्षा का भी प्रचार बढ़ा। फलतः लड़कियो के माध्यमिक सख्या मे सतोषजनक वृद्धि हुई है। अछूतो, आदिवासियो तथा पिछडी हुई भी माध्यमिक शिक्षा का प्रचार बढ़ गया है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ण भी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है।

। पी० अनएम्प्लोयमेन्ट इन्क्वायरी कमेटी' ने माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संगठन फारिश की थी। इस समय तक यह भली भाँति विदित हो गया था कि लत माध्यमिक शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य केवल विश्वविद्यालयो मे के लिये मैट्रिक परीक्षा के लिये विद्यार्थियो को तैयार करना है। शिक्षा स्वयं अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई नहीं थी। ऐसी अवस्था में प्रकतानुसार परिवर्तन करना अनिवार्य था।

३८ ई० मे बम्बई सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन के लिये बनाई जिसने चार वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार किया। यह कार्यक्रम ७ वर्ष मेक पाठ्यक्रम के उपरान्त काम मे लाये जाने को था। यह चार वर्ष का

कार्यक्रम विज्ञान तथा साधारण पाठ्यक्रमो मे बाँट दिया गया था । ये दोनो पाठ्यक्रम आगे चलकर ३ भागो में बाँट दिये गये । साधारण ग्रुप के अन्तर्गत (१) साहित्यिक (२) कलात्मक तथा (३) वाणिज्य के पाठ्यक्रम थे । तथा वैज्ञानिक ग्रुप के अन्तर्गत (१) कृषि, (२) व्यावसायिक तथा टैक्नोलॉजिकल और (३) वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम थे । साहित्यिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुछ प्रयोगात्मक शिक्षण दिया जाने को था । यह सब पाठ्यक्रम चार वर्ष का था जो हाईस्कूल के समन था । इस प्रकार यह एक उन्नत योजना थी ।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में १९३९ ई० में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक 'प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा पुनर्संरगठन समिति' (Primary and Secondary Education Reorganisation Committee) की स्थापना की गई । बंगाल और देहली में भी इसी प्रकार की समितियाँ स्थापित हुई ।

आचार्य नरेन्द्रदेव समिति यू० पी० (१९३९ई०) v mp-1969

नियुक्ति—यू०पी० सरकार ने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संरगठन के लिये एक समिति नियुक्त की, जिसने १९३९ ई० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । समिति के अन्य प्रमुख सदस्यो में श्री केन, धूलकर कुमारी विलियम्स, श्रीमती उमा नेहरू, आचार्य जुगलकिशोर, श्री वीयर, मुहम्मद स्माइलखाँ, बेगम अजीजुल रसूल, श्री आर० ऐस० पंडित, श्री राम उग्रहसिंह तथा डा० जाकिरहुसैन इत्यादि थे । प्राथमिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने के उपरान्त समिति ने माध्यमिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट तथा सुझाव दिये । इन्हे सक्षेप मे नीचे दिया जा रहा है ।†

सिफारिशो —

- १ वर्तमान शिक्षा पद्धति मे यह दोष है कि इसमे जोवन की विभिन्न आवश्यकताओ की पूर्ति की व्यवस्था नही है, तथा जनता के विभिन्न हितो के लिये रोजगार की समस्या को हल करने की कोई भी व्यवस्था इस शिक्षा मे नही है ।
- २ माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा की पूरक मात्र समझी जाती है ।
- ३ माध्यमिक शिक्षा पद्धति पूर्ण और ठोस होनी चाहिये, पाठ्यक्रम स्वत पूर्ण और स्वतन्त्र इकाई हो ।
- ४ माध्यमिक शिक्षा १२ वर्ष से १८ वर्ष तक रहेगी ।
- ५ सभी माध्यमिक शिक्षा सस्थाएँ 'कालेज' कहलायेगी, जिनका मानदण्ड वर्तमान इटर कालेजों मे भी कुछ ऊँचा रहेगा ।

- ६ इन कालेजो के प्रथम दो वर्षों का पाठ्यक्रम बेसिक स्कूलो की दो उच्चतम कक्षाओ के समान होगा। क्राप्ट पर कम जोर दिया जा सकता है। अग्रेजी अनिवार्य विषय रहेगी।
- ७ पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय होंगे —
- (क) भाषा, साहित्य तथा सामाजिक विज्ञान
- (ख) प्राकृतिक विज्ञान और गणित
- (ग) कला
- (घ) वाणिज्य
- (ङ) टैक्निकल और व्यावसायिक विषय।
- (च) गृह-विज्ञान (लडकियो के लिए) ।
- ८ प्रवेश दो बार हो सकेगा बेसिक प्राथमिक शिक्षा के बाद और ७ वर्ष के पाठ्यक्रम के उपरान्त।
- ९ 'हाईस्कूल' और 'इंटरमीडियेट' शब्दो को हटा दिया जाय।
- १० शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी हो।
- ११ पाठ्यक्रम बनाने के लिए विशेषज्ञ बुलाये जाँय। यह पाठ्यक्रम व्यावहारिक तथा वास्तविक हो एव देश और काल की आवश्यकताओ का प्रतीक हो।
- १२ अग्रेजी अनिवार्य हो, शारीरिक विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान अन्य अनिवार्य विषय होंगे।
- १३ प्रत्येक प्रकार के कालेज खोलने के लिये 'सलाहकार बोर्ड' स्थापित कर दिये जाय, जो कि पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सरकार को सलाह दे, प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करे तथा उद्योग धन्धो और व्यापार से इन कालेजो के लिये कोष इकट्ठा करे।
- १४ लडकियो के लिये गृह-विज्ञान के कालेज खोले जाँय।
- १५ अच्छे पुस्तकालयो की व्यवस्था प्रत्येक कालेज मे हो।
- १६ विद्यार्थियो के चरित्र सुधार के लिये तथा उनम नागरिकता, प्रजातन्त्र, आत्म-निर्भरता, नेतृत्व तथा सामाजिक-न्याय की भावनाओ का सचार करने के लिये अतिरिक्त-कार्यक्रमो (Extra-Curricular Activities) का सङ्गठन करना चाहिये,—जैसे, स्काउटिङ्ग, वादविवाद सभा, अभिनय शालाये, समाज-सेवा, सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता भण्डार एव अन्य विषयो सम्बन्धी परिषदे इत्यादि। इन कार्यों पर पुस्तकीय शिक्षण के समान ही जोर दिया जाना चाहिये।

इन सिफारिशों के अतिरिक्त 'नरेन्द्रदेव समिति' ने स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा उनकी दशा में सुधार, शिक्षकों के लिये नौकरी का सम्बन्ध-पत्र (ऐग्रीमेन्ट फार्म), पाठ्य-पुस्तकों में सुधार, परीक्षा-प्रणाली तथा शिक्षा सङ्गठन में सुधार और अनुशासन इत्यादि के विषय में भी अपने विचार प्रकट किये और सुधार के लिये रचनात्मक सुझाव रखे। समिति ने प्रान्त में एक 'केन्द्रीय पेंडागॉजिकल इन्स्टीट्यूट', जिसके साथ में पुस्तकालय व वाचनालय भी हो की स्थापना की भी सिफारिश की।†

युद्ध के उपरान्त

इसके अतिरिक्त भी भिन्न-भिन्न प्रान्तों तथा केन्द्रीय सरकार ने अन्य समितियाँ नियुक्त की। प्रायः सभी ने राय दी कि हाईस्कूल का पाठ्यक्रम बहुमुखी कर दिया जाय जिनमें से एक का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा हो। इन्टर कक्षाओं को हटाकर ११ वी कक्षा को हाई स्कूल के साथ जोड़ दिया जाय तथा १२ वी कक्षा को डिग्री कक्षा में जोड़ कर उसका पाठ्यक्रम ३ वर्ष का कर दिया जाय। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ६ वर्ष का कर दिया जाय, जो कि ५ वर्ष के प्राथमिक अध्ययन के उपरान्त कक्षा ६ से ११ तक रहे। कक्षा ८ के उपरान्त, अर्थात् ८ वर्ष अध्ययन करने से बाद पाठ्यक्रम में विभिन्नता कर दी जाय। कक्षा ८ तक प्रायः सभी विषय सक्षेप में अनिवार्यतः पढाये जाँय, जिससे ९ वी कक्षा में विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय को चुन सके। ९ वी कक्षा से व्यावसायिक विषय भी प्रारम्भ कर दिये जाँय।

वास्तव में उपर्युक्त योजना को 'सप्रू कमेटी' ने बनाया था, किन्तु बाद में इसका समर्थन अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड, केन्द्रीय-सलाहकार बोर्ड तथा केन्द्रीय सरकार ने भी किया। इसी का पालन सर्वप्रथम दिल्ली राज्य में और तत्पश्चात् उत्तर-प्रदेश में किया गया है। दिल्ली में सभी हाईस्कूलों को हायर सैकिण्डरी (उच्चतर माध्यमिक) स्कूल कर दिया गया है, जिनका सगठन ११ वी कक्षा तक है। उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार परीक्षण किया जा रहा है जिसके अनुसार कक्षा १ से ५ तक प्राथमिक शिक्षा, ६ से ८ तक जूनियर हाईस्कूल तथा ९ से १२ तक उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थापित किये जा रहे हैं। सभी हाई स्कूल अब हायर सैकिण्डरी स्कूल कहलाने लगे हैं और प्रतिवर्ष क्रमशः कुछ हाई स्कूलों को ११ वी कक्षायें खोलने की सरकार द्वारा अनुमति मिल जाती है। राजकीय हाई स्कूलों को भी उच्चतर माध्यमिक शिक्षालयों में परिवर्तित किया जा रहा है। इस परीक्षण के परिणामों तथा प्रगति को शिक्षा-विशेषज्ञ रुचि पूर्वक देख रहे हैं।

सार्जेन्ट की युद्धोत्तर शिक्षा-विकास योजना के प्रकाश में भी विभिन्न राज्यों में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संज्ञान हुआ है, जिसका वर्णन पीछे किया जा चुका है।

सन् १९४८ ई० में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के विषय में एक समिति की स्थापना की थी जिसकी रिपोर्ट पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की १९४९ ई० की इलाहाबाद की बैठक में विचार किया गया था। इसके अनुसार निश्चय हुआ कि डिग्री कक्षाओं में प्रवेश पाने से पूर्व विद्यार्थी को ४ वर्ष का माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा कर लेना चाहिये। सीनियर बेसिक कक्षाओं में राष्ट्रभाषा अनिवार्य कर दी जाय तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में यह वैकल्पिक रहे। विश्वविद्यालयों में भी अंग्रेजी के माध्यम के समाप्त हो जाने पर राष्ट्रभाषा को अनिवार्य कर दिया जायगा। इसके अतिरिक्त माध्यमिक स्कूल बहुमुखी (Multilateral) होने चाहिये, किन्तु स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार एक मुखी (Unilateral) स्कूलों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त एक परीक्षा होगी। विश्व-विद्यालय अपने प्रवेश के लिये स्वतन्त्र नियम बना सकते हैं। योग्य व मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये। माध्यमिक शिक्षालयों में विद्यार्थियों के सामाजिक जीवन के सुधार के लिये अन्य हितकारी सस्थायें तथा परिषदों की स्थापना करनी चाहिये। इन शिक्षालयों के शिक्षकों की दशा तथा वेतनक्रम के विषय में समिति ने वही सिफारिशें स्वीकार करली हैं जो कि केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने रखी थी। अन्त में माध्यमिक शिक्षा पर प्रान्तीय अधिकारियों को परामर्श देने के लिये एक प्रान्तीय बोर्ड की स्थापना की भी सिफारिश की गई।

माध्यमिक शिक्षा कमीशन १९५३ ई० 1961

नियुक्ति—केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जनवरी, १९४८ ई० के अपने १४ वे अधिवेशन में देश में माध्यमिक शिक्षा की प्रचलित पद्धति की जाँच करके उसके सुधार तथा पुनर्संज्ञान के लिये एक कमीशन स्थापित करने की सिफारिश की थी। जनवरी, १९५१ में इस बोर्ड ने पुन अपनी माँग को दुहराया। माध्यमिक शिक्षा के महत्त्व को सरकार ने भी स्वीकार किया। प्राथमिक, विश्वविद्यालय तथा औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में गत वर्षों में पर्याप्त पर्यवेक्षण हो चुका था, किन्तु इस प्रकार का कोई प्रयत्न अखिल भारतीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ था। वस्तुतः यह एक ऐसी स्टेज है जिस पर आकर देश के अधिकांश विद्यार्थी अपनी शिक्षा को समाप्त कर देते हैं। साथ ही हाईस्कूल पास विद्यार्थी ही प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक बनते हैं अथवा विश्वविद्यालयों में जाकर विषाध्ययन करते हैं। ऐसी स्थिति

को प्रभावित करती है। इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने २३ सितम्बर, १९५२ को 'माध्यमिक शिक्षा कमीशन' की नियुक्ति की।

इस कमीशन के अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० लक्ष्मण-स्वामी मुदलियार नियुक्त किये गये। यही कारण है कि इसे 'मुदलियार कमीशन' के नाम से भी पुकारा जाता है। इस कमीशन से माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषयों पर अपनी रिपोर्ट व सिफारिशें देने को कहा गया —†

- “(क) भारत में वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को प्रत्येक दृष्टिकोण से जाँच करके उस पर रिपोर्ट देना, तथा
- (ख) इसके पुनर्संगठन व सुधार के विषय में विशेषतः नीचे लिखी बातों के सम्बन्ध में सुझाव देना —
- (१) माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन, तथा विषयवस्तु,
 - (२) प्राथमिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा से इसका सम्बन्ध,
 - (३) विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलों का अन्तर्सम्बन्ध तथा
 - (४) अन्य तत्सम्बन्धी समस्याएँ।

जिससे कि सम्पूर्ण देश के लिये हमारी आवश्यकताओं व साधनों के अनुरूप ही एक सुदृढ व यथासम्भव समन्वित माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सके।”

इस कमीशन ने सारे देश का भ्रमण किया और प्रत्येक स्थान पर शिक्षा समर्थाओं का अध्ययन करने के उपरान्त २६ अगस्त, १९५३ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर ६ व १० नवम्बर, १९५३ को दिल्ली में 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' ने विचार किया। बोर्ड ने अपने अध्यक्ष को एक ऐसी समिति बनाने का अधिकार दे दिया जो कि इन सिफारिशों की जाँच करके उनको शीघ्र ही कार्यान्वित करने के लिए अपने सुझाव दे। फरवरी, १९५४ में समिति के सुझावों पर विचार हुआ। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा कमीशन की सिफारिशों को भारत सरकार ने यथावत् मान लिया है।

सिफारिशें—कमीशन को प्रमुख सिफारिशों को हम यहाँ सक्षेप में देते हैं—

- (१) माध्यमिक स्तर की शिक्षा चार या पाँच वर्ष की प्राथमिक या जूनियर बेसिक शिक्षा के उपरान्त प्रारम्भ होनी चाहिए। इसमें सभी विभिन्न पाठ्यक्रम जैसे, भाषा, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान तथा हस्तकला सम्मिलित होने चाहिये। पाठ्य-पुस्तकों का चयन एक शक्तिशाली समिति को सौंप देना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने विषयों के चुनने के लिए पथ-प्रदर्शन व उचित सलाह प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान करना चाहिये।

- (२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषाये हो, साथ ही राष्ट्रभाषा तथा एक विदेशी भाषा भी मिडिल स्कूल स्तर पर पढाई जानी चाहिए ।
- (३) वर्ष में २०० से कम कार्य दिवस न होने चाहिए । प्रति सप्ताह प्रत्येक घंटा ४५ मिनट के हिसाब से ३५ घंटे अध्ययन होना चाहिए ।
- (४) परीक्षा में उत्तीर्ण करने तथा ऊपर की कक्षा में विद्यार्थी को चढाने के लिए वर्ष भर कक्षा में किए गए कार्य पर भी विचार करना चाहिए ।
- (५) टैकनीकल शिक्षा को नीचे के स्तर पर ही प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बहुउद्देशीय (Multipurpose) स्कूलों की स्थापना की जाय ।
- (६) माध्यमिक शिक्षकों तथा ग्रेजुएट शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी चाहिए । शारीरिक-शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।
- (७) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण बोर्ड तथा राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्डों की स्थापना होनी चाहिए । प्रशासन को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य समितियों की समुक्त बैठकें होनी चाहिए और इस प्रकार उनके कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित होना चाहिए । तथा शिक्षा सचालन विभाग में अत्यन्त योग्य व विशेषज्ञ व्यक्तियों की ही नियुक्ति होनी चाहिए ।
- (८) प्रत्येक स्कूल में एक प्रबन्धक बोर्ड हो जो कि 'कम्पनी अधिनियम' के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए । प्रत्येक स्कूल का प्रधानाध्यापक इस बोर्ड का पदेन (Ex-officio) सदस्य होना चाहिए ।
- (९) स्कूल का भवन पर्याप्त स्वच्छ व हवादार हो जिसमें अच्छे क्रीडा-स्थल भी हो ।
- (१०) कृषि, उद्योग, व्यापार तथा नागरिकता में प्रशिक्षण देने के हित में केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह माध्यमिक शिक्षा के वित्त के लिए साधन उपलब्ध करावे ।

इन सिफारिशों के अतिरिक्त कमीशन ने पुस्तकालयों की स्थापना, विद्यार्थियों में फैली हुई अनुशासनहीनता को रोकने, स्वेच्छा या माँ-बाप की आज्ञा से आशिक रूप से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार करने तथा उनमें आत्म-निर्भरता व नागरिकता के गुणों का समावेश करने, परीक्षा-प्रणाली में सुधार करने, शिक्षकों की दशा में सुधार करने, स्कूलों की आर्थिक दशा तथा प्रबन्ध व संगठन इत्यादि में सुधार करने के उद्देश्य से भी बड़े रचनात्मक व्यावहारिक सुझाव रखे ।

आलोचना

माध्यमिक शिक्षा कमीशन की सिफारिशों को देखने से प्रतीत होता है कि रिपोर्ट के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा की प्रायः सभी मौलिक समस्याओं पर विचार करके उन्हें हल करने का प्रयास किया गया है। अब तक नियुक्त होने वाले सभी कमीशनो से भी अधिक वास्तविक व व्यावहारिक सुझाव हमें इसमें देखने को मिलते हैं।[†] माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत चले आने वाले प्रमुख दोषों जैसे, पुस्तकीय व साहित्यिक ज्ञान का प्राधान्य, व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा का अभाव, परीक्षा-प्रणाली के दोष, प्रबन्ध समितियों तथा सगठन सम्बन्धी दोष एवं शिक्षकों की उपेक्षा व उनके प्रशिक्षण सम्बन्धी कठिनाइयाँ इत्यादि को कमीशन ने भली भाँति सुलझाने का प्रयास किया है।

बहुउद्देशीय माध्यमिक स्कूलों की स्थापना एक अत्यन्त ही मौलिक सुझाव है, जिससे पर्याप्त सुधार की सम्भावना है। कमीशन के मतानुसार हमारे माध्यमिक स्कूलों को 'एक मार्गीय' (Single track) स्कूल नहीं होना चाहिए, वरन् उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतिभा, विभिन्न रुचियों तथा विभिन्न आकांक्षाओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुउद्देशीय स्कूल होना चाहिये।[‡] कृषि तथा उद्योगों का विकास भारत की एक प्रमुख समस्या है। ऐसी स्थिति में

† "Many piecemeal reforms and improvements have been introduced from time to time but they were, not coherently and consciously related to the right aims and objectives and, therefore, their total impact on the system was unimpressive. What is necessary now—and this is what we are anxious to ensure—is to take bold and far-sighted measures to give a new orientation to secondary education as a whole in which all these individual reforms may find their proper and integrated place" *Report of Secondary Education Commission*, p 23

‡ "The whole modern approach to this question is based on the insight that the intellectual and cultural development of different individuals takes place best through a variety of media, that the book or the study of traditional academic subjects is not the only door to the education of the personality and that in the case of many—perhaps a majority—of the children practical work intelligently organised can unlock their latent energies much more successfully than the traditional subjects which address themselves only to the mind or, worse still, the memory" *Ibid.*, p 39

माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इनके शिक्षण पर बल देकर कमीशन ने सराहनीय कार्य किया है।

परीक्षा पद्धति के सुधार करने के विषय में कमीशन का मत है कि, "यदि परीक्षाओं का कुछ वास्तविक लाभ है तो उन्हें नवीन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुये विद्यार्थियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की परीक्षा लेनी होगी।" वर्तमान परीक्षा विधि से तो परीक्षार्थियों की मानसिक परीक्षा भी नहीं ली जा सकती। यह परीक्षा पद्धति परीक्षक की इच्छा पर इतना अधिक उत्तरदायित्व छोड़ देती है कि वह पूर्णतः में विश्वस्त नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में वर्ष भर में किये गये विद्यार्थी के कक्षा-कार्य पर बल देना अत्यन्त ही उचित व आवश्यक सिफारिश है। कमीशन के मतानुसार वाह्य-परीक्षायें अधिक नहीं होनी चाहिये। निबन्धात्मक प्रकार की परीक्षाओं की बुराई को अधिक से अधिक मिटा देना चाहिये। इसके लिए मूर्त-परीक्षाओं (Objective Tests) की सिफारिश की गई है। परीक्षाओं में प्रश्न-सूत्र होने चाहिये जो कि विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को महत्व न दे। इसी प्रकार की सिफारिशें आन्तरिक परीक्षाओं के सुधारने को भी की गई हैं।

शिक्षकों की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कमीशन ने स्वीकार किया है कि "शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है शिक्षक—उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताये, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा वह स्थान जो कि स्कूल या समाज में उसे मिला हुआ है।" ऐसी स्थिति में कमीशन का मत है कि, "यदि शिक्षकों के वर्तमान क्षोभ तथा निराशा की भावना को हटाना है तथा शिक्षा को एक वास्तविक राष्ट्र-निर्माणक कार्य बनाना है तो यह नितान्त आवश्यक है कि उनकी दशा में सुधार किया जाय और नौकरी की दशा सुधारी जाय।"[†]

इन दशाओं में सुधार करने के लिए कमीशन ने व्यावहारिक सुझाव दिये हैं। अन्त में स्कूलों के पुनर्संगठन तथा प्रबन्ध समितियों के सुधार के लिए भी कमीशन के सुझाव बड़े लाभदायक हैं। यदि उपर्युक्त सुझावों के आधार पर भारत में माध्यमिक शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो निःसंदेह उसके बहुत से दोषों के दूर हो जाने की सम्भावना है।

इन गुणों के अतिरिक्त कमीशन की सिफारिशों में कुछ दोष भी रह गये हैं, जिन पर संक्षेप में दृष्टि डाल लेना समीचीन होगा। वास्तव में इस कमीशन ने पूर्व-स्थित माध्यमिक शिक्षा को ही सुधार करके उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की चेष्टा की है। किन्तु इस क्षेत्र में तो क्रान्तिकारी परिवर्तनों की

आवश्यकता थी। परीक्षा प्रणाली में सुधार, पाठ्यक्रम के बहुउद्देशीय बनाने, शिक्षको की दशा में सुधार करने तथा व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों के सुधार के सम्बन्ध में कमीशन के सुझाव परम्परागत ही हैं। उनके द्वारा इन क्षेत्रों के मौलिक दोषों का उन्मूलन नहीं हो सकेगा। शिक्षा के नियन्त्रण के विषय में दी हुई कमीशन की सिफारिशें बड़ी निर्जीव व परम्परागत हैं। वास्तव में माध्यमिक शिक्षा अविलम्ब ही राज्य के नियन्त्रण में आनी चाहिये। यह बात निर्विवाद है कि प्रबन्ध समितियों के अन्तर्गत फैली हुई अनियमितताओं के कारण आज माध्यमिक शिक्षा को बड़ी क्षति पहुँच रही है। इनको दूर करने का एक मात्र उपाय है माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण।

इनके अतिरिक्त कमीशन ने स्त्री शिक्षा को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया है। शिक्षको के प्रशिक्षण सम्बन्धी सुझाव भी अधिक मौलिक नहीं हैं। अन्त में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए दिये जाने वाले आर्थिक व वित्तीय अनुदानों के विषय में भी कमीशन के सुझाव बड़े अप्रयत्नपूर्ण हैं।

इन सब दोषों की अपेक्षाकृत भी हम देखते हैं कि कमीशन के कुछ सुझाव अत्यन्त लाभकारी हैं और भारत में माध्यमिक शिक्षा के सुधार तथा पुनर्संगठन के लिए अपना महान् महत्त्व रखते हैं।

वर्तमान प्रगति ↓

स्वतन्त्रता की प्राप्ति के उपरान्त देश में प्राथमिक शिक्षा का इतना व्यापक प्रचार होता जा रहा है कि उसका प्रभाव माध्यमिक शिक्षा के प्रसार पर पड़ना भी स्वाभाविक है। फलतः गत वर्षों में देश में माध्यमिक शिक्षालयों में बड़ी वृद्धि हुई है। शिक्षालयों से भी अधिक वृद्धि हुई है उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में। घन के अभाव तथा योग्य व प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव में स्कूलों की संख्या तो इतनी नहीं बढ़ सकी, किन्तु माध्यमिक शिक्षा की मांग भारत के नगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों और यहाँ तक आदिवासी क्षेत्रों में भी बढ़ जाने से पूर्ण स्थित स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या लगभग गत दश वर्षों में दो गुनी हो गई है।

सन् १९४८ ई० में भारत के बड़े-बड़े राज्यों में मिडिल और हाई स्कूलों को मिलाकर माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या १२,६९३ थी। सन् १९५३ में यही संख्या बढ़कर १८,४९७ अर्थात् पहिली संख्या की छवौंठी हो गई थी। केवल हाई स्कूलों की संख्या में भी इस दौरान में ७७% की वृद्धि हुई है। ३१ मार्च, १९५३ को सम्पूर्ण देश में मिडिल स्कूलों की संख्या १५,२३२ तथा हाई स्कूलों की संख्या ८,६३३ थी।

मिलने की सम्भावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि हाई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। सन् १९४८ ई० में मिडिल स्कूलों तथा हाई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः ११,६७,२८३ तथा १७,८६,७१२ थी। यही संख्याएँ १९५३ ई० में क्रमशः १५,२१,९०३ तथा २६,१२,२३२ हो गई थी। इससे प्रकट होता है कि स्वतन्त्रता के प्रथम छ वर्षों में मिडिल स्कूलों तथा हाई स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या में क्रमशः लगभग ३०% व ६०% की अभिवृद्धि हुई है। इसके उपरान्त भी अभी प्रगति जारी है। सन् १९५४ के अन्त में भारत में माध्यमिक स्कूलों की सम्पूर्ण संख्या २५,६८४ तथा उनमें विद्यार्थियों की संख्या ६४१३ लाख थी जिनमें १०८२ लाख बालिकाएँ थी। सन् १९५१-५४ के मध्य में देश में सभी प्रकार के ५,७०० अतिरिक्त माध्यमिक स्कूल खोले गये हैं - जिनसे विद्यार्थियों की संख्या में १४५ लाख की अभिवृद्धि हुई है।

जहाँ तक व्यय का प्रश्न है हम देखते हैं कि १९४८ ई० में बड़े राज्यों में माध्यमिक स्कूलों पर प्रत्यक्ष व्यय १३ करोड़ ४८ लाख रुपया था। १९५३ में यह धन राशि २८ करोड़ ६८ लाख अर्थात् ६ वर्ष में दो गुनी हो गई। ३१ मार्च, १९५३ को सम्पूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय ३६ करोड़ ८५ लाख रुपया था, जोकि १९५४ में जाकर ४२३४ करोड़ हो गया।

ये आँकड़े बढ़े हुए होने की अपेक्षाकृत भी कभी भी सन्तोषजनक नहीं कहे जा सकते। जब हम देश की विशालता और जनसंख्या के आकार का ध्यान करते हैं तो ये संख्याएँ बड़ी न्यून प्रतीत होती हैं। तथापि इतना तो कहा ही जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा प्रगति-पथ पर है।

७ फरवरी, १९५४ को 'केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड' ने अपने २१ वे वार्षिक अन्वेषण में माध्यमिक शिक्षा कमिशन की रिपोर्ट पर विचार करने वाली समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री ने निम्नलिखित ३ बातें स्वीकार की —

- (१) माध्यमिक शिक्षा को इस प्रकार ढाला जाना चाहिये कि अधिकांश विद्यार्थियों के लिये यह एक पूर्ण-शिक्षा हो सके। यह केवल विश्व-विद्यालयों के प्रवेश पाने के लिये ही न होकर स्वयं अपने आप में एक पूर्ण स्टेज हो।
- (२) इसका रूप व विषय-वस्तु ऐसे होने चाहिये कि यह विभिन्न प्रकार की रुचियों वाले विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसे लोहे के ढाँचे में जकड़ नहीं देना चाहिये, तथा

(३) हमने बेसिक शिक्षा को प्रारम्भिक स्तर के लिए शिक्षा का आधार चुन लिया है। अतः माध्यमिक शिक्षा को भी इसी प्रकार ढाला जाना चाहिये, जिससे वह प्रारम्भिक स्तर पर अपनाई गई शिक्षण-पद्धति को आगे ले जाकर पूर्ण करने में सहायक हो और ऐसे नागरिकों को उत्पन्न करे जो कि अपने नागरिकता के उत्तरदायों को वहन करने की क्षमता रखते हों। इस दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा में किसी एक विशेष क्राफ्ट पर जोर देने की सिफारिश श्लाघ्य है।

माध्यमिक शिक्षा कमीशन के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति की एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि अन्ततः देश में प्राथमिक (बेसिक) शिक्षा की अवधि ८ वर्ष, माध्यमिक शिक्षा की अवधि ४ वर्ष तथा विश्वविद्यालय शिक्षा की अवधि ३ वर्ष होनी चाहिये।

समिति ने कमीशन की इस बात पर भी विचार किया कि भाषाये, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विषय तथा एक हस्तकला माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सह विषय (Co Subjects) होने चाहिये। इसके अतिरिक्त समिति ने मानव-विज्ञानों (Humanities), विज्ञानों, टैक्नीकल विषय, वाणिज्य तथा कृषि-सम्बन्धी विषय, ललित कलायें तथा गृह-विज्ञान के बहुमुखी (Diversified) पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने को बड़ा महत्त्व दिया।

समिति ने यह भी सुझाव दिया कि माध्यमिक-पाठ्यक्रम के अन्त में एक परीक्षा होनी चाहिये। साथ ही मासिक परीक्षाओं तथा विद्यार्थियों के नियमित प्रगति-विवरण को अधिक महत्त्व देना चाहिये। ट्रेनिंग कालेजों को बिना शुल्क लिए ही शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिये। शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में उनका व्यय चलाने के लिए उनका पूरा वेतन दिया जाना चाहिये। समिति ने यह भी कहा कि अधिकतर सरकारी नौकरियों के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।

अन्त में समिति ने सुझाव दिया कि वर्तमान माध्यमिक स्कूलों के लगभग प्रतिशत स्कूलों को बहुधर्मी स्कूलों में आगामी दो वर्षों में तथा और ५० प्रतिशत स्कूलों को शेष ५ वर्षों में परिवर्तित कर देना चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करके उसे देश तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का कार्यक्रम अपनाया जा रहा है। बोर्ड ने विशेषज्ञ समिति के लगभग सभी सुझावों को मान लिया था। बोर्ड ने यह भी सिफारिश की थी कि जो स्कूल अपने को बहु-उद्देशीय बनाना चाहें उन्हें राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से आर्थिक

सहायता दी जानी चाहिये । टैक्नीकल विषयो के पढाने वाले शिक्षको के लिए विशेष वेतन की व्यवस्था की गई । साथ ही बोर्ड ने कहा कि राज्य सरकारो को चाहिये कि जब तक सामान्य साहित्यिक ग्रुप के अतिरिक्त कोई स्कूल एक व्यावहारिक ग्रुप में शिक्षण देना प्रारम्भ नहीं करता, तब तक उसे सरकार की ओर से मान्यता नहीं मिलनी चाहिये । स्कूलो में पुस्तकालयो के लिये प्रारम्भिक अनुदान देने के लिए प्रत्येक स्कूल के लिए ५,०००) रु० की धन-राशि की सिफारिश बोर्ड ने की, जिसे केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा १२ के अनुपात मे दिया जायगा ।

उपर्युक्त सुझावो के आधार पर योजना कमीशन ने अन्तिम दो वर्षों के लिए ५ करोड रुपये के व्यय की योजना बनाई गई थी । इस योजना के अन्तर्गत देश में ५०० बहुवधधी (Multi-purpose) स्कूल स्थापित किये जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की रुचि तथा उद्देश्य रखने वाले छात्रो को विभिन्न प्रकार के विषयो की शिक्षा प्रदान की जायगी । इन स्कूलों मे पास होने वाले विद्यार्थियो को पोलिटैक्निक कालेजो मे उच्च औद्योगिक शिक्षा का अवसर दिया जायगा ।

योजना कमीशन की इस सम्बन्ध मे दूसरी योजना यह थी कि देश मे जितने भी माध्यमिक स्कूल हैं उनमे सामान्य विज्ञान का विषय आगामी ७ वर्ष के अन्दर अवश्य ही प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए । इसके लिए स्कूलो को विज्ञानशाखाये खोलने तथा अन्य सजा खरीदने के लिए विशेष अनुदान दिये जायेंगे । ५०० बहुवधधी स्कूलो तथा १५०० अन्य स्कूलो को पुस्तकालय खोलने के लिए विशेष अनुदान दिये जायेंगे । तीसरा रूप इस योजना का था हस्तकलाओ के शिक्षण का प्रारम्भ करना व सुधार करना । ये सभी सुधार माध्यमिक शिक्षा कमीशन की सिफारिशो को मूर्त रूप देने के फलस्वरूप किये जा रहे हैं ।

१२ जनवरी, १९५५ को दिल्ली में 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' का २२ वाँ अधिवेशन हुआ । इसमे पुन माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया गया और कमीशन के सुझावो के आधार पर होने वाली प्रगति का पुनरीक्षण किया गया । इस अधिवेशन में अपने विचार प्रकट करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री मौलाना अबुलकलाम आजाद ने स्वीकार किया है कि, "माध्यमिक शिक्षा भारतीय शिक्षा की अब भी सबसे कमजोर कडी है ।" आगे चलकर सरकारी नील-पत्रिकाओं को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए केन्द्रीय मन्त्री ने स्वीकार किया है कि, "यह शिक्षा का वह स्तर है जहाँ तक पहुँचने का सुअवसर सभी को मिलना चाहिये ।

कुछ भी हो यह वह सीढ़ी है और बहुत समय तक रहेगी, जहाँ आकर देश के अधिकांश बच्चों की शिक्षा समाप्त हो जाती है। अतः यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो कि उन्हें जीवन के लिए तैयार करती हो। किन्तु मुझे खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि हमारी माध्यमिक शिक्षा इस समय इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही है।”

‘केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के’ इस अधिवेशन में शिक्षा मन्त्री ने बतलाया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ‘अखिल भारतीय टैकनीकल शिक्षा परिषद्’ के समान ही माध्यमिक शिक्षा के लिए भी एक ऐसी परिषद् का निर्माण किया जायगा। फलतः सितम्बर १९५५ में यह संस्था स्थापित कर दी गई। यह परिषद् समय-समय पर देश में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का पुनरीक्षण करेगी और शिक्षा के सुधार व प्रसार के लिए सरकार को सलाह देगी। बोर्ड में यह भी निर्णय हुआ कि राधा-कृष्णन् कमीशन तथा मुदलियार कमीशन की सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा का कोर्स १ वर्ष और अधिक बढ़ा देना चाहिये। इससे एक ओर जहाँ माध्यमिक शिक्षा का मानदण्ड ऊँचा उठेगा वहाँ विश्वविद्यालयों का भार भी हलका होगा।

बोर्ड ने मुदलियार कमीशन की बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की सिफारिश को स्वीकार करते हुये इस ओर तीव्रता से कदम उठाने का निश्चय किया है। यद्यपि सरकार इस दिशा में पहिले से ही कदम उठा चुकी है, किन्तु आज तक सभी राज्यों में प्रायः सभी माध्यमिक स्कूल अभी साहित्यिक प्रकार के बने हुए हैं। इसका प्रमुख कारण योग्य शिक्षकों, धन तथा सज्जा का अभाव है। सरकार की योजना यह है कि ५०० बहुषधी स्कूलों का देश में इस प्रकार वितरण किया जाय कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा स्कूल अवश्य हो।

इस प्रकार बोर्ड की सिफारिशों में अधिकांश में माध्यमिक शिक्षा कमीशन तथा बोर्ड की २१ वे अधिवेशन की सिफारिशों की पुनरावृत्ति मात्र थी। जनवरी १९५६ ई० में ‘केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड’ के २३ वे वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री ने पुनः इस बात को स्वीकार किया है कि माध्यमिक शिक्षा का मानदण्ड भारत में गिरता जा रहा है। शिक्षा मन्त्री की धारणा है कि “इस पतन का एक प्रमुख कारण यह है कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य विषयों की सूची में से निकाल दिया गया है यद्यपि यह बात सही है अथवा नहीं इसका निर्णय शिक्षा-शास्त्रियों के हाथ में है।” माध्यमिक शिक्षा समस्याओं को हल करने के लिये भारत सरकार ने एक परिषद् की स्थापना है जो कि एक महत्त्वपूर्ण घटना है।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्—सितम्बर १९५५ ई० में इस परिषद् की स्थापना अखिल भारतीय टैकनीकल शिक्षा परिषद् के अनुरूप ही की गई है । इस परिषद् का उद्देश्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के विकास तथा उत्थान के उपायों के विषय में सलाह देना होगा । देश में माध्यमिक शिक्षा में विकास होने के कारण भारत सरकार यह अनुभव कर रही थी कि इस विषय में सलाह देने के लिये विशेषज्ञों की कोई एक छोटी-सी संस्था बनाई जाय । फलतः इस परिषद् का जन्म हुआ ।

इस परिषद् का कार्य-क्षेत्र केवल सलाह देने तक ही सीमित नहीं रहेगा अपितु माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाएँ रखना और उनके परीक्षण करना, विभिन्न राज्यों के द्वारा संचालित योजनाओं के गुण दोषों का विवेचन करके उन्हें सही रास्ता बतलाना, माध्यमिक शिक्षा समस्याओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान को प्रोत्साहन देना तथा समय-समय पर उठने वाली समस्याओं के लिये हल ढूँढना भी इसके कर्तव्य में सम्मिलित होगा । अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये परिषद् को 'एड हॉक' सभितियाँ नियुक्त करने का अधिकार है । जो स्कूल परिषद् की योजनाओं का परीक्षण करेगा उसे आर्थिक अनुदान देना भी इसके कार्य क्षेत्र में है । विभिन्न कार्यक्रमों के लिये विशेषज्ञ व अधिकारी नियुक्त करने का भी इसे अधिकार होगा ।

परिषद् में कुल २२ सदस्य होंगे । इनमें भारतीय शिक्षा मन्त्रालय का सचिव इसका अध्यक्ष होगा । इनके अतिरिक्त केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय के दो अन्य प्रतिनिधि, ३ प्रतिनिधि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ६ प्रतिनिधि राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग की ओर से, ६ मनोनीत शिक्षा-शास्त्री, १ प्रतिनिधि ट्रेनिंग कालेजों के प्रिन्सीपल की ओर से तथा एक एक प्रतिनिधि अखिल भारतीय टैकनीकल शिक्षा परिषद्, अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड तथा सामूहिक विकास योजना प्रशासन की ओर से होगा । इस प्रकार २२ शिक्षा-विशेषज्ञों की यह परिषद् देश में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी ।

अपनी स्थापना के उपरान्त ही परिषद् ने कार्य आरम्भ कर दिया है । इसकी प्रथम बैठक १ अक्टूबर, १९५५ ई० को श्रीनगर में हुई थी । इसके उपरान्त १३ जनवरी १९५६ ई० को नई दिल्ली में इसकी एक महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय किया गया है कि माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को मातृभाषा या तो प्रथम से या फिर प्रारम्भिक भाषा के साथ पढ़ने का अवसर मिलेगा । इसके साथ अंग्रेजी और हिन्दी भी पढाई जायगी इस प्रकार ३ भाषाओं का शिक्षण किया जायगा ।

वास्तव में मुदलियार कमीशन ने भाषा के विषय में जो सिफारिशें की थी वे दोषपूर्ण थी । उनके अनुसार माध्यमिक स्कूल के प्रत्येक छात्र को दो भाषाएँ सीखनी

होती उनमें से एक तो मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होगी या फिर मातृभाषा एव प्राचीन भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम होगा तथा दूसरी भाषा (१) हिन्दी उनके लिये जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है (२) प्रारम्भिक एव उच्च अंग्रेजी। (३) हिन्दी के अतिरिक्त कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा (४) अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य आधुनिक विदेशी भाषा या (५) कोई प्राचीन भाषा होती।

कमीशन की सिफारिश का यह परिणाम होता कि चूँकि माध्यमिक स्कूलों के अधिकांश छात्रों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, इसलिये वे हिन्दी को छोड़ते तो वे केवल अंग्रेजी का ही अध्ययन कर पाते। केवल हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों वाले छात्रों को ही दोनों भाषाओं के अध्ययन का अवसर मिल पाता।

इस मत से परिषद् सहमत नहीं है। उसके मतानुसार अंग्रेजी और हिन्दी दोनों के शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। अंग्रेजी को इसलिये कि उसमें आज के विश्व के अध्ययन के विधिवत दर्शन की क्षमता है तथा हिन्दी को इसलिये कि वह देश की राजभाषा घोषित की गई है। मुदलियार कमीशन की सिफारिशों से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होनी थी अतः माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने माध्यमिक छात्रों को ३ भाषाएँ पढ़ाने पर बल दिया है। इसका परिणाम यह होगा कि माध्यमिक स्कूल के प्रत्येक छात्र को मातृभाषा पृथक् से या फिर प्रारम्भिक भाषा के साथ अंग्रेजी अथवा हिन्दी पढ़ने का अवसर मिल सकेगा। हिन्दी भाषा भाषी इलाकों के छात्रों को अपनी मातृभाषा, अंग्रेजी तथा कोई अन्य भारतीय भाषा पढ़ने का अवसर मिल जायगा।

इसी प्रकार परिषद् ने परीक्षा-प्रणाली के सुधार के लिये एक समिति नियुक्त कर दी है और द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में एक परीक्षा अनुसन्धान ब्यूरो खोलने की सलाह दी है। शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने, प्रधान अध्यापकों के सेमिनार जारी रखने तथा शिक्षक संघों की ओर से भी गोष्ठियाँ आयोजित करने की सिफारिश की है। प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में माध्यमिक शिक्षा ने क्रमशः प्रगति की है, किन्तु यह प्रगति आश्चर्यजनक रूप से धीमी है। वास्तव में बात यह है कि सभी सरकारी प्रयत्नों तथा माध्यमिक शिक्षा कमीशन की सिफारिशों की अपेक्षाकृत भी देश में माध्यमिक शिक्षा का ढाँचा पूर्ववत् बना हुआ है। उसके उद्देश्यों, साधनों, नियन्त्रण व संगठन, पाठ्यक्रम व शिक्षणविधि, परीक्षा-प्रणाली, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनके सामाजिक व आर्थिक स्तर में कोई भी सराहनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। जितने भी सरकारी प्रयत्न इन सभी मौलिक दोषों को दूर करने के लिये किये जाते हैं वे अपने परीक्षण-काल में ही समाप्त हो जाते हैं और क्रमशः भुला दिये जाते हैं। कमीशन और समितियों की अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित हो पाती हैं।

माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में कुछ नवीन परीक्षण—यद्यपि पिछले पृष्ठों में भारत में होने वाली माध्यमिक शिक्षा की आधुनिकतम प्रगति का सक्षिप्त व क्रमिक विवेचन कर दिया गया है, तथापि प्रथम पंचवर्षीय आयोजन काल में कुछ विशेष परीक्षण किये जा रहे हैं। यहाँ संक्षेप में उनका भी उल्लेख कर देना समीचीन होगा।

माध्यमिक कमीशन ने जो सिफारिशों की थी उनके आधार पर भारत सरकार ने एक योजना तैयार की थी, उसमें निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया गया था।

- (१) ५०० बहुधर्मी स्कूलों की स्थापना, उनके साथ भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों जैसे—विज्ञान, टैकनीकल पाठ्यक्रम, कृषि, वाणिज्य, ललित कला और गृह-विज्ञान की लगभग १००० नई इकाइयाँ भी होगी।
- (२) ३०० अतिरिक्त स्कूलों में विज्ञान की पढाई के लिये जो उपलब्ध सुविधायें वर्तमान हैं उनमें वृद्धि व सुधार करना।
- (३) २,००० स्कूल पुस्तकालयों का सुधार जिनमें ५०० बहुधर्मी और १५०० सामान्य हाईस्कूल होंगे।
- (४) २,००० मिडिल स्कूलों में क्राफ्ट का प्रारम्भ।
- (५) अध्यापकों का प्रशिक्षण, तथा
- (६) सेमीनार आदि का सगठन।

उपर्युक्त सभी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इनके लिये केन्द्र की ओर से कुल अनुमोदित अनावर्तक खर्च का ६६% तथा आवर्तक अनुमोदित खर्च का २५ प्र०श० दिया जाता है।

फोर्ड फाउंडेशन योजनायें तथा शिक्षा गोष्ठियाँ—माध्यमिक शिक्षा कमीशन की सिफारिशों को व्यावहारिक रूप देने के लिये आवश्यक समझा गया है कि देश भर के हैडमास्ट्रो, निरीक्षकों तथा ट्रेनिंग कालेज के प्राध्यापकों के प्रतिनिधियों की गोष्ठियाँ आयोजित की जाँय जहाँ विभिन्न समस्याओं पर हर पहलू से विचार विमर्श करके उनके लिये हल ढूँढे जाँय। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये मई-जून १९५३ से गोष्ठियाँ (Seminars) आयोजित की जा रही हैं। प्रथमतः हैडमास्ट्रो का एक सेमीनार हुआ था उससे उत्साहित होकर भारत सरकार ने फोर्ड फाउंडेशन के सक्रिय सहयोग से १९५४-५५ में दस सेमीनार करने का निश्चय किया था। इसी के अनुसार दार्जिलिंग, मसूरी, कुन्नूर, श्रीनगर, बम्बई, त्रिवाकुर-कोचीन, हैदराबाद तथा राजस्थान में आयोजित किये गये। प्रत्येक सेमीनार में ४० प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इन सेमीनारों में न केवल सामूहिक और सामान्य विवाद और प्रायोजनों का बनाना ही सम्मिलित था अपितु पास-पड़ोस के शिक्षा और

सांस्कृतिक स्थानों में जाना और विभिन्न गोष्ठियों में भाग लेना भी था। समय समय पर प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों के वतमान शिक्षा समस्याओं पर व्याख्यान भी कराये जाते हैं। इन सेमीनारों में हैड मास्टर्स को माध्यमिक शिक्षा पर विवाद करके अपने-अपने विद्यालयों में उन प्रयोगों को लागू करने का अवसर मिलता है। इनके अतिरिक्त दो सेमीनार ऐसे भी आयोजित किए गये जिनमें ट्रेनिंग कालेज के अध्यापकों तथा ऐसे प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो पहिले भी शिविर के कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके थे। ये शिविर वाले लोग उस सेमीनार में से चुने गये थे जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा सगठित १९५३ ई० में जबलपुर व पटना में होने वाले सेमीनार में भाग लिया था। २९ नवम्बर से ५ दिसम्बर १९५४ ई० में हैदराबाद में एक सेमीनार ट्रेनिंग कालेज के अध्यापकों के लिए किया गया जिसमें ट्रेनिंग कालेजों के विस्तार-कार्यक्रमों (Extension Programmes) के सगठन के प्रश्न पर विचार किया गया। जनवरी १९५५ में नई दिल्ली में एक सेमीनार आयोजित किया गया जिसमें उन्ही बातों पर विचार किया गया जो शिविर वाले लोगों ने अपने स्कूलों में शिविर प्रणाली लागू करने पर अनुभव की थी। इसमें माध्यमिक स्कूलों में इन लोगों के द्वारा परीक्षा-प्रणाली में सुधार, पाठ्य-क्रम व पाठ्य पुस्तकों में सुधार, रचनात्मक कार्यक्रम व समाज सेवा इत्यादि में किये गये पनीक्षणों पर प्रकाश डाला गया। यहाँ यह बात अनुभव की गई कि माध्यमिक स्कूलों को एक-एक करके आत्म सुधार के द्वारा ही उन्नत किया जा सकता है। इन सेमीनारों ने जो सिफारिशें की हैं उन्हें मानने के लिए मन्त्रालय ने एक अनुसरण-कार्यक्रम (Follow up Programme) भी प्रारम्भ कर दिया है। इसके लिये फोर्ड फाउंडेशन ने ५८,००० रु० की सहायता भी भारत को प्रदान की है।

माध्यमिक शिक्षा अनुसन्धान प्रोजेक्ट—इस आयोजन के अन्तर्गत ट्रेनिंग कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षा-विभागों को आमन्त्रित किया जाता है। ये लोग माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं पर अनुसन्धान करते हैं। इनका व्यय आशिक रूप से केन्द्रीय सरकार तथा आशिक रूप से सम्बन्धित ट्रेनिंग कालेजों या विश्वविद्यालय करते हैं। १९५४-५५ में २० संस्थाओं की पूर्ति के लिए २९ प्रोजेक्ट स्वीकृत हुये थे। इन पर ९२,९९४ रु० केन्द्रीय सरकार ने व्यय किया था। १९५५-५६ में इन योजना के लिए २ लाख रुपये की केन्द्रीय व्यवस्था की गई थी। मार्च १९५६ तक इन प्रोजेक्टों का कार्य समाप्त हो चुका है।

केन्द्रीय पाठ्य-पुस्तक अनुसन्धान व्यूरो—माध्यमिक स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकें किस प्रकार की होनी चाहिये इस बात पर अनुसन्धान करने के लिये केन्द्रीय

शिक्षा सस्था दिल्ली में इस ब्यूरो की स्थापना की गई है। यह ब्यूरो सर्वप्रथम स्कूल स्तर की पाठ्य-पुस्तको पर कार्य कर रहा है और इसके लिए विज्ञान, हिन्दी, इतिहास और भूगोल चार स्कूली विषय चुने गये हैं। ब्यूरो ने कुछ प्रसिद्ध भारतीय व विदेशी लेखको व प्रकाशको से बातचीत करके पर्याप्त सामग्री का सफलन किया है। १९५४-५५ मे इस योजना पर ६०,००० रुपया व्यय किया गया था। मार्च १९५५ ई० में यूनेस्को की कृपा से श्री एल फर्निंग की सेवा व सलाह भी उपलब्ध हो सकी थी।

केन्द्रीय शिक्षा व व्यवसाय-दर्शन ब्यूरो—इस सस्था की स्थापना १९५४ ई० मे की गई थी। केन्द्रीय सरकार के सुझाव पर बिहार, बम्बई, हैदराबाद, मध्यप्रदेश, मैसूर, पंजाब, सौराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और बंगाल राज्यों ने भी इसी प्रकार के ब्यूरो स्थापित कर लिए हैं। इन्हे केन्द्र की ओर से सहायता अनुदान मिलता है।

इनके दो कार्य मुख्य होंगे—एक तो शिक्षा व व्यवसाय सम्बन्धी बातों पर सूचना व सहायता देना, दूसरे, विद्यार्थियों के लिये खुले व्यवसायो तथा ट्रेनिंग के सुभीतो के बारे में अन्य एजेंसियों के सहयोग से सामग्री इकट्ठा करना और उसे प्रकाशित कराना। ये ब्यूरो शिक्षा सस्थाओं को 'जीवनवृत्त सूचना-केन्द्रो' (Career Information Centres) के सगठन मे भी सहायता देगे। केन्द्रीय ब्यूरो राज्य ब्यूरो के लिए समाशोवन गृह (Clearing House) का काम करेगा।

माध्यमिक शिक्षा की कुछ समस्याये

१ उद्देश्य—भारत मे अंग्रेजी स्कूलो की स्थापना का उद्देश्य प्रारम्भ से ही शासन सचालन के लिए कुछ शिक्षित अफसर व लेखक तैयार करना रहा था। दुर्भाग्य से थोडा बहुत आज भी यह उद्देश्य यथावत् बना हुआ है। वस्तुतः माध्यमिक शिक्षा आज भी भारत मे उच्च उद्देश्य विहीन है। इसका एकमात्र उद्देश्य या तो विश्वविद्यालय मे प्रवेश करना अथवा क्लर्क बना देना हो गया है। यही कारण है कि आज हम भारत मे कालेजो को प्रायः ऐसे विद्यार्थियों से भरा हुआ पाते हैं जो कि अधिकांश में यह भी नहीं जानते कि वे क्यों शिक्षा प्राप्त कर रहे है अथवा किस उद्यम के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। वे केवल इसलिए स्कूल पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें घरो से पढने के लिए भेजा जाता है। स्कूलो मे या तो अपनी सुविधानुसार अथवा साथियों की राय से वे कुछ ऐसे सरल विषयो को चुन लेते हैं, जिनमें थोडा बहुत पढने से ही वे कम से कम परीक्षा में तो सफल हो ही सके। इस सफलता का क्या उद्देश्य होगा और उनके भावी-जीवन में उसका क्या स्थान होगा, इसकी ओर सम्भवतः वे कभी नहीं देख पाते।

वास्तव में माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय की पूरक न होकर एक स्वतः पूर्ण स्वतन्त्र इकाई होनी चाहिये, जैसा कि हम पीछे भी सकेत कर चुके हैं। इसके अध्ययन के उपरान्त विद्यार्थी यह आत्मविश्वास अनुभव कर सके कि वह एक मजिल पर पहुच गया है और तुलनात्मक दृष्टि से कुछ स्वतन्त्र कार्य करने को भी समर्थ है। उसे जीवन के लिये अपने आप को तैयार समझना चाहिये न कि विश्वविद्यालय के लिए। इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों ही प्रकार का होना चाहिये।

किसी व्यक्ति के जीवन निर्माण में उसकी किशोरावस्था का क्या महत्त्व है इसे शिक्षा विशारद भली भाँति जानते हैं। ११ वर्ष से १८ वर्ष तक का समय विद्यार्थी के जीवन निर्माण का युग है और यही समय उसके माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने का है। अतः हमारी माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक के शरीर, मस्तिष्क तथा चरित्र का पूर्ण विकास ही है जिससे उसके अन्दर नेतृत्व का भावना का विकास हो सके और वह देश का भावी नेता बन कर आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। "एक प्रकार से हाई स्कूल राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति की रीढ़ है। अतः नेताओं तथा जीवन के विभिन्न अंगों के लिए विशेषज्ञों को तैयार करने की शिक्षा के लिए देश को इन्हीं हाईस्कूलों की ओर देखना चाहिये।"

आज भारत स्वतन्त्र है और यहाँ धर्म निरपेक्ष जनतन्त्र की स्थापना हो चुकी है। नये भारत के समक्ष आज विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक समस्याएँ हैं। अतः हमें माध्यमिक शिक्षा का एक सामान्य व सैद्धान्तिक उद्देश्य ही न लेकर एक ऐसा उद्देश्य लेना होगा जो कि देश की परिवर्तित परिस्थितियों से मेल खा सके। "इसका अभिप्राय यह हुआ कि शिक्षा पद्धति को आदतों, प्रवृत्तियों तथा चरित्र के गुणों के विकास के लिये अपनी देन देनी होगी, जिससे यहाँ के नागरिक योग्यतापूर्वक एक जनतन्त्रीय नागरिकता के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की क्षमता प्राप्त कर सकें तथा ऐसी विघटन-मूलक प्रवृत्तियों का विरोध कर सकें जो कि एक व्यापक राष्ट्रीय व धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के मार्ग का अवरोधन करती हों।"

1. ऐसी स्थिति में भारत में माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं—छात्रों के चरित्र का निर्माण जिससे एक उत्तरदायी स्वतन्त्र नागरिक के रूप में जनतन्त्रीय सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिये क्रियात्मक रूप से सहयोग प्रदान कर सके। दूसरे, उनकी व्यावहारिक तथा व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि करना जिससे

† Sargent Plan, P 26,

‡ Report of Secondary Education Commission, p. 24

वे देश का आर्थिक निर्माण करके उसे समृद्धिशाली बना सके। तीसरे, उनके व्यक्तित्व का सर्वाङ्गीण विकास, अर्थात् उनकी साहित्यिक, कलात्मक तथा सांस्कृतिक अभिवृद्धियों का विकास जो कि आत्माभिव्यञ्जना तथा व्यक्तित्व के पूर्ण-विकास के लिये आवश्यक है। अन्त में इसका उद्देश्य है नेतृत्व के गुणों का विकास। इस प्रकार एक माध्यमिक स्कूल को इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयत्नशील होना है, और विद्यार्थी के जीवन को हर प्रकार से एक पूर्ण विकसित इकाई के रूप में तैयार करना है जो कि देश के जीवन को हर प्रकार से सम्पन्न बनाने की क्षमता प्राप्त कर सके।

दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे वर्तमान माध्यमिक शिक्षालय इन उद्देश्यों की पूर्ति बहुत कम कर रहे हैं। अतः आवश्यक यह है कि हम न केवल विद्यार्थियों को ही, वरन् उनके शिक्षकों तथा अभिभावकों को भी इसके उद्देश्य के विषय में पर्याप्त अवगत करा दें।

२. पाठ्यक्रम—हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को देखने से विदित होता है कि सम्भवतः एक शताब्दि से इस समस्या पर कोई मौलिक चिन्तन और तदनुसार कार्य नहीं किया गया है। देश में समय-समय पर महान् राजनतिक, आर्थिक और औद्योगिक परिवर्तन हो रहे हैं, किन्तु हमारी माध्यमिक शिक्षा समय की गति के साथ बढ़ने में असमर्थ प्रतीत होती है। पाठ्यक्रम का वास्तविक व व्यावहारिक जीवन तथा बालक के वातावरण से कोई सम्बन्ध ही नहीं प्रतीत होता। वह एक पूर्व-निर्धारित पाठ्यक्रम को बिना जिज्ञासा, बिना कौतूहल और बिना समझे अथवा सराहना किये हुए यन्त्रवत् पढ़ता है, क्योंकि उसका लक्ष्य परीक्षा में सफल होकर एफ० ए० या बी० ए० में प्रवेश करना अथवा शीघ्र ही इस योग्य बन जाना है कि वह किसी कार्यालय में लेखक बन सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता के कारण हमारे देश में मानव शक्ति का वृहत् क्षय हो रहा है। बिना उपयुक्त व विभिन्न विषयों की शिक्षा के हम फैक्टरी निर्मित पदार्थों की भाँति एक ही प्रकार के युवक उत्पन्न करते जा रहे हैं, जिनमें मौलिकता अथवा आविष्कारक बुद्धि का अभाव है। माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त बालक जब व्यावहारिक ससार में आता है तो अपने आपको एक ऐका अजनबी पाता है जो कि अपने वातावरण के अनुकूल नहीं बैठता †

† Cf "The education given in our schools is isolated from life—the curriculum as formulated and as presented through the traditional methods of teaching does not give the students insight into the everyday world in which they are living. When they pass out of school they feel ill-adjusted and cannot take their place confidently and competently in the community" *Report of the Secondary Education Commission*, p 22

समय समय पर विभिन्न शिक्षा कमीशनो ने भारत में इस दोष की ओर सकेत किया है, किन्तु आज भी वह अधिकांश में यथावत् बना हुआ है। यद्यपि माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रमुख व्यवसायो और उद्योगो का समावेश प्रारम्भ हो चुका है, तथापि देश की विशाल माँग को देखते हुए यह एक अल्प प्रयास है। आवश्यकता इस बात की है कि माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बहुत विभिन्न व विशाल हो और विशेषज्ञो द्वारा बालक की रुचियो का पता लगाने के उपरान्त उसे उसमें से मनोनुकूल व उपयोगी विषय लेने के लिये प्रोत्साहित व दीक्षित किया जाय ।

लगभग ८५ प्रतिशत भारतीय जनता गाँवों में निवास करती है। अतः हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिये जो कि प्रमुख ग्रामीण उद्योगो जैसे, कृषि, डेरी, पशु-पालन तथा अन्य घरेलू उद्योगो से सम्बन्ध रखे। इसके साथ ही आधुनिक उद्योगो के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिये। उदार साहित्यिक शिक्षा की भी हम अवहेलना नहीं कर सकते। वास्तव में जो पाठ्यक्रम उत्तर बेसिक-शिक्षा के लिये निश्चित किया गया है, वही वर्तमान अवस्था में एक उद्युक्त पाठ्यक्रम है।

३ अनुशासन—अनुशासन की समस्या आज केवल माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं, अपितु अखिल विद्यार्थी वर्ग की एक देशव्यापी समस्या बन चुकी है। यद्यपि शिक्षा सगठन से इस समस्या का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, तथापि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय शिक्षापद्धति, शिक्षा सगठन, शिक्षणविधि तथा परीक्षाविधि हमारे विद्यार्थियो के अनुशासन-सम्बन्धी प्रश्न पर एक गहरा प्रभाव डाल रहे हैं।

विद्यार्थियो में इस बढ़ती हुई अनुशासन हीनता के क्या कारण हैं? एक तो विद्यार्थी पर सम्पूर्ण समाज की छया पडा रही है। हमारे देश में ही आज नैतिक स्तर गिर जाने से जीवन के उच्च मूल्यों का अभाव है। हमारे अधिकांश विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक सभी कुछ न कुछ सीमा तक उच्च उद्देश्यों को भूलकर उच्छ्वल तथा उत्तरदायित्वविहीन हो बैठे हैं।

दूसरे, गत कई दशकों में होने वाली देश की राजनैतिक क्रान्ति ने भी विद्यार्थियो को कुछ सीमा तक अनुशासन विहीन बनाया है। स्वतन्त्रता के लिये सघर्ष करते समय प्रायः देश के राजनैतिक नेता विद्यार्थियो से हड़ताल करने तथा राजनैतिक आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेने के लिये उनका आह्वान करते थे। अब देश के स्वतंत्र होने पर भी वही सस्कार और प्रवृत्तियाँ विद्यार्थियो में कायशील हैं।

तीसरा, कारण है वर्तमान दूषित परीक्षा प्रणाली। आज देश के विद्यार्थी परीक्षा में सफल होने के लिये अनुचित से अनुचित साधन अपनाने में भी नहीं हिचकते। यहाँ तक इस सम्बन्ध में हत्या जैसे जघन्य अपराधो पर भी उतर आते हैं। परीक्षा भवन में किताबें ले जाना, नकल करना, बाते करना तथा कुछ पतित-

शिक्षको से बेघडक होकर सहायता लेना इत्यादि बातें तो आज एक साधारण घटना बनती जाती हैं ।

4 चौथा कारण है शिक्षको की दयनीय आर्थिक दशा और परिणामत उनमें उत्तरदायित्व तथा राजनैतिकता का ह्रास ।। खेद का विषय है कि हमें यह बात अत्यन्त कटु होने की अपेक्षाकृत भी स्वीकार करनी पडती है कि आर्थिक विषमताओं के भयङ्कर थपेडों से व्यथित आज का शिक्षक कुछ सीमा तक कर्तव्यपथ से च्युत हो चुका है। स्कूलों में होने वाली घटनाओं तथा विद्यार्थियों में बढ़ने वाले असयम के प्रति वह उदासीन सा प्रतीत होता है । यहाँ तक कि विद्यार्थियों में सद्भावनाओं का संचार करने अथवा उनके समक्ष सयम का आदर्श रखने में भी वह असमर्थ रहता है, अन्यथा कोई कारण नहीं कि शिक्षको के सच्चे प्रयत्न करने पर विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बनी रहे ।

5 इनके अतिरिक्त अभिभावकों की अपने बालकों के चरित्र तथा व्यवहार के सम्बन्ध में अज्ञानता, सिनेमा, राजनीतिज्ञ-शिक्षक, कुछ ऐसी सस्थाओं का प्रादुर्भाव जो कि बालकों की कोमल भावनाओं का अपने स्वार्थ के लिये शोषण करती हैं, अतिरिक्त पाठ्य-कार्यक्रमों (Extra-curricular activities) तथा सामाजिक जीवन का अभाव एवं जातीय पक्षपात इत्यादि अन्य कारण हैं जो कि विद्यार्थी-वर्ग में अनुशासनहीनता के लिये उत्तरदायी हैं ।

समय-समय पर देश के विद्वानों तथा शिक्षा-विशेषज्ञों ने इस पर प्रकाश डाला है और चेतावनी दी है । ऐसा प्रतीत होता है कि यदि समय रहते हमने इस समस्या को हल नहीं किया तो हमारी शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा ।

माध्यमिक शिक्षा वह धरातल है जिस पर हम जीवन का भावी-भवन निर्माण करते हैं । अनुशासन तथा चरित्र सम्बन्धी अन्य गुराओं का विकास बालक की किशोरावस्था में ही हो जाता है । अतः हमें उसके अन्दर उच्चगुणों का विकास करके विनय तथा अनुशासन की भावना संचार करना चाहिये ।

४ व्यक्तिगत प्रबन्ध तथा प्रशासन—माध्यमिक शिक्षालयों का प्रबन्ध

1“ . the average efficiency of the teachers has deteriorated, their economic difficulties and lack of social prestige have tended to create in them a sense of frustration Unless something is done quickly to increase their efficiency and give them a feeling of contentment and a sense of their own worth, they will not be able to pull their full weight” Report of the Secondary Education Commission, p. 23

सरकार, तथा कहीं कहीं स्थानीय सस्थाओं, जैसे जिला बोर्ड और नगरपालिकाओं, तथा व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों द्वारा होता है।

प्रारम्भ से ही सरकार की यह नीति रही है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र से वह धीरे धीरे हटती रही है, और प्रबन्ध व्यक्तिगत समितियों के हाथों में पहुँचता रहा है।

अधिकांश में माध्यमिक शिक्षालयों का बोर्ड अथवा व्यक्तिगत प्रबन्धको द्वारा प्रबन्ध होता है। प्रत्येक जिले में एक राजकीय माध्यमिक शिक्षालय भी रखने की नीति को अपनाया गया है।

जहाँ तक व्यक्तिगत प्रबन्ध का प्रश्न है, स्थिति बड़ी असन्तोषजनक है। प्रायः इन स्कूलों की आर्थिक दशा बड़ी दयनीय होती है। न उनके पास भवन हैं न पर्याप्त सजा, फर्नीचर तथा पुस्तकालय इत्यादि ही। ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति भी हर्षप्रद नहीं है। शिक्षकों को कम वेतन देना, अथवा थोड़े वेतन पर अदक्षित शिक्षक रख लेना, अथवा किसी भी शिक्षक को व्यक्तिगत ईर्ष्या या असन्तोष से चढ़े जब-बिक्रम देना, इत्यादि कुछ ऐसे दोष हैं जिनसे हमारे माध्यमिक शिक्षालयों की प्रगति में बाधा पहुँच रही है। भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों अथवा जातियों के नाम पर स्थापित हुए शिक्षालय तो राष्ट्र के लिए लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी ही सस्थाएँ हो सकती हैं जहाँ जातीयवाद का ताण्डव नृत्य न हो रहा हो। कुछ वैयक्तिक सस्थाएँ देश में ऐसी भी हैं, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सराहनीय कार्य किया है, किन्तु कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उनके कार्य अधिकांश में असन्तोषजनक रहे हैं।

इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रबन्ध-समितियों के सदस्यों में अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शिक्षा अथवा शिक्षा-समस्याओं से कोई रुचि नहीं है। गाँवों में तो स्थिति और भी अधिक भयानक है, जहाँ स्थानीय-राजनीति के दलदल में फँग हुए कुछ अशिक्षित अथवा अर्ध-शिक्षित ग्रामीण स्कूलों को व्यक्तिगत प्रभाव व प्रतियोगिता का प्रतीक समझकर भिन्न-भिन्न प्रकार से उनका शोषण करके शिक्षा-हित को आघात पहुँचा रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा न होने अथवा उन्हें अन्य प्रकार का असन्तोष होने के कारण, शिक्षा का मानदंड गिरता जा रहा है तो आश्चर्य ही क्या है? स्कूलों में शिक्षक-राजनीतिज्ञों का भी भय बढ़ता जा रहा है, जिन्हें प्रबन्ध-समितियों से कभी-कभी पोषण मिलता है।

शिक्षा के प्रशासन के विषय में यहाँ एक बात और कहना आवश्यक होगा। प्रायः देखा गया है कि राजकीय शिक्षा-विभाग के कर्मचारियों, अथवा निरीक्षण-विभाग की अक्षमता से भी प्रबन्ध में बड़ी शिथिलता आ गई है। वस्तुतः निरीक्षण-

विभाग की उपेक्षा के कारण व्यक्तिगत सस्थाओं का प्रबन्ध बहुत भ्रष्ट होता जा रहा है। कहीं-कहीं पर तो यहाँ तक देखा जाता है कि इन्सपेक्टर लोग स्कूलों के प्रबन्धको से मिलकर अनियमित कार्य करवाते हैं।

अतः उपर्युक्त दोषों को दूर करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में सरकार को अपने उत्तरदायित्व को अधिक समझना चाहिए। यदि इस समय माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण व्यावहारिक नहीं प्रतीत होता तो कम से कम प्रबन्ध को सुधारा तो अवश्य जा सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रबन्ध समितियों के सुधार के लिए सरकार ने एक समिति स्थापित की थी जो कि 'रघुकुलतिलक समिति' के नाम से विख्यात है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि प्रबन्ध-समितियों के सुधार के लिए आवश्यक है कि उनमें शिक्षको का एक प्रतिनिधि तथा ३ सदस्य शिक्षा-विभाग द्वारा मनोनीत किये जायें। किन्तु व्यक्तिगत प्रबन्ध-समितियों के विरोध के फलस्वरूप यह रिपोर्ट आज तक केवल एक पवित्र आशा मात्र बनी हुई है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि माध्यमिक शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा लेकर ही इस सुधार को टाला जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रबन्ध तथा शासन की समस्या एक बुनियादी समस्या है।

५ शिक्षा का मानदण्ड—आज यह बात प्रायः साधारण तौर से सुनाई पड़ती है कि जहाँ शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में मानदण्ड गिर गया है, वहाँ माध्यम शिक्षा में भी पतन हुआ है। निस्सन्देह सरकार की नीति प्रसार की रही है, किन्तु इस प्रसार से शिक्षा का मानदण्ड भी प्रभावित हुआ है। मानदण्ड के गिरने के अन्य कारणों में शिक्षको का अल्प वेतन, अधिकांश का अदीक्षित (Untainged) होना, शिक्षको ने अपने पेशे के प्रति असन्तोष, कक्षा में विद्यार्थियों की सख्त सीमा से अधिक बढ़ जाना, स्कूलों में आवश्यक सामग्री व सजा का अभाव, प्रबन्ध समितियों की अकुशलता तथा कहीं-कहीं पर अनुचित हस्तक्षेप, शिक्षा निरोधको की अक्षमता तथा कर्त्तव्य अवहेलना, स्कूलों की गिरी हुई आर्थिक अवस्था, विद्यार्थियों के लिये सितेमा इत्यदि अन्य आकर्षणों का प्राबल्य, कलुषित तथा अवैज्ञानिक परीक्ष-प्रणाली, शिक्षको में उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व का अभाव तथा कर्त्तव्य की अवहेलना, पाठ्य-पुस्तकों की अनुपयुक्तता और शिक्षा-समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों के अभिभावकों तथा जनता की अज्ञानता तथा अनभिज्ञता इत्यादि प्रमुख हैं।

देश की वर्तमान पिछड़ी हुई अवस्था में सुधार करने के लिए शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता अवश्य है, किन्तु विस्तार के साथ ही साथ हमें उसके मानदण्ड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पूर्व इसके कि यह समस्या सकट-बिन्दु पर पहुँचे, इसका हल आवश्यक है। तभी हम ऐसे युवक उत्पन्न कर सकेंगे जो कि

सर्वश में देश के समर्थ भावी नागरिक हो सके और विश्व के अन्य राष्ट्रों के युवकों के समक्ष अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर सकें ।

६ परीक्षा प्रणाली—माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा-प्रणाली एक दीर्घ काल से जटिल समस्या बनी हुई है । “भारत की साम्प्रदायकवादी सामाजिक तथा राजनैतिक प्रणाली से भी बुरी उसकी परीक्षा प्रधान शिक्षा-पद्धति है । वास्तव में, मैट्रिक परीक्षा हमारी सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षा पर शासन कर रही है । एक स्कूल की प्रतिष्ठा हाईस्कूल के परीक्षाफल पर अधिक निर्भर है अपेक्षाकृत उस सस्था की वास्तविक शिक्षा श्रेष्ठता के ।”† वास्तव में इस परीक्षा-वेदी पर ही आज बालक के सम्पूर्ण गुणों और शिक्षक के सम्पूर्ण प्रयत्नों का बलिदान किया जा रहा है । शिक्षा के अन्य लाभों की ओर से आँख मूँद कर बालक अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ परीक्षा में सफल होने में लगा देता है । इससे रटने की अमनो-वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और बालक बिना समझे हुए यत्रैवत् रटते चले जाते हैं । जो कुछ भी अपने मस्तिष्क में वे ठूँसते हैं, परीक्षा भवन में उसे उडेलने के बाद रिक्त-मस्तिष्क सप्ताह में निकलते हैं । इस प्रकार वे व्यावहारिक सप्ताह के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं । अतः बालकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता ।‡

वर्तमान परीक्षा-प्रणाली का प्रभाव शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की नैतिकता पर भी पडा है । ऐसी घटनायें आज साधारण रूप से सुनी जाती हैं कि परीक्षा भवन में विद्यार्थी अनुचित साधन अपनाते हैं । वर्ष भर तक न पढ़ने वाला विद्यार्थी परीक्षा-भवन में नकल के सहारे उत्तीर्ण हो जाता है । इसी प्रकार शिक्षकों में भी कुछ ऐसे तत्व पनप रहे हैं जिनके कारण वे परीक्षा में अनुचित पक्षपात करते अथवा उत्कृष्ट ढर्रक लेते देखे जाते हैं । वास्तव में यह स्थिति लज्जाजनक होने के साथ ही साथ घोर आपत्तिजनक व गम्भीर भी है । अतः इस बात की आवश्यकता है कि इस परीक्षा-पद्धति के स्थान पर कोई वैज्ञानिक पद्धति रखी जाय जिससे वर्तमान दोषों के आवरण के हटने से शिक्षा का मुख उज्ज्वल हो सके । इस

† Mukerjee S N *Education in India, Today and Tomorrow*, p 115

‡ “The dead weight of examination has tended to curb the teacher’s initiative, to stereotype the curriculum, to promote mechanical and lifeless methods of teaching to discourage all spirit of experimentation and to place the stress on wrong or unimportant things in education” Report of the Secondary Education Commission, p. 23

दिशा मे पेप्सू राज्य के परीक्षण का उल्लेख किया जा सकता है जिसके अनुसार विद्यार्थी को आयु तथा कक्षा-कार्य के आधार पर प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को तरक्की दी जाया करेगी ।

सक्षेप मे ये हमारी माध्यमिक शिक्षा के दोष हैं। अत यह आवश्यक है कि देश को उन्नत करने तथा उसे सम्य देशों की दौड़ में आगे रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा का महत्त्व समझा जाय, क्योंकि वास्तव मे आज भारतीय माध्यमिक शिक्षा हमारा 'सबसे दुर्बल सस्थान' (Weakest Spot) है। बिना इसके सुधार के विश्वविद्यालय शिक्षा में किए गये सभी सुधार व्यर्थ हैं, वस्तुतः राष्ट्र की प्रगति ही असम्भव है। किसी भी देश की शिक्षा-प्रणाली मे माध्यमिक शिक्षा अपना विशेष महत्त्व रखती है। वस्तुतः प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक की शृंखला की यह बीच की कडी है। इसके दोषों के प्रभाव से अन्य दोनो शिक्षाये ही कलुषित हो जाती हैं, क्योंकि हाईस्कूल पास विद्यार्थी प्राथमिक स्कूलों में जाकर शिक्षक बनते हैं। यदि एक दोष पूर्ण शिक्षा को प्राप्त करके ये विद्यार्थी भविष्य मे जाकर शिक्षक बनेगे तो निस्संदेह उन्ही दोषों को अपने विद्यार्थियों मे हस्तान्तरित कर देगे। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त ही विद्यार्थी विश्वविद्यालयो मे जाकर प्रवेश लेते हैं। अत उनके माध्यमिक शिक्षा काल के दोष उनके साथ विश्वविद्यालयो मे भी चले जाते हैं। ऐसी स्थिति मे माध्यमिक शिक्षा के दोषों का उन्मूलन करना अत्यन्त आवश्यक है।

(४) विश्वविद्यालय शिक्षा (१९३७-५६ ई०)

शिक्षा-प्रगति

सन् १९३७ के उपरान्त विश्वविद्यालय शिक्षा मे पर्याप्त विकास हुआ है। माध्यमिक शिक्षा का प्रसार होने के कारण विद्यार्थियों की संख्या विश्वविद्यालयों में भी बढ़ने लगी। सभी वर्गों के स्त्री व पुरुषों मे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की जिज्ञासा बढ़ने से भी इसका विकास हुआ। साथ ही देश की राजनैतिक व आर्थिक स्थिति के कारण भारत के तरुणों में जीवन-पथ पर आगे बढ़ कर उन्नति तथा राष्ट्र-सेवा करने की भावनाओं मे वृद्धि होने से विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। युद्धकाल में भारत के व्यापारियों ने बड़े-बड़े मुनाफे कमाये थे। अत उन्होंने देश में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता दी। सरकार को भी युद्ध के कारण कुशल तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता पड़ने लगी और उसने विश्वविद्यालयों के अनुदानों मे वृद्धि कर दी। युद्धोत्तरकाल में भी उपर्युक्त सभी कारण लगभग यथावत् बने रहे। इन् सब

बातों का परिणाम यह निकला है कि भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा से अभूतपूर्व अभिवृद्धि होने लगी है।

सन् १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त तो देश में एक प्रकार से विश्वविद्यालयों में आकार व क्षेत्र की दृष्टि से आश्चर्यजनक विकास हुआ। देश के विभाजन के समय भारत में २१ विश्वविद्यालय थे, किन्तु इस समय इनकी संख्या ३३ है। विभाजन के उपरान्त पंजाब तथा ढाका विश्वविद्यालय पाकिस्तान में चले जाने के कारण यहाँ १९ विश्वविद्यालय रह गये थे। तब से १४ विश्वविद्यालय और खुल चुके हैं। इनमें से अधिकांश विश्वविद्यालय भाषावार क्षेत्रों के आधार पर स्थापित किये गये हैं। १९५२ के अन्त तक देश में कोई भी ऐसा बड़ा भाषा-क्षेत्र नहीं शेष रह गया था जहाँ एक न एक विश्वविद्यालय न हो।

१९५३-५४ में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति को निम्नांकित तालिका से जाना जा सकता है—

संस्था का प्रकार	संख्या	प्रत्यक्ष व्यय • (करोड़ ₹० में)
विश्वविद्यालय	३१	६०१
कला व विज्ञान कालेज	६५१	१११३
व्यावसायिक कालेज	२४२	५८३
विशिष्ट शिक्षा के कालेज	८६	२७
उच्च शिक्षा बोर्ड	१०	१०५

उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त १९५३-५४ में भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के उद्देश्य से 'विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन'† को ३०,९६,५५६ ₹० दिया है। यह रुपया अ-वैज्ञानिक तथा अ-टैक्नीकल शिक्षा के प्रसार में व्यय किया गया है। इस कमीशन की स्थापना के पूर्व भी सरकार ने विश्वविद्यालयों को ४३,२३,१७५ ₹० का अनुदान दिया था। इसी प्रकार वैज्ञानिक व टैक्नीकल शिक्षा के निमित्त भी ५५,४७,७५० रुपये की धन-राशि 'विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन' को दी गई थी और ५,५६,९८५ ₹० इसकी स्थापना के पूर्व ही

† University Grants Commission.

दिया जा चुका था । इन अनुदानों के अतिरिक्त भी अन्य विशेष उद्देश्यों जैसे अनुसन्धान, छात्रवृत्ति, ललितकलाओं व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विकास इत्यादि के लिये भी भारत सरकार की ओर से विशेष अनुदान प्रतिवर्ष दिये जाने लगे हैं ।

नये विश्वविद्यालय

जैसे कि कहा जा चुका है कि देश के विभाजन के उपरान्त देश में १४ नये विश्वविद्यालय खुल चुके हैं । सन् १९४७ ई० में (पूर्व) पंजाब विश्वविद्यालय खुला । इसमें कृषि, कला, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी, कानून, चिकित्सा, प्राच्य ज्ञान, विज्ञान तथा पशु चिकित्सा इत्यादि विषय पढाये जाते हैं । इसके विधान में सीनेट का पूर्णतः जनतन्त्रीकरण कर दिया गया है ।

सन् १९४८ में ३ विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई । गोहाटी (आसाम), जम्मू व काश्मीर तथा रुड़की इंजीनियरी विश्वविद्यालय (उत्तर प्रदेश) । इनमें गोहाटी विश्वविद्यालय सम्बन्धक स्थानीय व शिक्षण (Affiliating, Residential and Teaching-) प्रकार का है । इसमें कृषि, कला, वाणिज्य, कानून, चिकित्सा तथा विज्ञानों के पढाने की व्यवस्था है । जम्मू व काश्मीर विश्वविद्यालय में कला, प्राच्य-ज्ञान विज्ञान तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है । इसकी एक-मात्र विशेषता यह है कि यहाँ उच्च शिक्षा पूर्णतः निशुल्क दी जाती है । यह भारत में अपने प्रकार का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने उच्च शिक्षा को निशुल्क किया है । रुड़की विश्वविद्यालय, टाम्सन इंजिनियरी कालेज को विकसित करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है । टाम्सन कालेज लगभग एक शताब्दि पुराना था । आज इंजीनियरी का भारत में यह एक मात्र विश्वविद्यालय है ।

सन् १९४९ में पूना व बडौदा विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई । महाराष्ट्र के वे कालेज जो पहिले बम्बई विश्वविद्यालय से सम्बन्धित थे उन्हें पूना विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित कर दिया गया । बडौदा विश्वविद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ ललित-कलाओं, गृह-विज्ञान, भारतीय संगीत तथा सामाजिक सेवाओं का विशेष अध्ययन कराया जाता है । १९५० में बम्बई राज्य में गुजरात तथा कर्नाटक में दो सम्बन्धक विश्वविद्यालय और खुल गये । इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में अब ६ विश्वविद्यालय हैं ।

सन् १९५१ में बिहार में पटना विश्वविद्यालय को दो भागों में विभाजित करके एक पटना तथा दूसरा बिहार विश्वविद्यालय बना दिया गया है । इनमें पटना विश्व-विद्यालय का क्षेत्र तो केवल पटना नगर की नगरपालिका की सीमा तक सीमित है और बिहार विश्वविद्यालय का क्षेत्र शेष सम्पूर्ण राज्य में है । प्रथम केवल शिक्षण संस्था है और द्वितीय शिक्षण व सम्बन्धक दोनों प्रकार की ।

सन् १९५१-५२ में बम्बई में स्त्री शिक्षा के लिये एक पूर्व-स्थित सस्था 'श्रीमती नाथेबाई दामोदर थैक्से' भारतीय महिला विद्यालय' (S N D T) को एक विश्वविद्यालय की पदवी दे दी गई है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण सस्था है और अपना अखिल भारतीय महत्त्व रखती है। इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बम्बई, पूना, अहमदाबाद तथा बड़ौदा में बी० टी० का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा परिचर्या (Nursing) का एक विशेष कोर्स है जिसमें बी० एस सी० की उपाधि मिलती है। साथ ही मराठी तथा गुजराती में उच्च कोटि की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य भी इस विश्वविद्यालय ने अपने ऊपर ले लिया है।

सन् १९५१ में भारत सरकार ने विश्व-भारती को भी अपने अन्तर्गत ले लिया। यह विश्वविद्यालय १९२९ में डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने स्थापित किया था। केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में बनारस, अलीगढ़ तथा दिल्ली तीन विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त यह चौथा विश्वविद्यालय है। ललितकलायें, शिक्षा, दर्शन तथा कला व विज्ञान का शिक्षण इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। इसका विस्तृत वर्णन पीछे दिया जा चुका है। विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों के विधानों में संशोधन कर दिया है। उसी प्रकार १९५१-५२ में दिल्ली विश्वविद्यालय के विधान में भी संशोधन किया जा चुका है। इस संशोधन के फल स्वरूप अब दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षण व सम्बन्धक विश्वविद्यालय हो गया है। राष्ट्रपति जो कि इसका कुलपति (चांसलर) होता था, अब वह 'विजिटर' कहलायेगा। कुलपति के बहुत से अधिकार अब विश्वविद्यालय की कोर्ट को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद व लखनऊ विश्वविद्यालयों के विधानों में भी राज्य सरकार उनकी कुछ आन्तरिक अव्यवस्थाओं तथा दलबन्दी को दूर करने के उद्देश्य से उनके विधानों में संशोधन करने जा रही है। आगरा व इलाहाबाद में ये संशोधन हो चुके हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में एक विधेयक विधानसभा के समक्ष है। इनका वर्णन यथास्थान किया जायगा।

अन्त में भारत के ३१ वे विश्वविद्यालय की स्थापना आन्ध्र राज्य में इसी वर्ष ३ सितम्बर, १९५५ को तिरुपथी में हुई है। इस विश्वविद्यालय का नाम श्री वेकटेश्वर विश्वविद्यालय है। यह नामकरण वेकटेश्वर नामक देवता के नाम के आधार पर हुआ है। तिरुमलै तिरुपथी देवस्थानम् सस्था जिसकी कि वार्षिक आय लगभग ४० लाख रुपये है, की ओर से १६ लाख रुपये का एक भवन दान में दिया गया है। साथ ही सस्था ने ८५ लाख का एक प्रत्यक्ष अनुदान एवं २५ लाख रुपये का एक वार्षिक आवर्तक अनुदान भी दिया है। राज्य सरकार ने भी विश्वविद्यालय

नीचे की तालिका से विश्वविद्यालयों की सख्या इत्यादि के विषय में हमें उनकी स्थिति का पता लगता है

नाम	स्थापन तिथि	प्रकार	विद्यालयों की सख्या (१९४७)	पूर्ण आय में सरकारी अनुदान का प्रतिशत
१	२	३	४	५
१ कलकत्ता	१८५७	सम्बन्धक तथा शिक्षण	४५,००८	२२ ९
२ बम्बई	१८५७	" " "	४३,०९०	८ ६
३ मद्रास	१८५७	" " "	२८,८८८	२३ ४
४ इलाहाबाद	१८८७	" एव सभी शिक्षण	३,५०२	५२ ८८
५ बनारस	१९१६	शिक्षण	५,०८३	९ २
६ मैसूर	१९१६	शिक्षण तथा सम्बन्धक	९,३५०	६६ २
७ पटना	१९१७	" " "	५,४७१	७ २
८ उस्मानियाँ	१९१८	शिक्षण	४,८६२	९१ ३
९ अलीगढ़	१९१०	"	४,००९	३५ ७
१० लखनऊ	१९२०	"	३,८९३	५३ ३
११ दिल्ली	१९२२	शिक्षण तथा सघीय	४,३११	५२ ४
१२ नागपुर	१९२३	शिक्षण तथा सम्बन्धक	५,७३४	१५ ४
१३ आन्ध्र	१९२६	" " "	९,४४५	२० ४
१४ आगरा	१९२७	सम्बन्धक	९,९३६	९ ९६
१५ अण्णामलै	१९२९	शिक्षण	१,९८१	४७ ६२
१६ त्रिवाकुर	१९३७	शिक्षण तथा सम्बन्धक	५,७१५	७८ ६
१७ उत्कल	१९४३	सम्बन्धक	३,६६२	९ ६१
१८ सागर	१९४६	शिक्षण तथा सम्बन्धक	१ ८२८	३३ ३९
१९ राजपूताना	१९४७	सम्बन्धक	अप्राप्त	४८ २३
२० पूर्वीय पंजाब	१९४७	शिक्षण तथा सम्बन्धक	"	अप्राप्त
२१ गोहाटी	१९४७	" " "	"	"
२२ पूना	१९४८	" " "	"	"
२३ रुडकी	१९४८	शिक्षण	"	"
२४ जम्बूकाशमीर	१९४८	सम्बन्धक	"	"
२५ बडौदा	१९४९	सम्बन्धक तथा शिक्षण	"	"
२६ कर्नाटक	१९५०	" " "	"	"
२७ गुजरात	१९५०	सम्बन्धक	"	"
२८ एस० एन० डी० टी महिला विश्वविद्यालय	१९५१	"	"	"
२९ विश्वभारती	१९५१	शिक्षण तथा सम्बन्धक	"	"
३० बिहार	१९५२	सम्बन्धक	"	"
३१ श्रीवेकटेश्वर (आन्ध्र)	१९५४	सम्बन्धक तथा शिक्षण	"	"

की स्थापना के लिये ३५ लाख रुपये का अनुदान दिया है। यह विश्वविद्यालय प्रथम दो वर्षों तक तो स्थानीय (Residential) रहेगा। तदुपरान्त रायलसीमा के कालेज भी इससे सम्बन्धित कर दिये जाँयगे। इस विश्वविद्यालय का कुलपति आन्ध्र का चीफ जस्टिस होगा। इसके अतिरिक्त जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता व सरदार बल्लभ भाई विद्यापीठ नामक दो विश्वविद्यालय और हैं। ये दोनों शिक्षण व सम्बन्धक प्रकार के हैं। १९५६-५७ में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर व बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय, पंजाब में कुलक्षेत्र संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का भी श्रीगणेश हो चुका है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में क्रमशः उन्नति होती जा रही है। प्रतिवर्ष उच्चशिक्षा के नये विषय तथा विश्वविद्यालयों में नवीन विभाग खुलते जा रहे हैं। अनुसन्धानों के आघार व श्रेष्ठता में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। पाठ्यक्रमों में नवीन विषयों के समावेश से आधुनिक भारत की अधिक से अधिक शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं व महत्वाकांक्षाओं को पोषण मिल रहा है।

देश की स्वतन्त्रता के उपरान्त विश्वविद्यालयों में शिक्षण के माध्यम का प्रश्न बड़ा विवादग्रस्त बना रहा। भाषावार प्रान्तों के आघार पर नये विश्वविद्यालयों की स्थापना होने से यह विवाद और भी अधिक बल पकड़ गया। बहुत से विश्वविद्यालयों की यह स्वाभाविक इच्छा थी कि भारतीय भाषाओं को ही शिक्षण का माध्यम बनाया जाय। भारत सरकार का भी मत यह था कि यद्यपि शिक्षण के माध्यम को बदलना आवश्यक है, तथापि यह परिवर्तन क्रमशः धीरे-धीरे ही करना चाहिए, ताकि अध्यापकों और विद्यार्थियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस प्रश्न पर विचार करने के उद्देश्य से मई, १९४८ में सभी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन ने बड़े मूल्यवान् सुझाव दिये जिनमें से अधिकांश सुझाव भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन ने अपनी सिफारिशों में सम्मिलित कर लिए हैं।

विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का यह मत रहा है कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की तुलना में देश में विश्वविद्यालय शिक्षा का आकार बढ़ता जा रहा है। साथ ही वहाँ जो शिक्षा दी जाती है वह अधिकांश में शहरी है जिसमें व्यावसायिक व टैक्नीकल शिक्षा का अभाव है। स्वतन्त्रता के उपरान्त यह भावना भी देश में उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी कि विश्वविद्यालयों की स्थिति का पुनरीक्षण किया जाय, ताकि देश की नवीन आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें ढाला जा सके। 'अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड' तथा 'केन्द्रीय शिक्षा

सलाहकार परिषद्' ने भी इन्हीं विचारों का समर्थन किया। जनवरी, १९४८ में एक 'अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन' भी हुआ, जिसमें इस बात की सिफारिश की गई कि उच्च शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र का पुनरीक्षण करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाय। अतः भारत सरकार ने डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में इस कमीशन की ४ नवम्बर, १९४८ को नियुक्ति कर दी। कमीशन ने उसी वर्ष दिसम्बर में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया और अगस्त, १९४९ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसका वर्णन आगे किया जायगा।

यह एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट है और विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रायः सभी पक्षों पर अपने निश्चय मत प्रकट करती है। इस रिपोर्ट ने विश्वविद्यालयों की शिक्षा के विषय में जनता के विचारों को पर्याप्त प्रभावित किया है। भारत सरकार ने कमीशन की सभी सिफारिशों को सामान्यतः मान कर उन्हें देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए एक आधार मान लिया है। 'केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार बोर्ड', ने नवम्बर, १९५३ में अपने २० वें वार्षिक अन्वेषण में पुनः कमीशन की सिफारिशों पर विचार किया और सिफारिश की कि "अध्यक्ष (केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री) को चाहिये कि वह यह जानने के लिए कि कमीशन की सिफारिशें कहाँ तक कार्यान्वित की जा रही हैं तथा यह सुझाव देने के लिए कि वे सिफारिशें भविष्य में और किस प्रकार तीव्रता से कार्यान्वित की जा सकती हैं, एक समिति की स्थापना करे।"*

७ फरवरी, १९५४ को 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' के २१ वें अन्वेषण में इस समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के विश्वविद्यालयों के विधानों में सुधार करने के लिये शीघ्र ही कदम उठाये जाने चाहिए, जिससे विश्वविद्यालयों के सीनेटों, सिडीकेटों तथा शिक्षा परिषदों (Academic Councils) को शीघ्र ही आन्तरिक षडयन्त्रों व दलबन्दी से मुक्त किया जा सके। समिति ने यह भी कहा है कि वाइस-चांसलरों की नियुक्ति का प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण है और इस कार्य के लिए सभी विश्वविद्यालयों को यथासम्भव दिल्ली विश्वविद्यालय की पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। साथ ही शिक्षकों के वेतन क्रमों में सुधार, विश्वविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण कराने के लिए केन्द्रीय ऋण-सहायता, शिक्षण में भाषण-पद्धति के स्थान पर 'ट्यूटोरियल' पद्धति का अधिक प्रयोग तथा निर्धन व योग्य छात्रों के लिए अधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था इत्यादि अन्य सिफारिशें इस समिति ने की। बोर्ड ने प्रायः सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

* Vide Resolution of C A B E, dated 11, Nov, 1953.

विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन ने एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश की थी कि ब्रिटेन की 'यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी' के आचार पर भारत में भी एक इसी प्रकार की समिति की स्थापना की जाय, जो कि विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं को अनुदान देने के विषय में सरकार को सलाह दे। इस सुझाव के आचार पर भारत सरकार ने एक 'विश्वविद्यालय अनुदान समिति' की स्थापना की। दिसम्बर, १९५३ में इस कमेटी को एक कमीशन का रूप दे दिया गया और इसके अधिकार में पर्याप्त रूपसे विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के उद्देश्य से रख दिया गया। इस कमीशन का वर्णन भी आगे किया जायगा। इधर एक महत्त्वपूर्ण कदम सरकार ने मानव-विज्ञानों (Humanities) में अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के लिए भी उठाया है। वास्तव में ऊँची कक्षाओं तक पहुँचने पर बहुत से विद्यार्थी कला विषयों को छोड़कर विज्ञान सम्बन्धी विषयों में आ जाते हैं, क्योंकि विज्ञानों में उन्हे अनुसन्धान की अधिक सम्भावनाएँ निहित हुई प्रतीत होती हैं। इससे विज्ञानों में भी कार्य की श्रेष्ठता गिर जाती है। यही कारण है कि १९५४-५५ के बजट में भारत सरकार ने २००) प्रति माह के हिमाव से १०० छात्रवृत्तियाँ मानव-विज्ञानों में एम० ए० पास करने के उपरान्त अनुसन्धान करने के लिए विद्यार्थियों को दी हैं। चालू वर्ष में इस कार्य में अच्छी प्रगति की है।

विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत से शिक्षा-विशारदों तथा राजनैतिक नेताओं का यह मत है कि यह आवश्यकता से अधिक हो गई है और देश में अब उच्च शिक्षा को और अधिक प्रोत्साहन देना हानिकारक है। उनका यह भी कहना है कि विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोत्साहन देने से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की अवहेलना हो जाती है। वास्तव में यह मत भ्रान्तिपूर्ण है। निस्संदेह देश में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा हमारी आवश्यकताओं से बहुत कम है, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि विश्वविद्यालय शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की बलि देकर स्वयं आगे बढ़ रही है। वास्तव में यदि हम भारत की विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति को अन्य देशों को उसी स्तर की शिक्षा की स्थिति से तुलना करें तो प्रतीत होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार देश की आवश्यकताओं से अधिक नहीं हो पाया है। इस दृष्टि से १९४४ ई० में सार्जेंट कमेटी की रिपोर्ट में जो विचार प्रकट किये गए हैं, बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। "यदि भारत की जनसंख्या को देखते हुए यहाँ के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या का अनुमान लगाया जाय तो विदित होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा में विश्व के अन्य प्रमुख राष्ट्रों की अपेक्षा सम्भवतः भारत सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। युद्ध से पूर्व जर्मनी में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का वहाँ की जन संख्या से अनुपात १६६० था।

ग्रेट ब्रिटेन मे यह अनुपात १ ८३७, अमरीका में १ २२५ तथा रूस में १ ३०० था, जब कि यही अनुपात भारतवर्ष मे १ २२०६ था।”

आगे चलकर इसी रिपोर्ट मे विश्वविद्यालयों की सख्याओं के विषय मे कहा गया है कि, “इङ्ग्लैण्ड मे ४१ करोड जनता के लिए १२ विश्वविद्यालय हैं। कनाडा मे केवल ८५ लाख लोगों के लिये १३, आस्ट्रेलिया में ५५ लाख जनसख्या के लिये ६, संयुक्त राष्ट्र अमरीका मे १३ करोड लोगों की विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये १७२० सस्थायें हैं, जबकि भारत में ४० करोड की जनसख्या के लिये केवल १८ विश्वविद्यालय हैं।”†

ठीक इसी प्रकार के विचार ‘विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन’ मे भी व्यक्त किये गए हैं। “यह न समझ लेना चाहिए कि हमारे देश मे आवश्यकता से अधिक विद्यार्थी कालेजों और विश्वविद्यालयों मे पढ रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत हमारे देश मे पाश्चात्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। उदाहरणत अमरीका में १५ करोड से भी कम जनसख्या मे से १६४६-४७ ई० मे २० ७८,०६५ विद्यार्थी कालेजों अथवा विश्वविद्यालयों में थे। जब कि इस देश में ३२ करोड जनसख्या में से केवल २,४१,७६४ विद्यार्थी विश्वविद्यालयों अथवा इनसे सम्बन्धित कालेजों मे शिक्षा पाते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारी जनसख्या से भी आधी जनसख्या मे से अमरीका मे हमारे देश की अपेक्षा ८ गुने अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं।” ‡

उपर्युक्त विवरण से प्रकट होना है कि भारत में उच्च शिक्षा आवश्यकता से अधिक नहीं है। अन्य उन्नत देशों के स्तर पर आने के लिए अभी भारत को बहुत प्रयत्न करना है।

विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान

भारतीय विश्वविद्यालयों में २० वीं शताब्दि के दूसरे दशक से कुछ अनुसन्धान व गवेषणा का कार्य प्रारम्भ हो गया था। प्रान्तीय स्वायत्त शासन के उपरान्त इस दशा मे सन्तोषजनक प्रगति हुई, किन्तु युद्ध-काल मे पुन इस गति में बाधा उत्पन्न हो गई थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त इस दिशा में प्रगति होना प्रारम्भ हो गया है। इम समय नैसर्गिक विज्ञानों, मानवीय विज्ञानों तथा औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसन्धान को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

भारतवर्ष में मौलिक अनुसन्धान की अवस्था सन्तोषजनक नहीं। जब तक हमारे विश्वविद्यालय सम्बन्धक (Affiliating) प्रकार के थे, कुछ कालेजों मे

† Sargent Plan Report (1944), p 28 29

‡ Universities Education Commission Report, Vol I p 346.

थोडा बहुत अनुसन्धान हुआ। निस्सन्देह कुछ कार्य तो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का हुआ, जिसके प्रयोक्ताओं में सर भडारकर (पूना), सर गगानाथ (इलाहाबाद), प्रो० कुपूस्वामी शास्त्री (मद्रास), सर जगदीशचन्द्र बोस तथा सर पी० सी० रे (कलकत्ता), प्रो० काश्यप (लाहौर) तथा सर सी० वी० रमन (बंगलौर) इत्यादि प्रमुख हैं। ये अनुसन्धान अधिकांश में विज्ञानों में हुए। सर आमुतोष मुकर्जी के प्रयत्नों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्व प्रथम व्यवस्थित अनुसन्धान का कार्य १९१४ ई० में प्रारम्भ हुआ था। तब से प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में विज्ञान तथा कलाओं में अनुसन्धान हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों के योग्य शिक्षकों ने अधिकतर इस ओर ध्यान दिया है और अनुसन्धान क्षेत्र में नेतृत्व भी किया है। अनुसन्धान करने वाले विद्यार्थियों के लिये पी०एच० डी० (Ph D), डी० लिट् (D. Litt) तथा डी एस० सी० (D Sc) इत्यादि की उपाधियाँ प्रारम्भ की गईं। सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया और विश्वविद्यालयों को अनुसन्धान के लिये विशेष अनुदान तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं। कुछ विद्यार्थी विदेशों में इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान तथा फ्रांस इत्यादि में भी भेजे गये। इस प्रकार इस दिशा में कुछ प्रगति हुई।

इतना अवश्य है भारत जैसे विशाल देश में यह प्रगति नगण्य है। जहाँ पर हम चाहते हैं कि अनुसन्धान करने वालों की संख्या में वृद्धि हो, वहाँ आवश्यक यह भी है कि उनके द्वारा उत्पन्न किया हुआ कार्य उच्चकोटि का हो, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्खा जा सके। सन् १९४८ में राधाकृष्णन् कमीशन ने यह अनुमान लगाया था कि गत १० वर्षों में भारत के सभी विश्वविद्यालयों ने २६० लोगों को ६ विज्ञानों में डाक्टर की उपाधि वितरित की, अर्थात् २६ व्यक्तियों ने अनुगतत प्रतिवर्ष कुछ गवेषणात्मक कार्य किया, जबकि १९३५ ई० में अकेले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ४०० से अधिक विद्यार्थी विज्ञानों के अनुसन्धान तथा पी० एच० डी० के कार्य में जुटे हुए थे।†

भारत में अनुसन्धान क्षेत्र में धीमी प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं। एक तो विश्वविद्यालयों में वेतनक्रम अपर्याप्त होने के कारण योग्य शिक्षक तथा विद्यार्थी, अन्य सरकारी उच्च पदों पर चले जाते हैं। दूसरे, विश्वविद्यालयों में पर्याप्त सजा व सामग्री का अभाव है। अनुसन्धान कार्य ऐसे ही स्थानों में सम्भव है जहाँ पूर्ण सुसज्जित अनुसन्धानशाला तथा पुस्तकालय हो तथा आधुनिकतम यंत्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो। तीसरे, ऐसे योग्य तथा अनुभवी शिक्षकों का अभाव है जिनके अन्तर्गत अनुसन्धान किया जाय। जो शिक्षक अनुसन्धान कराते हैं उन्हें

शिक्षण कार्य भी पूरा-पूरा करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनके पास अधिक समय या शक्ति अनुसन्धान कराने की नहीं रहती। इसके अतिरिक्त बहुधा उन शिक्षकों को अनुसन्धान कार्य के लिये कुछ वेतन इत्यादि भी नहीं दिया जाता अथवा अत्यन्त अल्प दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यार्थियों में भी साधारणतः अनुसन्धान करने के लिये पर्याप्त मानसिक व नैतिक सामर्थ्य का अभाव है। अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी अनुसन्धान नहीं कर सकते। अन्त में देश के उद्योग-पतियों के सहयोग का भी क्षेत्र में अभाव है। किन्तु हर्ष का विषय है कि स्थिति में सुधार बड़ी तेजी से हो रहा है और सरकार तथा उद्योगपति दोनों ही इसमें रुचि दिखला रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कई स्कीमों पर अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ किया गया है।

विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन (१९४९ ई०)

1949- नियुक्ति—जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है, भारतीय विश्वविद्यालयों के विकास के लिए कुछ योजनाएँ बनाने से पूर्व यह उचित समझा गया था कि उनकी आर्थिक तथा शिक्षण-सम्बन्धी अवस्था का दिग्दर्शन कर लिया जाय। अतः अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड तथा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया

“बोर्डों की राय में भारतीय विश्वविद्यालयों के कार्य का दिग्दर्शन बाछनीय है, अतः प्रस्ताव किया जाता है कि इन उद्देश्यों के लिये भारत सरकार अन्य सम्बन्धित सरकारों की अनुमति से भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करने तथा देश की वर्तमान व भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सुधार तथा विकास के लिए सुझाव रखने के लिए, हटर कमीशन के आधार पर एक कमीशन नियुक्त करे।”

सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और नवम्बर, १९४८ ई० में डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन के अन्य प्रमुख सदस्य थे डा० ताराचन्द, सर जेम्स डफ (डरहम विश्वविद्यालय के उपकुलपति), डा० जाकिर हुसैन, डा० आर्थर ई० सौरगन (अमेरिका), डा० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार, डा० मेघनाद साहा तथा डा० जॉन टिजर्ट (अमेरिका के भूतपूर्व शिक्षा-कमिश्नर) इत्यादि। २५ अगस्त, १९४९ ई० को कमीशन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया।

कमीशन का जाँच-क्षेत्र (Terms of Reference) बहुत व्यापक था। इसमें वर्तमान तथा भावी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये भारतीय विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों तथा अनुसन्धान इत्यादि से लेकर विश्व

विद्यालयों के संगठन तथा प्रशासन, आर्थिक समस्या, शिक्षकों की समस्या, पाठ्यक्रम, प्रवेश, शिक्षा का माध्यम, धार्मिक शिक्षा, विद्यार्थियों के निवास, स्वास्थ्य तथा अनुशासन इत्यादि सभी समस्याओं के अध्ययन का समावेश है। वस्तुतः उच्चशिक्षा सम्बन्धी किसी भी प्रश्न को ऐसा नहीं छोड़ा गया है जिस पर कुछ विचार न किया गया हो। अब तक नियुक्त किये जाने वाले सभी कमीशनो में इस विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट अधिक पूर्ण, व्यापक तथा श्रेष्ठ है, तथा इसकी सिफारिशो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

सिफारिशें

कमीशन ने १८ अध्यायो तथा ७४७ पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत किया है। इसमें विश्वविद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। दूसरे भाग में सहाय्ये तथा आँकड़े व साक्षी इत्यादि हैं। प्रारम्भ में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रगति का संक्षिप्त इतिहास देते हुए कमीशन ने वर्तमान सामाजिक तथा राजनैतिक ढाँचे में विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख किया है। भारतीय सन्निधान की भूमिका का उल्लेख करते हुये कमीशन ने उच्च-शिक्षा के उद्देश्यों में नवीन भारत के निर्माण के लिए, प्रजातन्त्र, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतृत्व एव भारतीय संस्कृति के महत्त्व पर जोर दिया है। इसके उपरान्त क्रमशः शिक्षकों की अवस्था तथा प्रशिक्षण, अनुसन्धान व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, शिक्षा का माध्यम, परीक्षा-प्रणाली, विद्यार्थियों की समस्याये, स्त्री-शिक्षा, संगठन, वित्त, केन्द्रीय तथा अन्य विश्वविद्यालय और अन्त में ग्राम्य विश्वविद्यालयों के विषय में सिफारिशों की हैं। नीचे हम कमीशन की प्रमुख सिफारिशों का अति संक्षेप में उल्लेख करेंगे।

१ शिक्षकों की समस्याये—शिक्षकों की समस्या कमीशन की राय में प्रमुख समस्या है। कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षकों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण कर दिया है प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर तथा इस्ट्रक्टर। इनके अतिरिक्त अनुसन्धान अभिसदस्यों (Research Fellows) की नियुक्ति की सिफारिश भी की गई है। एक श्रेणी से दूसरी उच्च श्रेणी के लिए शिक्षकों की तरक्की केवल योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। जूनियर तथा सीनियर पदों के स्थानों में २१ का अनुपात होना चाहिए। सेवा-निवृत्त (Retire) होने की उम्र ६० वर्ष होनी चाहिये किन्तु प्रोफेसरो को ६४ वर्ष तक की आज्ञा दी जा सकती है। इनके अतिरिक्त कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए प्राँवोइडेंट फण्ड, छुट्टी तथा काम करने

पर प्रतिवर्ष इस समय कम से कम ४०० करोड़ रुपया व्यय होना चाहिये । इस धन-राशि के अतिरिक्त २०० करोड़ रुपया बेसिक तथा हाईस्कूलों के लिये, २७ लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा २७२ करोड़ रुपया इन स्कूलों के लिये भवन-निर्माण को चाहिये । किन्तु सरकार के पास इतना धन शिक्षा के लिये इस समय कहाँ है ? ऐसी स्थिति में अपेक्षाकृत बहुत कम धन-राशि के लिये प्रथम पंचवर्षीय आयोजन में व्यवस्था की गई थी ।

योजना के अन्तर्गत कमीशन ने कुल १५१ ६६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी । इसमें ३९ ०२ करोड़ केन्द्र तथा ११२ ६४ करोड़ राज्यों के लिये था । इसका अभिप्राय यह है कि ३० ३३ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष व्यय होगा । साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि इस धन-राशि के अपर्याप्त होने के कारण जनता तथा व्यक्तिगत व स्थानीय सस्थायें भी शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करेगी । इसमें से ८७०२ ८ लाख रुपया प्राथमिक शिक्षा, ८३० ४ लाख माध्यमिक शिक्षा, ११७२ १ लाख विश्वविद्यालय शिक्षा, २१४५ ४ लाख टेक्नीकल व व्यावसायिक शिक्षा, १५१० ० लाख सामाजिक शिक्षा तथा शेष अन्य योजनाओं पर व्यय किया जायगा ।

योजना के शिक्षा-लक्ष्य

कमीशन का अनुमान है कि योजना काल की समाप्ति पर सन् १९५६ तक नेम्नलिखित लक्ष्यो की प्राप्ति हो जायगी —

- (१) ६ से ११ वर्ष की आयु से कम से कम ६० प्र० श० बच्चों के लिये स्कूल जाने की सुविधायें उपलब्ध करना । सन् १९५०-५१ में यह प्रतिशत ४४ ५ था ।
- २) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रों में ११ से १७ वर्ष तक की आयु के बालकों के प्रतिशत को १९५०-५१ में ११ प्र० श० से बढ़ाकर पाँच वर्ष में १५ प्र० श० तक करना ।
- ३) सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में १४ वर्ष से ४० वर्ष तक की आयु वाले कम से कम ३० प्र० श० व्यक्तियों को एक व्यापक सामाजिक-शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराना ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के लक्ष्य गले पृष्ठ की तालिका से ज्ञात हो सकते हैं

विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये इस प्रकार के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में इतनी प्रसार की आवश्यकता नहीं समझी गई जितनी कि स्थित शिक्षा को सगठित करने की है ।

विद्यार्थियों की संख्या	१९५०-५१	१९५५-५६
प्राथमिक स्कूलों में (लाख)	१५११	१८७६
जूनियर बेसिक स्कूलों में (लाख)	२६०	५२८
माध्यमिक स्कूलों में (लाख)	४३६	५७८
औद्योगिक स्कूलों में (हजार)	१४८	२१८
अन्य टेक्नीकल व व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूलों में (हजार)	२६७	४३६

योजना का कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा-प्रसार के कार्य को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत पृथक् पृथक् विभाजित कर दिया गया था। अधिकांश में केन्द्र के अन्तर्गत वे सभी योजनाएँ रखी गई हैं जिनका देशव्यापी महत्त्व है। अन्य राज्य सरकारों अन्तर्गत विभिन्न प्रान्तीय शिक्षा योजनाएँ हैं।

(क) केन्द्रीय योजनाएँ—केन्द्रीय योजनाओं को निम्नलिखित प्रकार विभाजित किया गया है

- (१) बेसिक शिक्षा की एक पूर्ण इकाई की स्थापना जिसमें पूर्व-बेसिक लेकर उत्तर ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज तक सम्मिलित होगा। ऐसी इकाई कम से कम एक राज्य में एक तो स्थापित हो ही जानी चाहिये
- (२) प्रत्येक राज्य में सामाजिक शिक्षा के लिये कम से कम एक 'जनत कालेज' तथा एक 'स्कूल व सामाजिक शिक्षा केन्द्र' की स्थापना होनी चाहिये।
- (३) प्रत्येक राज्य में कम से कम एक बहुउद्देश्यीय स्कूल की स्थापना के साथ ही साथ १४ वर्ष से १८ वर्ष की आयु के युवकों के लिये व्यावसायिक स्कूलों की व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर अनुसन्धान करने के लिये अनुसन्धानशाला (Research Bureaux), तथा निर्धन विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों में अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिये।

- (४) केन्द्रीय शिक्षा सस्था (Central Institute of Education) में श्रवत-द्रश्य शिक्षा सामग्री (Audio-Visual Aids) के उत्पादन के लिये एक इकाई की स्थापना तथा अन्य प्रकाशकों की सहायता के द्वारा ऐसी सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये ।
- (५) बच्चों एव बेसिक शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिये उचित साहित्य की रचना को प्रोत्साहन देना चाहिये ।
- (६) भारतीय भाषाओं तथा राष्ट्र-भाषा का विकास तथा मौलिक ग्रन्थों की रचना व उनमें अनुवादों को प्रोत्साहन देना चाहिये । साथ ही शब्द-कोष व विश्वकोषों तथा अन्य उद्धरण-ग्रन्थों (Reference Books) का निर्माण होना चाहिये ।
- (७) शारीरिक दोषों से पीडित बालकों की शिक्षा-व्यवस्था की जानी चाहिये ।
- (८) व्यावसायिक-शिक्षा के लिये विद्यार्थियों को सलाह देने वाले केन्द्रों की स्थापना होनी चाहिये ।
- (९) 'इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स' बंगलौर, का विकास होना चाहिये तथा १४ इंजिनियरी सस्थाओं की स्थापना एव कुछ विशेष व्यावसायिक विषयों के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये ।
- (१०) विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों को सहायता तथा अनुसन्धान व प्रशिक्षण के लिये विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जानी चाहिये ।

(ख) राज्य सरकारों के कार्यक्रम—इसी प्रकार से योजना में राज्यों के न्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय शिक्षा तथा टैक्नीकल व व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिये व्यवस्था की गई थी । सक्षेप में इन योजनाओं को निम्न-लिखित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है —

- (१) प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नये स्कूलों की स्थापना, पुराने स्कूलों का सुधार तथा साधारण प्राथमिक स्कूलों को क्रमश बेसिक स्कूलों में परिवर्तन करना ।
- (२) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नये स्कूलों की स्थापना, पुरानों का सुधार, पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, सैनिक प्रशिक्षण, उद्यानकला, कृषि व संगीत इत्यादि विषयों को सम्मिलित करना तथा आदर्श स्कूलों की हिफाजत इत्यादि करना ।
- (३) विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नये विश्वविद्यालय व कालेजों की

- (४) सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालयों की स्थापना, शारीरिक-शिक्षा, नवयुवकों के कार्यक्रम, श्रुत दृश्य शिक्षा की व्यवस्था, साक्षरता तथा प्रौढ-शिक्षा के केन्द्रों की स्थापना ।
- (५) टैक्नीकल तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में हस्तकलाओं के लिए नये स्कूलों की स्थापना, क्राफ्ट स्कूलों को जूनियर टैक्नीकल हाईस्कूलों में परिवर्तित करना, जूनियर बहुउद्योगीय स्कूल खोलना, सामान्य माध्यमिक स्कूलों को टैक्नीकल हाई स्कूलों में परिवर्तित करना, डिप्लोमा कोर्स खोलना, औद्योगिक स्कूल खोलना, शिक्षा में कृषि को स्थान देना, वाणिज्य तथा टैक्नीकल स्कूलों का विकास करके उन्हें कालेज बना देना तथा विदेशों में प्रशिक्षण के लिए छात्र वृत्तियाँ देना इत्यादि ।
- (६) नौकरी पेशा वाले लोगों की उच्चशिक्षा की व्यवस्था, प्रान्तीय भाषाओं और साहित्य का विकास, शारीरिक दोषों से पीड़ित (Handi-capped) लोगों की शिक्षा, कालेजों में 'नेशनल कैंडिडेट कोर' (N C C) की स्थापना, तथा प्राच्य शिक्षा व साख्यशास्त्र जैसे विशेष विषयों के क्षेत्र में सुधार इत्यादि करना भी राज सरकारों के शिक्षा प्रयत्नों में सम्मिलित किए गए हैं ।

आलोचना

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ सीमा तक प्रथम पंचवर्षीय आयोजन के अन्तर्गत शिक्षा के समस्त क्षेत्र को ढक लिया गया है । योजना के लागू होते ही इस काम में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था । यद्यपि प्रथम योजना समाप्त होगई किन्तु जो लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए थे उनमें अधिक प्रगति नहीं हुई है । अभी तक न तो प्राथमिक स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदला जा सका, न राज्यों में 'जनता कालेजों' और बहुउद्देश्यीय हाई स्कूलों की स्थापना ही हुई । स्कूल जाने योग्य ६ से १४ वर्ष की आयु के बच्चों के ६० प्र० श० बच्चों का लक्ष्य अभी प्राप्ति से बहुत दूर है । यही बात विश्वविद्यालय तथा टैक्नीकल शिक्षा के क्षेत्र में भी बही जा सकती है ।

इसका अभिप्राय हमें यह न समझना चाहिये कि योजना में प्रगति हुई ही नहीं है । वास्तव में केन्द्र और राज्यों ने अपना विकास काय प्रारम्भ तो कर दिया था किन्तु प्रगति मन्द रही है ।

इस योजना की आलोचना भी की गई है । उदाहरण के लिए कहा गया था कि योजना अधिक क्रान्तिकारी नहीं है । योजना का उद्देश्य शिक्षा के पूर्वस्थित दोषों का उन्मूलन न करके केवल शिक्षा का आशिक रूप से प्रसार करना है । जब तक

भारतीय शिक्षा में नियोजन]

भारतीय शिक्षा प्रणाली को आमूल परिवर्तित न किया जायगा और पूर्वस्थित प्रणाली का ही विकास किया जागा रहेगा, तो पुराने दोषों के पनपते रहने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त दूसरा अभियोग यह लगाया जाता है कि पूर्व प्राथमिक (Pie-Primary) शिक्षा की, जो कि देश के भावी नागरिकों के विकास में अपना महान् महत्त्व रखती है, अपेक्षाकृत योजना के अन्दर पूरी तरह से अवहेलना सी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की दुर्दशा का अनुभव करते हुए भी योजनाकारों ने उनकी दशा को सुधारने के लिये जो व्यवस्था की है वह अत्यन्त ही अल्प है। कोई भी शिक्षा विकास-योजना बिना शिक्षकों की सहानुभूति व उसके क्रियात्मक सहयोग के सफल नहीं हो सकती। इस दृष्टि से पंचवर्षीय योजना बुरी तरह से अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शिक्षा-योजनाओं के लिए जो धन की व्यवस्था की गई है वह अत्यन्त अल्प व अपर्याप्त है। देश की जनसंख्या की विशालता तथा शिक्षा समस्याओं की दुरुहताओं को देखते हुए १५५ ६६ करोड़ की धन-राशि अत्यन्त थोड़ी है। अन्त में एक बड़ा अभियोग इस योजना पर यह भी लगाया गया है कि इसके अन्तर्गत व्यय का नियोजन ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है। देश में अधिकांश जानकार लोगों की धारणा बढ़ती जा रही है कि पंचवर्षीय योजना के नाम पर लाखों रूपयों का दुरुपयोग हो रहा है। जो कार्यक्रम इसके अन्तर्गत अपनाये गए हैं, वे इतने हितकारी नहीं हैं कि भारतीय शिक्षा में मौलिक सुधार करते हों। कुछ योजनाएँ प्रारम्भ करके बन्द कर दी जाती हैं, इससे अगार धन और शक्ति का विनाश होता है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि इस दुरुपयोग को रोका जाय और उस धन राशि का, जो कि पहले से ही अल्प व अपर्याप्त है, पूर्ण सदुपयोग किया जाय। अन्त में हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्रथम बार शिक्षा नियोजन के अन्तर्गत आई है। यह एक प्रथम राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। ऐसी स्थिति में कुछ त्रुटियाँ रह जाना स्वाभाविक ही है। आशा है कि आगामी विकास योजनाओं में, ज्यों-ज्यों भारत का अनुभव बढ़ता जायगा, प्रथम योजना के दोषों को क्रमशः दूर कर दिया जायगा। अगस्त, १९५४ में नई दिल्ली में जो 'अखिल भारतीय शिक्षा मन्त्री सम्मेलन' हुआ था, उसमें पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निहित दोषों पर विचार करने के उपरान्त द्वितीय पंचवर्षीय शिक्षा योजना की एक रूपरेखा तैयार की गई थी। यह योजना अब देश के समक्ष प्रस्तुत है।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन 1951-2670
10

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में शिक्षा

भारतवर्ष में आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसके अनुरूप शिक्षा का नियोजन भी किया जाय। कोई भी आर्थिक नियोजन तभी सफल

हो सकता है जब कि उसका संचालन करने के लिए उपयुक्त व प्रशिक्षित मानव सामग्री हो और यह सामग्री हमें शिक्षा के द्वारा ही मिलती है। यही कारण है कि भारतवर्ष में द्वितीय आयोजन में प्रथम की भाँति शिक्षा के प्रश्न को महत्त्वपूर्ण समझा गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में बेसिक प्राथमिक शिक्षा के विकास, माध्यमिक को बहुमुखी करने, कालेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के मानदण्ड का उत्थान करने, औद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने तथा सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्रथम आयोजन की तुलना में शिक्षा पर व्यय की जाने वाली द्वितीय आयोजन की घन राशि को निम्नांकित तालिका से जाना जा सकता है।†

शिक्षा का स्तर	प्रथम आयोजन १९५१-५६	द्वितीय आयोजन १९५७-६१
प्राथमिक शिक्षा	६३ करोड	८६ करोड
माध्यमिक शिक्षा	२२ ,,	५१ ,,
विश्वविद्यालय शिक्षा	१५ ,,	५७ ,,
टैक्नीकल व व्यावसायिक शिक्षा	२३ ,,	४८ ,,
सामाजिक शिक्षा	५ ,,	५ ,,
प्रशासन तथा अन्य व्यय	११ ,,	५७ ,,
योग	१६६ करोड	३०७ करोड

३०७ करोड रुपये की इस घन-राशि में से ६५ करोड केन्द्र तथा शेष २१२ करोड रुपये राज्य सरकारों की ओर से व्यय किये जायेंगे। इस घन राशि के अतिरिक्त देश में चलने वाली सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार-सेवा योजनाओं के अन्तर्गत योजना-काल में कमश १२ करोड रुपये सामान्य शिक्षा तथा १० करोड रुपये सामाजिक शिक्षा पर व्यय किये जायेंगे। साथ ही विकास के अन्य-

क्षेत्रों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, पिछड़ी जातियों के कल्याण कार्य तथा विस्थापितों का पुनर्स्थापन इत्यादि में भी शिक्षा के लिए पर्याप्त धन व्यय किया जायगा।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजन में होने वाली प्रगति तथा द्वितीय आयोजन काल में शिक्षा के लक्ष्यों को निम्नलिखित तालिका से जाना जा सकता है। इसमें शिक्षा सस्थाओं की संख्या दी गई है।

शिक्षा सस्थाये	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१ प्राथमिक व जूनियर बेसिक	२०,२६,६७१	२,७४,०३८	३,२६,८००
२ जूनियर बेसिक	१४००	८,३६०	३३,८००
३ मिडिल या सीनियर बेसिक	१३,५९६	१९,२७०	२२,७२५
४ सीनियर बेसिक	३५१	१,६४५	४,५७१
५. उच्चतर माध्यमिक	७,२८८	१०,६००	१२,१२५
६ बहुषण्डी स्कूल		२५०	१,१८७
७ माध्यमिक स्कूल जिन्हें उच्चतर माध्यमिक बनाया जायगा		४७	१,१९७
८ विश्वविद्यालय	२६	३१	३८
९ जूनियरी—			
(क) डिग्री स्तर	४१	४५	५४
(ख) डिप्लोमा स्तर	६४	८३	१०४
१० टैक्नोलॉजी—			
(क) डिग्री स्तर	२५	२५	२८
(ख) डिप्लोमा स्तर	३६	३६	३७

उपर्युक्त आँकड़े यद्यपि विशाल प्रतीत होते हैं किन्तु जब हम इनका विश्लेषण भारत की शिक्षा-समस्या की दुरूहता व गुरुता की पृष्ठ-भूमि में करते हैं तो प्रतीत होता है कि अभी इनमें वृद्धि के लिये अत्यन्त गुंजायश है। उदाहरणतः भारतीय सविधान के अनुसार १९६१ तक १४ वर्ष तक की आयु के तथा स्कूल जाने योग्य

सभी बालको की अनिवार्य व निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जायगी। किन्तु प्रथम पञ्चवर्षीय आयोजन काल में इसका प्रतिशत केवल ३२ से ४० तक क्रिया जा सका और द्वितीय आयोजन काल में यह ४९ प्र० श० हो सकेगा जबकि उस वर्ष तक इसे १०० प्रतिशत होना चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा—आयोजन कमीशन के मतानुसार इस स्तर पर दो प्रकार की समस्याओं का निवारण करना है प्रथमतः वर्तमान शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार करना तथा शिक्षा प्रणाली की बेसिक शिक्षा के अनुरूप प्रस्थापना करना। जहाँ तक विस्तार का प्रश्न है प्रथम आयोजन काल में हमें अधिक सफलता नहीं मिली है। ६-११ आयु-वर्ग के बालको की अपेक्षा ११-१४ आयु वर्ग में तो प्रगति बहुत ही मन्द रही है। कमीशन के मत में इस मन्द प्रगति का प्रमुख कारण प्राथमिक शिक्षा में व्याप्त दो पुराने रोग 'अपव्यय' (wastage) व 'अवरोधन' (stagnation) हैं। इस प्रकार प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले १०० बालको में से कक्षा ४ तक पहुँचते-पहुँचते ५० बालक रह जाते हैं। कन्याओं के सम्बन्ध में तो यह अपव्यय और भी अधिक बढ़ा हुआ है।

इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आयोजन कमीशन ने कुछ सिफारिशों की हैं। अपव्यय रोकने के लिये शिक्षा में अनिवार्यता के सिद्धान्त को कड़ाई से लागू करने तथा अवरोधन रोकने के लिये शिक्षकों की श्रेष्ठता में तथा शिक्षण टैकनीक में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

बालिकाओं की शिक्षा के लिये योग्य व प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की व्यवस्था तथा स्कूलों में एक शिफ्ट सिस्टम को प्रचलित करने की सिफारिश की गई है जिनमें एक-एक शिफ्ट में क्रमशः बालक और बालिकाएँ पढ़ सकें। अध्यापिकाओं के गाँवों में रहने के लिये गृह-निर्माण का सुझाव दिया गया है। स्कूल भवनों तथा अन्य पाठ्य-साधनों के अभाव की पूर्ति करने के लिये कमीशन ने शिफ्ट-सिस्टम को अनिवार्य माना है। यही उपाय केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी १९५६ में स्वीकार किया था। यह प्रणाली अभी भारत में त्रिवाकुर-कोचीन तथा बम्बई राज्यों को छोड़कर अन्यत्र कहीं सफल होते नहीं देखी गई तथापि कमीशन का मत है कि भली-भाँति नियोजन करने से इसमें सफलता मिलेगी।

स्कूल भवनों के अभाव की पूर्ति के लिए कमीशन का दूसरा सुझाव है कि भारतीय प्राचीन परम्परा के अनुसार बालको को खुली हवा में पेड़ों के नीचे पढाया जाय और शीघ्रता में थोड़े-बहुत भवन-अंश को बनाने की आवश्यकता प्रतीत हो तो जनता से चन्दा करके वह अंश बनवा दिया जाय अथवा उन्हें सार्वजनिक स्थानों जैसे गाँव का मन्दिर तथा पचायत घर इत्यादि में पचायत जाय। "एक बार यदि

पाठशाला चालू हो जाय, भवन तो मध्य आने पर फिर भी बन सकता है जब कि इसके लिये परिस्थितियों में सुधार होता है।”⁴

सविधान के अनुसार १४ वर्ष तक के सभी बालको के लिये प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये विशाल धन-राशि की आवश्यकता होगी। कमीशन की राय में इस कार्य की पूर्ति राज्य सरकारों द्वारा जनता पर शिक्षा-उपकर (Educational cess) लगा कर की जा सकती है। यह उपकर मालगुजारी अथवा सम्पत्ति कर के साथ जनता से वसूल किया जा सकता है, इससे समाज के सभी अंगों से कुछ न कुछ कर वसूल किया जा सके।

बेसिक शिक्षा—भारत में बेसिक शिक्षा को एक उपयुक्त शिक्षा-प्रणाली के रूप में सिद्धान्ततः स्वीकार किया जा चुका है। प्रथम आयोजन काल में हुई बेसिक शिक्षा की प्रगति तथा द्वितीय आयोजन के लक्ष्यों को निम्नलिखित तालिका से जाना जा सकता है †

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
स्कूल	१,७५१	१०,०००	३८,४००
विद्यार्थी	१,८५,०००	११,००,०००	४२,२४,०००
ट्रेनिंग स्कूल	११४	४४९	७२९

बेसिक शिक्षा की सफलता के लिये कमीशन ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बहुत बल दिया है। इसके लिये सेमीनार तथा रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों का सगठन तथा नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण (In service Training) की योजना की भी सिफारिश की गई है। उत्तर बेसिक कालेजों को विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कर देना चाहिये जिससे उनमें प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्ति उच्च प्रशिक्षण पा सकें। प्रसाशन में सुधार, उपयुक्त बेसिक साहित्य का सृजन तथा बेसिक शिक्षा समस्याओं में अनुसन्धान इत्यादि अन्य प्रश्न हैं जिनका हल राष्ट्रीय बेसिक-शिक्षा संस्था (National Institute of Basic Education), जिसकी अभी हाल में स्थापना हुई है, करेगी।

बेसिक शिक्षा के उत्पादन-सम्बन्धी पक्ष का समर्थन कमीशन ने किया है।*

† Second Five Year Plan (1956) p 505

‡ Ibid p 506

* “The productive aspect of Basic Education, consistent with the requirements of education has to be recognised and encouraged as an essential part of the scheme of basic education”—Second Five Year Plan, p. 507.

इसके लिये ८ कक्षाओं के सम्पूर्ण बेसिक स्कूल खोलने चाहिये अथवा ५वी कक्षा तक प्रारम्भिक बेसिक शिक्षा देकर ३ वर्ष का कोर्स करने के लिये अलग स्कूल होना चाहिये। इस समय प्रायः अधिकतर राज्यों में कक्षा ५ तक के बेसिक स्कूल हैं, जो व्यर्थ हैं।

बेसिक शिक्षा को कृषि, ग्रामीण उद्योग, सहकारिता, सामुदायिक विकास योजनाएँ इत्यादि के विकास कार्यों से सम्बन्धित करने की भी कमीशन से सिफारिश की है। तभी बेसिक शिक्षा का जन-जीवन से साम्य स्थापित किया जा सकेगा। बेसिक स्कूलों को जन-जीवन का एक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिये, जहाँ से ग्रामीण जनता प्रेरणा ले सके। कमीशन की यह भी धारणा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की भाँति एक 'प्राथमिक व बेसिक शिक्षा परिषद्' की भी स्थापना होनी चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा—माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये देश में माध्यमिक शिक्षा कमीशन की सिफारिशों को ही मूर्त रूप देना द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन का आधार है। यह अनुभव किया गया है कि एक ऐसी सुदृढ माध्यमिक शिक्षा जो कि जीवन में विभिन्न प्रकार के उद्यमों के लिये द्वार उन्मुक्त करती है, आधुनिक आधार पर देश के आर्थिक विकास के लिये अनिवार्य है।

द्वितीय आयोजन काल में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता होगी जो कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के साथ कुछ औद्योगिक व टैक्नीकल शिक्षा भी प्राप्त किये हुए हों। ये नवयुवक १४-१७ आयु-वर्ग में ही उपलब्ध हो सकेंगे। इस आयु वर्ग के विद्यार्थियों में इस समय पर्याप्त रूप से अनिश्चितता फैली हुई है। अधिकांश की शिक्षा साहित्यिक प्रकार की है और देश की वर्तमान औद्योगिक व आर्थिक योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहयोग नहीं दे सकता है। अतः द्वितीय आयोजन में इस बात का भर्त्सक प्रयत्न किया जायगा कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बहुमुखी (diversified) कर दिया जाय जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न उद्यमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति पाठ्यक्रम में बहुत से क्राफ्ट, विज्ञान के विषय, टैक्नीकल तथा औद्योगिक विषयों के लिये सुविधायें प्रदान करके तथा बहुधन्धी स्कूल और जूनियर टैक्नीकल स्कूलों के खोलने से की जायगी।

माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों को प्रथम आयोजन में ही व्यावहारिक रूप देना प्रारम्भ हो गया था और उसके लिये २२ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। द्वितीय आयोजन में माध्यमिक शिक्षा पुनर्संगठन के लिये ५१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इसके लिये वर्तमान माध्यमिक स्कूलों को बहुधन्धी स्कूलों में परिवर्तित किया

जायगा। प्रथम आयोजन काल में २५० ऐसे स्कूल स्थापित किये गये थे। द्वितीय आयोजन में ऐसे १,१८७ स्कूल स्थापित किये जायेंगे। सामान्य माध्यमिक व मिडिल स्कूलों की संख्या १०,६०० से बढ़ाकर १२००० कर दी जायगी। ११५० हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्तर में बदल दिया जायगा। इस प्रकार कुल उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या लगभग २,८०० तक कर दी जायगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-शिक्षा के विकास के लिये २०० अतिरिक्त ग्रामीण माध्यमिक स्कूलों में कृषि शिक्षा की व्यवस्था बन जायगी। द्वितीय आयोजन काल में विद्यार्थियों की संख्या २३ लाख से बढ़ाकर ३१ लाख कर दी जायगी।

हाई स्कूल पास करने के उपरान्त विद्यार्थियों को किसी विशेष उद्यम में प्रवेश करने के लिये योग्य बनाने के लिये ६० जूनियर टैक्नीकल स्कूल खोले जायेंगे। इन स्कूलों में १४-१७ आयु-वर्ग के लड़कों को ३ वर्ष तक सामान्य व टैक्नीकल शिक्षा तथा वर्कशॉप-ट्रेनिंग प्रदान की जायगी। माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी कमीशन का ध्यान गया है। प्रथम आयोजन काल के अन्त तक देश में ६० प्र० श० माध्यमिक शिक्षक ट्रेनिंग पाये हुए थे। यह प्रतिशत अब ६८ हो जायगा। औद्योगिक व व्यावसायिक विषयों के पढ़ाने के लिये बहुत से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होगी अतः इसके लिये विशेष सुविधायें द्वितीय-आयोजन में प्रदान की जायँगी। इसके लिये केन्द्र की ओर से बहुधन्वी तथा जूनियर टैक्नीकल स्कूलों के लिये ५०० डिग्री शिक्षक तथा १००० डिप्लोमा शिक्षक तैयार किये जायँगे। राज्य सरकारों ने भी माध्यमिक शिक्षा की पुनर्स्थापना, माध्यमिक स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक में बदलने, विज्ञानशालाओं व पुस्तकालयों के विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण व उनके वेतन क्रमों के सुधार तथा शिक्षा व व्यावसायिक मार्ग-दर्शन (Educational and Vocational Guidance) के लिये ४६ करोड़ रुपये की धन-राशि द्वितीय आयोजन-काल के लिये स्वीकृत की है।

कमीशन ने बालिकाओं की शिक्षा के विकास की भी व्यवस्था की है। इस समय २३ लाख माध्यमिक विद्यार्थियों में केवल ३ प्र० श० बालिकायें माध्यमिक शिक्षा पाती हैं। इसके लिये द्वितीय आयोजन में राज्य सरकारों की ओर से कोई सराहनीय योजना नहीं रखी गई है। केवल स्कूलों की संख्या १५०० से बढ़ाकर १७०० कर दी जायगा। बालिकाओं को विशेष उद्यम में शिक्षा देने के लिये (जैसे ग्राम-सेविकायें, नर्स, हैल्थ विजिटर तथा अध्यापिकायें इत्यादि) भी विशेष छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायँगी।

इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा को एक विशेष समस्या, जिसके अध्ययन करने के लिये इस समय केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने एक समिति बनाई है, वह यह है कि माध्यमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा का समन्वय किस प्रकार स्थापित किया

जा सकता है। वर्तमान प्राथमिक स्कूलों को तो शीघ्र ही बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने की योजना है। इसके उपरान्त मिडिल स्कूलों को भी सीनियर बेसिक स्कूलों में क्रमशः परिवर्तित किया जायगा। इसके उपरान्त यह सोचा जा रहा है कि सीनियर बेसिक के उपरान्त उत्तर बेसिक शिक्षा का विकास किया जायगा। इस समय ऐसे स्कूलों की संख्या नगण्य है। केन्द्रीय मंत्रालय ने द्वितीय आयोजन में ऐसे स्कूलों को खोलने की व्यवस्था की है। राज्यों में भी ज्यों-ज्यों माध्यमिक शिक्षा की पुनर्स्थापना की जायगी, माध्यमिक शिक्षा के साथ उत्तर-बेसिक शिक्षा का समन्वय स्थापित किया जायगा। अन्त में हिन्दी के अध्ययन की भी व्यवस्था इस अवधि के अन्तर्गत अधिकाधिक की जायगी।

विश्वविद्यालय शिक्षा—प्रथम आयोजन ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर इतना बल नहीं दिया था जितना प्राथमिक माध्यमिक पर। द्वितीय आयोजन में विश्वविद्यालय शिक्षा को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। जबकि प्रथम आयोजन में सम्पूर्णा शिक्षा-व्यय का ८८ प्र० श० विश्वविद्यालय शिक्षा पर व्यय किया गया था तो द्वितीय आयोजन में वही घन-राशि १८६ प्र० श० करदी गई है। विश्वविद्यालय पर जो घनराशि प्रथम-आयोजन में व्यय की गई थी उसकी लगभग ४ गुनी घनराशि द्वितीय आयोजन में व्यय की जायगी अर्थात् यह १५ करोड़ से बढ़ाकर ५७ करोड़ करदी गई है। इस घनराशि में से २२५ करोड़ रु० राज्य सरकारों की ओर से तथा ३४४ करोड़ केन्द्रीय सरकार की योजनाओं में व्यय किये जायेंगे। केन्द्रीय सरकार की घनराशि में से २७ करोड़ रुपये विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन को सौंप दिये जायेंगे। सम्पूर्णा घनराशि का अधिकांश भाग विश्वविद्यालयों में टेक्नीकल व वैज्ञानिक शिक्षा के उत्थान व प्रसार पर व्यय किया जायगा। इतना ही नहीं टेक्नीकल शिक्षा के अन्तर्गत १३ करोड़ रुपये इंजीनियरी टेक्नोलॉजी तथा १० करोड़ रुपये उच्च शिक्षा में छात्रवृत्तियों पर अतिरिक्त व्यय किये जायेंगे। साथ ही ४६ करोड़ की घनराशि कृषि शिक्षा, १० करोड़ की स्वास्थ्य शिक्षा तथा २० करोड़ की औद्योगिक व वैज्ञानिक अनुसन्धान पर विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा केन्द्रों में अतिरिक्त रूप से व्यय की जायगी। अन्तिम घनराशि के व्यय करने का अधिकार वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (Council of Scientific and Industrial Research) को है।

विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिये विभिन्न कार्यक्रमों को अपनाया जायगा। इसमें ३ वर्ष का डिप्लोमा-पाठ्यक्रम करना, ट्यूटोरियल कक्षाएँ प्रारम्भ करना, सेमिनार व ग्रांटियों का संगठन, भवन, पुस्तकालय व विज्ञान शालाओं का विकास, छात्रावासों को अधिक सुविधाएँ, योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियाँ, अनुसन्धान-छात्रों को विशेष सुविधाएँ तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन-क्रमों में सुधार इत्यादि

सम्मिलित है। द्वितीय आयोजन काल मे ७ नवीन नये विश्वविद्यालय और खोले जा रहे हैं।

कमीशन की धारणा है कि माध्यमिक स्कूलो मे बहुमुखी पाठ्यक्रम के प्रारम्भ कर देने से विश्वविद्यालयो तथा डिग्री कालेजो में कला के विद्यार्थियो की सख्या पर नियन्त्रण करने मे सहायता मिलेगी। केन्द्रीय सरकार एक विशेष समित क सहायता से यह भी ज्ञात करने की चेष्टा कर रही है कि उच्च सावजनिक सेवाओ के लिये डिग्री शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है अथवा नहीं।

टैक्नीकल शिक्षा—भारत मे आयोजन काल में प्राय प्रत्येक विकास क्षेत्र के लिये प्रशिक्षित व्यक्तियो की आवश्यकता है। अतएव द्वितीय आयोजन काल में टैक्नीकल शिक्षा को बहुत महत्त्व दिया गया है। प्रथम आयोजन काल में भी इस शिक्षा को बहुत महत्त्व दिया गया था। इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑव टैक्नोलॉजी, खडगपुर की स्थापना तथा 'इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑव साइन्स' बंगलौर, का विकास युग-निर्माणक घटनाये हैं। प्रथम आयोजन काल के अन्त तक सन् १९४७ की अपेक्षा विद्यार्थियो की सख्या मे ३ गुनी वृद्धि हो गई है।

द्वितीय आयोजन मे टैक्नीकल शिक्षा के लिए ४८ करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। इस धनराशि का एक अंश तो उन योजनाओ पर व्यय किया जायगा जो कि प्रथम आयोजन के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई थी, शेष नवीन सस्थायो तथा पाठ्यक्रमो की स्थापना मे व्यय किया जायगा। द्वितीय आयोजन काल मे खडगपुर सस्था को अडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन के लिए पूर्णत विकसित कर दिया जायगा। साथ ही अन्य केन्द्रो मे भी पोस्ट-ग्रेजुएट पाठ्यक्रम एव अनुसन्धान का विकास किया जायगा। प्रथम डिग्री तथा डिप्लोमा कोर्स के जितने भी स्कूल इस समय मौजूद है उन्हे आगामी ५ वर्ष मे पूरा कर दिया जायगा।

इनके अतिरिक्त द्वितीय आयोजन मे देश के पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रो मे खडगपुर की भाँति टैक्नोलॉजीकल सस्थायो स्थापिन कर दी जायेगी। इनमे से एक बम्बई, एक कानपुर तथा तीसरी किसी अन्य ऐसे स्थान पर निर्मित की जायगी जो अभी निश्चित नहीं हो पाया है। पूर्ण होने पर इनमें से प्रत्येक सस्था में १२०० विद्यार्थी अडर ग्रेजुएट तथा ६०० पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम तथा अनुसन्धान के लिये प्रविष्ट हो सकेगे।

इंजिनियरी तथा टैक्नोलॉजी की शिक्षा के लिए देहली पोलिटैक्निक सस्था का और भी अधिक विकास किया जायगा। साथ ही देश के विभिन्न भागो मे ९ सस्थायो डिग्री पाठ्यक्रम तथा २१ सस्थायो डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए और खुलेगी। टैक्नीकल शिक्षा की मात्रा मे विकास के साथ ही साथ उसकी उत्तमता मे भी वृद्धि की जायगी। छात्रवृत्तियो की सस्था ६३३ से बढ़ाकर ८०० करदी जायगी

तथा १६,३०० टैक्नीकल विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जायगी। इनके अतिरिक्त श्रम, रेलवे, लोहा व इस्पात इत्यादि मंत्रालयों के अन्तर्गत भी शिक्षण और प्रशिक्षण की नवीन व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। इन सभी प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप विद्यार्थियों की संख्या में ग्रेजुएटों की संख्या में दुगुनी अर्थात् ५,७०० तथा डिप्लोमा विद्यार्थियों की संख्या में तिगुनी अर्थात् ६,८०० की अभिवृद्धि आगामी पाँच वर्षों में हो जायगी। निम्नलिखित तालिका से स्थिति और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है।

पाठ्यक्रम	अनुमानित विद्यार्थियों की संख्या (१९६०-६१)
१ पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम तथा अनुसन्धान	५७०
२ प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम	७,५५०
३ डिप्लोमा पाठ्यक्रम	११,३००
४ जूनियर टैक्नीकल स्कूल	५,४००

अन्य योजनाएँ—उपर्युक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त द्वितीय आयोजन में शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है। इनमें सामाजिक शिक्षा, उच्च ग्रामीण शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण व उनकी दशा में सुधार, सांस्कृतिक कार्यक्रम व यूनेस्को से सम्पर्क तथा देश विदेश में अध्ययन करने के लिए कुछ विशेष छात्रवृत्तियाँ इत्यादि प्रमुख हैं।

सामाजिक शिक्षा के लिए साक्षरता कक्षाएँ खोलना, नवीन साहित्य की रचना कराना, अन्वय-दृश्य-शिक्षा का प्रचार तथा जनता कालेजों की स्थापना करना है। इस कार्य के लिए कुल १५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। अशिक्षितों के लिए शिक्षा प्रयत्नों को केवल साक्षरता तक ही सीमित नहीं रखा जायगा अपितु, उन्हें एक उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए स्वास्थ्य व सफाई, मनोरंजन, आर्थिक समस्याएँ तथा नागरिकता के अन्य उपकरणों की शिक्षा दी जायगी। १० करोड़ रुपये सामाजिक शिक्षा के लिए सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत भी रखा गया है।

उच्च ग्रामीण शिक्षा मे आयोजन कमीशन ने बहुत रुचि दिखलाई है । अभी हाल में जो उच्चतर ग्रामीण शिक्षा समिति (Higher Rural Education Committee) स्थापित की गई थी उसने ग्रामीण शिक्षा के प्रश्न को नये विरे से अध्ययन किया है । ग्रामीण इस्टीमेट स्थापित करने की सिफारिश की है । द्वितीय आयोजन काल में ऐसे १० इस्टीमेट स्थापित किये जायेंगे । इसके लिए २ करोड़ रुपया की अलग व्यवस्था की गई है ।

शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनकी दशा मे सुधार के महत्त्व को स्वीकार करते हुए कमीशन ने सारगर्भित सिफारिश की है ।† प्रशिक्षण के लिये १७ करोड़ रुपये की व्यवस्था है । इस काल में २१३ ट्रेनिंग स्कूल तथा ३० ट्रेनिंग कालेज स्थापित किये जायेंगे । द्वितीय आयोजन काल के अन्त तक आशा की जाती है कि माध्यमिक तथा प्राथमिक स्कूलो मे क्रमश ६६ व ७६ प्र० श० शिक्षक प्रशिक्षित होंगे । बेसिक शिक्षा के लिये ट्रेनिंग स्कूलो की सख्या ४४६ से बढ़ाकर ७२६ तथा बेसिक ट्रेनिंग कालेजो की सख्या ३३ से ७१ कर दी जायगी । एक राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा सस्था (The National Institute of Basic Education) भी स्थापित किया जा रहा है जहाँ अनुसन्धान कार्य होगा ।

शिक्षकों के वेतन क्रम मे सुधार करने के लिये कमीशन ने सिफारिश की है कि प्राथमिक शिक्षकों के वेतन बढ़ाये जाने की स्थिति मे कुछ समय तक केन्द्र सरकारो को कुछ अतिरिक्त व्यय का ५०% दे सकता है ।

सांस्कृतिक उत्थान के हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं का विकास, संस्कृत भाषा का पुनरोद्धार, साहित्य अकादमी, संगीत-नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी का विकास जिनकी स्थापना प्रथम आयोजन काल मे ही चुकी है तथा यूनेस्को के सम्पर्क से अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन किया जायगा ।

आलोचना—संक्षेप मे यह है द्वितीय पंचवर्षीय का आयोजन । इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि सरकार इस बात के लिये चिन्तित प्रतीत होती है कि देश

† "At all times the teacher is the pivot in the system of education. This is specially the case in a period of basic change and reorientation. There is general agreement that the teaching profession fails to attract a sufficient number of persons who adopt teaching as a vocation and that far too many persons work as teachers for short periods and then move on to other occupations. Improvement in the conditions of teachers, therefore, is an important desideratum of progress in education." Second Five Year Plan, 1956,

की बदलती हुई आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक स्थिति के अनुरूप ही देश की शिक्षा को भी ढाला जाय। भारत में आज आर्थिक आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को मूर्त रूप देने के लिए नवदीक्षित कारीगरों तथा अधिकारियों की आवश्यकता होगी। अतः यह उचित ही है कि टैकनीकल शिक्षा पर आयोजन में बहुत बल दिया गया है। इससे भारतीय शिक्षा के उस दोष के दूर होने में भी सहायता मिलेगी जिसके कारण यहाँ की शिक्षा केवल साहित्यिक प्रकार की हो थी। प्रथम आयोजन की तुलना में धनराशि में भी लगभग दुगुनी वृद्धि-शिक्षा के लिए कर दी गई है। नये स्कूल व कालेज खोलना, छात्रावासों का निर्माण, छात्रवृत्तियों की सुविधा तथा शिक्षा के सांस्कृतिक महत्त्व को स्वीकार करना आयोजन की अन्य विशेषता है।

किन्तु कुल मिलाकर देखने से प्रतीत होता है कि यह आयोजन बड़ा निराशाजनक है। एक प्रकार से आयोजन का जो अभिप्राय रूस, चीन, अमरीका तथा अन्य देशों में समझा जाता है, वह दुर्भाग्य से भारत में नहीं समझा गया। आयोजनहीनता ही इस आयोजन की विशेषता कही जा सकती है। कुछ और नये स्कूल खोल देना, कुछ नए भवनों का निर्माण करा देना, छात्रवृत्तियों की संख्या में कुछ वृद्धि कर देना तथा पूर्वस्थित कुछ अन्य ऐसी ही बातों में और वृद्धि कर देना ही यहाँ आयोजन माना गया है। इससे शिक्षा में पूव स्थित ढाँचे के ऊपर ही दो-चार ईंटे और रख दी गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोजकों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि क्या भारत की शिक्षा-पद्धति में किसी मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं, या पहिले की अपेक्षा कुछ अधिक रुपया व्यय कर देने से ही शिक्षा में 'प्लानिंग' को पूर्ण मान लिया जायगा। वस्तुतः यह बात निर्विवाद कही जा सकती है कि जिस वस्तु की भारत को आवश्यकता है वह है शिक्षा का देश व काल की परिवर्तित अवस्थाओं के अनुरूप आमूल परिवर्तन। पूर्व स्थिति को अक्षुण्ण बनाये रखना और देश की नवीन उमंगों व आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करना आयोजन कर सकने की अयोग्यता को स्वीकार न करने के समान है।

दूसरे, इस आयोजन में प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा का विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा के लिए निर्दय बलिदान कर दिया गया है। इधर ता सरकार देश में समाजवादी ढाँचे की स्थापना करना चाहती है। उधर प्राथमिक शिक्षा पर व्यय १३ करोड़ से घटा कर ८९ करोड़ कर दिया गया है। प्रथम आयोजन में शिक्षा पर की जाने वाली सम्पूर्ण धन राशि का ५५ प्र० श० प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया गया था जबकि द्वितीय आयोजन में यह २९ प्र० श० कर दिया गया। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में भी यह १३% से बढ़कर १६.५% किया गया

है जबकि विश्वविद्यालय के क्षेत्र में यह ८% से बढ़कर १८% कर दिया गया है। सबसे अधिक आश्चर्य व खेद की बात है कि प्रशासन पर यह खर्च पहिले आयोजन की अपेक्षा तिगुना कर दिया गया है। जहाँ प्रथम आयोजन में इस कार्य के लिये ११ करोड़ रुग्या रक्खा गया था, द्वितीय आयोजन में ५७ करोड़ रखा गया है अर्थात् कुल राशि में ६ प्र० श० से १८ प्र० श० तक वृद्धि की गई है। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि पंचवर्षीय आयोजन में प्रशासन के नाम पर जनता का वह धन जो कि प्राथमिक व माध्यमिक एव सामाजिक शिक्षा पर व्यय होना चाहिये था बड़े बड़े उच्च अधिकारियों की जेबों में चला जायगा।

प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से जब कि भारतीय संविधान तो चाहता है कि १९६१ तक १००% बालकों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलने लगे, किन्तु हमारे योजनाकार केवल ४९% तक ही पहुँच सकेंगे। इधर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर व्यय ५५% से घटा कर २९ प्र० श० कर दिया है। इसे ईमानदारी से न तो आयोजन ही कहा जा सकता है और न 'समाजवादी समाज' की स्थापना का प्रारूप ही।

शिक्षकों की दशा के सुधार तथा शिक्षा के प्रबन्ध के विषय में कमीशन के विचार अत्यन्त ही सकीर्ण हैं। प्राथमिक शिक्षकों को कुछ अस्थायी सहायता के प्रतिरिक्त माध्यमिक शिक्षकों के वेतन के विषय में कमीशन मौन रह गया है जबकि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस दिशा में शीघ्र ही कदम उठाये जाने की सिफारिश की है। शिक्षकों की दशा में सुधार तथा प्रबन्ध समितियों के सुधार के विषय में कमीशन ने कोई मौलिक योजना नहीं अपनाई।

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार जहाँ देश में केवल १६६ प्र० श० साक्षरता है वहाँ इस आयोजन में सामाजिक शिक्षा पर केवल ५ करोड़ रुपया अर्थात् कुल व्यय का १६% व्यय किया जायगा जबकि यही प्रतिशत प्रथम आयोजन में लगभग ३ प्र० श० था। जिस देश में घोर अज्ञान व निरक्षरता का साम्राज्य हो, जहाँ ६ करोड़ व्यक्तियों में ३० करोड़ अशिक्षा व अन्धकार में टटोल रहे हों, वहाँ नतन्त्र का एक महान् परीक्षण करने की बात सोचना न केवल हास्यास्पद ही अपितु खतरनाक भी है। इस पृष्ठ भूमि को समझ रखते हुए सामाजिक अथवा उच्च शिक्षा के लिये ५ करोड़ की धन राशि अत्यन्त तुच्छ है।

केवल टैक्नीकल व विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्रों को छोड़कर शिक्षा के न्य अग्रे के विषय में जो योजनाये व धनराशियाँ रखी गई हैं वे अत्यन्त ही अल्प। आयोजन के नाम पर पूर्व स्थिति को ही अक्षुण्ण बनाये रखने की कोशिश गई है। केवल यही सतोष की बात है कि किसी भी प्रकार शिक्षा में आयोजन

प्रारम्भ तो हुआ और देश शिक्षा के विकास की बात सोचने लगा । अन्यथा द्वितीय शिक्षा आयोजन को हम एक अत्यन्त निराशाजनक दस्तावेज कह सकते हैं ।

कुछ अन्य केन्द्रीय शिक्षा परीक्षण—यद्यपि राज्यों में शिक्षा का विकास राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, तथापि भारत सरकार ने भी इस दिशा में अपने कर्तव्य का अनुभव किया है और राज्य सरकारों के सहयोग से कुछ योजनायें शिक्षा के विकास व उत्थान के लिये कार्यान्वित की हैं । राष्ट्र की बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह अनिवार्य प्रतीत होता है कि देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास किया जाय । किन्तु देश में शिक्षा के विकास के लिये यह आवश्यक नहीं है कि किसी ऐसी नीति के विकसित होने तक शिक्षा के विकास को स्थगित रखा जाय । निदान इस बात को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के विकास के साथ ही साथ उसकी उत्तमता में वृद्धि करने के लिये भी भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से प्रथम पंचवर्षीय आयोजन के अन्तर्गत कुछ योजनायें चालू की थी । देश में शिक्षा का विकास हो रहा है किन्तु उसका स्तर गिरता जा रहा है । आकार में वृद्धि होने के साथ ही साथ गहराई में कमी आती जा रही है अतः गहराई को बढ़ाने की भी आवश्यकता है ।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कुछ चुनी हुई शिक्षा सस्थाओं को ले लिया जाता है और इनमें पूर्व चिन्तित व नियोजित शिक्षा-आयोजन (Projects) को लागू किया जाता है जिससे शिक्षा की श्रेष्ठता बढ़ सके । योजना कमीशन ने भी इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है ।†

प्रथम आयोजन काल में राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्र ने १४ आयोजन प्रारम्भ किये थे जो इस प्रकार हैं—

- १ चुने हुए क्षेत्रों में शिक्षा का सघन-विकास,
- २ (क) माध्यमिक शिक्षा में अनुसन्धान प्रायोजनों का उत्थान,
(ख) पब्लिक स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्तियाँ,
- ३ (क) श्रव्य-दृश्य शिक्षा के लिये विशेषज्ञों का प्रशिक्षण,
(ख) बालकों तथा प्रौढ़ों के लिये उपयुक्त साहित्य की सृष्टि,
(ग) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार,

† “The Central Government’s approach has, therefore, to be selective. Besides actively supporting Higher and Technical education and research, it can and should assist pilot projects, experiments in improved educational methods in different fields, production of suitable literature, training of selected personnel, translation of important works into Indian languages, promotion of the Federal language, etc. It can also assist in providing the educational base of projects for the intensive development of selected areas.”—Planning Commission

- ४ जुने हुए शिक्षा प्रयोग,
५. बाल अपराधियों के लिये अग्रिम-केन्द्र† स्थापित करना,
- ६ आयोजन स्वेच्छा सगठनों‡ को अनुदान,
७. युवक कल्याण,
- ८ अन्तर्राज्य विचारधारा की अभिवृद्धि,
- ९ राष्ट्रीय केन्द्रीय पुस्तकालय,
१०. राष्ट्रीय आधारीय शिक्षा केन्द्र,
- ११ केन्द्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसन्धान ब्यूरो,
- १२ व्यावसायिक व शैक्षिक मार्गदर्शन*
- १३ प्रौढ अन्वो के लिये केन्द्र, तथा
- १४ विभिन्न योजनाये ।

• इन सभी योजनाओं में प्रगति जारी है । इनमें से प्रमुख का उल्लेख अन्यत्र भी किया जा चुका है । प्रथम आयोजन काल में केन्द्र की ओर से जो अनुदान राज्य सरकारों को इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये दिये गये हैं वे द्वितीय आयोजन काल में भी जारी रखे जायेंगे और उनमें यथासम्भव वृद्धि भी की जायगी ।

भारतीय राष्ट्रीय कमीशन

भारत सरकार सन् १९४६ से ही यूनेस्को^१ की सदस्य है । यूनेस्को के विधान के अनुसार प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को यूनेस्को की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये एक राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना करनी होती है । यह कमीशन सरकार को देश में यूनेस्को की रूपरेखा के आधार पर शिक्षा, विज्ञान तथा सस्कृति के उत्थान के लिये सलाह देता है ।

भारत सरकार ने मार्च, १९४९ में एक अन्तरिम कमीशन की स्थापना करदी थी । १९५३ में इस कमीशन को स्थायी बना दिया गया ?^२ इसमें ११ सदस्य हैं । केन्द्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं ।

• † Pilot Centre for Juvenile Delinquency

‡ Voluntary Educational Organisation

* Vocational and Educational Guidance

1 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation

2 " the main purpose of setting up the National Commission was, on the one hand, to make Unesco conscious of the people's needs, and on the other, to make the people conscious of Unesco's functions and purposes " *Report of the Proceeding of the First Conference of the Indian National Commission for Co-operation with Unesco* p 7 (1954)

इस स्थायी 'भारतीय राष्ट्रीय कमीशन' का प्रथम सम्मेलन नई दिल्ली में ६ जनवरी से १४ जनवरी, १९५४ को हुआ था । इस सम्मेलन में अफगानिस्तान, लका, मिश्र, इन्डोनेशिया, ईरान, इराक, जापान, लेबनान, नेपाल, सीरिया तथा तुर्की के राष्ट्रीय कमीशनो के प्रतिनिधियो ने भी भाग लिया था । इस सम्मेलन में एशिया तथा अफ्रीका की शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी समस्याओ पर कई मूल्यवान व महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गये थे ।

इस कमीशन के शिक्षा प्रयत्नो के सम्बन्ध मे हम कह सकते हैं कि इसने प्रारम्भ से ही बड़े उत्साह से काय प्रारम्भ कर दिया है । यूनेस्को के द्वारा माँगी गई सभी शिक्षा सम्बन्धी सूचनाओ को भेजा गया है । भारत सरकार शीघ्र ही एक 'मौलिक शिक्षा का राष्ट्रीय केन्द्र'† स्थापित करने जा रही है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भारत सरकार मैसूर की राज्य सरकार के साथ मिल कर यूनेस्को के अन्तर्गत मैसूर में 'मौलिक शिक्षा' (Fundamental Education) मे विशेषज्ञी को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक केन्द्र खोल रही है । राष्ट्र सघ के सिद्धान्तो तथा मानव-अधिकार के मौलिक सिद्धान्तो का देश मे प्रचार करने का कार्य भी इसी कमीशन के अन्तर्गत है । साथ ही इस कमीशन के अन्तर्गत काका कालेकर की अध्यक्षता मे नियुक्त हुए 'शिक्षा-उप-कमीशन' ने भी गान्धी जी के विचारो का विश्व में प्रचार करने की दृष्टि से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ।

उपसंहार

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में आज शिक्षा उत्तरोत्तर प्रगति करती जा रही है । केन्द्र तथा राज्यो के अपने-अपने कार्यक्रम हैं । पूर्व बेसिक, जूनियर-बेसिक, सीनियर बेसिक या माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय सभी प्रकार की शिक्षा भारत की आधुनिक आवश्यकता के अनुरूप ढलती जा रही है । शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रवृत्तियाँ कार्यशील हैं वे अवश्य ही भावी भारत के निर्माण की दिशा में शुभ लक्षण हैं । इससे हमें यह न समझ लेना चाहिये कि हमारी शिक्षा निष्कलक है । वस्तुतः शिक्षा-प्रणाली मे जो प्रमुख दोष हैं, हमने पहिले ही यथास्थान उन पर प्रकाश डाल दिया है ।

शिक्षा का अधिकांश में पुस्तकीय होना, परीक्षाओ का प्रभुत्व, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के नियन्त्रण का प्रश्न, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा में समन्वय का अभाव, योग्य व प्रशिक्षित शिक्षको का अभाव, शिक्षण-प्रणाली का अधिकांश में प्रभावहीन व अमनोवैज्ञानिक होना, पाठ्यक्रम का विद्यार्थी के जीवन से सम्बन्ध न

भारतीय शिक्षा में नियोजन]

होना, अनाकर्षक व अपर्याप्त विद्यालय-भवन, अनुपयुक्त पाठ्य-पुस्तके और अन्त में शिक्षको की दुर्दशा इत्यादि भारतीय शिक्षा-प्रणाली के प्रमुख दोष हैं । अतः इन दोषों का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक है । आज भारत में एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का उन्मुक्त विकास करने के साथ ही साथ उसे देश की आर्थिक सम्पत्ति में अभिवृद्धि करने के भी उपयुक्त बनादे । उसकी शिक्षा जीवन के लिये, राष्ट्र के लिये एवं मानवता के भौतिक व अभौतिक कल्याण के लिये होनी चाहिये । भारतीय शिक्षा का भविष्य ही भारत का भविष्य है । यदि हमें देश में एक जनतन्त्र को सफल बनाना है और वर्गहीन व शोषण-विहीन समाजवादी समाज की स्थापना करनी है तो निस्संदेह इन सिद्धान्तों को हमें भारत की शिक्षा-प्रणाली में लागू करना होगा । जब तक प्राथमिक शिक्षक और विश्वविद्यालय शिक्षक के बीच में इतनी चौड़ी खाई रहेगी, हम समाज में से भी ऊँच और नीच का वर्गभेद नहीं मिटा सकेंगे । जब तक हमारे शिक्षक का शोषण होगा और वह दरिद्रता व अपमान का जीवन बितायेगा, हम देश में न तो शोषण हीन समाज की स्थापना कर सकते हैं और न राष्ट्र के भावी नागरिकों में आत्म-सम्मान व साहस की भावनाओं का संचार ही कर सकते हैं । “आज अधिकांश व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा इस प्रकार से ढाली जाय कि भारत का भावी नागरिक शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक रूप से एक सुदृढ व्यक्ति हो, जो कि एक स्वतन्त्र, जनतन्त्रीय तथा आत्म-निर्भर भारत का निर्माण कर सके और उसकी प्रतिभाओं का इस प्रकार विकास हो कि वह आधुनिक विश्व-क्रम में अपने महत्त्वपूर्ण कर्तव्य का पालन कर सके ।”†

† Munshi, K M, on *Future of Education in India*, p 24.
Publications Division (1954)

उत्तर प्रदेश में शिक्षा-प्रगति

(१९३७-५६ ई०)

भूमिका

उत्तर प्रदेश की सामान्य शिक्षा प्रगति का वर्णन प्रसंगानुसार पिछले अध्यायो में किया जा चुका है। इस अध्याय में हम इसका कुछ विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा का आन्दोलन बंगाल, मद्रास व बम्बई की अपेक्षा कुछ देर में प्रारम्भ हुआ, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी राज्य की स्थापना ही अपेक्षाकृत उन प्रान्तों के कुछ उपरान्त ही हुई थी। प्राचीन तथा मध्यकाल में तो यह प्रदेश शिक्षा का एक प्रमुख क्षेत्र रहा था। यद्यपि आधुनिक शिक्षा की प्रगति यहाँ १९ वीं शताब्दी के अन्तिम दशको में प्रारम्भ हो गई थी, तथापि इसकी वास्तविक प्रगति तो २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही हुई। इस शताब्दी के प्रथम तीन दशको में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ। औद्योगिक तथा टैक्निकल शिक्षा के लिए भी यहाँ शिक्षालय स्थापित हो चुके थे। सन् १९१३ ई० में 'पिगट कमेटी' के सुझावों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में सुधार किये गये। इसके अनुसार लड़कें तथा लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिए नवीन स्कूल खुले, पाठ्यक्रम में सुधार हुआ और उसे प्रान्त की आवश्यकताओं तथा वातावरण के अनुकूल बना दिया गया। सन् १९१९ ई० ने नगरपालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने के लिए कानून बना। १९२६ ई० में प्रान्तीय सरकार ने ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए जिला बोर्डों के लिए भी एक ऐसा ही कानून बनाया। सन् १९२७ ई० में उत्तर-प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन का सूत्रपात हो गया और इसके लिए प्रान्त में रात्रि-पाठशालाएँ खोली गईं। सन् १९२३ में 'वियर-समिति' की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे स्कूलों को भ्रग

करने की सिफारिश की गई, जो आर्थिक दृष्टि, योग्य अध्यापको, पर्याप्त सजा तथा उपयुक्त भवन की दृष्टि से दुर्बल थे। 'हर्टाग समिति' ने भी ऐसी ही रिपोर्ट की थी। अतः इसे लागू करके शिक्षा की श्रेष्ठता के सुधार पर जोर दिया गया। माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी प्रकार विभिन्न परिवर्तन हुये।

सन् १९३६ ई० में आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की पुनर्व्यवस्था के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सन् १९४८ ई० में प्रान्त के माध्यमिक स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित करने की योजना कार्यान्वित की गई। १९५३ ई० में पुनः एक दूसरी आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दी। विश्वविद्यालयों की दृष्टि से १९४८ में टॉम्सन इंजीनियरी कालेज रुड़की को एक विश्वविद्यालय का रूप दिया गया है। आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ के विश्वविद्यालयों के विधानों में संशोधन कर दिए गए हैं। साथ ही गोरखपुर में एक ग्राम्य-विश्वविद्यालय तथा बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशाओं में कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इसी प्रकार की प्रगति शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी हुई है। नीचे हम संक्षेप में सम्पूर्ण शिक्षा की प्रगति पर विचार करते हैं।

प्राथमिक व बेसिक शिक्षा

१९३७ ई० में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल की स्थापना के साथ ही 'वर्षा शिक्षा योजना' को लागू कर दिया गया जिसके अनुसार प्राथमिक स्कूलों में बेसिक शिक्षा को लागू करना प्रारम्भ कर दिया गया था। अगस्त, १९३८ ई० में ग्रेजुएट शिक्षकों को बेसिक शिक्षा-प्रणाली में प्रशिक्षण देने के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग कालेज की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के स्वावलम्बन वाले पक्ष को नहीं अपनाया गया यद्यपि विद्यार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री द्वारा कुछ आय की कल्पना अवश्य की गई थी। कला तथा उसके प्रयोगात्मक अंग को विशेष महत्त्व दिया गया और विषयों का समन्वय केवल हस्तकलाओं तक ही सीमित न रख कर विद्यार्थियों के सामाजिक वातावरण तक विस्तृत कर दिया गया। नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों द्वारा संचालित सभी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को तथा शिक्षा-विभाग के निरीक्षण अधिकारियों के लिए बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए 'रिफ़ेशर कोर्स' की व्यवस्था की गई। १९३६ ई० में आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने जो सिफारिशें प्राथमिक शिक्षा की पुनर्व्यवस्था तथा सुधार के लिए की थी, उनको सरकार ने कार्यान्वित करना प्रारम्भ किया ही था कि लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल ने त्याग-पत्र दे दिया। उसके उपरान्त युद्ध की कठिनाइयों के कारण सरकार ने शिक्षा-प्रकार पर अधिक ध्यान नहीं दिया। फलतः प्राथमिक शिक्षा के

विकास को इससे बड़ा आघात लगा। बेसिक-प्रणाली की भी ऐसी स्थिति में अधिक प्रगति नहीं हो सकी।

सन् १९४४ ई० में सार्जेंट योजना के प्रकाशित होने पर उसके आधार पर प्रान्त में पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक स्कूलों का विकास करने की योजना सरकार ने बनाई। प्राथमिक स्कूलों के लिये सार्जेंट योजना में भी बेसिक पद्धति की अपनाने की बात कही गई थी, किन्तु इस दृष्टि से वास्तविक प्रगति तो १९४६ में जाकर ही प्रारम्भ हुई जबकि केन्द्र में अन्तरिम सरकार तथा प्रान्तों में लोक-प्रिय मन्त्रिमण्डल बन गया। उसके उपरान्त १९४७ में भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा में और भी अधिक प्रगति हुई।

सन् १९४७ ई० में प्रदेश में स्कूल जाने योग्य बालकों की संख्या लगभग ५८ लाख थी जिनमें से केवल १५ लाख के लिए ही शिक्षा-व्यवस्था उपलब्ध थी। शेष ४३ लाख की प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करना था। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक स्कूल खोलने की योजना बनाई। प्रारम्भ में सरकार ने २,२०० स्कूल खोलने का निश्चय किया था जिसके अनुसार १० वर्ष के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के २,२०० गाँवों में एक स्कूल हो सके। १९४७ ई० में राज्य सरकार ने शिक्षा-विकास का एक पंचवर्षीय कार्यक्रम अपनाया। इसके अन्तर्गत उन्होंने ५ वर्ष के अन्तर्गत ही सम्पूर्ण स्कूलों के खोलने का निश्चय किया और तदनुसार प्रतिवर्ष ४,४०० स्कूल खोलने की योजना बनाई। किन्तु आर्थिक सकट तथा उचित नियोजन के अभाव में यह योजना केवल एक पवित्र आशा मात्र ही बनी रही। सन् १९४६ से १९५२ तक प्रदेश में १५००० हजार स्कूल खुल सके। १९५१-५२ में केवल ५५० तथा उसके उपरान्त १९५२-५३ में २५० तथा १९५३-५४ में केवल २२५ प्राथमिक स्कूल खोले जा सके। उसके उपरान्त अब उस योजना के अन्तर्गत नये प्राथमिक स्कूल खोलना बन्द हो गया है। इस समय प्रदेश में ३२००० प्राथमिक पाठशालाएँ हैं।

उत्तर प्रदेशीय सरकार ने स्थानीय बोर्डों के नियन्त्रण के अन्तर्गत स्कूल खोलने के अतिरिक्त लगभग ११,५५० राजकीय प्राथमिक स्कूल भी खोले थे, किन्तु इन्हें भी स्थानीय बोर्डों को हस्तान्तरित कर दिया। इस हस्तान्तरण का कारण आर्थिक तथा प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयाँ थी।

नगरों में प्राथमिक शिक्षा नगरपालिकाओं के अन्तर्गत चल रही है। अनिवार्यता की दृष्टि से सन्तोषजनक प्रगति रही। सन् १९४६ ई० में प्रदेश की १२० नगरपालिकाओं में से केवल २४ में ही प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी।

१९४८-४९ में ४३ तथा १९५३-५४ में ८६ नगरपालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करदी गई ।

इधर सरकार ने स्कूलों के लिए भवन-निर्माण के लिए भी अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया है । यह महत्त्वपूर्ण कार्य कुछ सरकारी अधिकारियों एवं सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा निर्मित एक समिति के सुपुर्द किया गया है । जिन गाँवों में नये स्कूलों की स्थापना की जाती है वहाँ के निवासियों को सवप्रथम एक स्वीकृति आकार का एक पाठशाला भवन निर्माण करना पड़ता है । राज्य की ओर से ऐसे प्रत्येक स्कूल के लिए १,०००) रु० का धन सहायना-अनुदान मिलता है । ग्रामीण जनता ने भी इस कार्य में श्रम दान इत्यादि के द्वारा कुछ सहयोग दिया है । इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

इन स्कूलों में अध्यापन कार्य करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता थी । अतः क्रमशः नार्मल स्कूलों की संख्या में वृद्धि करदी गई है । सन् १९४९ तक प्रत्येक जिले में एक नार्मल स्कूल स्थापित कर दिया गया था । प्रशिक्षित शिक्षकों की माँग की पूर्ति करने के लिए सरकार ने एक 'चल शिक्षक दल' भी प्रारम्भ किया था । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक दल की स्थापना करदी गई थी । इस दल में बेसिक शिक्षा प्राप्त ग्रेजुएट तथा बेसिक हस्तकला में दक्ष दो बी० टी० सी० सहायक अध्यापक होते थे । यह दल गाँवों के अध्यापकों को मनोविज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, कला व हस्तकला शारीरिक व्यायाम व अन्य सांस्कृतिककार्यों का प्रशिक्षण देता था । कुछ दिन तक तो यह योजना चली, किन्तु सफल न हो सकी । अतः अब इसे समाप्त कर दिया गया है ।

सरकार का ध्यान अध्यापक व अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की ओर अधिक है । इस दिशा में अगस्त १९५५ में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय किया गया था । प्राथमिक तथा बेसिक शिक्षकों की योग्यता में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक वर्ष के एच० टी० सी० तथा जे० टी० सी० पाठ्यक्रमों को दो वर्ष का कर दिया गया है ।

इस समय प्रदेश में ४३ राजकीय एच० टी० सी० कालेज लड़कों के लिए तथा ९ कालेज लड़कियों के लिए एवं ५ राजकीय जे० टी० सी० कालेज लड़कों के तथा १ कालेज लड़कियों के लिए विद्यमान हैं । इनके अतिरिक्त २० प्रायवेट संस्थाएँ भी हैं । द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन के अन्तर्गत १९६०-६१ तक ५१ नये एच० टी० सी० कालेज खोलने की व्यवस्था की गई है जिनमें १० लड़कियों के लिए भी होंगे । इसी प्रकार २० राजकीय जे० टी० सी० कालेज खोले जायेंगे जिनमें ५ लड़कियों के लिए होंगे । इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि जौलाई १९५६ से प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा १, २ व ३ में निशुल्क शिक्षा करदी जायगी, जौलाई १९५७ के सत्र से कक्षा ५ तक शिक्षा निशुल्क करने

का विचार किया जा रहा है। द्वितीय आयोजन काल में जूनियर हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा निशुल्क करने पर विचार किया जा रहा है। द्वितीय आयोजन के अन्त तक वर्तमान प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या ३२,००० से बढ़कर ३७,००० कर दी जायगी जिनमें १५,००० नये शिक्षकों की वृद्धि की जायगी।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजन के अन्तर्गत केन्द्रीय शासन की योजना क्रमांक १ के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी गहन-शिक्षा विकास (Integrated Educational Development) किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कालेज, जूनियर बैसिक ट्रेनिंग कालेज, आदर्श सामुदायिक केन्द्र, संगठन पुस्तकालय, जनता कालेज तथा चुनी हुई प्रारम्भिक पाठशालाये स्थापित की जा रही हैं।

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजनाएं

उत्तर प्रदेश सरकार ने जौलाई, १९५४ से प्राथमिक बैसिक शिक्षा के उपरान्त जूनियर हाई स्कूलों में 'शिक्षा पुनर्व्यवस्था' की योजना लागू की है। भारत एक कृषिप्रधान देश है। यहाँ सम्पूर्ण जनसंख्या की ६९४ प्र० श० केवल कृषि के द्वारा ही जीविका उत्पन्न करती है। अतः देश की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली, जिसमें बालको के पुस्तकीय ज्ञान तथा मानसिक उन्नति पर ही अधिक बल दिया जाता है, प्रायः देश के अधिकांश बालको के लिए अनुपयुक्त रहती है। जो कुछ भी ज्ञान बालक स्कूल में प्राप्त करता है वह उसके जीवन की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता है। किसी भी प्रकार के औद्योगिक आधार के अभाव में उसकी शिक्षा नितान्त अनुत्पादक रहती है। शिक्षितों में देशव्यापी बेकारी में हमारी इस पुस्तक-प्रधान शिक्षा-पद्धति का बहुत हाथ है। ऐसी स्थिति में शिक्षा-पद्धति में प्रत्यक्ष रूप से कृषि या उद्योगो व, हस्तकलाओं का शिक्षण एक विशेष महत्त्व रखता है।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर बैसिक शिक्षा पद्धति को शिक्षा का रूप सारे देश के लिये स्वीकार किया जा चुका है। अतः प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में अधिक साम्य उत्पन्न करने तथा प्राथमिक स्तर पर प्राप्त की हुई शिक्षा के आधार-भूत तत्वों को आगे भी जारी रखने के लिये यह आवश्यक है कि जूनियर हाईस्कूल स्तर पर भी ऐसी ही शिक्षा-पद्धति को जारी रखा जाय। जब भारत में एक जनतन्त्रीय व्यवस्था का परीक्षण किया जा रहा है, और देश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये विशाल विकास योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है तो नितान्त आवश्यक है कि हमारे युवकों को ऐसी ही शिक्षा दी जाय जो कि उनके सर्वाङ्गीण विकास के साथ ही साथ देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में भी सहायक हो।

* *Reorientation of Education Scheme*

इन्ही उद्देश्यों से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना को लागू किया है। क्योंकि कृषि ग्रामीण-जीवन का आधार है, अतः बालक की शिक्षा का केन्द्र कृषि ही रखा गया है। शिक्षा पुनर्व्यवस्था की यह योजना यद्यपि वर्तमान में जूनियर हाईस्कूलों में ही लागू की गई है, अन्यथा यह प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक सभी स्तरों पर लागू की जायगी। बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा ५ तक तो प्रदेश के बालक ६-११ की आयु तक किसी हस्तकला को केन्द्र मान कर शिक्षा प्राप्त करते ही हैं। अतः इस योजना को ११ वर्ष की आयु के उपरान्त किशोरों की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लागू किया जा रहा है। एक प्रकार से यह बेसिक शिक्षा को ही आगे बढ़ाने का एक कदम है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक जूनियर हाईस्कूल अथवा हायरसेकेंडरी स्कूल को ५ से १० एकड़ तक का एक फार्म बनाना होगा। यह भूमि इन स्कूलों ने गाँव वालों से दान में प्राप्त की है। जहाँ यह भूमि उपलब्ध न हो सकेगी अथवा जहाँ कृषि की अपेक्षा लोग हस्तकलाओं या किसी अन्य कुटीर उद्योग को करते हों और वह उनका प्रमुख उद्योग हो, तो वहाँ स्थानीय आवश्यकताओं और विशेषताओं के अनुसार वह हस्तकला या उद्योग ही शिक्षा का आधार होगा।

कृषि के अन्तर्गत पशुपालन, उद्यानकला तथा वन-विज्ञान भी सम्मिलित होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यानकला मधुमक्खी-पालन प्रधान विषय रखे गये हैं।

स्कूल का यह फार्म शिक्षक की सहायता तथा पथ प्रदर्शन में स्कूल के लड़कों द्वारा निर्मित किया जायगा। प्रत्येक बालक दिन में दो घंटे खेत पर कार्य करेगा। स्कूल ही विद्यार्थियों के लिये एक प्रमुख क्रिया-क्षेत्र होगा जहाँ वे शारीरिक श्रम, सामाजिक जीवन तथा स्वावलम्बन का पदार्थ पाठ पढ़ेंगे। इन फार्मों पर कृषि की आधुनिक विधियों का परीक्षण करके कृषि की जायगी, और गाँव वाले अन्य कृषकों को भी इन फार्मों पर प्रदर्शन करके, आधुनिक कृषि-विधियों को काम में लाने के लिये, प्रोत्साहित किया जा सकेगा। गाँव के बालक भी, जो कि आगे चल कर प्रायः कृषि करके जीविकोपार्जन करते हैं, प्रारम्भ से ही कृषि की उन्नत विधियों में प्रशिक्षण पा लेंगे।

प्रत्येक स्कूल निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सामाजिक जीवन का एक केन्द्र होगा। यहाँ प्रत्येक वस्तु का प्रबन्ध शिक्षक व विद्यार्थियों के पारस्परिक सहयोग के द्वारा किया जायगा। प्रत्यक्ष रूप से कृषि करने के अतिरिक्त विद्यार्थी स्कूल के चारों ओर उद्यान लगाने तथा उसे आकर्षक व स्वच्छ बनाने का कार्य भी अपने हाथों से करेंगे। कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों को मरम्मत इत्यादि के लिये एक छोटा

ग्रामीण लोगो की क्रियात्मक सहानुभूति के अतिरिक्त इस शिक्षा की प्रमुख घुरी के रूप में होगा 'शिक्षक' । वस्तुतः उसी के मार्ग-दर्शन व सगठन-शक्ति पर योजना की सफलता या असफलता निर्भर है । वैसे तो शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का महान् महत्त्व होता है, किन्तु इस शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना में उसका विशेष महत्त्व है । अपने विद्यार्थियों को कृषि की व्यावहारिक शिक्षा देने के अनिर्दिष्ट एक सामाजिक व पूर्ण जीवन के लिये उनके समक्ष आदर्श रखना तथा उस आदर्श की ओर अग्रसर होने के लिये प्रेरणा का संचार करना उसी शिक्षक का कार्य होगा । अतः इसके लिये यह भी आवश्यक होगा कि शिक्षक को न केवल कृषि, हस्तकला, उद्यानकला व पशु-पालन में स्वयं दक्ष ही होना चाहिये, अपितु इस व्यावसायिक ज्ञान के अतिरिक्त उसे स्कूल के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन को संचालित करके उसे योजना के आदर्शों के अनुरूप ढालने के लिये एक मार्ग-दर्शक व नेता का कार्य करना होगा । यह तब तक संभव नहीं हो सकेगा, जब तक कि शिक्षक इस कार्य को अपना एक पवित्र कर्तव्य व हेतु समझ कर अपने आपको बिना शर्त समर्पण नहीं कर देता ।

योजना की प्रगति

जौलाई, १९५४ ई० में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को सारे प्रदेश में लागू कर दिया था । लागू करने से पूर्व इस सम्बन्ध में १० जनवरी, १९५४ को लखनऊ में शिक्षा मन्त्री के सभापतित्व में एक सम्मेलन किया गया था जिसमें राज्य भर से जिला बोर्डों के अध्यक्ष, शिक्षा निरीक्षक तथा शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया था । तभी से इस दिशा में रचनात्मक कदम उठाये जा रहे हैं । राज्य के लगभग ३,००० जूनियर स्कूलों तथा हायर सैकेंडरी स्कूलों में यह योजना लागू की जा चुकी है । इस भूमि को गाँव वालों की सहायता से जोत और बो दिया जाता है । सरकार ने प्रारम्भिक आवश्यकता के कुछ औजार इन स्कूलों को दे दिये हैं । १९५५-५६ के बजट में ६०० स्कूलों को बैल दिये जाने की व्यवस्था की गई थी । प्रत्येक फार्म का क्षेत्र लगभग १० एकड़ रखा गया है । प्रारम्भिक कुछ महीनों के उपरान्त ही यह अनुभव किया जाने लगा था कि योजना क्रमशः न केवल स्वावलम्बी ही हो जायगी, अपितु कुछ लाभ भी प्रदान करने लगेगी । यहाँ तक कि फार्म पर कार्य करने वाले शिक्षक और विद्यार्थियों को कुछ पारिश्रमिक भी दे सकेगी ।

प्रदेश के २,०९४ पूर्व माध्यमिक विद्यालयों और ३५१ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्राप्त क्रमशः १९,८६९ एकड़ तथा ५,१५० एकड़ भूमि उपलब्ध हो सकी है । इस प्रकार २,४४५ स्कूलों में सन् १९५५-५६ तक कुल २५,०९९ एकड़ भूमि मिल चुकी थी । इस भूमि में १७ प्र० श० भूमि उत्तम कोटि की, २७ प्र० श०

सा क ऐसी भूमि जो दो फसलो मे उपयुक्त बनाई जा सकती है, ३६ प्र० श० निम्न श्रेणी लोहा की जो ४ फसलो मे सुघर सकती है तथा शेष २० प्र० श० भूमि ऐसी है जो मनुष्ययोगी कही जा सकती है। इन प्रकार कुल मिलाकर ४५ प्र० श० भूमि बना को अच्छी कोटि की तथा ३६ प्र० श० को सतोष जनक कहा जा सकता है। इस भूमि लिये में से ८० प्र० श० भूमि ऐसी है जो विद्यालय से १ मील के फासले के भीतर है क्रीडा तथा २० प्र० श० २ मील के भीतर है। इस भूमि की सिचाई के लिये नहर, तथा अभिनल कूपो की यथास्थान व्यवस्था की जा रही है। १६ विद्यालयों में नलकूपो से विद्य सिचाई की व्यवस्था अब तक की जा चुकी है। ४०० ऐसे विद्यालयों में सिचाई की लेने व्यवस्था इस वर्ष के अन्त तक हो जाने की सभावना है।

इस योजना के प्रारम्भ करते ही प्रसाराध्यापक तथा शिक्षा-विभाग के अन्य कर्मचारियों आने अपना अधिकांश समय भूमि के सर्वेक्षण, उसे तोड़ कर कृषि योग्य बनाने तथा हल, बैल, कुदाल, खुरपा व हँसिया इत्यादि कृषि-उपकरण जुटाने का प्रयत्न किया। गुण एक वर्ष के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत १,७४४ एकड़ ऊपर भूमि को कृषि जायोग्य बना डाला गया, और प्रथम वर्ष में ही २,२०,०५४ रु० की आय की।

हो। इसी वर्ष में प्रदेश के ३,०६७ पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में से २०६४ में भूमि किकी व्यवस्था हो गई थी उनमें से केवल २,००६ विद्यालयों में प्रसाराध्यापको की नियुक्ति हो की जा सकी। शेष विद्यालयों के लिये जहाँ भूमि नहीं मिल सकी यह निश्चय किया एंगया कि वहाँ कतार्ई-बुनाई, काष्ठकला, धातुकला, चर्मकला, रंगाई, छपाई तथा सार्दर्जींगीरी आदि उद्योग शिल्पो को कृषि का स्थान दिया जाय अर्थात् इन शिल्पो यांको पाठ्यक्रम का केन्द्रीय विषय बनाया जाय। इस निश्चय के अनुसार १६५५-५६ देमे ६८ पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिल्प शिक्षकों की व्यवस्था की गई। इसी पयोजना के अन्तर्गत प्रदेश के ४५ राजकीय दीक्षा विद्यालयो (बालक) तथा ६ हंबालिका दीक्षा विद्यालयो में शिल्प प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इन दीक्षा विद्यालयो में भी नवीन शिक्षको के पदो को सृष्टि की गई।

व योजना की अर्थव्यवस्था के लिये १६५४-५५ में ४१,३२००० रु० की अभावर्त्तक तथा ३० लाख रुपये की अनावर्त्तक धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी। इसमें से ५०० रु० प्रति जोडी के हिसाब से बैलो के लिये तथा ४००) रु० रहुँट लगाने के लिये अनुदान विद्यालयो को दिये गये। इसके अतिरिक्त नवीन व उपयुक्त साहित्य के सृजन तथा शिक्षको के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई। प्रशिक्षण के लिये बलिया, गोरखपुर, हरदोई, आगरा, भाँसी तथा प्रतापगढ में प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किये। पहाडी क्षेत्रो के लिये चौबटिया (रानीखेत) में भी एक केन्द्र खोला गया। साथ ही रद्रपुर, भीमताल व प्रतापगढ के कृषि फार्मों पर भी नव-निर्वाचित प्रसाराध्यापको के लिये खोले गये।

सन् १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में शासन ने ४९,४८,६०० रु० की आवर्तक तथा १२,४७,५०० रु० की अनावर्तक धनराशि अनुदान के रूप में पुनर्व्यवस्था योजना पर व्यय करने के निमित्त स्वीकार की थी। इसके अतिरिक्त मुख्य मन्त्री शिक्षा कोष मे ३०,८६,९८२ रु० की धनराशि भी योजना के सुरक्षित कोष के रूप में जमा है जिसका आवश्यकता पडने पर उपयोग किया जा सकता है।

जहाँ तक योजना के विषय में सलाह देने व नीतियों को निर्धारित व कार्यान्वित करने का प्रश्न है, राज्य मे एक 'राज्य शिक्षा परिषद्' की स्थापना की जा चुकी है। राज्य के मुख्य मन्त्रा इसके अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्री उपाध्यक्ष होंगे एवं अन्य सम्बन्धित मन्त्री अन्य सदस्यों के रूप मे रहेंगे।

जिला के स्तर पर भी प्रत्येक जिले में एक ऐसी ही 'जिला नियोजन समिति' बन गई है। यह समिति ही योजना को कार्यान्वित करने का दायित्व अपने ऊपर लेगी। जिलाधीश इसका अध्यक्ष तथा जिलाबोर्ड का अध्यक्ष इस समिति का उपाध्यक्ष होगा। साथ ही जिले के विधान सभाओं के सदस्य व योजना अधिकारी, कृषि अधिकारी तथा जिला शिक्षा निरीक्षक अन्य सदस्यों में होंगे।

इसी प्रकार गाँव के स्तर पर भी एक ऐसी ही परिषद् की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक स्कूल में स्थापित होने वाली इस परिषद् का अध्यक्ष होगा ग्रामसभा का प्रधान तथा अन्य किसान इसमे सदस्यों के रूप मे और प्रसार-शिक्षक इसका मन्त्री होगा। यह परिषद् ही इस बात का निर्णय करेगी कि खेत से उत्पन्न होने वाली धन-राशि किस प्रकार से व्यय की जाय।

श्रालोचना

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था की यह योजना उत्तर प्रदेश में अब एक जीवित सत्य व वास्तविकता के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि हमारी शिक्षा पद्धति के बहुत से दोषों को दूर करने, बालक क सर्वाङ्गीण विकास करने, देश की बेकारी समस्या को दूर करने, बालक को समाज का एक उत्पादक अंग बनाने, बालकों को शारीरिक श्रम का गौरव पाठ प्रदाने, जन तत्र व नेतृत्व का प्रशिक्षण देने और स्कूल व ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक प्रत्यक्ष सम्पर्क मे लाने में इस योजना को पर्याप्त सफलता मिलेगी। अपने स्वाभाविक व परम्परागत वातावरण मे बालक के ब्यक्तित्व का पूर्ण व समुचित विकास हो सकेगा। स्कूल में अपने हाथ से कार्य करता हुआ वह शारीरिक श्रम के महत्त्व व समझने के साथ ही साथ एक स्वस्थ व स्वावलम्बी नागरिक के रूप मे विकसित होगा। बहुधा यह देखा जाता है कि अधिकांश ग्रामीण बालक जूनियर हाई स्कूल पास के उपरान्त खेती मे लग जाते हैं। अब तक ऐसे बालकों को किसी प्रकार से कृ

का व्यावहारिक प्रशिक्षण न मिलने के कारण प्रायः वे भी जीवन में कृषि की पुरानी व परम्परागत विधियों का ही अनुसरण करते थे। किन्तु अब वे इन स्कूलों में पर्याप्त नवीन कृषि-विधियों में प्रशिक्षित होकर निकलेगे।

इसके अतिरिक्त इस योजना से एक महान् लाभ यह भी हुआ है कि गाँव की प्रायः ऐसी भूमि जो बिल्कुल बेकार या बजर पड़ी हुई थी, वह अपने शिक्षक के सहयोग से हमारे बालकों ने दिन रात श्रम करके उपजाऊ बनाली है, और भविष्य में आशा है वह और भी अधिक उपजाऊ करली जायगी। इस प्रकार बेकार भूमि को उत्पादक बनाकर राष्ट्रीय आय को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त हमारी आधुनिक शिक्षा-पद्धति का यह एक भयानक दोष रहा है कि हमारे नवयुवक गाँवों में शिक्षा पाकर नौकरी की खोज में नगरों की ओर भागा करते हैं और इस प्रकार गाँव योग्य व्यक्तियों के बिना ही रह जाते हैं। इस योजना का यह लाभ होगा कि हमारे नवयुवक प्रशिक्षण के उपरान्त गाँवों में कृषि की उन्नति करने में ही जुट जाँयेंगे। साथ ही योजना से आशिक रूप से शिक्षकों व छात्रों को आय होने की भी सम्भावना है। इससे राज्य के ऊपर से शिक्षा का भार हलका हो जायगा और इस बची हुई धनराशि को सरकार शिक्षा-सुधार के अन्य कार्यों के अपनाने में लगा सकेगी।

नवीन शिक्षा योजना का एक लाभ यह भी होगा कि स्थानीय जनता इन विद्यालयों के समीप आ जायगी और ये सस्थाये वास्तविक अर्थों में सामुदायिक केन्द्र बन सकेंगी। हमारे स्कूल ऐसे केन्द्रों के रूप में विकसित हो जाँयेंगे जो ग्रामीण सस्कृति, सामाजिक जीवन तथा आर्थिक उत्थान के आधार होंगे।

दोष—यहाँ तक तो रही योजना के गुणों की बात। इन गुणों की अपेक्षा-कृत इसे हम पूर्णतः निर्दोष भी नहीं कह सकते। इसके आलोचकों का कहना यह है कि इसके लागू होने से शिक्षा का सामान्य मानदण्ड गिर जायगा। लड़कें अधिकांश में खेती करने में लगे रहेंगे। इससे उनके अन्य विषयों की पढाई-लिखाई भली-भाँति न हो सकेगी। इसका परिणाम यह निकलेगा कि जब ये बालक नगरों में उच्च शिक्षा के लिये आवेंगे तो नगर के बालकों की अपेक्षा इनके सामान्य ज्ञान का स्तर बहुत नीचा होगा। इससे उच्च शिक्षा का मानदण्ड भी गिर जायगा। साथ ही स्वयं ये बालक भी उच्च पदों के लिये प्रतिस्पर्धा में नगर के बालकों की अपेक्षा बहुत पीछे रह जाँयेंगे। कुछ उप्रवादी तो यहाँ तक कहते हैं कि ग्रामीणों को सदा पिछड़ा हुआ रखने तथा उन्हें खेती करने तक के लिये ही सीमित रखने की यह सरकारी चाल है। इतना तो हम नहीं कह सकते, किन्तु यहाँ इतना अवश्य कह सकते हैं कि ग्रामीणों

बालको के जूनियर स्तर पर अधिकाश में कृषि मे ही लगे रहने पर उच्च शिक्षा का मानदण्ड अवश्य गिर जायगा। इतना ही नही समाज दो विभिन्न व स्पष्ट वर्गों में बँट जायगा और ऐसी स्थिति में वर्ग-विहीन समाज स्थापित करने की हमारी आशाओं पर तुषारापात हो जायगा।

दूसरे, गाँव वालो का कहना है कि यदि कृषि के लिये ही उन्हें अपने बालको को स्कूल भेजना है तो यह कार्य तो वे अपने घरों पर ही कर लेंगे। फिर स्कूल भेजने से क्या लाभ? वास्तव में यह तर्क बड़ा सारहीन है। देखा यह जाता है कि किसान स्वयं बड़ी ही प्राचीन व अवैज्ञानिक कृषि विधियों को अपनाते हैं, जबकि इन स्कूलों मे उन्नत व वैज्ञानिक विधि से कृषि करना सिखलाया जायगा। इसके अतिरिक्त भी कितने ऐसे बालक हैं जो स्कूलों में पढते हुये भी खेत पर अपने माँ बाप के कार्य मे हाथ बँटाने में गौरव समझते हैं? यहाँ तक देखा जाता है कि स्वयं माँ-बाप भी इस बात को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते हैं कि पढ-लिख कर भी उनका पुत्र खेती करे। इसे केवल एक दूषित व अप्रगतिशील मनोवृत्ति ही कहना चाहिए।

इसके अतिरिक्त अन्य दोष यह बताये जा रहे हैं कि योजना में पूर्वनियोजन का अभाव है। इसे भली भाँति समझाया नही गया है। यहाँ तक कि बहुत से उत्तरदायी जिला शिक्षा अधिकारी भी अपने आपको अन्धकार में समझते हैं और किसी एक स्पष्ट चित्र को उपस्थित करने में अपने को असमर्थ पाते है। यह बात पत्य है कि सरकार के प्रयत्न इस योजना को लोकप्रिय बनाने तथा इसका स्पष्ट चित्र उपस्थित करने में बड़े अघूरे व अपर्याप्त रहे हैं। योजना में पूर्व-नियोजन का अभाव इस बात से जाना जा सकता है कि जब इसे लागू किया गया, तो उसके बहुत दिनों बाद तक भी प्रसार-शिक्षको को यह नही मालूम हो पाया कि उन्हें क्या करना है? कहाँ से उन्हें बीज व औजार इत्यादि मिलेंगे? सरकार ने न तो बैलो की कोई व्यवस्था की और न सिंचाई की। यह बात कहना व्यर्थ है कि भारत जैसे देश में सिंचाई व हल-बैलो की व्यवस्था न करके नये तरीको से स्कूलों मे कृषि का प्रशिक्षण देने की कल्पना करना हास्यास्पद है। इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि शिक्षा अधिकारियों द्वारा 'शिक्षा कोष' के लिए बल-पूर्वक शिक्षको तथा विद्यार्थियों से रुपया वसूल किया गया। इससे ग्रामीण जनता का एक बड़ा भाग योजना के विरुद्ध हो गया है। कुछ ग्रामीण इसलिए भी विरुद्ध हो गये हैं कि जो भूमि स्कूलों को दे दी गई है, वह अब तक उनके पशुओं के चराने अथवा स्वयं उनके लिये धीरे-धीरे नौतोड करके कृषि योग्य बनाने के काम में आती

थी। अब वह लाभ जाता रहा। इसके साथ ही कुछ ग्रामीण यह भी डर रहे हैं कि चक्रवर्ती की योजना में स्कूल का फार्म स्कूल के निकट ही रखने की चेष्टा की जायगी और ऐसी स्थिति में सम्भवतः उनकी अच्छी भूमि छिन कर उन्हें बजर भूमि मिल जायगी। अन्त में यह भी देखा गया है कि प्रसार-अध्यापकों को भी अपने काय में अधिक रुचि नहीं है। अध्यापकों में ऐसे लोगों का चुनाव अधिक हो गया है जिन्होंने स्वयं कृषि का अध्ययन नहीं किया है। फिर वे कृषि का वैज्ञानिक प्रशिक्षण ३ माह की ट्रेनिंग पाकर ही किस प्रकार दे सकते हैं? नगरों से भर्ती किए हुये शिक्षक गाँवों में अपने को अकेला पाते हैं। उन्हें अभी तक ग्रामीणों का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो सका है।

उपर्युक्त सभी आलोचनाओं के निष्पक्ष अध्ययन से प्रतीत होता है कि जो दोष 'शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना' में बताये गये हैं वे इतने इस योजना के दोष नहीं हैं जितने कि उनको कार्यान्वित करने की प्रणाली के हैं। यदि भलीभाँति नियोजन किया जाय तो सम्भवतः प्रशासन सम्बन्धी सभी दोषों का निवारण किया जा सकता है। जहाँ तक गाँव वालों की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है उसे कदापि प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता। यदि भारत में जनतन्त्र को सफल होना है तो यहाँ के नागरिकों को उत्तरोत्तर इस बात के लिए सन्नद्ध होना पड़ेगा कि वे स्वाथ के समक्ष लोकहित को प्रथमता दे। इन सब बातों की अपेक्षाकृत भा. इम. महान् परीक्षण की प्रगति को शिक्षा-जगत् अभी कुछ समय तक बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखते हुए इसकी सफलता की प्रतीक्षा करेगा।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का विकास उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शासन काल में हुआ। इस शिक्षा का उद्देश्य मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को प्रदेश के कतिपय सरकारी या वैयक्तिक स्कूलों में शिक्षा देना था, जिससे कि स्कूल पास करने के उपरान्त वे लोग सरकारी कार्यालयों में क्लर्क इत्यादि का काय सभाल सकें। यथासम्भव माध्यमिक शिक्षा का लाभ थोड़े से थोड़े व्यक्तियों को ही दिया जाता था, जिससे बेकारी इत्यादि न फैलने पावे। कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में भी जाते थे। उत्तर प्रदेश में १९४८ ई० से पूर्व माध्यमिक शिक्षा कक्षा ८ से प्रारम्भ होती थी। १० वी कक्षा में विद्यार्थी हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त २ वर्ष तक इंटर कक्षाओं का अध्ययन करता था। सन् १९४८ में माध्यमिक शिक्षा कक्षा ९ से प्रारम्भ होने लगी। एक प्रकार से ६ वी कक्षा से ही जूनियर माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ हो जाती है। जो हो, इसका उल्लेख आगे किया जायगा।

सन् १९३७ ई० में प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़ने के कारण, माध्यमिक

स्कूलो की भी संख्या बढ़ने लगी थी। इधर शिक्षा-विशारदो का यह मत था कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा १२ वर्ष अध्ययन करने के उपरान्त भी विद्यार्थी को जीवन में अपने पैरो पर खड़ा होने के योग्य नहीं बना पाती। इसके उपरान्त विद्यार्थी के सम्मुख या तो कहीं पेट भरने के लिए क्लर्की इत्यादि मिलने का-अवसर मिल जाता है अथवा वह विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए प्रवेश करा लेता है, और अधिकांश विद्यार्थी तो उच्च अध्ययन को भी नौकरी मिलने अथवा आर्थिक कठिनाइयो के कारण छोड़ बैठते हैं।†

अतः माध्यमिक शिक्षा की पूरी जाँच करने तथा उसका पुनर्संगठन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने १९३६ में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इसकी सिफारिशों का विस्तृत बर्णन पीछे किया जा चुका है। इस समिति ने सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विषयों की विभिन्नता होनी चाहिये जिससे जीवन के प्रत्येक पक्ष में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मिल सके।

युद्धकाल में माध्यमिक शिक्षा को प्रदेश में कोई विशेष प्रोत्साहन न मिल सका। इतना ही नहीं कुछ सीमा तक स्थिति गिर ही गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा के आकार में आश्चर्य जनक वृद्धि हुई है। सन् १९४८ ई० में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना प्रदेश में लागू कर दी गई। इसके उपरान्त माध्यमिक शिक्षा का और भी अधिक प्रसार हुआ। नगरों की अपेक्षा गाँवों में इधर माध्यमिक शिक्षा का प्रसार अधिक हुआ है। आजकल ग्रामीण लोग हाई स्कूलों की स्थापना करा रहे हैं। जूनियर स्कूल उच्चतर माध्यमिक स्कूल बनते जा रहे हैं और इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा को उत्तर प्रदेश में पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता जा रहा है। इस प्रगति की तीव्रता की भाँकी हमें अगले पृष्ठ की तालिका से मिल सकती है —

इसी प्रकार परीक्षार्थियों की संख्या में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। सन् १९३७ में जब परीक्षार्थियों की संख्या १६,०९१ थी तो १९४७ में ४८,५२१ हो गई। यही संख्या १९५३ में २५६,४१६ हो गई। सन् १९५५ में यही संख्या

† "Secondary Education was merely regarded as subsidiary to University Education, it does not provide varied forms of training for life and employment to suit the varied interests and abilities of large numbers of pupils. The system must be a complete, self sufficient and integrated whole." The First Acharya Narendra Dec Committee Report (1939)

३ लाख से भी अधिक हो गई है। इसी प्रकार परीक्षा-केन्द्रों की संख्या सन् १९३७ में ४७३ से बढ़कर १९५४ में १०३४ हो गई है।

वर्ष	१९३७	१९४७	१९५३	१६ वर्ष में वृद्धि का प्र० श०
परीक्षा के लिये मान्यता-प्राप्त हाईस्कूलों की संख्या	२५४	५७०	१,०६८	४३२ प्र० श०
परीक्षा के लिये मान्यता-प्राप्त इंटर कालेजों की संख्या	४०	१६५	५३४	१,३३५ प्र० श०

सन् १९३७ से पूर्व हाईस्कूलों तथा इंटर कालेजों का अनुपात प्रति जिले में ६ था जबकि १९५३ में यही अनुपात ३२ हो गया। सन् १९५३-५४ में माध्यमिक स्कूलों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हुई। सरकारी तथा वैयक्तिक स्कूलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है।†

	सरकारी	वैयक्तिक	योग
हाई स्कूल लड़कों के लिये	७४	६३४	१,००८
लड़कियों के लिये	४२	१३२	१७४
योग	११६	१,०६६	१,१८२
इंटर कालेज लड़कों के लिये	३२	४६७	५२९
लड़कियों के लिये	१६	७३	८९
योग	४८	५४०	६१८

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना के अनुसार सरकार का यह आदेश था कि या तो हाईस्कूल को १२ वी कक्षा तक कक्षाएँ खोलकर पूरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो जाना चाहिये, अथवा केवल जूनियर हाईस्कूल ही रहना चाहिये। इस आदेश का परिणाम यह निकला कि प्रत्येक पूर्व-स्थित हाईस्कूल ११ व १२ वी

† Report of the Secondary Edu Reorganisation Committee U. P. (1953) p 12,

कक्षाओं के खोलने का प्रयत्न करने लगा । बहुत से मिडिल स्कूलो ने भी सोचा कि या तो उन्हें उच्चतर माध्यमिक हो जाना है, अथवा वे केवल जूनियर हाईस्कूल ही बने रह जायेंगे । इसका परिणाम यह हुआ कि इन स्कूलो में उच्च स्तर के लिये सरकारी मान्यता प्राप्त करने की एक भगदड़ मच गई । इससे शिक्षा का स्तर पर्याप्त गिर गया है ।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना

सन् १९४८ में उत्तर प्रदेश में एक नई माध्यमिक शिक्षा योजना को अपनाया गया । इसके अनुसार इसका ढाँचा इस प्रकार हो गया —

(१) जूनियर हाईस्कूल, जिनमें ६, ७ व ८ कक्षाये हैं ।

(२) उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जिनमें ९ से १२ तक कक्षाये हैं ।

जूनियर हाई स्कूल स्तर—प्रदेश मे पहिले दो प्रकार के जूनियर हाईस्कूल थे । (१) हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल और (२) ऐंग्लो हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल । सन् १९४८ मे जब माध्यमिक शिक्षा की योजना कार्यान्वित की गई, तो उसमे हिन्दुस्तानी और ऐंग्लो हिन्दुस्तानी शिक्षा का भेद मिटा दिया गया । फलत आज केवल एक ही प्रकार के जूनियर हाई स्कूल हैं और इनमे एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था है । पहिले हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल से ऐंग्लो हिन्दुस्तानी स्कूल में जाने के लिये दो वर्ष का समय लगता था । किन्तु अब विद्यार्थियो के ये दो वर्ष नष्ट नहीं होते । जूनियर हाई स्कूलो के लिये शिक्षक प्रस्तुत करने के उद्देश्य से १९४८ में जे० टी० सी० नामक एक नवीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया था और ८ राजकीय नामल स्कूल जूनियर ट्रेनिंग सस्थाओ मे परिवर्तित कर दिये गये । इसके अतिरिक्त कुछ वैयक्तिक सस्थाओ को भी जे० टी० सी० खोलने की अनुमति दे दी गई । पुराना सी० टी० पाठ्यक्रम लडको के लिये समाप्त कर दिया गया है ।

उच्चतर माध्यमिक स्तर—इस स्तर के अन्तर्गत ९, १०, ११ और १२ कक्षाएँ रखी गई हैं । इस योजना की प्रमुख विशेषता आचार्य नरेन्द्रदेव समिति (१९३९) की रिपोर्ट में निर्धारित चार विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना है । यह नितान्त आवश्यक था कि छात्रो की योग्यता के विभिन्न स्तरों और रुचियो के अनुसार उनके लिये पाठ्यक्रमो मे भी विविधता का सन्निवेश किया जाय ।

इस योजना के अनुसार पाठ्यक्रम के क, ख, ग, घ नामक चार वर्ग कर दिये गये, जिनमें क्रमश साहित्यिक, वैज्ञानिक, रचनात्मक और कलात्मक वर्ग सम्मिलित हैं । १० वी कक्षा के अन्त में शिक्षा-विभाग की ओर से परीक्षा होती है । लडकियो के लिये भी माध्यमिक शिक्षा लडको की सी ही रखी गई । केवल जूनियर स्तर पर लडकियो के लिए गृह-हस्तकला अनिवार्य कर दी गई, और उच्चतर स्तर पर गृह-

हस्तकला के अतिरिक्त संगीत, चित्रकला व मातृत्व-शिक्षा भी सम्मिलित कर दी गई ।

उपर्युक्त पाठ्यक्रम के विभिन्न वर्गों में से 'क' व 'ख' में तो पाठ्यक्रम पूर्ववत् ही है । 'ग' वर्ग सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है जिसमें टेक्नीकल व औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की गई । इसमें कृषि, वाणिज्य, चम-कार्य, पुस्तकला, धातुकला तथा औद्योगिक रसायन शास्त्र प्रमुख हैं ।

आलोचना

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त योजना के कारण जूनियर व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के स्तरों में एक तारतम्य स्थापित हो गया है । विभिन्न प्रकार की रुचि व प्रतिभाये रखने वाले छात्रों के लिए एक विस्तीर्ण व विविध प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था होने से प्रत्येक छात्र अपनी रुचि व आवश्यकतानुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम ले सकता है ।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में चला आने वाला एक प्रमुख दोष पुस्तकीय अध्ययन की प्रमुखता था । वह पर्याप्तत समाप्त हो सकेगा और इस प्रकार शिक्षा व्यावहारिक जीवन के अनुकूल बन जायगी । साथ ही अब विद्यार्थियों का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके विश्वविद्यालयों को भरना भी नहीं रहेगा । उच्चतर माध्यमिक स्तर अपने आप में एक पूर्ण-स्तर होगा जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त विद्यार्थी समाज का एक उत्पादक व स्वावलम्बी अंग बन सकेगा ।

किन्तु यह तो इसका सैद्धान्तिक स्वरूप रहा । वास्तव में जहाँ तक इसका व्यावहारिक पक्ष है, इसकी बड़ी कटु आलोचना हुई है और इसे प्रदेश में समर्थन नहीं मिल सका है । इसको कार्यान्वित करने में बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित हुई हैं ।

एक तो अधिकांश में विद्यार्थियों ने साहित्यिक वर्ग को ही अपने पाठ्यक्रम का विषय चुना । 'ग' वर्ग जिसे सम्पूर्ण योजना की कुजी बतलाया गया है वास्तव में देखा जाय तो इस योजना की सबसे बड़ी कमजोरी है । वैज्ञानिक वर्ग में स्थिति यथावत् ही रही है । इस वर्ग में प्रवेश बहुधा अधिक रहता ही है, किन्तु इसमें प्रवेश न मिलने पर ही विद्यार्थी रचनात्मक वर्ग में जाता है अथवा कलात्मक वर्ग को चुनता है । इन वर्गों में कुल विद्यार्थियों के केवल १० प्र० श० ही प्रवेश लेते हैं । वास्तव में इन विषयों में योग्य व प्रशिक्षित अध्यापक ही नहीं मिलते हैं । विशेषतः गाँवों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । दूसरी बात यह है कि इन विषयों के लिए जितनी सामग्री व सजा की आवश्यकता है वह अधिकांश में स्कूलों के पास नहीं है । और फिर दो वर्ष तक कोई भी हस्तकला या ललितकला स्कूल में सीख कर कोई भी

विद्यार्थी अपने ज्ञान को उनमे पूर्ण नही समझता है, और न उनकी समाप्ति पर उसे कही कोई घन्टा या नौकरी ही मिलती है । अत अधिकांश विद्यार्थी इन विषयो को नही लेते है ।†

इसके अतिरिक्त विषयो का विभाजन व उप-विभाजन 'प्रमुख' व 'सहायक' विषयो में कर दिया गया है । इससे विद्यार्थियो के मस्तिष्क मे बडी अस्पष्टता व उलझन उत्पन्न होती हे । इस विभाजन के कारण शिक्षको, प्रबन्धको और सरकार को भी कुछ शिक्षक व प्रशासन तथा वित्त सम्बन्धी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जातो है । वास्तव मे जब प्रमुख व सहायक (Main and Subsidiary) विषयो का विभाजन किया गया था, तब सरकार का उद्देश्य यह था कि प्रमुख विषयो पर अधिक बल दिया जाय, और जिस विद्यार्थी ने किसी विषय को यदि 'प्रमुख' करके लिया है तो वह उन विद्यार्थियो से भिन्न समझा जाय जिन्होने उस विषय को 'सहायक' विषय के रूप मे लिया है । किन्तु व्यवहार मे क्या हुआ ? क्या यह सम्भव हो सका कि किसी विषय को 'प्रमुख' करके लेने वाले विद्यार्थियो को उसका कोई विशेष शिक्षण दिया जा सका हो ? वास्तव मे ऐसा नही हो सका, क्योंकि आर्थिक अभाव मे स्कूलो के लिए यह बात सम्भव न हो सकी कि किसी विषय को 'प्रमुख' और 'सहायक' के रूप मे विद्यार्थियो के विभिन्न समूहो को पृथक्-पृथक् पढाया जा सके । दोनो ही प्रकार के विद्यार्थियो की कक्षा एक ही साथ लगती हे । इस प्रकार व्यवहार मे तो यह भेद बिल्कुल ही निर्मूल रहा । वास्तव में यदि योजना का पहले सरकारी स्कूलो अथवा आर्थिक दृष्टि से सुदृढ स्कूलो में परीक्षण करके देख लिया जाता तो अच्छा रहता । जाँच करने पर ज्ञात हुआ है कि सरकारी स्कूलो में भी स्थिति प्राय ऐसी ही है ।

सक्षेप में आचार्य नरेन्द्रदेव समिति की जाँच के आधार पर हम कह सकते है कि —‡

(१) योजना को पर्याप्त परीक्षण करने के उपरान्त नही चालू किया गया था,

† Cf "It is always doubtful if a student after passing the High-School or Intermediate examination with a main craft subject in the Constructive Group can earn his living No clear picture of the economic set up of the future as a whole has yet emerged and parents and boys cannot be blamed if they hesitate to take the grave risk of following a course which does not lead to assured employment "

Acharya Narendra Deo Committee Report, (1953 p 15

‡ Acharya Narendra Deo Committee Report, 1953, p 16.

- (२) इसे केवल आशिक सफ़रता मिली है,
- (३) इससे कार्य-प्रणाली तथा विद्यार्थियों को अपने प्रश्न-पत्र चुनने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई है,
- (४) विषयों का अनिवार्य, प्रमुख तथा सहायक के नाम से उप-विभाजन होने के कारण शिक्षण पर बुरा प्रभाव पडा है,
- (५) सामान्य ज्ञान (General Knowledge) जैसे विषय के अनिवार्य हो जाने का कोई लाभ नहीं हुआ है,
- (६) हिन्दी को 'प्रारम्भिक हिन्दी' के नाम से अनिवार्य विषय तो बना दिया गया है, किन्तु अन्य विषयों के साथ इसके अंक नहीं जोड़े जाते। इससे इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी को अधूरा समर्थन ही मिला है, तथा
- (७) इस योजना के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है कि विद्यार्थियों को उनके विषयों के चुनने में मार्ग-दर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। किन्तु इसको कार्यान्वित करने के लिए किसी ऐसी ठोस योजना का निर्माण नहीं किया गया है जिसके द्वारा सारे राज्य के स्कूलों में विद्यार्थियों की रुचियों के अनुसार मार्ग-दर्शन करके उन्हें सहायता दी जा सके।

उपर्युक्त सभी कारणों की वजह से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना सफल नहीं हो पा रही है। इधर स्कूलों की संख्या इतनी तीव्रता से बढ़ी है कि उससे शिक्षा का मानदण्ड पर्याप्त गिर गया है। एक तो शिक्षा के विस्तार के कारण अधिक प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता हुई। सरकार ने इस अभाव की पूर्ति के लिये विभिन्न प्राइवेट कालेजों में एल० टी० इत्यादि की कक्षाएँ खोल डालीं जहाँ से अर्ध-प्रशिक्षित शिक्षकों को बड़ी तेजी से निर्मित कर करके भेजा गया। ऐसे शिक्षकों के कारण शिक्षा का स्तर गिर गया। साथ ही ये स्कूल इतनी तेजी से बने कि उनकी आर्थिक स्थिति तथा अन्य साधन ठोस नहीं हो पाये। ऐसे स्कूलों में शिक्षकों को अल्प वेतन देना, वेतन देर से देना, प्रति वर्ष अनुभवी व पुराने शिक्षकों को निकाल कर कम वेतन पर नए शिक्षकों की नियुक्ति करना, स्कूलों में अच्छे पुस्तकालय तथा विज्ञान-सामग्री व उपयुक्त भवन इत्यादि का अभाव एव अविकाश में अयोग्य और कहीं-कहीं पर स्वयं निरक्षर लोगों के हाथों में प्रबन्ध के चले जाने से भी शिक्षा का स्तर पर्याप्त गिर गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ही नहीं, अपितु सारे देश में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सङ्क्रमण के साथ ही साथ शिक्षा भी एक सङ्क्रमण काल में होकर गुजर रही है। सम्पूर्ण समाज में आज गिरती हुई प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर

हो रही हैं। जीवन के मानदण्ड गिरते जा रहे हैं। आज हमारे सामान्य वर्ग के एक शिक्षार्थी व शिक्षक पर बहुत से भार आकर पड़ गये हैं। ये सभी बाधाये शिक्षा के मानदण्ड को गिराने में सहायक हो रही हैं। इधर कक्षा ३, ४ व ५ के हाई स्कूलों से हट जाने के कारण बहुत से अभिभावकों की यह मनोवृत्ति हो गई है कि वे अपने बच्चों को सीधा कक्षा ६ में प्रविष्ट कराते हैं, और अब तक उसे बिल्कुल प्रायवेट बनाकर ही रखते हैं। प्राथमिक स्कूलों में मानदण्ड पहिले से ही बेसिक-शिक्षा के नाम पर गिरा हुआ है। ये स्कूल उन अभिभावकों को उनके बच्चों की समुचित प्राथमिक शिक्षा के लिये सन्तुष्ट नहीं कर पाते। अत वे अपने बच्चों को सीधा छठवी कक्षा में ही प्रवेश कराते हैं। नगरो में प्राय ऐसा हो रहा है। इससे माध्यमिक शिक्षा के स्तर व मूल्य गिरते जा रहे हैं। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुभव किया कि यह आवश्यक है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की अवस्था की पुन जाँच हो और परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिस्थितियों की बदलती हुई स्थिति के अनुकूल ही माध्यमिक शिक्षा को भी ढाला जाय। अत मार्च, १९५२ में उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की प्रगति के परीक्षण तथा वाञ्छित विकास सम्बन्धी सुझाव देने के उद्देश्य से आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक दूसरी समिति की नियुक्ति की। समिति ने १९५३ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसकी सिफारिशों का वर्णन नीचे किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा पुनर्संज्ञगठन समिति (१९५३)

नियुक्ति—मार्च १९, १९५२ को एक सरकारी आदेश के द्वारा उत्तर-प्रदेश सरकार ने इस समिति की नियुक्ति की। आचार्य नरेन्द्रदेव इसके अध्यक्ष
नाये गये। अत इसको बहुधा आचार्य नरेन्द्रदेव समिति भी कहा जाता है। सन्
१९४८ से १९५२ तक प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की नवीन योजना के चलने के
उपरान्त यह अनुभव किया गया कि उस योजना की पुन जाँच की जाय और देखा
जाय कि उसे कहाँ तक सफलता मिली है तथा बदलती हुई परिस्थितियों में उस
योजना में क्या-क्या परिवर्तन आदि किये जा सकते हैं। अत इस समिति की
नियुक्ति की गई।

जाँच-क्षेत्र—(१) १९४८ में लागू होने वाली उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की जाँच करके यह देखना कि उसे कहाँ तक सफलता मिली है। (२) 'क' 'ख' 'ग' व 'घ' नामक पाठ्यक्रम के चारों वर्गों पर विचार करना। (३) यह देखना कि विद्यार्थियों ने अपनी रुचियों के अनुसार किस-किस पाठ्यक्रम को किस सीमा तक चुना है। (४) रचनात्मक व कलात्मक वर्गों की सफलता के विषय में जाँच करना और देखना कि वे कहाँ तक उपयोगी व पर्याप्त हैं तथा विभिन्न स्कूलों में उनके पढने की

कितनी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। (५) व्यावहारिक व औद्योगिक विषय लेने वाले विद्यार्थियों की रोजगार की समस्या कहा तक हल हो जाती है। (६) सुधार के उपाय बताना। (७) सामान्य शिक्षा व टेक्नीकल शिक्षा का समन्वय किस प्रकार हो सकता है।

आगे चलकर इस समिति का जाच-क्षेत्र और भी अधिक बढ़ा दिया गया और इसमें अवकाश व कार्य के घण्टों पर विचार, पाठ्य-पुस्तकों, परीक्षा तथा प्रबन्ध समितियों इत्यादि के विषय में भी सुझाव माँगे गये। साथ ही तत्कालीन शिक्षा मन्त्री श्री सम्पूर्णानन्द ने अपने एक भाषण में बोलते हुए समिति के काय-क्षेत्र को और भी अधिक विस्तीर्ण करते हुए उसमें इलाहबाद के मनोविज्ञान केन्द्र तथा गृह-विज्ञान कालेज, विद्यार्थियों के अनुशासन, धार्मिक व नैतिक शिक्षा तथा संस्कृत व अंग्रेजी का अनिवार्य विषयों की सूची में सम्मिलित करने इत्यादि के विषयों को भी सम्मिलित कर दिया।

समिति ने उपर्युक्त समस्याओं का अन्वयन करने के उपरान्त ८ मई, १९५३ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

सिफारिशें

- (१) हिन्दी के साथ संस्कृत को अनिवार्य कर दिया जाय। सामान्य ज्ञान को हटा दिया जाय। गणित प्रथम दो वर्षों में अनिवार्य विषय बना दिया जाय। ९ व १० कक्षा में ६ विषय-तथा ११ व १२ में ५ विषय पढाये जाय। प्रमुख तथा सहायक (Main and Subsidiary) उप-विभाजन को समाप्त कर दिया जाय। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का सुधार करने के लिये प्राथमिक, बेसिक तथा जूनियर हाईस्कूल के पाठ्य-क्रम में सुधार आवश्यक है।
- (२) सामान्य व टेक्नीकल शिक्षा में पर्याप्त समन्वय हो। टेक्नीकल स्कूलों को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ही द्रोणा चाहिए। ऐसे स्कूलों की स्थापना करने से पूर्व स्थान की भौगोलिक उपयुक्तता का ध्यान कर लेना चाहिये। यह शिक्षा निशुद्ध दी जानी चाहिये। टेक्नीकल शिक्षा देने वाले शिक्षकों के लिये ट्रेनिंग कालेजों का गठन होना चाहिये।
- (३) विषयों के चुनने में विद्यार्थियों का उचित मार्ग-दर्शन होना चाहिये और इसके लिये प्रत्येक जिले में मनोवैज्ञानिक केन्द्र की स्थापना होनी चाहिये। प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक शिक्षक को ऐसी ट्रेनिंग दी जाय कि वह बच्चों की मनोवैज्ञानिक जाँच ले सके।

वर्तमान प्रशिक्षण सस्थाओं के पाठ्यक्रम, मनोवैज्ञानिक-जाँच व मार्ग-दर्शन को अधिक महत्त्व देना चाहिये। प्रदेश में एक 'मनोवैज्ञानिक शिक्षा अनुसंधान परिषद' की स्थापना कर देनी चाहिये।

- (४) उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम में ६, १० व ११ कक्षाय सम्मिलित हों। १२ वी कक्षा को विश्वविद्यालय की डिग्री कक्षा में सम्मिलित करके उसका कोर्स भी तीन वर्ष का कर दिया जाय। ११ वी कक्षा के उपरान्त ही एक परीक्षा हो। १६ वर्ष से कम आयु वाला विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहिये। जूनियर स्तर पर आँबजैक्टिव-जाँच के अनुसार विद्यार्थियों की परीक्षा होनी चाहिये। परीक्षण के लिये लगभग १०० स्कूलों को चुनकर आँबजैक्टिव-जाँच प्रणाली को हाई स्कूल परीक्षा में भी प्रयोग किया जाना चाहिये।
- (५) इलाहाबाद का सरकारी मनोविज्ञान शिक्षा-केन्द्र जारी रहना चाहिए। साथ ही उसका सुधार भी आवश्यक है।
- (६) प्रत्येक स्कूल को वर्ष में २०० दिन अथवा ४०० बैठकों में पढाना चाहिए। २३५ दिन से अधिक कोई स्कूल नहीं खुलना चाहिए। वर्ष में ३१ दिन की विभिन्न स्वीकृति छुट्टियों के अतिरिक्त शीत व ग्रीष्म काल में क्रमशः पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में ६ या ७ सप्ताह का अवकाश मिलना चाहिये।
- (७) नैतिक तथा मानव शिक्षा हमारी शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण अंग होना चाहिए। विद्यार्थियों को सभी धर्मों के मौलिक सिद्धान्तों की शिक्षा दी जानी चाहिये। स्कूल कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कम से कम १० मिनट तक ईश प्रार्थना होनी चाहिये। समय-समय पर महापुरुषों के जीवन-चरित्र के विषय में स्कूलों में वार्ता होनी चाहिये।
- (८) अनुशासन सुधारने की दृष्टि से शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकों में अधिक पारस्परिक सम्पर्क होना चाहिए। प्रधानाध्यापक को अनुशासन सुधारने के लिये सभी अधिकार दे देने चाहिये। साथ ही विद्यार्थियों के मनोरंजन व शारीरिक शिक्षा इत्यादि की सुविधाओं की व्यवस्था के द्वारा भी अनुशासन में सुधार होना चाहिये। बुरे सिनेमा चित्रों का देखना १५ वर्ष से कम उम्र वाले

बालक-बालिकाओं के लिये निषिद्ध होना चाहिये । प्रत्येक स्कूल में एक रेडियो अवश्य हो ।

- (६) प्रबन्ध समितियों में सुधार करने के लिये समिति ने कहा कि जिन स्कूलों का प्रबन्ध खराब है, वहाँ प्रबन्ध-समिति को समाप्त करके सरकार को एक प्रशासक नियुक्त कर देना चाहिये । प्रत्येक सहायता प्राप्त स्कूल की प्रबन्ध समिति में प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित करना चाहिये । शिक्षकों को उनकी सीनियोरिटी व अनुभव के आधार पर क्रम के अनुसार (By Rotation) समिति में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । प्रबन्ध-समितियों के विधानों में उपयुक्त परिवर्तन हो जाना चाहिये । समितियों के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक १२ होनी चाहिये । शिक्षकों की नियुक्ति के लिये ५ सदस्यों की एक उप-समिति होनी चाहिये, जिसमें प्रधानाध्यापक अवश्य हो । शिक्षक की नियुक्ति के उपरान्त तत्काल ही इसकी सूचना जिला शिक्षा-निरीक्षक के पास पहुँच जानी चाहिये और उसकी स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिये । जो प्रबन्धक ऐसा न करे उसे तत्काल हटा देना चाहिये । शिक्षा-सहिता में उचित सशोधन हो जाना चाहिये । शिक्षक की नियुक्ति के चार माह के भीतर ही उसे सम्बन्ध-पत्र (Agreement Form) भर देना चाहिये । जो प्रबन्ध समितियाँ धर्म व जाति के आधार पर बनी हैं उनमें कम से कम ३ सदस्य अन्य धर्म या जाति के होने चाहिये । पंच फँसला बोर्ड (Arbitration Board) का फँसला अन्तिम माना जायगा, तथा २ माह के अन्तर्गत ही उस पर कार्यवाही होना आवश्यक है । ऐसा न करने पर स्कूल की अनुदान-सहायता में से शिक्षक को दी जाने वाली धन-राशि को काट लेना चाहिये, और यदि बोर्ड के फैसले के विरुद्ध किसी शिक्षक को नौकरी पर वापिस नहीं लिया जा रहा है, तो शिक्षा-विभाग को चाहिये कि वह स्कूल को मिलने वाले अनुदान में से प्रतिमाह रुपया काट कर उस शिक्षक को वेतन देता रहे । साथ ही स्कूलों को मिलने वाले अनुदानों में भी सरकार को उचित व उदार परिवर्तन या वृद्धि कर देनी चाहिए । विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए । साथ ही समिति ने शिक्षकों के वेतन व तबादिला सम्बन्धी बातों पर भी अपनी सिफारिशें कसके

उन्हे सुधारने के लिये सुझाव दिये है। तबादिला के लिये 'तबादिला बोर्ड' होना चाहिये।

- (१०) अन्त में पाठ्य-पुस्तको के सम्बन्ध में भी समिति ने अपने सुझाव दिये हैं। उनका मत है कि पाठ्य पुस्तको को स्वीकार करने की वर्तमान-विधि को तत्काल समाप्त कर देना चाहिये। कक्षा ६ से १२ तक कोई भी विशेष पाठ्य पुस्तक स्वीकार नहीं की जायगी। केवल विस्तृत पाठ्य-क्रम निर्धारित किया जायगा। उसी के अनुसार प्रज्ञानाध्यायक को विषय-शिक्षक की राय से कोई भी पुस्तक चुनने का पूर्ण-अधिकार होगा। केवल शिक्षा-विभाग कुछ सर्वोत्तम पुस्तको की सूची प्रकाशित कर देगा ताकि पुस्तको के चुनने में कुछ सहायता मिल सके। ये पुस्तके पाठ्यक्रम के अनुसार ही लिखो हुई होनी चाहिये।

समिति का मत है कि श्रेष्ठ पुस्तको की रचना व प्रकाशन के लिये इङ्ग्लैंड व अमरीका की भाँति विशेष सस्थाओ की स्थापना होनी चाहिये। कोई भी पुस्तक एक बार चुनी जाने के बाद कम से कम ३ वर्ष तक नहीं बदली जानी चाहिये। यदि पाठ्यक्रम मे परिवर्तन हो जाय तो बात दूसरी है। सरकार को चाहिये कि वह प्रसिद्ध व अनुभवी लेखको की लिखी हुई श्रेष्ठतम पुस्तके प्रत्येक विषय पर उपलब्ध करके बाजार में पहुँचावे। इसके लिये विभिन्न विषयो पर अच्छे लेखको से पुस्तके जमा करने के लिये कहा जाय और उनमें से सर्वश्रेष्ठ पुस्तको को चुना जाय। पुस्तको की छपाई व कागज इत्यादि की श्रेष्ठता पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। श्रेष्ठ लेखको को पारितोषक देकर प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। अन्त मे समिति का मत है कि स्वयं सरकार को पुस्तके नहीं छापनी चाहिये, 'क्योकि लेखको को अच्छे प्रकाशक मिलना कठिन नहीं होगा।'

आलोचना

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के विषय मे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण देश मे यह रिपोर्ट अपना एक ऐतिहासिक महत्त्व रखती है। वास्तव मे शिक्षा समस्याये सभी प्रान्तो मे प्राय एक सी ही हैं।

माध्यमिक शिक्षा के लगभग सभी पक्षो पर विचार करके समिति ने अपने व्यावहारिक सुझाव दिये हैं। पाठ्यक्रम के पूर्व-स्थित दोषो को दूर करने का प्रयास करके उसे विद्यार्थियो की रुचियो व आवश्यकताओ के अनुकूल बनाया गया है। टेक्नीकल शिक्षा को वास्तविक रूप से उपयोगी बनाने के सुझाव भी बड़े ठोस हैं। यह आवश्यक है कि विद्यार्थियो को उनके विषयो के चुनने मे पर्याप्त मार्ग दर्शन होना चाहिये तथा उनकी मनोबैज्ञानिक परीक्षा करके उनकी मानसिक क्षमताओ व रुचियो का पता लगाया जाय। वास्तव मे यह सुधार अत्यन्त आवश्यक है।

प्रबन्ध-समितियाँ उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के मस्तिष्क पर लगे हुए कलक हैं। उनका सुधार न केवल शिक्षकों के हित में ही, वरन् स्वयं शिक्षा के हित में अनिवार्य है। यह बात सर्वविदित है कि वंशगत प्रबन्ध-समितियाँ प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिराने तथा शिक्षकों के दुर्भाग्य के लिये अधिकांश में उत्तरदायी हैं। अन्त आचार्य नरेन्द्रदेव समिति के सुझाव प्रबन्ध समितियों के सुधार के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। अन्त में पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में फँसे हुए भ्रष्टाचार की ओर समिति का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक ही है। यह बात आज सभी जान गये हैं कि प्रकाशकों तथा शिक्षा बोर्ड के सदस्यों ने मिलकर इस क्षेत्र में एक अत्यन्त ही गन्दा वातावरण उत्पन्न कर रखा है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि आज स्कूलों में जो पाठ्य-पुस्तकें देखने को मिलती हैं वे अत्यन्त निम्नकोटि की, अशुद्धियों से भरी हुई तथा गन्दी छपाई की हैं। प्रकाशकों के पड्यत्रों के द्वारा वे प्रतिवृत्त बदल दी जाती हैं। इस प्रकार प्रदेश के निर्धन विद्यार्थियों पर प्रति वर्ष और भी अधिक व्यय लाद दिया जाता है। समिति की सिफारिशें इस दृष्टि से यद्यपि अधिक क्रान्तिकारी न होते हुए भी उपयोगी हैं।

उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त समिति के सुझावों में कुछ दोष भी हैं। उदाहरण के लिये पाठ्यक्रम में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' वर्गों के नाम से जो पाठ्यक्रम का वर्गीकरण सन् १९८८ में किया गया था वह यथावत् रखा गया है, जबकि स्वयं समिति की यह राय है कि उपर्युक्त वर्गीकरण में 'ग' व 'घ' अर्थात् रचनात्मक व कलात्मक वर्गों में कोई भी पर्याप्त शिक्षण नहीं दिया जा रहा है।

प्रबन्ध में सुधार की दृष्टि से भी समिति ने कोई अधिक मौलिक सुझाव नहीं दिये हैं। वास्तव में लगभग ये वही सुझाव हैं जो 'रघुकुल तिलक समिति' ने पहले ही देखे हैं। किन्तु उनका प्रबन्धको या सरकार ने पालन नहीं किया। शिक्षकों को समितियों में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। प्रबन्धको के विरोध करने पर स्वयं सरकार ही कच्ची पड़ गई और इस अति वाञ्छनीय सुधार को टाल दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या आशा की जा सकती है कि आचार्य नरेन्द्रदेव समिति के द्वारा करने पर उसी सिफारिश को सरकार कार्यान्वित करेगी? जहाँ तक 'पञ्च-फैसला बोर्ड' का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में यह बोर्ड अब तक बिल्कुल निकम्मा सिद्ध हुआ है और शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करने में पूर्णतः असफल रहा है। इसके निर्णयों को प्रबन्धक लोग सरलता से टाल देते हैं। समिति ने इसके निर्णयों को अनिवाद्य बनाने की जो सिफारिशें की हैं वे अपर्याप्त हैं।

साथ ही समिति ने शिक्षकों के वेतन के सुधार के विषय में एक शब्द भी नहीं कहा है। उसने यह मान लिया प्रतीत होता है कि सभवत यह बात

उसके जाँच-क्षेत्र से बाहर है। वस्तुन यह सुधार सभी सुधारों की आधार शिला है। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों और प्रायवेट स्कूलों के शिक्षकों के वेतन क्रमों में एक ही प्रकार के कार्य करने पर भी अन्तर होना, न केवल अत्यन्त अनुचित ही है, अपितु भारत के सविधान की आत्मा के प्रतिकूल भी है। समिति ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। इतना ही नहीं इधर तो समिति चाहती है कि हस्तकलाओं तथा टेक्नीकल शिक्षा का प्रसार व सुधार हो, उधर आर्ट व क्राफ्ट के शिक्षकों के निम्न वेतन-क्रमों की ओर उसका ध्यान भी नहीं गया है। जब उपर्युक्त विषय हाईस्कूल कक्षाओं में पढाये जाते हैं और सगीत, संस्कृत तथा हिन्दी के शिक्षकों को ट्रेन्ड ग्रेजुएट का ग्रेड मिला हुआ है तो फिर आर्ट व क्राफ्ट के शिक्षकों को भी वही वेतन क्रम न देने से हम किस प्रकार से हस्तकलाओं की उन्नति की बात सोच सकते हैं? वास्तव में यह हास्यास्पद है।

निरीक्षण व नियन्त्रण की दृष्टि से भी समिति ने निरीक्षण विभाग में फौलो हुई अक्षमता व सुस्ती और रिश्वतखोरी के विषय में भी कुछ भी नहीं कहा है। यह बात निर्भय होकर कही जा सकती है कि हमारे अधिकांश जिला शिक्षा निरीक्षक शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहे हैं। उनमें से अधिकांश तो स्कूल-मैनेजरो के प्रति कृतज्ञ रहते हैं और उनके लिये निरीक्षकों का आखेट करने में सम्भवतः कभी सुस्ती नहीं दिखाते। उधर प्रबन्धक लोग इतने सर्वशक्तिमान बने हुए हैं कि कभी कभी निरीक्षकों के आदेशों की पत्राह तक नहीं करते। ऐसी स्थिति में हम माध्यमिक शिक्षा के सुधार की कल्पना तक नहीं कर सकते।

अन्त में पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में जो सुझाव समिति ने दिये हैं वे भी मूलतः पूर्व-स्थिति प्रणाली से कोई खास भिन्न नहीं हैं। पुस्तकों के विषय में प्रधानाध्यापक को सम्पूर्ण अधिकार देने से उसके दुरुपयोग की सम्भावना है। प्रकाशक लोग इस दृष्टि से प्रधानाध्यापकों को उचित व अनुचित रूप से प्रभावित करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। दूसरे, शिक्षा विभाग के द्वारा जो अच्छी पुस्तकों की सूची प्रकाशित की जायगी उसमें भी प्रकाशकों का प्रभाव काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त समिति का यह कहना कि सरकार को पुस्तकों छापने का कार्य नहीं लेना चाहिए क्योंकि "लेखकों को अच्छे प्रकाशक मिलना कठिन नहीं है" वास्तव में वास्तविकता को ठुकरा देना है। शिक्षा जैसे आवश्यक व बुनियादी महत्त्व के विषय में पूँजीवाद को खुली छूट देने के बड़े भयकर परिणाम हो सकते हैं। लेखकों को प्रच्छेद प्रकाशक मिलना आज बड़ा कठिन हो रहा है जबकि प्रत्येक पुस्तक-विक्रेता एक प्रकाशक बन बैठा है। पाठ्य-पुस्तकों के छापने का उत्तरदायित्व क्रमशः अवश्य ही सरकार तक सीमित रखा जाना चाहिये और इनका राष्ट्रीकरण कर देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त समिति ने उन तथा कथित पुस्तकों के विरोध में कुछ नहीं कहा है जो विभिन्न प्रकार के नोट्स, प्रश्न उत्तर तथा अन्य इसी प्रकार के सस्ते व व्यर्थ साहित्य के रूप में शिक्षा के मानदण्ड को गिरा रही ।

इन सभी दोषों की अपेक्षाकृत भी समिति के सुभाव अत्यन्त मूल्यवान् व व्यावहारिक हैं । उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि शीघ्रातिशीघ्र उन्हें कर्यान्वित करे ।

शिक्षकों की दशा में सुधार

किसी भी शिक्षा योजना की सफलता तथा राष्ट्र का निर्माण शिक्षकों का उत्तरदायित्व है । अतः इस उद्देश्य के लिए पूर्ण प्रशिक्षित सन्तुष्ट तथा स्वस्थ व योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है । शिक्षक के लिए प्रशिक्षण उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन । एक से उसके मस्तिष्क का पोषण होता है तो दूसरे से शरीर का । शिक्षक को निम्नकोटि की आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त रखना एक बड़ी दूरदर्शिता है ।

उत्तर-प्रदेश में शिक्षकों की दशा को सुधारने का कुछ प्रयत्न किया गया है । प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों के वेतन-क्रम में सन् १९४७ ई० में परिवर्तन करने उन्हें सुधारने की चेष्टा की गई थी । माध्यमिक शिक्षालयों में शिक्षकों का वर्तमान वेतन क्रम इस प्रकार है —

	गैर-सरकारी स्कूल	सरकारी स्कूल
१ एम ए, एम एस सी तथा एम कौम (इण्टर कक्षा के लिये)	१५०-१०-३००	२००-१५-४५० रु०
२ ट्रेन्ड ग्रेजुएट	१२०-६-१६६-८-२०० रु०	१२०-८-२००-३०० रु०
३ ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट	७५-१२० रु०	७५-२०० रु०
४ मैट्रिक्युलेट	५० ८० रु०	

इनके अतिरिक्त भी कई अन्य श्रेणियाँ हैं जैसे जे० टी० सी० इत्यादि । हाई-स्कूल उत्तीर्ण एक जे० टी० सी० को ६०) रु० से प्रारम्भ होता है । अदीक्षित ग्रेजुएट को ८०) रु० मिलते हैं ।

यहाँ जो एक बात विशेष उल्लेखनीय है, वह है सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षकों के वेतन-क्रम में भेद रखना । यह व्यवहार, न्याय, सत्य तथा भारतीय सविधान के अनुसार भी अनुचित है । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मँहगाई के प्रश्न को लेकर भी माध्यमिक शिक्षकों में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है । उनका कहना है कि गैर-सरकारी हाई स्कूलों में मँहगाई के लिये कोई नियम नहीं है, और शिक्षक

३) २० से ५) २० तक विभिन्न स्कूलों में मँहगाई पाते हैं, किन्तु सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ३०) २० से ३५) २० इस रूप में दिये जाते हैं । इस विषय में अनौचित्य का और अनौचित्य का निराकरण प्रस्तुत पुस्तक के क्षेत्र से बाहर की वस्तु है । इतना अवश्य है कि शिक्षकों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है ।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इस प्रान्त में अच्छी व्यवस्था है, यद्यपि इसमें कई सुधारों की आवश्यकता है । इन सुधारों के रूप की ओर सकेत करना इस पुस्तक का उद्देश्य नहीं । ट्रेनिंग कालेजों की संख्या में इधर अच्छी प्रगति हुई है । प्रारम्भ में ग्रेजुएट अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए केवल दो कालेज थी । इलाहाबाद इनमें प्रमुख था । बनारस तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालयों में बी० टी० कक्षाएँ थी । लखनऊ में स्त्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी । साथ ही ३ सी० टी० के कालेज भी थे । किन्तु भारत के स्वतन्त्र होने के उपरान्त सम्पूर्ण शिक्षा विकास के साथ ही उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करना आवश्यक हो गया । सन् १९४६-४७ ई० में दो सी० टी० ट्रेनिंग कालेज लड़को के लिये तथा दो महिलाओं के लिये खुले । सन् १९४७-४८ ई० में कुछ डिग्री कालेजों में एल० टी० तथा बी० टी० कक्षाएँ खुल गईं । इनमें कानपुर, लखनऊ, प्रयाग, फतेहपुर, मेरठ, दयालबाग आगरा, (स्त्रियों के लिये) प्रमुख हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने एल० टी० के पाठ्यक्रम तथा ट्रेनिंग कालेजों की दशा में सुधार करने के उद्देश्य से एक समिति नियुक्त की थी । उसकी सिफारिशों के फलस्वरूप पाठ्यक्रम में बहुत से परिवर्तन करके उसके स्तर को उठा दिया गया है । प्रदेश में ट्रेनिंग कालेजों की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ गई थी, अतः उनमें से लगभग ६ कालेज तोड़ भी दिये गये हैं । ट्रेनिंग कालेजों के पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार अब छात्राध्यापकों के लिए सामूहिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है । इसके अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न विषयों के साथ ही साथ कृषि, सिंचाई, स्वच्छता, खाद के गड्डे तैयार करना, सबको, गलियों तथा नालियों का निर्माण, मलेरिया निवारक प्रयास, पौधों तथा खेतों का कीड़ों से संरक्षण तथा गाँवों में विविध उत्सवों के आयोजन इत्यादि विषयों की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है । इस कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी दस-पन्द्रह की टोलियों में एक अध्यापक के साथ गाँवों में जाते हैं और वहाँ एकाध सप्ताह ठहर कर ग्रामीणों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आते हैं और उपर्युक्त कार्यक्रम को पूरा करते हैं । अध्यापिकाओं के लिए भी लगभग ऐसा ही पाठ्यक्रम है ।

सन् १९४८ ई० में तीन सी० टी० कालेज तथा ४ एल० टी० कालेज और स्वीकृत हुए और मथुरा तथा खुर्जा में भी एल० टी० की व्यवस्था हो गई । इस प्रकार

सन् १९५१-५२ ई० में ट्रेनिंग कालेजों की संख्या ३१ (२४ पुरुषों को और ७ महिलाओं को) थी, तथा ८० ट्रेनिंग स्कूल (५६ पुरुषों के लिये तथा २४ महिलाओं के लिये) और खुल गये । सन् १९५१ ई० में १५,६०० शिक्षक नामल तथा ११०० शिक्षक एल० टी० की परीक्षा में बैठे । इसके उपरान्त लड़कों के लिये सी० टी० ट्रेनिंग तोड़ दी गई और उसके स्थान पर अनेक ज० टी० सी० के स्कूल खोले गये । इसके अतिरिक्त बी० टी० तथा बी० एड० की परीक्षाएँ भी विभिन्न विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित हो रही हैं । इलाहाबाद, लखनऊ तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालयों में एम० एड० की भी व्यवस्था है ।

इन सभी प्रगतियों के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन की बात भी राजकीय स्तर पर पुनः सोची जाने लगी है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मई, १९५६ ई० में उत्तर प्रदेशीय सरकार ने ८ विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित कर दी है । यह समिति केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्संगठन पर विचार करेगी । समिति विशेष रूप से इस बात पर विचार करेगी कि मेट्रिक परीक्षा ११ वीं कक्षा के अन्त में ली जाय अथवा नहीं और इसके उपरान्त ३ वर्ष का त्रि-पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाय अथवा नहीं । अब तक व्यावहारिक रूप से आर्थिक कठिनाइयों के कारण प्रदेशीय सरकार ने इस प्रश्न का विरोध किया था । पर अब इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है ।

यह समिति निम्नलिखित ४ बातों पर अपनी रिपोर्ट देगी ।

- (१) उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा कमीशन की सिफारिशों को जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत किया है, लागू किया जाय अथवा नहीं,
- (२) सामान्य ढाँचे, पाठ्यक्रम, स्टाफ तथा शैक्षिक मानदण्ड में किस प्रकार के परिवर्तन किये जाय,
- (३) इन्टरमीडियेट शिक्षा एकट तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के एकटों व उपनियमों में परिवर्तन करने के लिए विधानसभा द्वारा क्या कार्यवाही की जाय, तथा
- (४) माध्यमिक तथा उच्च-स्तरीय पर यदि उपर्युक्त परिवर्तन किये जाय तो उसके लिये कितने आर्थिक साधन जुटाने पड़ेंगे ।

विशेष संस्थाएँ

इधर प्रदेश में शिक्षा सम्बन्धी कुछ विशेष संस्थाओं की स्थापना भी की जा चुकी है । इनमें मनोवैज्ञानिक केन्द्र, इलाहाबाद †, शिक्षा विज्ञान केन्द्र, इलाहाबाद *,

† The Psychological Bureau, Allahabad,

* The Pedagogical Institute, Allahabad.

रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ *, शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय लखनऊ। तथा नर्सरी ट्रेनिंग कालेज इलाहाबाद प्रमुख हैं। मनोवैज्ञानिक केन्द्र की स्थापना प्रथम आचार्य नरेन्द्रदेव समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। अपनी-अपनी योग्यता व रुचि भेद के अनुसार शिक्षा के विविध पाठ्यक्रमों का ग्रहण करने की दिशा में विद्यार्थियों के उचित मार्ग-दर्शन की दृष्टि से इस संस्था की अत्यन्त आवश्यकता थी। अतः १९४७ में इसकी स्थापना कर दी गई। मार्च १९५२ में मेरठ, बनारस, लखनऊ, कानपुर और बरेली इन पाँचों स्थानों में इसके क्षेत्रीय-केन्द्रों की स्थापना कर दी गई। भविष्य में प्रत्येक जिले में ऐसे ही केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

इस केन्द्र में विभिन्न विधियों द्वारा विद्यार्थियों की बुद्धि तथा रुचियों की परीक्षा लेकर उन्हें शिक्षा, पाठ्यक्रम तथा व्यवसायों के चुनने में सहायता दी जाती है।

शिक्षा-विज्ञान केन्द्र नामक संस्था भी इलाहाबाद में १९४८ में स्थापित की गई थी। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, शिक्षा-क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की जाँच करना तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये नये-नये प्रयोग करना इस संस्था का कर्त्तव्य है। इस संस्था ने विभिन्न विषयों पर प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तकें भी तैयार की हैं।

इनके अतिरिक्त इलाहाबाद में जूलाई, १९५१ में एक नर्सरी ट्रेनिंग कालेज की स्थापना की जा चुकी है। यद्यपि राज्य में सरकार के अन्तर्गत एक भी उल्लेखनीय नर्सरी या मान्तेसरी स्कूल नहीं है, तथापि कुछ वैयक्तिक स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसे स्कूलों में काम करने के लिये प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति करने के उद्देश्य से ही यह संस्था खोली गई है। इसमें अडर ग्रेजुएट छात्राएँ प्रवेश पाती हैं और दो वर्ष का पाठ्यक्रम समाप्त करने के उपरान्त उन्हें सी० टी० का प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

इनके अतिरिक्त लखनऊ में रचनात्मक प्रशिक्षण कालेज तथा शारीरिक शिक्षा कालेज हैं। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बहुमुखी पाठ्यक्रम की योजना को कार्यान्वित करने तथा रचनात्मक वर्ग के विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए १९४८ में एक रचनात्मक प्रशिक्षण कालेज खोला गया था। अब कई वर्षों से यह लखनऊ में आ गया है। शिक्षकों को विभिन्न हस्तकलाओं में प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त इसमें एक उत्पादन केन्द्र भी है जिसका उद्देश्य व्यावसायिक है। शारीरिक प्रशिक्षण कालेज में ग्रेजुएट तथा अडर ग्रेजुएट पुरुष व स्त्री शिक्षकों को शारीरिक शिक्षण के

* The Constructive Training College, Lucknow

† The Physical Training College, Lucknow

विषय में दीक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर विभिन्न शारीरिक व्यायामों के साथ ही साथ लाठी प्रयोग, लोक नृत्य तथा तैरने इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

शिक्षा की अन्य योजनाओं में हम समाज-सेवा तथा सैनिक शिक्षा को भी सम्मिलित कर सकते हैं। अब ये दोनों योजनाएँ मिला दी गई हैं। समाज सेवा १० जिलों में लागू की गई थी। प्रादेशिक सेना शिक्षा ११ जिलों में इण्टर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य थी। दोनों योजनाओं को मिलाकर अब यह २० जिलों में कार्यान्वित कर दी गई। सैनिक शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या इस समय राज्य में लगभग ४१ हजार है। कक्षा ९ व ११ के विद्यार्थियों के लिए नेशनल कैंडिडेट कोर (N C C) के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। १९५५ में महिलाओं के लिये भी एक गर्ल्स डिवीजन खोल दिया गया है।

इसी प्रकार बालिकाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था, शारीरिक दृष्टि से पीड़ितों के लिये शिक्षा व्यवस्था तथा सामाजिक शिक्षा व्यवस्था इत्यादि अन्य योजनाएँ हैं जिन्हें राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। हिन्दी के प्रसार व प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रबन्ध किए हैं। प्रति वर्ष हिन्दी की उत्तम पाठ्य-पुस्तकों पर सरकार लेखकों को पारितोषक देकर प्रोत्साहित कर रही है। हिन्दी को सरकारी कार्यों के लिए राज्य-भाषा भी स्वीकार किया जा चुका है।

उच्च-शिक्षा

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ अन्य प्रान्तों की अपेक्षा सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या ६ है। इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, अलीगढ़, आगरा तथा रुड़की। इनके अतिरिक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय और बनारस में संस्कृति विश्वविद्यालय के निर्माण की योजना प्रगति-पथ पर है। प्रान्त में बहुत से कला, विज्ञान तथा वाणिज्य के कालेज हैं जो प्रमुखतः आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं। आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ तथा शिकोहाबाद में कृषि कालेज हैं। देहरादून में बन-विज्ञान शिक्षा-केन्द्र तथा कानपुर में हारकोट बटलर टैकनालॉजिकल इन्स्टीट्यूट है। ट्रेनिंग कालेजों का उल्लेख भी उच्च शिक्षा के अन्तर्गत आता है। इजिनियरिंग में बनारस भी एक प्रमुख केन्द्र है। इसके अतिरिक्त कुछ गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाएँ जैसे गुरुकुल कागडी, संस्कृत कालेज बनारस, काशीविद्यापीठ, साहित्य सम्मेलन प्रयाग, महिला-विद्यापीठ प्रयाग, लखनऊ संगीत विद्यापीठ तथा दारुल उलूम आजमगढ़ इत्यादि भी प्रसिद्ध हैं।

संस्कृत कालेज बनारस को विश्वविद्यालय का रूप देने के लिये एक विधेयक बनाया गया है। इसके अनुसार संस्कृत कालेज का पुनर्संरगठन करके उसे शिक्षण व सम्बन्धक

विश्वविद्यालय का रूप दे दिया जायगा। इसका क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेगा। इस समय तक तो ऐसा था कि देश की विभिन्न संस्कृत संस्थाएँ इससे सम्बन्ध स्थापित कर सकती थीं किन्तु अब ऐसा नहीं होगा। केवल विद्यार्थियों को वैयक्तिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देश के किसी भाग के विद्यार्थियों को मिल सकती है यदि वह नियत नियमों की पूर्ति करता है। इससे संस्कृत भाषा व साहित्य से शास्त्रीय पक्ष की रक्षा हो सकेगी।

विधेयक के अनुसार इस विश्वविद्यालय की दूसरी विशेषता होगी भारतीय प्राचीन परम्परा के अनुसार शिक्षा को निशुल्क रखना, यद्यपि यह भी व्यवस्था की गई है कि विशेष परिस्थितियों में कुछ शुल्क लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय के उपकुलपति का वेतन २,२०० रु० मासिक रखा गया है। अन्य विश्वविद्यालयों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उपकुलपतियों के लिये नियम रखा है कि वे एक बार ही नियुक्त किये जा सकते हैं, इस विश्वविद्यालय में नहीं रखा है। उपकुलपति की नियुक्ति दिल्ली तथा राजपूताना विश्वविद्यालयों के नियमों की भाँति की जायगी। उसका प्रथम चुनाव ३ व्यक्तियों की एक विशेष समिति के द्वारा होगा न कि कार्याकारिणी-परिषद् के द्वारा। इसका कुलपति भी गवर्नर नहीं होगा। इसका परिणाम होगा कि कुछ अधिकार सरकार में निहित होंगे और वह सीनेट, कार्यकारिणी परिषद् तथा अन्य सम्बन्धित विभागों से अपने मनोनीत सदस्य भेजेगी। इससे विश्वविद्यालय में राजकीय हस्तक्षेप आवश्यकता से अधिक बढ़ जायगा। प्रदेश के कुछ विद्वानों ने इस विश्वविद्यालय की इस समय स्थापना का विरोध भी किया है। उनकी धारणा है कि जबकि देश की वर्तमान आर्थिक व औद्योगिक आवश्यकताओं तथा उसकी निरक्षरता को देखते हुए जहाँ अधिक औद्योगिक, टैक्नीकल व प्राथमिक स्कूलों को खोलने की आवश्यकता है वहाँ जनता के धन का एक बड़ा भाग संस्कृति भाषा के उत्थान में लगा देना एक प्रतिगामी कदम है। योजना काल में तो 'प्रथम वस्तु प्रथम' रखने के सिद्धान्त का पालन होना चाहिये, इत्यादि। किन्तु यह सब विवाद प्रस्तुत पुस्तक के क्षेत्र से बाहर की वस्तु है।

इनके अतिरिक्त ज्ञानपुर (बनारस) तथा नैनीताल में दो राजकीय डिग्री कालेज भी हैं। प्रदेश के ६ विश्वविद्यालयों में अलीगढ़ व बनारस दो विश्वविद्यालय केन्द्र के अधीन हैं। रुडकी का इंजीनियरी विश्वविद्यालय सीधा उत्तर प्रदेश सरकार के नियन्त्रण में है। शेष तीन विश्वविद्यालय स्वायत्त-सत्ता प्राप्त संस्थाएँ हैं। प्रायः ये तीनों विश्वविद्यालय उन सभी दोषों से पीड़ित हैं जिनसे दुर्भाग्य से भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय पीड़ित हैं। निम्नकोटि की दलबन्दी, जातीय या प्रांतीय पक्षपात, अनुचित नियुक्तियाँ, रुपये का दुरुपयोग, गिरते हुए शिक्षा स्तर, पाठ्य-पुस्तकों

व परीक्षको की नियुक्ति इत्यादि के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार इत्यादि इन तीनों विश्व-विद्यालयों की विशेषता हो गई थी। अतः विवश होकर सरकार को इनके विधानों में सशोधन करने के लिये कदम उठाने पड़े हैं।

आगरा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में १९५३ में एक विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके स्वीकृत हो जाने पर विश्वविद्यालय के अधिनियम में उचित सशोधन कर दिये गये हैं। इसके अनुसार विश्वविद्यालय का उपकुलपति अब चुनाव न जाकर नियुक्त किया जायगा। उसी प्रकार कार्य-कारिणी व सीनेट में चुनाव के सिद्धान्त को कम से कम कर दिया गया है। जहाँ चुनाव अनिवार्य है, वहाँ एक हस्तातरणीय मतों के द्वारा चुनाव हुआ करेगा। परीक्षको की कुल सख्या के आधे परीक्षक अन्य विश्वविद्यालयों से लिये जाँयगे। किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय से विभिन्न रूप से होने वाली आय का अधिकतम निश्चित कर दिया गया है। शिक्षको की नियुक्ति के सम्बन्ध में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त नौकरी-पेशा वाले लोगों के लिये ३ वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना, सभी सम्बन्धित कालेजों में पारस्परिक सहकारिता के द्वारा कार्य करने की पद्धति का प्रारम्भ तथा विश्वविद्यालय में धीरे-धीरे शिक्षण कक्षों भी प्रारम्भ करना इत्यादि कुछ प्रमुख सुधार हैं जो कि इस विश्वविद्यालय में किये गये हैं।

इन सुधारों का यद्यपि ऐसे लोगों की ओर से पर्याप्त विरोध हुआ जो विश्व-विद्यालय की स्वायत्तता के भंग होने का नारा लगाकर अपने निहित स्वार्थों को अक्षुण्ण बनाये रखना चाहते थे, तथापि जनमत के समक्ष इन लोगों की पराजय हुई। नवीन सशोधनों के आधार पर प्रथम वैतनिक उपकुलपति की एक वर्ष के लिये यह नियुक्ति हुई थी, जिसका समय एक वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया है। भविष्य में यह नियुक्ति ५ वर्ष के लिये वैतनिक आधार पर होगी। कई स्थानों पर नौकरी-पेशा वालों के लिये पृथक् डिग्री-कक्षाएँ खोल दी गई हैं। विश्वविद्यालय में एक हिन्दी विद्यालय खोल दिया गया है और समाज-शास्त्र के लिये दूसरा विद्यालय शीघ्र ही खुलने की सम्भावना है। परीक्षाओं, सम्बन्धित कालेजों को मान्यता देने के नियमों व उनकी प्रबन्ध-समितियों में सुधार तथा शिक्षको की नियुक्ति इत्यादि में सुधार होना भी क्रमशः प्रारम्भ हो गया है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी प्रायः इसी प्रकार की गन्दी राजनीति ने जन्म ले लिया था। अतः राज्य सरकार ने १७ दिसम्बर, १९५१ को जस्टिस मूथम की अध्यक्षता में 'इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाँच समिति' की नियुक्ति की। इस समिति का उद्देश्य विश्वविद्यालय के आन्तरिक मामलों की जाँच करके "विश्वविद्यालय

को विभिन्न उद्देश्यों तथा कर्त्तव्यों का भली-भाँति पालन करने के योग्य बनाने के लिये' अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना था। समिति ने २२ फरवरी, १९५३ को अपनी रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट में मूख्य समिति ने विश्वविद्यालय के सभी आन्तरिक मामलों, जैसे, विद्यार्थी और उनके हितकारी कार्य, छात्रावास, शिक्षण स्तर, अनुसन्धान, शिक्षकों की नियुक्ति तथा उनके वेतन इत्यादि, विश्वविद्यालय का विधान, आर्थिक अस्थिति, परीक्षाएँ, प्रशासन तथा राजकीय अनुदान इत्यादि का अध्ययन करके अपने विस्तृत विचार प्रस्तुत किये हैं।

इन्हीं सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय के विधान में सशोधन कर दिये हैं। इन सशोधनों के सम्बन्ध में भी प्रदेश में एक ऊँचे स्तर का वाद विवाद उपस्थित हो गया था। विश्वविद्यालय की स्वायत्त-सत्ता के भंग होने के तर्कों को लेकर पर्याप्त तर्क-वितर्क चलता रहा। इस सशोधन के अनुसार इलाहाबाद नगर में स्थित अन्य डिग्री कालेजों को 'एसोशिएट' कालेजों के नाम से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कर दिया गया है। इससे पूर्व भी इलाहाबाद के तीन कालेज—कायस्थ पाठशाला कालेज, ईरिंग क्रिश्चियन कालेज तथा नैनी कृषि कालेज तो इससे सम्बन्धित थे ही, यद्यपि विधान में इनके सम्बन्ध की व्यवस्था नहीं थी। इधर विश्वविद्यालय के अधिकारियों को यह भय हो गया कि यदि सरकार ने नवीन सशोधन के आधार पर इन कालेजों को 'एसोशिएट' कालेज बना दिया तो भविष्य में नगर से बाहर के अन्य कालेज भी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कर दिये जायेंगे और इस प्रकार विश्वविद्यालय का शिक्षण स्तर गिर जायगा तथा उसका जो एक मात्र शिक्षण संस्था का स्वरूप है वह भी भंग हो जायगा। किन्तु सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं था जिसके अनुसार इलाहाबाद से बाहर के कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किया जाता।

इसके अतिरिक्त उप कुलपति की नियुक्ति, कार्यकारिणी व सीनेट के अधिकारों की समीक्षा, शिक्षकों के कर्त्तव्यों का निर्देशन, शिक्षण व अनुसन्धान से स्तर को ऊँचा उठाने के लिए व्यवस्था तथा विश्वविद्यालय की वित्तीय समस्या को सुलझाने के लिये उपाय इत्यादि अन्य बातें हैं जिनको वर्तमान सशोधनों के द्वारा हल करने की चेष्टा की गई है।

इसी प्रकार का एक सशोधन लखनऊ विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पर्याप्त प्रगतिशील है। सरकार भी प्रतिवर्ष अधिक से अधिक रकमा उच्च शिक्षा के लिए देने का प्रयास कर रही है। सन् १९५२-५३ में उच्च शिक्षा पर ७५,०६,६४३ रकमा व्यय किया गया था। १९५३-५४ में यही धन राशि

७८,७७,५०० रुपया हो गई । १९५४-५५ के लिए अनुमानित बजट ८४,४५,९०० रुपये का था । तथापि प्रदेश को उच्च शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए हम कदापि पूर्णतः पर्याप्त नहीं कह सकते । यदि सम्पूर्ण शिक्षा पर भी हम सरकारी व्यय के आँकड़ों का अध्ययन करते हैं तो प्रतीत होता है कि १९४६-४७ में कुल व्यय २५८ करोड़ से बढ़कर १९५१-५२ में ७३७ करोड़, १९५२-५३ में ८११ करोड़ तथा १९५४-५५ में ९५५ करोड़ रुपया रहा है । इससे प्रतीत होता है कि यहाँ शिक्षा के उत्तरदायित्व को सरकार समझ रही है और उस दिशा में निरन्तर रूप से प्रयत्नशील है ।

उपसंहार

इस प्रकार उत्तर प्रदेश शिक्षा में प्रगति तो कर रहा है, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उचित व पर्याप्त दिशा में नियोजन का अभाव और प्रशासन की शिथिलता है । ज्यो-ज्यो शिक्षा का आकार बढ़ रहा है, उसका स्तर गिरता जा रहा है । शिक्षा में विभिन्न स्तरों के समान-विकास पर भी जोर नहीं दिया जा रहा । उदाहरणतः पूर्व-प्राथमिक या नर्सरी शिक्षा के लिए प्रदेश में कोई भी सराहनीय प्रयास नहीं किये गये हैं । जबकि रूस, इङ्ग्लैण्ड व अमरीका जैसे देशों में पूर्व-प्राथमिक स्तर पर सरकारें बहुत व्यय करती हैं, सम्भवतः हमारे देश में इधर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा । जो कुछ भी फुटकर प्रयास कही हुए भी हैं, वहाँ शिक्षा इतनी महत्त्वपूर्ण है कि सामान्यतः प्रत्येक वर्ग के बालकों के लिए उनमें प्रवेश भी पाना असम्भव है । प्राथमिक शिक्षा का स्तर भी इतना गिरता जा रहा है कि उन स्कूलों में सामान्यतः मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं । बेसिक शिक्षा के नाम पर तो मानदण्ड को और भी अधिक गिरा दिया गया है । वस्तुतः मानदण्ड के गिरने की समस्या तो माध्यमिक व विश्वविद्यालय स्तरों पर भी वैसी ही है । सम्भवतः जब प्रदेश में शिक्षा का प्रसार हो रहा है तो कुछ सीमा तक तो मानदण्ड गिर जाना स्वाभाविक भी है । किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि उसको उठाने के प्रयास न किये जायँ । आशा है भविष्य में अवश्य ही कुछ प्रयास इस दिशा में किये जायँगे । इधर पंचवर्षीय आयोजनों के अन्तर्गत अन्य राज्यों की भाँति उत्तर प्रदेश में भी सामूहिक विकास योजनाओं के साथ सामाजिक तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के यत्न किये जा रहे हैं । जूनियर हाई स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर कृषि शिक्षा की पुनर्व्यवस्था के महान् परीक्षण की सफलता की ओर शेष भारत प्रेरणा के लिए देख रहा है । माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का वर्षोत्तर साहित्यिक, वैज्ञानिक, रचनात्मक तथा कलात्मक वर्गों के रूप में एक नूतन योजना है । स्त्री-शिक्षा की दृष्टि

से उत्तर प्रदेश, बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र तथा त्रिवाकुर-कोचीन राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में साधारणतः हम उत्तर प्रदेश को बहुत आगे पाने हैं । साक्षरता की दृष्टि से भी भारत दक्षिणी भारत में कुछ राज्यों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है । आशा है भविष्य में सभी दोषों को दूर करके उत्तर प्रदेश शिक्षा-क्षेत्र में भी अन्य बातों की भाँति अग्रसर होने का प्रयास करेगा ।

भारत में सामाजिक-शिक्षा

भूमिका

यह बात सर्वविदित है कि भारत में लगभग १७ प्रतिशत साक्षरता है और ८३ प्रतिशत जन-समूह निरक्षरता में डूबा हुआ है। भारत की बदलती हुई राज-नैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में जनता की यह विशाल निरक्षरता एक दुरुह रोडे के समान अटकी हुई है। स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत विश्व में जन-तन्त्र का एक महान् परीक्षण कर रहा है। किन्तु अशिक्षित जन-समूह के जनतन्त्र, सामा-जिक न्याय तथा राजनैतिक उत्तरदायित्व इत्यादि के उच्च-सिद्धान्तों को समझने तथा उनकी सराहना करने में असमर्थ होने के कारण, जनतन्त्र के परीक्षण की सफलता ही सदिग्ध है। जब तक देश का मतदाता और करदाता अपने मत और कर का मूल्य नहीं समझता है, हमारा जनतन्त्र एक धोखा है। अयोग्य व अशिक्षित व्यक्तियों के हाथों इसका दुरुपयोग होने का भय है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भारत में कोई भी राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार करने के साथ ही साथ उनके लिये उपयुक्त भूमि तैयार कर ली जाय। सामाजिक शिक्षा इसका एक शक्तिशाली साधन है।

मूल सिद्धान्त

ग्रीक-शिक्षा का अर्थ आधुनिक युग में बदलता जा रहा है। कुछ समय पूर्व ग्रीक-शिक्षा से तात्पर्य 'साक्षरता' से ही था। किन्तु साक्षरता को हम शिक्षा नहीं कह सकते, यद्यपि यह शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने की कुञ्जी है। साक्षरता के द्वारा शिक्षा-द्वार उन्मुक्त हो जाता है जिसमें प्रवेश करके मनुष्य ज्ञान मन्दिर तक पहुँचता है। जब तक समाज में अशिक्षा व अज्ञान है, शोषण का उन्मूलन नहीं हो सकता। इस शोषण से निर्धनता और निर्धनता से पुनः अज्ञान और सकट की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह कुचक्र ही चलता रहता है और ऐसी अवस्था में सामाजिक न्याय तथा

जनतन्त्र की सभी सद्भावनाओं का लोप हो जाता है। जनतन्त्र की सफलता मत-दाताओं के एक ऐसे समाज पर निर्भर है जो कि बुद्धिमान हो तथा जनतन्त्र के उद्देश्यों को समझने में समर्थ हो।

अमेरिका के एक प्रौढशिक्षा-विशेषज्ञ, श्री पॉल वर्जीविन के अनुसार “जनतन्त्र ऐसे बुद्धिमान् तथा सदा जागरूक नागरिकों पर निर्भर है जो कि राजनैतिक घूर्तों को पहचानने की क्षमता रखते हो, अपने स्वयं तथा अन्य नागरिकों के हित में विचारों का उचित निर्णय तथा मूल्यांकन करने का विवेक रखते हो, इस बात को समझने की क्षमता रखते हो कि समाज में निरन्तर ऐसी शक्तियाँ कार्यशील रहती हैं जिनके पास दिखाने को कुछ एव देने को कुछ और है। वे (नागरिक) ऐसे होने चाहिए जो कि विरोधियों के अधिकारों का आदर करते हुए अपने निजी विचार व्यक्त करने की कुशलता भी रखते हो।”†

इस प्रकार प्रौढशिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिये वयस्को को कुछ समय के लिए ही केवल पुस्तकीय ज्ञान देना पर्याप्त नहीं होगा। वास्तव में शिक्षा तो एक निरन्तर धारा है। मनुष्य जीवन भर अनायास ही ज्ञान प्राप्त करता रहता है। अतः प्रौढशिक्षा की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सुसंगठित और स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता है। केवल पवित्र भावनायें और उच्च-शब्दावली, जैसा कि भारत में अब तक प्रौढशिक्षा-क्षेत्र में रहा है, इस महान् कार्य के लिये पर्याप्त नहीं है। वास्तविक शिक्षा के लिये प्रौढों को साधारण तथा विशेष अथवा श्रौद्धोगिक ज्ञान के प्राप्त करने के लिए निरन्तर सुअवसर मिलना चाहिए। इसके लिए प्रथमतः उनके समक्ष उन विषयों का अध्ययन रखना चाहिये जो कि उनके स्वयं से सम्बन्धित हो। इन विषयों के प्रस्तुत करने का आकर्षक ढंग उन्हें शिक्षा के मूलभूत लाभों की ओर आकर्षित कर सकता है। इसके उपरान्त ज्ञान क्षितिज के विकसित होने पर वे स्वाभावतः अपने समीपवर्ती वातावरण को समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार उनकी शिक्षा में एक स्वाभाविक प्रगति हो सकेगी।

इस विषय में एक बात और आवश्यक है वह यह है कि यदि हम प्रौढ-शिक्षा को केवल किसी सामायिक अथवा अल्पकालीन समस्या का मुकाबिला करने के लिए ही सगठित करना चाहते हैं तो हमें मनोवाञ्छित सफलता नहीं मिल सकती है। दुर्भाग्य से भारत का समाज अनेक दोषों में जकड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक बुराई का उन्मूलन करने लिये प्रौढशिक्षा के क्षणिक नुस्खे केवल शक्ति और प्रयास का दुरुपयोग मात्र हैं। वस्तुतः प्रौढशिक्षा एक ऐसी निरन्तर पद्धति के रूप में विकसित होनी चाहिये जिससे जनसाधारण का सर्वाङ्गीण व स्थायी

† Paul Verjavin *A Philosophy of Adult Education*, p. 8

विकाम हो। भारत में कुछ उन्माही तथा कथिन सुधारकों के लिये प्रौढशिक्षा की इतिश्री केवल इसी प्रयास में हो जाती है कि कुछ निरक्षर व्यक्ति, बिना वर्णमाला के समझ हुए ही, केवल कुछ घंटों में अपने हस्तक्षर मात्र कर लें। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रौढशिक्षा वा यह उद्देश्य अत्यंत अपर्याप्त, सकीर्ण व हास्यास्पद है। गत तीन दशकों का अनुभव इस दिशा में यह बनलाता है कि प्रौढशिक्षा के लिए किये गये ऐसे सभी आन्दोलन क्षणिक सिद्ध हुए हैं, और इस प्रकार शिक्षित किये गए वयस्क भी उस हस्ताक्षर ज्ञान से किसी प्रकार भी लाभान्वित नहीं हो सके हैं। फलतः अन्त में पुनः निरक्षर बन गये हैं।

अतः प्रौढशिक्षा की कोई भी योजना हो, उसमें कम से कम प्रौढ के मानसिक-विकास, नागरिकता, सांस्कृतिक-विकास तथा औद्योगिक-प्रशिक्षण की परिपक्वता को अवश्य दृष्टिगत रखना होगा। प्रौढशिक्षा की योजनाओं को राजनैतिक सुभ्रवसर के शोषण के लिये लागू करना एक अत्यन्त ही भयानक बुराई है, किन्तु दुर्भाग्य से वर्तमान में हमारे देश में अब तक इसका उपयोग अधिकांश में इसी दिशा में किया गया है। राजकीय आधार पर अथवा समाजसुधारकों के संगठित और पूर्णनियोजित कार्यक्रम के रूप में प्रौढशिक्षा का आन्दोलन हमारे देश में अभी तक सफलतापूर्वक नहीं चलाया गया है। यह बात निर्विवाद सत्य है कि जब तक प्रौढशिक्षा के लिये विशाल स्तर पर आन्दोलन नहीं छेड़ा जायगा, तथा जब तक राज्य के द्वारा इस ओर क्रियात्मक कदम नहीं उठाये जायेंगे, प्रौढशिक्षा हमारे देश के लिये एक पवित्र आशा ही बनी रहेगी, और अपने देश के अपार जन-समूह को शिक्षित करने के लिये हमें अनन्तकाल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

अन्त में प्रौढशिक्षा के लिये भारत में किये गये प्रयत्नों का क्रमिक इतिहास देने से पूर्व यह कहना आवश्यक है कि जनतंत्र के लिये प्रौढशिक्षा का उद्देश्य नागरिकों के सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक तथा शारीरिक ज्ञान की क्षितिज का विकसित करना होना चाहिये जिससे कि देश में सुखी व स्वस्थ नागरिक, बुद्धिमान मतदाता तथा कुशल कारीगर व कलाकार स्थायी रूप से उत्पन्न हो सके। वस्तुतः ऐसी शिक्षा ही पूर्ण सामाजिक शिक्षा होगी।

भारत में प्रगति

यह आश्चर्य की बात है कि प्रौढशिक्षा का आन्दोलन भारत जैसे देश में, जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, बहुत देर से प्रारम्भ हुआ। प्रत्येक आधुनिक सभ्य देश में इस ओर आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, कैंनेडा तथा डैनमार्क इत्यादि देशों ने प्रौढशिक्षा के लिये सराहनीय प्रयत्न किये हैं। वहाँ कारखानों तथा खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये,

किसानों तथा अन्य नौकरी पेशे वाले स्त्री व पुरुषों के लिये न केवल साक्षरता की ही सुविधा है, अपितु उनके उच्च सम्बन्धी उच्च-औद्योगिक ज्ञान, व्यापार, साहित्य, विज्ञान तथा कला इत्यादि के अध्ययन की भी व्यवस्था है। ऐसे लोगों के लिये जो विद्यार्थी-जीवन में किसी कारणवश स्कूल तथा कालेज को छोड़ने को विवश हो गये, अथवा त्रसम्बन्धी शिक्षा से वंचित रहे, प्रौढशिक्षा केन्द्रों, रात्रि-पाठशालाओं, रविवार स्कूलों, पुर्नानुवृद्ध-स्कूलों (Continuation Schools) तथा विश्व-विद्यालय-प्रसार कक्षाओं (University Extension Classes) के रूप में निःशुल्क तथा कहीं कहीं पर अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। Khar

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लगभग ३ करोड़ प्रौढ इस समय शिक्षा के द्वारा आत्मविकास का सुग्रवसर पा रहे हैं। वहाँ पब्लिक स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में रात्रि कक्षाएँ खुली हुई हैं जहाँ सहस्रो प्रौढ, परिवारों के बड़े बड़े व्यक्ति तथा अन्य वयस्क, जो कि अपनी सांस्कृतिक उन्नति तथा जीवन में अपनी दशा में सुधार करने के इच्छुक हैं, ज्ञान तथा कुशलता प्राप्ति के लिये अध्ययन करते हैं। अकेले पब्लिक स्कूलों में ही लगभग ४० लाख प्रौढ शिक्षा पाते हैं।

अमेरिका में साधारण शिक्षा तथा विशेष व्यावसायिक शिक्षा ऐसे श्रमिकों को भी उपलब्ध है जो विभिन्न उद्योग-घन्धों और कारखानों में काम करते हैं। १९५० में वहाँ लगभग ३५० ऐसे डाक-स्कूल (Correspondence Schools) थे जिनमें डाक द्वारा लगभग ७,५०,००० प्रौढ शिक्षा पाते थे। इनके अतिरिक्त लगभग ४२ राजकीय विश्वविद्यालय तथा कालेज भी डाक द्वारा प्रौढों को शिक्षा देते थे।

इसके अतिरिक्त विदेशों से आने वाले आवासियों (Immigrants) के लिये बहुत से बड़े नगरों में विशेष कक्षाएँ लगती हैं, जहाँ उन्हें शीघ्र ही अंग्रेजी भाषा सीखने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे नागरिकता के लाभों को उपलब्ध कर सकें और साथ ही अपने उत्तरदायित्वों की सराहना भी कर सकें।

अमेरिका में 'जनशिक्षालय भवन' (Public School Houses) भी हैं, जहाँ समाज के सभी व्यक्ति एकत्रित होते हैं। इन स्थानों पर प्रायः प्रौढशिक्षा के कार्यों से अतिरिक्त अभिभावक व शिक्षक सभों (Parent Teachers Associations) तथा अन्य नागरिकों की सभाएँ होती हैं। इस प्रकार इधर कई वर्षों से वहाँ जनता का सामाजिक शिक्षा की ओर ध्यान भी बढ़ता ही जा रहा है। जर्मनी में भी इसी प्रकार के परीक्षण हो रहे हैं और वहाँ 'स्टडी फाउण्डेशन ऑफ जर्मन पीपल' नामक तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाएँ सराहनीय कार्य कर रही हैं।

इस प्रकार प्रगतिशील देशों के समक्ष सामाजिक शिक्षा क्षेत्र में भारत का उदाहरण अत्यन्त खेदजनक है। तथापि इस दिशा में किये गये प्रयत्नों का हम संक्षेप में उल्लेख करते हैं।

प्रारम्भिक प्रयास

२० वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दो दशकों में प्रौढशिक्षा क्षेत्र में कोई भी उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया। कुछ रात्रि पाठशालाएँ अथवा कहीं-कहीं स्थापित थीं, किन्तु उनमें बालक भी पढ़ते थे। उनकी स्थापना केवल प्रौढशिक्षा के लिये ही नहीं हुई थी। ये शिक्षालय प्रधानतः ऐसे बच्चों को अर्धसामयिक शिक्षा देने के प्रयास मात्र थे जो कि आर्थिक कारणों से मजदूरी करने को विवश थे। साथ ही इन स्कूलों में बच्चों को भी प्रविष्ट किया जाता था। मद्रास, बंगाल और बम्बई प्रान्तों में ही यह रात्रि पाठशाला-आन्दोलन चला। सन् १९०९ ई० में मद्रास में ७७५, बंगाल में १,०८२ तथा बम्बई में १०७ ऐसी पाठशालाएँ थीं। आगे चलकर यह संख्या घट गई। सन् १९२१ ई० में जाकर जब कि प्रान्तों को कुछ अधिकार मिले तथा साथ ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के घ. रासभा में जाने की व्यवस्था हुई, उस समय प्रौढशिक्षा के महत्त्व को समझा गया। जनता को मताधिकार मिलने के उपरान्त इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि उसका सदुपयोग भी हो। भारत के जनसाधारण के अशिक्षित होने के कारण अब राजनीतिज्ञों, सुधारकों तथा सरकार का ध्यान प्रौढ शिक्षा के महत्त्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित हुआ। कुछ पुस्तकालयों की स्थापना भी हुई।

“कुछ प्रान्तों में इस प्रश्न पर गम्भीर चिन्तन हुआ तथा कुछ संगठित प्रयास भी हुए। सन् १९२१ ई० में सयुक्त प्रान्त में सरकार ने ६ नगरपालिकाओं को प्रौढ शिक्षा के लिए रात्रि पाठशालाएँ खोलने के लिए आर्थिक सहायता दी। पंजाब में १०० से अधिक रात्रि पाठशालाएँ खोली गईं। ये संस्थाएँ प्रधानतः गाँवों में सहकारी समितियों द्वारा संचालित थीं। बम्बई में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। इन स्कूलों का संचालन शिक्षा-विभाग के द्वारा और निरीक्षण विशेष निरीक्षकों द्वारा होता है। बम्बई की ये रात्रि पाठशालाएँ गश्ती-पाठशालाएँ हैं जो एक केन्द्र पर दो वर्ष तक रहती हैं।”† इसी प्रकार के प्रयास मध्यप्रान्त, बंगाल तथा मद्रास में हुए। किन्तु कोई ऐसा आन्दोलन न छेड़ा गया जो कि इस देशव्यापी बुराई की जड़ पर सामूहिक रूप से कुठाराघात करता।

सन् १९२१ ई० से स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक प्रौढ-शिक्षा

सन् १९१९ ई० के भारतीय शासन विधान के अनुसार प्रान्तों में शिक्षा

† *Quinquennial Review of the Progress of Education in India, 1912-17, para 292*

जन प्रतिनिधि मन्त्रियों के अधिकार में आ गई । परिणामतः प्रौढशिक्षा के प्रसार के लिए सराहनीय उद्योग बिये गये । पंजाब, मद्रास, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश इस दृष्टि-कोण से प्रमुख हैं । सन् १९२७ ई० में पंजाब में ३,७८४, मद्रास में ५,६०४, बम्बई में १९३ तथा बंगाल में १,५१९ प्रौढशिक्षा स्कूल स्थित थे ।

सन् १९२२ से १९२७ तक की प्रगति निम्नलिखित तालिका से जानी जा सकती है ।†

वर्ष	स्कूलों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
१९२२-२३	६३०	१७,७७६
१९२३-२४	१,५२८	४०,८८३
१९२४-२५	२,३७२	६१,९६१
१९२५-२६	३,२०६	८५,३७१
१९२६-२७	३,७८४	९८,४१४

सन् १९२८ तक तो प्रौढ-शिक्षा में प्रगति हुई, किन्तु १९२९ में आर्थिक मन्दी प्रारम्भ हो जाने से प्रौढ-शिक्षा के बहुत से केन्द्र बन्द हो गए । राजनैतिक विप्लव तथा साम्प्रदायिक घटनाओं ने भी शिक्षा पर अपना प्रभाव डाला । कुछ ईसाई धर्म-प्रचारकों के कार्य अवश्य चलते रहे । इनमें डा० ल्यूकस ने इलाहाबाद में प्रौढ शिक्षा-प्रचार किया और रोमन लिपि में हिन्दुस्तानी में कई पुस्तकायें तैयार की । इसी प्रकार डा० लारंस ने मणिपुर में हिन्दी तथा श्री डैनियल ने मद्रास में तामील की कक्षाएँ चलाई और प्रारम्भिक पुस्तकायें भी तैयार कराईं ।

पंजाब जो अब तक प्रगति कर रहा था, इस काल में वह भी उन्नति नहीं कर सका और वहाँ बहुतसी प्रौढ पाठशालायें बन्द कर दी गईं । यहाँ नामल स्कूलों के छात्राध्यापकों ने कुछ कार्य किया और गाँवों में कुछ पुस्तकालय खोले गये । मध्य-प्रान्त और बिहार में भी १९२८ में कुछ पुस्तकालय खुले ।

अन्य प्रान्तों की अपेक्षा इस काल में बम्बई में अवश्य प्रगति जारी रही । १९३२-३३ में वहाँ १४३ प्रौढ पाठशालायें थी, जिनमें ५,६६० विद्यार्थी पढते थे । १९३७ में इनकी संख्या १८० हो गई और विद्यार्थी भी ६,२९९ हो गए । इस वृद्धि का कारण यह था कि बम्बई सरकार ने प्रौढ शिक्षा में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया था । साथ ही अन्य संस्थाएँ जैसे पूना की 'ग्रामीण पुनर्संगठन संघ' व 'प्रौढ शिक्षा लीग' तथा बम्बई में 'सेवा सदन' 'सोशल लीग' तथा 'बम्बई नगर साक्षरता संघ' इत्यादि भी प्रौढ शिक्षा का प्रसार करने लगीं । बडौदा में पुस्तकालयों की

स्थापना की गई। त्रिवाकुर ने भी इसी का अनुसरण किया। तथापि १९३७ तक प्रगति मंद ही रही।

सन् १९३७ ई० के उपरान्त इस समस्या की ओर देश का ध्यान विशेष रूप से गया। सन् १९३५ ई० के विधान के अनुसार प्रान्तों में स्वयम्त शासन की स्थापना हो चुकी थी। अधिकतर प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के बन जाने से प्रौढ़-शिक्षा को बहुत प्रोत्साहन मिला। इन नवनिर्मित मन्त्रिमण्डलों की सफलता के लिए आवश्यक था कि देश के नागरिक शिक्षित हों और वे सरकार को योजनाओं तथा अपने अधिकार और उत्तरदायों को समझे। अतः प्रान्तीय सरकारों ने सामूहिक रूप से संगठित प्रयास प्रौढ़शिक्षा क्षेत्र में प्रारम्भ कर दिये। जनता ने भी इन प्रयत्नों की सराहना की और उत्साह पूर्वक साक्षरता आन्दोलन में भाग लिया।

इस प्रकार अब भारत के इतिहास में सर्वप्रथम प्रौढ़-शिक्षा को सरकार ने अपना कर्तव्य स्वीकार किया और तदनुसार कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। प्रौढ़ शिक्षा का जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया वह केवल साक्षरता तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु उसमें कुछ सामाजिक शिक्षा भी सम्मिलित करली गई। शिक्षा देने के साधनों में पुस्तकों के अतिरिक्त इस्तहार, मैजिक लालटन तथा सिनेमा का प्रयोग भी किया जाने लगा।

सन् १९३९-४० में साक्षरता का बहुत प्रसार हुआ। 'हर व्यक्ति एक को पढ़ावे' (Each one Teach one) का नारा भी उठाया गया। पंजाब में 'पढ़ो और पढ़ाओ' का नारा भी प्रयोग किया गया। सन् १९३९-४० ई० में पंजाब में साक्षरता आन्दोलन बड़े उत्साह से प्रारम्भ किया गया और प्रान्तीय सरकार ने अपनी प्रथम पंचशाला योजना के लिए २८,८०० रु० का अनुदान स्वीकृति किया। पुराने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को सहायता दी गई तथा बहुत से नवीन स्कूल खुले। उस समय इन स्कूलों की संख्या २०१ हो गई। इनके अतिरिक्त स्वयंसेवकों ने गाँवों, तहसीलों तथा जिलों में लॉबाक-प्रणाली से भी प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार किया।

आसाम प्रान्त में जन-साक्षरता अफसर के अन्तर्गत एक प्रौढ़ शिक्षा विभाग खोल दिया गया। सन् १९४१ ई० में वहाँ साक्षरता प्राप्त प्रौढ़ों के लिए उत्तर-साक्षरता पाठ्यक्रम तैयार किया गया और आसाम घाटी में १२०० अध्ययन-केन्द्र स्थापित किये। यहाँ आवश्यक रीडरे, पुस्तकें तथा समाचार पत्रों इत्यादि के शिक्षण व वितरण की व्यवस्था की गई।

उड़ीसा में १९४०-४१ ई० में ४२५ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये, जिनमें ८,१४७ व्यक्तियों ने साक्षरता प्राप्त की। इससे अधिक वहाँ यह आन्दोलन सफल न हो सका।

बम्बई में प्रथम कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने प्रौढशिक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। १९२७ ई० में यहाँ सरकार ने प्रौढ शिक्षा का प्रान्तीय बोर्ड स्थापित किया। प्रौढ शिक्षा के लिए यहाँ सहायता-प्रनुदान प्रथा को भी लागू किया गया और उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता दी गई। सन् १९४२-४३ ई० में ५० हजार रुपया गाँवों के लिए अलग व्यय किया गया। सन् १९८५ ई० में कुछ चुने हुए स्थानों में प्रौढ शिक्षा केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई और निश्चय किया गया कि ६४०० रु० वार्षिक व्यय के आधार पर प्रत्येक केन्द्र में प्रति वर्ष १००० व्यक्ति साक्षर किए जायेंगे। इसके प्रतिरिक्त बम्बई नगर में भी इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई। वहाँ एक 'प्रौढ शिक्षा समिति' की स्थापना हुई। सन् १९४०-४१ ई० में इस समिति ने मराठी, गुजराती, हिन्दी, कनाड़ी, तैलुग तथा तमिल की १,१४० कक्षाएँ खोली जिनमें १६ हजार पुरुष और ५ हजार स्त्रियाँ शिक्षा पाती थी। इसके अतिरिक्त कुछ मिल मजदूरों के क्षेत्रों में भी प्रौढ शिक्षा का प्रसार कार्य किया गया।

बिहार प्रान्त में संयद महमूद के नेतृत्व में प्रौढ शिक्षा आन्दोलन ने अच्छी प्रगति की। वहाँ 'प्रान्तीय जन शिक्षा समिति' की स्थापना हुई। स्वयंसेवकों ने यहाँ 'अपना घर साक्षर बनाओ' का आन्दोलन भी चलाया और सन् १९४१-४२ ई० में २४,२८६ प्रौढ साक्षर किए। इसके अतिरिक्त १९४२-४३ ई० में १ लाख ११ हजार प्रौढों ने उत्तर-साक्षरता कोर्स पास किया। बिहार के प्रौढ शिक्षा आन्दोलन की यह विशेषता रही कि युद्धकाल में भी यह जारी रहा और प्रति वर्ष २ लाख प्रौढ साक्षर बनते रहे। सन् १९४६ ई० में पुनः कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बनने पर इन कार्य को उत्साहपूर्वक उठा लिया गया।

बंगाल प्रान्त में प्रौढ शिक्षा ग्राम्य-निर्माण विभाग को सौंप दी गई। इस दिशा में बंगाल में भी अच्छी प्रगति हुई। इस प्रान्त में कृषकों में प्रौढ-शिक्षा का प्रसार अधिक सफलतापूर्वक किया गया। यहाँ पाठ्यक्रम में कृषि, पशु-पालन, स्वास्थ्य रक्षा तथा सहकारिता इत्यादि विषय सम्मिलित किये गए और प्रति विषय के लिए विभिन्न अधिकारी नियुक्त कर दिये गये।

उत्तर-प्रदेश में प्रौढ शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य हुआ। सन् १९३७ ई० में नये मन्त्रिमण्डल ने इस कार्य को बड़े उत्साह से प्रारम्भ किया। नये केन्द्र, पुस्तकालय तथा वाचनालय गाँवों में खोले गये। असह्य रात्रि पाठशालाएँ खोली गई तथा प्रति वर्ष साक्षरता सप्ताह मनाया जाने लगा। सन् १९३० ई० में इस प्रान्त में प्रौढ शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई थी, जिसने आगामी वर्षों में सन्तोषजनक कार्य किया। प्रथम साक्षरता-दिवस को सरकार ने गाँवों में ७६८ पुस्तकालय तथा ३,६०० वाचनालय

भारत के स्वतंत्र होने पर इस क्षेत्र में और भी अधिक प्रगति हुई है। सन १९२१-४७ ई० तक के अनुभव ने प्रौढ शिक्षा की बहुत सी समस्याओं को स्पष्ट रूप से लाकर सम्मुख रख दिया। इस काल में यह भली-भाँति विदित हो गया कि प्रौढों की शिक्षा का क्या गुणत्व है, उनके लिये कैसे साहित्य तथा साधनों की आवश्यकता है तथा किस विधि का अनुकरण उपादेय होगा इत्यादि, इत्यादि। यह बात भी ठीक प्रकार से विदित हो गई कि प्रौढ शिक्षा के लिये केवल साक्षरता ही पर्याप्त नहीं है, अपितु साक्षरों के ज्ञान को बनाये रखना भी आवश्यक है, जिससे साक्षर को अपने ज्ञान को बढ़ाने का सुअवसर उपलब्ध हो सके।

स्वतंत्रता के उपरान्त प्रौढ शिक्षा

भारत के स्वाधीन होने पर जहाँ सम्पूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई वहाँ प्रौढ शिक्षा ने भी आशाजनक उन्नति की। प्रौढ शिक्षा को सामाजिक शिक्षा (Social Education) का रूप दे दिया गया। जिसका उद्देश्य प्रौढ नर-नारियों को योग्य नागरिक बनाना तथा उनके जीवन को हर प्रकार से पूर्ण बनाना है। आज मताधिकार के महत्त्व को देखते हुए भारत में प्रौढ शिक्षा की समस्या एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या बन गई है, जिसके ऊपर देश की वर्तमान प्रगति तथा भविष्य का निर्माण अवलम्बित है। भारत के २९ करोड़ लोगों की निरक्षरता देश के लिये एक ऐसी चुनौती है जिसका आज ही हल हो जाना चाहिये, अन्यथा भारत का जनतंत्र एक बहुत बड़ा उपहास मात्र बनकर विश्व के समक्ष अपने महत्त्व को खो बैठेगा।

भारत सरकार ने प्रौढ शिक्षा को निम्नलिखित रूपों में स्वीकार किया है —

(अ) वयस्क निरक्षरों में साक्षरता का प्रसार,

(ब) साहित्यिक शिक्षा के अभाव में जनसमूह में एक शिक्षित मस्तिष्क उत्पन्न करना, तथा

(स) व्यक्तिगत रूप से एवं एक शक्तिशाली राष्ट्र के सदस्य के रूप में प्रौढ में नागरिकता के अधिकार और कर्तव्यों का जागृत ज्ञान उत्पन्न करना।

प्रौढ शिक्षा का ही दूसरा नाम सामाजिक शिक्षा दे दिया गया है, किन्तु इसमें उन्नत (ब) और (स) पर अधिक जोर दिया जाना है। प्रौढों में नागरिकता के गुणों का विकास करने के लिये तथा उनमें शिक्षित मस्तिष्क उत्पन्न करने के लिये निम्नलिखित शिक्षा-विधि को अपनाने की सिफारिश की गई है —

१ नागरिकता का अर्थ तथा जनतंत्र के संचालन की विधि,

देश के इतिहास तथा भूगोल का ज्ञान तथा यहाँ की प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों से परिचय कराना।

२ व्यक्तिगत स्वच्छता तथा जनता के स्वास्थ्य-सिद्धान्तों का ज्ञान तथा स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्त्व को बताना ।

३ प्रौढ के आर्थिक मानदंड को ऊँचा उठाने के लिये शिक्षा व सूचना प्रदान करना, जिससे उसकी शिक्षा उसके आर्थिक जीवन से सम्बन्धित हो सके ।

४ कला, साहित्य, संगीत, नृत्य तथा अन्य सृजनात्मक क्रियाओं द्वारा जावना तथा विचारों का उत्थान व परिष्करण ।

५ मानव आतृत्व तथा विश्व-नैतिकता (Universal Ethics) के सिद्धान्तों का ज्ञान तथा जनतंत्र के लिये एक दूसरे की विचार-विभिन्नता को सहन करने तथा समझने की आवश्यकता पर जोर देना ।

उपर्युक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने ३१ मई, १९४८ ई० को प्रेस सम्मेलन के समक्ष एक १२ सूत्रीय कार्यक्रम रक्खा था जिसे जनवरी, १९४९ ई० में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी स्वीकार कर लिया था । वह कार्यक्रम निम्नलिखित है ।†

(१) गाँव का स्कूल सम्पूर्ण गाँव के लिये शिक्षा, जनहितकारी कार्य (Welfare Work), खेल-कूद तथा मनोरंजन का एक केन्द्र होगा ।

(१) बच्चों, किशोरों तथा वयस्कों के लिये अलग-अलग समय निर्दिष्ट कर दिये जाँयेंगे । ✓, 10/10

(३) सप्ताह में कुछ दिन केवल मात्र लड़कियों तथा स्त्रियों के लिये सुरक्षित कर दिये जाँयेंगे ।

(४) पर्याप्त मात्रा में ऐसी मोटरों की व्यवस्था हो रही है जिसमें प्रोजेक्टर तथा लाउडस्पीकर लगे होंगे । चित्रपट तथा मैजिक लालटन और ग्रामोफोन भी प्रयोग किये जाँयेंगे । साथ ही यह भी प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक स्कूल का कम से कम सप्ताह में एक बार निरीक्षण अवश्य होना चाहिये ।

(५) स्कूलों में रेडियो लगा दिये जाँयेंगे तथा स्कूल के बच्चों के लिये विशेष कार्यक्रमों को विस्तारित करने की व्यवस्था करदी जायगी । उपर्युक्त ढाँचे के अनुरूप ही किशोरों तथा वयस्कों को भी सामाजिक शिक्षा देने के लिये विशेष ब्राडकास्ट किये जाँयेंगे ।

(६) स्कूलों में जनप्रिय अभिनय भी रंगमंच पर खेले जाँयेंगे तथा अच्छे लिखे नाटकों को पारितोषक दिया जायगा ।

(७) राष्ट्रीय तथा देशी गीतों के गाने की व्यवस्था होगी ।

(८) स्थानीय आवश्यकता के अनुसार किसी दस्तकारी तथा उद्योग में भी साधारण प्रशिक्षण दिया जायगा ।

† Basic and Social Education Pamphlete No 58, (Ministry of Education, India)

(६) स्वास्थ्य विभाग, कृषि-विभाग और श्रम-विभाग के पारस्परिक सहयोग के द्वारा गाँवों को सामाजिक स्वास्थ्यरक्षा, कृषि प्रणाली, कुटीर उद्योग तथा सह-कारिता के विषय में भाषणों का प्रबन्ध किया जायगा ।

(१०) सूचना तथा ब्राडकास्टिंग विभाग की सहायता से समय-समय पर अच्छे सिनेमाओं के प्रदर्शन का भी आयोजन किया जायगा । राष्ट्रीय समस्याओं पर गाँव वालों के समक्ष भाषण देने के लिये विद्वानों को निमन्त्रित किया जायगा । सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रम को प्रभावशाली तथा वास्तविक बनाने के लिये ऐसी जन-संस्थाओं की सहायता भी ली जायगी जो कि रचनात्मक काम में विश्वास रखती हों ।

(११) दलों के आधार पर खेल-कूद (group games) का प्रबन्ध किया जायगा, तथा

(१२) सामयिक प्रदर्शनी तथा मेलों का भी सगठन किया जायगा ।

उपर्युक्त योजना अपने में पर्याप्त पूर्ण है । इसको कार्यान्वित करने के लिए फरवरी, १९४६ ई० में हुए प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर चिन्तन किया गया और आगामी ३ वर्षों के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया था जिसके अनुसार अनुमान लगाया गया था कि १२ वर्ष से ५० वर्ष तक की अवस्था के बच्चों में कम से कम ५० प्रतिशत साक्षरता इस अवधि के अन्तर्गत अवश्य आजांनी चाहिए । अब वह अवधि तो समप्त हो गई है, किन्तु यह योजना केवल एक पवित्र विचार के रूप में ही बनी रही । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के समक्ष आर्थिक सकट होने के कारण उस पर ठीक कार्य न हो सका । सन् १९४६-५० के बजट में भी १ लाख रुपये प्रान्तों को इस योजना के लागू करने के लिये सहायता देने को रख दिया गया था । इसके अनुसार कुछ प्रान्तों में थोड़ा बहुत कार्य भी हुआ है । भारत सरकार ने प्रौढ निरक्षरता की समस्या को सुलझाने तथा उचित सुझाव रखने के लिए श्री एम० एल० सक्सेना की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की थी जिसके अनुसार आगामी ५ वर्षों में १२-४० की अवस्था के बच्चों में साक्षरता का प्रसार किया जाना चाहिए । इस कार्यक्रम का व्यय-भार प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों पर सम्मिलित रूप से रहेगा ।

इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप जो प्रगति हुई उसका संक्षेप में नीचे उल्लेख किया जाता है ।

१९५१ में दिल्ली प्रान्त में गाँवों में सामाजिक शिक्षा आन्दोलन बड़े उत्साह से प्रारम्भ कर दिया गया । प्रथम वर्ष में ६० केन्द्र गाँवों में खोले गये और उनके लिये ६२ शिक्षक प्रशिक्षित किये गये । इसके अतिरिक्त नगर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में

श्रमिकों के लिये कुटीर उद्योगों के शिक्षण का आन्धान्त उत्तर प्रदेश में बहुत सफलता पूर्वक चल रहा है ।

इसके अतिरिक्त बंगाल, राजस्थान, हृदराबाद, जम्मू तथा काश्मीर और मध्यभारत राज्या में भी सन् १९६७ ई० के उपरान्त प्रौढशिक्षा आन्दोलन आशाजनक प्रगति कर रहा है । भारत सरकार ने प्रौढ अन्धों के लिये देहरादून में एक प्रशिक्षण-केन्द्र की स्थापना की है जहाँ प्रति वष १२० अन्ध-प्रौढों को शिक्षा दी जायगी । इसी प्रकार लंगड़े, गूंगे तथा बहुर प्रौढों के लिये भी विशेष शिक्षालयों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

भारत सरकार ने प्रौढ शिक्षा के लिये यूनेस्को द्वारा संचालित कार्य शिविरो (Works Camps) के आदर्श पर भारत में भी कार्य-शिविर खोले हैं । इस योजना में थोड़ा बहुत सशोधन करके इसे भारतीय ग्रामों में लायू किया जा रहा है । उन क्षेत्रों में जहाँ शरणार्थी बसे हुए हैं यह योजना अच्छी प्रगति कर रही है । इसके प्रमुख ३ उद्देश्य हैं साक्षरता, नागरिकता तथा मनोरजन के द्वारा विचार सशोधन ।

साक्षरता के लिये प्रौढ को निम्नलिखित कार्य-क्रम के द्वारा शिक्षित किया जायगा

- (अ) साधारण छपे हुए विषय को पढना और अन्तिम अवस्था में यथासम्भव साप्ताहिक समाचार पत्र तथा पत्रिका का पढना ।
- (ब) अपना तथा सम्बन्धियों का नाम तथा उनके गाँवों, तहसीलों, जिलों के नाम और साधारण व्यावहारिक पत्र लिखना ।
- (स) सौ तक सख्या लिखना तथा सादा जोड़, बाकी, गुणा और भाग के प्रश्न हल करना, एव साथ ही सिक्को, वजन और नाप इत्यादि के विषय में जानकारी रखना इत्यादि ।

इसके अतिरिक्त अन्य दो उद्देश्यों, नागरिकता तथा विचार-सशोधन के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के साधन जैसे नाटक, गीत, नृत्य, खेल कूद, रेडियो, चित्रपट, समाचार पत्र तथा पयटन इत्यादि को अपनाया जायगा ।

उपर्युक्त कार्य-क्रम के लिये देश भर में प्रत्येक जिले में शिविर खोले जायंगे । मध्य प्रदेश ने प्रत्येक तहसील में ४ शिविर खोलने की योजना बनाई है, जहाँ स्वयं सेवक प्रौढ शिक्षा का कार्य करेंगे । प्रत्येक स्वयं सेवक कम से कम १६ वर्ष का तथा ७ वी कक्षा पास होगा । इसके ऊपर एक सचालक भी रक्खा जायगा । मध्यप्रदेश में ऐसे शिविर सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं । यह शिविर पाँच सप्ताह तक चलता है । प्रत्येक शिविर में अपनी निजी भोजन-व्यवस्था होती है । दैनिक कार्य-क्रम प्रातः

भी प्रौढशिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। साथ ही गावों में शिक्षा-मेला भी लगाये जा रहे हैं जिसमें शिक्षा-प्रसार तथा उद्योगों के विकास का प्रचार किया जाता है। यह आन्दोलन क्रमशः जनसमूह में सर्वप्रिय होता जा रहा है।

बम्बई में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम वर्ष में ८० सघन क्षेत्रों (Compact Areas) को सामाजिक शिक्षा के लिए चुन लिया गया था। उनके अतिरिक्त बम्बई में भी साक्षरता आन्दोलन पर्याप्त प्रगति कर रहा है, प्रधानतः श्रमिकों की बस्तियों में इसने बहुत उन्नति की है। अहमदाबाद, शोलापुर, खानदेश तथा हुबली अन्य स्थान हैं जहाँ श्रम हिनकारी केन्द्र खुले हुए हैं और श्रमिकों में सामाजिक शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। नगरो तथा ग्रामों में क्षेत्रों के अनुसार प्रौढशिक्षा अफसर नियुक्त किये जा रहे हैं। अनुपातत एक अफसर १ हजार प्रौढों को शिक्षित करने का उत्तरदायी होगा।

मध्यप्रदेश तथा बरार में प्रौढ शिक्षा में बड़ी रुचि दिखलाई जा रही है। सन् १९४८-४९ ई० में ४५१ प्रौढशिक्षा शिविर स्थापित किये गये जिनमें ४१,२७४ पुरुष तथा २०,९२४ महिलाओं को शिक्षण मिला। प्रान्तीय सरकार ने गाँव के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को २०) रु० वेतन के साथ ५) रु० अलग भत्ता देने के नियम को प्रारम्भ कर दिया है। साथ ही प्रत्येक प्रौढ-पुरुष को २) रु० तथा स्त्री को ५) रु० के विशेष पुरुषकार की भी घोषणा की है यदि वे साक्षरता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हैं। सरकार ने १ हजार ग्रामीण स्कूलों में रेडियो भी लगाये हैं।

मद्रास प्रान्त में नागरिकता-शिक्षा-योजना का निर्माण किया गया है। सन् १९४९-५० में सरकार ने ६ ग्रामीण कानेज तथा १०० नागरिकता-स्कूल प्रौढ शिक्षा प्रसार के लिए खुलवाये। इसके अतिरिक्त उसी वर्ष ट्रेनिंग केन्द्र तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड भाषा के शिक्षकों के लिये भी खोले हैं। इस प्रान्त में 'लॉन्ग-प्रोग्राम' का अनुकरण किया जा रहा है। साथ ही रेडियो, मैजिक लालटेन, लोकगीत और लोक नृत्य का भी उपयोग किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेशीय सरकार ने शिक्षा निर्माण के अपने पंचमाला कार्यक्रम को बड़े उत्साह से प्रारम्भ किया है। प्रौढ शिक्षा के लिये अलग विभाग खोल दिया गया है। १९४८-४९ ई० में यहाँ राजकीय-प्रौढशिक्षा स्कूलों में ४९,३९२ प्रौढ भर्ती किये गये। ६२ स्कूल स्त्रियों के लिए भी खोले गये। गाँव में गश्ती वाचनालय तथा पुस्तकालय के नियम को भी पुनः लागू किया जा रहा है। जुलाई, १९५२ ई० में इस प्रदेश में प्रौढों के लिये १५१८ पुस्तकालय तथा ३,६०० वाचनालय पुरुषों के लिये, ४३५ स्त्रियों के लिये स्थित थे। सन् १९५१-५२ ई० में प्रान्त में प्रौढशिक्षा स्कूलों की संख्या २२०० थी। सन् १९४८ ई० से १९५२ ई० तक इस प्रदेश में १३३ लाख प्रौढ शिक्षित हुए थे और इनमें पौने दो लाख पुस्तकों का वितरण हुआ था। प्रौढ

श्रमिकों के लिये कुटीर उद्योगों के शिक्षण का आन्दोलन उत्तर प्रदेश में बहुत सफलता पूर्वक चल रहा है ।

इसके अतिरिक्त बंगाल, राजस्थान, हैदराबाद, जम्मू तथा काश्मीर और मध्यभारत राज्यों में भी सन् १९४७ ई० के उपरान्त प्रौढशिक्षा आन्दोलन आशाजनक प्रगति कर रहा है । भारत सरकार ने प्रौढ अन्वो के लिये देहरादून में एक प्रशिक्षण-केन्द्र की स्थापना की है जहाँ प्रति वर्ष १२० अन्व प्रौढों को शिक्षा दी जायगी । इसी प्रकार लँगड़े, गूंगे तथा बहरे प्रौढों के लिये भी विशेष शिक्षालयों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

भारत सरकार ने प्रौढ शिक्षा के लिये यूनेस्को द्वारा संचालित काय-शिविरो (Works Camps) के आदर्श पर भारत में भी काय-शिविर खोले हैं । इस योजना में थोड़ा बहुत सशोधन करके इसे भारतीय ग्रामों में लागू किया जा रहा है । उन क्षेत्रों में जहाँ शरणार्थी बसे हुए हैं यह योजना अच्छी प्रगति कर रही है । इसके प्रमुख ३ उद्देश्य हैं साक्षरता, नागरिकता तथा मनोरजन के द्वारा विचार सशोधन ।

साक्षरता के लिये प्रौढ को निम्नलिखित काय-क्रम के द्वारा शिक्षित किया जायगा

- (अ) साधारण छपे हुए विषयों को पढ़ना और अन्तिम अवस्था में यथासम्भव साप्ताहिक समाचार पत्र तथा पत्रिका का पढ़ना ।
- (ब) अपना तथा सम्बन्धियों का नाम तथा उनके गाँवों, तहसीलों, जिलों के नाम और साधारण व्यावहारिक पत्र लिखना ।
- (स) सौ तक सख्या लिखना तथा सादा जोड़, बाकी, गुणा और भाग के प्रश्न हल करना, एव साथ ही सिक्कों, वजन और नाप इत्यादि के विषय में जानकारी रखना इत्यादि ।

इसके अतिरिक्त अन्य दो उद्देश्यों, नागरिकता तथा विचार-सशोधन के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के साधन जैसे नाटक, गीत, नृत्य, खेल कूद, रेडियो, चित्रपट, समाचार पत्र तथा पर्यटन इत्यादि को अपनाया जायगा ।

उपयुक्त कार्यक्रम के लिये देश भर में प्रत्येक जिले में शिविर खोले जायेंगे । मध्य प्रदेश ने प्रत्येक तहसील में ४ शिविर खोलने की योजना बनाई है, जहाँ स्वयंसेवक प्रौढ शिक्षा का कार्य करेंगे । प्रत्येक स्वयंसेवक कम से कम १६ वर्ष का तथा ७ वी कक्षा पास होगा । इसके ऊपर एक सचालक भी रखा जायगा । मध्य प्रदेश में ऐसे शिविर सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं । यह शिविर पाँच सप्ताह तक चलता है । प्रत्येक शिविर में अपनी निजी भोजन-व्यवस्था होती है । दैनिक कार्यक्रम प्रातः

५३ बजे से रात्रि के १०३ बजे तक चनता है जिसमें दोहर को १३ घंटे तथा शाम को एक ३ घंटे का विश्राम मिलता है । प्रत्येक शिविर में प्रौढो को एक पूर्ण जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी जाती है ।

प्रत्येक प्रात इस योजना को अपनी स्थानीय तथा विशेष सुविधाओं एव परिस्थितियों के अनुसार लागू कर रहा है । यह सोचा जा रहा है कि इस शिविर की अवधि कम से कम ८ सप्ताह या अधिकतम ११ सप्ताह होनी चाहिये । यह शिविर एक प्रोफेसर के नेतृत्व में संचालित होना चाहिये, जहाँ कालेजो के विद्यार्थी तथा शिक्षक स्वयं-सेवको के रूप में शिक्षण कार्य करे । इस प्रकार इस योजना से प्रौढ शिक्षा में क्रान्तिकारी लाभ होंगे । २५ व्यक्तियों का यह शिविर ८ सप्ताह में कम से कम ५०० व्यक्तियों को शिक्षित करने में सफल हो सकेगा ।

सन् १९५२ से देश में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सामाजिक शिक्षा के प्रसार के लिये कुछ प्रयत्न किये गये हैं । देश के विभिन्न भागों में जो सामुदायिक विकास व प्रसार योजनाये कार्यान्वित की जा रही हैं, उनमें सामाजिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । इन योजनाओं में गाँवों में ग्रामीणों के पुस्तकीय ज्ञान में वृद्धि करने के साथ ही साथ उन्हें वर्तमान राजनीति, नागरिकता, स्वास्थ्य व सफाई, मनोरंजन व खेलकूद तथा अन्य इसी प्रकार की सुविधाय उपलब्ध की जाती है जिससे उनके जीवन का सर्वाङ्गीण विकास हो सके । अभिन्न योजनाओं (Pilot Projects) में इन सभी विधियों का परीक्षण करके उन्हें अन्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है । किन्तु इतना अवश्य है कि अधिकांश में ये उपयोगी योजनाये अभी सफलता पूर्वक कार्यान्वित नहीं हो पाई हैं और इनकी प्रगति बड़ी मन्द है । स्वयं भारत सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना की प्रगति की रिपोर्ट में यह बड़ा स्वीकार की है ।†

† प्रथम आयोजन काल में जो विशेष कार्य क्रम सामाजिक शिक्षा के लिये अपनाये गये हैं उनमें देश में समाज-केन्द्रों (Community centres) की स्थापना, सघन-पुस्तकालय सेवा का प्रारम्भ करना, जनता कालेजो की स्थापना, ग्रामीणों में शिक्षा प्रचार के लिये शिक्षा-काफिलो का सगठन करना तथा प्रौढो के लिये उपयोगी साहित्य की रचना व उसके वितरण को प्रोत्साहन देना आदि, प्रमुख हैं ।

† "Social Education is still at an experimental stage Though good work is being done in regard to literacy and cultural programmes, little or nothing has been undertaken in regard to the other aspects of social education such as increasing of economic efficiency and training in citizenship" Five Year Plan Progress Report, 1953-54, p 246

समाज केन्द्र—इनमें से जो समाज केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं वे ग्रामीण सांस्कृतिक जन-जीवन के केन्द्र होंगे जहाँ ग्रामीणों को शिक्षा, सामाजिक तथा मनोरंजन सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध की जायगी। वर्तमान प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की अपेक्षा इनका क्षेत्र अधिक व्यापक व उदार होगा। प्रत्येक गाँव में किसी चौपाल, पचायत घर अथवा स्थानीय पाठशाला को समाज केन्द्र के रूप में विकसित किया जायगा और वहाँ आवश्यक उपकरणों जैसे फर्नीचर व दरो इत्यादि, पुस्तकें, समाचार पत्र, रेडियो-खेल-कूद का सामान, रोशनी का सामान, क्राफ्ट का सामान तथा साक्षरता के लिये कुछ स्लेट पेसिल, चाँक व ब्लैक बोर्ड इत्यादि की व्यवस्था की जायगी।

सघन-पुस्तकालय—सेवा-सघन पुस्तकालय सेवा के लिये समाज-केन्द्रों पर, अथवा जहाँ समाज-केन्द्र स्थापित नहीं हुए हैं वहाँ गाँव की पाठशाला में अथवा किसी लोक-प्रिय व्यक्ति के घर या चौपाल पर अथवा पचायत घर पर ग्रामीणों के लिये उपयुक्त साहित्य की व्यवस्था की जायगी। यहाँ पर किसी पुस्तकाध्यक्ष की भी व्यवस्था होगी जो अधिकांश में यह कार्य स्वेच्छा व सेवा भावना से करने को उद्यत होगा। पुस्तकों में भौद्योगिक व व्यावसायिक विषयों जैसे कृषि, कुटीर-उद्योग तथा सहकारिता इत्यादि पर पुस्तकें, स्वास्थ्य व गृह विज्ञान पर, सांस्कृतिक विषयों, नागरिकशास्त्र तथा धार्मिक विषयों पर पुस्तकों का आयोजन किया जायगा।

जनता कालेज—ग्रामीणों में एक सार्वजनिक व सह-जीवन की आधारशिला समाज-केन्द्रों में डाली जायगी तो उन केन्द्रों के लिये योग्य व प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करने के लिये जनता कालेजों की स्थापना की जायगी। इन कालेजों में से स्थानीय नेतृत्व जन्म लेगा। इस सस्था का रूप सामान्य 'कालेज' के रूप में नहीं होगा अपितु यह तो एक चुने हुए क्षेत्र में ग्रामीणों के मध्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा अन्य जनोपयोगी कार्य करने के लिये युवक व युवतियों को प्रशिक्षण देना है जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व कर सकें। संक्षेप में इनका उद्देश्य ग्रामीण जनता में ज्ञान पैदा करना तथा उन्हें रहन-सहन के अच्छे तरीके सिखाना है ताकि वे अधिक अच्छा व अधिक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। जनसामान्य में नागरिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करके भारतीय ग्रामीणों को लोकतन्त्रीय समाज के उत्तरदायी नागरिक बनाना ही इन कालेजों का लक्ष्य होगा।

फरवरी, १९५६ ई० में मैसूर में भारत सरकार ने इन कालेजों के स्वरूप और पाठ्यक्रम आदि के विषय में ७ दिन की एक गोष्ठी की थी। उसने सरकार के प्रमक्ष अपनी निम्नलिखित सिफारिशें पेश की हैं—

- १, ये जनता कालेज यथासंभव ग्रामीण इलाकों में हों, जहाँ उनके पास पर्याप्त कृषि-भूमि हो और जहाँ आश्रम के ढंग की व्यवस्था के अनुसार-छात्र व अध्यापक साथ-साथ रहें।

- २ सुयोग्य व सुमगठिन गैर-सरकारी सस्थाय इन कालेजो का सचालन कर और जहाँ ऐसी सस्थाय न हो वहाँ राज्य सरकारो पर ही उनके सचालन का उत्तरदायित्व हो ।
- ३ सरकार इन कालेजो को उदारता पूर्वक सहायता द ।
- ४ केवल १५ से ८० वष तक की आयु के लोग ही इन कालेजो में भर्ती किये जाँय और स्त्रियो व पुरुषो के लिये अलग-अलग कालेज हो ।

इनके अतिरिक्त बालको तथा प्रौढो के लिये हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओ में उपयुक्त व सरल-साहित्य की रचना को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसी १७० पुस्तके अब तक केन्द्र की ओर से प्रकाशित हो चुकी हैं। मकतबा जामिया, दिल्ली ने सरल बाल-साहित्य प्रकाशित करने का कार्य भार अपने ऊपर लिया है। ऐसे साहित्यको के लिये केन्द्र की ओर से ५००) ६० के १५ पारितोषक भी उत्तम-रचनाओ पर दिये जाते हैं। कुछ पुस्तको का मुफ्त वितरण भी किया जाता है। बालको के लिये केन्द्र की ओर से कुछ आदर्श पुस्तके भी तैयार कराई जा रही हैं। उसी प्रकार जन-साहित्य (Folk literature) की रचना को भी पारितोषक इत्यादि के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस साहित्य का वितरण सामुदायिक विकास योजना क्षेत्रो में भी किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिये एक विशेष जन-साहित्य समिति का निर्माण किया गया है। यह समिति पुस्तको का चयन तथा उन पर पारितोषिक की घोषणा करती है।

उपसंहार

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से प्रतीत होता है कि भारत में साक्षरता तथा प्रौढ शिक्षा आन्दोलन यद्यपि देर से प्रारम्भ हुआ, तथापि अब कायशील दृष्टिगोचर हो रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत की भयंकर निरक्षरता को देखते हुए वर्तमान प्रयत्न बहुत ही अर्थात् हैं। इस देश में प्रौढ शिक्षा की समस्या केवल साक्षरता की ही नहीं है, अपितु प्रौढ नर-नारियो के जीवन को पूर्ण बनाने की है। कुछ ऐसे कालेजो की भी आवश्यकता है जहाँ ऐसे शिक्षित प्रौढो को उस उच्चशिक्षा की सुविधा मिल सके जिससे वे अपने विद्यार्थी जीवन में बचि रहें थे।

इसके अतिरिक्त प्रौढो की रुचि तथा ज्ञान को जीवित रखने के लिये अधिक वाचनालय तथा पुस्तकालयो की भी आवश्यकता है। देश के शिक्षित कहलाने वाले वर्ग के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उनके हृदयो में रचनात्मक समाज-सेवा की भावना, राजनैतिक सामाजिक नेताओ का अपने विशाल भवनों से निकलकर जनता की सच्ची सेवा के क्षेत्र में उतर आना, सरकारी अफसरो के दृष्टिकोण में शासन की भावना में कभी होकर सच्ची सेवा की भावना उद्भूत होना तथा पर्याप्त धनराशि इत्यादि अन्य

आवश्यकताएँ हैं जिनका पूरा होना देश में प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन के लिये जीवनदायक है । अन्त में लैनिन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि, “निरक्षरता का निराकरण एक राजनैतिक समस्या नहीं है । यह वह अवस्था है जिसकी पूर्ति के बिना राजनीति की बात करना भी असम्भव है । एक अशिक्षित व्यक्ति राजनीति के बाहर की वस्तु है और यदि उसे किसी भी रूप में राजनीति के भीतर लाना है तो इससे पहिले उसे वर्णमाला सिखा देनी होगी । बिना इसके राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है—
उम समय तक राजनीति केवल गल्प, अफवाह, कहानी तथा अन्धविश्वास है ।”

औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा

भूमिका

बहुधा आधुनिक भारतीय शिक्षा पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह आरम्भ से ही आवश्यकता से अधिक साहित्यिक है और इसमें व्यावसायिक, औद्योगिक तथा टैक्निकल शिक्षा का अभाव है। भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये प्रायः सभी आयोगों तथा समितियों ने भी बहुधा यही शिकायत की है। वास्तव में भारत के स्कूलों व विश्वविद्यालयों में बहुत समय तक केवल साहित्यिक शिक्षा की ही प्रमुखता रही, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न विभागों के लिए अफसर तथा अन्य कर्मचारी उत्पन्न करना था। किसी भी प्रकार की औद्योगिक शिक्षा का अत्यन्त अभाव रहा। माध्यमिक शिक्षा में भी यही दोष था और विद्यार्थियों को या तो विश्वविद्यालयों के लिए अथवा किसी नौकरी के लिये तैयार किया जाता था। इस शिक्षा-पद्धति का प्रमुख कारण भारत की राजनैतिक दासता तथा उससे उत्पन्न होने वाली विभिन्न अवस्थाओं में निहित है। किन्तु इसका निश्चित परिणाम हुआ भारत का औद्योगिक दृष्टि से विश्व के अन्य उन्नत राष्ट्रों की अपेक्षा पिछड़ जाना। देश में शिक्षा का दृष्टिकोण नितान्त प्रतिगामी रहा और भारतीय युवकों में बेकारी का रोग प्रवेश कर गया जो कि आज भी अत्यन्त भयङ्कर बना हुआ है। तथापि औद्योगिक तथा टैक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ प्रयास हुआ है। इस शिक्षा को हम तीन युगों में बाँट सकते हैं (१) सन् १८०० ई० से १८५७ ई० तक, (२) सन् १८५७ ई० से १९०२ ई० तक तथा (३) सन् १९०२ ई० से वर्तमान तक। नीचे हम तीनों का सक्षेप में वर्णन करेंगे।

प्रथम युग (१८०० ई० से १८५७ ई०)

इस युग की शिक्षा-प्रणाली एक मात्र 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' की नीति से प्रभावित थी। कम्पनी को अपने कार्य को भले रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न

विभागों में कुछ भारतीयों की आवश्यकता थी । उसे अपनी सेना के लिये डाक्टर, अदालतों के लिये वकील तथा न्यायाधीश और जन निर्माण-विभाग में सबके, नहरे तथा अन्य सरकारी भवनों का निर्माण करने के लिये इंजीनियरों की आवश्यकता थी । अतः अधिकांश में तत्कालीन औद्योगिक शिक्षा में हम इन्हीं शाखाओं को प्रमुख पाते हैं ।

१ चिकित्सा—चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में आयुर्वेद तथा यूनानी प्रणालियाँ प्रचलित थी । किन्तु अपनी सम्पूर्ण शिक्षा-नीति को दृष्टिगत रखते हुए अंग्रेज शासकों ने यहाँ योरूपीय चिकित्सा प्रणाली को प्रारम्भ किया जिसको सीखने का माध्यम अंग्रेजी भाषा था । वास्तव में चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्राच्य और पश्चिमी पद्धति का विवाद उठ खड़ा हुआ था । मैकाले की पश्चिमीकरण की नीति तथा लार्ड बेंटिक की घोषणा का चिकित्सा-शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा । प्रारम्भ में भारतीय विद्यार्थियों को चीडफाड इत्यादि से अरुचि थी, किन्तु मधुसूदन गुप्ता नामक विद्यार्थी ने कलकत्ता में एक शव पर चीडफाड का कार्य करके इस दिशा में सूत्रपात कर दिया ।

इस प्रकार सर्व प्रथम बंगाल, बम्बई और मद्रास में आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र का जन्म हुआ । सन् १८२२ ई० में कलकत्ता में एक 'देशी चिकित्सा-संस्था, (Native Medical Institution) की स्थापना हुई थी । सन् १८२६ ई० में कलकत्ता संस्कृत कालेज तथा कलकत्ता मदरसा में चिकित्सा की कक्षाएँ जोड़ दी गई । इन संस्थाओं में आयुर्वेद, यूनानी तथा योरूपीय ढंग की चिकित्सा की शिक्षा का प्रबन्ध था । किन्तु १८३५ ई० के उपरान्त आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा का शिक्षण समाप्त कर दिया गया और यह निश्चय हुआ कि केवल पश्चात्य ढंग की चिकित्सा-शिक्षा प्रदान की जायगी । सन् १८४४ ई० में चार विद्यार्थी पश्चात्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विलायत भी भेजे गये ।

बम्बई में सन् १८४५ ई० में गवर्नर रौबर्ट्स की स्मृति को अमर बनाने के लिये जनता ने चन्दा करके 'ग्रान्ट मेडिकल कालेज' की स्थापना की । इससे पूर्व १८२६ ई० में बम्बई में एक 'नेटिव मेडिकल स्कूल' तथा १८३६ ई० में पूना कालेज में चिकित्सा कक्षाओं की स्थापना भी की जा चुकी थी । 'ग्रान्ट मेडिकल कालेज' को इङ्ग्लैण्ड के 'रॉयल कालेज ऑफ सर्जन्स' ने भी १८५५ ई० में मान्यता प्रदान कर दी । कालान्तर में इसे बम्बई विश्वविद्यालय में मिला दिया गया । यहाँ अंग्रेजी तथा प्रान्तीय भाषा दोनों ही शिक्षा का माध्यम थी ।

मद्रास में १८३५ ई० में निम्नपदों के लिये 'अप्रेंटिस' शिक्षित करने के लिये एक मेडिकल स्कूल खोला गया । १८५१ ई० में यह कालेज बन गया और अन्त में मद्रास विश्वविद्यालय में मिला दिया गया । यहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था ।

२. कानून—कानून का अध्ययन करने के लिये अंग्रेजों ने भारत में कलकत्ता मद्रास तथा संस्कृत कालेज, बनारस की स्थापना की थी, जहाँ भारत की दो प्रमुख जातियों, हिन्दू और मुसलमानों के कानूनों का अध्ययन कराया जा सके तथा कम्पनी को अपनी अदालतों के लिये वकील व जज इत्यादि मिल सके। कलकत्ता संस्कृत कालेज में कानून की शिक्षा दी जाती थी। १८४२ ई० में हिन्दू कालेज में कानून का एक प्रोफेसर नियुक्त किया गया। १८५७ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय के खुलने पर उसमें भी कानून-कालेज स्थापित करने का प्रयास विफल होने पर उसमें १८६५ ई० में ही न्यायशास्त्र (Jurisprudence) की कक्षाएँ खोली जा सकी। नियमित कक्षाएँ तो बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के खुलने पर ही चल सकी।

३. इंजीनियरी—सन् १८४४ ई० में 'हिन्दू कालेज कलकत्ता' में सिविल-इंजीनियरी के प्रोफेसर के लिये एक पद उत्पन्न किया गया, किन्तु यह बहुत दिनों तक रिक्त पड़ा रहा। केवल १८५६ ई० में जाकर ही कलकत्ता में एक इंजीनियरी कालेज खुल सका।

सन् १८२४ ई० में 'बम्बई नेटिव शिक्षा सोसाइटी' ने इंजीनियरी की कक्षाएँ खोलीं, जहाँ मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम रखी गई। सन् १८४४ ई० में 'गेल-फिस्टन इन्स्टीट्यूट' में तथा १८५४ ई० में पूना में भी इंजीनियरी की कक्षाएँ खोली गईं। मद्रास में विश्वविद्यालय बनने तक कोई नियमित कक्षा इंजीनियरी की न खुल सकी। वहाँ तो १७९३ ई० से एक पैमाइश स्कूल चला आ रहा था जो कि १८५८ ई० में जाकर मद्रास विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में रुड़की में १८४७ ई० में इंजीनियरी कालेज की स्थापना हुई, जो कि १८५४ ई० में टाम्सन कालेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आजकल यह कालेज एक विश्व-विद्यालय के रूप में संगठित हो चुका है और देश का एक विख्यात इंजीनियरी विश्वविद्यालय है।

४. अन्य—उपर्युक्त व्यवसायों के अतिरिक्त अध्यापकों का प्रशिक्षण भी प्रमुख था। इस क्षेत्र में कम्पनी की उदासीनता की अपेक्षाकृत भी ईसाई धर्म-प्रचारकों ने कुछ कार्य किया। बम्बई प्रान्त में इस दिशा में अच्छा कार्य हुआ और बहुत से नार्मल स्कूल खुले। इसके अतिरिक्त कला (Art) का विषय भी अन्य व्यावसायिक शिक्षा में सम्मिलित था। मद्रास में १८५० ई० में 'ब्लैक टाउन' में डा० हंटर ने ललित-कलाओं तथा दस्तकारियों के लिये एक स्कूल खोला। बम्बई में १८५३ ई० में सर जमशेद जी जीजीभाई ने कला के विकास के लिये १ लाख रुपये दान दिया। उस धनराशि से १८५६ ई० में बम्बई में 'जे० जे० स्कूल ऑफ आर्ट' की स्थापना की गई।

द्वितीय युग (१८५७ ई० से १९०२ ई०)

औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यह युग कुछ अधिक महत्त्व का था, यद्यपि इस युग में भी व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे अनुभवों तथा प्रांगणित भारतीय उत्पन्न करना था जो कि अंग्रेज अफसरों के नीचे विभिन्न राजकीय विभागों में प्रशासन तथा सगठन-कार्य सुचारु रूप से चला सकें। १८५७ ई० में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाने के उपरान्त कानून, बिक्रिस्ता, इन्जीनियरी, कृषि-विज्ञान, वाणिज्य तथा टेक्निकल शिक्षा इत्यादि विषय भी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में नियमित रूप से सम्मिलित कर लिये गये तथा उनके शिक्षण के लिये विशेष शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, और इन विषयों में प्रमाण-पत्र व उपाधि देने की प्रथा का प्रारम्भ कर दिया गया।

१. कानून—सन् १८५८ ई० के शिक्षा-घोषणा पत्र के आदेशानुसार विश्वविद्यालयों में कानून की शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। कानून की शिक्षा अब बहुत सर्वप्रिय होती जा रही थी, क्योंकि आधुनिक न्यायालयों की स्थापना होने से देश में कानून के विशेषज्ञों की वकील तथा न्यायाधीश बनने के लिये माँग हो रही थी। ये दोनों उच्च सम्मान-जनक तथा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक थे। अतः उच्च वर्ग के शिक्षित लोग इस ओर बहुत आकर्षित हुए।

कानून के अध्ययन के लिये कानून-कालेज, कला तथा विज्ञान के कालेजों में कानून की कक्षाएँ तथा स्कूल ये तीन प्रमुख साधन थे। मद्रास में एक कानून का कालेज था। पंजाब में विश्वविद्यालय में कानून-कालेज था। केवल यही दो संस्थाएँ पूर्ण-कालीन कानून-कालेज के रूप में थी, अन्यथा अधिकांश में कानून-कक्षाएँ आशिक रूप में अन्य कालेजों में सन्ध्याकाल में लगती थी। बम्बई में राजकीय-कानून कालेज भी आशिक रूप से शिक्षा देता था। बंगाल, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में कानून-कालेज नहीं थे, किन्तु कला तथा विज्ञान के डिग्री कालेज में ही कानून की कक्षाएँ खुली हुई थी।

कानून की शिक्षा का नियन्त्रण भी क्रमशः विश्वविद्यालयों, शिक्षा विभाग तथा उच्च न्यायालयों के अधीन था। विश्वविद्यालय ही पाठ्यक्रम तैयार करते थे और वे ही परीक्षाओं के लिये उत्तरदायी थे। कानून के स्कूल तथा कालेजों का नियन्त्रण शिक्षा विभाग के अन्तर्गत था तथा उच्च न्यायालय उन शर्तों को रखता था जिनकी पूर्ति होने पर ही कोई स्नातक कानून के व्यवसाय को अपना सकता था। उच्च न्यायालय इसके पूर्व अपनी निजी परीक्षा भी लेते थे। कुछ प्रान्तों में सरकार की ओर से 'प्लीडर' और 'मुह्तार' की परीक्षाएँ भी केवल हाई स्कूल पास विद्यार्थियों के लिये थी। एल एल०, बी० परीक्षा का पाठ्यक्रम अधिकांश में दो वर्ष का

था। कही कही ३ वर्ष का भी था जो कि कला अथवा विज्ञान में ग्रेजुएट होने के उपरान्त पूरा किया जा सकता था।

२ चिकित्सा—(अ) मानव चिकित्सा—चिकित्सा-विज्ञान में प्रशिक्षित विद्यार्थी अधिकांश में सरकारी तथा स्थानीय बोर्डों के अस्पतालों में नौकर हो जाते थे, अथवा अपना स्वतन्त्र व्यवसाय खोलते थे या किसी बड़े कारखाने या कम्पनी में रख लिये जाते थे।

सन् १८६० ई० में लाहौर में भी एक मेडिकल काॅलेज खुल गया। इस प्रकार सन् १९०२ ई० तक भारत में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई तथा लाहौर में चार सरकारी कालेज हो गये।

इन कालेजों के अतिरिक्त कुछ मेडिकल स्कूल भी थे। इनमें ११ राजकीय स्कूल (१ मद्रास में, ३ बम्बई में, ४ बंगाल में, १ यू० पी० में, १ पंजाब तथा १ आसाम में), १ म्युनिसिपल स्कूल मद्रास में तथा १० प्रायवेट स्कूल (१ आसाम में, १ सिन्ध में, ४ पंजाब में—जिनमें दो मुसलमानी तथा १ हिन्दू शौचविधियों के लिये—तथा ४ बंगाल में) थे।

गुरुषो में तो चिकित्साशास्त्र का अध्ययन जन-प्रिय हो चला था, किन्तु स्त्रियों में अभी अन्धविश्वास और प्राचीन पक्षपात समाया हुआ था। सन् १९०२ ई० में भारत में मेडिकल कालेजों में १,४६६ तथा स्कूलों में २,७२७ विद्यार्थी चिकित्साशास्त्र का अध्ययन करते थे। इनमें २४२ स्त्रियाँ भी थी, किन्तु वे अधिकांश में योर्होय तथा ईसाई महिलाएँ थीं। केवल १५ ब्राह्मण, १५ अ-ब्राह्मण, १५ मुसलमान तथा २२ पारसी स्त्रियाँ थीं।

(ब) पशु चिकित्सा—मनुष्यों की चिकित्सा के अतिरिक्त पशु चिकित्सा की ओर भी सरकार का ध्यान गया। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में पशु-चिकित्सा अपना महत्त्व रखती है। अतः १८८२ ई० में लाहौर में, १८८६ ई० में बम्बई तथा १८९३ ई० में कलकत्ता में पशु-चिकित्सा विज्ञान के कालेज स्थापित हुए। एक स्कूल अजमेर में भी खोला गया, किन्तु कुछ समय उपरान्त लाहौर कालेज में मिला दिया गया।

३ इन्जिनियरी शिक्षा—इस युग में इन्जिनियरी तथा टेक्नीकल शिक्षा की बड़ी माँग बढ़ी। यह वह युग था जब कि भारत में औद्योगिक विकास तथा रेलों, सड़कों और नहरों का निर्माण हो रहा था; नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों की स्थापना हो रही थी, एव जल मार्ग और जूट व सूती मिलें खोली जा रही थी। ऐसी अवस्था में इन सभी कार्यों के लिये दक्ष इन्जिनियरों की आवश्यकता थी। आर्थिक दृष्टि से यह पेशा बड़ा लाभदायक था। अतः श्रेष्ठतम विद्यार्थियों

को आकर्षित कर रहा था। इन्जिनियरी शिक्षा की अधिक माँग होने तथा कालेजों की संख्या न्यून होने के कारण यह शिक्षा बड़ी मँहगी थी। अतः केवल उच्च वर्ग के लोग ही अपने लड़कों को शिक्षण के लिये भेजने में समर्थ हो सकते थे। इन विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त जन-निर्माण विभाग (P W D) में प्रायः अच्छी नौकरियाँ भी मिल जाती थी।

सन् १८६५ ई० में बंगाल इन्जिनियरी कालेज को प्रेसीडेंसी कालेज में मिला दिया गया। कालान्तर में यह शिवपुर पहुँचा दिया गया। सन् १८५४ में सरकार द्वारा स्थापित किया हुआ 'इजिनियरी कक्षा तथा मैकेनिकल स्कूल', 'पूना इजिनियरिंग कालेज' के रूप में विकसित हुआ। यह कालेज बम्बई विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कर दिया गया। सन् १९०१-०२ में यह कालेज इन्जिनियरी के अतिरिक्त विज्ञान, कृषि तथा वन-विज्ञान की शिक्षा भी देता था।

इस प्रकार सन् १९०२ ई० में भारत में चार प्रमुख इन्जिनियरी कालेज थे। रुडकी, शिवपुर (बंगाल), पूना तथा मद्रास, जिनमें ८६५ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। मद्रास कालेज का विकास १८५८ तथा १८६२ ई० के बीच में हुआ था।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य टेक्नीकल तथा औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना भी इसी काल में हुई। सन् १८८७ ई० में बम्बई में 'विक्टोरिया जुबली टेक्नीकल इस्टीब्लिशमेंट' की स्थापना हुई। सन् १९०२ ई० में भारतवर्ष में ८० टेक्नीकल स्कूल थे जिनमें ४,८९४ विद्यार्थी शिक्षण पाते थे। दुर्भिक्ष कमिशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने भी कुछ ऐसे स्कूल खोले। भारत के प्राचीन उद्योगों को ब्रिटिश सरकार ने नष्ट कर दिया था। अतः लोगों में बढ़ते हुये असन्तोष को रोकने के लिये भी यह आवश्यक था कि सरकार औद्योगिक स्कूलों की स्थापना करे। लोगों में भी इस शिक्षा की माँग उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। इन सबके फलस्वरूप भारत में इन्जिनियरी तथा टेक्नीकल शिक्षा का अच्छा प्रसार हो चला।

४ कृषि-विज्ञान—भारत के कृषि-प्रधान देश होने की अपेक्षाकृत भी यहाँ कृषि कालेजों की पर्याप्त उन्नति नहीं हुई है। सन् १८८० ई० में दुर्भिक्ष-कमिशन ने गावों में कृषि-शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया, किन्तु इसके लिये कुछ भी नहीं किया जा सका। सन् १८९० ई० में डा० वाँइलकर ने विभिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया और कृषि-शिक्षा के विषय में भारत सरकार ने निम्नलिखित निर्णय किये—

(१) कृषि-विज्ञान की डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्रों को उसी श्रेणी में समझा जाय, जिसमें कि विज्ञान या कला इत्यादि के प्रमाण-पत्र।

(२) उच्चकोटि के प्रमाण-पत्र देने के लिये चार से अधिक सस्थाये हो, यथा- मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा कोई उपयुक्त स्थान उत्तरी पश्चिमी प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में । अन्य प्रान्त भी इनका उपयोग करे ।

(३) कुछ पदों, जैसे कृषि-विज्ञान शिक्षको अथवा कृषि-विभाग-सचालक के सहायको की नियुक्ति के लिए भी प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो ।

(४) कुछ पदों के लिये कृषि की व्यावहारिक शिक्षा दी जाय ।

(५) कृषि डिप्लोमा, डिग्री तथा प्रमाण पत्र के लिए विशेष स्कूल खोला जाय तथा

(६) स्कूल अध्यापको को नियुक्त से पूर्व या पश्चात् सरकारी फाम पर व्यावहारिक-कृषि की शिक्षा देना भी महत्त्वपूर्ण है ।

इस प्रकार सन् १९०२ ई० में ब्रिटिश भारत में ५ सस्थाएँ ऐसी थी जहाँ कृषि-शिक्षा की व्यवस्था थी । पूना, शिवपुर, संयदपेट (मद्रास), कानपुर तथा नागपुर । संयदपेट कालेज की स्थापना सन् १८६४ ई० में तथा पूना-कृषि-शाखा की स्थापना सन् १८७९ ई० में हुई थी । शिवपुर सन् १८९९ ई० में स्थापित किया गया था । कानपुर तथा नागपुर में कानूनगो, शिक्षको तथा कृषक-बालको को शिक्षा दी जाती थी । इस प्रकार से सगठित हुई कृषि शिक्षा पूर्णतः अपर्याप्त थी । अनुसन्धान और व्यावहारिक शिक्षा का इसमें पूर्ण अभाव था । अन्य विभागों की भाँति कृषि शिक्षा का उद्देश्य भी इस काल में देश में उत्पादन की वृद्धि न होकर राजकीय कृषि-विभाग के लिये कर्मचारी तैयार करना ही था ।

५ वाणिज्य शिक्षा—कृषि-शिक्षा की भाँति वाणिज्य-शिक्षा ने भी इस युग में कोई सराहनीय उन्नति नहीं की । पजाब को छोड़कर किसी विश्वविद्यालय ने इसे स्वीकार नहीं किया था । बम्बई में भी एक सस्था थी, किन्तु उसका उद्देश्य प्रचुरित इंग्लैंड के वाणिज्य के विषय में शिक्षा देना था । सन् १९०२ ई० में भारत में १५ वाणिज्य-स्कूल थे, जिनमें १,१२३ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे ।

६ अन्य—उपयुक्त व्यवसायों के अतिरिक्त अध्यापन, वन-विज्ञान, तथा कला सम्बन्धी स्कूलों की भी स्थापना हुई । अध्यापको के लिए नये ट्रेनिंग व नार्मल स्कूल खोले गए । सन् १८८१-८२ ई० में यहाँ १०६ नार्मल स्कूल थे । तथा १९०१-०२ ई० में इनकी संख्या १३३ पुरुषों के लिए तथा ४६ स्त्रियों के लिये थी, जिनमें क्रमशः ४,४१० और १,२९२ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे । माध्यमिक शिक्षा के अध्यापको के प्रशिक्षण के लिये सन् १९०२ ई० में ६ कालेज थे । इनमें लाहौर ट्रेनिंग कालेज, मद्रास, नागपुर, राजमहेन्द्री तथा इलाहाबाद ट्रेनिंग कालेज अधिक प्रसिद्ध थे । मद्रास सस्था इलाहाबाद में एल० टी० का डिप्लोमा प्रदान किया जाता था । इनके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षको के प्रशिक्षण के लिये ५० ट्रेनिंग स्कूल भी थे ।

वन-विज्ञान के लिए सन् १८७८ ई० में देहरादून 'फॉरेस्ट स्कूल' की स्थापना हुई, तथा 'पूना इन्जीनियरिंग कालेज' में वन विज्ञान की शाखा खोली गई। कला की शिक्षा के लिये सन् १९०२ ई० में भारत में चार प्रमुख राजकीय कालेज थे जे० जे० स्कूल ऑफ आर्ट, बम्बई, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, लाहौर, स्कूल ऑफ आर्ट, कलकत्ता तथा स्कूल ऑफ आर्ट तथा इंडस्ट्री, मद्रास। इन स्कूलों में कला, पेटिंग तथा व्यापारिक आर्ट की शिक्षा दी जाती थी। सन् १८९३ ई० में भारत मन्त्री ने सुझाव रक्खा कि इन आर्ट स्कूलों से कोई विशेष लाभ नहीं है और इनका व्यय व्यर्थ होता है, अतः इन्हें टेक्नीकल स्कूलों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, किन्तु फिर कुछ निर्णय न हो सका। इस प्रकार व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा का दूसरा युग भी समाप्त होता है।

तृतीय युग (सन् १९०२ ई० से १९५६ ई०)

भारतीय व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में यह युग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। व्यावसायिक, औद्योगिक तथा टेक्नीकल शिक्षा की इस युग में बहुत उन्नति हुई।

इससे पूर्व इस प्रकार की शिक्षा का उपयोग अधिकांशतः सरकारी नौकरियों के लिये किया जाता था, किन्तु अब प्रशिक्षित युवक आधुनिक समाज की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी प्रशिक्षण लेने लगे। इस उन्नति के कई कारण हैं। एक तो यह युग भारत में बढ़ती हुई राजनैतिक चेतना का युग था जिसमें देश की शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की माँग बढ़ी, और अन्त में भारत के स्वाधीन होने पर एक नवीन व स्वतन्त्र राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति में अन्य उन्नत राष्ट्रों के समकक्ष आने के लिये अनेक प्रयोगशालायें तथा अनुसन्धानशालायें खोली गईं। कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में नये वैज्ञानिक तथा टेक्नीकल विषयों के विभाग खोले गये। दूसरे, लॉर्ड कर्जन के समय से ही सरकार का ध्यान इस ओर गया और सरकारी मशीन कुछ तेजी से काम करने लगी। तीसरे, व्यक्तिगत प्रयास भी एक बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में उतर आया। धनी लोगों ने बड़े-बड़े दान दिये तथा औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना कराई। चौथे, विद्यार्थियों को विदेशों जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी तथा जापान इत्यादि देशों में भेजने की व्यवस्था भी की गई, जहाँ उन्होंने आधुनिक विज्ञानों, उद्योगों तथा कला-कौशलों का उच्च अध्ययन करके भारत में आकर इनकी उन्नति की। भारत की स्वाधीनता के उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस दिशा में बड़ी प्रगति हो रही है जिसका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

१ कानून—कानून शिक्षा के उत्तरोत्तर जन-प्रिय होने का परिणाम यह हुआ कि देश में कानून के स्नातको की बाढ़ सी आ गई। वकीलो की सख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ गई। अधिकांश में ये वकील आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर कानून का व्यवसाय करते हैं जिसके कारण आज हमारे समाज में बहुत से भ्रष्टाचार प्रवेश कर गये हैं। किन्तु साथ ही उच्चकोटि के वकील भी उत्पन्न हुए हैं। अस्तु, सन् १९०२ से १९२७ ई० तक कानून का अध्ययन बड़ा लाभदायक रहा। किन्तु इसके उपरान्त देश पर आर्थिक सकट आने से कानून पढने वालो की सख्या पर्याप्त रूप से गिर गई और यह अवस्था लगभग १९४० ई० तक चली। उसके उपरान्त किसानो की आर्थिक अवस्था में सुधार होने से वकीलो ने इस सुअवसर से लाभ उठाकर पुन ग्रामीणो का शोषण प्रारम्भ कर दिया। इससे कानून के अध्ययन को और भी प्रगति मिली। आज कानून का बाजार इन व्यवसाइयो से भरा पडा है।

सन् १९४६-४७ ई० में भारत में १४ कानून-कालेज थे, ६ कानून-विभाग विश्वविद्यालयो में थे तथा आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित ६ कालेजो में कानून की कक्षाये थी। जहाँ तक कानून के पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है यह दो वर्ष का है। कलकत्ता और दिल्ली में इसकी अवधि ३ वर्ष की है। कानून का अध्ययन ग्रेजुएट होने के उपरान्त ही प्रारम्भ होता है, किन्तु बम्बई में इन्टरमीजियेट के उपरान्त ही प्रारम्भ हो जाता है। कानून के अध्यापक अविकाश में अर्ध-सामयिक (Part Time) आकार पर नियुक्त किये जाते हैं। प्राय ये लोग कुछ नये जूनियर वकीलो में से रख लिये जाते हैं। कक्षाये या तो प्रातः काल या सध्याकाल में लगती हैं। कानून के अध्ययन के विषयो में विद्यार्थी बिलकुल भी गभीर नहीं होते। प्राय परीक्षा के दिनों में कुछ वर्ष के प्रश्न-पत्रों के उत्तरो को रट कर ही उत्तीर्ण हो जाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत में कानून के क्षेत्र में अनुसंधान या उच्च अध्ययन का पूर्णतः अभाव है। अतः "यह स्पष्ट है कि अब हमें अपने कानून के कालेजो का पुनः सगठन करना है और इस विषय के अध्ययन को प्रथम कोटि का महत्त्व देना है। भारत की प्रसिद्धि तथा विश्व के स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष उसके महत्त्व एवं अपनी राष्ट्रीय-भावनाओं को पूर्ण करने के लिये इस प्रयत्न की आवश्यकता है।"[†]

राधाकृष्णन् कमीशन ने इसके लिये निम्नलिखित सुझाव रखे हैं —

(१) हमारे कानून के कालेजो का पूर्ण पुनर्संगठन होना चाहिये।

(२) कानून-शिक्षा का अध्यापक-मंडल भी कला तथा विज्ञान विभाग के शिक्षको की भाँति विश्वविद्यालयो द्वारा रखा तथा नियन्त्रित किया जाना चाहिये।

† राधाकृष्णन् विश्वविद्यालय कमीशन, पृष्ठ २५८

(३) एक वर्ष का पूर्व-कानूनी (Pre-Legal) डिग्री-पाठ्यक्रम तथा सामान्य अध्ययन कानून कक्षा में प्रवेश से पूर्व रक्खा जाना चाहिये ।†

(४) कानून के विशेष विषयों में ३ वर्ष का डिग्री-पाठ्यक्रम रहना चाहिये, अन्तिम वर्ष को कानून की व्यावहारिक शिक्षा में लगाना चाहिये ।

(५) शिक्षा पूर्ण-कालीन तथा अर्ध-कालीन दोनों प्रकार के हो सकते हैं ।

(६) कानून-कक्षाएँ नियमित समय के अन्दर लगनी चाहिये ।

(७) कानून-अध्ययन के साथ अन्य विषयों का अध्ययन प्रायः बन्द कर देना चाहिये ।

(८) उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान की सुविधाएँ होनी चाहिये, तथा

(९) परीक्षा-विधि में सुधार होना चाहिये ।

२ चिकित्सा—(अ) मानव चिकित्सा—इस युग में चिकित्सा विज्ञान ने बड़ी उन्नति की । साधारण-शिक्षा की वृद्धि होने के साथ साथ भारतियों को अनुभव होने लगा कि चिकित्सा के लिये देश में असीम क्षेत्र विद्यमान है । सन् १९४६-४७ ई० में यहाँ २६ मैडीकल कालेज तथा २५ मैडीकल स्कूल थे । १९३२ ई० में 'रॉकफेलर फाउंडेशन' के द्वारा कलकत्ता में 'अखिल भारतीय स्वास्थ्यरक्षा तथा जन-स्वास्थ्य सस्था' (All-India Institute of Hygiene and Public Health) की स्थापना हुई । इससे एक बड़े अभाव की पूर्ति हुई । सन् १९३३ ई० में "मैडीकल काउंसिल कानून" पास हुआ और 'भारतीय मैडीकल काउंसिल' की स्थापना हुई । इसकी स्थापना से चिकित्सा-विज्ञान को देश में बड़ी प्रगति मिली । इनके अतिरिक्त स्त्रियों के लिये दिल्ली में १९१६ ई० में 'लेडी हार्डिगज मैडीकल कालेज' की स्थापना हुई । १९२२ ई० में कलकत्ता में भी 'स्कूल ऑव ट्रीटिकल मैडीशन' स्थापित हुआ । इसके अतिरिक्त 'देहरादून एक्स-रे इन्स्टीट्यूट' तथा कसौड़ी में केन्द्रीय-अनुसंधान-शाला (Central Research Institute) की भी स्थापना हुई है । आयुर्वेद, होमियोपैथी तथा यूनानी के कालेज भी खुले हैं ।

इस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में दिन प्रति दिन उन्नति होती जा रही है । पच-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इस शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । जहाँ भार-

† "अमेरिकन बार असोसिएशन" तथा "अमेरिकन असोसिएशन ऑव लॉ स्कूल" का पूर्व-कानून-शिक्षण कम से कम दो वर्ष का कालेज-अध्ययन है, किन्तु कानून के सर्वोत्तम कालेजों में जिनमें हारवर्ड, कोलम्बिया, मिशीगन, शिकागो, कैलीफोर्निया तथा अन्य सम्मिलित हैं, इसकी अवधि कला या विज्ञान में ४ वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम की पूर्ति होती है । इसके उपरान्त ही कानून में प्रवेश हो सकता है"—विश्वविद्यालय कमीशन, पृष्ठ २६०

तीय विद्यार्थी पहले चीडफाड से घृणा करते थे अब वह सिद्ध हस्त हैं और कुछ लोग अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर ख्याति भी प्राप्त कर चुके हैं। किन्तु इतना होते हुए भी देश की जनसख्या, निर्धनता, रोगों तथा अज्ञानता के आकार को देखते हुए यह प्रगति अपर्याप्त है। दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्णतः उपेक्षा की गई है। चिकित्सा-विज्ञान के शिक्षण की उन्नति के लिये विश्वविद्यालय कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव रखे हैं—

(१) मैडिकल कालेजों में अधिक से अधिक १०० विद्यार्थी प्रविष्ट करने चाहिये।

(२) अध्ययन के वह सभी विभाग, जिन्हे साथ में अस्पताल की भी आवश्यकता है, एक ही सीमा के अन्तर्गत स्थित कर दिये जायँ।

(३) प्रत्येक प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के पीछे १० पलंग की सुविधा होनी चाहिये।

(४) 'अडर ग्रेजुएट' तथा 'ग्रेजुएट' दोनों स्तरों का प्रशिक्षण ग्रामीण-केन्द्र में भी होना चाहिये।

(५) 'उत्तर-ग्रेजुएट' (Post Graduate) प्रशिक्षण की व्यवस्था ऐसे कालेजों में होनी चाहिये जहाँ पर्याप्त-स्टाफ और सजा हो।

(६) 'जन-स्वास्थ्य इंजिनियरिंग, (Public Health Engineering) तथा 'नर्सिंग' को अधिक महत्त्व देना चाहिये।

(७) देशी चिकित्सा पद्धति की उन्नति होनी चाहिये, तथा

(८) चिकित्सा विज्ञान के प्रथम पाठ्यक्रम में चिकित्सा-इतिहास, विशेषकर भारत का, पढाना चाहिये।

(ब) पशु-चिकित्सा—इस युग में पशु-चिकित्सा की भी उन्नति हुई। 'सिविल पशु-चिकित्सा-विभाग' को १९०३ ई० में साधारण जनता के लिये भी खोल दिया गया। साथ ही कृषि-विभाग की उन्नति होने से पशु-चिकित्सा विभाग की भी उन्नति हुई। सन् १९०२-०७ ई० के बीच में पशु-चिकित्सा स्कूलों को भंग करके कालेजों की स्थापना की गई। फलतः सन् १९०५ ई० में मद्रास तथा १९३० ई० में पटना में ऐसे कालेज स्थापित हुए। उत्तर प्रदेश में गढमुक्तेश्वर में 'इम्पीरियल पशु-चिकित्सा अनुसंधानशाला' की स्थापना हुई। सन् १९४८ ई० में जबलपुर में भी पशु-चिकित्सा कालेज खोला गया है। इजातनगर तथा बंगलौर में भी पशु-चिकित्सा सम्बन्धी अनुसंधानशालाएँ हैं। मथुरा में एक पशु-चिकित्सा कालेज की स्थापना उत्तर प्रदेशीय सरकार ने की है।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजन में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (Indian Council of Agricultural Research) के द्वारा संचालित कुछ फुटकर

योजनाओं को छोड़कर पशु-चिकित्सा तथा पशुपालन के लिये विशेष कार्य नहीं किया गया। द्वितीय आयोजन में इस ओर ध्यान गया है और कुछ विकास योजनाये प्रस्तावित की गई हैं। पशुपालन की अनुसन्धान का सगठन राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरो पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्य कुछ अखिल भारतीय महत्त्व की अनुसन्धानशालाओं जैसे भारतीय वैंटरनरी अनुसन्धानशाला तथा राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धानशाला इत्यादि को सोपा जा रहा है। ये सस्थाये बुनियादी अनुसन्धान का कार्य करेंगे। कर्नाल में स्थित की गई राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धानशाला में डेरी, पशुपालन, खाद्य, रसायन, कृमिशास्त्र, टेक्नोलॉजी तथा मशीनरी और एक डेरी विज्ञान कालेज इत्यादि के अलग-अलग विभाग स्थापित किए जायेंगे। डेरी कार्य तथा तत्सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए बँगलौर में इस सस्था की एक क्षेत्रीय शाखा भी कार्य कर रही है जो कि जूनियर पाठ्यक्रम के लिये विद्यार्थियों को तैयार करती है।

पशुपालन के लिये भारत सरकार देश के चार क्षेत्रों में ४ अनुसन्धानशालाये खोलने पर विचार कर रही है। इनमें एक हिमालय क्षेत्र, एक उत्तर, एक पूर्व तथा एक दक्षिण में स्थित किया जायगा। इस दिशा में प्रथम आयोजन में ही सूत्रपात किया जा चुका है। द्वितीय आयोजन काल में भारत को लगभग ५००० पशु चिकित्सकों की आवश्यकता होगी। देश की वर्तमान सस्थाये २७५० पशु चिकित्सक ही इस काल में उत्पन्न कर सकती हैं। अतः इस अभाव की पूर्ति करने के लिये हिसार, हैदराबाद, पटना, बम्बई तथा बीकानेर के वैंटरनरी कालेजों में 'डबल शिफ्ट' प्रारम्भ कर दी गई है। साथ ही मध्य भारत, उड़ीसा, आन्ध्र एव त्रिवाकुर-कोचीन में ४ कालेज नवीन खोल दिये गये हैं। इन्नातनगर में एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज स्थापित किया जा रहा है। सामयिक अभाव की पूर्ति के लिये १० केन्द्रों में २ वर्ष का सक्षिप्त पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रत्येक केन्द्र में १०० विद्यार्थियों का प्रवेश हो सकेगा।

३ इजिनियरी तथा टेक्नीकल शिक्षा—सन् १९०२ ई० के उपरान्त इस शिक्षा ने एक नया रूप धारण किया। देश की बढ़ती हुई औद्योगिक उन्नति के लिये यह आवश्यक भी था कि इजिनियरी तथा टेक्नोलॉजी का अध्ययन न केवल सरकारी नोकरीयों के लिये ही किया जाय, अपितु देश तथा समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया जाय। फलतः इस शिक्षा की बड़ी उन्नति हुई है। भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त, जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है, इधर बहुत से कालेज तथा अनुसन्धानशालाये खुली हैं।

बीसवीं शताब्दि के प्रथम दशक में बंगाल में जादबपुर नामक स्थान में 'कालेज ऑफ इजिनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी' स्थापित किया गया था। सन् १९१७ ई० में

हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में भी इंजीनियरी की कक्षाये खुली, इसके अतिरिक्त पटना, लाहौर तथा कराची इंजिनियरी कालेज खुले। इस प्रकार सन् १९३७ ई० तक भारत में ८ इंजिनियरी कालेज हो गये। इनमें से कराची तथा लाहौर १९४७ ई० में पाकिस्तान में चले गये। सन् १९४७ ई० में इनकी सख्या भारत में १७ हो गई। 'बुड ऐबट समिति-रिपोर्ट' तथा सार्जेंट योजना से भी इस दिशा में बहुत प्रगति हुई, जिसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। सन् १९४६ ई० में 'एन० आर० सरकार समिति' की स्थापना हुई जिसने देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में चार बड़े कालेज स्थापित करने की सिफारिश की।

स्वतन्त्रता के उपरान्त टेक्नीकल शिक्षा के महत्त्व को और भी अधिक समझा गया। इसके लिये उद्योग, वाणिज्य परिवहन, संचार, कृषि, जन-स्वास्थ्य तथा इंजीनियरी इत्यादि सभी क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी। १९४७ के उपरान्त टेक्नीकल शिक्षा की सुविधाये इस प्रकार से बढ़ने लगी कि जहाँ १९४७ में टेक्नीकल शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सख्या ६,६०० थी, तो १९५३ में यह सख्या १२,७०० हो गई। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले स्नातको और डिप्लोमा पाने वाले विद्यार्थियों की सख्या भी इसी काल में २,७०० से बढ़कर ६,००० हो गई। १९५६ तक यह सख्या लगभग डब्लोही हो गई है।

केन्द्रीय सरकार ने 'विज्ञान-उद्योग अनुसन्धान परिषद्' तथा 'अखिल भारतीय टेक्नीकल शिक्षा परिषद्' की सहायता से दो दिशाओं में एक साथ काम करना प्रारम्भ कर दिया है। 'विज्ञान-उद्योग अनुसन्धान परिषद्' अनेक विषयों पर अनुसन्धान करने के उद्देश्य से १४ राष्ट्रीय प्रयोगशालाये तथा केन्द्रीय सख्याये स्थापित की गई हैं। इनमें से निम्नलिखित की स्थापना उल्लेखनीय है

- (१) राष्ट्रीय भौतिक अनुसन्धानशाला, नई दिल्ली,
- (२) राष्ट्रीय रासायनिक अनुसन्धानशाला, पूना,
- (३) राष्ट्रीय घाटिक अनुसन्धानशाला, जमशेदपुर,
- (४) ईंधन अनुसन्धान संस्था, जीलगोरा,
- (५) केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलॉजीकल, अनुसन्धानशाला मैसूर,
- (६) केन्द्रीय ड्रग अनुसन्धानशाला लखनऊ,
- (७) केन्द्रीय सीरामिक्स अनुसन्धानशाला, कलकत्ता,
- (८) केन्द्रीय सडक अनुसन्धानशाला, दिल्ली,
- (९) केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसन्धानशाला, रुडकी,

(१०) केन्द्रीय चर्म अनुसन्धानशाला, मद्रास, '

(११) केन्द्रीय विद्युत-रासायनिक अनुसन्धानशाला, कराईकूडी, तथा

(१२) केन्द्रीय लवण अनुसन्धानशाला, भावनगर

ये सस्थाये अनुसन्धान की सामान्य समस्याओं को हल करती हैं, नये उत्पादनों को जाँच करती हैं और उनके मानक (Standards) बनाती हैं। इसके साथ ही साथ वे वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों और उन सभी लोगों को सलाह व सुविधायें प्रदान करती है जो स्वयं अनुसन्धान का कार्य करने अथवा आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। इन सस्थाओं के अतिरिक्त पंचवर्षीय आयोजनों के अन्तर्गत अन्य अनुसन्धानशालाओं की भी स्थापना करने की योजना सरकार ने बनाई है। कुछ उद्योगपति वैयक्तिक रूप से भी अहमदाबाद, बम्बई, कोयम्बदर तथा कानपुर में अनुसन्धानशालाएँ चला रहे हैं।

'अखिल भारतीय टेक्नीकल शिक्षा परिषद्' की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार ने कुछ चुनी हुई सस्थाओं की उन्नति व विकास के लिये एक योजना स्वीकार की है। इस योजना पर प्रारम्भ में १ करोड़ ६२ लाख रुपया और फिर प्रतिवर्ष २५५ लाख रुपये व्यय किये जाँयेंगे। यह धन-राशि १५ शिक्षा सस्थाओं को अनुदान के रूप में दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य पाँच वर्ष में देश में टेक्नीकल शिक्षा की चतुर्दशी उन्नति करना है।

अखिल भारतीय परिषद् ने यह भी सिफारिश की थी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पच्छिम इन चार दिशाओं में देश में क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की जाय जो कि अपने-अपने क्षेत्रों में टेक्नीकल शिक्षा के विकास का ध्यान रखें। १९५१-५२ में पूर्व और पश्चिम तथा १९५३ में उत्तर व दक्षिण के लिये ऐसी समितियों की स्थापना की जा चुकी है। इस प्रकार अब देश में टेक्नीकल व औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने में बड़ी सहायता मिल रही है। इसके अतिरिक्त इस समन्वय तथा उसके मानकीकरण के लिये भी परिषद् ने साराहनीय कार्य किया है। परिषद् और अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की एक सम्मिलित समिति ने विश्वविद्यालयों में डिग्री-स्तर पर टेक्नीकल शिक्षा तथा ट्रेनिंग के लिये एक व्यवस्थित योजना तैयार की है। इन्जीनियरी, टेक्नोलॉजी, तथा औद्योगिक शिक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न पाठ्यक्रमों को तैयार करके शिक्षण दिया जा रहा है।

देश में टेक्नीकल शिक्षा प्राप्त हुए कितने लोगों की आवश्यकता है इस बात को जानने के लिये 'अखिल भारतीय टेक्नीकल शिक्षा परिषद्' ने एक 'टेक्नीकल जन शक्ति समिति' (Technical Man-Power Committee) की स्थापना की थी। यह समिति शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में विस्तृत कार्य-क्रम प्रस्तुत कर र

है। इसके अतिरिक्त दो समितियों की स्थापना और हुई है। एक तो 'वैज्ञानिक जन-शक्ति समिति' (Scientific Man-Power Committee) तथा दूसरी 'विदेश छात्रवृत्ति समिति' (Over-seas Scholarship Committee)। इन समितियों का काम है कि देश तथा विदेश में वैज्ञानिक व टेक्नीकल शिक्षा की सुविधाओं व समस्याओं पर विचार प्रस्तुत करे। 'विदेश छात्रवृत्ति समिति' ने सिफारिश की है कि विदेशों में विद्यार्थियों को उन्हीं विषयों में प्रशिक्षण के लिये भेजा जाय जिनकी कि देश में सुविधा न हो। साथ ही देश में वर्तमान सस्थाओं की दशा में सुधार किया जाय तथा अन्य नवीन सस्थाएँ खोली जाँय, जिससे विद्यार्थियों को भविष्य में शिक्षा के लिये विदेशों में न जाना पड़े। इन सिफारिशों के अनुसार विद्यार्थियों को देश व विदेश में टेक्नीकल व औद्योगिक प्रशिक्षण व अनुसन्धान के लिये प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं, और देश के विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक सस्थाओं को अनुदान दिये जा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि विश्वविद्यालयों ने अपनी अनुसन्धानशालाओं का पुनर्संगठन करके कार्य का विस्तार कर दिया गया है। सन् १९५१ में कलकत्ता के पास खडगपुर में 'भारतीय टेक्नोलॉजी सस्था' (Indian Institute of Technology) की स्थापना की गई थी। सन् १९४७ के बाद टेक्नीकल शिक्षा के क्षेत्र में यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। इस सस्था की स्थापना सप्ताह की सर्व प्रसिद्ध मैसेच्यूसेट्स (अमरीका) की एक सस्था के आधार पर की गई है। यहाँ इजीनियरी तथा टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण व अनुसन्धान की व्यवस्था है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बँगलौर की 'भारतीय विज्ञान-सस्था' के प्रसार कार्य को भी सम्मिलित किया गया था। यह कार्य १९५५-५६ के प्रारम्भ तक समाप्त हो गया। सन् १९४७ तक यह सस्था शुद्ध व मौलिक विज्ञानों का ही शिक्षण देती थी। कि तु इसके उपरान्त इसने बहुत उन्नति करली है। अब टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण व अनुसन्धान के अतिरिक्त यहाँ शक्ति-इन्जीनियरी, विमानिकी (Aeronautics), धातु-विज्ञान, विद्युत संचार तथा रासायनिक-इन्जीनियरी की उच्च शिक्षा का भी प्रबन्ध है।

इसी प्रकार दिल्ली पोलिटेक्निक भी केन्द्रीय सरकार के अधीन एक सस्था है। इसमें बहुत से विषयों में प्रशिक्षण की सुविधा है। इसको दिल्ली विश्वविद्यालयों और से विद्युत-इजीनियरी, यान्त्रिक इजीनियरी, वास्तुकला, वाणिज्य तथा रासायनिक टेक्नोलॉजी में स्नातक-स्तर का प्रमाण-पत्र देने की मान्यता मिल गई है।

'अखिल भारतीय टेक्नीकल शिक्षा परिषद्' वैज्ञानिक तथा टेक्नीकल शिक्षा विकास के लिये क्रियात्मक रूप से सहायता दे रही है। देश में उत्तर-ग्रेजुएट स्तर

पर अनुसन्धान कराने तथा प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराने और अन्डर-ग्रेजुएट स्तर पर इंजीनियरी तथा टेक्नोलॉजी की शिक्षण-सुविधायें देने के उद्देश्य से विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिये जा रहे हैं। देश में विभिन्न उद्योगों सहयोग से कर्मचारियों व श्रमिकों के लिये अश कालीन शिक्षण की सुविधायें भी दी जा रही हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों, जैसे छपाई, कृषि, नगर तथा क्षेत्रीय-नियोजन, रेशम-शिल्प, ऊनी-शिल्प, औद्योगिक-प्रशासन तथा व्यापार प्रबन्ध इत्यादि में जहाँ प्रशिक्षण की सुविधायें या तो बिल्कुल हैं ही नहीं अथवा अर्थात् हैं, वहाँ पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। इस उद्देश्य के लिये कलकत्ता की 'अखिल भारतीय सामाजिक हितकारी तथा व्यापार प्रबन्ध-संस्था' को केन्द्रीय सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया था। छपाई में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से परिषद् ने कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद तथा बम्बई में चार क्षेत्रीय-स्कूलों की स्थापना कर दी है। एक पाँचवाँ छपाई स्कूल दिल्ली में खोलने की योजना भी विचाराधीन है। वास्तुकला में प्रशिक्षण देने की दृष्टि से बम्बई का 'जमशेदजी जीजाभाई स्कूल ऑफ आर्ट्स' सतोंषजनक कार्य कर रहा है। इस स्कूल को केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से अनुदान देती है।

प्रथम आयोजन काल में इंजीनियरी तथा टेक्नोलॉजी की शिक्षा-व्यवस्था निम्नलिखित तालिका से जानी जा सकती है †

	१९४६-५०			१९५५-५६		
	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश संख्या	उत्पत्ति-संख्या	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश संख्या	उत्पत्ति संख्या
१ पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स तथा अनुसन्धान सुविधायें	८	१३६	६१	१८	२७०	१६०
२ डिग्री तथा उसके समकक्ष पाठ्यक्रम	५३	४,१२०	२,२००	६०	६,०५०	३,७००
३ डिप्लोमा पाठ्यक्रम	८१	५,६००	२,४८०	१०८	८,७००	३,६००

उपर्युक्त तालिका से प्रकट होता है कि सन् १९४६-५० के उपरान्त ग्रेजुएट तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के स्तर पर विद्यार्थियों के प्रवेश तथा सफल होने की संख्या में लगभग ५० प्र० श० की वृद्धि होगई है। सन् १९४७ की तुलना में तो यह

सख्या तिगुनी होगई है । द्वितीय आयोजन के अन्तर्गत १९५८ ५९ ई० के आगे ग्रेजु-एट तथा डिप्लोमा-स्तर में क्रमश ४६००० तथा ५२०० विद्यार्थियों की उत्पत्ति होने की सम्भावना है । सन् १९५० की अपेक्षा में ये सख्याये दुगुनी हो जाँयगी । इतना ही नहीं शिक्षा के विकास के साथ ही साथ उसकी श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिये अच्छे शिक्षको, अच्छी व पर्याप्त सजा तथा अधिक स्थान की व्यवस्था टेक्नीकल सस्थाओं में की जा रही है ।

इस प्रकार देश में औद्योगिक व टेक्नीकल शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है । आशा है भविष्य में और भी अधिक उन्नति हो सकेगी ।

४ कृषि शिक्षा—बीसवी शताब्दि के प्रारम्भ में कृषि-शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान जाने लगा । सन् १९०१ ई० में भारत सरकार ने 'इन्सपेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर' का पद स्थापित किया और कृषि विभाग का विस्तार किया । सन् १९०५ ई० से प्रति वर्ष २० लाख ख़ाया कृषि में प्रयोग तथा अनुसन्धान करने के लिये सुरक्षित कर दिया गया । कृषि शिक्षा की अत्रिक सुविधाय उपलब्ध करने के लिये भी केन्द्रीय सरकार ने योजना बनाई । तदनुसार सन् १९०८ ई० में केन्द्रीय-अनुसन्धानशाला, पूसा (बिहार) की स्थापना की गई । इसकी स्थापना में अमेरिका के एक दानी श्री हैनरी फिस्स के ३० हजार डालर के दान से बहुत सहायता मिली । सन् १९३४ ई० में भूचाल के उपरान्त यह अनुसन्धानशाला दिल्ली में आगई । इसके अतिरिक्त कानपुर (१९०६), कोइम्बटूर (१९०९), सेबर (१९०९) तथा लायलपुर में १९१० ई० में कृषि-कालेजो की स्थापना हुई । पूना कृषि-स्कूल को कालेज बना दिया गया । नैनी, कानपुर और नागपुर में भी कालेज खुले । सैयदपेट तथा शिवपुर कालेज भग कर दिये गये । इन छ कालेजो में ५ का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था तथा नैनी में स्थित इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट का प्रबन्ध एक अमरीकी मिशन के आधीन था । इसके अतिरिक्त १९२८ ई० में कृषि कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसने सम्पूर्ण-क्षेत्र का अध्ययन करके कृषि तथा ग्रामीण अवस्थाओं में सुधार के सुझाव रखे । इसकी सिफारिशो के फलस्वरूप १९२९ ई० में 'इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च' की स्थापना की गई । माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा में भी कृषि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया । गन वर्षों से कृषि शिक्षा का बहुत विकास किया जा रहा है । कालेजो की सख्या में वृद्धि की जा रही है तथा अनु-सन्धान के लिये अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान की जा रही हैं । अमेरिका तथा इङ्गलैंड के लिये बहुत से विद्यार्थियो को उच्च अध्ययन के लिये भेजा जा रहा है । इस समय देश में २१ प्रमुख कृषि कालेज स्थित हैं इनमें बलवत राजपूत कृषि कालेज, आगरा, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट, राजकीय कृषि कालेज, अमृतसर, कृषि

कालेज बनारस विश्वविद्यालय, कृषि कालेज, बगलौर, केन्द्रीय कृषि कालेज, दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधानशाला (न्यू पूसा), दिल्ली, राजकीय कृषि कालेज, कानपुर तथा कृषि कालेज पूना अधिक प्रसिद्ध हैं । इनके अतिरिक्त लखावटी (७० प्र०), धरवार, हैदराबाद, मुक्तेश्वर, नागपुर, सेबर, आनन्द, बपतला, इन्दौर, तथा खामगाँव इत्यादि अन्य स्थान हैं, जहाँ कृषि कालेज स्थापित हैं । उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा लगभग ३००० स्कूलों में दी जा रही है । भारत की खाद्य आवश्यकताओं को देखते हुए कृषि-विज्ञान में अधिक अनुसंधान तथा व्यावहारिक-कार्य की आवश्यकता है । "नवीन-भारत मानव स्वतन्त्रता का अग्रदूत है और इसकी रक्षा, व्यक्ति के महत्त्व तथा मानव के गौरव व सम्मान की रक्षा के लिये प्रतिश्रुत है । भारत की खाद्य समस्या उन साधनों के द्वारा हल करनी चाहिये जो कि स्वतन्त्रता, जनतन्त्र, समानता तथा अतृप्त के मूल-भूत सिद्धान्तों पर आधारित है, तथा जो कि नवीन भारत के समाज निर्माण के लिये आधारशिला स्वरूप है ।"†

कृषि में अनुसंधान की आवश्यकता को अनुभव करते हुये योजना-कमीशन ने द्वितीय आयोजन में १४१५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । इस धनराशि में से ४६५ करोड़ तो केन्द्रीय वस्तु समितियों (Central Commodity Committees) के द्वारा तथा ९५० करोड़ केन्द्रीय खाद्य व कृषि मन्त्रालय के द्वारा व्यय किये जायेंगे । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने योजनायें प्रारम्भ कर रखी हैं, द्वितीय आयोजन काल में उन्हें जारी रखा जायगा । भारतीय कृषि-अनुसंधान इन्स्टीट्यूट, केन्द्रीय आलू अनुसंधान इन्स्टीट्यूट, केन्द्रीय चावल अनुसंधान इन्स्टीट्यूट तथा गन्ना विकास इन्स्टीट्यूट इत्यादि संस्थाओं ने द्वितीय आयोजन काल के लिए अपने-अपने विकास कार्यक्रम बनाये हैं जिनके अनुसार पर्याप्त अनुसंधान होने की सम्भावना है । भारतीय कृषि अनुसंधान इन्स्टीट्यूट ने द्वितीय आयोजन काल के लिए ६८ योजनायें बनाई हैं ।

इसके अतिरिक्त देश में राष्ट्रीय प्रसार सेवा को द्वितीय आयोजन काल में सम्पूर्ण देश में लागू करने के उद्देश्य से कृषि शिक्षा को अधिक से अधिक महत्त्व दिया जा रहा है । बिहार, राजस्थान, त्रिवाकुर-कोचीन में केन्द्रीय सहायता के द्वारा नवीन कृषि कालेज खोले गये हैं । साथ ही आसाम, हैदराबाद, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में पूर्वस्थिति कृषि कालेजों को और भी अधिक दृढ़ किया गया है । मध्य प्रदेश में दो नवीन कृषि कालेज और स्थापित किये जा रहे हैं । इस प्रकार कृषि कालेजों की संख्या २८ हो गई है । द्वितीय आयोजन काल में इन कालेजों के द्वारा ६,५०० कृषि ग्रेजुएटों को उत्पन्न करने की सम्भावना है । ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण

के लिए वतमान ५४ बेसिक कृषि स्कूलो एव ४४ प्रसार केन्द्रो के अतिरिक्त २५ नये बेसिक कृषि स्कूल, २१ प्रसार केन्द्र तथा १६ बेसिक कृषि शाखाये जिन्हे प्रसार ट्रेनिंग केन्द्र मे जोडा जायगा, स्थापित किये जा रहे हैं ।†

५ वैज्ञानिक अनुसन्धान—देश मे इस समय ३३ विश्वविद्यालयो में वैज्ञानिक अनुसन्धान विभागो के अतिरिक्त १४ राष्ट्रीय अनुसन्धानशालाये, ८८ रिसर्च इन्स्टीट्यूट व रिसर्च केन्द्र तथा ५४ अन्य असोसिएशन हैं जो कि वैज्ञानिक व टेक्नीकल अनुसन्धान के क्षेत्र मे सतोषजनक कार्य कर रहे हैं । अग्रगुणक विभाग के अन्तगत वहाँ के स्टाफ तथा अन्य अनुसन्धान सस्थाओ जैसे 'टाटा इन्स्टीट्यूट ऑव फंडामेंटल रिसर्च' इत्यादि के द्वारा अग्रगुण शक्ति के विषय मे महत्त्वपूर्ण खोज काय जारी है । सन् १९५३ के अन्त मे भारत सरकार ने जिस राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास कार्पोरेशन की स्थापना की थी उसने अब तक १७७ नवीन आविष्कारो की रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

लि विश्वविद्यालयो के विज्ञान-विभागो के विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन की लि ओर अनुसन्धान कार्य के लिए सहायता दी जा रही है । अधिकांश में यह सहायता अनु रसायनशालाओ, पुस्तकालय तथा भवन निर्माण के लिए दी जाती है । वैज्ञानिक व एक-आद्योगिक अनुसन्धान परिषद् अनुसन्धान प्रायोजनो में सहायता करती है । इन कार्यो सन् के लिए अनुदान कमीशन ने द्वितीय आयोजन मे १७ करोड रुपये की व्यवस्था अटिकी है ।

१६ कुछ अन्य सस्थाये भी हैं जो वैज्ञानिक अनुसन्धान का काय भारत मे कर गया रही हैं । इनमें इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑव साइन्स, बंगलौर, टाटा इन्स्टीट्यूट ऑव भग फण्डामेंटल रिसर्च, बम्बई, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑव न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता, नैनीबोस रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता, बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट ऑव पॅलियो बोटनी, आर्धलखनऊ तथा श्रीराम इन्स्टीट्यूट फार इन्डस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली इत्यादि प्रमुख हैं । सम्पूर्णद्वितीय आयोजन में इन सभी सस्थाओ को सहायता प्रदान की जायगी ।

रखले कुछ सघ भी ऐसे हैं जो देश में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार के लिए उल्लेखनीय एग्रीकार्य कर रहे हैं । इनमें इण्डियन साइन्स काग्रेस असोसिएशन, नेशनल इन्स्टीट्यूट कृषि प्रॉव साइन्स, नई दिल्ली तथा इन्डियन एक्डेमी ऑव साइन्स, बंगलौर अधिक प्रसिद्ध विकाङ् । ये सघ अपनी पत्रिकाये भी प्रकाशित करते हैं और वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार के सन्धानले विशेष गोष्ठियो का आयोजन भी करते हैं । वैयक्तिक उद्योगों से सम्बन्धित कुछ इङ्गलैभनुसन्धान सस्थाये और हैं किन्तु इनकी सख्या नगण्य है । इनमें केवल अहमदाबाद समय क्स्टाइल इन्स्टीट्यूट रिसर्च असोसिएशन, इण्डियन जूट मिल असोसिएशन रिसर्च

इन्स्टीट्यूट तथा सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च असोशिएशन का नाम उल्लेखनीय है। वैज्ञानिक परिषद् इन सस्थाओं को भी अनुदान देती है।

वैज्ञानिक मानव शक्ति (Scientific Man-Power Committee) की सिफारिशों के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विशेष क्षात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है। द्वितीय आयोजन काल के लिए वैज्ञानिक परिषद् को २० करोड़ रुपये दिये जाने की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक हष्टिकोण उत्पन्न करने की आवश्यकता को अनुभव किया गया है। इस उद्देश्य के लिए प्रथम आयोजन के अन्तर्गत ३ ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किये गये थे। ये केन्द्र 'विज्ञान मन्दिर' के नाम से विख्यात हैं। द्वितीय आयोजन काल में ६० से १०० तक ऐसे केन्द्र खोले जायेंगे। ये विज्ञान मन्दिर सामुदायिक विकास क्षेत्रों में ग्रामीणों में विज्ञान, कृषि एवं स्वास्थ्य व सफाई के सम्बन्ध में नवीन विचारधारा का प्रचार करने के लिये स्थापित किए जायेंगे।

६ वाणिज्य—इस काल में वाणिज्य शिक्षा ने बहुत सतोषजनक उन्नति की। सन् १९०१-०२ ई० में जबकि वाणिज्य का एक भी कालेज नहीं था, १९३६ ई० में इनकी संख्या ब्रिटिश भारत में ८ हो गई। सन् १९१३ ई० में बम्बई में प्रथम वाणिज्य कालेज की स्थापना हुई थी। उसके उपरान्त कलकत्ता, ढाका, इलाहाबाद, दिल्ली तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों में वाणिज्य-विभाग खोले गये। सन् १९४६-४७ ई० में वाणिज्य कालेजों की संख्या १४ तथा स्कूलों की संख्या २६६ हो गई। गत ३० वर्षों में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में वाणिज्य विभाग खुल गये हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से डिग्री कालेजों में भी कला व विज्ञान की भाँति वाणिज्य-विभाग खुल गये हैं। यह विषय मिडिल, हाईस्कूल तथा इन्टर कक्षाओं में भी पढाया जाता है। आंध्र तथा दिल्ली विश्वविद्यालयों में ३ वर्ष का ऑनर्स पाठ्यक्रम भी है। बम्बई, इलाहाबाद, लखनऊ तथा आगरा इत्यादि विश्वविद्यालयों में एम० कॉम० कक्षाएँ हैं। वाणिज्य में अनुसंधान भी हो रहे हैं। १९४७ के उपरान्त वाणिज्य शिक्षा सस्थाओं की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है।

७ अन्य—उपर्युक्त व्यावहारिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य विभाग भी हैं जिनमें विद्यार्थियों को व्यावहारिक आर्थिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है, जैसे अध्यापन, वन विज्ञान, कला तथा कुटीर-उद्योग इत्यादि। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अनेक कालेज तथा स्कूल खुल चुके हैं। सन् १९४६-४७ ई० में ३३ ट्रेनिंग कालेज थे, जिनमें २,७४७ विद्यार्थियों के शिक्षा पाने की व्यवस्था थी। इधर उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ इत्यादि स्थानों पर ग्रेजुएट शिक्षकों के लिए नये कालेज खुले हैं। अन्य प्रदेशों में भी ट्रेनिंग कालेज खुले हैं।

महिलाओं के लिए भी ट्रेनिंग कालेज हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में बी० एड० (B Ed) तथा एम० एड० (M Ed) की कक्षाएँ भी हैं। इन्स्टीट्यूट ऑफ़ एज्युकेशन, बम्बई तथा 'दिल्ली सैन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ़ एज्युकेशन' में शिक्षा में अनुसंधान की भी सुविधा है, किन्तु अभी भारत में शिक्षा में अनुसंधान का बड़ा अभाव है। अतः कुछ विद्यार्थी प्रतिवर्ष अनुसंधान के लिए इंग्लैंड और अमेरिका जाते हैं। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए भी देश भर में केन्द्र खुले हैं जिनमें तर्की, वर्धा जामिया मिलिया, दिल्ली तथा विश्वभारती अखिल भारतीय महत्त्व के हैं।

कला की शिक्षा के लिए भारत में १९४७ ई० में १४ कला स्कूल थे, जिनमें १६६८ विद्यार्थियों की व्यवस्था थी। ललित-कलाओं में संगीत तथा नृत्य के लिए भी स्कूल वर्तमान हैं इनमें भातखण्डे संगीत विद्यालय, बम्बई, मौरिस स्कूल, लखनऊ, संगीत-विद्यालय, कलकत्ता तथा कला क्षेत्र, अदियार अधिक प्रसिद्ध हैं। १९४७ के उपरान्त बहुत से कला-क्षेत्र खुलते जा रहे हैं। सरकार कलाकारों को छात्रवृत्तियाँ देकर भी प्रोत्साहित कर रही है। इस दृष्टि से संगीत-नाटक अकादमी व ललितकला अकादमी की स्थापना महत्त्वपूर्ण है।

वन-विज्ञान की शिक्षा के लिए दो कालेज देहरादून में तथा एक कोइम्बटूर में हैं। जनवरी, १९५५ में देहरादून में विश्व-वन-सम्मेलन एक महत्त्वपूर्ण घटना है।

उपसंहार

इस प्रकार संक्षेप में हमें भारत में व्यावसायिक तथा औद्योगिक शिक्षा की प्रगति का वर्णन किया है। विश्व आज लौकिक वैभव के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतीत का समृद्ध भारत बीच में एक दरिद्र राष्ट्र बन गया था, किन्तु आज पुनः उसने अँगड़ाई ली है और अपने स्वर्णिम-भविष्य की ओर वह जिज्ञासा तथा आशाभरी दृष्टि से देख रहा है। उसका यह स्वप्न तभी पूर्ण हो सकता है जबकि वह अपने औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त औद्योगिक, टेक्नीकल तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। हर्ष की बात है कि वह इस पथ पर अडिग कदमों द्वारा अग्रसर होता जा रहा है।

(क) सहायक-पुस्तकें

(BIBLIOGRAPHY)

प्रथम खंड:—

- Altekar Education in Ancient India, Nand Kishore Bros (Benaras) 1948
- Balmik Ramayan 17
Chhandogya Upanishad 22
- Keay, F E History of Indian Education, Ancient and in Later Times, Humphrey Milford, Oxford University Press (1942) 27
32
- Kautilya Arthshastra 37
- Mac Donnel Sanskrit Literature 32
- Manusmriti 49
- Mahabharat Adi Parva
- Max nullar Lectures on Vedanta Philosophy
- Munda's Upanishad an
- Mukerjee Radha Kumad, Dr Ancient Education in India, Macmillan & Co 1947 49
of
- Padma Puran (P)
- Panini
- Shatpath Brahman 3)
- Subhashit Ratna Bhandar tee
- Yajnavalkya 13,
of
- द्वितीय खंड — 3.)
lu-
4)
- Bernier Travels
- Cambridge History of India Vol IV
- Ishwari Prasad Dr History of Medieval India, The Indian Press Ltd Allahabad
- Jaffar Education in Muslim India
- Keay, F E. History of Indian Education, Ancient and in Later Times 10
- Law, N N Promotion of Learning in India during Mohamaddon Rule
- Moreland, W. H. From Akbar to Aurangzeb
Nadavi
- Sen, J M History of Elementary Education in India
- Sharma S R. Moghul Empire in India.

Shrivastava, A L Dr The Sultanate of Delhi, Shiv Lal & Sons, Agra

Vakil, K S, Education in India

तृतीय खंड—

Adam's Report on Vernacular Education in Bengal and Bihar

American Education, Jan 1950

Altekar Education in Ancient India

Agra University (Amendment) Act 1954

Aims and Objects of University Education in India Ministry of Education Govt of India

Basu, A N University Education in India

Basu, A N Education in Modern India

Basic and Social Education Pamphlate No 586 Ministry of Education in India

Better Teacher Education Ministry of Education Govt of India (1954)

Bhatia, Hans Raj What Basic Education Means, Orient Longmans (1954)

Chaube, S P Dr शिक्षण सिद्धान्त की रूपरेखा, लक्ष्मीनारायण एज्ड सन्स, आगरा।

Education in India - Oxford University Press

Experiments in Teachers Training Ministry of Education Govt of India (1954)

Future of Education in India - The Publications Division (1954)

Gokhale's speeches.

Humayun Kabir A programme of National Education for India, Eastern Economist Pamphlate.

Harijan 2-10-37, 30-10-37

H Sharp Selections from Educational Records

Hartog Committee Report

Howell Education in India

India Today Vol I, June 1952

Indian Year Book, 1954-55, The Times of India Bombay
India (1956) The Publications Division Govt of India

Mayhew, A Christianity and the Government of India

Mukerjee, S N Education in India, To-day and Tomorrow, Acharya Book Depot, Baroda

Mukerjee, S N Education in India in the 20th Century, Padma Publications, Bombay,

Mukerjee, S N Education in Modern India, Acharya Book

- Narendra Deo Committee Report 1939, (For the Reorganisation of Primary and Secondary Education in U P)
- Nurullah and Naik A History of Education in India, Macmillan and Co (1951)
- A New Deal for Secondary Education Ministry of Education Govt of India (1954)
- Paul Bergivin Philosophy of Adult Education, Indiana University, Bloomington
- Progress of Education in India (Reports Govt of India) 1930-31, 1936-37, 1938-39
- Paranjape, M R A Source Book of Indian Education Proceedings of the Indian National Commission (1954)
- Quinquennial Review of the progress of Education in India
- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|
| | | | | | 1912-17 |
| " | " | " | " | " | 1917-22 |
| " | " | " | " | " | 1922-27 |
| " | " | " | " | " | 1927-32 |
| " | " | " | " | " | 1932-37 |
| " | " | " | " | " | 1947-52 |
- A Review of Education in India (Humayun Kabir) 1948-49
- Ritcher, J History of Missions in India
- Report of Indian University Commission (1902)
- Report of the University Education Commission (Radhakrishnan Commission) Vol I, 1949
- Report of Progress of Education in U P (Ministry of Education U. P)
- Report on Technical Education in India (1943)
- Report of the Allahabad University Enquiry Committee (1953)
- Report of the Secondary Education Reorganisation Committee U P, 1953.
- Report of the Secondary Education Commission Govt. of India (1953.)
- Research and Experiment in Rural Education Ministry of Education Govt of India (1954)
- Second Five Year Plan Govt of India (1956)
- Sen, J M History of Elementary Education in India
- Shah, Lalit Kumar Education and National Consciousness
- Singh, R K Dr Our Universities and our Vice Chancellors,
- Sargent Scheme Post War Educational Development Scheme
- Siquira Education in India
- Syed Mahmud History of English Education
- Social Education A work of students for students
- Social Education Ministry of Education, Govt of India 1953
- Seven Year of Freedom Ministry of Education, Govt of

- The Seventh Year of Freedom A I C C Publication (1954)
- Trev-lyan On the Education of the People of India, (1838)
- Trevelyan Life and Works of Macaulay
- UNESCO Adult Education Towards Social and Political
Responsibility, (1953)
- Unesco Projects in India Ministry of Education Govt of
India, (1953)
- Unesco Compulsory Education in India
- Vakil, K S Education in India, T C E Journals and Publi-
cations Ltd Lucknow, (1948)
- Wardha Scheme
- Wood Abbot Report on Vocational Education in India
- Zakir Hussain Committee Report on Basic Education in India
- Zellner Aubrey Dr Education in India, Bookman Association
New York 4

१०७, १०६, १११, ११२, ११३,
१३५,

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा-
परिषद् . ३४५-३४७,

अखिल भारतीय टैक्नीकल शिक्षा
परिषद् ३३०, ३४४, ३४५, ४७२,
४७३, ४७४,

अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन
२८५,

अखिल भारतीय बेसिक शिक्षा सम्मे-
लन : ३१०, अग्रहार . ७०,

अग्रिम योजना . ३०६, ४५६,
अथर्व वेद . ८, १०, ११, १५, १६,
३०, ४६, १०४,

अलतेकर ए० एस० . ३७,

अबुल फजल ८८, ६५, १०४,

अरविन्द २३४,

अशोक सम्राट् ६४, ७८,

असहयोग आन्दोलन . २३, २४६,
२५२,

अनिवार्य शिक्षा १०७-१०८, २०६,

२३५, २३६, २३७, २४७, २४८, २७३,

२७५, २७८, २८२, ३०३, ४०८, ४०६,

अध्वर्यु . ८, ६,

अहमद खाँ, सर सैयद : १६८,

आर्कलैड लार्ड १७४, १७५, १७६,

१७६, १८२,

आगरा . ११२, ११३, १३८, १३५, १८४,

३२२-३२४, ४०७, ४२३,

आजाद, अबुल कलाम मौलाना
३४३,

आयुर्वेद शिक्षा ४६, ६०, ६१, ६२,
७०,

आसाम बेसिक शिक्षा अधिनियम
३११,

आज्ञापत्र (१८१३) १४१, १४३,
१४४-१४५, १४६, १४८, १४९, १५७,

आज्ञा पत्र (१८३३) . १६४,

इ, ई

इलबर्ट २१७,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय २७५, ४३८,

इलाहाबाद विश्वावद्यालय जाँच-
समिति, २८०, ४३८-४३९,

इलियट ६०,

इब्न बतूता १०५, १०६,

इत्सिग . ६१, ६८, ७४, ७५, ७६,

इस्लामी शिक्षा ८३;

इस्लामी शिक्षा के उद्देश्य ८३-८५,

इस्लामी शिक्षा की विशेषताये . १०७-
१०६,

इस्लामी शिक्षा के दोष १०६-१११,

इस्माइलदौला नवाब १६२,

ईस्ट इण्डिया कम्पनी १२१, १२२,

१३०, १३४, १३७, १५१, ४६०,

उ, ऊ

उच्च शिक्षा . ६०, ६१, ७०, ७५, ६४-